राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 10]　　तेरहवीं विधान सभा के दसवें सत्र का तीसवां दिवस　　[संख्या : 18

शुक्रवार,

22 मार्च, 2013

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: श्री ओम बिरला।

प्रदेश को विशेष दर्जा दिलवाने हेतु की गई कार्यवाही/प्रयास

427. श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): क्या आयोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि क्षेत्रफल व विषम भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से प्रदेश को विशेष दर्जा दिये जाने की मांग की जा रही है? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मांग के संदर्भ में सरकार द्वारा केन्द्र सरकार से किये गए पत्र व्यवहार सहित अब तक क्या-क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा प्रदेश को विशेष दर्जा दिलाये जाने की मांग राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भी उठाई गई है? यदि हां, तो कब-कब? जनवरी, 2009 से जनवरी, 2013 के मध्य का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित)

श्री अध्यक्ष: श्री ग्यारसाराम कोली।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, इससे पहले प्रश्न 427 है। मुझे माननीय श्री ओम बिरलाजी ने अधिकृत किया है।

श्री अध्यक्ष: वह स्थगित है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, आपको भी सूचित किया होगा।

श्री अध्यक्ष: हां। स्थगित है वह प्रश्न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, आप इसका मुलाहिजा फरमायें। एक ऐसा सवाल ...

श्री अध्यक्ष: फरमा लिया। फरमा लिया मैंने।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सरकार क्यों बचना चाहती है, अध्यक्ष महोदय?

श्री अध्यक्ष: मैं निवेदन करूं, बचने का प्रश्न नहीं है, सरकार की तरफ से यह जवाब आया था कि 20 तारीख को प्लानिंग कमीशन की मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग में यह मैटर डिस्कस होगा। तो इसका जवाब आने से पहले यह जवाब आ चुका था, इसलिए इसको पोस्टपोन किया था। कैंसिल नहीं किया है, इसका सरकार से जवाब मंगवाया जाएगा लेकिन परिस्थिति यह थी कि 20 की मीटिंग के बाद ही कोई निर्णय होगा। इस वजह से पोस्टपोन किया गया था। जवाब इसका आएगा, यह निश्चित है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): आज 22 है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: परसों मीटिंग थी, तो आज जवाब आ जाता?

श्री ग्यारसाराम कोली।

कैलादेवी वन क्षेत्र/वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु कार्य योजना

428. श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कैलादेवी (भील का बाड़ा) की वन क्षेत्र की आरक्षित वृक्षारोपण की भूमि पर चारदीवारी नहीं है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या सरकार इस पवित्र धाम की सुन्दरता एवं जंगली जानवरों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा एवं वृक्षारोपण को बढ़ावा देने हेतु कोई ठोस कदम उठा रही है? यदि हां, तो क्या?

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री) (वन मंत्री के स्थान पर): अध्यक्ष महोदय, (1) जी हां। सम्पूर्ण आरक्षित वन क्षेत्र के चारों ओर विभाग द्वारा दीवार निर्माण का कार्य नहीं करवाया जाकर, वन क्षेत्र की अवैध चराई, अवैध कटाई, अतिक्रमण, आदि वन अपराधों के संवेदनशील क्षेत्रों में चारदीवारी निर्माण कार्य करवाया जाता है। वन क्षेत्र की संवदेनशीलता को ध्यान में रखते हुए उक्त वन क्षेत्र में वर्ष 2012-13 में केम्पा योजना के अन्तर्गत 600 रनिंग मीटर पक्की दीवार निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। मनरेगा योजनान्तर्गत इको-रेस्टोरेशन एवं दीवार निर्माण हेतु वर्ष 2012-13 में 1000 रनिंग मीटर दीवार निर्माण के

(श्री परसादी लाल)

प्रस्ताव जिला कलक्टर, भरतपुर को प्रस्तुत किये गये हैं, जिसकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति अपेक्षित है। स्वीकृति प्राप्त होने पर कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।

(2) जी हां। उक्त क्षेत्र के खोहरा क्षेत्र में वर्ष 2012-13 में 50 हैक्टेयर में वृक्षारोपण का कार्य करवाया गया है। उक्त वृक्षारोपण से स्थानीय क्षेत्र के सौन्दर्यीकरण के साथ-साथ वन्य जीवों को संरक्षण एवं सुरक्षा प्राप्त होगी।

श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि कैलादेवी, भील का बाड़ा, जिला भरतपुर में एक आस्था का केन्द्र है और यहां हर साल एक लक्खी मेला आयोजित होता है। इस आस्था के केन्द्र के जो चार किलोमीटर में वन क्षेत्र है, उसकी चारदीवारी न कराने से, क्या यह सही है कि इस प्रकार की लापरवाही से अवैध वृक्षों की कटाई और इस क्षेत्र में अतिक्रमण को बढ़ावा मिला? प्रश्न संख्या-1 ।

दूसरा मेरा प्रश्न है कि आपने केम्पा योजना के तहत 600 मीटर के दीवार निर्माण कराने की बात कही है तो क्या यह तब सरकार की आंख खुली जब प्रश्न लग गया और प्रश्न लगने के बाद में आपकी निद्रा टूटी? आपने इसमें यह भी नहीं बताया है कि 600 मीटर के लिए आपने क्या राशि स्वीकृत की है और कब काम शुरू हुआ है और कब समाप्त हो जाएगा?

खण्ड-1 के जवाब में आपने यह भी कहा है कि 1,000 रनिंग मीटर की दीवार के जिला कलक्टर, भरतपुर को प्रस्ताव भिजवाये गये हैं, तो क्या आपको ऐसे क्षेत्रों की जानकारी नहीं थी? इससे निश्चित रूप से वहां अतिक्रमण को बहुत बढ़ावा मिला है, प्लांटेशन नष्ट हुआ है और अब क्या इससे यह काम पूरा हो जाएगा?

दो प्रश्नों का आप जवाब दे दें, उसके बाद में फिर पूछूंगा।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पूछा पूरी चारदीवारी का, मैंने आपको जवाब में बताया कि अवैध कटाई, अवैध खनन, जो अतिक्रमण के जहां क्षेत्र होते हैं, पहले उनको, अध्यक्ष महोदय, प्राथमिकता देते हैं, चारदीवारी बनाकर उन अतिक्रमणों को रोका जाए।

दूसरा आपने कहा कि इस पर कितना खर्चा हुआ, मैं आपको, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि यह कार्य जो 600 रनिंग

(श्री परसादीलाल)

मीटर है, यह 31.3.2013 तक पूर्ण हो जाएगा और इस पर 12.00 लाख रुपये खर्च होंगे। आपने कहा कि सवाल लगने के बाद सरकार की निद्रा टूटी, तो काम तो बहुत पहले ही मंजूर हो गया था, आपके सवाल से कोई दीवार मंजूर नहीं हुई है। हमने 1,000 रनिंग मीटर के जिला कलक्टर, भरतपुर को मनरेगा में इसकी स्वीकृति के लिए वहां प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव आते ही शीघ्र हम इस पर कार्य शुरू करा देंगे।

विभाग की, सरकार की पूरी कोशिश होगी कि जो भी अतिक्रमण के इलाके हैं, वहां भील का बाड़ा, कैलादेवी के, उन पर सब पर चारदीवारी बनाने के लिए विभाग उसको प्राथमिकता देगा।

श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, मंत्रीजी यह तो बता रहे हैं कि यह 31.3.2013 तक कार्य पूर्ण हो जाएगा, मात्र 600 मीटर का, और 1,000 मीटर की कार्य योजना या प्रस्ताव इन्होंने कलक्टर साहब को जो भिजवाये हैं, उसमें कितनी राशि या बजट प्रस्तावित किया है वह नहीं बता पाये हैं।

नम्बर-2, मुझे यह भी बतायें कि इस वन क्षेत्र, जैसे यह आस्था का केन्द्र है, महोदय, तो ऐसे वन क्षेत्रों में, मैं पहले भरतपुर की बात बता देता हूं, बंध बरैठा हमारा फोरेस्ट का एरिया है, वहां आपने क्या किया? मुझे यह भी बता दें कि वन्य जीवों की रक्षा हेतु क्या सरकार संवेदनशील है? क्या इन वन्य जीवों को नष्ट कराना चाहती है? आप उनकी चारदीवारी नहीं कराते हैं तो वे निश्चित रूप से कृषि भूमि में जाते हैं। वहां न तो कृषक सुरक्षित हैं, न फसल सुरक्षित है, वन्य जीव सुरक्षित हैं। तो मुझे यह आप बतायें।

मुझे यह भी बतायें कि आपने यहां जैसा किया है, सदन को आप निश्चित रूप से जवाब देंगे ही, लेकिन राजस्थान में ऐसे कितने वन क्षेत्र हैं जहां की चारदीवारी का आपने सोचा ही नहीं? उनकी सूची बतायें कम से कम और उनको कब तक पूरा करा देंगे? यह जानना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। मंत्रीजी।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार द्वारा केम्पा योजना में हर साल स्टेट को बजट दिया जाता है। इस वर्ष हमारे 2012-13 में 50 करोड़ का बजट था। पूरे राजस्थान में जहां भी आवश्यकता थी चारदीवारी की, वन क्षेत्र को सुरक्षित रखने से लिए, वहां हमने काम कराये हैं

(श्री परसादीलाल)

और स्टेट प्लान में 292 करोड़ रुपये की राशि सरकार से हमको चारदीवारी और वन को सुरक्षित रखने के काम के लिए हमको मिली। उससे हमने जहां भी आवश्यकता थी, जहां भी इल्लीगल माइनिंग हो, अवैध कटाई हो, अवैध चराई हो, उनको रोकने के लिए हमने इस वर्ष में काम कराये हैं और आगामी वर्ष में भी जहां आवश्यक समझेंगे, वन्य जीवों की भी सुरक्षा हो, फोरेस्ट की भी सुरक्षा हो, पौधों की भी सुरक्षा हो, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार प्राथमिकता उन क्षेत्रों को देगी जहां इस तरह के अतिक्रमण, वगैरह हो रहे हैं। माननीय सदस्य, आपके 1,000 मीटर का प्रस्ताव कलक्टर साहब को भेजा है, और नहीं भी भेजा होगा, तो अगले बजट में भील का बाड़ा का आप जो ध्यान में लाये हैं, निश्चित रूप से प्राथमिकता देंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री देवी सिंह भाटी।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह जानकारी चाहता हूं कि क्या यह सही है कि जब समाज और गांव का नियंत्रण था वनों पर और वन्य जीवों के ऊपर, तब बिना कानून की किताब, फोरेस्ट एक्ट, वाइल्डलाइफ एक्ट के बगैर, बिना अधिकारियों के, चारदीवारी के बगैर, ये सारे सुरक्षित थे? क्या अब राज्य सरकार पुन: धीरे-धीरे...

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): पहले भी पूछ चुके हो। (व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): हां, तो आपके समझ में आ जाएगी तब बोलना बंद कर दूंगा। जब तक आपके समझ में नहीं आएगी...

श्री अध्यक्ष: आजकल जोर गोचर पर और सामाजिक व्यवस्थाओं पर ही चल रहा है।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): जी, आना ही पड़ेगा, वह ही एक रास्ता है। तो क्या राज्य सरकार केन्द्र सरकार को यह प्रस्तावित करेगी कि पुन: धीरे-धीरे हम समाज और गांव के नियंत्रण में यह व्यवस्था रखें, तभी ये सुरक्षित रह पाएंगे? क्या इसका विचार है?

श्री बहादुर सिंह (वैर): अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब आने दीजिये।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जैसी भावना व्यक्त की कि पहले गांव के लोग सुरक्षा करते थे, आज भी बहुत सारी वन सुरक्षा समितियां, प्रदेश में जहां भी आवश्यकता है, वहां पर बनाकर उनको संरक्षित किया जा रहा है। हम और प्राथमिकता देंगे। सब जगह वन सुरक्षा समितियां ही अगर इस काम को कर लें तो अपने आप में लोग यह समझ जाएंगे। अब वह जमाना बदल गया। पेड़ों की कटाई भी करते हैं, इल्लीगल माइनिंग भी करते हैं, अवैध चराई भी करते हैं। इसके अलावा, अध्यक्ष महोदय, जनसंख्या का बढ़ता दबाव भी है। आप खुद भी इस बात को मंजूर करेंगे कि यह अवैध कटाई क्यों हो रही है, अवैध माइनिंग क्यों हो रही है?

श्री अध्यक्ष: अब इसको ज्यादा आगे छेड़ेंगे तो उसका भी ये समाधान बता देंगे।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): यह सरकार का ज्यादा नियंत्रण होने के कारण से ही हो रहा है। सरकार का नियंत्रण होने के कारण से ही यह हो रहा है।

श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना): अध्यक्ष महोदय, मुझे एक प्रश्न और करना है।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): आज आपके घर बिना कानून के सुरक्षित हैं, आपके खेत बिना कानून के सुरक्षित हैं, आपकी दुकान, व्यवसाय बिना कानून के अन्दर, जो आपकी व्यवस्था है, उसमें सुरक्षित हैं।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। विराजिये।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): जहां कानून आ गया, किताब आ गई, वहां, यह सब अंग्रेजी की साजिश है। माइनिंग एक्ट कौन लाया? फोरेस्ट एक्ट कौन लाया? ये अंग्रेज लाये थे और वे कानून अभी तक आप लिये बैठे हो। यह सबसे बड़ा संकट है।

श्री बहादुर सिंह (वैर): अध्यक्ष महोदय, यह भील का बाड़ा जो कैला देवी का वन है, वह मेरे विधान सभा क्षेत्र में आता है। उस जंगल के अन्दर केवड़े के हजारों पेड़ थे, खजूर के पेड़ थे, कदम के पेड़ थे और उन पेड़ों को काफी लोगों ने काट लिया है। इसके अलावा, जो जंगल है, उसमें अतिक्रमण भी हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: कर्नल साहब, आप मेम्बर आफ पार्लियामेंट भी रहे हैं, कुछ नियमों का ध्यान रखिये। माननीय सदस्य बोल रहे हैं और बीच में से क्रोस कर रहे हैं।

श्री बहादुर सिंह (वैर): अध्यक्ष महोदय, यही कह रहा हूं कि पिछली बार, पिछले साल भी यह विधान सभा में उठाया गया था और मंत्री महोदय ने यह कहा था कि हम इसको अगले सत्र में, अगले बजट में इस बाउंडरी को करवा देंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह निवेदन है कि इसको जल्दी से जल्दी बजट आबंटन करें।

श्री अध्यक्ष: चलिये। अगला प्रश्न। श्री बाबूसिंह राठौड़।

श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना): अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है। मेरा लास्ट एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: मैं अगला प्रश्न पुकार चुका हूं।

जोधपुर जिले के ग्रीन बैल्ट क्षेत्र में अवैध निर्माण कार्यों की जांच

429. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर जिले में दिसम्बर, 2008 से जनवरी, 2013 तक ग्रीन बैल्ट क्षेत्र में बिना अनुमति के व बिना नक्शा अनुमोदन करवाये भू-उपयोग परिवर्तन कर होटल, भवन व बहुमंजिला इमारत निर्माण व अन्य कार्य करवाने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त प्राप्त शिकायतों पर सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गई? यदि हां, तो कब-कब, कहां-कहां पर, क्या-क्या व नहीं, तो क्यों?

नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री (श्री शांती कुमार धारीवाल): अध्यक्ष महोदय, (1) जी हां। यह सही है कि जोधपुर जिले में दिसम्बर, 2008 से अब तक ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में बिना अनुमति के, बिना नक्शा अनुमोदन करवाये भू-उपयोग परिवर्तन करवाये हाल, भवन व बहुमंजिला इमारत निर्माण व अन्य कार्य करवाने की शिकायत प्राप्त हुई है। उपरोक्त शिकायत जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के पूर्वी जोन के ग्राम झालामण्ड के खसरा संख्या 72 के सम्बन्ध में लिखित शिकायत दिनांक 01.08.2012 को प्राप्त हुई। दिनांक 22.11.2012 को उपायुक्त (पूर्व) कार्यालय की अतिक्रमण शाखा द्वारा मौके पर जाकर व्यावसायिक गतिविधियां, भवन, हाल को सील कर दिया गया।

(2) झालामण्ड गांव में रानी बाग़ होटल के मामले में भू-उपयोग परिवर्तन के बगैर ही टूरिस्ट का ठहराव व गतिविधियों के संचालन के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायत के आधार पर जांच के दौरान भू-उपयोग परिवर्तन नहीं होना

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

पाया गया है। अत: व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन किये जाने के कारण उक्त होटल को सीज किया गया तथा होटल पर जोधपुर विकास प्राधिकरण के ताले लगा दिये गये हैं।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि खण्ड 1 के अनुसार जोधपुर के पूर्वी जोन, गांव झालामण्ड के खसरा संख्या 72 में होटल रानीबाग, बहुत जोरदार बनी हुई है, के सम्बन्ध में लिखित शिकायत दिनांक 1.8.2012 को प्राप्त हुई व शिकायत प्राप्त होने के साढ़े तीन माह बाद 22.11.2012 को उपायुक्त (पूर्व) कार्यालय की अतिक्रमण शाखा द्वारा मौके पर जाकर भवन, हाल को सील कर दिया गया। तो क्या सरकार ग्रीन बेल्ट में नियम विरुद्ध बन रहे होटल, निजी महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कालेज, निजी चिकित्सालय, आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, पुलिस एकेडमी, हाउसिंग कालोनियों को रोकने व ग्रीन बेल्ट को सुरक्षित रखने की जिम्मेदार व जवाबदेह है? यदि हां, तो इस प्रकार हो रहे निर्माणों पर रोक नहीं लगाने के लिए कौन दोषी हैं व दोषियों के विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करेगी? यह स्पष्ट करें।

दूसरा, क्या यह सही है कि श्री गुलाब कोठारी बनाम सरकार की जन हित याचिका वर्ष 2010 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार जिला जोधपुर सहित अन्य शहरों में मास्टर प्लान, जिसमें ग्रीन बेल्ट में बदलाव, उसकी अवहेलना कर भवनों का निर्माण नहीं करने व न्यायालय की अनुमति लिये बगैर भवन निर्माण कराने पर रोक लगाई है? यदि हां, तो माननीय न्यायालय द्वारा कितने प्रकरणों में अनुमति जारी की गई व बिना अनुमति के कितने निर्माण कार्य हो रहे हैं? यह भी स्पष्ट करें।

तीसरा, चार पूछ लूं, नहीं तो फिर आप दो में ही करके रह जाओगे, क्या यह सही है कि ग्रीन बेल्ट के अन्तर्गत ग्राम मोगला स्थित आवासीय कालोनी, ग्राम गेवां स्थित आपकी अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, राजीव गांधी आवासीय कालोनी, इन कालोनियों में शिलान्यास से पूर्व भू-उपयोग परिवर्तन की अनुमति ली गई? यदि हां, तो कब, किससे व नहीं, तो क्यों? इसको भी स्पष्ट करें।

अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जोधपुर शहर के चारों ओर गांवों की पेरिफेरी में जितनी भी आवासीय कालोनियां, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय व अन्य भवनों के निर्माण बाबत क्या मास्टर प्लान

(श्री बाबूसिंह राठौड़)

में भू-उपयोग परिवर्तन की अनुमति ली गई है? यदि हां, तो कब, किससे व नहीं, तो सरकार द्वारा मास्टर प्लान की अवहेलना करने के लिए किसको दोषी मानकर कार्यवाही की गई?

इन सब को स्पष्ट करें। चारों स्पेसिफिक क्वेश्चन हैं, आपने गम्भीरता से सुने हैं और गम्भीरता से ही आप जवाब देंगे।

श्री अध्यक्ष: विराजें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, दिसम्बर, 2010 में माननीय जोधपुर उच्च न्यायालय द्वारा ग्रीन बेल्ट, इकोलोजिकल बेल्ट, इनमें भू-उपयोग परिवर्तन पर रोक लगा दी गई लेकिन उसके पहले-पहले जितनी भी बिल्डिंग्स वहां पर बनीं, जैसे आपने सरकारी कई बिल्डिंग्स के नाम लिये, वे जितनी भी बिल्डिंग्स बनीं वे बाकायदा भू-उपयोग परिवर्तन करके ही बनाई गईं। जो स्टेट लेवल कमेटी यहां पर फोर्म हुई है, उसके पास बाकायदा जोधपुर विकास प्राधिकरण की अनुशंसा आती है और एक-एक चीज का भू-उपयोग परिवर्तन करवाने के बाद में ही कोई बिल्डिंग बनाई जाती है।

सवाल इतना सा है, आपने यह पूछा कि कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? अखबारों में तो छपता रहता है, अखबारों को यहां मत दिखाइये, अखबारों को दिखाने की यहां पर परिपाटी नहीं है। आपने यह पूछा कि कितनी शिकायतें आईं? उसका जवाब मैंने दे दिया कि कुल मिलाकर एक शिकायत प्राप्त हुई है, जो मैंने बताई है। उसके अलावा, अगर आपके पास और कोई शिकायत हो तो आप मुझे दे दीजिये, मैं कार्यवाही करवाने को तैयार हूं। लेकिन जो कुछ भी हुआ है, जितना परिवर्तन हुआ है, जितना भू-उपयोग परिवर्तन करके जो बिल्डिंग्स बनी हैं, वे बाकायदा एस एल सी से भू-उपयोग परिवर्तन की मंजूरी लेने के बाद बनी हैं।

दूसरी बात, जैसा मैंने आपको बताया कि उच्च न्यायालय के द्वारा जब रोक लगा दी गई तो जितनी भी अब एप्लिकेशन इस एरिया में आती हैं, जो जोधपुर का मास्टर प्लान बना और उसमें जो इकोलोजिकल दिखा रखा है, रूरल बेल्ट दिखा रखी है, ग्रीन बेल्ट दिखा रखी है, जिस पर उन्होंने रोक लगा दी, गुलाब कोठारी बनाम स्टेट के केस में लगा दी, तो उसमें यह भी आर्डर उच्च न्यायालय ने किया है कि जो कुछ भी परमिशन देंगे तो हम देंगे। इसलिए वहां पर पेण्डिंग पड़ी हुई हैं। किसी को परमिशन उन्होंने दी है, किसी

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

को नहीं दी है। उसकी डिटेल मेरे पास अभी नहीं हैं कि कितनी एप्लिकेशंस वहां हैं और कितनी नहीं हैं, लेकिन आप चाहते हैं तो मैं आपके पास लिखकर भिजवा दूंगा।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): मैंने अख़बार नहीं, इस होटल का फोटो बताया है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): फोटो दे दो मुझे।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): उसकी शिकायत प्राप्त होने के बाद आपने साढ़े तीन महीने बाद कार्यवाही की। तो उसके पहले सरकार क्या कर रही थी? मैंने आपको, ग्रीन बेल्ट में भू-उपयोग परिवर्तन किये बगैर ही होटल बन गई, सरकार की नजरों में, और शिकायत आई, उसके साढ़े तीन महीने बाद में आपने इसको लाक किया।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं बताता हूं, मैं आपका जवाब देता हूं। आपने पूरे जोधपुर जिले के लिए पूछा है, एक अकेले जोधपुर शहर के लिए नहीं पूछा। जोधपुर जिले का जब अपन नाम लेंगे तो फलौदी भी आयेगा, बिलाड़ा भी आयेगा, पीपाड़ भी आयेगा। हमने सब से, एक-एक से यह मंगवाया है।

श्री अध्यक्ष: उनको यह कहो कि शेरगढ़ भी आया है1

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हां। अध्यक्ष महोदय, नार्मल प्रैक्टिस यह होती है कि यह कभी नहीं मंगवाया जाता कि आपके यहां कितना वायलेशन हुआ, कितना नहीं हुआ। अगर कोई शिकायत प्राप्त होती है तो मंगवाया जाता है। आपका प्रश्न था तो निश्चित तौर पर आपके प्रश्न के बाद में हमने सब जगह, चारों जगह मालूम किया कि कहां-कहां पर वायलेशन हुआ और कहां-कहां पर नहीं हुआ। मेरे पास पीपाड़ की भी इत्तला है, मेरे पास बिलाड़ा की भी इत्तला है और मेरे पास फलौदी की भी इत्तला है कि वहां पर कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई। मैं यह नहीं कहता, हुई होगी, मैं यह नहीं कहता कि नहीं हुई होगी। हो सकता है कि हुई हो, अवहेलना हुई हो, भू-परिवर्तन के बगैर कोई बिल्डिंग बन गई हो, यह बात हो सकती है लेकिन वहां की नगर परिषद ने मुझे लिखकर भेजा है कि साहब, हमारे यहां कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

कुल मिलाकर, आप जो कह रहे हैं कि साहब, यह होटल बन गया;

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

होटल बन गया तो जिस रोज इत्तला हुई, जिस रोज यहां पर आपका पुलिस अधीक्षक और प्रवर्तन निरीक्षक, वगैरह गये, उन्होंने उसी रोज जाकर कार्यवाही की और उसके बाद उसको सील कर दिया। सील करने के बाद में एक शिकायत और प्राप्त हुई कि आपने इसको तो सील कर दिया लेकिन इसके बराबर में इसका मकान बना हुआ है, उसमें भी एक हाल बना हुआ है, उसमें भी व्यावसायिक गतिविधियां चला रहा है। उसको भी वापस जाकर सील किया गया। तीसरी बार, फिर परिवर्तन दस्ते को भेजा गया, जिसने बाकायदा देखा कि वहां पर ताला लगा हुआ है।

श्री अध्यक्ष: श्री कटारियाजी।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार शिकायत प्राप्त होने के बाद ही कार्यवाही करती है? तब तक सरकार सोती रहती है क्या?

श्री अध्यक्ष: मैंने उनको मना किया है, आपको अलाउ किया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, ग्रीन बेल्ट में भू उपयोग परिवर्तन हो सकता है क्या ?

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): होता आया है, आज तक होता आया है, लेकिन उच्च न्यायालय के आदेश दिसम्बर, 2010 के बाद ...(व्यवधान) जो 6 डिविजनल हैडक्वार्टर हैं, इन पर रोक लगा दी गई। गुलाब कोठारी वर्सेज स्टेट के बाद नहीं हुआ। लेकिन जो भी परिवर्तन इनमें आज तक होता आया है, वह बाकायदा स्टेट लेवल के जो हाइएस्ट आफिसर हैं, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, उनके अंडर में एक कमेटी बनी हुई है और लोकल बाडी जो अनुशंसा करती है, बाकायदा अनुशंसा के आधार पर उसका परीक्षण करवाकर के, उनको सुनकर और फिर उसमें भू-परिवर्तन होता आया है। लेकिन इसके बाद जब उच्च न्यायालय का आदेश आ गया, उसके बाद ग्रीन बेल्ट में, रूरल बेल्ट में और इकोलोजिकल बेल्ट में, इन तीनों में बाकायदा बंद कर दिया गया। दिसम्बर, 2010 के बाद में कोई भी स्वीकृति राज्य सरकार के द्वारा नहीं दी गई इन सम्भागीय मुख्यालयों पर। मुख्यालयों के अलावा जो भी है, वहां पर परमिशन आज भी जारी है।

श्री अध्यक्ष: श्री राधेश्याम गंगानगर।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): 2010 में आपका कोर्ट का फैसला आ गया और 6 सम्भागीय केन्द्र हैं, इन पर कोई भू-उपयोग परिवर्तन उसके बाद नहीं हो सकता था।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हाई कोर्ट की परमिशन...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): हाई कोर्ट की 2010 में परमिशन है। यह जो अतिक्रमण है, जिसके बारे में इस प्रश्न के जवाब में आया है कि यह-यह बिल्डिंग, यह-यह बिल्डिंग, क्या यह 2010 के बाद बनी हुई है?

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): निश्चित तौर पर यह 2010 के बाद बनी है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): फिर इसके लिए कोई दोषी नहीं है?

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): दोषी है, सीज कर दिया उसको। सीज करने के बाद उसने ड्राफ्ट से 43,710 रुपए जमा भी करा दिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सीज करना एक अलग काम है, सीज करने का दण्ड मिला उस व्यक्ति को जिसने यह बनाया, लेकिन वह अधिकारी जिसने इस ग्रीन बेल्ट में, 2010 में कोर्ट का फैसला आ जाने के बाद नजरंदाज कर, या मिल-जुल कर जो निर्माण कराया, विभाग के अधिकारियों का कोई दोष नहीं है ?

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप तो उदयपुर के रहने वाले हैं, यह आपका नो-कंस्ट्रक्शन-जोन डिक्लेयर्ड है, वह एक-एक चीज आपकी जानकारी में है लेकिन कितना बड़ा वहां पर नो-कंस्ट्रक्शन-जोन में कंस्ट्रक्शन हुआ है, कितना बड़ा कंस्ट्रक्शन हुआ है! मैं आपसे वही निवेदन कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ...(व्यवधान) तो क्या आप इसे उचित मानते हो? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आप जो नो-कंस्ट्रक्शन-जोन कह रहे हैं...

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आज यह हमारा दुर्भाग्य है कि खेतसिंहजी राठौड़ आज नहीं रहे, वरना ये राठौड़ उन्हीं के बस में आया करते थे।

श्री अध्यक्ष: चलिए, आगे चलिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं यह कह रहा हूं कि नो-कंस्ट्रक्शन-जोन में अगर कोई एक कमरा बनाता है, समझ में आता है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, आपके दल के नेता बोल रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): लेकिन उसके बाद बड़े-बड़े कंस्ट्रक्शन और होटल बन जाते हैं और इन नियमों को ताक में रख कर होटलें बना देते हैं।

श्री अध्यक्ष: यह राठौड़ किसी के ही बस में नहीं आते हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): क्या उनके ऊपर भी इन अधिकारियों को दिखाई नहीं देता?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सिवाय मेरे, अध्यक्ष महोदय।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): और जो छोटे-छोटे लोग हैं जिन्होंने एक कमरा बनाया, उसके कमरे को तो तोड़ने चले जाते हैं लेकिन 2010 के आर्डर के बाद जो 100-200 कमरों की होटल बन जाती है, चाहे वह उदयपुर हो, चाहे जोधपुर हो, उसके बाद अधिकारी दोषी हैं कि नहीं? मैं चाहता हूं कि इसमें 2010 के बाद जो कंस्ट्रक्शन हुआ, सीज कर दिया उसका दण्ड तो उसे मिल गया जिसने बनाया, लेकिन जिनकी देखरेख में, जिनकी मिलीभगत से यह जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, उसके लिए वह लाएबल है। तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): बिलकुल उसके लिए लाएबल है। आपके सुझाव का मैं स्वागत करता हूं कि उस अधिकारी की जिम्मेदारी फिक्स की जानी चाहिए, उसके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए।

श्री अध्यक्ष: राधेश्याम गंगानगर। (व्यवधान) माननीय सदस्य, जवाब आने दीजिए।

कमीनपुरा (श्रीगंगानगर) में शुगर मिल का निर्माण कार्य

430. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): क्या राजकीय उपक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि कमीनपुरा, श्रीगंगानगर में स्थापित होने वाली नई शुगर मिल को डिस्टिलरी सम्बन्धी सभी औपचारिकताएं पूर्ण होने के उपरान्त केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय से भी अनुमति मिल चुकी है ? यदि हां, तो मिल को कब से प्रारम्भ करवा दिया जायेगा तथा अब तक विलम्ब के क्या कारण रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राजकीय उपक्रम मंत्री (श्री राजेन्द्र पारीक): जी हां। कमीनपुरा, श्रीगंगानगर में स्थापित होने वाली नई शुगर मिल डिस्टिलरी हेतु केन्द्रीय पर्यावरण मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति मिल चुकी है। डिस्टिलरी प्लांट हेतु न्यूनतम दरदाता द्वारा अनुबंध हस्ताक्षर करने से इंकार करने के कारण द्वितीय व क्रमिक रूप से अन्य दरदाताओं से नेगोशिएशन की नियमानुसार कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। नई शुगर मिल हेतु एकल निविदा प्राप्त होने के कारण पुन: निविदा जारी करना प्रक्रियाधीन है। उपरोक्तानुसार शुगर फैक्टरी एवं डिस्टिलरी की निविदाओं पर त्वरित अग्रिम कार्यवाही की जा रही है तथा अनुबंध हस्ताक्षर की दिनांक से निविदा में निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण कराने के प्रयास किये जायेंगे। मिल को प्रारम्भ किये जाने में विलम्ब के कारण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी को निवेदन करना चाहूंगा, 2008 में इसका शिलान्यास हो गया, ओ एस डी लग गया। 2008 से लेकर आज तक आप कार्यवाही ही कर रहे हैं। अभी आपको मंजूरी ही नहीं मिली। 14 लाख टन गन्ना उत्पादन होता है और गंगानगर का किसान हरियाणा और पंजाब में उसको ले जाता है और बड़ी भारी इसमें विपदा होती है। आपके मंत्री का घेराव भी हुआ और आपने 70 रुपया अलग से किसानों को देने की घोषणा भी की। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि 2008 से लेकर आज तक यह शुगर फैक्टरी किस भंवर जाल में फंसी रही? यह बताने की कृपा करें।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, उलटा चोर कोतवाल को डांटे। बिना कोई टेण्डर प्रक्रिया अपनाये, बिना एन्वायरनमेंट

(श्री राजेन्द्र पारीक)

क्लीयरेंस लिए हुए, इतनी आपाधापी में थे कि चुनाव सिर पर आ गये, कुछ नियम बने हों, कुछ नियम नहीं बने हों, अपने तो पत्थर चिपका दो। हम वैसा नहीं करते, पूरे नियमों का पालन करते हैं। किसी भी फैक्टरी को लगाने के लिए जमीन का अधिग्रहण करने के बाद सबसे पहली प्राथमिकता यह होती है कि हम उसकी एन्वायरनमेंट क्लीयरेंस लें और बिना एन्वायरनमेंट क्लीयरेंस लिये, उस पर किसी तरह का शिलान्यास नहीं किया जाता। तत्कालीन माननीया मुख्य मंत्री को इतनी आपाधापी और इतनी जल्दी थी कि पता नहीं, फिर आये या नहीं आये, चलकर एक पत्थर तो लगा ही दो ताकि आने-जाने वाला राहगीर देखता रहे कि एक पत्थर उनका भी लगा हुआ है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, लगातार कोशिशों के बाद, माननीय मुख्य सचिव, ज्वाइंट सेक्रेटरी, लगातार, भारत सरकार के पर्यावरण विभाग के सम्पर्क में रहने के बाद, इस माह पर्यावरणीय स्वीकृति मिली है। लेकिन तब भी हमने प्रोसेस जारी रखा। इस बात को हम भी जानते हैं और एक बड़ी चिंता थी, खास तौर से यह फैक्टरी का विचार जो मन में आया उसका कारण यही था कि गन्ना फैक्टरी की वजह से वहां का वातावरण प्रदूषित हो रहा था। पर्यावरण विभाग ने भी बार-बार आगाह किया कि यहां बदबू फैलने की वजह से परेशानी हो रही है, क्योंकि टेक्नोलोजी बहुत पुरानी थी। उस पुरानी टेक्नोलोजी को नई टेक्नोलोजी में अपग्रेड करके, नई फैक्टरी का हम शिलान्यास करें, उसके लिए बजटरी प्रोविजन करें, लेकिन बिना कुछ किये-धरे हमने कुछ कर दिया। वह गलती हम पर कैसे?

मैं आज पूरे सदन को आश्वस्त करता हूं, पर्यावरणीय स्वीकृति मिल चुकी है, हमने इसके लिए बजटरी प्रोविजन कर दिया है, आर एस आर डी सी को सिविल वर्क्स के लिए 21 लाख रुपए जमा करा दिए हैं ताकि तत्काल वे स्वीकृति करें और बार-बार निविदादाताओं द्वारा बैक होने की वजह से जो सेकण्ड निविदादाता थे, वे भी अपनी शर्तों पर पूरे नहीं उतरे, तो हमने इसकी आन-लाइन टेण्डर प्रक्रिया चालू कर दी है। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम नकली पत्थर नहीं लगायेंगे; जिस दिन करेंगे, आपको भी सूचित करेंगे और सारी प्रक्रिया को पूरा करने के बाद करेंगे।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं पूरक प्रश्न करना चाहता हूं, बड़ी विडम्बना है कि आप खड़े होकर भाषण दे रहे हो और

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

वसुंधराजी के लिए कह रहे हो कि उन्होंने वैसे ही शिलान्यास कर दिया। आपके हजारों शिलान्यास हुए, उस वक्त कोई भी मौके पर था, तो आपका धर्म नहीं बनता था कि उस बात को आगे बढ़ाते?

श्री अध्यक्ष: प्रश्न क्या है, प्रश्न?

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): आपने पर्यावरण की मंजूरी में इतना समय लगा दिया, चार साल लग गये आपको। आपकी जमीन एक्वायर हो गई। मेरे को पिछले साल भी आपने यही उत्तर दिया था। आपने मुझे पिछले साल भी यही उत्तर दिया था। पिछले साल भी यही उत्तर दिया था।

श्री अध्यक्ष: शराब का नहीं, यह फैक्टरी का मामला है।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): नहीं, नहीं, शराब भी है इसमें। इसमें शराब भी है, इसमें बिजली का उत्पादन भी होगा। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है।

श्री अध्यक्ष: आप नहीं समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूं।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप जवाब देते समय पूरे गम्भीर होकर जवाब दें। (व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): मुझे क्लीयर तो कर लेने दीजिए, फैक्टरी ...(व्यवधान) एक मौका तो दें।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): आपने पिछले साल भी यही उत्तर दिया, स्टे है। (व्यवधान) स्टे जिस जमीन पर है, जो जमीन आपके कब्जे में है, उसमें शुगर फैक्टरी बन सकती है। एक आपने कह दिया कि टेण्डर किये थे, वह टेण्डरधारी भाग गया, हमने जुर्माना कर दिया। यह तो मैं कई दिनों से सुन रहा हूं। टेण्डर वह चला गया तो दूसरी बार टेण्डर करते, तीसरी बार करते, फिर जरूरत पड़ती तो चौथी बार करते। आप तो कुम्भकरण की नींद सो गए। किसान मरता रहे ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: भाषण नहीं। प्रश्न क्या है?

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): प्रश्न मेरा यह है कि शुगर फैक्टरी कब चालू होगी? इसकी व्यवस्था आज तक, जो जवाब अब इन्होंने मुझे दिया है...

श्री अध्यक्ष: जवाब दिलाता हूं।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): यह जवाब पिछले साल भी दिया था, यह का यही जवाब।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, कब तक होने की सम्भावना है?

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जब अपने क्षेत्र में जाते हैं, तो पहले तो ये इस पक्ष की तरफ थे, अब उस पक्ष में चले गये।

श्री अध्यक्ष: भाषण नहीं, आप तो सीधा सा जवाब दें कि कब सम्भावना है।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): इतना लम्बा जवाब दे दिया, बिना किसी सार के। मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। बार-बार वे आग्रह कर रहे हैं कि बार-बार टेण्डर पर ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी देना चाहूंगा कि पहला निविदादाता चला गया। दुबारा निविदा अपनाई गई, टेक्निकल बिड उसकी कन्फर्म नहीं हुई, वह चला गया। तीसरा निविदादाता फिर आया, एल-वन बैकआउट हो गया। सेकण्ड को हमने आप्शन दिया, नहीं माना। थर्ड को हमने आप्शन दिया, नहीं माना। फोर्थ को आप्शन दिया, तो उसकी इतनी ज्यादा रेट थी, उसको हमने कहा कि इतनी हाई रेट में, 49 परसेंट एक्सेस में हम आपको नहीं दे सकते, इसको आपको कम करनी पड़ेगी; तो वह बैकआउट हो गया। अब आनलाइन हमने प्रक्रिया चालू कर दी।

मैं पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, सरकार की मंशा है, सरकार ने इसके लिए बजट का प्रोविजन कर दिया, सरकार ने इसकी आनलाइन प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी। सरकार ने एन्वायरनमेंट क्लीयरेंस लेने में, आप सब जानते हैं कि एन्वायरनमेंट क्लीयरेंस लेने में दिक्कतें आती हैं, लेकिन उसमें भी अपनी तरफ से पूरा इनिशिएटिव रखा और मुख्य सचिव स्तर से लेकर सारे अधिकारी इसमें लगे, भारत सरकार से लगातार कोशिश की, क्लीयरेंस मिल गई।

मैं पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, आपकी किसानों की पीड़ा में हम भी शामिल हैं, किसानों को उसकी जायज कीमत मिल जाए, हमारा वहां प्रोजेक्ट चालू हो जाए, इसकी पूरी कोशिश है। आनलाइन प्रक्रिया चालू करने के बाद, मैं समझता हूं कि हमने 13 माह का समय निश्चित कर दिया है, बहुत जल्दी आनलाइन प्रक्रिया पूरी होते ही फैक्टरी का काम पूरा कर दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: श्री हनुमान बेनीवाल। (व्यवधान) सारी बात स्पष्ट कर दी हैं। श्री हनुमान बेनीवाल।

नागौर जिले के विद्यालयों में छात्र-अध्यापक अनुपात

431. श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) नागौर जिले में कुल कितने प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिले के विद्यालयों में विद्यार्थी एवं अध्यापकों का अनुपात क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने ध्यान नहीं रखा।

श्री अध्यक्ष: आ गई आपकी बात। (व्यवधान) अगले प्रश्न का जवाब आ रहा है।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): इन्होंने किस टोन पर जवाब दिया है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न पुकार लिया है।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): यह मेरे को धमका रहे थे और गुस्से से ऐसे कर रहे थे जैसे मैंने कोई चोरी कर ली हो। आपकी आदत खराब है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न पुकार लिया है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): दो सौ किलो के व्यक्ति को अस्सी किलो वाला...(व्यवधान) व्यक्ति कैसे धमका सकता है?

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): ×××

श्री अध्यक्ष: व्यवधान नहीं।

शिक्षा मंत्री (श्री बृजकिशोर शर्मा): (1) नागौर जिले में संचालित विद्यालयों का विवरण निम्नानुसार है:-

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

संचालित विद्यालय	राजकीय विद्यालय	निजी विद्यालय	कुल
प्राथमिक	2,259	135	2,394
उच्च प्राथमिक	1,205	916	2,121
माध्यमिक	403	401	804
उच्च माध्यमिक	165	319	484
कुल योग	4,032	1,771	5,803

(2) प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत नागौर जिले में अध्यापक-छात्र अनुपात 26 स्टूडेंटस पर 1 है। प्रारम्भिक शिक्षा में विद्यार्थी व अध्यापकों के अनुपात का रिकार्ड संधारण राजकीय विद्यालयों में ही किया जाता है। माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत कक्षा, खण्ड एवं विषय के अनुसार शिक्षकों का पदस्थापन किया जाता है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि शिक्षक-छात्र अनुपात का राष्ट्रीय औसत क्या है और राजस्थान राष्ट्रीय औसत में कहां पर आता है?

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह भी जानना चाहूंगा नागौर जिले में किस-किस श्रेणी के अध्यापकों के पद रिक्त हैं तथा सरकार द्वारा उन्हें कब तक भरने की कार्यवाही की जायेगी?

तीसरा, शुरू में जब सरकार ने ट्रांसफर से बैन हटाया था, तब एकल महिला, विधवा, विकलांग, इनके ट्रांसफर गृह जिले के अन्दर किये थे। उस समय कई लोगों के आवेदन स्वीकार नहीं किये गये, कई लोगों के ट्रांसफर नहीं हुए। उनके ट्रांसफर करने का भी सरकार विचार रखती है क्या?

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षक-छात्र अनुपात राष्ट्रीय औसत 31 स्टूडेंटस पर एक है, जबकि राजस्थान में यह अनुपात 28 स्टूडेंटस पर 1 है। अगर मेजर स्टेट्स की बात करें तो राजस्थान 7वें नम्बर पर है, जिसमें हमसे ऊपर आंध्र प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, केरल, कर्नाटक, पंजाब, उत्तराखण्ड हैं।

प्रश्न संख्या दो, जो आपके यहां शिक्षक कम हैं, उसके मैं फीगर दे रहा हूं, प्रधानाचार्य 85, प्रधानाध्यापक 206, व्याख्याता 565, शारीरिक शिक्षक 1,

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड फर्स्ट 1, वरिष्ठ अध्यापक 1,188, शारीरिक शिक्षक 54 (ग्रेड सेकंड के) प्रयोगशाला ग्रेड सेकंड के 11, पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड सेकंड के 25, अध्यापक ग्रेड तीन के 1,505, शारीरिक शिक्षक ग्रेड तीन के 162, प्रयोगशाला शिक्षक सहायक ग्रेड तीन के 23 हैं।

विभाग में, आपने बताया कब तक भर देंगे, विभाग में रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा एवं विभागीय पदोन्नति के चयनित आशार्थी उपलब्ध कराये जाने पर तथा तृतीय श्रेणी अध्यापकों का पंचायती राज विभाग द्वारा चयन उपरान्त उपलब्ध कराये जाने पर हम इन पदों को भर सकेंगे।

नम्बर तीन क्वेश्चन पूछा कि अब इनको जो ट्रांसफर के लिए रह गये उनका कब करेंगे? यह जैसे ही ट्रांसफर खुलेंगे तो इन पदों को भी भरने का काम करेंगे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: हबीबुर्रहमान।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): अध्यक्ष महोदय, उच्च माध्यमिक और माध्यमिक में 50 परसेंट का फर्क है। मैं मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि क्या पंचायत हैड-क्वार्टर पर सभी माध्यमिक विद्यालयों को सीनियर सेकण्डरी में तब्दील करना चाहते हुए...

श्री अध्यक्ष: नागौर की...

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): मैं पूरे राजस्थान की बात कर रहा हूं।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट घोषणा की है जिसमें प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर हाई स्कूल को क्रमोन्नत किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अनीता सिंह। (व्यवधान) अनीता सिंह। (व्यवधान) आखिरी दिन है, दो-चार क्वेश्चन आ जाने दीजिए।

सीकरी-कैथवाड़ा-भरतपुर निगम बस सेवा का पुनर्संचालन

432. श्रीमती अनीता सिंह (नगर): क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र नगर में ग्रामीण बस सेवा के तहत अब तक कौन-कौनसी पंचायतों को जोड़ दिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र नगर की कौन-कौनसी ग्राम पंचायतें अब भी

(श्रीमती अनीता सिंह)

ग्रामीण बस सेवा से वंचित हैं एवं इन्हें कब तक बस सेवा उपलब्ध करा दी जायेगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पूर्व में सीकरी से वाया कैथवाड़ा भरतपुर के लिए बस संचालित थी? यदि हां, तो उक्त बस सेवा को किन कारणों से बंद किया गया?

(4) क्या सरकार उपरोक्त बंद किये गये मार्ग पर पुन: निगम की बसें संचालित करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, यातायात (श्री वीरेन्द्र बेनीवाल): (1) विधान सभा क्षेत्र नगर में राजस्थान ग्रामीण बस सेवा योजना के तहत अभी तक किसी भी ग्राम पंचायत को बस सेवा से नहीं जोड़ा जा सका है।

श्री अध्यक्ष: थोड़ा माइक के नजदीक आ जाएं।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): (2) विधान सभा क्षेत्र नगर में राजस्थान ग्रामीण बस सेवा का संचालन प्रारम्भ नहीं हो सका है। विधान सभा क्षेत्र नगर में कुल 58 ग्राम पंचायतें हैं जिनकी सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। इनमें से 20 ग्राम पंचायतें पूर्व से ही निगम बस सेवा से जुड़ी हुई हैं जिनकी सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

परिशिष्ट-3 में अंकित 18 ग्राम पंचायतों के लिए राजस्थान ग्रामीण परिवहन सेवा योजना के अन्तर्गत जन सहभागिता के आधार पर भरतपुर जिले के लिए दिनांक 28.02.2012 को निविदाएं आमंत्रित की गई थीं, जिसकी अन्तिम तिथि 21.05.2012 थी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपस में चर्चा नहीं, चर्चा नहीं।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): निविदा प्रस्ताव प्राप्त न होने पर दिनांक 17.11.2012 को पुन: निविदाएं आमंत्रित की गईं, जिसकी अन्तिम तिथि दिनांक 30.01.2013 थी। परन्तु भरतपुर जिले के लिए कोई भी निविदा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए। अब पुन: दिनांक 14.02.2013 को निविदाएं प्रकाशित की गई हैं, जिसकी अन्तिम तिथि दिनांक 30.04.2013 है। इन ग्राम पंचायतों के लिए निविदा प्रस्ताव प्राप्त होने एवं उन पर अन्तिम निर्णय लिये जाने के पश्चात् बस सेवा से जोड़ा जा सकेगा। परिशिष्ट-4 में अंकित 20 ग्राम पंचायतें राजस्थान ग्रामीण परिवहन बस सेवा योजना से आगामी चरण में बस सेवा से जोड़ी जानी प्रस्तावित हैं।

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

(3) जी हां। भरतपुर-सीकरी वाया कैथवाड़ा बस सेवा वर्तमान में भी संचालित है लेकिन यह बस सेवा समय-समय पर पर्याप्त यात्री-भार न मिलने के कारण बाधित रही है। बस संचालन की विस्तृत सूचना परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

(4) वर्तमान में भरतपुर से सीकरी वाया कैथवाड़ा बस सेवा संचालित है। इस सम्बन्ध में सम्बन्धित मुख्य प्रबन्धक को नियमित रूप से वाहन संचालन करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है।

(सूचियां व सूचना पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से आपके द्वारा पूछना चाहती हूं, इन्होंने यह लिखा है, विधान सभा क्षेत्र नगर में राजस्थान ग्रामीण सेवा योजना की एक भी बस इन्होंने नहीं जोड़ी, प्रारम्भ ही नहीं की, तो मैं इनसे यह पूछना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के साथ इन्होंने ऐसी भेदभावपूर्ण बात क्यों की?

एक माननीय सदस्य: यह राजस्थान में किया है, एक ही जगह थोड़े किया है।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): दूसरी बात मैं इनसे यह पूछना चाहती हूं, इन्होंने कहा है, मेरे यहां पर 58 पंचायतों की लिस्ट इन्होंने मुझे बनाकर दे दी, हालांकि मैंने मांगी नहीं थी, इसमें इन्होंने कहा कि 20 पहले से जोड़ी हुई हैं। ये 20 वे हैं जो पहले से, 20-30 साल पहले से जुड़ी हुई थीं, जो स्टेट हाई-वे पर गांव पड़ते हैं, वे जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा जो इंटीरियर के गांव हैं, वहां एक भी इन्होंने नहीं जोड़ी।

इन्होंने यह बताया कि इन्होंने पी.पी.पी. मोड पर 2-3 बार निविदाएं आमंत्रित कीं और उन निविदाओं को आमंत्रित करने के बाद भी कोई आया नहीं, तो इन्होंने जोड़ा नहीं। मैं, मंत्री महोदय, आपसे एक स्पेसिफिक प्रश्न यह करना चाहती हूं कि अगर यह पी.पी.पी. मोड के इस बार भी प्रस्ताव आपको प्राप्त नहीं हों तो क्या आप पी.पी.पी. मोड छोड़कर, स्वयं सरकार या परिवहन विभाग बसें संचालित करेगा? यदि हां तो कब तक, और नहीं, तो क्यों?

दूसरी एक बात और मैं यह चाहती थी, जैसे आपने यह तीसरे पर कहा है कि भरतपुर-सीकरी की जो सड़क है, पहले साल जब यहां विधान सभा

(श्री अनीता सिंह)

पहली बार लगी थी, तभी बृजकिशोरजी ने प्रश्न के माध्यम से इस बस को चलाने का दिया था, वह समय-समय पर बंद हो रही है। आप कह रहे हैं, यात्री भार में, और आपने मुझे वह भी दिया है, आपके एम.डी. ने भी वहां पर लिख कर दिया है कि 28 रुपये प्रति किलोमीटर अगर बस निकाले, तो आप चलाओ, नहीं तो नहीं चलाएं। तो मैं, अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मंत्रीजी से पूछना चाहती हूं कि क्या सरकार व्यवसाय के लिए बस चलाना चाहती है या जन हित के लिए बस चलाना चाहती है? अगर अपना मानना है कि व्यवसाय के लिए चलायें और जन हित के लिए नहीं, तो ग्रामीण बस सेवा योजना, जो आपने चलाई है, यह जिन्दगी में कभी भी नहीं चलेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि जन हित में आप इस बस को चलाएं।

जैसे आपने निर्देशित किया हुआ है, उसी हिसाब से मैं आपसे एक-दो चीजें और पूछना चाहती हूं। ये जो बसें हैं...

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): इनका बता दूं?

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): एक मिनट, बस।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): इनका बता दूं? आप ही का प्रश्न है।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): एक मिनट में बता देती हूं आपको।

यह जो यात्री-भार की वजह से आपने बताया है, यह यात्री-भार की परेशानी इसलिए आ रही है, इसमें 20 गांव वहां बीच में पड़ते हैं लेकिन परेशानी सिर्फ इसलिए आ रही है कि आपका जो समय है बस चलाने का, वह इतना अटपटा है कि समय पर कभी चलती नहीं है। कभी सुबह छह बजकर पहुंच जाएगी भरतपुर और भरतपुर से रात को छह बजे, आठ बजे चलेगी। तो इसलिए उसको यात्री भार नहीं मिलता। मेरा आपसे निवेदन है, मंत्रीजी, इसका समय ऐसा नियत करें जो गांव वालों को लाभ मिले। यात्री-भार होगा तो आपको भी इसमें परेशानी नहीं आयेगी।

एक और पूछना चाहती हूं। ग्रामीण बस सेवा में एक सुंदरावली से जनूथर होते हुए कुम्हेर और भरतपुर के लिए क्या आप बस चलाएंगे? एक नगर से नदबई के लिए...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): वापस बताइये। वापस फरमाइये प्रश्न को।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): वापस आपको बता देती हूं। यह एक सुंदरावली से जनूथर होते हुए बहुत अच्छी सड़क है, कुम्हेर से भरतपुर जाती है, शोर्ट रास्ता है, क्योंकि अभी जो सड़क है नगर से लेकर भरतपुर तक, इतनी खराब है कि उस पर मोटर साइकिल नहीं चलती है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, आप कुम्हेर से पहले अपने क्षेत्र की चिन्ता करें।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): नहीं, साहब, कुम्हेर होकर ही भरतपुर जाएंगे। सुंदरावली, जनूथर से कुम्हेर होते हुए भरतपुर के लिए, एक नगर से नदबई; एक नगर से फरीदाबाद; क्या इन बसों को चलाने की आप घोषणा करेंगे?

एक माननीय सदस्य: घोषणा तो नहीं करेंगे।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने अपने सात पूरक प्रश्नों के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय की सोच के क्रम में अपनी आशाओं का इजहार इस सदन में किया है। कल तक यह महकमा बहुत बुरी स्थिति में चल रहा था, रोडवेज की स्थिति बद से बदतर थी। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपनी पहल के साथ, इस बात को जानते हुए और मानते हुए कि ग्रामीण क्षेत्र को, हर ग्रामीण क्षेत्र के आमजन को...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): छठी पास वाले जनरल मैनेजर को हटा दिया क्या आपने, वह छठी पास?

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): मैं आसन के प्रति, आपके बजाय, ज्यादा समर्पित हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, यह सदन जिस दिन आहूत हुआ, पहले दिन से लेकर अब तक यह छठी पास जो आपका जनरल मैनेजर है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: पास नहीं, फेल कहिये, फेल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): छठी फेल! बस, मेरी गलती हो गई, साहब।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): छठी फेल है, छठी फेल। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): माननीय अध्यक्ष

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

महोदय, उस स्थिति को सुधारे जाने के क्रम में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपने बजट में प्रावधान किये। जैसा कि मैं पूर्व में भी निवेदन कर चुका हूं, 215 करोड़ रुपये की नकद राशि, वर्ष 2009 से 2013 का जो कार्यकाल चल रहा है, इसमें; 2012-13 के बजट में सौ करोड़ रुपये नकद ...(व्यवधान)

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): मंत्रीजी, मुझे बजट मत बताइये, प्लीज।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): मैं आप ही के प्रश्न पर आ रहा हूं। मैं आप ही के प्रश्न पर आ रहा हूं।

115 करोड़ रुपये विशेष पथ कर, ऋण पूंजी और अंश पूंजी देय ब्याज, इसका समायोजन किया जाना; 500 करोड़ रुपये के बांड जारी करने के लिये गारंटी देना, 25 करोड़ रुपये ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): डीजल के 10 रुपये बढ़ा दिये। वह राजस्थान को चपत लग रही है, मंत्रीजी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, श्री अमरारामजी, विराजिये।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने अपने प्रश्न के माध्यम से जो जानकारी चाही, वह उनको विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई गई। जैसा उन्होंने स्वयं फरमाया कि मैंने नहीं चाही थी उससे ज्यादा जानकारी दी गई, यह पारदर्शिता का बहुत बड़ा उदाहरण है।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): नहीं, नहीं, यह गलत कह रहे हैं, मंत्रीजी, आप। मैंने आपसे पंचायतों के नाम नहीं पूछे। हर विधायक को पंचायतों के नाम पता होते हैं।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): इसी क्रम में मैं निवेदन करना चाहता हूं, इन्होंने जो अपना प्रथम पूरक प्रश्न किया, इन्होंने इस बात को जानना चाहा कि ग्रामीण बस सेवा हमारे यहां पर प्रारम्भ नहीं की गई, इसको हम स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि अभी आपके यहां पर इस सेवा का शुभारम्भ नहीं किया गया है, क्योंकि टेण्डर के माध्यम से जो प्रस्ताव आमंत्रित किये गये, किसी ने पार्टिसिपेट उसमें नहीं किया।

माननीय सदस्या की दूसरी चिन्ता है कि यदि कोई इस प्रस्ताव में प्रस्तुत नहीं करता है, बिड में पार्ट नहीं लेता है तो क्या किया जाए। यदि ऐसा रहता है, 30.04.2012 तक कोई भी भाग लेने के लिए नहीं आते हैं, मैं उससे

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

पहले आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं। आपके साथ-साथ अन्य सदस्यों से भी, कि इतनी बड़ी योजना है, इस योजना में भाग लेने के लिए आप प्रेरित करें, उन नौजवानों को भी प्रेरित करें जिनको रोजगार का एक अवसर मिल सकता है। राज्य सरकार उनको गारण्टी प्रदान करने के क्रम में भी अपनी ओर से सुविधा मुहय्या करा रही है। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, फिर भी यदि यह सुविधा नहीं मिल पाती है, कोई पार्ट नहीं लेता है, तो रोडवेज ने अपनी ओर से 500 मिनी बसें खरीदने के लिये एक प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है। मैं आपको और सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय की सोच के अनुरूप इस योजना का लाभ आमजन को, ग्रामीण क्षेत्र को मिले, इस क्रम में रोडवेज अपनी अहम भूमिका निभाएगा।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी यह कह दें...(व्यवधान) एक मिनट...(व्यवधान) एक मिनट, अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैडम, एक मिनट, एक मिनट। (व्यवधान) एक मिनट। (व्यवधान)

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): एक मिनट, मेरी बात तो सुनिये। (व्यवधान) आप ठहरिये ना। (व्यवधान) आप कह लेना, आप तो यातायात के मंत्री रहे हैं।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): मंत्री महोदय, मुझे यह बताएं...(व्यवधान)

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा मंत्रीजी से सीधा-सीधा प्रश्न था कि अगर पी.पी.पी. मोड पर नहीं आयें तो आप क्या करेंगे? (व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी को रोडवेज के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सबसे पहले तो रोडवेज के बारे में ...(व्यवधान) एक मिनट, सुनिये। एक मिनट, प्लीज।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): नहीं, आप कह रहे हैं कि हम प्रेरित करें लोगों को, मेरा कहना यह है कि सरकार करे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया विराजें। कृपया विराजें। मैंने श्री रोहिताश कुमार को ही अलाउ किया है। (व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि...(व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): माननीय अध्यक्ष महोदय, वह छठी फेल एम.डी. का क्या हुआ? वे अभी तक लिये बैठे हैं यहां। कमाल हो गई, मंत्री महोदय! (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: उस मामले में मंत्रीजी की चलती नहीं है। श्री रोहिताश कुमार। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): माननीय अध्यक्ष महोदय, सुनिए...(व्यवधान) कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, मैं पुन: आपके माध्यम से सदन की जानकारी में लाना चाहता हूं कि जिस प्रकरण के बारे में बात फरमाई गई है...(व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इसको ज्यादा नहीं उलझाएं, बैठ जाएं आप। इस प्रश्न को ज्यादा नहीं उलझाएं, बैठ जाएं। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): 29.3.2013 उसमें दिनांक है। उस पर जो फैसला आएगा, उस फैसले के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी। फिर भी माननीय सदस्यों की कोई भावना इसमें है, किसी वकील विशेष को यदि खड़ा करना चाहते हैं तो वह नाम भी अगर दिया जाए तो उनको भी वहां पर खड़ा कर देंगे। (व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): आपसे बड़ा वकील कौन हो सकता है? आप पीड़ित हो खुद। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: वकील तो आपने अपने एम.डी. को खड़ा किया था। उसी ने तो वह किया सारा। सारी गड़बड़ उसी की की हुई है। (व्यवधान)...

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय की तरफ से कोई प्रस्ताव है, सदन की भावना के अनुरूप...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री रोहिताश कुमार। (व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय परिवहन मंत्रीजी शब्दों से तो बड़े विनम्र लगते हैं परन्तु राजस्थान रोडवेज ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न क्या है? पूरक प्रश्न क्या है आपका?

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): राजस्थान रोडवेज के बारे में जो जानकारी दे रहे हैं, वह टोटल गलत है। इनको, ऐसा लगता है, रोडवेज के बारे में इनकी जानकारी जीरो है। नम्बर वन।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न क्या है आपका?

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): नम्बर दो, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि जो पी.पी.पी. का बताया है...(व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी आपत्ति है और मैं माननीय सदस्य को चैलेंज करना चाहता हूं कि आप अपने कार्यकाल की बातें लेकर आ जाइए और आज के कार्यकाल की बातें कर लीजिए। आप उस रोडवेज को घाटे में ले गए। आप आज जानकारी की बात मेरे से करना चाहते हैं! आप जानकारी में जीरो हैं, जीरो। (व्यवधान) आप जानकारी में जीरो थे, जीरो। आपके कारण यह रोडवेज जीरो हुई।

श्री पेमाराम (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर आधे घंटे की चर्चा करवा दो।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): आपको रोडवेज की जानकारी नहीं है। आपको यही नहीं पता...(व्यवधान) पी.पी.पी. में एक भी बस का अनुबंध कर दो तो मैं रिजाइन कर दूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह नगर-कुम्हेर का मामला है, आप बैठिए।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, सिरोही का भी मामला है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नगर और कुम्हेर का मामला है। (व्यवधान)

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): सिरोही का भी है।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): मेरे सवालों का जवाब नहीं आया पूरा। (व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो कहा ... (व्यवधान) माननीय मंत्री महोदय, ... (व्यवधान) या तो मैं इस्तीफा भेज रहा हूं एम.एल.ए. शिप से, या मंत्री इस्तीफा दें। मेरे कार्यकाल में रोडवेज प्रोफिट में थी और इनके 1,100 करोड़ से भी ज्यादा घाटे में रोडवेज चल रही है। यह शर्म की बात है। ये इस्तीफा दें। माननीय मंत्री महोदय, इस्तीफा दें। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरा इस्तीफा आप तक

(श्री रोहिताश कुमार)

भेज रहा हूं, अगर मेरे टाइम में रोडवेज घाटे में रही तो मैं एम.एल.ए. शिप से इस्तीफा और अगला चुनाव भी नहीं लड़ूंगा, अन्यथा मंत्रीजी इस्तीफा दें। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, पी.पी.पी. मोड पर कोई भी नहीं आया। इन्होंने तीन बार टेंडर किये, मेरे क्षेत्र में भी तीन बार टेंडर किये लेकिन कोई इस पी.पी.पी. व्यवस्था में टेंडर लेने को तैयार ही नहीं है। इसलिए कोई इस तरह की व्यवस्था करें कि पी.पी.पी. ... (व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): धारीवालजी फैसला कर देंगे। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): मैं मांग करता हूं कि आपने जो घोषणा की है, उस घोषणा को आप पूरा करें और आप प्रत्येक पंचायत हैड-क्वार्टर को किस तरह से जोड़ेंगे?

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): मेरे टाइम में राजस्थान माडल स्टेट था। आज तक रोडवेज कभी मेरे टाइम के अलावा नहीं रहा। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): जनता ने उस समय आपको अस्वीकार कर दिया था। आप इस बात को भूल रहे हैं। आपके किए अच्छे कार्यों की बदौलत ही आप अस्वीकार किये गये, आप यह कहना चाहते हैं? (व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): आपके पास उसका कोई इलाज हो तो आप बताओ। (व्यवधान) उस एम.डी. का इलाज हो तो बताओ। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): मैं बता रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत अच्छी योजना है। इस योजना का लाभ पूरे राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के आम जन को मिलेगा। यह मैं आश्वस्त करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मेरा है। (व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका इलाज इनके पास नहीं है। एक कलम से लिख दें कि इस चीफ मैनेजर को तत्काल

(श्री रोहिताश कुमार)

हटाया जाता है और अपने दस्तखत कर दें...(व्यवधान) तो यह हो जाएगा। इसका मतलब, सरकार नहीं है। इसका मतलब, मंत्री कान्फिडेंट नहीं है, ...(व्यवधान) मंत्री की कोई चलती नहीं है। मेरे टाइम में मैं एक कलम से हटा देता था। धारीवालजी गवाह होंगे कि आपने जब भी मुझे कोई ट्रांसफर का दिया...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठिए। (व्यवधान)

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): पूर्व मंत्रीजी, हमें ट्रांसफर नहीं चलाने, हमें बसें चलानी हैं, हमें आम जन को सुविधाएं देनी हैं, गांव के गरीब को शहर तक आने-जाने के लिए सुगम यातायात का साधन देना है, यह हम देंगे। यह मैं आपको कहना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): कहां से देंगे? 1,100 करोड़ का घाटा है। 1,100 करोड़ के घाटे में कौन बस देगा आपको? 1,100 करोड़ का घाटा, आपकी पब्लिक इमेज तो जीरो है। पब्लिक इमेज तो जीरो है। आपको कौन बस देगा? (व्यवधान)

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ यह पूछना चाहती हूं कि परिशिष्ट '3' पर जो आपने 18 गांव दिये हैं, परिशिष्ट '3' पर, इनकी कोई समय सीमा दे सकते हैं क्या कि कब तक आप बसों को चालू करवा देंगे?

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या ने सीकरी से वाया कैथवाड़ा भरतपुर होकर बस के बारे में पूछा है। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): मंत्री महोदय कह रहे हैं कि हम प्रत्येक पंचायत हैडक्वार्टर को बसों से जोड़ देंगे, लेकिन मेरे एक भी नया नहीं जोड़ा गया। (व्यवधान) एक भी नहीं जोड़ा पंचायत हैडक्वार्टर आपने। (व्यवधान)

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न संख्या 449 है, परिवहन पर ही।

श्री अध्यक्ष: बाद में आएगा वह प्रश्न तो।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, नगर से आने वाली माननीय सदस्या ने अभी नगर से भरतपुर के लिए सीधा जनूथर

(डा. दिगम्बर सिंह)

होकर रूट की बात की थी। आज भरतपुर में नगर से डीग और कुम्हेर के बीच की सड़क इतनी ज्यादा खराब है कि सारा ट्रैफिक नगर से सुंदरावली, जनूथर होकर ही पड़ता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: उस सड़क को ये ठीक करवाएंगे क्या?

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि क्या इस रूट से आप बस चलाने का कोई मानस रखते हैं क्योंकि यह एक बहुत महत्वपूर्ण रूट है? परन्तु समस्या अनिताजी, आपके गांव में मोड पर आएगी। (व्यवधान)

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): वह तो हो जाएगी, साहब, सुंदरवाली से चला दीजिए। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): सुंदरवाली से अगर बस चल जाए... (व्यवधान) पूरा ट्रैफिक उधर से होकर चला जाएगा।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): इनके पास प्रस्ताव पड़ा है, सुंदरावली, जनूथर, कुम्हेर होकर भरतपुर का। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय मंत्री महोदय, बता दें। (व्यवधान)

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, सिरोही जिले में भी यह का यह मैटर है परिवहन का।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न है।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): जैसा माननीय सदस्या ने पूरक प्रश्न के माध्यम से जानना चाहा, इस प्रस्ताव को दिखवा लिया जाएगा। यदि यह रूट फीजिबल पाया जाएगा तो उसको शीघ्र प्रारम्भ कर दिया जाएगा।

साथ ही साथ, माननीय सदस्या ने पूर्व में भी अपनी ओर से जिन बसों को चलाये जाने की बात रखी थी, उसको 1.4.2013 से, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि नगर-भरतपुर से हरिद्वार, नदबई-पहाड़ी और एक आपने भरतपुर-पहाड़ी-वाया सीकरी और एक आपने दिया था भरतपुर-सीकरी...

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): जी, जी, बिलकुल।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (राज्य मंत्री, यातायात): इनको 1.4.2013 से जो

(श्री वीरेन्द्र बेनीवाल)

नया टाइम-टेबल है, उसमें इनको लिया गया है और मैं आपको पुन: कहना चाहता हूं, आश्वस्त करना चाहता हूं कि पर्याप्त यात्री भार मिलने के साथ-साथ, रोडवेज की स्थिति को देखते हुए, जहां पर भी सम्भव होगा, यह सेवा प्रारम्भ किए जाने में रोडवेज पीछे नहीं हटेगी।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां एक ओर ये भरतपुर की बात कर रहे हैं तो...(व्यवधान)

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): भीलवाड़ा जिले में जो एस.डी.एम. हैडक्वार्टर हैं, ... (व्यवधान) वे बस सेवा से नहीं जुड़े हुए हैं, रोडवेज की एक भी बस नहीं चलती है। मेरी प्रार्थना है कि कम से कम एस.डी.एम. हैडक्वार्टर को तो रोडवेज की बस सेवा से जोड़ दें। (व्यवधान)

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह का यह सिरोही का भी मामला है। सिरोही का मामला है। (व्यवधान)

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक पूरक प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): मेरा भी क्वेश्चन नम्बर-449 इसी में है।

श्री अध्यक्ष: वह लेट है क्वेश्चन। बहुत आगे है वह क्वेश्चन अभी तो।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): नहीं, पर एक ही डिपार्टमेंट का है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आगे है। पहले और प्रश्नों का जवाब आ जाए। आप भी पूछ डालिए।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही): एक ही लाइन का है कि सिरोही-दिल्ली -हरिद्वार जो बस चलती है, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसका थोड़ा जवाब दे दें। (व्यवधान)

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी को बताना चाहूंगी कि सोजत विधान सभा क्षेत्र में...(व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगी...(व्यवधान)

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): सोजत रोड होते हुए जयपुर तक जो ब्यावर डिपो की बस चल रही है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगी कि हमारे सोजत विधान सभा क्षेत्र में सिरयारी से वाया बगड़ी-चंदाऊं-सोजत रोड से जयपुर तक जो बस चल रही है, वह बस पिछली 15-20 सालों से चल रही है, लेकिन पिछले छह-सात महीने हो गये, वह बस आज की तारीख में बंद पड़ी है। वह बस बंद क्यों की, उसका कारण बतायें और उसको कब तक आप शुरू करेंगे? क्योंकि सोजत के अन्दर सिरयारी, जो भिक्षु आश्रम है, वहां पर बहुत से लोगों का आना-जाना रहता है...

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): और उस बस का जो खर्चा है, वह सारा सिरयारी, भिक्षु आश्रम वाले ही वहन करते रहे हैं। इसके साथ ही, सादड़ी से सोजत रोड और मेड़ता, एक बहुत प्रसिद्ध स्थान है।...(व्यवधान) सोजत रोड के आगे मेड़ता तक...(व्यवधान) उसको वाया बगड़ी आप शुरू करें।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। मैडम, आपने अपनी बात कह दी। अब अगला प्रश्न आ जाने दीजिए। समय नहीं बचा है। (व्यवधान) अगला प्रश्न। श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत।

चित्तौड़गढ़ जिले में होम गार्ड भर्ती में हुई अनियमितताओं की जांच

433. श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): क्या गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में होम गार्ड भर्ती चयन में विभागीय खामियों की वजह से सेवा से बाहर हुए जिले के होम गार्ड को पुन: नियुक्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि विभागीय अधिकारियों द्वारा की गई त्रुटियों का खामियाजा सेवारत होम गार्ड को भुगतना पड़ा? यदि हां, तो उक्त अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई?

राज्य मंत्री, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा (श्री राजेन्द्र सिंह गुढा): (1) जी नहीं। चित्तौड़गढ़ जिले में होम गार्ड भर्ती चयन में विभागीय खामियों की वजह से किसी भी स्वयं-सेवक को सेवा से बाहर नहीं किया गया है।

(श्री राजेन्द्र सिंह गुढा)

(2) विभागीय त्रुटियों का खामियाजा किसी भी सेवारत होम गार्ड को नहीं भुगतना पड़ा है। अत: किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त।

(12.00 बजे)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): आपने सप्लीमेंट्री भी नहीं पूछने दिया।

श्री अध्यक्ष: आसन पांवों पर है, माननीय सदस्य।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। अधिसूचनाएं। श्री शांती कुमार धारीवाल।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग की निम्नांकित आठ अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

1- अधिसूचना संख्या : एफ.13(1)एआरएण्डसी/ग्रुप-1/2012 दिनांक 7.6.2012, जिसके द्वारा सुनवाई का अधिकार नियम, 2012 विरचित किये गये हैं;

2- अधिसूचना संख्या : एफ.13(1)एआरएण्डसी/ग्रुप-1/2012 दिनांक 7.6.2012, जिसके द्वारा प्रथम अपील के निपटारे के लिए अपील के फाइल किये जाने की समय-सीमा तारीख से 21 दिवस नियत की गई है;

3- अधिसूचना संख्या : एफ.13(1)एआरएण्डसी/ग्रुप-1/2012 दिनांक 7.6.2012, जिसके द्वारा विभागों के प्रभारी सचिवों को उनके अपने-अपने विभागों के लिए पुनरीक्षण प्राधिकारी के रूप में इसके द्वारा नाम निर्दिष्ट किया गया है;

4- अधिसूचना संख्या : एफ.13(1)एआरएण्डसी/ग्रुप-1/2012 दिनांक 7.6.2012, जिसके द्वारा परिवाद या अपील के विनिश्चिय की संसूचना के लिये समय-सीमा 7 दिवस नियत की गई है;

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

5- अधिसूचना संख्या : एफ.13(1)प्र.सु./सम/अनु-1/2012 दिनांक 20.7.2012, जिसके द्वारा राजस्थान सुनवाई का अधिकार नियम, 2012 में संशोधन किया गया है;

6- अधिसूचना संख्या : एफ.13(1)प्र.सु./सम/अनु-1/2012 दिनांक 20.7.2012, जिसके द्वारा राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम, 2012 को दिनांक 01 अगस्त, 2012 से प्रवृत्त किया गया है;

7- अधिसूचना संख्या : एफ.13(1)एआरएण्डसी/ग्रुप-1/2012 दिनांक 7.6.2012, जिसके द्वारा कतिपय अधिकारियों को लोक सुनवाई अधिकारी, प्रथम अपील प्राधिकारी और द्वितीय अपील प्राधिकारी अधिसूचित किया गया है; एवं

8- अधिसूचना संख्या : एफ.13(1)एआरएण्डसी/ग्रुप-1/2012 दिनांक 7.6..2012, जिसके द्वारा परिवाद की सुनवाई और निपटारे के लिए परिवाद की प्राप्ति की तारीख से 15 दिवस नियत की गई है।

श्री अध्यक्ष : श्री शांती कुमार धारीवाल, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री।

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, निम्नांकित तीन प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखता हूं:-

स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (वर्ष 2011-12)

1- राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1954 की धारा-18 के अन्तर्गत स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012;

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) (वर्ष 2011-12)

2- भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र) (वर्ष 2013 का प्रतिवेदन संख्या-1); एवं

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) (वर्ष 2011-12)

3- भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का 31 मार्च, 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) (वर्ष 2012 का प्रतिवेदन संख्या-2).

श्री अध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन। श्री बाबूसिंह राठौड़।

याचिका

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, निम्नांकित दो याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं :-

शेरगढ़ उपखण्ड के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों का माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नयन

I- बजट भाषण 2013-2014 में की गई घोषणानुसार उपखण्ड शेरगढ़ के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने बाबत्; एवं

शेरगढ़ व बालेसर उपखण्डों के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों का उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नयन

II- राजस्थान बजट 2013-2014 में की गई घोषणानुसार उपखण्ड शेरगढ़ व बालेसर के राजकीय माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने बाबत।

श्री अध्यक्ष: कुमारी रीटा चौधरी, सदस्या, नियम समिति, 2012-2013, समिति के द्वितीय एवं तृतीय प्रतिवेदनों का उपस्थापन करेंगी।

समिति प्रतिवेदन

नियम समिति 2012-13 के प्रतिवेदन (क्र. सं. 2 व 3)

कुमारी रीटा चौधरी (मंडावा): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, नियम समिति, 2012-13 के द्वितीय एवं तृतीय प्रतिवेदनों का उपस्थापन करती हूं।

(12.05 बजे)

(श्री रामनारायण मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष: श्री शांती कुमार धारीवाल, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, वर्ष 2009-2010 के लिए अतिरेक मांगों का उपस्थापन करेंगे।

अतिरेक मांग

अतिरेक मांगों (वर्ष 2009-10) का उपस्थापन

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, वर्ष 2009-2010 की अतिरेक मांगों का उपस्थापन करता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कौनसी परम्परा बन गयी? ये सप्लीमेंट्री डिमांड लेकर आ रहे हैं 2009-2010 की। आज हम विचार-विमर्श कर रहे हैं 2013-2014 के बजट की। 2012-13 होती, तब भी समझ में आता। मतलब, सरकार कितनी गम्भीर है! 2009-2010 की अतिरेक मांगें आज उपस्थापित की जा रही हैं! मैं समझता हूं कि आसन को उनको प्रताड़ित करना चाहिये और भविष्य में ऐसा नहीं करें, इसके लिये इनको कहना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष: ये अतिरेक मांगें हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप उचित समझते हो तो मत कहो।

श्री उपाध्यक्ष: गैर-सरकारी संकल्प स्वस्थ, शिक्षित, विकसित, स्वर्णिम राजस्थान के निर्माण हेतु सरकार आवश्यक कदम उठाये।

अशासकीय संकल्प

'स्वस्थ, शिक्षित, विकसित, स्वर्णिम राजस्थान के निर्माण हेतु सरकार आवश्यक कदम उठाये'

यह ओम बिरला द्वारा प्रस्तुत किया गया था। माननीय ओम जी बिरला और प्रतापसिंह जी खाचरियावास, दोनों इसमें बोल चुके हैं। ये दोनों माननीय सदस्य पिछली दफा बोल चुके हैं। यह रिकार्ड में है। कोई और माननीय सदस्य इसमें बोलना चाहें, तो अनुमति है। और नहीं है, तो कोई बात नहीं।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): नहीं, माननीय उपाध्यक्षजी, मैं उसको कंटिन्यू भी तो करूंगा ना।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, आप बोल चुके हो। रिकार्ड में है आपका।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा पूर्ण नहीं हुआ था।

श्री उपाध्यक्ष: आप रिकार्ड देख लीजिये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): हां, मेरे पास रिकार्ड पड़ा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। लाटरी में पहला नम्बर आया है, उसी को कंटिन्यू करते हुए लाटरी में पहला नम्बर आया है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: आप बोल चुके हो।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): हां, तो कंटिन्यूअस लाटरी के अन्दर पहला नम्बर मेरा खुला है।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजो। आप विराजो तो मैं आपको अर्ज कर दूं। मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि पूरा बोलने के बाद में, अपना कथन सम्पूर्ण बोलने के बाद में, माननीय प्रतापसिंहजी खाचरियावास भी बोल चुके हैं। आप याद करिये। आपके बोलने के बाद प्रतापसिंहजी खाचरियावास बोल चुके हैं और उसके बाद में और कोई मेम्बर बोलना चाहें, तो यह संकल्प है –

'यह सदन संकल्प करता है कि स्वस्थ, शिक्षित, विकसित, स्वर्णिम राजस्थान के निर्माण हेतु सरकार आवश्यक कदम उठाये।'

कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें तो आगे बोल सकता है।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री; श्री बृजकिशोर शर्मा, शिक्षा मंत्री; श्री शांती कुमार धारीवाल, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, राज्य सरकार की ओर से उत्तर देंगे। माननीय श्री दुरू मियां।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): काहे का उत्तर देंगे? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): पहले एक बार हम रख दें, उसके बाद उत्तर करा दें, वरना ये बीच में ही रह जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष: एक-एक संकल्प लिया जायेगा। उसके बाद दूसरा आयेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, नहीं, एक बार में उपस्थापित तो सारे हो जाते हैं। उपस्थापित तो सारे होते हैं। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): लाटरी में पहला नम्बर खुला है। पहले नम्बर पर मेरा खुला है, मैं वहां पर मौजूद था।

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी भी नहीं बोलना चाहें, तो अपने को क्या दिक्कत है?

प्रश्न यह है कि जो संकल्प श्री ओम बिरला, सदस्य, विधान सभा ने प्रस्तुत किया है, उसे स्वीकार किया जाए? (व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य: हां पक्ष जीता। हां पक्ष जीता।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट, आप विराजिये। मेम्बर्स को कन्फ्यूजन हो सकता है। माननीय ओम बिरला का संकल्प है और संकल्प मैं सदन को दुबारा रिमाइंडर करा देता हूं, माननीय श्री ओम बिरला का संकल्प है - 'यह सदन संकल्प करता है कि स्वस्थ, शिक्षित, विकसित, स्वर्णिम राजस्थान के निर्माण हेतु सरकार आवश्यक कदम उठाये'। जो श्री ओम बिरला के संकल्प के साथ हों, वह हां कहें, जो विपक्ष में हों, ना कहें।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): इनको स्वस्थ, शिक्षित, विकसित राजस्थान नहीं चाहिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब गरिमा की जिम्मेदारी एक ही सदस्य की नहीं होती है। आप कृपा करके अब विराजो। (व्यवधान) आप विराजिये। (व्यवधान)

(अस्वीकृत)

संकल्प अस्वीकृत किया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ये कैसा राजस्थान बनाना चाहते हैं? आप स्वर्णिम राजस्थान नहीं बनाना चाहते? आप विकसित राजस्थान नहीं बनाना चाहते? आप स्वस्थ राजस्थान नहीं बनाना चाहते? यह दुर्भाग्य है कि आज आप इस संकल्प के विरोध में बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री प्रभुलाल सैनी, सदस्य, विधान सभा एक गैर-सरकारी संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

'विधायिका जन हित के विषयों पर निरर्थक आलोचना या तारीफ के बजाय निर्णायक व निष्कर्ष-परक बहस कर सार्थक भूमिका का निर्वहन करें'

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित गैर-सरकारी संकल्प प्रस्तुत करता हूं :-

'यह सदन संकल्प करता है कि विधायिका जन हित के विषयों पर निरर्थक आलोचना या तारीफ के बजाय निर्णायक व निष्कर्ष-परक बहस कर सार्थक भूमिका का निर्वहन करें।'

श्री उपाध्यक्ष: आप बोलना चाहते हैं? बोलिये। एक-एक, नहीं तो वह फिर रह जायेगा, सारे रह जायेंगे। एक-एक।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मूव तो करायें।

श्री उपाध्यक्ष: मूव तो हो रहा है न पहले।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज निजी संकल्प के माध्यम से मैं सदन में अपने विचार दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं और आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि संसदीय लोकतंत्र वह फलदार वृक्ष है, जिसकी जड़ों को कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और प्रेस आधार प्रदान करते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मुझे जिस विषय पर बात करनी है, मैं आपके माध्यम से इतना सदन से निवेदन करना चाहूंगा कि जो विधायक चुनकर आते हैं, विधायिका में उनके जो दायित्व हैं, क्या मौलिक अधिकार उनको होने चाहिये, और विधान सभा में किस प्रकार की कार्यवाही होती है, उसके संचालन में कितनी भूमिका वे निभा पाते हैं, उस विषय पर मैं आपसे अपने विचार व्यक्त कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि विधायक का क्या रोल होना चाहिए, क्या भूमिका हमारी है। "An MLA is the Member of the State Assembly and he has a principal role in the respective interest of the electorate of the constituency and the voting on the bill for enhancement of the law. He has also to manage the local area fund at his disposal for the development of his constituency. He has to take active… (interruptions) the people's interest in the State Assembly and outside."

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): इसको छोड़ो न। छोड़ो अंग्रेजी को।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): रुको, रुको, साहब। आपकी ही बात है, साहब।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): क्या रुको? अंग्रेजी काहे के लिए बोल रहे हो?

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): यह तो मेरी बात है न, साहब। आपकी बात थोड़े ही है। मेरा ही तो विषय रख रहा हूं, साहब। मैं आपके हित की बात कर रहा हूं, साहब।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन इतना है कि मुख्य रूप से विधायिका का कार्य है कानून बनाना। दूसरा उसका काम होता है कि वह विधान सभा क्षेत्र के जन हित के मुद्दों को विधान सभा में लेकर आये और जनता की भावनाओं को सदन में उठाकर उनके हित में कार्य करे। तीसरा काम होता है कि जो फंड उसको दिया जाता है, क्या वह उसका उपयोग सही कर पाता है या नहीं कर पाता।

उपाध्यक्ष महोदय, आज परिस्थितियां कुछ अलग नजर आती हैं। यह

(श्री प्रभुलाल सैनी)

जो सदन है, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, महात्मा गांधीजी ने भी कहा है कि "One must not either enter an Assembly hall or he must speak there with all the righteousness for one who does not speak or one who speak falsely does involve himself in the sin." महात्मा गांधीजी ने कहा है, इसका तात्पर्य यह है कि या तो वह सदन में आये नहीं, और आये तो कम से कम वह सही बात को बोले, और यदि सही बात नहीं बोलते हैं तो वह पाप की श्रेणी में आता है।

इसलिए मैं आपको सदन के माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र प्रणाली में विधायक जन मत का दर्पण होता है। आज हम देखते हैं कि इस सदन में एक तरफ 'हां पक्ष' लिखा हुआ है और दूसरी तरफ 'ना पक्ष' लिखा हुआ है। क्या यह मेंडेटरी है? यदि है तो क्या यहां पर आने वाले विधायक को उसके फंडामेंटल राइट्स का अधिकार नहीं होता है? क्या अपनी बात को वह यहां नहीं रख पाता है? जब यहां बजट पर चर्चा होती है, जब यहां पर 'ना' लिखा हुआ है तो क्या हम लोग यहां इसलिए आते हैं कि हमको ना ही कहना है? क्या हमको अच्छी बात पर भी ना कहना है? खराब बात है, उस पर भी हमको 'हां' कहना है? इस विषय पर हमको गम्भीर चिन्तन करना चाहिए।

विधायिका में आर्टिकल 19 में स्पेशल प्रावधान किये हुए हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। मैं राजनीति और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर बात कहना चाहता हूं। वहां पर प्रश्न होता है और बिल पारित करवाया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, हाल ही में जैसा कि आपके द्वारा 'हां' और 'ना' की जिस प्रकार से यहां पर व्याख्या की गई, आपने देखा सदन में, न तो माननीय सदस्य 'हां' कह रहे हैं और न 'ना' कह रहे हैं। फिर भी यह सदन की मजबूरी हो जाती है। तो उसको एक नहीं, दो नहीं, तीन बार कहना पड़ता है। इससे ऐसा लगता है कि सदन में जो गरिमा होनी चाहिए, सदन में जो आचरण होना चाहिए, सदन में जो व्यवहार होना चाहिए, वह सभी सदस्यगण सही नहीं निभा पाते हैं।

आपने देखा होगा, हम यहां के विधायी कार्य की बात करते हैं, विधायिका का मुख्य कार्य है, कानून बनाना। आज हम कानून की बात करते हैं, यहां आठ मिनट में आठ-आठ विधेयक पास हो जाते हैं। मैं तो यह कहना चाहूंगा कि इन चार सालों में यदि हम आंकड़े उठाकर देखें तो मैं समझता हूं कि राजस्थान की विधान सभा में अब तक एक सौ से ज्यादा कानून यहां पारित हुए हैं, लेकिन विधायकों को न तो कानून की जानकारी होती है, वह

(श्री प्रभुलाल सैनी)

फारमेलिटी होती है। कानून विधायिका बनाती है, यह कागजों की बात है लेकिन वास्तविकता की बात है कि कानून कार्यपालिका के लोग एयर-कंडिशंड रूम में बैठ कर, कानून बनाकर वे लाते हैं। कानून कहां बनता है, कहां उसका निर्माण होता है और विधान सभा में मात्र एक मिनट में हो-हल्ला में उसको पास करवा दिया जाता है। इसी का परिणाम होता है, राजस्थान को हम देखते हैं, तो विधायिका की जो हमारी व्यवस्था है, उसको कमजोर करने की साजिश की जा रही है।

विधायक का जो दायित्व बनता है, उसके जो प्रिविलेजेज हैं, प्रिविलेज का अर्थ यह भी नहीं होता है कि कोई भी विधायक सदन में खड़ा होकर, चाहे वह सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, किसी व्यक्ति को अवसादग्रस्त घोषित कर दे, किसी व्यक्ति को पागल घोषित कर दे, कोई चप्पल यहां से फेंक दे, कोई वहां से बैठा-बैठा यह कह दे, किसी को कुछ भी कह दे।

उपाध्यक्ष महोदय, हमको विचार करना चाहिए। राजस्थान की जनता हमको यहां चुनकर इसलिए भेजती है कि हम लेजिस्लेचर के वे कानून और वे नियम जो प्रचलित कानून हैं, जनता के हित में, उनमें क्या कमी होनी चाहिए, क्या विचार होना चाहिए, उस पर चिन्तन करने का हमारा मुख्य उद्देश्य होता है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां इसको अपने-अपने हिसाब से देखती हैं। कोई व्हिप जारी करती है, कोई क्या कहती है।

आपने प्रावधान देखे होंगे, वेल में आने की अनुमति नहीं होती है लेकिन रोज यही काम होता है, मंत्री तक वेल में आ जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक अध्यक्ष जी या इस सीट का प्रश्न है, मैं तो कहता हूं कि न तो वे राजनीतिक पार्टी के होते हैं, न वे भाजपा के होते हैं, न वे कांग्रेस के होते हैं, न पक्ष के होते हैं और न विपक्ष के होते हैं, वे चेयर के होते हैं। जब चेयर की किसी का पक्ष करने की स्थिति बन जाती है तो फिर वह सदन ढंग से नहीं चल सकता, व्यावहारिकता से नहीं चल सकता और जो मंशा इस विधायिका की है, वह पूर्ण होने में असफल हो जाती है।

इसलिए इस संकल्प के माध्यम से मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहूंगा कि हम सबको दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, इस विधायिका के पवित्र सदन में जो हमें विधायिका के अधिकार दिये गये हैं, उन अधिकारों का पालन करने के लिए हम सबको मिलकर ऐसे कदम उठाने चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि लोकतंत्र विधायिका का एक मूल

(श्री प्रभुलाल सैनी)

दर्पण होता है और उसमें पूरे देश का, पूरे प्रदेश का आइना देखा जा सकता है, लेकिन आज परिस्थितियां अलग बनी हुई हैं। आज यहां पर जिस प्रकार का माहौल बना हुआ है, जिस प्रकार से उदासीनता का माहौल बना हुआ है, मंत्री जवाब नहीं दे पाते हैं, यहां पर मांगें पूरी करने के लिए जो प्रस्ताव रखा जाता है, प्रस्ताव रखने की जरूरत भी नहीं होती है, फिर भी अध्यक्ष की तरफ से प्रस्ताव पारित करने की घोषणा की जाती है। यह दुर्भाग्य का विषय है। क्योंकि हर बजट पर या हर कानून पर प्रत्येक सदस्य को बोलने का अधिकार होना चाहिए।

मैं लोकतंत्र में विधायिका की भूमिका के बारे में सम्माननीय श्री शिवराज जी पाटिल, फोरमर स्पीकर, लोक सभा ने कहा है कि "There are 3 functions which are performed by the Legislature - (1) that of the passing of the law, (2) that of the approving the budget, and (3) that of the holding the Govt. accountability." यानी, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए विधायिका में हम लोग जीत कर आते हैं। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, विडम्बना है, आपने देखा होगा, जिस प्रकार का आचरण, जिस प्रकार का व्यवहार, जिस प्रकार का अभद्र व्यवहार, जिस प्रकार की अश्लील बातें इस सदन में होती हैं, यह राजस्थान की जनता के लिए ही नहीं, हम सबके लिए भी चिन्ता का विषय है।

इसलिए हम सबको, मैं आपके माध्यम से सदन के सामने प्रस्ताव रखता हूं कि इस पर दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर, 'हां' और 'ना' पर नहीं, गुणात्मक विवेचन होना चाहिए, सदन में उस पर वक्तव्य होना चाहिए, विचार देना चाहिए ताकि आगे जाकर राजस्थान की जनता का जो सपना है वह पूरा हो सके।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय फूलचन्द जी भिण्डा।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): उपाध्यक्षजी, निजी संकल्प के माध्यम से माननीय सदस्य ने अभी विचार रखे। मैं इस बार ही सदन में आया हूं। मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी रहा। वहां यह पढ़ाया जाता था कि कानून बनाने से पहले प्रत्येक धारा पर तीन वाचन होंगे। मुझे अफसोस है कि एक भी एक्ट पर, एक भी धारा पर कोई मतदान नहीं हुआ, कोई संशोधन नहीं हुआ। अगर मैं यह कहूं कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो विधायिका का जो कार्य है, उसमें साढ़े चार साल में मैं जीरो अंक देता हूं, मुझे माफ करेगा सदन, क्योंकि एक भी विधेयक की एक भी धारा पर संशोधन नहीं

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

मांगा गया और न ही किया गया। हां, कार्यपालिका को बचाने के लिए, चाहे वह बजट का 'हां'-'ना' हो, चाहे और काम हो, सब पर हमने कार्यपालिका को बचाने का काम किया है, जो हमारा धर्म नहीं था। धर्म यह है कि कार्यपालिका पर नियंत्रण का काम भी हमारा है। कानून बनाने का ही नहीं है, उसके संरक्षण का अधिकार भी सदन को है। इस कारण से यह स्थिति है।

जो यह संकल्प रखा गया है, वास्तव में इस देश में आवश्यकता है इस बात की। आज सदन में आपस में लड़ाई-झगड़े होते हैं, हाथापाई होती है। यह व्यवस्था विधायिका की गिरावट का सूचक है।

मैं आपको बताऊं, श्रीमान्, आप भी उसमें सहयोगी हैं; अभी जो बिरला जी का संकल्प था, उस पर पक्ष के माननीय सदस्यों से आपने 'हां' करवा ली। क्या यह नहीं चाहते कि स्वस्थ राजस्थान बने? क्या नहीं चाहते कि शिक्षित राजस्थान बने? क्या नहीं चाहते कि विकसित सदस्य बनें?

श्री उपाध्यक्ष: सजेस्टिव बात करिए, माननीय सदस्य।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): वही कर रहा हूं। सब चाहते हैं लेकिन गलती हो गई आपके कारण या उनके कारण से। ऐसा संकल्प यदि जनता के बीच में जायेगा तो निश्चित तौर पर यह अच्छा संदेश नहीं जायेगा। आप बतायें गिरावट नहीं आयी है तो?

सदन में ऐसे लोग हैं, सिविल लाइन्स से आने वाले सदस्य, सांगानेर से आने वाले माननीय सदस्य, ऐसे व्यावहारिक राजनीतिज्ञ हैं इस सदन में, उनकी एक कमेटी बनाइये। वह रूल्स फ्रेम करे और फिर उन पर हम सदन में चर्चा करें।

श्री उपाध्यक्ष: विराजें। धन्यवाद।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): उसके बाद अगला जब सदन आये, तब उस सदन में इस प्रकार की स्थिति बने।...(व्यवधान) एक मिनट और लूंगा मैं।

इसमें निर्णायक बहस हो और निष्कर्ष की बात कही गयी हो। हम सब आलोचना करते हैं, स्वभाव है, थोड़ा-बहुत ऐसा रहता है क्योंकि हमें विपक्ष के प्रस्ताव रखने होते हैं, उनको पक्ष के रखने होते हैं, लेकिन फिर भी निष्कर्ष के रूप में, मैं यह सदस्यों का भी दुर्भाग्य मानता हूं कि कई बार टाइम की कटौती के कारण से हम निष्कर्ष वाली लाइन तो कह नहीं पाते, उसके पहले घंटी बज जाती है। पक्ष, विपक्ष में बात करने के बाद, निष्कर्ष की बात कहने के लिए हमें

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

टाइम दिया जाए, थोड़ा टाइम दिया जाए। इस सत्र में मांग की कटौती प्रस्ताव पर सबसे ज्यादा टाइम काटा गया है। ऐसा नहीं हो, ऐसा मेरा निवेदन है।

मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। श्री देवी सिंह जी भाटी।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें मूल इस बात पर जाना पड़ेगा कि यह भारत देश जो परम्पराओं से चलने वाला है, यह कानून की किताब से चलने वाला नहीं है। इस प्रजातांत्रिक प्रणाली के ऊपर भी प्रश्नचिह्न लगा दिया, जिसको हम फालो कर रहे हैं। ब्रिटिश एक्स-प्राइम मिनिस्टर विंसटन चर्चिल ने यह कहा था, आखिरी जिंदगी के निष्कर्ष में, कि यह प्रजातंत्र प्रणाली विश्व में अब तक जितनी प्रणालियां हुई हैं उसमें सबसे निकृष्टतम प्रणाली है। इसमें रोटी और पानी के ऊपर भी टैक्स लग जायेगा, एक हवा-हवा फ्री रहेगी।

सदियों तक जो हमारी एक पूर्वजों ने रिसर्च कायम की थी और ऐसी एक प्रामाणिक व्यवस्था की थी कि आपकी जो भी एक संरचना है समाज की, वह गांव और समाज चलायेगा और उसके कारण से कभी भी ना तो कहीं यह प्रश्नचिह्न लगा इस व्यवस्था के ऊपर। हमने यह कर दिया कि अंग्रेजों ने काले कानून बनाये और उसको हमने गीता और कुरान बना लिया।

ये अंग्रेज तो जबरदस्ती हमारे ऊपर शासन करने आये थे, वे इस देश को लूटना चाहते थे, इस व्यवस्था को छिन्न-भिन्न करना चाहते थे और हमने यह आश्वस्त किया था देश की जनता को कि आजादी से पूर्व अंग्रेजों के जाते ही हम ये सारे काले-कानून हटा देंगे और इस आजाद देश के ऊपर आम जनता का राज होगा, जनता के कानून लागू होंगे, जनता द्वारा जो व्यवस्था दी जायेगी वह चलायेंगे। कुछ समय के लिए नेता और अफसर मालिक बन गये और बाद में अब कम्पनियां आ गयी हैं, अब कम्पनी जो निर्देश करेगी उसी हिसाब से हमारी यह प्रजातांत्रिक प्रणाली चलेगी।

यह जो मूल रूप से हमारी अभिव्यक्ति की आजादी की बात की गयी, हमें इतना बांध दिया पार्टियों के इस प्रकार के तंत्र ने कि पार्टी के अन्दर बैठ कर बात करें तो पहले तो बोलने नहीं दिया जायेगा, बोलोगे तो जवाब नहीं मिलेगा और अगर बाहर कहीं बोल दिये तो अनुशासनहीनता और सदनों के अन्दर आप व्हिप जारी कर दो। तो इससे तो अच्छा है कि हमारे मुख के ऊपर पट्टी बांध दो। यह कौनसी व्यवस्था हुई?

(श्री देवी सिंह भाटी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है, देखिये, सदियों से हमारी जो परम्परागत व्यवस्था थी उसमें कुछ खामियां आ गयीं, तो आज के युग के अनुसार जो अच्छी बातें हैं वे उसमें शामिल कर लेते। जब तक इस व्यवस्था में गांव और समाज का कंट्रोल, नियंत्रण था, हमारे गांव सुरक्षित थे; गोचर, ओरण, जो चरागाह थे, इतने सुरक्षित कि कोई एक इंच के ऊपर भी कब्जा नहीं कर सकता था। हमारे तालाब के आगोर, मजाल है, कोई उसके कैचमेंट को गंदा कर दे। कोई वन में से एक पेड़ भी बिना गांव की अनुमति के नहीं काट सकता था। उसको गांव अनुमति देता, सबके ध्यान में रहता, उसके कम्प्यूटर में रहता, कौन रामलाल गया, किस को अनुमति दी है। वन्य जीव सुरक्षित थे, पर्यावरण सुरक्षित था और सबसे बड़ा जो सामाजिक सरोकार, एक-एक गांव का जो कोई भी बेसहारा है उसको गांव संभालता था। कानून-व्यवस्था इतनी नियंत्रण में थी कि गांव के अन्दर जो समाज और गांव तय करता, वह ही व्यवस्था चलती।

दिल्ली के अन्दर जैसा प्रकरण हुआ, यहां कई विराजमान हैं, अमीन खां जी भी विराजमान हैं, बहुत अनुभव रखते हैं, क्या जब समाज और गांव का नियंत्रण था, कभी गांव में आपने ऐसी दिल्ली जैसी घटना सुनी? जिसमें दस प्रतिशत तक तो कुंवारे मर जाते थे। (व्यवधान) नो, नो। दिल्ली जैसा प्रकरण एक बता दो, मैं राजनीति नहीं, मैं जिंदगी से संन्यास ले लूंगा। ऐसा नहीं हो सकता, दिल्ली जैसा प्रकरण। उस समय ऐसा नहीं होता था। यह हकीकत है। इसके ऊपर हमें जाना पड़ेगा। आखिर कोई रास्ता नहीं है, चाहे कितनी भी आप कानून की किताबें बना लो। आप याद करो, जकिया जी, माननीय महोदया, उस समय किसी ने अंग्रेज को देखा था गांव में, दूरदराज में? कब तो वह आया और कब गया। क्या कानून के एक पन्ने की भी किताब थी उस समय? और बिना किसी कानून की किताब के हमारी व्यवस्था चलती थी।

ठीक है, हर व्यवस्था में कुछ गुण-दोष भी आ जाते हैं, दोष भी होते हैं लेकिन हमें उसके ऊपर जाना पड़ेगा। कानून के कारण से, आज देख लीजिए, यूरोप का रूप देख लीजिए, इतने माफिया हो गये हैं कि वहां सरकारें खुद अपने आप को सुरक्षित नहीं पातीं। आप अमेरिका में जाइये, न्यू यार्क में शाम को सात बजे बाद आप निकल नहीं सकते; चलते ही वहां गली में आपके बंदूक और पिस्तौल लगा कर लूट कर सारा माल ले जाते हैं। वहां की जो जेलें बनायी हुई हैं, इतनी सुरक्षित, जो अमेरिका अपने आपको तथाकथित ऐसा

(श्री देवी सिंह भाटी)

व्यवस्थित देश कहता है, वहां जेलों के अन्दर जेल अधीक्षक, वे अपने आप को कहते हैं कि हमने तो डरते-डरते नौकरी पूरी की है। इनका कोई भरोसा नहीं, मार दें हमें। वहां से यह सारा माफिया अपना चलाता है। जितने भी वहां पर ये धंधे हैं, दारू, नशा और पता नहीं, क्या, मोरफिन, ये सारे वहां से व्यापार चलते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय देवी सिंह जी, ज्ञान के आधार पर बोलना चाहिए न। विदेश है वह। विदेश के बारे में हम कोई चर्चा करें तो उसका ज्ञान होना चाहिए न।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ज्ञान मेरे से ले तो सही कोई। आ जाए मेरे पास।

श्री उपाध्यक्ष: सदन ले रहा है।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): एक-एक बात को कन्विंस करूंगा। ऐसा नहीं है। विदेश का ज्ञान तो क्या, विदेश, वह ही पूंछ पकड़ कर हमने अपना सत्यानाश कर दिया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मुझे बताइये, यह सदन है, हमारा जो जल हम पीते थे, हमने अपनी व्यवस्था, तालाब, कुएं, कुण्ड, बावड़ी बना रखे थे; शुद्ध पानी पिया हमने सदियों तक और उसके कारण से, चाहे ऋषि हुए, चाहे पहलवान हुए, चाहे योद्धा हुए, सारी हमारी जो व्यवस्था थी, यहां इस प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं आयी कि लगातार कोई मर जाए, पर आज मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि क्या कोई हिन्दुस्तानी कह सकता है कि मैं आज शुद्ध जल पी रहा हूं? कोई नहीं कह सकता।

इसलिए हमें उस व्यवस्था पर आना पड़ेगा। समाज और गांव का नियंत्रण होगा तभी कोई दिशा बनेगी। उसके बगैर यह व्यवस्था नहीं हो सकती।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): इसलिए जो संकल्प लाये हैं माननीय सैनी जी, उसका मैं समर्थन करता हूं, और विचार कीजिए कि जब तक गांव और समाज का कंट्रोल नहीं होगा, कानून की किताबों से चलोगे तो कोई रास्ता नहीं बनेगा, गांव और समाज का नियंत्रण आप धीरे-धीरे वापस उसको दीजिए, सारी व्यवस्थाएं सुचारु हो जायेंगी।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री खाचरियावासजी।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आदरणीय सैनी जी का संकल्प अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं। आज जो हालात हैं, उनमें जब हमारे देश की व्यवस्था लागू हुई और उसके बाद आज सबसे ज्यादा चुनौती विधायिका के सामने है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि विधायिका में प्रतिस्पर्धा के कारण कई जो सच्चे मुद्दे होते हैं, जो राष्ट्रीय हित के मुद्दे होते हैं, उन पर भी हम पार्टीबाजी से उठकर विचार नहीं कर पाते। हालात ऐसे हो गये हैं कि विधायिका में जो यह सदन है, यह सदन भी कई बार सच्चे मुद्दों पर, अच्छे मुद्दों पर, राष्ट्र हित के मुद्दों पर इतना ज्यादा संकुचित विचारों से आगे बढ़ता है और हर बार दोनों पक्षों के सदस्य हमेशा अपने नेताओं की तरफ ध्यान रखते हैं और नेताओं का एक ही काम रह गया है, किसी भी पक्ष का लीडर हो, पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, हर सदस्य विधायिका में यह चाहता है कि एक तो मेरा नेता खुश रहना चाहिए, कहीं ऐसी गलती नहीं हो जाए कि नेताजी ने आंखें बदली और हमें बाहर का रास्ता दिखाया।

इस सिस्टम में हालात यह हो गये कि पूरा लोकतंत्र राजतंत्र की चपेट में है। जब लोकतंत्र की स्थापना की गयी तब बड़ी बात यही थी कि विधायिका के जरिये हम जनता से चुन कर आयेंगे, देवदूत बनकर जनता की जन-भावनाओं को सदन में रखेंगे और वह सदन एक ऐसा फैसला लेगा जो जन-भावनाओं के अनुरूप होगा और जनता की आवाज बनकर जनता की समस्याओं का समाधान करेगा। लेकिन जब पूरा लोकतंत्र ही राजतंत्र की चपेट में आता है तो उसके लिए कोई पक्ष और विपक्ष जिम्मेदार नहीं होगा, उसके लिए हम सब जिम्मेदार होते हैं। क्योंकि हमारी हमेशा नजर इसी बात पर रहती है कि हम चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे मुंह से निकला हुआ एक-एक शब्द, मैंने ऐसे भी हालात देखे हैं, जनता क्या बोल रही है, जनता कुछ भी बोल रही है, जनता का दर्द कुछ भी बोल रहा है लेकिन सदन में भी हम यह इन्तजार कर रहे हैं कि हम बोलें, हम पार्टी की मर्यादा में रहें। लेकिन हम बोलने से पहले कम से कम इतना तो ध्यान रखें कि यह सिर्फ सूचना के आदान-प्रदान का केन्द्र नहीं है, यह तो आर टी आई से भी मिल सकती है, राइट-टू-इन्फार्मेशन से कई बार ऐसा लगता है (व्यवधान) राठौड़ साहब, अठे आ जाओ। बहुत बातां कर रह्या हो। बोलबा ही कोनी देओ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह सद्भाव कायम कर रहे हैं। जकिया जी के पास बैठकर सद्भाव कायम कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आपस में बात नहीं। प्लीज कंटिन्यू।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): कदे तो सीरियस लिया करो।

उपाध्यक्ष जी, यह जो सैनी जी संकल्प लेकर आये हैं, यह संकल्प सिर्फ एक पार्टी विशेष के सदस्य का नहीं है, यह पूरे देश का संकल्प है।

मैं बीच में एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, जिस दिन यू डी एच की मांग पर यहां चर्चा होने वाली थी, उस दिन पूरा राजस्थान, गांव, शहर, सब उस चर्चा को सुनना चाहते थे और मैं खुद भी सोच रहा था कि आज यहां बहुत बड़े फैसले हम करवा देंगे। मुझे आश्चर्य हुआ, मैंने आदरणीय राठौड़ साहब से निवेदन भी किया, बाद में उनको अच्छा भी लगा होगा, मैंने कहा कि आप माइक पर बोलते हो तो आपकी आवाज ज्यादा सुनाई देती है, आप वेल में आते हो तो सुनाई ही नहीं देती। आप कुछ कहना चाहते हो और वहीं खड़े-खड़े बोलते हों तो यह ज्यादा चुनौती होती है। अपोजिशन भी एक पावर होती है। तो बैलेंस रहता है। मैं ज्यादा नहीं समझता, आप मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, मेरे को तो ज्यादा कुछ आता नहीं, लेकिन बड़े-बड़े खिलाड़ी जो आदरणीय भैरोंसिंह जी के साथ रहे, यहां पर बैठे हैं, मैं तो उनके टाइम पर सदन में आ नहीं पाया, तो वे लोग, मैंने देखा, वेल में आ जाते हैं। वह काम वहां खड़े रहकर ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। उनकी अच्छी आवाज बाहर तक पहुंच ही नहीं पाती है और वे वेल में आ जाते हैं।

मैं इतना कह सकता हूं कि सच्चे मुद्दों पर भी खुलकर बात नहीं होती। पक्ष-विपक्ष के झमेले में हम उलझे रहते हैं। आज हर व्यक्ति यह चाहता है, आप किसी को भी सी एम बना दो, इतनी अहम भावना हमारी हो गयी है, पक्ष का बने चाहे विपक्ष का, हर चीफ मिनिस्टर यह चाहता है कि सारी पावर मैं सेंट्रलाइज कर लूं। कोई सच बोलना नहीं चाहता उनके सामने।

इस लोकतंत्र को, विधायिका को मजबूत करना चाहते हो, जो विधान सभा का सदस्य है, अपने क्षेत्र से विधायक चुनकर आया है, मुख्य मंत्री भी विधायक होता है, जिस दिन इस विधायिका को आप मजबूत करना चाहते हैं, यह उस दिन मजबूत होगी जिस दिन जितने पावर मुख्य मंत्री को राजस्थान में हैं उतने पावर उस विधान सभा क्षेत्र में उस विधायक को दे दोगे। उस दिन सच्चा लोकतंत्र साबित हो जाएगा, लागू हो जाएगा।

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

आज वह विधायक कुछ नहीं कर सकता वहां पर। उसको कुछ करना है, पटवारी के लिए भी, पटवारी उसके सामने चोरी भी कर ले तो वह विधायक उसका कुछ नहीं कर सकता। उसको या तो चीफ मिनिस्टर को फोन करना पड़ेगा, क्योंकि बीच की जो कड़ी है ना, मंत्री, वह तो यही कहेगा मुख्य मंत्रीजी से बात कर लो। फेर आपां कांई करस्यां? बोले आपां कांई कोनी। यही हालात हैं। यह बीच की कड़ी जो मंत्री है, इनके पास तो एक ही काम रह गया है कि मुख्य मंत्रीजी से बात कर लो। एक भी मंत्री, मैं खुलकर कह रहा हूं, न उनके जमाने में, न इस जमाने में, ऐसा नहीं है जो यह कह दे कि यह मेरा डिपार्टमेंट है, आप मेरे विधायक साथी हैं, मैं आगे बढ़कर आपको कहता हूं कि इस स्टेट के प्रति मेरी जिम्मेदारी है, मैं यह काम करूंगा, यह मेरा अधिकार है और यह बात मेरे को बिलकुल सही प्रतीत होती है, ऐसा मैं करने जा रहा हूं और यह कल से लागू हो जाएगा, यह अभी मैं लागू कर रहा हूं। कोई नहीं। सब एक नेता की तरफ देखते हैं।

जब पावर डि—सेंट्रलाइज होगी, नीचे तक पावर जाएगी, पावर का यह पिरामिड नीचे की तरफ बिखरता हुआ जाना चाहिए, तब जाकर यह विधायिका की पावर लागू होगी। आज भी विधायिका जब अन्दर चर्चा करती है, एक कोर्ट का फैसला हो जाए, विधायिका की चुनौती होनी चाहिए, न्यायालय से कोई गलत फैसला आ जाए तब मैं कर रहा हूं, जब न्यायालय से कोई गलत फैसला आ जाए, विधायिका में कोई चर्चा हो जाए, सरकार की तरफ से पक्ष रखा जाना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि आप फ्यूचर से लागू कर सकते हैं, कोई भी। आप डिसिजन लेने जा रहे हैं, सौ साल पहले, 1947 की स्थिति लागू कीजिए। इस तरह के फैसले आते हैं हाई कोर्ट से।

हमारी सरकारें यह नहीं कहतीं कि आप 1947 की स्थिति लागू करना चाहते हों, 1947 में इस देश की आबादी 33 करोड़ थी, आज सौ करोड़ ऊपर हो गयी, आज 135 करोड़ हो रही है। तब सिर्फ तैंतीस करोड़ थी। सरकार में इतनी ताकत नहीं है जो न्यायालय को जाकर कह दे कि आप कल तक एडवोकेट थे लेकिन आज आप न्यायाधिपति हैं। आप कह रहे हैं, सौ बरस पीछे जाइये, जाकर लागू कीजिए। सारी अधिकारियों की जितनी भी टीम है, सारी इसी में लग जाती है। आप प्रैक्टिकल बात करें, इस लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार है, वह यह महसूस करती है, 1947 की स्थिति हम लागू करने में सक्षम नहीं हैं। हम नहीं कर सकते। आबादी बढ़ गयी, पूरा देश बदल गया, नदियों के रास्ते बदल गये, स्थितियां बदल गयीं, आबादी बस गयी, लेकिन वे 1947 की तरफ चले जाते हैं।

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

इच्छाशक्ति चाहिए, पार्टीबाजी से ऊपर उठकर जब राष्ट्र हित को हम ध्यान में रखेंगे, सबसे पहले उस नागरिक को ध्यान में रखेंगे और सबसे ज्यादा हम इस संविधान की मर्यादा का सम्मान रखेंगे, उपाध्यक्ष जी, अधिकतर तो हालत यह है कि विधायिका में जो लोग आए हैं वे खुद अपनी गरिमा नहीं समझते । आज भी हमारी नजर लेफ्ट साइड में रहती है कि कोई तो देख ले तो आपां राम-राम कर ल्यां। यह हालात है। हमें खुद को यह पता नहीं कि हमारी स्थिति, एक विधायक प्रोटोकोल में चीफ सेक्रेटरी से बड़ा है। यह कई विधायकों को पता ही नहीं है। मैंने खुद ने, मैं सच्चा बयान कर रहा हूं, आज भी हमारा एम एल ए बाहर बैठ जाता है जाकर। उसको जरूरत नहीं है बाहर बैठने की, वह बाहर बैठने के लिए तैयार है। वह खुद अपनी स्थिति ऐसी डवलप कर रहा है। शार्टकट के जरिये हम इतना मजबूर हो गये। इसलिए यह डि-सेंट्रलाइज हो पावर। वह एम एल ए सोचता है, आज मेरे से एक अधिकारी नाराज हो गया तो मेरा हैंडपम्प नहीं करवा पाऊंगा।

इसलिए जरूरत है, पार्टीबाजी से ऊपर उठकर इस पावर को डि-सेंट्रलाइज किया जाए। पावर, नाम के लिए लोकतंत्र है लेकिन है पूरी तरह से राजतंत्र की चपेट में। जब पावर डि-सेंट्रलाइज होगी, नीचे तक पावर जाएगी, सबको अपने-अपने अधिकार मिलेंगे तो निश्चित रूप से जो संकल्प सैनी जी ने प्रस्तुत किया, वह लागू होगा। मैं इतना कह सकता हूं, इसका सबको लाभ मिलेगा, देश मजबूत होगा और हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री भंसाली जी।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): माननीय उपाध्यक्षजी, श्री प्रभुलाल जी सैनी ने जो संकल्प, विधायिका पर चर्चा की, जो बात रखी है, उसका मैं बहुत स्वागत करता हूं ।

अब्राहम लिंकन ने कहा था, लोकतंत्र आम आदमी के लिए है, आज आदमी उसमें शरीक रहता है, उसके हितों की रक्षा की जाती है और महात्मा गांधी जी ने तीन बंदर, बुरा न बोलो, बुरा न सुनो और बुरा न देखो, मैं इसमें एक और कहना चाहता हूं कि बुरा न सुनो। सुनो इसलिए कि आजकल सुनने के लिए ही हम यहां आते हैं।

मैं पहली बार इस विधान सभा में आया हूं। ला यूनिवर्सिटी जोधपुर में अभी एक सेमिनार हुआ था जिसमें डा. मिश्रा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने जो

(श्री कैलाश चन्द भंसाली)

एक बात कही थी, वह मुझे बड़ी चुभी। उन्होंने कहा कि राजस्थान विधान सभा में चौदह एक्ट आधा घंटे में बिना चर्चा के पास हो गये। उनको बड़ी हैरत हुई। उन्होंने कहा, यहां कोई विधायक नहीं है क्या? मेरे पास लेखराज जी मेहता सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट थे, उन्होंने कहा, कैलाश भंसाली हैं। उन्होंने कहा, आप बताइये । मैंने कहा कि मैं तो विधान सभा में जाने के बाद यह नहीं समझ पाया कि मुझे क्या-क्या कार्य करने हैं, कौन-कौन से अधिकार हैं, किन-किन बातों पर मैं बोल सकता हूं, किस तरह से बोल सकता हूं। कैसे 131 होता है, कैसे 50 होता है। यह मैंने एक साल के बाद सब चीजें सीखी हैं । तो उन्होंने कहा, आपको कोई ट्रेनिंग की किताब नहीं दी जाती है? मैंने कहा, मुझे तो नहीं मिली। फिर उसके बाद में विधायी पुस्तिका आने लगी। मुझे बड़ा आनंद आया। मैंने अध्यक्ष जी को लिखा भी था कि इस तरह की ट्रेनिंग के लिए हमारा कोई कोर्स कीजिए। तो बहुत अच्छा लगा।

नये विधायकों को बोलने का अवसर ही नहीं मिलता। हमारा नाम हमेशा सबसे नीचे लिखा जाता है। वे सब बुजुर्ग लोग जो बहुत अनुभवी हैं, हम चाहते हैं, 4-5 लोग वे बोलें, उसके बाद में नये लोगों को बात करने का अवसर दिया जाना चाहिये। मेरा यह मानना है। क्योंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, चाहे उद्योग है, चाहे अन्य समस्याएं हैं, उसमें ज्यादा बात करें, वित्त विधेयक में मैं बोल सकता हूं, परन्तु मुझे अवसर ही नहीं मिलता। मेरा नाम आता है तब तक अध्यक्ष जी कहते हैं, समय समाप्त। अब आप आगे चलिये।

इसी तरह से जोधपुर की समस्या। अभी प्रताप सिंह जी खाचरियावास ने कहा था कि एक छोटा सा काम हैंडपम्प लगाने के लिये मोहताज रहते हैं उस जे ईएन के। मैं तो यह नहीं कह रहा हूं, मैं तो यह कह रहा हूं, जोधपुर की एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में मैंने दो-तीन बार हाउस में बोला भी है, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा है यह वाजिब बात है, हमारे यहां एकान्तर पानी की सप्लाई है और इतना भूजल भूमि से आ रहा है जिसको वेस्ट नाले में बहा रहे हैं परन्तु आम आदमी को, उपभोक्ता को नहीं दे रहे हैं। मैंने इसके लिए सब तरह के प्रयास किये। एस ई इस बात को मानता ही नहीं है; वह कहता है, पानी की फिजूलखर्ची बहुत हो रही है; सारे राजस्थान में सबसे ज्यादा पानी पर-कैपिटा यहां मिल रहा है, 147 लीटर, जबकि राजस्थान में कहीं नहीं मिल रहा है। मेरा दुर्भाग्य है, यह ऐसी कांस्टिट्यूएंसी में ऐसे लोग लगे हुए हैं जो इस तरह की बेतुकी बात करते हैं। दिवाली के दिन 3 दिन पानी नहीं आया।

(श्री कैलाश चन्द भंसाली)

आम आदमी सड़कों पर आ गया। उन्होंने कहा, हमारे पास पानी तो है परन्तु बिजली नहीं है। हम पानी की सप्लाई नहीं कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): नहीं, साहब, 3 बातें और कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: आपका आभार होगा। आप जल्दी से, अच्छी तरह से बोल रहे हैं...

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): मैं जल्दी करूंगा। अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के पीछे अंतिम बात को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं।

इसी तरह से, हेरिटेज हमारा जो है उसके संरक्षण के लिये हम काम ही नहीं कर रहे हैं, केवल मात्र बात कर रहे हैं। हमारे यहां सफारी पार्क का उद्घाटन किये मुख्य मंत्रीजी को 3 साल हो गये हैं और 126 करोड़ की योजना है, अभी तक उसमें मैप नहीं बना है। इसी तरह से पावर का विकेन्द्रीकरण जरूरी है। सब एक जगह हो रहा है। मुझे मालूम नहीं, पूर्व में मैं था नहीं।

अभी यूजर्स चार्जेज के बारे में सब लोगों की राय थी कि हटना चाहिये, परन्तु जिस दिन मुख्य मंत्रीजी ने यहां से घोषणा की, उसके बाद में सब लोगों की बात की, अदरवाइज नहीं की।

मुझे अवसर दिया, उसके लिये धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: बहुत-बहुत धन्यवाद। श्रीमती किरण माहेश्वरी। थोड़ा, क्योंकि यह प्रस्ताव ही ऐसा है कि अनावश्यक चर्चा नहीं करें, सीधा पाइंटेड बात करें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने समय दिया, उसके लिये धन्यवाद।

माननीय सदस्य, श्री प्रभुलाल जी सैनी द्वारा जो निजी संकल्प रखा गया है, मैं उसका समर्थन करती हूं और कुछ ऐसी विशेष बात सदन के सामने रखना चाहूंगी जो मैं सोचती हूं कि वास्तव में इस संकल्प को और मजबूती देगी।

जिस तरीके से विधायिका के सन्दर्भ में जब हम बातचीत करते हैं तो यह बहुत जरूरी है कि कुछ जानकारी हम लें कि वास्तव में विधायिका के अन्दर कुछ संशोधन, कुछ इस तरीके के काम, जिससे कि आये हुए, सदन में जो सदस्य चुनकर आये हैं, वे यह महसूस करें कि वास्तव में हमारा सदन में

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

चुनकर आना जनता के हित में रहा। क्योंकि मैं सोचती हूं कि जब हम जनता से वोट लेने जाते हैं तो उस समय हम जनता को बहुत सारे वायदे भी करते हैं और इस बात को सुनिश्चित करते हैं कि हम अपने धर्म को बहुत अच्छे तरीके से निभायेंगे, जनता की आवाज बनकर विधान सभा तक जनता की बात को पहुंचायेंगे। जब हम यहां आते हैं तो हम ऐसा महसूस करते हैं, अपने आप में बहुत ही लाचार से यहां पर हैं। हम विभिन्न मुद्दों के ऊपर, चाहे वह बजट के अन्दर हो, चाहे कटौती प्रस्ताव के माध्यम से हो, चाहे हम लोग अपने सवालों के माध्यम से जवाब लेते हैं, यह जितने भी तरीके से हम लोग अपनी बात को यहां पर कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो जवाब हम लोगों को मिलते हैं, कई बार तो मंत्री महोदय की तरफ से जवाब मिलते ही नहीं; कई बार जो जवाब मिलते हैं वे भी शुद्ध नहीं होते हैं। उसके लिये भी जब हम लोग प्रिविलेज, विशेषाधिकार कमेटी में जाते हैं, उसमें भी हमारे जो मैटर्स हैं वे पेंडिंग पड़े रहते हैं।

एक उदाहरण आपको देना चाहती हूं। हमने यहां पर एक सवाल लगाया था, अवैध खनन जो हो रहा था उस सन्दर्भ में हमने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन लगाया था कि इसमें अवैध खनन हो रहा है क्या ? मुझे सदन में यहां रिप्लाई मिला, नहीं हो रहा है और पी ए सी कमेटी में वही चीज आयी तो उसमें एडमिट किया अधिकारी ने कि यहां पर अवैध खनन हो रहा है। यानी, ये दोनों ही जवाब, अधिकारी के माध्यम से यहां पर विधायक को जब गलत जवाब दिये जाते हैं और वह सारी बात लेकर जब हम विशेषाधिकार समिति में जाते हैं तो वह मैटर एक-एक, दो-दो साल तक पेंडिंग पड़े हैं, कोई उस पर रिप्लाई नहीं आता।

तो मैं यह सोचती हूं कि हम लोग एक तरफ विधायिका और एक तरफ कार्यपालिका को अगर लें तो कार्यपालिका की यह ड्यूटी होगी कि वह इन सारी चीजों को एग्जीक्यूट करे, लेकिन इतना ढीलमढाल रहता है कि कोई उनके ऊपर शिकंजा नहीं रहता।

आज हम जब यह सब प्रोसीजर्स की बात करते हैं तो इसमें कहीं न कहीं विधायक, जो चुना हुआ जन-प्रतिनिधि है, वह अपने आपको ठगा हुआ सा महसूस करता है कि वह यहां पर अपनी जो बात कहता है, कोई श्योर नहीं है

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

कि उसकी बात का सही जवाब उसे मिलेगा। केवल हो-हल्ले में बात उड़ा दी जाती है। ऐसी-ऐसी चीजें हैं जहां पर हम लोगों को महसूस होता है कि क्षेत्र के अन्दर जनता के बीच में जो इम्प्रेशन जा रहा है, वह इम्प्रेशन यह जा रहा है कि सरकार के इस काम से जनता बहुत अफेक्टेड हुई है, कहीं पर ऐसी बात आ गयी है जहां सरकार को करोड़ों-करोड़ों रुपये का चूना लगा है। उस बात की वह अपेक्षा करता है कि सदन में जाकर आप ध्यान आकर्षित करवाइये। लेकिन जब हम यहां बोलने की चेष्टा करते हैं तो रोक दिया जाता है, कह दिया जाता है कि आप इस पर नहीं बोलेंगे।

पर्ची एक ऐसा सिस्टम है, जो यहां पर एक व्यवस्था थी, जिसमें 4 पर्चियां रोजाना, विधायक अपने-अपने क्षेत्र के अन्दर या अपनी कोई भी बात जो सदन में रखना चाहते हैं, वह पर्ची के माध्यम से लिखें। अगर लाटरी में निकलेंगी तो उसे बोलने का अधिकार होगा। लेकिन स्थितियां यहां पर यह होती हैं कि लाटरी, जो 20 जनों में से भाग्य से उसकी निकलती है और वह उसकी तैयारी करता है कि सदन में मुझे आज यह बात रखनी है, तुरन्त यहां सदन में कह दिया जाता है कि आप बात को नहीं रख सकते। यानी, यह कितना बड़ा अधिकारों का हनन होगा कि आप ही उसको बनाते हैं और आप उसकी पालना नहीं कराते हैं। तो यह जो सारी स्थितियां आती हैं, इस पर हमें विचार करना होगा।

तीसरा, मैं एक चीज की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि इसी सदन ने पावर्स दिये हैं विधायकों को, अपने एम एल ए फण्ड के माध्यम से विधायक मद एक बनाया, कि आप अपने क्षेत्र में विकास के कार्य इस मद के माध्यम से कराइये। आपको लगता है कहीं पर कि यह कार्य जरूरी हैं तो आप उस मद का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन स्थिति यह है, माननीय उपाध्यक्ष जी, सरकार का एक आर्डर अलग से निकलता है; विधायक मद में आप हमें देते हैं, अब आपने बढ़ाकर 2 करोड़ रुपया कर दिया कि आप 2 करोड़ के 1 वर्ष के अन्दर विकास मद से जो चाहें वह काम कराएं। हम अपने क्षेत्र में जाते हैं, जनता की आवाज होती है कि सामुदायिक भवन हमें स्वीकृत करें, हम सामुदायिक भवन स्वीकृत करते हैं लेकिन होता यह है कि सरकार एक अलग से आर्डर निकालती है, कार्यपालिका के वहां से एक आदेश आता है जो कलक्टर को मिलता है और सी ई ओ जिला परिषद् को मिलता है, उस आदेश में लिखा होता है कि सामुदायिक भवन एक पंचायत में एक ही हो

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

सकता है और सामुदायिक भवन की परिभाषा में आता है, पंचायत का भवन भी आ जाता है, जी एस एस का भवन भी आ जाता है। इन सारी चीजों को सामुदायिक भवन की परिभाषा में ले लिया। अब, माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि एक तरफ आप हमें पावर्स देते हैं कि यह 2 करोड़ रुपये आप खर्च करिये जनता के हित के लिए। अब वह जनता का हित एक पंचायत में एक सामुदायिक भवन से नहीं होता। उस पंचायत के अन्दर 5 अलग-अलग विलेजेज हैं, रेवेन्यू विलेज भी हैं, लेकिन वह आ जाता है। क्योंकि एक पंचायत में एक ही सामुदायिक भवन बनेगा तो अन्य जो 5 गांव हैं, या और कोई रेवेन्यू विलेज हैं, वहां हम सामुदायिक भवन नहीं बना सकते।

तो यह किस तरीके का, यानी कैसे यह रोकटोक होती है? या तो ऐसे जो सारे नियम बनते हैं, विधायिका के अन्दर पूरे पावर्स को जब आप यहां पर विधायिका के सीज कर लेते हैं और उसमें यह कर देते हैं कि आप यह खर्च नहीं कर सकते, आप इस पर खर्च नहीं कर सकते हो, जबकि ऐसा कहीं पर भी, संसद में नहीं होता। लेकिन हमने अपने यहां पर रोजाना नये-नये नियम बनाकर और विधायक मद को इसमें खर्च करिये। इसमें मत खर्च करिये। अगर आप एक ट्यूबवेल देते हैं तो उस ट्यूबवेल के लिये कनेक्शन का भी पैसा दीजिये, ट्यूबवैल के लिये सारी चीजों का और दीजिये। एक ट्यूबवैल को अगर मुझे करना है तो वह मात्र 80 हजार में, 1 लाख में हो जायेगा, लेकिन उसके ऊपर लाइट का मुझे कनेक्शन देना है, तार अगर मुझे खिंचाने हैं तो तीन, साढ़े तीन लाख रुपये मेरे और लगेंगे। यानी, वह किस तरीके से जो सारे राइडर्स डाले हुए हैं, इससे मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इन सारी चीजों को ठीक करने की जरूरत है।

एक पाजीटिव एटिट्यूड से, क्योंकि हम सब रिजल्ट-ओरियंटेड बनना चाहते हैं, हम यह बताना चाहते हैं कि 5 साल जो हमें मिले हैं एज ए विधायक, हम अपने क्षेत्र को जस्टिफाई कर सकें, हम उन्हें काम करके दिखा सकें, लेकिन इतने सारे राइडर्स आते हैं। किसी को चिन्ता नहीं होती है। किसी तरीके की कोई ऐसी कमेटी नहीं होती है जो समीक्षा करे कि विधायक मद का जो पैसा उन्होंने सैंक्शन किया है, वह वास्तव में लग पा रहा है, नहीं लग पा रहा है। पट्टे नहीं मिल रहे हैं। राजनैतिक द्वेषता की वजह से सरपंच अगर

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

कोई और पार्टी का है, विधायक कोई और पार्टी का है, तो विधायक का पैसा वहां न लगे पंचायत में, सरपंच अपना इगो बना लेता है कि वह पैसा वहां नहीं लगे।

यह जो सारा सिस्टम है, उस सिस्टम में हम कैसे सुधार कर सकें, निश्चित रूप से हमें वह सुधार करना चाहिए।

आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री अर्जुन लाल। आप बोलना चाहते हो, अर्जुन लाल जी?

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): उपाध्यक्ष महोदय, आज यह संकल्प लिया जा रहा है। इसमें विधायक कोष पर ऐसे राइडर लगा रखे हैं, जैसे बिजली की कोई लाइन आबादी क्षेत्र के ऊपर से...।

श्री उपाध्यक्ष: अर्जुन लाल जी, एक मिनट। मेरा अनुरोध है कि 6 संकल्प हैं। अब 1 ही संकल्प पर 8-8, 10-10 बोलेंगे। जो सदस्य एक संकल्प पर बोल जायेगा, अगर सभी सदस्यों की राय हो, तो दूसरे संकल्प पर नहीं बोले, ऐसी व्यवस्था कर दी जाये?

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): अलग-अलग राय होगी ना उसमें तो।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): अलग-अलग राय होगी।

श्री उपाध्यक्ष: फिर एक ही राय का क्या फायदा उसमें? ये फिर लेप्स हो जायेंगे।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): हम तो सिर्फ सजेशन देंगे, उसमें कोई डिबेट या भूमिका नहीं बनायेंगे।

एक तो विधायक कोष के अन्दर, आबादी क्षेत्र के ऊपर से बिजली के लाइनें गुजर रही हैं, उनके ट्रांसफर के लिए यदि हम विधायक कोष से पैसा देना चाहते हैं ...

श्री उपाध्यक्ष: पढ़ा आपने यह? आपका सब्जेक्ट ही चूक रहे हो आप। सब्जेक्ट ही दूसरा है।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): कौनसा? मेरा तो यही था।

श्री उपाध्यक्ष: पढ़कर बोलो आप।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): एक तो उस पर लगा हुआ राइडर हटाया जाये।

(श्री अर्जुन लाल)

दूसरा, यह जो एक से अधिक सामुदायिक सभा भवन हैं, उन पर राइडर लगा रखा है सरकार ने, उसको हटाया जावे।

तीसरा, अगर हम कोई पानी की लाइन स्वीकृत करवाते हैं, जहां पर पानी नहीं पहुंच रहा है, तो उसके अन्दर भी कलक्टर ने अलग से राइडर लगा दिया, अपनी मर्जी से; कोई सरकार की तरफ से नहीं है। सार्वजनिक रास्ते के अन्दर से लाइन गुजरती है और वह रास्ता होते हुए, वहां पर पाइपलाइन बिछायी जाये। ऐसे राइडर जो लगा रखे हैं विधायक कोष के अन्दर, उनको मुख्य मंत्रीजी हटाने के लिए कोई न कोई अलग से निर्देश जारी करायें। जो विधायक कोष से पैसा लगना चाहिए, उसमें किसी भी प्रकार का प्रशासन की तरफ से राइडर नहीं लगे। यह जरूर देखें कि वह पैसा सार्वजनिक रूप से काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन अपनी तरफ से, कभी रास्तों के लिए, कभी कालोनियों के लिए, यह उन्होंने एक तरह से गलत राइडर लगा रखे हैं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। श्री केसाराम जी। हां, आप बोलिये, कोई बात नहीं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अपना तो लास्ट है।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में माननीय प्रभुलाल जी सैनी ने जो संकल्प रखा है, विधायिका द्वारा जन हित के विषयों पर सार्थक बहस हो और उस पर निर्णायक विषय निकले।

उपाध्यक्ष महोदय, जो भी सदन में चर्चा होती है, उसमें सत्ता पक्ष केवल यह देखता है कि इस विषय पर जो चर्चा हुई है, उसमें जो बारीकियां हैं या उसमें जो कमियां हैं, इनको कैसे छुपाया जाये, और उन विषयों में जो सार्थकता होती है, जो कमियां होती हैं, उनको विपक्ष रखने की चेष्टा करता है। इस सदन में कोई भी चर्चा हुई कि किसी चीज पर रोक लगी हुई है सरकार की रोक लगी हुई है और उसके बावजूद भी वहां काम हो रहा है। तो हमारे यहां जो चर्चा होती है सदन में, उसमें ही यह होना चाहिए कि इसमें वास्तविकता क्या है? जो भी बहस होती है, उसमें से निर्णय निकलकर आना चाहिए कि क्षेत्र में जो गलत काम हो रहा है, उसको यह सदन रोक रहा है। उस पर यहां से ही तुरन्त प्रभाव से निर्णय होना चाहिए कि इस चीज का निर्णय करके, आज ही जो गलत कार्य हो रहा है, उस पर रोक लगायी जाये।

(श्री केसाराम चौधरी)

उपाध्यक्ष महोदय, सदन में नये सदस्य आते हैं और वे नये सदस्य अपने-अपने क्षेत्र की बात लाकर के यहां पर सार्थक बहस करना चाहते हैं, मगर उस बहस को सुना भी नहीं जाता।

इसलिए यह जो विषय आया है, इस विषय का मैं पुरजोर समर्थन करता हूं। इन्होंने जो विषय रखा है, जो भी इस सदन में बहस हो, वह निर्णायक होनी चाहिए और निष्कर्ष पर पहुंचने वाली होनी चाहिए ताकि क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, जो सदन में उठती हैं, जो भी विषय है, कानून जो बनता है, उसकी पूर्ण जानकारी हरेक विषय की यहां पर हो। जो भी निर्णय करें, उसमें सत्ता पक्ष को चाहिए कि जो विषय आया है, उसमें खुलकर के जो कमियां हैं उनकी इस सदन में सार्थक बहस होनी चाहिए, ना कि सत्ता पक्ष केवल उसको छुपाने की चेष्टा करे और विपक्ष उसको उजागर करने की चेष्टा करे। वह केवल बहस होकर के रह जाये, यह ना होकर के उस पर निर्णय होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो विषय लाये हैं प्रभुलाल जी सैनी, वास्तव में यह बहुत ही अच्छा विषय है। इस विषय पर मंथन हो। यह सदन की उपयोगिता के नाम पर केवल महीने भर चलाते हैं। क्यों नहीं इस सदन को दो-दो महीने चलाकर के, पूरे क्षेत्र के एक-एक विषय पर, हर मांग पर दो-दो दिन, तीन-तीन दिन बहस हो? और उसमें जो भी कमियां हैं, उनको ढूंढकर के उस पर सार्थक बहस होनी चाहिए, उस पर कम्प्लीट निर्णय निकले कि यह काम गलत हो रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, आज प्रश्न आया था, पंचायतों का आज प्रश्न आया था कि सभी पंचायतों को बस सेवा से जोड़ना है। सत्ता पक्ष ने घोषणा कर दी और विपक्ष कह रहा है कि नहीं चल रही हैं। वास्तव में चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, आपने जो घोषणा की वास्तव में उसकी पालना हुई कि नहीं हुई अगर कोई भी सदन में घोषणा होती है और वह घोषणा सार्थक रूप से लागू नहीं होती, तो हमारी यहां की हुई बहस किसी काम की नहीं है। उसमें सार्थकता होनी चाहिए और वास्तव में उसका निर्णय निकलना चाहिए ताकि जनता यह अपेक्षा करे कि जो विषय विधान सभा में उठा है, उस विषय के अन्दर निश्चित रूप से कोई न कोई आज निर्णय होने वाला है। चाहे वन विभाग की हो, चाहे किसी भी महकमे की कोई चर्चा हो, उसमें जनता को यह विश्वास होना चाहिए कि आज इस विषय पर सदन में चर्चा हो रही है और इस पर निश्चित रूप से कोई न कोई निर्णय निकलेगा।

(श्री केसाराम चौधरी)

आज लोग सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। विद्यार्थी मित्र, वन मित्र, आप नई-नई घोषणाएं कर दो और उनकी पालना नहीं होती है। इसी कारण से आज लोग सड़कों पर हैं। आज हम घोषणाएं करके, यहां सदन में, उसकी पालना के लिए पाबंद नहीं करते। उसी का परिणाम है कि आज आंदोलन हो रहे हैं, आज लोग सड़कों पर बैठे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: विराजें, माननीय सदस्य। मैं सम्माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि संकल्प को पढ़कर के बोलें। पिछले टाइम पर जब यह नान आफिशियल डे था, तो यह तय हुआ था कि किसी पार्टी का नाम नहीं लेंगे और नहीं लिया था। तो आसन से उस बात की बहुत प्रशंसा हुई थी कि सदन ने पार्टी विशेष से ऊपर उठकर चर्चा की। यह पक्ष यह करता है, सत्ता आज है, कल नहीं है, कल है, परसों नहीं है। हमें तो सजेशंस दीजिये, आज का दिन तो सदन को, कम से कम राजस्थान की जनता को, बिना पार्टी के समर्पित करिये। इसको पढ़कर के करिये।

माननीय श्री अमराराम जी।

मेरा अनुरोध है कि जो एक दफा बोल लेगा, आसन की राय है, सदन की भावनारूप, कि वह दुबारा नहीं बोले। (व्यवधान) आप विराजें, आपको मौका मिल गया। यह मेरा अनुरोध है। माननीय अमराराम जी। इनके बाद। पार्टी की बात करेगा तो उसको अनुरोध किया जायेगा। विराजिये।

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू): आज तो सीखो। आज तो अच्छी बात की 'हां' करो आप। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक प्रभुलाल जी सैनी ने संकल्प प्रस्तुत किया है, विधायिका के जन हित के विषयों पर निरर्थक आलोचना और निरर्थक तारीफ करने से, तय रूप से जनतंत्र में विधायिका सर्वोपरि है, जिस जनतंत्र के लिए कहा गया कि जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता को समर्पित है। लेकिन आज 64-65 साल की आजादी के बाद, 1952 से ही इलेक्शन हो रहे हैं, क्या उस परिभाषा को हम कार्यरूप दे पाये हैं? क्या जनता के द्वारा, जनता के लिए, यह अगर होता तो आज यह हालत राजस्थान की और देश की नहीं होती। जिस चुनाव के माध्यम से हम 200 सदस्य यहां चुनकर के आते हैं, आज वह विधायिका धनपतियों के लिए, उनके लिए, उनके द्वारा, सब कुछ उनके लिए हो रहा है।

(श्री अमराराम)

(13.00 बजे)

आज चाहे वह जमीन का सवाल हो, हर जगह आज हम 65 साल के बाद भी, 1894 में अंग्रेजों ने भूमि अधिग्रहण कानून बनाया जो केवल उद्योगपतियों की सुविधा के लिए बनाया था, उसको हम आज तक चेंज नहीं कर पाये हैं। इन 65 सालों में अमीर और गरीब की खाई जो कम होनी चाहिए थी, वह लगातार बढ़ती जा रही है। अब तो उदारीकरण और निजीकरण की नीतियों पर सरकार जो चल रही है, उनका नतीजा है, हर तरफ भयंकर बेरोजगारी का अम्बार है, अमीर और गरीब की खाई और तेजी के साथ बढ़ रही है।

केवल हम स्तुति करते रहे कि यह बजट आया है वैसा आज तक नहीं आया, चाहे इसी सरकार ने पहले सरकार चलाई हो। लेकिन हम देख रहे हैं, इसी सदन में कल सिविल लाइन्स से आने वाले माननीय सदस्य ने सही कहा, हम केवल नेताओं को खुश रखने के लिए ही बात करें, जिस जनता ने हमें चुनकर भेजा है...

श्री उपाध्यक्ष: निरर्थक आलोचना और तारीफ के बजाय।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): तारीफ ही हो रही है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: इसके अलावा, इससे हटकर बोलिये आप।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): हो रही है। आज क्या-क्या नहीं कहा जा रहा, अशोक महान्...!

श्री उपाध्यक्ष: बोलिये, आपका अधिकार है। आपसे अनुरोध है, स्वीकार कर सकें तो अच्छा होगा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): निश्चित रूप से जनता के लिए, इस पूरे बजट सत्र में बीस दिन, एक महीने चलता है, जो आम अवाम है वह विधान सभा में सदस्यों के पास शायद कम आती है और जो नौकरी-पेशा लोग हैं वे सबसे ज्यादा आते हैं। मैंने तो इन 20 साल में यह देखा है कि गांव का वह गरीब, गांव का वह किसान, गांव का मजदूरी करने वाला मजदूर, अपने हकों के लिए बहुत कम आ पाता है और वे लोग जिनका इस सरकार के खजाने में सबसे ज्यादा हिस्सा है, आज जनता के लिए होता तो मैं समझता हूं कि देश के, प्रदेश के अधिकारी, कर्मचारी, विधायिका के सदस्य, उनकी पेंशन है, लेकिन

(श्री अमराराम)

उस गरीब की जो हमको चुनकर भेजता है, उसके लिए पेंशन का प्रोविजन, कानून आज तक हम नहीं बना पाये।

इसलिए आज जो जनता के लिए, जनता के द्वारा, जो जनतंत्र था, जिस विधायिका का काम था, वह आज तक नहीं कर पाये हैं। वह जनता जो वाकई में पीड़ित है, उसकी आवाज, जो हमको चुनकर भेजती है, उनके लिए निश्चित रूप से आवाज उठायेंगे तो मैं समझता हूं कि जिस भावना के साथ जनतंत्र को अंगीकार किया गया था, वह भावना फलीभूत तब ही होगी जब हम अमीर और गरीब की खाई, जो अंतर है, उसको कम करने का काम कर पायेंगे। वरना तो मैं समझता हूं कि नियम और कायदे से लगातार इनका गैप हम आगे से आगे बढ़ाते जा रहे हैं।

मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, श्री वासुदेव देवनानी। (व्यवधान) देवनानीजी, एक मिनट आप विराजिये।

माननीय सदस्य, आपने संकल्प ध्यान से पढ़े होंगे। इसमें यह भी आ रहा है, यह आगे आयेगा, नारी की महत्ता, नारीत्व का गौरव, महिलाओं की मातृशक्ति, एक यह है; उसके बाद आयेगा, पशुधन तस्करी वाला; उसके बाद आयेगा, राजस्थान को विशेष दर्जा दिलाने के लिए, ओम बिरलाजी का; उसके बाद आयेगा, यमुना नदी के पानी वाला। इस एक में ही समय अगर कर देंगे अपन, क्योंकि आज वह आगे भी अपने को दूसरे विनियोग संख्या 2 भी आयेगा, आपके वित्त विधेयक, 2013 भी आयेगा, जल्दी ही इसको समाप्त करना पड़ेगा।

इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस पर सब बोलें। एक-दो संकल्प पर बात करेंगे। (व्यवधान) हुआ, तो बाद में बुलवा देंगे, जब रखा जायेगा तो। आप कहेंगे तो बुलवा देंगे। सब इसी पर बोल लेंगे तो एक ही आयेगा।

माननीय वासुदेवजी देवनानी। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सैनीजी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, मैं इसका समर्थन करता हूं।

आज विधायिका पर धीरे-धीरे विश्वास कम होता जा रहा है और साथ में विधायक की भी विधायिका में रुचि कम होती जा रही है। अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे कि आखिर न्यायालय क्यों हस्तक्षेप करता है?

(श्री वासुदेव देवनानी)

और बाकी हम सब लोग जन हित, समाज हित, राष्ट्र हित की बात से ऊंचे नहीं उठ पाते हैं। तो इसके कहीं न कहीं कारणों में जाना पड़ेगा कि आज विधायक की रुचि यहां कम क्यों हुई है।

जब मैं पहली बार विधायक बनकर आया, मेरे मन में था कि यहां पर किसी न किसी विधेयक की चर्चा होती होगी, कहीं बात होती होगी, बहस होती होगी, उसमें कोई संशोधन आते होंगे, उसको स्वीकार करके उस आधार पर कानून बनता होगा, लेकिन यहां पर जिस प्रकार से विधेयकों को पारित किया जाता है उसको देखकर तो मन में बड़ी पीड़ा होती है। पहले से ही कुछ हमारे अफसर तैयार करके लाते हैं और जो भी सत्ता पक्ष रहता है, वह उसे किसी न किसी रूप में पारित करवा देता है।

वास्तव में विधायिका के जो तीन पक्ष हैं, सत्ता पक्ष, विपक्ष और आसन, तीनों की भूमिका रहती है। हर विधायिका की कार्यप्रणाली होती है कि सदन का कार्य सुचारु रूप से चले, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि इसमें कहीं न कहीं सुधार करने की आवश्यकता है। सत्ता पक्ष में भी, कई बार जो आसन पर बैठते हैं, जब वे सामने विधायक के रूप में अपना काम करते हैं, उस समय उनकी सोच अलग रहती है और जब वे कार्यवाही चलाने के लिए आसन पर बैठ जाते हैं तो उनके बारे में वह कुछ अपना दृष्टिकोण बदल देते हैं। तो वास्तव में जो होना चाहिए, वह खुली बहस करायें और बहस कराकर, उस पर सही या गलत, उस आधार पर निर्णय करें और विपक्ष भी यदि कोई सही बात कहता है तो सत्ता पक्ष उसको स्वीकार करे और सत्ता पक्ष कोई बात कहता है तो जो सही बात है, उसको विपक्ष भी स्वीकार करे। लेकिन लगता है कि आज विधायिका का सही रोल नहीं होने के कारण न्यायालय का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है। आज आम जन में यह बात फैलती जा रही है कि यदि न्यायालय नहीं हो तो शायद सही न्याय न हो।

मैं आपको केवल एक उदाहरण और प्रस्तुत करूंगा। आज हमने कमेटियां बनाई हुई हैं, उन कमेटियों में निर्णय होता है, लेकिन कमेटियों की बैठकों का क्या हाल है? उन बैठकों में केवल विधायक हस्ताक्षर करके चले जाते हैं। उसमें किसी प्रकार की बहस नहीं होती।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मान लो, किसी प्रकार, जैसे मैं आज प्रिविलेज कमेटी का मेम्बर हूं, प्रिविलेज कमेटी की पिछले दिनों बैठक हुई। एक हमारी विधान सभा की समिति का एक पुलिस आफिसर ने वहां पर

(श्री वासुदेव देवनानी)

अपमान किया। प्रिविलेज कमेटी में मामला आया, बहस हुई, बहस होने के बाद निर्णय हमारे अध्यक्ष महोदय तक पहुंचा। उम्मीद थी कि इस सदन के इस सत्र में वह आयेगा, लेकिन आज तक उसके निर्णय के बारे में कोई विचार के लिए यहां आया नहीं।

यह जो प्रिविलेज कमेटी और ऐसे कई सारे विषय हैं लेकिन उन पर चर्चा नहीं होती है, बहस नहीं होती है। तो आखिर इन कमेटियों के बनाने का उद्देश्य क्या है? कमेटियां सार्थक बनें, उनमें बहस हो ताकि हमारे यहां पर बहस होकर उसकी निचोड़ रिपोर्ट सदन के सामने आये और सदन उस पर विचार करे। तो मैं समझता हूं कि विधायिका की सार्थकता बढ़ेगी।

मैं केवल दो-तीन सुझाव दूंगा। एक, नये विधायकों का प्रशिक्षण अपने यहां पर निर्धारित हो, आवश्यक हो और साथ में, आसन पर जब कोई भी व्यक्ति बैठे तो वह सार्थक बहस की अनुमति दे। इन सारे कामों के लिए अध्यक्ष और आसन का सहयोग बहुत आवश्यक है और यह तब सम्भव होगा, जब सदन की बैठक जो मिनिमम 60 दिन थी, वह उससे भी अधिक हो और उनमें बहस हो। साथ में, आसन पर जब बैठें, मुझे कई बार पीड़ा होती है कि आसन देख रहा है कि इधर बहुमत है, डिविजन की मांग होती है लेकिन वह सत्ता पक्ष के अंग के रूप में कई बार वह नकार देता है। तो निश्चित रूप से सही बात को भी आगे नहीं कर पाता है। इसलिए दलगत दबाव से वह ऊंचा उठे। यहां तक कि कई बार तो देखा जाता है कि पक्ष और विपक्ष में स्लिपों का आदान-प्रदान होकर, सदन की कार्यवाही उसके अनुसार चलानी पड़ती है।

कम से कम इस प्रकार की मिलीभगत से ऊंचा उठकर यदि हम निर्णय करेंगे तो जो माननीय सदस्य, सैनीजी का जो संकल्प है, वह सही रूप में लागू हो पायेगा। ऐसा मेरा निवेदन है।

चूंकि समय कम है, फिर भी आपने समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: जनता ने पास किया, तभी तो सदन में आये। क्या ट्रेनिंग लेंगे? आप चाहेंगे तो इसका इन्तजाम आइन्दा जो होगा, देखा जायेगा।

माननीय राव साहब।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि मानव की व्यथा और वेदना के...

श्री उपाध्यक्ष: आप कितना संक्षेप और कितना सार-गर्भित, वैसे भी आप सार-गर्भित ही बोलते हैं।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): बिलकुल।

मानव जीवन की व्यथा और वेदना के संहार के लिए, अगर कोई संवैधानिक मर्यादा से परिपूर्ण चरित्र का निर्माण होता है तो वह विधायिका के रूप में होता है, जिसे राज्य में विधान सभा कहते हैं और केन्द्र में उसको संसद के रूप में जाना जाता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप खुद अधिवक्ता के स्वरूप का ज्ञान रखते हैं, क्या कभी इस विधायिका ने इस बात पर गौर किया कि न्यायपालिका ने ऐसे कितने कानून पास कर दिये जिससे अपने अधिकारों पर पूरा का पूरा अतिक्रमण हुआ है? मैं आज आपको याद दिलाना चाहता हूं कि इस सदन ने और इस विधान सभा ने, केशवानन्द भारती के केस के उपरान्त, 1973 के केस के उपरान्त, संसद और विधान सभा को यह अधिकार था कि कानून बनाने और बने हुए कानून को संशोधित करने का अधिकार, यदि यह अधिकार किसी को दिया गया तो संसद को है या विधायिका को है। एक बेसिक थ्योरी कंसेप्ट वे लेकर आयें और बेसिक थ्योरी कंसेप्ट के नाते, 1973 में बेसिक थ्योरी के कंसेप्ट के साथ में, अमेंडमेंट के साथ में, उन्होंने उसको प्रस्तुत कर दिया कि अगर कोई भी अमेंडमेंट आयेगा, इस बेसिक थ्योरी कंसेप्ट के अनुकूल नहीं आयेगा तो वह अमेंडमेंट मान्य नहीं होगा।

कभी आज तक इस विधायिका के अन्दर, या संसद में बैठ कर इस बात पर विचार हुआ है क्या कि कानून बनाने का सर्वाधिकार इस संविधान ने हमको दिया, क्या हमने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस बात पर विचार किया कि किस प्रकार हमारे इस अधिकार पर अतिक्रमण हो गया? हम सड़क के अतिक्रमण की बात करते हैं, कालोनी के अतिक्रमण की बात करते हैं, बिल्डिंगों के अतिक्रमण की बात करते हैं, यहां पूरे के पूरे संविधान पर अतिक्रमण हो रहा है। लेकिन उस पर आप और हम इसलिए बात नहीं करना चाहते क्योंकि हमको मर्यादा में रहने की बात कही जाती है कि हमको अपनी मर्यादा में रहना है। हम यह भी अपेक्षा करते हैं कि विधायिका अगर अपनी मर्यादा में रहे तो विधायिका के अलावा जो सरकार के दो अंग हैं, वे भी मर्यादित रहते हुए, इस मर्यादा के साथ जो उनका चरित्र लगा हुआ है, उसकी अनुपालना करें और उसका अनुसरण करें।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधान सभा का और

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

संसद का अगर सर्वाधिक कोई महत्वपूर्ण काम है तो बजट को पास करना और यह सुनिश्चित करना कि जिस चीज को हमने जिस कार्य के लिए किया है, उस कार्य का प्रतिपादन सही अर्थ में हो। आप मुझे बता दीजिए, 15 दिन में आप बजट पारित करवा सकते हैं क्या? मैं सुझाव देना चाहता हूं, हमारा प्रथम कर्तव्य यह है कि जनता की इस राशि का एक–एक पैसा उस जनता की व्यथा और वेदना के समाहार और परिहार के लिए सृजित किये हुए कार्यक्रम के उद्देश्य-पूर्ति के लिए खर्च होना चाहिए और उस खर्च का लेखा-जोखा, सत्यता की पराकाष्ठा पर परिपूर्ण चरित्र को प्रदान करता हुआ, इस सदन के पटल पर आना चाहिए। आखिर हम इस कार्य को सुचारु रूप से, सुकर रूप से प्रदान करते हैं या नहीं, यह हमारा सबसे महत्वपूर्ण विषय है।

मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं, यह मेरा सुझाव है कि अगर इस संकल्प को सार्थक बनाना है, जिस प्रकार से संसद में बजट पेश होने के उपरांत, अलग-अलग कमेटियों के पास उस बजट का स्वरूप जाता है और जिन-जिन मांगों के आधार पर वह कमेटियां बनी हुई हैं, उन कमेटियों के साथ में बैठकर एक महीने तक वहां के सदस्य चर्चा करते हैं और उसके उपरांत वह बजट वहां पेश होता है और बहस के दौरान एक निखर कर जो भी हमारा संकल्प होता है, हमारे विषय के जो भी सुझाव होते हैं, वे आते हैं। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उन विधायी कार्यों का उन लेजिस्लेटिव कमेटीज के अन्दर यह होता है। अगर इस प्रकार का हम संशोधन यहां कर दें, हमारे यहां कानून है इस बात का, तो यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज होगी।

आखिर में एक चीज निवेदन करता हुआ अपनी बात को समाप्त करता हूं। आदरणीय, आसन सर्वोपरि है, इस आसन से यह अपेक्षा की जाती है कि सदन में निष्पक्षता से कार्य प्रणाली को प्रायोजित करे, लेकिन एक एंटी-डिफेक्शन बिल ऐसा आया हुआ है कि दोनों जो व्हिप हैं न, मुख्य सचेतक और सचेतक, ये इसका सबसे ज्यादा दुरुपयोग करते हैं। एंटी-डिफेक्शन बिल सिर्फ इसलिए आया था कि सरकार को कटघरे में ख़ड़ा करने के लिए, कोई अपनी मान-मर्यादा का और चरित्र का हनन करते हुए अनैतिक कार्य कर दे और सरकार को कटघरे में खड़ा कर दे, इसलिए सचेतकों द्वारा सचेत करने का व्हिप आया था। यहां तो हर बिल पर व्हिप जारी होता है, हर बहस पर व्हिप जारी होता है।

श्री उपाध्यक्ष: आपकी राय क्या है? आपकी राय बताइए।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मेरा यह है कि सिर्फ सरकारी मनी बिल, जब वित्त सम्बन्धित बिल आएं और सरकार गिर सकती हो, उस वक्त तो व्हिप जारी हो लेकिन हर बिल पर, बहस पर व्हिप जारी हो जाए और उसको पास करना अनिवार्य हो जाए, यह प्रजातंत्र के वास्तविक मूल अधिकार और चरित्र पर कुठाराघात है।

इसीलिए विधायिका सिर्फ दलों की विधायिका बन कर रह गई है, आम आदमी की विधायिका बन कर नहीं रह गई है। कम से कम जिस नाम से आप और हम पुकारे जाते हैं, उस नाम के चरित्र को चरितार्थ करने की आवश्यकता है। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री उपाध्यक्ष: इस संकल्प के अंतिम वक्ता, माननीय हनुमानजी बेनीवाल।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): साहब, एक मिनट मुझे भी दें।

श्री उपाध्यक्ष: अगले वाले में बुलाएंगे।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय प्रभुलाल जी सैनी द्वारा- "यह सदन संकल्प करता है कि विधायिका जन हित के विषयों पर निरर्थक आलोचना या तारीफ के बजाय निर्णायक व निष्कर्षपरक बहस कर सार्थक भूमि का निर्वहन करें।"...

श्री उपाध्यक्ष: आजकल हनुमान जी बहुत गम्भीर और संक्षिप्त बात करते हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, हम पहली बार चुन कर राजस्थान की विधान सभा में आये हैं। आये तब ऐसा लगा था कि हम जो संविधान के तीन प्रमुख अंग हैं, देश की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका और हम असेम्बली के अन्दर जाएंगे, पर यहां आकर हमने जो हाल देखा, पहले बोलने के लिए नम्बर आएगा कि नहीं आएगा, यह सारा हमारा मुख्य सचेतक पर डिपेंड करता है। वह बोलने का मौका दे तो नम्बर आ जाए, नहीं तो, पूरा का पूरा सत्र बिना बोले ही निकल जाए। कई विधायक ऐसे होंगे जो पांच साल में बिना बोले अपने इलाके में चले गये और उनका नाम भी आधे से ज्यादा लोग नहीं जानते राजस्थान के।

उपाध्यक्ष महोदय, आज सबसे प्रमुख अंग होने के बावजूद, हमारी स्थिति यह है कि कोई सिरफिरा व्यक्ति अगर न्यायालय के अन्दर किसी

(श्री हनुमान बेनीवाल)

विधायक, सांसद या मंत्री के खिलाफ कोई इस्तगासा दायर करे और न्यायालय उसको बिना पढ़े थाने के अन्दर भेज दे और एस पी और डी जी यह कहें, चूंकि न्यायालय से आया है, इसलिए इस इस्तगासे को, एफ आई आर को दर्ज करना होगा, चाहे बाद में हम एफ आर दे दें। ऐसे मामले जो एक बार दर्ज हो जाते हैं, वे पूरे जीवन आदमी का पीछा नहीं छोड़ते, चाहे उसमें एफ आर लग जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह भी व्यवस्था चाहूंगा कि मान लो, 30-35 साल पुराना कोई मामला हो, उसको भी लोग आदमी के पीछे, ठीक है, कोई अगर बचपन में गलती आदमी से हो जाए, उसको लेकर 40-40 साल तक उसी आरोप को लगाते रहें।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इसके अन्दर सुझाव है कि इस सदन जिसकी 25-30 बैठकें साल के अन्दर होती हैं, इसको बढ़ा कर लोक सभा और राज्य सभा की तरह, कम से कम 80 और 90 दिन राजस्थान का सदन चले और प्रत्येक विभाग की मांग, जैसे इस बार चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, उसकी मांग को मुखबंद कर पारित कर दिया गया; इसी तरह, प्रत्येक विभाग की मांग को, चर्चा हो उस पर। नगरीय विकास एवं ग्रामीण विकास की महत्वपूर्ण मांग को भी बिना चर्चा के पारित कर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा कि पार्टी अपने घोषणा पत्र को लेकर जनता के बीच जाती है, और घोषणा पत्र की जब पूरी क्रियान्विति कोई पार्टी नहीं करती, तो घोषणा पत्र के आधार पर उस पार्टी पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए, ताकि फिर लोगों को भरमा कर, क्योंकि यह भी फ्राड ही है एक तरीके का कि जनता के बीच जाओ, घोषणाएं करो....

श्री उपाध्यक्ष: अब समाप्त करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): कि हम अगर सत्ता में आएं...

श्री उपाध्यक्ष: फिर आप कहोगे, एफ आर नहीं लगती। कृपया समाप्त करें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): इन-इन घोषणाओं को लागू कर देंगे। जनता को बरगला कर, वोट लेकर आप यहां पहुंच जाओ और उसके बाद अपने घोषणा पत्र को लागू नहीं करो।

दूसरा, उपाध्यक्ष महोदय, विधायकों की बात, विधायक प्रोटोकोल में सबसे बड़े हैं लेकिन यह 90 प्रतिशत विधायकों को पता नहीं। कलक्टर और

(श्री हनुमान बेनीवाल)

एस पी के बाहर पर्ची लेकर मिलते रहते हैं और ज्यादातर तो तनख्वाह लेकर वापस चले जाते हैं और आधों को तो हवामहल और मालवीय नगर के बीच में कौन-कौन से रास्ते पड़ते हैं, पता नहीं। पांच साल आये और आधे तो कल रोने लग गये। जब फोटो सेशन हुआ तो उन्होने सोचा कि आज ही हमारा कार्यकाल खतम हो गया। मैंने कहा, आज नहीं हुआ है, आज तो फोटो सेशन हुआ है। तो वे बोले, अपने वह 'बाई चाली सासरिये' वाला गीत गाते हैं न, बोले, वैसा हो गया, आज ही सब कुछ हो गया। अभी कम से कम आधे लोगों को यही पता नहीं। जानकारी होनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिए। आप अपने खुद के प्रति सम्मानजनक शब्द का प्रयोग करिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे को तो जब लगा कि मेरा मानसिक शोषण हो रहा है तो मैं तो पार्टी छोड़ कर बाहर आ गया। मैं लाइन के अन्दर बोल नहीं सकता, पता नहीं, चौथे नम्बर पर बोलूंगा या सातवें नम्बर पर बोलूंगा...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, एक मिनट, आपका नाम भाजपा विधायक दल में है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): वह तो मेरे को निष्कासित नहीं कर रहे हैं न। मैं तो तैयार बैठा हूं न, रोजाना, मेरे को निकाल ही नहीं रहे, पूरा; निलम्बित करके छोड़ दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ मेरे सुझाव और हैं। एक तो, उपाध्यक्ष महोदय, हम सवाल लगाते हैं, बड़ी मेहनत करके और लाटरी में निकल जाता है सवाल और उसके बाद भी तीन-चार सवाल तक ही चर्चा होती है सदन में, बाकी रह जाते हैं। तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि शून्य काल और प्रश्न काल कम से कम दो-दो घंटे चलें। यह हमारा सुझाव है और नये लोगों को ज्यादा अवसर मिले। सत्ता पक्ष अगर अच्छा काम करता है तो उसका धन्यवाद भी देना चाहिए, क्योंकि जब विधायकों की तनख्वाह बढ़ी, तब तो सारे के सारे तनख्वाह लेकर जाते हैं, कोई यह नहीं कहता कि गलत बढ़ा दिया। तो ऐसे मामलों में भी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर लोगों को अपने भाव और अपनी बात सदन के अन्दर रखनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: पवन जी दुग्गल, अनूपगढ़, बहुत संक्षेप में अपनी बात कहेंगे, अंतिम वक्ता के रूप में।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री प्रभुलाल जी सैनी, माननीय विधायक द्वारा रखा हुआ संकल्प "यह सदन संकल्प करता है कि विधायिका जन हित के विषयों पर निरर्थक आलोचना या तारीफ के बजाय निर्णायक व निष्कर्षपरक बहस कर सार्थक भूमिका का निर्वहन करेंगें'', बहस में अपना...

श्री उपाध्यक्ष: केवल सजेशन देंगे। भाषण नहीं, केवल सजेशन, यह करना चाहिए।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): आप बोलने दो, उपाध्यक्ष महोदय। लोकतंत्र के अन्दर सबसे बड़ा जो मंदिर है, आज हम इस मंदिर के अन्दर पहुंचे हैं...

श्री उपाध्यक्ष: वह तो हम जानते हैं, आप तो सजेशन दीजिये।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ...और जब चुनाव लड़े थे और चुनाव लड़कर जनता से वादे किये थे कि वहां जो भी फैसले होंगे, जैसे भी फैसले होंगे, हम आपकी आवाज उठायेंगे। यह ऐसी जगह है जहां पर हम जो बोलेंगे, जहां पर जो जवाब मिलेगा, उस जवाब का सार्थक रूप जनता को देखने को मिलेगा, जनता उसके परिणाम को देखेगी, मगर हम देख रहे हैं, यह हमारा व्यक्तिगत अनुभव है, जिस प्रकार से पहले भी एक सदस्य ने अपनी बात रखी है कि माननीय न्यायपालिका देखो, आज यहां जो भी कानून बने हैं, या इस सदन के अन्दर जैसी भी घोषणाएं हुई हैं, यहां बोलने से पहले बहुत कुछ सोचना चाहिए और जो बोलें, उसको पूरा वैसे ही तौलना चाहिए। हमने यह अनुभव किया हुआ है, उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी-ऐसी घोषणाएं हुई हैं, पिछले पांच साल के दौरान जितनी भी, चाहे युवाओं की नौकरी का मामला हो, सारे के सारे माननीय न्यायालय में अटके पड़े हैं। क्योंकि न्यायालय जब विधायिका के कार्य में हस्तक्षेप करता है तो इसका सीधा-सा मतलब है कि कहीं न कहीं विधायिका के अन्दर कमी हैं, कहीं न कहीं हमें इसमें आत्म-आलोचना करनी चाहिए, कहीं न कहीं हम अपनी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर यहां, जो भी, फैसला करें। सत्ता पक्ष के पास चाबी होती है, विपक्ष उनकी कमियों को

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

गिना सकता है, उनका ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित कर सकता है, मगर सिवाय, हमने यह महसूस किया है कि अपने बड़े-बड़े आकाओं को खुश करने के लिए, किस प्रकार से ये उनको संज्ञा दे देते हैं, इस सदन के अन्दर कितने बड़े महान् बना देते हैं। उससे जो मूल बात है, मूल सब्जेक्ट है, वह उससे दूर चला जाता है।

इसलिए मैं इस संकल्प के समर्थन के पक्ष में यह कहता हूं, जैसे हमने यहां दिन देखे हैं, यहां अध्यादेश, निजी विश्वविद्यालय वाले बिल पास हो रहे हैं, 'हां' पक्ष जीता और 'ना' पक्ष हारा। इसके अलावा, कभी 'हां' पक्ष नहीं हारा, क्योंकि यहां कभी बहस नहीं होती, उसके ऊपर कभी सार्थक चर्चा नहीं होती। अगर सार्थक चर्चा हो तो इस विधायिका को जनता देख रही है, साढ़े छह करोड़ लोग देख रहे हैं, अगर इसमें बोली हुई बात हमारी निरर्थक जाती है, वह बात असत्य साबित होती है, तो विधायिका का विश्वास टूट जायेगा, जनता का विश्वास टूट जायेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे मन में भी कहीं यह है कि विधान सभा में सिर्फ बोलो, मीडिया में हमारी फोटो छप जायेगी, अख़बार में खबर आ जायेगी, क्योंकि हमारे मन में यह बात बैठ चुकी है कि जो बोलते हैं, उसका कोई सार्थक जवाब नहीं आता है। जो घोषणाएं होती हैं, वे पूर्ण कर दें।

आज अभी कई सदस्य कह रहे हैं कि विधायक और विधायिका का जितना सम्मान होना चाहिए, उसका कहीं न कहीं इस सदन से सीधा सम्पर्क है। यहां पर जो बहस हो और जो प्रस्ताव पास हो और जो यहां वज़न वाली बात साबित हो जाये, तो निश्चित रूप से न्यायपालिका की क्या हिम्मत है कि वह विधायिका के काम में हस्तक्षेप करे। मगर यहां हम खुद ऐसे मौके दे देते हैं जिससे वे अपने आपको सर्वश्रेष्ठ साबित करने में पीछे नहीं हटते। उपाध्यक्ष महोदय, हमने देखा है, चूंकि हम लोग जीतकर आते हैं तो कहीं न कहीं न्यायपालिका में यहां किसी भी रूम में जाते हैं तो वे यह साबित करते हैं कि हम तो सर्वश्रेष्ठ हैं...

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिये। समाप्त करें। कृपया आप समाप्त करिये।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ...और ये विधायक हैं जो जीतकर आते हैं, इनकी हालत चार साल में आप देखिये। उपाध्यक्ष महोदय, एक छोटी

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

सी बात के लिए डी जी पी तलब कर लेते हैं, छोटी सी बात के लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी तलब कर लेते हैं। हमारा सारा प्रशासन, हमारे सारे के सारे अधिकारी अपना आधे से ज्यादा टाइम न्यायपालिका में बिताते हैं। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं विधायिका में कमजोरी आई है। यहां जो फैसले होते हैं, वे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर फैसले होने चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: आप व्यक्तिगत सोच की बात नहीं करें। व्यक्तिगत सोच है।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): व्यक्तिगत सोच की नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जो यहां बोलो, उसका कहीं न कहीं...

श्री उपाध्यक्ष: हमारे अधिकारी हमारे अधिकारी हैं। Both of you are honourable. समाप्त करिये अब आप। अब आप विराजिये। विराजिये। अब आप विराजिये। धन्यवाद।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): यहां पर जो घोषणाएं आयें, उसका कहीं न कहीं सार्थक असर निकलेगा तो विधायिका का और आपका सम्मान होगा, हम सबका सम्मान होगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजो। अब मुझे बोलने दो।

मंत्री महोदय, परसादी लाल जी मीणा राज्य सरकार की ओर से उत्तर देंगे।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य प्रभुलाल जी सैनी ने जो संकल्प यहां प्रस्तुत किया, उस पर आप सभी ने विचार व्यक्त किये। आपने कहा कि निरर्थक आलोचना या तारीफ की बजाय निर्णायक व निष्कर्षपरक बहस हो, ऐसा नहीं है। राजस्थान विधान सभा की गरिमा रही है और बड़े-बड़े कानून, बड़ी-बड़ी समस्याओं का समाधान हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं पांचवीं बार इस विधान सभा का सदस्य हूं और यहां जो फैसले हो जाते हैं, यहां जो निर्णय हो जाते हैं, यहां पर जो समस्याओं का समाधान होता है, मेरे ख्याल से दूसरा ऐसा कोई मंच राजस्थान में नहीं है, जो यहां फैसले होते हैं।

मुझे पूरा अनुभव है, उपाध्यक्ष महोदय, एक बार माननीय भाटीजी मंत्री और भैरोंसिंह जी मुख्य मंत्री थे, 1993 की बात है, करौली जिले में एक

(श्री परसादीलाल)

लड़की का अपहरण हो गया। चारों तरफ हल्ला मचा। लड़की जानवरों को पानी पिलाने के लिए गई और उसको उठाकर ले गये। जब यह मामला हाउस में आया तो मैंने उस दिन देखा, उपाध्यक्ष महोदय, सारा हाउस एक मत था, न कोई पक्ष था, न कोई विपक्ष था। वहां भैरोंसिंह जी स्वयं बैठे हुए थे, यह मामला जब उठा तो उन्होंने कहा कि इसको कार्यसूची समाप्त होने के बाद उठायेंगे। उसके बाद फिर उठा, भाटीजी को याद होगा, हमारी मांग थी कि लड़की लानी चाहिए, हमारी मांग थी कि लड़की बरामद होनी चाहिए। हमने कहा, माननीय मुख्य मंत्रीजी, लड़की लाने के लिए पुलिस को परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। आप एक व्यक्ति को यहां से भेजोगे, जो आपके पीछे बैठे हुए हैं, तो लड़की सुबह आ जायेगी। माननीय भैरोंसिंह जी उठे, माननीय सदस्य को बाहर ले गये, सुबह लड़की आ गई। इससे बड़ा कौनसा मंच होगा राजस्थान में जहां समस्याओं का समाधान होता हो?

मैं आपको कहता हूं, मैंने तो बहुत नजारे देखे हैं, 1985 से विधायक हूं, मैंने बहुत पक्ष-विपक्ष को देखा है, जब कोई ऐसी बात आती है तो सारे सदस्य एक मत होकर इस राजस्थान की विधान सभा की गरिमा बढ़ाते हैं और गरिमा बढ़ी है। मैं तो यह कहूंगा, आप यू पी और बिहार देखिये, वहां एक दिन में बजट पास होता है। जिस दिन बजट पेश हुआ, दूसरे दिन बजट पास हुआ। यहां सब चीजों पर बहस होती है, चाहे महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण हो, चाहे अपना बजट हो, समस्या हो। सब एक-दूसरे को सहयोग करते हैं और अच्छे सुझाव देते हैं।

इसलिए इस संकल्प को पेश करने की आवश्यकता नहीं है। माननीय सदस्य दूसरी बार आये हैं। माननीय तिवाड़ी साहब और भाटीजी, ये बहुत सीनियर सदस्य हैं। भाटीजी हैं, शायद सातवीं या आठवीं बार आये हैं। इनका अनुभव है कि राजस्थान विधान सभा ऐसा मंच है, जहां राजस्थान की जन हित की सारी समस्याओं का समाधान होता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संकल्प को खारिज किया जाये। वापस लें तो बहुत अच्छा है। समझदार सदस्य हैं हमारे प्रभुलाल जी सैनी। हमें कोई इस तरह की गरिमा नहीं बनानी चाहिए। आलोचना अलग होती है।

श्री उपाध्यक्ष: वापस लेना है, इस पर वोट कराना है, बस इतनी सी बात है।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): यह संकल्प तो मेरा है ना, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: हां, यह आपका है।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): तो फिर मुझे भी तो कुछ कहना है ना, जो आपने कहा है।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, इसमें जवाब नहीं दोगे आप। यह कोर्ट में जायेगा।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): नहीं, जवाब नहीं, मेरी बात को तो रखूंगा ना।

श्री उपाध्यक्ष: यह संकल्प का सिस्टम है। जवाब नहीं है।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संकल्प का 10 से ज्यादा माननीय सदस्यों ने समर्थन किया और जैसा माननीय मंत्री महोदय ने कहा, मैं आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कितने कानून एक-एक मिनट में यहां सदन में पारित हो गये, कितनों पर चर्चा हो गई। 107 विधेयक इस राजस्थान की विधान सभा में हुए। मैं समझता हूं, मंत्रीजी को भी ध्यान नहीं होगा कि कितनी गम्भीरता से उन पर चर्चा हुई।

मेरा मकसद आलोचना-प्रत्यालोचना नहीं है, मेरा मकसद है सकारात्मक बहस हो और आज उसी का कारण है कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था...

श्री उपाध्यक्ष: वह कह चुके आप।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): ...160 साल से ज्यादा पुरानी भारतीय दण्ड संहिता को हम लोग झेल रहे हैं। हम इसलिए झेल रहे हैं कि कानून हम नहीं बनाते। इसलिए मेरा सदन में जो प्रस्ताव था, वह यह था कि हम सबको ऐसे कानून बनाते वक्त या जन हित के मुद्दे, जैसे ओलावृष्टि का विषय आ गया, क्या आवश्यकता हो गई, इसका विरोध करने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी? हम भी आपके साथ थे, ओलावृष्टि में सबको पैसा मिलना चाहिए। हम भी दिलाना चाहते हैं, आप भी दिलाना चाहते हो। सदन में यह होना चाहिए था, लेकिन आपकी हठधर्मिता से हम लोगों को बायकाट करना पड़ा।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, नहीं, यह भाषण नहीं। माननीय प्रभुलाल जी, अब आप नहीं।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): मेरा अंतिम है।

श्री उपाध्यक्ष: यह अंतिम नहीं होता है, यह पालिटिकली है। इसमें आप क्या बोल रहे हो?

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): यही तो हम कहना चाहते हैं कि आप अंकित करा करो। क्योंकि यह परम्परा है, इसी का तो उल्लंघन हो रहा है ना। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: परम्परा क्या है?

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): मैं यह कह रहा हूं, मेरा यह विचार है। हो सकता है कि आप उससे सहमत हो, या नहीं हो, फिर भी मैं मेरे विचार को प्रकट करूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: परम्परा पर बहस नहीं हो रही, संकल्प पर बहस हो रही है।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): मेरा मात्र इतना निवेदन है सदन से, उपाध्यक्ष महोदय, यह विषय तर्क-वितर्क का नहीं है। प्रश्न इस बात का है कि हमें सकारात्मक बिन्दुओं पर, किसानों सम्बन्धी, बिजली सम्बन्धी, पानी सम्बन्धी और कोई भी विधेयक पास करने सम्बन्धी, उन विषयों को सकारात्मक लेना चाहिए, न कि प्रतिपक्ष को मजबूर होकर बाहर जाना पड़े और आप उसको तालियां पीटकर पास कर दो। यह मैं मेरी बात को कहना चाहता हूं।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): उपाध्यक्ष महोदय, इस बात से मेरी बात प्रमाणित हो गई, जो मैं कहता हूं। यह संकल्प की प्रक्रिया है, इसमें सिर्फ जैसे +++

श्री उपाध्यक्ष: देखिये, यह व्यक्तिगत संकल्प प्रस्तुत हुआ है। इस सरकार की ओर से या विपक्ष की ओर से, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। (व्यवधान) आप सुनिये तो सही। आप तो ज्ञाता हो। यह देखने की ही जरूरत नहीं। आप तो बोलोगे, वही कानून निकलेगा। है न?

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): बेटा, बेटी, कुछ तो हो, जो थाली बजायें।

श्री उपाध्यक्ष: अब बेटा, बेटी का तो, आपको पता है, थाली तो सब में बजती है आजकल। आजकल तो पगड़ी ही सब के बंधती है। आपने नहीं देखा फोटो। यह, माननीय सदस्य साहबान, इससे सरकार के ऊपर, किसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह व्यक्तिगत संकल्प है। कौन किसके साथ जायेगा,

(श्री उपाध्यक्ष)

न कोई इसमें पार्टी की व्हिप है, न कोई बात है। इसलिए मेरा तो अनुरोध है, क्योंकि ऐसी परिपाटी रही है कि संकल्प बहस के बाद में, मेरा खुद का संकल्प, जिसकी बात कर रहे हैं माननीय परसादी लालजी, वहां पास हुआ है। हम तो विरोध में थे, सत्ता दूसरी पार्टी की थी। इसलिए वह बात नहीं है। लेकिन चूंकि यह परिपाटी रही है, इसलिए आप वापस नहीं लेना चाहें तो इसको वोटिंग के लिए डालना ही पड़ेगा और आप लेना चाहें तो यह आपकी मर्जी है। डिस्कस हो गया।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा आपका आग्रह है, निर्देश है...

श्री उपाध्यक्ष: मेरा निर्देश नहीं है, आपका...

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): और अच्छा होगा, इस पर मानसिक रूप से आत्मावलोकन करें...

श्री उपाध्यक्ष: मानसिक। हां, बिलकुल, बिलकुल। प्रदेश की जनता में मेसेज गया।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): विचार करें, पुनरावृत्ति न हो, राजस्थान की जनता जो अपेक्षा करती है वह पूरी हो।

मैं मेरा संकल्प वापस लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: बहुत-बहुत धन्यवाद। संकल्प वापस लिया, अब वोटिंग की जरूरत नहीं है।

श्रीमती सूर्यकांताजी व्यास, सदस्या, विधान सभा संकल्प प्रस्तुत करेंगी और विचार भी व्यक्त करेंगी।

'सरकार नारी की महत्ता, नारीत्व का गौरव और महिलाओं के प्रति मातृ शक्ति को पवित्र दृष्टि से देखने एवं उनके विकास से सम्बन्धित अध्ययन सामग्री और स्व-सुरक्षा प्रशिक्षण को प्रदेश के समस्त स्तर के शिक्षा पाठ्यक्रमों में अनिवार्य रूप से लागू करें'

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, निम्नलिखित गैर-सरकारी संकल्प प्रस्तुत करती हूं :-

'यह सदन संकल्प करता है कि सरकार नारी की महत्ता, नारीत्व का गौरव और महिलाओं के प्रति मातृ शक्ति को पवित्र दृष्टि से देखने एवं उनके

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

विकास से सम्बन्धित अध्ययन सामग्री और स्व-सुरक्षा प्रशिक्षण को प्रदेश के समस्त स्तर के शिक्षा पाठ्यक्रमों में अनिवार्य रूप से लागू करे।'

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मैं एक बहुत ही समसामयिक समस्या, महिलाओं के प्रति अत्याचार और अपराध के ठोस और स्थायी निदान के बारे में अपना संकल्प सदन में पेश करने जा रही हूं। मेरा संकल्प है कि सरकार नारी की महत्ता, नारीत्व का गौरव और महिलाओं के प्रति मातृशक्ति को पवित्र दृष्टि से देखने एवं उनके विकास से सम्बन्धित अध्ययन सामग्री और स्व-सुरक्षा प्रशिक्षण को प्रदेश के समस्त स्तर के शिक्षा पाठ्यक्रमों में अनिवार्य रूप से लागू करे। दिल्ली के दामिनी गैंग रेप प्रकरण के बाद और प्रदेश में ऐसे ही अनेक प्रकरणों के बाद समाज में महिला अपराधों के प्रति एक चेतना बढ़ी है। खेद का विषय है कि हमारा प्रदेश महिला अपराधों के मामले में देश में चौथे नम्बर पर है। ऐसे में इस सदन का दायित्व है कि वह महिला अपराधों को रोकने के लिए ठोस उपाय करे। कुछ उपाय तत्काल परिणाम देंगे परन्तु ठोस काम तो योजना बनाकर लगातार काम करने से होगा।

देश में 1973 के आंकड़ों से तुलना करें तो तीन आंकड़े तेजी से बढ़े हैं: पहली जनसंख्या, दूसरी शिक्षा और तीसरा महिलाओं के प्रति अपराध। ऐसा क्यों? क्या कारण रहे कि एक तरफ शिक्षा बढ़ी, महिलाओं की स्वतंत्रता, महिलाओं को बराबरी के अधिकारों के प्रावधान बढ़े और साथ ही महिलाओं ही पर अपराध भी उतनी ही तेजी से बढ़े? रुक कर सोचने की जरूरत है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि हम शिक्षा के दायित्व को भली-भांति निभा नहीं पाये हैं। हमारे शिक्षा में जीवन दर्शन का अभाव हो गया है। हमने शिक्षा के नाम पर सूचनाएं तो रटा दीं परन्तु जीवन जीने का तरीका नहीं सिखा पाये। यही कारण है कि बहुत पढ़ा-लिखा व्यक्ति भी बहुत बड़े अपराधों में दोषी पाया जाता है।

आइये, आज इस गौरवमय सदन के हम सभी सदस्य गम्भीरता से चिंतन करें कि हम महिलाओं के प्रति अपराधों में कमी लाने के लिए अपने लोक प्रशिक्षण का दायित्व निभाएं और समाज में नारी के गौरवमय स्थान को पुन: प्रतिष्ठा दिलाने के लिए और सनातन परम्पराओं के अनुरूप नारी मात्र के प्रति पवित्र शक्ति रूपी माता का भाव प्रतिष्ठित करें। इस हेतु हमें शिक्षा में जीवन दर्शन को समाविष्ट करना होगा; इस हेतु हमें इतिहास में उठे प्रसंगों को आरम्भ से ही भाव सहित पढ़ाना होगा। इतिहास क्या कहता है? इतिहास कहता

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

है कि भारत में नारी को सदैव शक्ति और माता के पवित्र भाव से देखा और पूजा गया है। भारत में वैदिक शिक्षा रही है कि जहां नारी की पूजा होती है वहां देवता रमण करते हैं और जहां नारी का अपमान होता है वहां सभी कार्य निष्फल होते हैं। आज भारत के पीछे रहने का कारण यही है कि नारी लगातार अपमानित और प्रताड़ित हो रही है। यदि भारत का उत्थान करना है तो हमें नारी के गौरव को समाज में वापस लौटाना होगा। आइये, इसका आरम्भ इस गौरवशाली सदन से करें।

हमारा गौरवमयी इतिहास हमें बताता है कि भारत में नारी को सदैव से पूरी आजादी रही है, जहां वह गुरुकुल में बराबरी से शिक्षा प्राप्त करती थी और शिक्षा देती भी थी, जहां नारी को अपना जीवनसाथी चुनने की पूरी आजादी भी थी। गार्गी, मैत्रेयी, अरुन्धति के आख्यान उनके समाज शिक्षक होने का प्रमाण है, वहीं सीता, द्रौपदी आदि की स्वयंवर गाथाएं नारी स्वतंत्रता के सत्य को प्रकट करती हैं।

समाज में नारी के अपमान अथवा नारी के प्रति अपराध के क्या परिणाम हो सकते हैं, इस हेतु अनेक प्रसंग उपलब्ध हैं। बहुत बड़े विद्वान, बहुत बड़े संगीतकार, भक्त और बहुत बड़े राजा होने के बाद भी सती सीता के प्रति कुदृष्टि रख कर सीता हरण के अपराध के रूप में रावण का पूरे वंश सहित विनाश हुआ। धृतराष्ट्र की सभा में दुर्योधन-दु:शासन द्वारा द्रौपदी चीरहरण के अपराध के कारण कुरुवंश के विनाश की गाथा उपलब्ध है। ऐसी अनेक कथाएं हमारे पास उपलब्ध हैं जो जनमानस के अवचेतन में यह अंकित करती है कि नारी के प्रति कुदृष्टि रखने अथवा कोई भी अपराध करने से इतना बड़ा विनाश निश्चित है।

आज आवश्यकता है कि हम इन कथाओं के माध्यम से आरम्भिक शिक्षा के स्तर पर ही बालकों के अवचेतन मन में यह बात संकल्प रूप में बैठा दें कि नारी के प्रति सम्मान नहीं रखने से इतना बड़ा विनाश होता है। साथ ही प्रत्येक बालक यह जान ले कि भारत में सदैव से नारी को पूरी आजादी और समानता का अधिकार था।

नारी की स्वतंत्रता और पुरुषों के साथ समानता के लिए बहुत हल्ला मचाया जा रहा है। जितना यह शोर बढ़ रहा है, उतने ही नारी के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं। क्या कारण है, यह गम्भीर चिंतन जरूरी है।

मेरा मानना है कि नारी और पुरुष कभी बराबर हो ही नहीं सकते हैं

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

क्योंकि नारी का स्थान पुरुष से बहुत ऊंचा है। हमारे शास्त्रों में विधान है कि कोई व्यक्ति संन्यासी हो जाये, उसे जगद्‌गुरु का आसन मिल जाये और वह अपने गुरु पीठ पर विशाल संत सभा में बैठा हो और उसके पिता आयें तो कोई विशेष नियम नहीं, परन्तु यदि उसकी माता उस सभा में प्रवेश करे तो जहां उसकी नजर अपनी माता पर पड़े उसी समय वह अपनी पीठ से उठे और जाकर माता को दण्डवत प्रणाम कर उच्च स्थान दे। नारी के प्रति माता का भाव होने पर इतना ऊंचा स्थान मिलता है।

ईश्वर के बाद सृष्टि सृजन और पोषण का अधिकार यदि किसी को मिला है तो केवल और केवल स्त्री जाति को और इस माता के भाव की पूर्ति होते ही स्त्री जाति अपने को पूर्ण समझती है और यह माता के भाव की पूर्णता से स्त्री को समाज में अति पवित्र और ऊंचा स्थान मिला है। ऐसे में पुरुष नारी से अपनी तुलना कर ही नहीं सकता। नारी का शरीर निर्माण समर्पण के योग्य भाव से हुआ है और पुरुष के शरीर का निर्माण पुरुषार्थ के, भोगत्व के भाव से हुआ है। सनातन परम्परा कहती है कि जब तक पुरुषार्थ करने का भाव बना हुआ है....

श्री उपाध्यक्ष: पढ़ कर नहीं बोलते हैं न। सूर्यकांताजी, आप तो पढ़ कर बोल रही हैं। बहुत लम्बा हो गया।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मैं तो ऐसे ही बोलूंगी। नहीं, लम्बा हो गया, तो मैं तो ऐसे ही बोल सकती हूं। सीधी बात है। इतना मेरे को तो याद रहता नहीं है।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): घर वालों ने पढ़ाया काहे के लिए है? इसीलिए पढ़ाया है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): तब ईश्वर मिल ही नहीं सकते, ईश्वर केवल और केवल पूर्ण समर्पण होने पर ही मिलते हैं। इसका अर्थ यह हुआ, हमारी वैदिक परम्परा यह कहती है कि मानव मात्र की पूर्णता पूर्ण समर्पण के भाव में है और इसी समर्पण के भाव से नारी का निर्माण हुआ है। तो यह एक विराट सत्य है कि नारी विश्व का सबसे ऊंचा भाव और प्रत्येक प्राणी को अपनी पूर्णता के लिए इस नारीत्व के भाव को शुद्ध रूप में पाना ही होता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस समस्त सृष्टि में जो कुछ दिख रहा है अथवा अनुभव में आ रहा है, वह सभी कुछ मां भगवती की ही लीला है।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

हमारा जीवन चल रहा है तो इसके पीछे जो सूक्ष्म नियम संचालित हैं, वह मां प्रकृति के प्रति पवित्र भाव रखने से ही हम पर क्रियाशील रह पाते हैं। भाव की अशुद्धि होने से वे सभी बाधित हो जाते हैं। इससे मानव रोगी हो जाता है और यदि यही भाव-अशुद्धि समाज में फैलती है तो समाज भी रोगी हो जाता है। आज समाज में नारी के प्रति मातृ दृष्टि के पवित्र भाव को प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता है, जिससे समाज में नारी के प्रति अत्याचार और अपराध का रोग मिट सके।

फिर नारीत्व को छोड़कर पुरुष बराबरी का हल्ला क्यों मचाया जा रहा है? इसके पीछे एक बाजारवादी ताकतों का षड्यंत्र है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हो क्या रहा है, एक लड़का बहुत पढ़-लिख ले तो अदब से कोट, पेंट, टाई पहने दिखेगा और लड़की जितनी ज्यादा पढ़े, उतने ही अपने को ढकने में शर्म अनुभव करेगी। क्यों? क्योंकि बाजार चलाने वाले नारी को एक उत्पाद के रूप में देखते हैं। कोई फिल्म को बेचना है तो आइटम सौंग के नाम पर नारी का शरीर दिखाओ; विज्ञापनों में पुरुषों के दाढ़ी करने का सामान बेचना है तो नारी का शरीर दिखाओ; इंटरनेट पर वेबसाइट को बेचना है तो नारी का शरीर दिखाओ; क्रिकेट का मैच बेचना है तो नारी का शरीर दिखाओ; शराब बेचना है तो नारी का शरीर दिखाओ।

विज्ञापनों ने तो हद ही कर दी। नारी को इतना मूर्ख दिया जाता है कि विज्ञापन दिखाता है कि कोई लड़का एक कंपनी विशेष का कोल्ड ड्रिंक पी ले और पिला दे तो एक लड़की नहीं, लड़कियों की भीड़ उस लड़के पर फिदा हो जाती है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्या, अब समाप्त करें, बहुत लम्बा हो गया है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): ऐसे थोड़े ही होता है। मैं मेरी बात को तो पूरी करूंगी।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप कृपा करके....

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): नहीं, कृपा करके क्या? फिर मैं कुछ बोलूं ही नहीं?

श्री उपाध्यक्ष: कृपा करके समाप्त करें। राजकुमार जी को भी बोलना है।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): नहीं, तो बैठ जाऊं मैं? यह क्या बात हुई! कितने मिनट हुए हैं, यह बता दें आप। मेरी बात को पूरी तो कहनी पड़ेगी ना। यह संकल्प नारी के ऊपर आ रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: आसन का अनुरोध है, औरों को भी बोलना है मां-बहनों के लिए।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): आप को तो इस बात की खुशी होनी चाहिए। क्या मूर्खता दिखाई जा रही है! विज्ञापन दिखाता है कि कोई लड़का कम्पनी विशेष की खुशबू वाला डियो लगा ले तो एक लड़की नहीं, लड़कियों की भीड़ उस लड़के पर फिदा हो जाती है। क्या मूर्खता दिखाई जा रही है! विज्ञापन दिखाता है कि कोई लड़का एक कम्पनी की एक मोटर साइकिल या मोबाइल खरीद ले तो एक लड़की नहीं, लड़कियों की भीड़ उस लड़के पर फिदा हो जाती है। क्या मूर्खता दिखाई जा रही है!

मेरा प्रश्न है कि क्या वास्तव में महिलाएं इतनी मूर्ख हैं? जवाब है, नहीं, पर यह मूर्खता का तमाशा दिखाया जा रहा है। यह नारी मात्र का अपमान लगातार और बार-बार दिखाया जा रहा है। यह सब नंगा नाच और मूर्ख बनाने का तमाशा केवल, और केवल, बाजार वाले लोग कर रहे हैं और नारी को पुरुषों से समानता के नाम पर एक उत्पाद बना रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिए। आपके समर्थन में और भी बोलना चाहते हैं।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मैं मेरी बात पूरी कहूंगी। मेरी बात मेरे को कहने दो। यह क्या बात हुई?

श्री उपाध्यक्ष: आप पढ़ें नहीं यह, आप वैसे बोलिये। यह पढ़कर के हर कोई बोल लेगा दो दिन तक। सदन का नियम है, पढ़कर के नहीं बोल सकते।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मैं कहां पढ़कर के बोल रही हूं? मेरे हाथ में क्या है?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): यह कह सकते हो, खड़े होकर बोलो।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): खड़े होकर ही तो बोल रही हूं, मैं बैठकर के थोड़ी ही बोल रही हूं।

सोचिये, जब दिन भर इन सब माध्यमों से बताया जायेगा कि नारी तो एक उत्पाद बेचने वाला उत्पाद है तो समाज में नारी के प्रति सम्मान बढ़ेगा या घटेगा? नारी के प्रति घटते सम्मान ने नारी की संख्या तो घटा दी है और

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

नारी के प्रति अपराधों को बढ़ा दिया है। यहां तक कि कन्याओं को जन्मने से पहले मारा जा रहा हैं; रेप, गैंग रेप बढ़ रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय भाटी साहब, आप वक्ता को डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो?

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): आज मेरा प्रश्न है, जब हमारी भारतीय परम्परा यह कहती है कि पत्नी के अलावा सभी नारियों के प्रति माता अथवा बहन का पवित्र भाव ही रहना चाहिए तो फिर हम इस पशुता के स्तर तक क्यों गिर गये? क्योंकि अब हमें यह सिखाया नहीं जा रहा है। सावधान होने की आवश्यकता है। जब यह सोच है कि इस सृष्टि में सबसे सर्वोच्च भाव ही नारीत्व है तो फिर नीचे गिर कर पुरुष बनने की दौड़ क्यों? यह सब ज्ञान और भाव समाज में प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता है।

मेरी मांग है कि नारी और नारीत्व के गौरव से सम्बन्धित कथाओं, इतिहास, व्याख्यानों और तत्वत: नारी भाव की उच्चता को प्रदेश के सभी स्तर के पाठ्यक्रमों में सम्मिलित किया जावे। इसके साथ ही मेरा मत है कि बालिकाओं को छोटी आयु से अपने स्वयं की रक्षा के लिए प्रशिक्षित किया जावे। बालिकाओं के लिए प्रारम्भिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक लगातार स्वयं के रक्षा के प्रशिक्षण की अनिवार्यता प्रदेश में लागू की जाए। इससे नारी में आत्मविश्वास बढ़ेगा और वह अपनी रक्षा स्वयं कर सकने में समर्थ होगी।

श्री उपाध्यक्ष: बहुत-बहुत धन्यवाद। अब आप विराजें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मैं दो लाइन कहकर के बैठूंगी। राष्ट्र स्वामी विवेकानन्द की 150वीं जयंती वर्ष मना रहा है और राजस्थान से तो स्वामीजी का जुड़ाव बहुत अधिक रहा है। मैं नारी सम्मान के आदर्श के रूप में उनके जीवन से जुड़ी एक घटना बताकर अपना संकल्प प्रस्तुत करना चाहूंगी। स्वामी जी एक दिन गंगा में बार-बार स्नान कर रहे हैं और एक शिष्य को पास खड़ा कर रखा है। जैसे ही स्वामी बाहर आते हैं और शिष्य को कहते कि ठाकुर का नाम लेकर उन पर बार-बार गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर। शिष्य आश्चर्य से चकित है। आखिर में शिष्य से रहा नहीं गया तो उसने पूछा, स्वामी जी, क्या बात है? आप हमारे लिए पवित्रता के आदर्श हैं और आप ही बार-बार पवित्र होने के लिए गंगा स्नान और गंगा जल से मार्जन कर रहे हैं। स्वामी जी ने कहा, आज मां शारदा से मिलने जाना है, मां पवित्रता का स्वरूप है, मां भगवती शक्ति का अवतार है। उनके नारी के प्रति इसी पवित्र भाव के

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

कारण नरेन्द्र, स्वामी विवेकानन्द के रूप में जगत में पूजे जा रहे हैं। सम्पूर्ण विश्व में सबसे धनी लोग शांति की तलाश में भारत में आते हैं क्योंकि भारत में भोग को नहीं, योग को महत्व मिलता है। इसी कारण भारत में संयासी के लिए नारी केवल, और केवल, माता है और गृहस्थ के लिए अपनी पत्नी के अलावा, समस्त नारी माता अथवा बहन के रूप में ही होती है।

अत: गौरवमयी राजस्थान के इस गौरवशाली सदन के सभी सदस्य नारी अत्याचारों पर प्रभावी नियंत्रण और नारी स्वाभिमान और गौरव की रक्षा के ठोस एवं प्रभावी उपाय के रूप में मेरे द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें और यह संकल्प पारित करें कि सरकार नारी की महत्ता, नारीत्व का गौरव और महिलाओं के प्रति मातृ शक्ति को पवित्र दृष्टि से देखने एवं उनके विकास से सम्बन्धित अध्ययन सामग्री और स्व-सुरक्षा प्रशिक्षण को प्रदेश के समस्त स्तर के शिक्षा पाठ्यक्रमों में अनिवार्य रूप से लागू करे। मुझे विश्वास है कि आज की स्थितियों में पूरा सदन मेरे संकल्प पर एक मत होकर इसे पारित करेगा।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय श्रीमती जकिया।

श्रीमती जकिया (टोंक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे टाइम दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

हिन्दुस्तान को आजाद हुए 65 साल हो गये, 65 साल से यह सुनाई दे रहा है कि औरतों की इज्जत होनी चाहिए। औरत बहुत बुरी दशा में है। क्या औरत की दशा कानून से सुधर सकती है? क्या औरत की दशा स्पीचों से सुधर सकती है? जब हिन्दुस्तान की थोड़ी पीछे हिस्टरी में चलें, आर्यन्स यहां थे, औरत बिलकुल बराबरी की हिस्सेदार थी। वह बाहर भी जाती थी, घर भी संभालती थी, बच्चों को भी पढ़ाती थी और मर्दों ने उसको बराबर की इज्जत दे रखी थी। मुग़लों का राज आया, वे थोड़े दूसरे टाइप के लोग थे, औरतों को उठाकर के ले जाना; तो मर्दों ने इनको घर की चारदीवारी के अन्दर रखने की परम्परा डाली और वह परम्परा मर्दों को बड़ी सूट कर गई। मुग़ल तो चले गये और बाकी परम्परा चालू रह गई। ब्रिटिश आये, उनका ऐसा कुछ नहीं था, मुट्ठी भर आये थे, वे राज करके चले गये, मगर परम्परा अपनी जगह कायम रही। औरत चारदीवारी में रही।

जितने सफेद कपड़े दिखायी दिये, वे औरतों की बदौलत ही पुरुषों के जिस्म पर दिखायी दिये; तंदुरुस्त बच्चे दिखायी दिये, वे औरत की बदौलत;

(श्रीमती जकिया)

घर में शांति दिखायी दी, औरत की बदौलत। यह समाज को बड़ा सूट कर गया, बिना यह सोचे हुए कि औरत कहां गई।

अगर हम अपने बच्चे को यह सिखायें कि वह अपनी बहन की इज्जत करे, पड़ोस में जो लड़की रह रही है उसकी इज्जत करे, तो पन्द्रह साल में ही समाज सुधर जाएगा, क्योंकि वह लड़का पन्द्रह साल का हो जाएगा। वह अपनी बीवी की खुद-ब-खुद इज्जत करने लग जाएगा। आज बेपढ़ी-लिखी लड़की को वस्तु समझा जाता है, औरत को एक वस्तु की तरह इस्तेमाल करते हैं और जो पढ़ी-लिखी है वह रिसोर्स की तरह है, आमदनी का एक जरिया है, कमा कर ला रही है। लड़का है तो वह थक जाता है शाम को पांच बजे, मगर जो लड़की है वह तनख्वाह लाकर भी घर में देती है और घर का काम भी करती है। यह दमन नहीं है क्या? यह भी दमन है। यह कौन करा रहा है? हमारी परम्पराएं करा रही हैं और परम्पराएं हम महिलाएं ही डाल रही हैं।

हम एक बार यह सोच लें कि हमारे बेटे को हम इस तरह से ट्रेन करेंगे कि वह बेटी को, बीवी को, पड़ोस की बच्चियों को इज्जत की निगाह से देखेगा, तो जो दिल्ली में कांड हुआ, कम से कम दुबारा यह कांड नहीं होगा। शादी का टाइम आता है, लड़की को तो सीता ही होना चाहिए, साहब, लड़का रावण हुआ तो परवाह नहीं। यह परम्परा कब तक? यह दूजा खेल कब तक?

अगर जिन्दगी, मैरिड लाइफ किसी औरत की बहुत अच्छी गुजर गई है, तो बस दो लाइन में ही कहूंगी:-

'मैं मयकदे की राह से होकर गुजर गया,
वर्ना सफर हयात का काफी तबील था।'

धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री राजकुमार जी रिणवा।

श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़): सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संसार का हर प्राणी सुख और आनन्द की खोज में है। सुख और आनन्द अगर कहीं है तो वह स्त्री में है, नारी में है, औरत में है। वह मां रूप में है, पत्नी रूप में है, बहन रूप में है, बेटी रूप में है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश को भी छह महीने का बालक बना दिया, स्त्री में वह ताकत है। तैंतीस करोड़ देवताओं की

(श्री राजकुमार रिणवां)

सृष्टि को रोक दे, यह ताकत दधीचि की स्त्री में है। याज्ञवल्क्य ऋषि को चैलेंज कर दे, वह ताकत गार्गी में है। शंकराचार्य को परास्त करने की ताकत अगर किसी में है, तो वह मंडन मिश्र की पत्नी भारती के अन्दर थी। शैक्सपीयर ने भी कहा है कि अगर स्वर्ग की क्षतिपूर्ति के लिए अपने को कोई मिली है तो स्त्री मिली है। जब इंसान पृथ्वी लोक पर आने के लिए किसी तरह से तैयार नहीं हुआ तो भगवान ने उसको स्त्री दिखायी और पूछा कि अब चला जाएगा, तो उसने कहा कि अब चला जाऊंगा।

अब वह मां रूप में है, पत्नी रूप में है, स्त्री रूप में है या बेटी रूप में है। आज ऐसी विचित्र स्थिति है कि वह मां जिसने संतों को, ऋषियों को, मुनियों को, महापुरुषों को, दरवेशों को, फकीरों को, ओलियों को जन्म दिया है, वह मां जिसके गर्भ की स्तुति देवता भागवत में गाते हैं, उस मां की आज यह स्थिति है कि 1000/700 का रेशो हो गया। वह मां आज बेटी को जन्म नहीं देना चाह रही है। बड़ी विडम्बना है अपने लिए कि जो सबसे बड़ा संसार का सुख है, उसको अपन समाप्त कर रहे हैं। इसके लिए केवल आदमी ही दोषी नहीं है, औरत भी दोषी है।

हम मानते हैं कि अपराध हुए हैं औरत के प्रति। मैंने सुना है, मैं एक बार लोहागढ़ गया तो वहां औरतें गीत गा रही थीं कि हे पहाड़ों के बद्रीनाथ, मेरी त्रिया देह छुड़ा दे, हमको औरत देह नहीं मिले। खेत जाते समय औरतें गीत गातीं, अपने पिता को कहतीं कि बाबुल, हाली को बेटी मत देना और अगर हाली को खेत दो तो कम से कम अगुणे खेत जिसके पास हो उसको मत देना क्योंकि सुबह अगर जाते हैं तो सूर्य की रोशनी और शाम को वापस आते हैं तो सूर्य की रोशनी। वह टाइम होता था औरतों का। आज औरतों की क्या स्थिति है?

मुझे एक अंग्रेज ने पूछा कि आप लोग एडवेंचर नहीं लेते हैं। मैंने पूछा, किस चीज का एडवेंचर, तो उसने बताया कि हम लोग ज्वालामुखी में उतर जाते हैं, उत्तरी ध्रुव में उतर जाते हैं, हम लोग क्या-क्या खोज कर रहे हैं। मैंने कहा कि हम लोग अन्दर की खोज में लग रहे हैं, अभी जब हम बाहर की खोज में निकलेंगे तो हमारी औरतें आपसे आगे निकल जाएंगी। कल्पना चावला चली गई, सुनीता विलियम्स चली गई ब्रह्माण्ड में।

आज कहां औरत के सम्मान में कमी है? आज सबसे बड़ी अगर

(श्री राजकुमार रिणवां)

औरत को गाली है तो वह है नागिन। सर्पिणी खुद के बच्चों को खा जाती है। औरत खुद के पैदा होने वाले बच्चे को अपनी कोख में समाप्त कर दे, इससे बड़ी गाली औरत के लिए क्या हो सकती है?

आज प्रोब्लम क्या है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज अगर कोई अपनी इच्छा से दहेज देना चाहे तो एक मजबूरी है, बात अलग है, बाकी मैं आपको बताना चाहता हूं कि लड़कियां मिल नहीं रही हैं। ऐसी विचित्र स्थिति है। कम से कम सैकड़ों लोगों ने मुझे कह रखा है कि भाईजी, कोई लड़की मिले तो हम लोग हमारा खर्चा करके ब्याह ले आएंगे। फिर यह क्या परम्परा हो गयी?

हर जगह, आज कहीं देखो, आज भारत की प्रधान मंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य मंत्री, सब पदों पर तो औरत पहुंच चुकी है। उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप एक मिनट के लिए इजाजत दो तो मैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, आप प्रवचन भी देने की स्थिति में हो, बहुत अच्छा बोलते हो आप, बहुत अच्छा बोले। इतने दिनों से तो आप बोल नहीं पाये थे। बहुत अच्छा बोल रहे हैं। हां, लेकिन समय-सीमा का भी ध्यान रखें। बहुत अच्छा बोल रहे हैं।

श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़): मैं एक ज्ञानवर्द्धक चुटकले से अपनी बात बताना चाहता हूं। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि बीरबल, यह जोरू का गुलाम क्या होता है? तो बीरबल बोला कि साहब, मुझे तो पता नहीं। तो अकबर ने कहा कि तू तो सबसे विद्वान है, तेरे को बताना पड़ेगा। उसको पचास तो अंडे दे दिये और बीस घोड़ियां दे दीं और कहा कि जाओ, पता करो। उसने हर जगह रास्ते में खड़े होकर आने-जाने वाले से पूछा कि जोरू का गुलाम, तो जिसने 'हां' भरी उसको एक अण्डा दे दिया। इस तरह उसके 49 अण्डे पूरे हो गये। बाद में एक पठान आया तो उसको पूछा कि पठान साहब, आप जोरू के गुलाम हो क्या? तो वह बोला कि जोरू हमारे पैर की जूती है। तो उसने उसको कहा कि घोड़ी ले जाओ और उसको घोड़ी दे दी। घर जाने पर पठान से उसकी बेगम ने पूछा कि पठान साहब, आज घोड़ी कैसे? तो उसने बताया कि इस तरह से बीरबल ने मुझसे पूछा औरत के बारे में, तो मैंने कहा कि औरत तो पैर की जूती है, तो मुझे घोड़ी दे दी। तो उसकी बेगम ने कहा कि यह हरे रंग की घोड़ी ही है क्या? और घोड़ी नहीं थी क्या? तो उसने कहा

(श्री राजकुमार रिणवां)

कि थी न। तो फिर उसने कहा कि आपके तो सफेद घोड़ी सूट करती है। तो उसने कहा कि ठीक है, सफेद लाता हूं और उसने बीरबल से जाकर कहा कि मेरी बेगम ने सफेद घोड़ी के लिए कहा है। तो बीरबल ने कहा कि यह अण्डा ले जा। यह बात कहकर जब बीरबल अकबर के पास दरबार में आया तो उससे पूछा कि अण्डे तो 49 लग गये और घोड़ी बीस की बीस हैं। बीरबल ने कहा, हुजूर, यह बात कहने से पहले एक बात कहना चाहता हूं। अकबर ने पूछा, क्या? तो उसने बताया कि जिस दरम्यान मैं घूम रहा था, उस समय एक ऐसी हूर देखी, एक ऐसी अप्सरा देखी जो आपको अच्छी लगेगी। तो अकबर ने कहा कि चुप, धीरे बोल, जोधाबाई बैठी है। इस पर उसने तुरन्त ही अंडा दे दिया कि आप भी ले लो।

तो स्त्री का महत्व तो कहीं कम नहीं है, आपको बताना चाहता हूं। स्त्री के महत्व के लिए क्यों अपन अपना सत्यानाश कर रहे हैं? जो एक आनन्द है, जो एक अमृत है, उसके लिए आज क्या-क्या सब्जेक्ट चल रहे हैं, सोलह साल की, अठारह साल की। अपन नपुंसक हो गये, खाद्य पदार्थ सामग्री, पर्यावरण, सबके चलते। अपन अपनी स्त्री से बात नहीं कर सकते, अपने बराबर की स्त्री से बात नहीं कर सकते। अपन छोटी-छोटी बच्चियों पर राक्षसी प्रवृत्ति दिखा रहे हैं, अपनी बहादुरी दिखा रहे हैं। क्या हो गया यह! नैतिक पतन हो गया अपना। यह तमोगुण के चलते सारा हो रहा है।

इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आज बहुत बढ़िया दिन है, हम यही चाहते हैं कि सब-मिलकर अपने प्रदेश का कैसे भला कर सकते हैं। आइडियोलोजी है, पति-पत्नी की अलग-अलग हो सकती है; कांग्रेस की, बी जे पी की; भाई-भाई की अलग-अलग हो सकती है; बाप-बेटे की अलग-अलग हो सकती है। अपना लक्ष्य यह होना चाहिए। मैं देखता हूं कि अपन रोजाना एक ही लड़ाई लड़ते रहते हैं कि सत्ता मेरी आएगी कि आपकी आएगी। अपने कर्मों के हिसाब से आएगी। गहलोत साहब ने भी सोचा कि अपन एक नंबर के मुख्य मंत्री हैं, तो नहीं आई। हमने भी सोचा था, बीस वर्ष रहेंगे बी जे पी वाले, लेकिन नहीं आई। एक सिस्टम है ऊपर वाले का, जो निर्णय करता है, सच्चाई देखता है कि अपने नाटक है कि सच्चाई है, उस हिसाब से निर्णय करता है।

एक बहुत महान् मुद्दा सूर्यकान्ता जी ने रखा है, मां के बारे में। मैं

(श्री राजकुमार रिणवां)

इनको जितना धन्यवाद दूं, उतना कम है। मैं इतना ही लास्ट में कहूंगा कि पिछली साल मेरी मां मर गई। आज अगर भगवान मुझ पर खुश होकर मुझसे पूछे कि तुझे संसार की कौन सी चीज चाहिए, मुख्य मंत्री बनना चाहता है कि प्रधान मंत्री...

श्री उपाध्यक्ष: अब समाप्त करें।

श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़): ये बस लास्ट शब्द है।

श्री उपाध्यक्ष: दो बजे तक का समय था।

श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़): हां। मुझे भगवान पूछे कि तुझे क्या चाहिए, तो मैं यही कहूंगा कि मुझे मेरी मां ला दो वापस। बहुत-बहुत धन्यवाद।

(14.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष: इसके लिए 12 से 2 बजे तक का समय निर्धारित था, चूंकि 2 बज चुके हैं, माननीय सदस्या वापस लेना चाहें तो ...(व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ...(व्यवधान) एक महिला ही महिला को सम्मानजनक स्थिति में रखने के लिए अपनी बात रख सकती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने आपके पास पहले ही पर्ची पहुंचा दी थी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ समय और बढ़ा दीजिए, यह बहुत महत्वपूर्ण संकल्प है। (व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): आधा घण्टा समय और बढ़ा दीजिए। इसमें महिलाओं को मौका दिया जाए। (व्यवधान)

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): ...(व्यवधान) क्या मतलब निकला महिलाओं पर चर्चा होने का? बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष: यह पेंडिंग रहेगा।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): उपाध्यक्ष महोदय, महिला की बात को महिला ही समझा सकती है।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): ज्यादा नहीं, तो दो-दो मिनट बोलने दो।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): यह इस देश का दुर्भाग्य है...

श्री उपाध्यक्ष: श्री शांती कुमार धारीवाल प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाए।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): संकीर्ण भावना, आज भी आपके अन्दर संकीर्ण भावना है।

विधायी कार्य : विधेयक पर विचार

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2013

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: वित्त विधेयक भी विचारार्थ रखो।

राजस्थान वित्त विधेयक, 2013

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री घनश्याम तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उपाध्यक्ष महोदय, सदन में अभी चर्चा हो रही थी, बहुत बढ़िया वातावरण में चर्चा हुई और जिस विषय पर विचार हुआ, वह आगे जब भी यह प्राइवेट मेम्बर्स डे आयेगा तो यह विषय चालू रहेगा। तो जिन माननीय सदस्यों को बोलने का मौका नहीं मिला, उन सबको मौका भी मिलेगा और बहुत अच्छी परम्परा है कि हमने इसको चालू किया।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि एक तरह से अगर देखें तो आज अपनी 13वीं विधान सभा का अंतिम दिन है। क्योंकि इसके बाद एक बार जब हम मिलेंगे तो आपस में एक-दूसरे को शुभकामनाएं देंगे और एक दूसरे को हराने के लिए जी-जान से लग जाएंगे। उस काम के लिए हमारा आखिर का एक दिन का और आयेगा। आज यह दिन इस प्रकार का है जिसमें हम गहनता से विचार करें कि इस 13वीं विधान सभा में हमने बैठकर किस प्रकार का काम किया, कितना काम किया और आगे आने वाले समय में हम इस प्रजातंत्र के माध्यम से राज्य की जनता की कितनी बड़ी सेवा करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं विनियोग विधेयक के बारे में यह कहना चाहूंगा

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कि यह अंतिम वाचन है और जिस प्रकार आपने देखा, जिस प्रकार मुख्य मंत्रीजी ने 40 हजार 500 करोड़ की योजना की बड़ी तारीफ की और सारा खर्चा हमसे ले रहे हैं, 97 हजार 331 करोड़ 70 लाख 84 हजार रुपए की राशि संदत्त और उपयोजित की जा सके। इतनी बड़ी राशि, इतना बड़ा खर्चा, यह सब करने के बाद कहीं इसकी केलकुलेशन है, कहीं समीक्षा है कि राज्य की जनता को इससे क्या प्राप्त होगा? क्या इसकी समीक्षा के लिए अपने पास कोई विधान है? इसकी समीक्षा के लिए अपने पास कोई प्रावधान है? अगर है तो माननीय मुख्य मंत्रीजी को यह बताना पड़ेगा कि पांच साल तक इतना खर्चा करने के बाद प्रति व्यक्ति आय में कितनी बढ़ोतरी हुई, उनको बताना पड़ेगा कि राजस्थान में उद्योग कितने बढ़े, उनको बताना पड़ेगा कि राजस्थान में विद्युत के क्षेत्र में क्या उपलब्धियां हासिल हुईं। आपने योजना बनाई, योजना को लागू किया। कई योजनाएं आम जनता के हित की भी थीं, यह कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात का पक्षधर नहीं हूं कि हम यह कहें कि आजादी के 65 साल में हमने कुछ नहीं किया। आपने भी कुछ किया, जितना समय हमको मिला, हमने भी कुछ किया। लेकिन आज हम इन सब बातों से अलग हटकर, जब इस पर विचार करेंगे तो स्पष्ट नजर आयेगा कि पांच साल में सारा काम करने के बाद में भी, राज्य सरकार, राज्य की वित्तीय स्थिति, राज्य के लोगों का वित्तीय स्थान, उनकी नौकरी का काम और उनके लिए चिकित्सा की सुविधाएं, जिस प्रकार की चाहिये थीं, उस प्रकार की उपलब्ध कराने में सरकार सफल नहीं हुई है। इस बात को हमको स्वीकार करना चाहिए।

इसके कारण हैं। हम आज यह एप्रोप्रिएशन बिल पास कर रहे हैं, इसके पहले बजट पर हमने आम बहस की, इसके बाद हम डिमांड्स पर आ गये। द्वितीय वाचन पूरा हुआ, यह इसका तृतीय वाचन है। आर्टिकल 204 के अन्तर्गत हमको अगर कंसोलिडेट फंड से पैसा निकालना है तो इसके लिए बिल पारित करना पड़ेगा। लेकिन हम ईमानदारी से इस बात पर विचार करें, बजट की इस सारी प्रक्रिया के साथ क्या हम न्याय कर रहे हैं? तो पता लगेगा कि हम न्याय नहीं कर रहे हैं और धीरे-धीरे यह प्रक्रिया सिमटती जा रही है। सिमटने में कर्मकाण्ड जैसी तय बात हो गई है, 8 दिन डिमांड्स के, 1 दिन एप्रोप्रिएशन का और चार दिन बजट पर आम बहस के यह हम करते हैं। इस बजट पर हम तय नहीं कर पाते।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि सरकारें कई प्रकार की लुभावनी घोषणाएं करती हैं। यहां बहस होती है कि लैपटाप दे दो, और कोई चीज दे दो, साइकिल दे दो। इस सदन में बैठ कर क्या कोई विधायक यह कह सकेगा कि नहीं, आप ये लुभावनी घोषणाएं मत करो, यह लैपटाप मत दो, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। मैं लैपटाप देने के पक्ष में हूं, सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं।

यह बात आई तो भारत की संसद ने यह तय किया 5-7-8 डिमांड तो तय हो जायेंगी, बाकी डिमांड्स को उन्होंने कमेटियों में भेज दिया और 25-30 दिन तक वे डिमांड्स उन कमेटियों में डिस्कस होती हैं। उसके बाद जब वह आता है तो उस बजट पर हम विचार करके उसको पारित करते हैं।

मैं सरकार से और सभी दलों से आग्रह करना चाहूंगा कि राजस्थान की विधान सभा में भी यह प्रक्रिया लागू की जाए कि हम कुछ डिमांड्स को यहां तय करें और कुछ डिमांड्स का डिस्कसन करने के लिए हम सदन में कमेटियों को भेजें ताकि बारीकी से इस बात का विश्लेषण हो सके कि जो प्रावधान हमने किया है, वह घोषणा है, समय के अनुकूल है और आम जनता के हित में है या नहीं। कमेटियों में जब विचार होगा तो उसमें हम पार्टी लाइन से ऊपर उठकर उस पर विचार कर पायेंगे और फिर एप्रोप्रिएशन बिल आयेगा तो हम समझेंगे कि एप्रोप्रिएशन बिल के ऊपर ठीक प्रकार से हम विचार व्यक्त कर सके। आज हम इस पर विचार व्यक्त नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय, कितनी बार, कितनी बड़ी-बड़ी डिमांड हमने यहां हंगामे में पारित कर दीं। हम उन पर विचार नहीं रख सके, इसका दुःख है हमें। वह किसी भी कारण से हो, हमारे कारण से हो, आपके कारण से हो, परिस्थितियों के कारण से हो, लेकिन हम उन पर विचार नहीं कर पाएं। यह जो हमारी परिस्थिति निर्माण हो रही है, उससे हमारी 13वीं विधान सभा की, उपाध्यक्ष महोदय, आज यह स्थिति पैदा हो गई है कि विधान सभा की सबसे कम सीटिंग होने का रिकार्ड हमने 13वीं विधान सभा में बनाया है; जो आम विधेयक हैं, सबसे कम विधेयकों पर बहस करने का रिकार्ड हमने बनाया है; और सबसे ज्यादा रुपये खर्च करने का रिकार्ड, सबसे बड़ा बजट लाने का रिकार्ड हमने इसमें बनाया है। हम बजट बड़ा लाये, काम बड़ा किया, पर हमने उस पर चर्चा करने की बात नहीं की।

जब हम विधान सभा की बात करते हैं तो मैं कुछ बातों के लिए तो

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

अध्यक्ष महोदय को और आसन को धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमने कई नई-नई परम्पराएं प्रारम्भ कीं। हमने यहां माननीय सदस्यों को लैपटाप दिया, बहुत से सदस्य उसका यूज कर रहे हैं; प्रश्नों के उत्तर की आनलाइन की व्यवस्था की, हमने आनलाइन भेजने की व्यवस्था की; राज्यपाल के अभिभाषण और बजट भाषण को डायरेक्ट जनता के सामने प्रसारित कराया। यह बढ़िया बात की। अगर हम थोड़ी बहुत यह व्यवस्था और कर लेते कि अपनी 20-25 दिन की जितनी सीटिंग होती हैं, जिस प्रकार लोक सभा टीवी, और राज्य सभा टीवी है, उसी प्रकार विधान सभा टीवी को एक चैनल के माध्यम से डायरेक्ट प्रसारण कर देते तो कम से कम हमारे विधायकों का चरित्र जनता के सामने उजागर हो ही जाता। यह सिस्टम भी अगर हम लागू कर लेते तो ठीक होता।

विधान सभा भवन में और कई काम हुए हैं। सब काम आपने प्रश्नों के लिए भी किये हैं। अध्यक्ष महोदय ने विधान सभा में व्यायामशाला भी स्थापित कर दी। बढ़िया हुआ कि उसमें हम पहलवान बनकर हमने हमारी पूरी शक्ति का यहां प्रदर्शन नहीं किया, बाकी व्यायामशाला तो हमने यहां निर्माण कर ही दी। उसके लिए भी आपको धन्यवाद है। पीठासीन अधिकारियों का एक सम्मेलन हुआ और विधान सभा के प्रश्न समय पर आने का आप लोगों ने रिकार्ड बनाया। इसके लिए तो मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन मैं बहुत दुःख के साथ एक बात भी कहना चाहता हूं कि इस सदन में पहली बार ऐसा हुआ पांच वर्ष में, कि जब हमने लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया। एक बार भी हमने मत विभाजन नहीं कराया। मत विभाजन की मांग को हमने बार-बार अस्वीकृत किया। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि इस विधान सभा का अगर कोई काला काम, जिसके लिए याद किया जाएगा, तो हमारी संसदीय परम्पराओं का गला घोंटकर मत विभाजन को रोकने के रूप में याद किया जाएगा। यह मैं कहना चाहूंगा। हमने बहुत सी बातों में कटौती कर दी ...(व्यवधान) मान लिया, साहब। आप कहते हो तो सब कुछ ही मान लेते हैं। बच्चू भइया, आपकी तो बात सर माथे।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय तिवाड़ी साहब, आप कड़वी बात जल्दी भूल जाया करो। एक ही बात का अनुरोध है, थोड़ी कड़वी बात जल्दी भूल जाया करो आप, मीठी बात याद रख लिया करो।

श्री राजेन्द्र सिंह गुढा (राज्य मंत्री, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा):

(श्री राजेन्द्र सिंह गुढा)
उपाध्यक्ष महोदय, यह जानना चाह रहा हूं, यह बटन जो दबता है इसका प्रयोग का ही पता नहीं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अब यह कड़वी आपको लगी तो आप भूल जाओ, मीठी मान लो इसको।

दूसरा मैं कहना चाहता हूं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई आरोपित करना चाहता हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमको भी बहुत लोगों से सीखने का मौका मिला। जैसा कि परसादीलाल जी ने कहा, देवीसिंह जी बैठे हैं, गुलाब जी, सब बैठे हैं, हमने भी बड़े-बड़े यहां के जो माननीय नेता, सत्ता पक्ष से, प्रतिपक्ष के, उनसे सीखने का मौका मिला और उसके बाद आने वाले लोग भी सीखेंगे।

कुछ बातें ऐसी हैं जो हमारे इस विधान सभा के गरिमा के इतिहास में थीं, मुझे याद है अच्छी तरह से, पूनमचंद जी विश्नोई साहब यहां पर थे, मीसा का कानून था, राज्य की विधान सभा में पारित होना था, हम सिर्फ 32 लोग थे, पूरे 32 लोग थे और हमने उस समय हर बात पर, हर क्लाज पर, मतदान कराया और हमने कहा कि मेंटीनेंस आफ इन्टरनल सिक्योरिटी एक्ट के हम खिलाफ हैं, इसलिए आगे कभी सनद रहे और वक्त जरूरत काम आए, इसलिए हम हमारा विरोध दर्ज कराना चाहते हैं। वह विरोध दर्ज कराना हमारा ठीक रहा । उसके बाद आपातकाल लगा, हम लोग जेलों में गये, फिर बाहर आये और फिर मीसा हटा। उस समय जो विरोध किया गया, वह उसमें विरोध कायम रहा।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कई बार ऐसा अवसर आता है जब प्रतिपक्ष को अपना मत-विभाजन इसलिए कराना पड़ता है कि वह अपनी बात रिकार्ड में लाना चाहता है। इसलिए मत-विभाजन जिस प्रकार से नहीं हुआ, वह गलत है।

दूसरा मैं यह कहना चाहूंगा कि हमने कई पद्धतियां बदल दीं। उनके बदलने के बाद भी बजट पर बहस का मौका कहां है? हमने कट मोशन की व्यवस्था सारी इस प्रकार कर दी कि वह औपचारिकता मात्र बनकर रह गई। आज कट मोशन हम सब माननीय सदस्य देते हैं, सात दिन में हम लिखित में जवाब भेज देंगे, मंत्री महोदय कहते हैं, दो दिन में लिखित में जवाब आ जाएंगे। वह जवाब के लिए कट मोशन नहीं था, कट मोशन इसलिए था कि हम खड़े

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

होकर हमारे विधान सभा क्षेत्र की मांग यहां रखें और उसका जवाब आए, लेकिन अधिकता के कारण से और समय ज्यों-ज्यों हम कम करते जा रहे हैं, हमने उस सिस्टम को समाप्त कर दिया। उस सिस्टम को समाप्त कर दिया, तब मैंने मांग की है कि वह सिस्टम समाप्त हो गया तो कमेटियों में अगर डिमांड चली जाएगी, बजट चला जाएगा तो वहां पर बहस होगी, तो हमारे विधान सभा क्षेत्र की बात भी रख सकेंगे, विधायक अपनी बात भी रख सकेंगे। उसमें काम होगा।

हम स्वयं विधायिका को कमजोर कर रहे हैं और विधायिका जितनी कमजोर होगी, उतनी अव्यवस्था समाज में फैल जाएगी। मैं पक्ष-विपक्ष में बात नहीं करता लेकिन यह वकीलों का और पुलिस का जो प्रकरण हुआ है, वह प्रकरण हमारी कमजोरी का द्योतक है। बहुत बड़ा द्योतक है। उपाध्यक्ष महोदय, ये घटनाएं भविष्य में जाकर बहुत काम कर सकती हैं। जो व्यवहार रहा है, जिस प्रकार का उसमें प्रशासनिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगता है, वह हमारी कमजोरी का परिचायक है। इसको हमें समझना चाहिए। वह जब आता है कि हम विधायिका को, विधायिका जानबूझकर न्यायपालिका को अपने क्षेत्र में अतिक्रमण करने का अधिकार देती है, जो उचित नहीं है।

विधान सभा में तीन प्रमुख काम हैं, जी.वी. मावलंकर साहब ने कहा, सबसे पहला काम है विधायिका का, विधान बनाने का; दूसरा काम है, बजट का; तीसरा काम है, समितियों के माध्यम से सरकार और कार्यपालिका पर नियंत्रण करने का, लेकिन मुझे यह कहते हुए भी तकलीफ है कि कमेटियों का कामकाज बहुत कमजोर हो गया है, कमेटियों में रुचि समाप्त हो गई है। उसके कई कारण हो सकते हैं। हम तो जब शुरू में 80 में एम एल ए बने थे, हम दौड़कर आते थे, 100 रुपये भत्ते के मिलते थे। हम दस्तखत करने नहीं, टाइम पर नहीं पहुंचेगे तो 100 रुपये कट जाएंगे और पूरे समय बैठे रहकर उसमें काम करते थे। आज तो स्थिति यह हो गई है कि कमेटियों का कोरम ही पूरा नहीं हो रहा है। कमेटियों का कोरम पूरा नहीं हो रहा है! इसके कारण से जो कार्यपालिका पर नियंत्रण होना चाहिए, वह कार्यपालिका पर नियंत्रण भी समाप्त हो रहा है। जो सरकार पर नियंत्रण होना चाहिए, एश्योरेंस याचिका कमेटियों में सरकार के आश्वासन आएं, उन पर जवाब हों, वह काम भी आज इस संसदीय क्षेत्र में से कम हो गया है। यह हमारे लिए चिंता की बात है। हमें इस पर विचार करना चाहिए।

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

उपाध्यक्ष महोदय, इस विधान सभा में इतनी रिपोर्ट्स प्रस्तुत होती हैं, आज ईमानदारी से पूछा जाए कि इन रिपोर्ट्स का स्टेटस क्या है, बहुत से माननीय सदस्य विद्वान होंगे, उनको मालूम होगा, लेकिन मैं समझता हूं कि अधिकांश माननीय सदस्यों को पता नहीं होगा, क्योंकि हमने अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट, जनजाति आयोग की रिपोर्ट, अल्पसंख्यक आयोग की रिपोर्ट, मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट, महिला आयोग की रिपोर्ट, लोकायुक्त की रिपोर्ट, जितनी रिपोर्ट्स आई हैं, एक भी रिपोर्ट पर हमने सदन में चर्चा नहीं की। ये लोग हमको कहेंगे, 13वीं विधान सभा के मेम्बर्स को, आपने ये आयोग बना रखे हैं, आपने हाथ क्यों बांध रखे हैं? इनकी इतनी बड़ी रिपोर्टें छपकर आईं, वे रिपोर्ट यहां पर प्रस्तुत की गईं, किसी माननीय सदस्य ने खड़े होकर पूछा नहीं कि हम अनूसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा करें। चर्चा का समय तय नहीं किया गया।

समय कहां से तय होगा? उपाध्यक्ष महोदय, 18 तारीख का, 20 का और आज का, कार्य-सूची को उठाकर देख लें, यह क्या तरीका हो गया, 14-14 बिल आप एक साथ ठोंक रहे हैं; फिर कहें, हम एप्रोप्रिएशन बिल पर चर्चा कर रहे हैं। हमने सारी व्यवस्था को पंगु करके रख दिया। इसके अलावा, कितनी कमेटियों की रिपोर्ट यहां पर आईं? एक भी दिन किसी कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा की बात नहीं हुई। हमने जो नियम दिये हैं उन नियमों के अन्तर्गत भी कार्यवाही नहीं हुई।

उसका एक बड़ा कारण है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, इसका कारण है, अध्यक्ष, अध्यक्ष को जब तक सारे, अपने चेयरपरसंस की कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर एक कानून बनाने के लिए भारत सरकार के पास पड़ा हुआ है कि विधान सभा का अध्यक्ष निरपेक्ष होना चाहिए और उसका अगला चुनाव निर्विरोध होना चाहिए। जब तक आप यह व्यवस्था लागू नहीं करेंगे, जब तक टिकट मांगने के लिए विधान सभा अध्यक्ष को अपनी पार्टी के पास जाना पड़ेगा और जब हम भाषण देने जाएंगे तो हम यह तो एस्क्यूज कर नहीं सकते कि माननीय दीपेन्द्र सिंह जी शेखावत श्रीमाधोपुर में खड़े हैं, तो घनश्याम तिवाड़ी जाकर कहेगा, दीपेन्द्र सिंह को हराओ, इनकी सरकार खराब थी, इनकी सरकार ने वह किया, वह किया। जब अध्यक्ष इस दायरे में है, सभी विधान सभाओं के, सभी विधान परिषदों के, लोक सभा के, राज्य सभा के, सभी इस दायरे में अगर हैं तो फिर अध्यक्ष के लिए बहुत मुसीबत का काम हो

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

जाएगा। इसलिए अध्यक्ष की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आवश्यक है कि जो चेयरपरसंस की कमेटी ने रिपोर्ट दी है कि लोक सभा में कानून पारित करके इस संस्था को मजबूत किया जाए, तब तक हम यहां कहते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, यह काम नहीं होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस काम को किया जाए।

इसके अलावा, सरकार ने, माननीय विधि मंत्रीजी, सरकार ने अपने इस कर्तव्य तक का पालन नहीं किया कि जो आपने आयोग बनाए, जो इन्क्वायरी कमेटियां बनाईं, उन आयोग और इन्क्वायरी कमेटी की रिपोर्ट भी आपने पेश नहीं की। एक्शन-टेकन के साथ पेश करना चाहिए था, कोई रिपोर्ट सरकार ने पेश नहीं की।

इसलिए जिस प्रकार सदन की अवहेलना की गई है, वह सदन की अवहेलना उचित नहीं है और इसके कारण से जो क्रेडिबिलिटी खतम हो रही है, आप देखिये, हमारी क्रेडिबिलिटी का क्या होगा। हमने किस-किस चीज पर हमला नहीं किया। हमारे यहां कैग है, हमने कैग पर हमला किया, कन्ट्रोलर एंड आडिटर जनरल आफ इंडिया; उसकी किस प्रकार की धारणा है, हमने उस पर हमला किया। हमने लोक सभा, विधान सभा और वहां की कमेटियों की मीटिंगें बंद कर दीं। हमने जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका कम कर दिया। इसके कारण से राजनीतिज्ञों की विश्वसनीयता समाप्त हो गई। यह विश्वसनीयता एक दिन में, एक आर्डर से कायम नहीं होगी। वह हमारे व्यवहार से और इन संस्थाओं की पुनर्प्रतिष्ठा करने से होगी। इस बात को हमें समझना चाहिए। पार्टियों में और विधान सभाओं के कंट्रोल में, यह जब तक डायरेक्ट चुनाव आयोग के कंट्रोल में नहीं जाएगा, यह बात पूरी नहीं होगी।

भारतीय प्रजातंत्र में जो सबसे बड़ी कमजोरी आ रही है, वह है, पार्टियों के अन्दर आंतरिक प्रजातंत्र का समाप्त होना। सारा काम आलाकमान पर डिपेंड है। आला और गीला सारा एक साथ बलता है। या तो परिवार की पार्टियां हो गईं। प्रजातांत्रिक व्यवस्था देखने का कानून नहीं है, इसकी प्रक्रिया चल रही है लेकिन वह कानून नहीं है।

इसी प्रकार से, विधान सभा के तीन सत्र हों और विधान सभा की 60 मीटिंग्स हों। इसको देखने के लिए भी कोई कानून जब तक मजबूत नहीं है,

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

क्योंकि कांस्टिट्यूशन में छह महीने का प्रावधान है, छह महीने का काम पूरा कर लेते हैं। जब तक यह व्यवस्था पूरी नहीं होगी और क्या आवश्यक है कि आप रात को 11 बजे तक बैठकर एक डिमांड को पास करें? क्या है इसमें? एक डिमांड आज पेश हो गई, आज पास नहीं हुई तो कल पास हो जाएगी। हमको ही तो नियम में संशोधन करना है। हम उस नियम का संशोधन नहीं करना चाहते हैं तो उस पर चर्चा कहां से होगी?

इसलिये पार्टियों का आंतरिक प्रजातंत्र और विधान सभाओं के सत्र, इनको देखने के लिए जब तक संवैधानिक व्यवस्था नहीं होगी तब तक हम हमारे इस काम को पूरा नहीं करेंगे।

राजनीति, अभी सभी माननीय सदस्य कह रहे थे, बहुत बढ़िया आज विधान सभा के बारे में चर्चा हुई, प्रभुलालजी सैनी के भाषण पर। राजनीतिक दलों में भी प्रशिक्षण की व्यवस्था समाप्त हो गई। महात्मा गांधीजी ने एक राजनीतिक प्रशिक्षण की व्यवस्था शुरू की। बहुत बड़ा प्रशंसनीय काम हुआ। विनोभा भावे ने किया, जयप्रकाश नारायणजी ने किया, डाक्टर राम मनोहर लोहियाजी ने किया, पंडित दीनदयालजी उपाध्याय ने किया, चौधरी चरणसिंहजी ने किया। उसके बाद तो राजनीतिक दलों में प्रशिक्षण की व्यवस्था ही समाप्त हो गयी। टिकट का सिस्टम तो अलग हो गया है। टिकट लेने के लिए, देने के लिए तो ऐसे काम हो गये और यह जो टिकट वितरण की व्यवस्था है, यह भी जब तक इस प्रक्रिया का अंग नहीं बनेगी तब तक राजनीति का शुद्धिकरण नहीं हो पाएगा और विधान सभाओं का अवमूल्यन और अवमानना होती रहेगी।

हमारे बड़े से बड़े पद पर अंगुली उठ रही है। सर्वोच्च पद जो हमारे देश का है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं, उस पर भी अंगुली उठी। सुप्रीम कोर्ट के छह जजेज के बारे में, चीफ जस्टिस के बारे में शांतिभूषणजी ने लिखकर दे दिया कि छह जज बेइमान हैं और आप मेरे पर कार्यवाही करो। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ड्यू-प्रोसेस-आफ-लॉ में डाल दिया, बीस बरस में भी नम्बर नहीं आयेगा। अंगुली उठ गई हमारी न्यायपालिका के ऊपर भी। सी.ए.जी. पर तो स्वयं वित्त मंत्री ने प्रश्न उठा लिया। जे.पी.सी. और पी.ए.सी. में, पार्लियामेंट में उन पर कभी विवाद हो तो उनमें भी भयंकर विवाद आपस में हो गया।

एक बात ने तो इतना कल मुझे आहत किया, आप सबको आहत

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

किया होगा, इसका कोई भी कारण रहा होगा, मैं उसकी आलोचना में नहीं जा रहा हूं, जब तक डी.एम.के. का समर्थन था तब तक छापे नहीं थे, और जिस दिन समर्थन वापस हो गया उस दिन छापे हो गये और छापे रुक भी गये। अब यह हम नहीं कह सकते, मतलब, स्वतंत्र है तो छापा मारने देते। अगर वह स्वतंत्र नहीं है, हमने रोका तो साफ हो गया कि वह स्वतंत्र नहीं है। यह क्या है? इसके दो अर्थ जाते हैं कि सुन लो, मुलायमसिंहजी और मायावतीजी, यदि समर्थन वापस लिया तो डी.एम.के. वाली हालत हो जाएगी।

यह सारी जो हमारी व्यवस्थाएं जाती हैं, यह हमारी व्यवस्था भी प्रजातांत्रिक मूल्यों को कमजोर करती है। हां, इसकी बात हुई है। तो यह सारा जो काम है, उस पर हमको बोलना चाहिए।

राजनीति में एक काम और हो रहा है, लाक्षागृह बनाये जा रहे हैं, हम एक-दूसरे के लिए लाक्षागृहों का निर्माण कर रहे हैं। जैसे कौरवों ने पाण्डवों को समाप्त करने के लिये लाक्षागृह बनाये, हम भी लाक्षागृह का निर्माण कर रहे हैं, एक-दूसरे को जलाने का काम कर रहे हैं। सारी दुनिया के सामने यह मेसेज चला जाएगा कि यह ब्यूरोक्रेसी ईमानदार है कि बेइमान है, यह अफसर बेईमान है कि ईमानदार है, यह कोई और ईमानदार है कि बेइमान है, हम तो सारे यहां पर बेइमान ही बेइमान आकर बैठ गये। इसलिए जब तक इस बात की व्यवस्था नहीं होगी कि यह कोई भी आदमी किसी प्रकार से कुछ करे, उसको आप प्रजातांत्रिक व्यवस्था में मीडिया-ट्रायल को नहीं रोकेंगे, तो किसी भी आदमी पर किसी दिन कोई भी कीचड़ उछालेगा और वह काम पूरा हो जाएगा। इसको हमको समझना चाहिए।

लेकिन हम यहां जो काम कर सकते थे, माननीय मंत्रीजी, वह काम हमने नहीं किया। आज विश्व जल दिवस है। विश्व जल दिवस के अन्तर्गत सबसे ज्यादा जल की कोई बात करने की या संरक्षण करने की आवश्यकता है तो राजस्थान को है। हम बार-बार कहते हैं कि हमारी इतनी जनसंख्या है और हमारा एक प्रतिशत जल है लेकिन पांच साल आपके निकल गये, यह जल नीति का कोई प्रारूप जल संरक्षण करने के लिए हम नहीं ला सके। राजस्थान की जनसंख्या 6 करोड़ 80 लाख को पार कर रही है लेकिन जनसंख्या के नियंत्रण की बात भी हम सदन में एकजुट होकर पारित नहीं कर सके।

हमारे लिये जो-जो काम आवश्यक हैं, उन कामों को भी अगर हम एकजुट होकर करते तो हमारी 13वीं विधान सभा का नाम रोशन होता। एक

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

काम अपन कौनसा बता पाएंगे कि यह काम हम सब ने तय करके इस प्रान्त के आगे की, भावी पीढ़ी की सुरक्षा के लिए कर दिया? वह काम बताइये। रुपया आप खर्च करें, 95 हजार, 97 हजार करें, लेकिन एक भी कानून अगर आप ला देंगे...

मैं आपको कहना चाहूंगा, एक बहुत बड़ा जो नुकसान हो रहा है वह हम ट्रस्टीशिप के सिद्धान्त को तोड़ रहे हैं। मैं आज दुबारा कहना चाहता हूं, कौन यहां राजा है, और किसकी कौन प्रजा है, नर ने होकर स्वयं भ्रमित यह बंधन सृजा है। यह प्रकाश, यह पवन कभी नहीं सिमटने वाली। यह जो सारी चीजें, यह सूर्य की रोशनी, यह हवा, यह वायु, इस पर राजा का अधिकार नहीं है। यह सार्वजनिक चौक, यह तालाब, यह ढाणियां, यह राज की नहीं हैं। हमको तो केवल ट्रस्टी बनाकर इनकी व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज हम उनका काम समाप्त करते हैं। यहां तीन बार मांग कर ली कि जयपुर के जल महल को आपको देने का क्या अधिकार है? यह जनता का मामला है। इसको आप दे रहे हैं, उस ट्रस्टीशिप के सिद्धान्त को तोड़ रहे हैं। यह ट्रस्टीशिप का सिद्धान्त जब टूटेगा तो श्री अरविन्द की कही हुई बात को याद रखिये, अभी तो आपने विंस्टन चर्चिल की बात कही थी, ...

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): गांव और समाज का कंट्रोल होना चाहिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यही। आपने चर्चिल साहब की बात कही थी, मैं भारत के महान् चिंतक श्री अरविन्द, जो महान् योगी हैं, उनकी बात कर रहा हूं। जब भारत आजाद हुआ, उनसे जब पूछा, क्या डेमोक्रेसी सबसे बढ़िया सिस्टम है; उन्होंने कहा, नहीं। उनसे पूछा, डेमोक्रेसी में क्या होगा; बोले, डेमोक्रेसी अंत में जाकर प्लूटोक्रेसी में बदल जाएगी। उनसे पूछा, प्लूटोक्रेसी क्या है; उन्होंने कहा, धूर्त और धनवान लोगों का शासन कायम हो जाएगा। हम ईमानदारी से विचार करें, क्या हम उस ओर नहीं बढ़ रहे हैं कि हमारी सारी प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं को तोड़ कर हम धूर्त और धनवान लोगों के शासन के जाल में फंसते जा रहे हैं? 85 प्रतिशत भारत की सम्पत्ति 15 प्रतिशत लोगों के हाथ में है। जितना अंग्रेज लूट कर नहीं ले गये, 60 साल में उतना काला धन यहां से बाहर चला गया। रोकने का कोई काम नहीं हुआ। यह है धूर्त और धनवान लोगों का शासन, जो कायम होता है।

एक-एक करके व्यवस्थाएं हमने ऐसी क्रीएट कर लीं कि हम ही तो

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

हाई कोर्ट में जाकर एप्लिकेशन लगा लेंगे और हाई कोर्ट से खारिज करवा लेंगे और कहेंगे, यह लो, सब काम खराब हो गया। तो न्याय व्यवस्था हो गयी।

हम सब जो यह काम करने जा रहे हैं, चुनाव सुधार पर बहुत बात हुई, चुनाव सुधार की परम्परा हम कायम नहीं कर रहे हैं। चुनाव में हम जाने वाले हैं। चुनाव में कितना पैसा खर्च होता है, सब जानते हैं और सबसे पहले झूठ बोलते हैं एफिडेविट देकर के, हमने तो इतना ही पैसा खर्च किया है।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): यह गाड़ियों की अब के व्यवस्था कैसे करेंगे? एक-एक गांव में 40-40, 50-50 गाड़ियां हो गयीं। उपाध्यक्ष महोदय, वे कहेंगे कि मेरी गाड़ी लगाओ, नहीं तो मैं तो उधर जा रहा हूं। सोचो, क्या होगा?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह, जो मैं कह रहा था, उसका विस्तृत दृश्य है, जो भाटीजी ने कह दिया। क्योंकि जब गांव का राज कायम कर रहे हैं तो गांव में 50-50 गाड़ियां हो रही हैं। यह समस्या सब सबके सामने आती है।

तो इसलिए हम वहां से शुरुआत करते हैं। इसलिए सरकार इस चुनाव आयोग और चुनाव पर जो समिति बनी थी, उसकी यह सिफारिश स्वीकार कर लेती कि सरकार जो है, चुनाव लड़ने वालों को अपने धन से कुछ पैसा मुहय्या कराये तो लोग उस मार से बच सकते हैं।

हमने पानी का मुद्दा नहीं समझा, जनसंख्या के बारे में मैंने कहा, दुर्घटनाएं रोकने के लिए हमने क्या किया? मैं आपको एक बात बहुत गम्भीरता से कह रहा हूं, आज सबसे बड़ी समस्या जिसको हम सब लोग जानते हैं... (व्यवधान) बता रहा हूं। हम सब लोग जाते हैं और हम सब लोग अपनी आंखें भरकर आ जाते हैं। मोटर साइकिल्स पर,गाड़ियों पर और जाकर पूरा का पूरा परिवार समाप्त हो जाता है। उसको कुछ सरकार दे देती है, कुछ एल.आई.सी. आदि से भी मिल जाता है लेकिन उनकी बच्ची, विधवाएं और बच्चे, जिस प्रकार से 15 हजार आदमियों की मृत्यु हर रोज इन सड़क दुर्घटनाओं से हो रही है, उसको रोकने के लिए आपने अपने चुनाव घोषणा-पत्र में भी कहा था कि सेफ्टी काउंसिल भी बनाई है लेकिन दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एक, सरकार के कारण से नहीं बढ़तीं, शराब के कारण से भी है, वाहन अंधाधुंध चलाने के कारण से भी है, सारे प्रकार से कोई नियंत्रण न होने

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

के कारण से है, लेकिन यह बहुत बड़ा महामृत्यु का कारण बन गया है जिसको रोकने का हमने सामूहिक रूप से कोई प्रयत्न नहीं किया।

आज आवश्यकता है, कुछ वरिष्ठ नागरिकों की भी समस्याएं बढ़ गई हैं। इसमें कोई आपका प्रावधान नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप वरिष्ठ थोड़े ही हुए हो?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हो गया मैं भी वरिष्ठ। मैं भी 65 के ऊपर चला गया और 65 से 70 लाख आदमी...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह अखबारों में जो समाचार आ रहे हैं कि 65 से ऊपर वालों को पार्टियां टिकट नहीं देंगी, उसके बारे में भी अपने विचार व्यक्त करिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं देगी तो अपन आराम से... (व्यवधान) यह, साहब, मैं तो कह रहा हूं कि सब पार्टियों में ही लागू हो जाए तो ठीक है।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): फिर क्या करेंगे? 65 के बाद में क्या करेंगे?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आपने तो ढूंढ लिया अपना काम। आप तो दवाई दे दोगे लोगों को।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि ये जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उन वरिष्ठ नागरिकों को भी कुछ काम दिया जाना चाहिए। इनमें रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों की बहुत बड़ी संख्या है। यह जो सर्टिफिकेट्स बनते हैं सारे के सारे, यह अनुसूचित जाति का, जनजाति का, आय वर्ग का, अगर किसी भी प्रकार से इनको यह अधिकार दिये जाएं कि ये इस प्रकार का काम करें, तो ये समाज में अपनी सेवाएं भी दे सकेंगे और सामाजिक कार्य भी कर सकेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, मैं धन्यवाद दूंगा, संसदीय कार्य मंत्रीजी, आपको भी कि हमने विधायक कोष को 2 करोड़ रुपए कर दिया। उसका लाभ इधर के भी विधायकों और हम सबको भी मिला। यह कुछ काम हमने किये। लेकिन मूल रूप से जो काम करने के नहीं थे, आज देश में आवश्यकता हो गई है कि हम लोगों को लड़ा रहे हैं, अंग्रेजों को दोष देते थे हम कि अंग्रेजों ने लड़ाकर राज किया, आज अगर सबसे ज्यादा

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

कोई लड़ा रहा है तो राजनीतिक दल लड़ा रहे हैं। आरक्षण के नाम से लड़ा रहे हैं। किसका आरक्षण? कौन रोक रहा है आरक्षण को? लड़ाई किसके लिए कर रहे हैं हम? अनुसूचित जाति और जनजाति में जो गरीब बच गये हैं, उनके आरक्षण की लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा है। ब्राह्मण, बनिये, राजपूत, कायस्थ और बचे हुए मुसलमान जो ओ.बी.सी. में नहीं हैं, उनके जो गरीब लोग हैं, उनकी लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा है। केवल कुछ लोगों के प्रमोशन की लड़ाई में हम सारे समाज को बांटना चाहते हैं। यह उचित नहीं है। इसमें जो वंचित वर्ग है, वंचित वर्ग केवल सवर्णों में नहीं, अनुसूचित जाति और जनजाति में भी आप देखेंगे तो आज एक सर्वे की आवश्यकता है कि 65 साल में कितने प्रतिशत लोगों को आरक्षण मिला और कितने प्रतिशत आज भी उसी स्थिति में पड़े हैं? उनका क्या होगा? उनके लिए कोई लड़ाई शुरू की जाए, इन वंचितों के लिए कोई लड़ाई शुरू की जाए; राजनीतिक सारा का सारा जो ढांचा है उसमें परिवर्तन की लड़ाई शुरू की जाए, तब तो ये विधान सभाएं सार्थक माध्यम बनेंगी, तब हमारा यह विनियोग विधेयक और उनमें लगाया गया पैसा किसी के काम आएगा, ठीक होगा, नहीं तो, महाराज-

'समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र,
जो तटस्थ है, समय लिखेगा उसका भी अपराध।'

आज जिस प्रकार से यह पतन हो रहा है, उसमें अगर हमने यह काम नहीं किया तो आप समझ लीजिए कि रामधारी सिंह दिनकर की वे कविताएं हैं, जब जयप्रकाशजी का आंदोलन हुआ था, आज देश में पुन: वैसा ही वातावरण बन रहा है। पुन: अब भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन खड़ा होगा, पुन: काले धन के खिलाफ आंदोलन खड़ा होगा, पुन: हमारे चरित्रों के खिलाफ आंदोलन शुरू होगा और वे लोग आवाज देंगे कि- 'सिंहासन खाली करो कि जनता आती है।'

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपना विरोध करता हुआ, अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: इधर से कोई है सत्ता पक्ष का? माननीय श्री ओमजी बिरला।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम आज वित्त विधेयक, 2013 पर चर्चा कर रहे हैं। इस वर्तमान शासन ने 2009 के अन्दर कार्यभार सम्भालने के बाद इनकी सरकार का अंतिम बजट, जो बजट

(श्री ओम बिरला)

दिखने में आम अवाम के जीवन परिवर्तन करने का भी दिख रहा है, इस बजट के माध्यम से हम राजस्थान के छोटे गरीब तबके के लोगों के जीवन का परिवर्तन भी करेंगे और कुछ घोषणाएं ऐसी भी की गई हैं जो शायद हमारे प्रजातांत्रिक, डेमोक्रेटिक सिस्टम के अन्दर...। आजादी के बाद 1950 से लेकर 1951 तक, जब प्रथम मुख्य मंत्री के रूप में केवल 16 करोड़ रुपए का बजट रखा था, आज हम 40 हजार करोड़ रुपये का बजट रख रहे हैं। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह चिंता लगातार इस दस वर्ष में बढ़ती जा रही है, हो सकता है कि सरकार चाहे आंध्र प्रदेश की हो, चाहे कर्नाटक की हो, चाहे तमिलनाडु की हो, जिस तरीके से सरकारों ने जनता के धन का अपने वोट बैंक के आधार पर, नकद पैसा मतदाताओं को बांट कर दुबारा बहुमत प्राप्त करने का जो प्रयास किया जा रहा है, वह लोकतांत्रिक इतिहास के लिए उचित नहीं है। मैंने 1950 से लेकर अभी तक के बजट देखे हैं, किसी बजट के अन्दर सरकारी धन को, जनता को नकद के रूप में बांट कर वोटों को खरीदने का काम नहीं हुआ। लेकिन राजस्थान के इस इतिहास में, इस बजट के अन्दर जिस तरीके से नकद पैसा मतदाताओं को देकर वोट खरीदने का प्रयास किया जा रहा है, यह प्रजातंत्र, लोकतंत्र के लिए उचित दिशा नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट होता है, व्यक्ति के जीवन में आमूल-चूल परिवर्तन, उसका सामाजिक, उसका आर्थिक बदलाव हो और बदलाव के साथ-साथ, पूंजीगत व्यय के माध्यम से राज्य की सम्पत्तियों को बनाते हुए राज्य के आधारभूत ढांचे का विकास करने का। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम इन चार बजटों को पेश करने के बाद भी, जब 2000 के अन्दर यू.एन.ओ. में 179 देशों ने यह तय किया था कि हम 2015 तक हमारे मानव सूचकांक, जिसमें शिशु मृत्यु दर भी थी। मातृ मृत्यु दर भी थी, कुपोषणता भी थी और उसमें हिन्दुस्तान भी एक देश था जिसने यह तय किया था कि 2015 तक हम इन लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे और इन लक्ष्यों के आधार पर व्यक्ति के जीवन को परिवर्तन करने वाले सूचकांकों को ऊंचा उठायेंगे। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे जनगणना के आंकड़े जो बता रहे हैं, हमारा स्टेटस जो बता रहा है, आज जहां पर हमारी जी डी पी जो हमारे घरेलू उत्पादन वृद्धि को दर्शाती है, जिस तरीके से हम लगातार 2010-11 में 15.28, 2011-12 में 6.11 और 2012-13 में क्या रहा, माननीय, 5.53, इस जी डी पी

(श्री ओम बिरला)

के माध्यम के साथ हम उन मानव सूचकांकों की चर्चा करें तो, माननीय, पूरे देश की प्रति व्यक्ति जहां 35,993 होनी चाहिये, वहां राजस्थान के अन्दर प्रति व्यक्ति आय 26,436 है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर में हमारा जो रेशो है, हमने कई योजनाएं शुरू कीं, उन योजनाओं में जननी शिशु सुरक्षा योजना, मुफ्त दवा योजना, बच्चों के लिये विशेष आई सी यू, उसके बाद भी चार साल के अन्दर हम देश के उन सूचकांकों से आज क्यों दूर हैं? क्यों नहीं हम विधान सभा में चर्चा करके गर्व से कहते कि हमारा राजस्थान स्टेट आंकड़ों के अन्दर देश में सबसे अग्रणी है? हम बच्चों को जिन्दा बचा नहीं सके। 0 से 28 माह के शिशु की देश में 1 लाख में से 318 संख्या रहती है, वहां पर हमारे 432, जन्म दर के अन्दर 26.2, जबकि पूरे भारत का 21.2, हमारा कितना, 26.2 । हम महिलाओं को बचा नहीं सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये आंकड़े मेरे नहीं हैं। इन आंकड़ों को देखने के बाद मुझे लगता है कि इतना बड़ा बजट रखने के बाद भी हम देश के एक ही मापदण्ड के अन्दर, चाहे वह शहर की आबादी के अन्दर हो, चाहे बैंक के अन्दर डिपोजिट हो, पूरे देश के अन्दर प्रति व्यक्ति डिपोजिट था 44,833 रुपये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वहीं पर राजस्थान में प्रति व्यक्ति 18,790 रुपये है।

हमारी चिन्ता इस बात की है, देश के अन्दर भौगोलिक रूप से सबसे बड़ा प्रदेश कहलाते हैं, हमारी चिन्ता, हम राजस्थान के अन्दर, राजस्थान के कई मंत्री भी, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी राज्य को विशेष दर्जे की मांग को लेकर दिल्ली के दरवाजे पर दस्तक दी। पहली बार हिन्दुस्तान के अन्दर, आजादी के बाद जहां 44 साल कांग्रेस का शासन रहा, वहां 17 साल बाद राज्य और केन्द्र में कांग्रेस की सरकार है और इस आधार पर हम अपना दुखड़ा वहां व्यक्त करने गये थे। हमारी भौगोलिक स्थिति के आधार पर, हमारी एस.सी., एस.टी. की जनसंख्या के आधार पर, हमारे गिरते जल स्तर के आधार पर, सतही पानी के आधार पर, हम राजस्थान को विशेष दर्जे की बात कहने दिल्ली के दरवाजे पर भी गये। शायद अच्छा होता, राजस्थान के मुख्य मंत्री, सारी विधान सभा एक मत थी, जब प्रधान मंत्री यहां आये थे, मंत्रिमण्डल के सारे सदस्य यहां आये थे, दलीय व्यवस्था से ऊपर उठकर हम राजस्थान के

(श्री ओम बिरला)

विशेष दर्जे की भौगोलिक स्थिति पर चर्चा करते। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस तरीके के हालात हैं, हम राजस्थान को विशेष दर्जा नहीं दिला पाये।

इतना ही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर मैं यहां पर इनकी योजनाओं की चर्चा करूं तो इस सरकार का सिस्टम यहां फेल होता है। 100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अन्दर जो सरकार पैसा खर्च नहीं कर पाये, हम इसलिए राज कर रहे हैं? हमारा ब्यूरोक्रेसी सिस्टम इतना कमजोर है? हमारा इतना नियन्त्रण नहीं है? केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में कई योजनाएं ऐसी हैं जो व्यक्ति के जीवन के लिये जरूरी हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन 9 परियोजनाओं के अन्दर कोई परियोजना ऐसी नहीं है, जो केन्द्र की 100 प्रतिशत सहायता की थीं, जिस पर हमने 100 प्रतिशत पैसा खर्च कर दिया हो। हमारे सारे सिस्टम पर प्रश्नचिह्न लग गया है। दिल्ली का दरबार यह कहता है कि आप विशेष योजनाओं में पैसा लेने आते हो, कभी आप पानी के लिये पैसा लेने आते हो, आपकी हालत क्या है! आप एक राज्य लघु सिंचाई सुधार योजना में 182.34 करोड़ रुपये में से मात्र 83 करोड़ रुपये ही खर्च कर पायें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, जिस पीने के पानी के लिए हम विशेष दर्जे की बात कर रहे थे, उस जलप्रदाय योजना के अन्दर भी 550 करोड़ की योजना में हम केवल 13.50 करोड़ रुपये खर्च कर पाये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम शासन इसलिए चला रहे हैं कि हम शत-प्रतिशत योजनाओं को पूरा कर पायें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से आज राजस्थान के अन्दर कृषि उत्पादन और कृषि उत्पादन के माध्यम से हम व्यक्ति के जीवन को सुधार सकते थे, लेकिन आज हम लगातार कृषि के जी डी पी में घट रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा कृषि क्षेत्र लगातार घट रहा है। पिछले वर्ष हम 31.41 प्रतिशत थे, जो घटकर 19.88 हो गये।

इतना ही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम खाद्यान्न उत्पादन के अन्दर भी लगातार घट रहे हैं। हम खाद्य उत्पादन कर लें, हम खाद्य उत्पादन को खरीद नहीं सकें। सरकार योजनाएं बना दें, एक भी एम एस पी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर न चना खरीदा गया, न उड़द खरीदा गया। और तो और, गेहूं

(श्री ओम बिरला)

के लिए आपको कल हमने बताया था कि जब केन्द्र सरकार की योजना है, तो उन योजनाओं को अपने को एग्जीक्यूट करना है। हम उन योजनाओं को एग्जीक्यूट नहीं कर पाये हैं जिसके कारण लगातार हमारा खाद्यान्न उत्पादन 20 प्रतिशत घट गया। यह हमारी चिन्ता का विषय है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बजट आया। इतना बड़ा बजट और उस बजट के बाद भी जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है; माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज 2012 में गत वर्षों से तुलना करूं तो 22 प्रतिशत महंगाई की वृद्धि हुई है, लेकिन आम आदमी की आमदनी, वह 3.69 प्रतिशत ही बढ़ी है।

(14.48 बजे)

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

महंगाई चरम पर होती जा रही है और आम आदमी की इन्कम, आमदनी घटती जा रही है। माननीय सभापति महोदय, यह हमारे लिए चिन्ता का विषय है।

इतना ही नहीं माननीय सभापति महोदय, जिस तरह से हम कर्ज लेते जा रहे हैं और कर्ज हमारा ही नहीं, कर्ज हमारे साथ हमारे राजकीय उपक्रम और राजकीय उपक्रम में जिस तरीके से बढ़ता कर्ज, और उसकी एफिशिएंसी हमारे लिए चिन्ता का विषय है।

माननीय सभापति महोदय, कैग की रिपोर्ट ने भी 2011-12 में गम्भीर टिप्पणी की है। उन्होंने जो गम्भीर टिप्पणी की है, वह हम सबके लिए चिन्ता का विषय है। जिस तरीके से हमारे यहां पर लगातार राजकीय उपक्रमों में घाटा बढ़ता जा रहा है और लगातार घाटा बढ़ने के साथ, हम उस राजकीय उपक्रम के अन्दर गवर्नमेंट आफ राजस्थान की गारण्टी होने के बाद, आज बिजली से लेकर तमाम राजकीय उपक्रम ले लो, क्यों बिजली की छीजत होती है? किसलिए बैठा रखी हैं तीन-तीन कम्पनियां? क्या नियंत्रण है हमारा? क्यों नहीं हम छीजत रोक पाये? आज जिस तरीके से 55 हजार करोड़ से ज्यादा राजस्थान की जनता के ऊपर बिजली के भार के रूप में पड़ेगा आने वाले समय में, राज्य सरकार अपने पैसे से दे दे। जनता का पैसा है यह। एक आदमी बिजली चोरी करे और एक तरफ ईमानदारी से बिजली ले।

सभापति महोदय, यह सरकार की कार्यशैली की विफलता है जिसके कारण हम लगातार बिजली के कर्ज और अन्य कर्ज से दबते जा रहे हैं।

(श्री ओम बिरला)

सभापति महोदय, हम बार-बार चिन्ता व्यक्त कर रहे थे कि हम एस सी, एस टी के हैं...

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): सभापति महोदय, सरकार सो रही है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): समय हो गया उनका। बुरा मत मानो। वे तो चुनाव में भी चिन्ता नहीं करते, विश्राम करते हैं।

श्री सभापति: मंथन और चिन्तन हो रहा है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल ने भी चिन्ता की। उस एस सी, एस टी के बजट के अन्दर, जितनी हमारी एस सी, एस टी की आबादी है, उसके माध्यम से हम राजस्थान को विशेष दर्जे की बात कर रहे हैं, उस एस सी, एस टी के बजट की क्या स्थिति है? सभापति महोदय, 1,188 करोड़ रुपये यह सरकार खर्च नहीं कर पायी।

जिस तरीके से सरकार में पूंजीगत व्यय में कटौती होती जा रही है, यह हम सबके लिए चिन्ता का विषय है क्योंकि अगर पूंजीगत व्यय में कटौती होगी और जिस तरीके से हम नकद पैसे के आधार पर वोट खरीदना और उसके आधार पर सत्ता प्राप्त करना, यह डेमोक्रेसी के लिए उचित लाइन नहीं है। इसीलिए लगातार पिछले वर्ष के मुकाबले 2012-13 के अन्दर 124 करोड़ रुपया पूंजीगत व्यय में कमी हुई है।

सभापति महोदय, आज हालत क्या है, राजस्थान का कोई वर्ग ऐसा नहीं है जो यहां पर दस्तक नहीं दे रहा हो। मैंने तो ऐसा राजस्थान विधान सभा के इतिहास में कभी नहीं देखा। कर्मचारी हो, मजदूर हो, शिक्षक हो, पैराटीचर्स हों, विद्यार्थी मित्र हों, सरकार सबको धोखा देती रही। चुनाव के पहले कहती रही कि आप लोगों के साथ न्याय करेंगे, विद्यार्थी मित्रों को परमानेंट करेंगे, कम्प्यूटर टीचर को लगायेंगे, आयुष चिकित्सक लगायेंगे। तमाम वर्ग इस विधान सभा के बाहर देखा गया।

आप सरकार चला रहे हैं, अच्छा होता कि नकद भुगतान की जगह उस कुपोषित बच्चे, आज राजस्थान में शर्म आती है, राजस्थान कुपोषण के अन्दर, हम नीचे से ऊपर चलें तो सबसे नीचे यह हालत कुपोषण की हो चुकी है। आप बड़े दावे कर रहे थे कि गुजरात के अन्दर कुपोषण हो रहा है, सभापति महोदय, इसी बजट के अन्दर 29.5 करोड़ की तुलना में 18 हजार, मतलब, आप

(श्री ओम बिरला)

देखें कि जहां 29 करोड़ रुपये बजट होता था, उसको हमने 18 करोड़ कर दिया। क्या हम कुपोषण से बाहर हो चुके हैं? क्या हम कुपोषण से बच्चों को बचा पाये हैं? इस सरकार ने राजस्थान के पांच बजट पेश करने के बाद भी राजस्थान के लोगों का जीवन स्तर उठाने का काम नहीं किया।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं अपनी बात पूरी कर दूं, मुझे पांच मिनट लगेंगे।

मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि औद्योगिक विकास हमारा जिस तेजी से होना चाहिए, हम औद्योगिक विकास नहीं कर पाये। बजट में जो प्रावधान रखा जाता है, बजट प्रावधानों के आधार पर हम व्यक्ति के जीवन स्तर को उठा सकें, हम लगातार व्यक्ति के जीवन स्तर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारे साथ कोई ऐसा विषय नहीं बचा, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल से लेकर, हमारी आधारभूत योजनाएं बनाते समय हमारे विजन की कमजोरी होने के कारण हम चम्बल से भीलवाड़ा पानी ले जाने की योजना बना रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय आसन पर विराजे हुए थे, उनके नजदीक पानी की योजनाओ थीं लेकिन एक केन्द्रीय मंत्री की जिद थी, इसलिए कोटा से पानी भीलवाड़ा ले जाया गया। हजारों करोड़ की योजनाओं के लिए वर्ल्ड बैंक से पैसे लेकर राजस्थान को कर्जे में डुबो रहे हैं। सभापति महोदय, पानी की योजनाएं बननी चाहिए, इर्रिगेशन सिस्टम बनना चाहिए लेकिन जहां सबसे नजदीक का क्षेत्र हो, वहां पर पानी लिफ्ट करके हम पीने के पानी की योजनाएं बनायें। यह सरकार पीने के पानी में तो केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं में खर्च नहीं कर पाये और वर्ल्ड बैंक से नये-नये कर्जे लेकर इस राजस्थान को कर्ज में डुबोने का काम कर रही है।

सभापति महोदय, मैं लम्बी-चौड़ी बात नहीं करते हुए, मेरे इलाके की बात करना चाहता हूं; क्योंकि माननीय मंत्री महोदय भी यहां बैठे हुए हैं। इस बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि प्रोफेसर विजय व्यास कमेटी के अनुसार हम जोधपुर में आई आई टी ले जाएंगे। कमेटी की रिपोर्ट है; पूर्ववर्ती सरकार ने आई आई टी कोटा में दी, हमारे साथ राजनीतिक पक्षपात किया गया, कोटा से आई आई टी छीन कर ले गये। राजनीतिक चश्में से लोकतंत्र के अन्दर सरकारें चलेंगी तो घोर उपेक्षा होगी।

इतना ही नहीं, सभापति महोदय, जो ट्रिपल आई टी दी, जिस पर शहर के विधायकजी ने ताली बजायी थी शायद उनको ट्रिपल आई टी दिख गयी

(श्री ओम बिरला)

होगी, उन्होंने ट्रिपल आई टी का उद्‌घाटन भी कर दिया होगा, आज भी कोटा शहर की जनता इस धोखे के आधार पर ट्रिपल आई टी को देख रही है।

सभापति महोदय, कोटा में आर एम सी, एल एम सी के आधार पर महलों के सुदृढ़ीकरण के लिए 1,272 करोड़ की योजना बनी। इस सरकार ने आर एम सी, एल एम सी के जीर्णोद्धार के लिए उसमें से एक रुपया खर्च नहीं किया।

सभापति महोदय, एक तरफ कोटा का मेडिकल कालेज जो 15 साल से एक हजार बेड के लिए इन्तजार कर रहा था, सरकार ने एक हजार बेड के लिए 10 करोड़ रुपये का फंड रखा। एक तरफ उस मेडिकल कालेज को पूर्ण करने की आवश्यकता थी और जोधपुर के अन्दर 44 करोड़ रुपया रखा गया। वहां मेडिकल कालेज आज भी अधूरा है।

सभापति महोदय, इतना ही नहीं, गरड़दा का बांध, जिससे बूंदी इलाके की सिंचाई होनी थी, 134 करोड़ रुपये से ज्यादा का गरड़दा का बांध टूट गया इस सरकार के टाइम में। जिस चीफ इंजीनियर की मेहरबानी से टूटा, उसको पदोन्नत कर दिया। अब कह रहे हैं कि 55 करोड़ रुपये लगायेंगे। बूंदी के लोग तो तरस रहे हैं लेकिन गरड़दा का बांध आज भी पूरा नहीं हुआ। वह कालीसिंध परबन नदी, जिस सूखी कालीसिंध नदी पर मुख्य मंत्रीजी सभा करके आये थे, जनता से वादा करके आये थे कि इस नदी पर बांध बनायेंगे, आज वह कालीसिंध परबन नदी अधूरी पड़ी हुई है।

सभापति महोदय, इस सरकार के बजट आबंटन और उसके आबंटन के आधार पर क्षेत्र का विकास होना चाहिए। राजनीतिक पक्षपात के आधार पर सम्पूर्ण हाड़ौती क्षेत्र की उपेक्षा की गई। सारे बजट का एक-चौथाई हिस्सा जोधपुर के लिए लाकर खड़ा कर दिया। अच्छा होता, जो क्षेत्र अविकसित थे, जिनके विकास की संभावनाएं थीं, जिन्हें विकास के बराबर लाना चाहिए था, बजट उस अनुपात में बंटता। एक–एक पैसा अविकसित क्षेत्र में लायें। पहले विकसित जिलों के साथ खड़ा करो ताकि राजस्थान का सर्वांगीण विकास हो सके।

सभापति महोदय, आपके इलाके चित्तौड़ के साथ उपेक्षा की है, मेवाड़ के साथ भी उपेक्षा की है। आप बोल नहीं सकते।

मैं फिर दावे के साथ कह रहा हूं कि आप उस जोधपुर की धरती पर

(श्री ओम बिरला)

कितना भी बजट दे दें, उस जोधपुर की धरती से दुबारा इस सरकार के नुमाइन्दे चुन कर नहीं आ सकते और जिस तरीके से हाड़ौती क्षेत्र की बजट में घोर उपेक्षा की, सभापति महोदय, जिस तरीके से इस सरकार ने हमारी बिन्दुबार उपेक्षा की है, उसका परिणाम इस सरकार का भुगतना पड़ेगा।

(15.00 बजे)

श्री सभापति: विराजो। श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, आज सदन के अन्दर राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2013 और राजस्थान वित्त विधेयक, 2013 पर चर्चा हो रही है और इस चर्चा के लिए सरकार कितनी गम्भीर है, इसमें मेरी निगाह अधिकारी दीर्घा की तरफ जाती है तो मुझे आश्चर्य होता है कि आज वित्त विभाग के प्रमुख शासन सचिव से लेकर कोई आला अधिकारी नहीं; सदन के अधिकांश, सदन के अन्दर, माननीय मंत्री आराम फरमा रहे हैं और निद्रा की मुद्रा में, संसदीय कार्य मंत्रीजी, आप विराजे हैं, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

यह जो विनियोग विधेयक आया है, जो वित्त विधेयक आया है, यह संविधान के आर्टिकल 204 के (एक) के अनुसरण में आया है और, सभापति महोदय, इस विनियोग विधेयक के माध्यम से राज्य के कंसोलिडेटेड फंड से यह सरकार इस सदन से इजाजत ले रही है 97 हजार 331 करोड़ 70 लाख 84 हजार, 31 मार्च, 2013 तक खर्च करने की। विधेयक के साथ जो संलग्न अनुसूची है, उसमें यह दर्शाया गया है कि वोटेड मद में, और वोटेड में भी रेवेन्यू हैड में यह सरकार इस सदन से 68 हजार 427 करोड़ 61 लाख 31 हजार की अनुमति ले रही है। मैं समझता हूं, सभापति महोदय, अब तक की सबसे बड़ी राशि है जो इस एप्रोप्रिएशन बिल के माध्यम से सरकार ने इस सदन की अनुमति के लिए प्रस्तुत की है।

सभापति महोदय, बजट बनता है, बजट के अनुमान बनते हैं, अनुमान के बाद फिर रिवाइज्ड एस्टिमेट्स आते हैं और रिवाइज्ड एस्टिमेट्स के बाद फिर एप्रोप्रिएशन बिल। मैं समझता हूं कि इतनी बड़ी राशि अगर हम कंसोलिडेटेड फंड से अब खर्च करने की अनुमति इस सदन से ले रहे हैं तो बजट के जो अनुमान थे, वे पूरे के पूरे विकृत नहीं हो गये तो क्या हो गये? क्या मतलब रहेगा? यह कैसा सरकार का वित्तीय प्रबन्धन है? और अगर इसके

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पीछे कोई कारण है तो, सभापति महोदय, यह वित्त विभाग भ्रम के मकड़जाल में है, निश्चय और अनिश्चय के दौर में है। जहां तक मैं समझता हूं, यह जो रेवेन्यू हैड में इतनी बड़ी राशि 68,427 करोड़ की आप ले रहे हैं, इसमें अधिकांश राशि वेतन-भत्तों पर खर्च होगी, सोशल सर्विसेज पर खर्च होगी, पुराने असेट्स को मेन्टेन करने के लिए खर्च होगी।

सभापति महोदय, सरकार ने, जब मुख्य मंत्रीजी ने बजट प्रस्तुत किया, उसके पैरा 272, 273 की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इस पैरा में आपने राज्य के कर्मचारियों को यह कहने की कोशिश की है कि कृष्णा भटनागर समिति की सिफारिश के आधार पर हम, सरकार राज्य के साढ़े छह लाख कर्मियों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। सभापति महोदय, आपको आश्चर्य होगा यह जानकर कि यह कृष्णा भटनागर समिति वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए 19 सितम्बर, 2008 में बनी और 5 अप्रैल, 2010 में इस सरकार के पास इस समिति की रिपोर्ट आ गयी। तीन साल तक कृष्णा भटनागर समिति कबाड़े में पड़ी रही, उस पर से धूल हटी नहीं। अब जब सरकार की चूलें हिलने लग गयीं, सरकार के पाये हिलने लग गये, तब सरकार को ध्यान आया कि कृष्णा भटनागर समिति की आड़ में हम कर्मचारियों को भ्रमित कर दें।

सभापति महोदय, मुझे याद आ रहा है, 28 फरवरी को राज्य के कई कर्मचारी संघों ने बड़े-बड़े विज्ञापन देकर मुख्य मंत्रीजी का आभार व्यक्त किया और आज, जिन्होंने आभार व्यक्त किया, आज वे राजस्थान के कर्मचारी आक्रोश रैली के रूप में इस राजस्थान के सर्वोच्च लोकतांत्रिक मन्दिर का दरवाजा खटखटा रहे हैं और यह कह रहे हैं कि आपने घोषणा पत्र में वादा किया था, छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशें आप केन्द्र के समान एक जनवरी, 2006 से लागू करेंगे, अब आपने यह कह दिया कि हम एक जनवरी, 2006 से लागू करें पर नोशनल लेवल पर, यानी काल्पनिक रूप से और वास्तविक लाभ आप देंगे एक जुलाई, 2013 से। यानी 90 महीने का वह लाभ जो कर्मचारियों को मिलना चाहिए था, आज वह चाहे वेतन का हो, चाहे एरियर का हो, चाहे भत्तों का हो, आज राजस्थान को वह कर्मचारी पूछ रहा है कि 90 महीने का वह लाभ राजस्थान की सरकार अपने चुनाव घोषणा पत्र को, जिस घोषणा पत्र को आपने कभी बाइबल, कभी गीता कहा, कभी अपने चुनाव का आधार कहा, कभी आपने कहा कि मंत्रिमण्डल की पहली बैठक में हमने घोषणा पत्र को लागू करने के लिए निर्णय ले लिया, आज राजस्थान का कर्मचारी इस

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

राजस्थान की विधान सभा के बाहर खड़ा यह पुकार रहा है, यह कह रहा है कि अपनी घोषणा के अनुसार आपने इस घोषणा पत्र को लागू क्यों नहीं किया? मैं निवेदन करना चाहता हूं, संसदीय मंत्रीजी, आप पहले भी इन कर्मचारियों के गुस्से के दंश को झेल चुके हो, अब फिर तैयार हो जाओ और यह बोरिया-बिस्तर बांधने की तैयारी भी आप कर लो।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं यह एप्रोप्रिएशन बिल नहीं है, यह मिस–एप्रोप्रिएशन बिल है, क्योंकि जिस रफ्तार से सरकार ने अपने राजस्व खर्चे को बढ़ाया, उस रफ्तार से पूंजीगत खर्च, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ पाया। राजस्थान में परिसम्पत्तियों का निर्माण यह सरकार नहीं कर पायी। बड़े-बड़े आकार की योजनाएं बनायीं, योजना बनाकर आपने बड़ी वाहवाही लूटने की कोशिश की पर आपकी ये बड़ी-बड़ी योजनाएं वित्तीय संसाधनों के अभाव में दम तोड़ती चली गयीं। आज जहां नारा लगा रहे हैं 'चार साल बेमिसाल,' और राजस्थान की जनता कह रही है कि 'टूटी आम जन की आस'। अब बदला लेने के लिए आतुर है।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान चुनाव घोषणा पत्र की ओर दिलाना चाहूंगा। इस घोषणा पत्र को बनाने में जो समिति थी, उसमें संसदीय कार्य मंत्री भी थे, इन्होंने पूर्ववर्ती सरकार पर आरोप लगाया था, पूर्ववर्ती सरकार ने राजस्थान को कर्जे में डूबो दिया, 79 हजार करोड़ का कर्जा राजस्थान के माथे पर लाद दिया, प्रति व्यक्ति कर्ज भार 12 हजार हो गया। यह कोई पहली बार नहीं है, मुझे वह मंजर भी याद आता है 1998 का, सरकार में आये थे आप, माननीय भैरोंसिंह जी के नेतृत्व में हम प्रतिपक्ष में आये थे, हमारी संख्या कम थी, तब भी आपने कहा कि 23 हजार करोड़ का कर्जा राजस्थान के माथे पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार छोड़ कर चली गयी। आपने श्वेत पत्र जारी किया था। आज आपकी इस सरकार का यह अंतिम बजट है और इस बजट के अन्दर अगर आप सारी चीजों को देख लें, सभापति महोदय, तो 2003 और 2008 में जो प्रति वर्ष कर्जा इस सरकार ने लिया, वसुन्धरा जी की सरकार ने लिया, वह आता है 4,455 करोड़ रुपये और आपका इन चार वर्षों का औसत, यह पांचवां वर्ष तो मैं जोड़ नहीं पाया, इन चार वर्षों का औसत आता है 7,487 करोड़ रुपये। आपकी विकास दर ...

सभापति महोदय, किस को सुनाऊं, मेरे को बता दो। किस को सुनाऊं

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

यह दुखड़ा? सभापति महोदय, मैं राजस्थान की अवाम की वह पीड़ा किसको सुनाऊं? मुझे वह दरवाजा बता दो जिस पर दस्तक देकर मैं उस पीड़ा का इजहार करूं?

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कोई दम हो तो सुनें। वह ही बार-बार। यही बहुत हैं इनके लिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अब आप देखिये, संसदीय कार्य मंत्री कहां खड़े होकर बोल रहे हैं। आपका दम तो, संसदीय कार्य मंत्रीजी, यह राजस्थान की विधान सभा में मेरी बात चल रही है, तैयार हो जाओ, वह समय आयेगा जब आपके दम से, दम क्या, दमा के रोग से ग्रसित हो जायेंगे और आपकी संख्या कितनी हो जायेगी, यह देख लेना आप।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाह रहा था कि 2003-04 में जो कुल कर्ज भार था, वह 53,361 करोड़ रुपये; 2007-08 में हो गया, 77,138 करोड़ रुपये; और 2012-13 में हो गया, 1,16,074 करोड़ रुपये और आज 2013-14 का जो इस बी.ई. के अन्दर 15,409 करोड़ रुपये इन्होंने कर्जा लेने की बात कही है, अगर उसको जोड़ दें तो यह कर्जा बनता है, 1,31,438 करोड़ रुपये और इसके अन्दर अगर उन प्रदत्त गारंटी-युक्त प्रतिभूतियों को जोड़ लें तो यह कुल कर्ज, देनदारी है राजस्थान पर, 1,92,194 करोड़ रुपये। यह राजस्थान की अर्थ-व्यवस्था और अर्थ-व्यवस्था की हालत है। राजस्थान को कर्जे में डुबोने का कर्म अगर किया है, कुकर्म किया है, माथे पर कलंक जायेगा। यह मैं नहीं कहता, यह राजस्थान की वह पुस्तिका कह रही है जो पुस्तिका आपने हमें बजट के साथ दी है, आपकी बजट स्टडी कह रही है, आपका बजट-एट-ए-ग्लांस कह रहा है। इन आंकड़ों के साथ कहां जायेंगे? राजस्थान को हम कहां ले जायेंगे?

सभापति महोदय, अगर इस हिसाब से आज प्रति व्यक्ति कर्ज की राशि को मैं निकालूं, तो 2003-04 में जो प्रति व्यक्ति कर्ज भार 9,445 रुपये था, आज बढ़कर हो गया 19 हजार, 166 रुपए। यानी, आज राजस्थान का आम व्यक्ति, चाहे गांवों में बैठा हो, शहरों में बैठा हो, अमीर हो, गरीब हो, इस राजस्थान की सरकार के चलते उस हरेक पर 19 हजार 166 रुपए का कर्जा है।

उसके साथ, आपकी विकास दर की क्या हालत है? आपकी विकास दर 2011-12 में 5.4 फीसदी थी, 2012-13 में अभी थोड़ी सी बढ़ी है, पर आज राष्ट्रीय औसत से आप कितना पीछे हो। आपने रिकार्ड कायम कर दिया, इस

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

बार के बजट एस्टिमेट्स में 15,409 करोड़ रुपये का कर्जा लेकर आपने रिकार्ड कायम कर दिया।

सभापति महोदय, रेवेन्यू डेफिसिट और सरप्लस की बात करें, 2011-12 में आपका रेवेन्यू सरप्लस था 3,357 करोड़ रुपये और 2012-13 में जो बजट एस्टिमेट आपने दिया, उसमें आपका रेवेन्यू सरप्लस रहेगा 927.61 करोड़ और आर ई में जब आप वापस आए तो कम होते-होते 771.91 करोड़ रुपये, यानी, 155 करोड़ रुपये आपकी राशि कम हो गयी। इस बार जो रेवेन्यू सरप्लस की आप बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं, यह निश्चित तौर पर सही बात है कि राजस्थान की सरकार जब से बाड़मेर के अन्दर क्रूड आयल मिला है, जब से बाड़मेर के अन्दर प्राकृतिक गैस मिली है, राजस्थान की सरकार को पांच हजार करोड़ के लगभग सालाना आय हो रही है। उसके बाद भी आप जो दिखा रहे हैं कि आपका रेवेन्यू सरप्लस 1,025 करोड़ रुपये रहेगा, पिछला ट्रैक रिकार्ड यह कह रहा है कि जिस तरह पिछली बार पिछले वर्ष में 155 करोड़ रुपये कम हुए, आपका यह कम होगा।

सभापति महोदय, मितव्ययता की बात करें, गांधीवादी दर्शन की बात करें और यह फिजूलखर्ची सामने दिख रही है। अभी कल ही मेरे प्रश्न के उत्तर में, मैंने पूछा था कि पिछले एक वर्ष में राजस्थान की सरकार ने सिर्फ विज्ञापनों में कितना पैसा खर्च किया है, विधान सभा के रिकार्ड पर है, 108 करोड़ रुपया राजस्थान की सरकार ने एक वर्ष में विज्ञापनों पर खर्च किया। यह है गांधीवादी सरकार का असली चेहरा।

सभापति महोदय, इसलिए कहना चाहूंगा कि नान-प्लान एक्सपेंडिचर है, यह 2012-13 के अन्दर, आपने बजट एस्टिमेट में लिखा, 52 हजार 846 करोड़ रुपये और आर ई के अन्दर जब आप आए तो यह बढ़कर हो गया 56 हजार 932 करोड़ रुपया। यानी, आपका यह अन्तर 4,086 करोड़ रुपये ज्यादा हो गया। फिजूलखर्ची, राजस्थान की सरकार, आम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति के टैक्स के द्वारा दिए गए पैसे को फिजूलखर्ची में उड़ाने में इस सरकार का कोई सानी नहीं है। इस बजट एस्टिमेट में 63 हजार 55 करोड़ रुपये का जो नान-प्लान एक्सपेंडिचर लिखा है, चुनावी साल है, आपने कुछ घोषणाएं कर दीं, घोषणाओं का वित्त-पोषण मुझे नजर नहीं आया। चाहे वह साड़ी की घोषणा हो, चाहे एक रुपये किलो में अनाज देने की घोषणा हो, जो ये घोषणाएं हैं, अगर ये घोषणाएं वित्त-पोषित हों, अगर ये घोषणाएं वित्त-पोषित नहीं होंगी तो निश्चित तौर पर,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जिस तरह अलग-अलग वर्गों को खुश करने की कोशिश सरकार कर रही है, जिस तरह कर्मचारियों का आक्रोश सरकार झेल रही है, मैं समझता हूं, नान-प्लान एक्सपेंडिचर निश्चित पर तौर बढ़ेगा।

फिस्कल डेफिसिट भी आपका लगातार बढ़ता जा रहा है। आपने 2012-13 की बी ई में कहा था कि हमारा फिस्कल डेफिसिट 8,650 करोड़, पर जब आप आर ई में आएं तो यह बढ़कर हो गया 11 हजार 203 करोड़ रुपये, यानी, 2,553 करोड़ रुपये अधिक। अब इस बार के बजट एस्टिमेट में आप लेकर आए हैं 13 हजार 19 करोड़ का। जब आप वापस रिवाइज एस्टिमेट में आओगे तो यह आंकड़ा कहां जाकर छुएगा?

सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि यह आंकड़ों का भ्रमजाल फैलाकर हम एक बार ताली बजवा सकते हैं लेकिन राजस्थान के लोग और उनकी बहबूदी के लिए अगर हम योजनाओं की घोषणा करके उन योजनाओं को धरती पर लागू नहीं करेंगे तो इन योजनाओं से कुछ मिलने वाला नहीं है।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, पांच बजे उत्तर देना है। बोलने दो ना।

श्री सभापति: आप बोलेंगे, उसके बाद प्रताप सिंह जी खाचरियावास हैं, फूलचन्द जी भिण्डा है, कटारिया जी हैं, अमराराम जी हैं।...(व्यवधान) आपकी भी स्लिप है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि यह राजस्थान ने जो कर्जा लिया है, इस कर्जे का जो ब्याज राजस्थान को चुकाना पड़ रहा है, अगर आप इस राशि पर निगाह डालोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि राजस्थान को आर्थिक बदहाली के किस दौर में हमने डालने का काम किया है, आज किस दौर से राजस्थान गुजर रहा है। मैं लम्बी बात नहीं कहूं, आपने कहा है, कम करूं, तो इस बार बजट एस्टिमेट में आपने खुद कहा है कि राजस्थान में आपको 9,241 करोड़ रुपये सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट के देने पड़ेंगे। इससे ज्यादा बुरी हालत राजस्थान की कोई हो नहीं सकती।

अभी कोटा दक्षिण से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि राजस्थान भाग्यशाली है, दिल्ली और राजस्थान में एक ही दल की सरकार है, कड़ी से कड़ी जुडी हुई है। लम्बी-चौड़ी बात आप एन डी सी की मीटिंग में करते हैं, बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि हम अपने प्रभाव से रिफाइनरी लेकर आ

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

गये। मैं पूछना चाहता हूं, आपका इतना प्रभाव होता तो यह जो आपकी शेयरिंग इन सेंट्रल टैक्सेज है, यह कम होता क्यों जा रहा है? आपने 2012-13 की बी ई में 17,706 करोड़ का अनुमान लगाया था, आर ई के अन्दर आप वापस आए 17,102 करोड़ रुपए। यह 604 करोड़ रुपये कम क्यों मिले? इस बार आपने बी ई में कहा है 20 हजार 360 करोड़ रुपये, यह वैश्विक मंदी का दौर चल रहा है, यह कैसे पूरा होगा? सेंट्रल टैक्स के अन्दर फाइनेंस कमीशन की रिकमंडेशन पर हमारा जो हिस्सा है, हमारा जो प्रतिशत है, वह निश्चित है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, यह सारी की सारी बात और चाहे तेरहवें वित्त आयोग की सिफारिश पर जो हमें ग्रांट-इन-एड मिल रही है, ग्रांट-इन-एड में भी 675 करोड़ रुपये कम मिले हैं। ग्रांट-इन-एड कम मिल रही है, सेंट्रल टैक्सेज में पैसा कम मिल रहा है और आप यह कह रहे हों; दिल्ली की सरकार में आपके मुख्य मंत्रीजी का बहुत बड़ा प्रभुत्व है।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपने इस बार भी कहा कि इस बार 40 हजार 139 करोड़ का प्लान आउटले आपने मंजूर कराया है। राजस्थान निर्माण के बाद सबसे बड़ा प्लान आउटले और इस प्लान आउट ले की हालत क्या हो रही है? आज 2013 के अन्दर जो आपका प्लान आउटले था 36 हजार 363 करोड़ रुपये और आपके खुद के प्रश्न के उत्तर में कहा आपने, दस महीने में जनवरी 2013 तक खर्च किया 19 हजार 970 करोड़ रुपये। यानी, प्लान आउटले के दो महीने बचे हैं, 31 मार्च को नया बजट लागू हो जाएगा, आप 54 परसेंट कम खर्च कर पाए हैं! और खर्च कम किसमें किया आपने, आपने कम खर्च किया, ऊर्जा में 53.5 फीसदी खर्च कर पाए, ग्रामीण विकास में 52.7 फीसदी कम कर पाए, सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं में आप 57.5 फीसदी कम कर पाए। यानी, आप अब कितना बड़ा आउटले बनाएं, पर उसका लाभ कैसे होगा, जब तक यह पूरा प्लान आपका पूरा नहीं होगा?

सभापति महोदय, जिस बात का जिक्र कोटा दक्षिण से आने वाले माननीय सदस्य ने किया, वर्ष 2000 में संयुक्त राष्ट्र की पहल पर आठ लक्ष्य निर्धारित किये गये थे 2015 के लिए, जिन लक्ष्यों को पूरे उन देशों को जो सिग्नेटरी थे उस ट्रीटी में, उनको पूरा करना था, आज एक लक्ष्य के पास भी हम नहीं पहुंच पाये। गरीबी उन्मूलन में हमारा लक्ष्य था 15.67 का, 2015 में पहुंचने का और आज हम खड़े हैं 17.22 पर। कुपोषण, जिसको प्रधान मंत्रीजी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

राष्ट्रीय शर्म कहते हैं, आज पूरे देश के अन्दर सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चे अगर कहीं हैं तो राजस्थान की धरती पर हैं। हम एक भी उसको पूरा नहीं कर पाये, सभापति महोदय।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

फाइनेंस बिल पर बाद में थोड़े ही बुलाओगे। (व्यवधान) सभापति महोदय, फाइनेंस बिल पर कुछ तो कहें।

श्री सभापति: मुझे आप बताओ कितना टाइम?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं तो दो मिनट में खतम कर रहा हूं।

श्री सभापति: फूलचन्द जी भिण्डा को कह दीजिए फिर, ये नहीं बोलें। फूलचन्द जी भिण्डा को रहने दो। आप बोल रहे हो, काफी है। सत्ता पक्ष से एक माननीय सदस्य प्रताप सिंह जी बोलेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सत्ता पक्ष में तो, दुर्भाग्य है कि खाचरियावास जी के अलावा कोई है ही नहीं। करें क्या तो? बुलाओ ना, पांच को बुलाओ। हमें क्या एतराज है?

श्री सभापति: समय ही नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं फाइनेंस बिल पर अपनी बात नहीं कहूं क्या? आप कहो तो नहीं कहूंगा। राजस्थान की विधान सभा में फाइनेंस बिल पर चर्चा करने का अगर मुझे वैधानिक अधिकार नहीं है तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री सभापति: आपका वैधानिक अधिकार है, मैं यह नहीं कह रहा। मेरा निवेदन इतना है कि समय को तो आपको और हमको मिलकर के ही तो देखना है। फूलचन्द जी भिण्डा को रहने दो। आप कह रहे हैं, बहुत है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं कोशिश करूंगा कि मैं मेरी बातें चन्द क्षणों में ही पूरी कर दूं।

श्री सभापति: ठीक है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह जो फाइनेंस बिल सरकार लेकर आयी है 2013, इसमें मोटे-मोटे 5 अमेंडमेंट अलग-अलग एक्ट में सरकार लेकर आयी है। एक अमेंडमेंट है, राजस्थान मूल्य परिवर्धन कर अधिनियम, 2013 में और इसकी धारा 3(2) के अन्दर सरकार ने जो कम्पोजिशन फीस है, उसमें

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आने वाले व्यापारियों का टर्नओवर 60 लाख से बढ़ाकर 75 लाख किया है। यानी, अगर इसका प्रतिदिन का टर्नओवर देखें तो 20 हजार। आज 20 हजार टर्नओवर तो, सभापति महोदय, गांव के नुक्कड़ पर बैठे हुए, छोटे कस्बों में बैठे व्यापारी का हो सकता है। अगर सरकार वास्तव में व्यापारियों को लाभ देना चाहती है कि इंस्पेक्टर राज से थोड़ा मुक्ति की ओर बढ़े, तो इस टर्नओवर को बढ़ाना चाहिये।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि 3 वर्ष पहले 2010 के अन्दर आपने इस कम्पोजिशन स्कीम के दायरे में आने वाले व्यापारियों पर वैट जो पहले .25 परसेंट था, उसको बढ़ाकर .50 परसेंट किया। अगर आप व्यापारियों को सहूलियत देना चाहते हैं तो इसको आप .25 करें, या इसको समाप्त करें।

दूसरा एक जो संशोधन सरकार लेकर आयी है राजस्थान होटल और वासों में विलास कर अधिनियम, 1990 में, इसमें सरकार धारा 2, 16, 27, 28, 29 में संशोधन लेकर आयी है और इसमें लग्जरी टैक्स को वैट के समकक्ष बना रहे हैं। सभापति महोदय, आपको मालूम होगा, आप तो उस धरती से आते हैं जिस पर सर्वाधिक पर्यटक आते हैं, आज राजस्थान के पास सर्वाधिक अगर कोई ऐसा विषय या ऐसी बात है जिसको देखने के लिए पूरे विश्व के लोग आते हैं, तो राजस्थान के गर्भ में छिपा आन-बान-शान का इतिहास। आज इसी कारण से यह हमारा जो ट्यूरिज्म है, यह उद्योग के रूप में पनप रहा है और ट्यूरिज्म उद्योग में ट्यूरिस्ट आता है। अगर हम करों से लाद देंगे, लग्जरी टैक्स के नाम पर होटलों पर और कर लगा देंगे, तो मैं समझता हूं कि राजस्थान के पास जो विपुल सम्भावनाएं हैं ट्यूरिज्म की, उनको कम करने का काम करेंगे। इसलिए इसके बारे में भी सरकार को निश्चित तौर पर विचार करना चाहिये।

तीसरा, राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 की धारा 2 में बैंकर की परिभाषा को संशोधित किया है सरकार ने। धारा 16 के अन्दर "इम्प्रेस्ट स्टाम्प'' की परिभाषा को संशोधित किया है। आज निश्चित तौर पर फ्रैंकिंग का जमाना है, इसको आप बढ़ावा दें, अच्छी बात है, अच्छा कदम है पर इसके साथ-साथ सोचें तो सही, आज राजस्थान की हर कचहरी में लाखों स्टाम्प वेण्डर बैठे हैं, वे अपनी आजीविका को चला रहे हैं। कोई ऐसी योजना बने, यह फ्रैंकिंग की सुविधा तो अब आप बैंकों को दे रहे हैं, बैंकों के अन्दर लम्बी लाइन लगती है, आप इस सुविधा के साथ स्टाम्प वेण्डर को कैसे जोड़ सकते हैं, स्टाम्प विक्रेता को, इसके बारे में अगर आप सोचें तो बड़ा ठीक रहे।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इसके साथ जो इसी स्टाम्प अधिनियम की धारा 36 में आप संशोधन लेकर आये हैं, कलक्टर को स्टाम्प ड्यूटी की बकाया राशि को वसूलने का अधिकार दिया है। अब आप सारे मामले कलक्टर को स्थानांतरित कर देंगे। पहले ही हमारे जिला कलक्टर ओवर-बर्डड हैं। इसके लिए भी निश्चित तौर पर विचार करना चाहिये। कलक्टर जिसको डेलीगेट करे, कलक्टर का कोई प्रतिनिधि हो, उसको इसमें सम्मिलित करें तो अच्छा रहे।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसी में एक संशोधन धारा 56 में लेकर आये हैं, उसमें लिखा है कि पेनल्टी और अन्य भुगतान का दायित्व उस सम्पत्ति पर होगा; यानी, अगर कोई स्टाम्प ड्यूटी की चोरी करता है तो जो सम्पत्ति, जिसकी स्टाम्प ड्यूटी देनी है, पहला भार उस पर होगा। आज, सभापति महोदय, हमारे महानगर अपार्टमेंट कल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं। किसी बिल्डर ने कोई जमीन खरीदी, अपार्टमेंट बनाया, उस पर फ्लैट बनायें, बेचकर चला गया और उस पर स्टाम्प ड्यूटी कम दे गया। तो उस सम्पत्ति पर अगर भार रहेगा तो वह व्यक्ति जिसने खरीदा है, उसका क्या कसूर? बिल्डर बनाकर चला गया। इसलिए इस पर निश्चित तौर पर विचार करना चाहिये।

एक आप संशोधन लेकर आये हैं, स्टाम्प 6 माह तक ही वैलिड रहें। अच्छी बात है। पुराने स्टॉम्प के माध्यम से कई तरह की सम्पत्तियों में विक्रय और विक्रय के पीछे कई तरह के खेल होते हैं। पर यह 6 महीने के बाद में अगर कोई स्टाम्प किसी के पास है तो या तो उसका पैसा वापस मिले, या उसका समायोजन हो। इसके बारे में भी निश्चित तौर पर सरकार को विचार करना चाहिये।

सभापति महोदय, मैं अंतिम मेरी बात समाप्त कर रहा हूं। एक तो राजस्थान वित्त अधिनियम, 2008 में आप संशोधन लेकर आये हैं, उसमें पर्यावरण और स्वास्थ्य उपकर जो पहले आपके 5 सौ रुपये प्रति टन था, उसको बढ़ाकर 5 हजार रुपये प्रति टन...। सभापति महोदय, राजस्थान के अन्दर खनिज की विपुलता है। आज हमारे राजस्थान के अन्दर लगभग डेढ़ लाख खनन पट्टे हैं और इससे जुड़े हुए बड़े लोग हैं, बड़ी संख्या में मजदूरी भी करते हैं, खनन का काम भी करते हैं। आप यह पर्यावरण और स्वास्थ्य उपकर के नाम पर 5 सौ रुपये को बढ़ाकर एक साथ 5 हजार कर देंगे तो मैं समझता हूं, राजस्थान के लोगों के साथ अन्याय है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अंतिम, जो आप लेकर आये हैं, राजस्थान आकस्मिक निधि अधिनियम, 1956; इसमें जो आप कंटिंजेंसी फंड है, इसको 2 सौ से 5 सौ करना चाहते हैं। मैं समझता हूं, कंटिंजेंसी फंड के नाम पर सरकार पैसा ले, इसमें तो कोई एतराज नहीं है, पर सरकार को यह बताना चाहिये कि ऐसे कौन से अनुभव उनके पास थे, जिन अनुभव के कारण से कंटिंजेंसी फंड का पैसा बढ़ाना उनके लिये जरूरी हो गया?

इसलिए, सभापति महोदय, मैं तो यही कहूंगा, यह, सरकार और ये दोनों बिल आंकड़ों के भ्रमजाल हैं। इस सरकार की मंशा नहीं है कि जो भी योजनाएं यह बनायें, उन योजनाओं को वित्त-पोषित करे। बड़े-बड़े प्लान साइज बनाये, प्लान साइजों को इन्होंने वित्त-पोषित नहीं किया। बड़ी-बड़ी योजनाओं की घोषणा, आज घोषणा पत्र से लेकर यह जो पांचवां बजट इन्होंने पेश किया है, 4 बजटों की हम समीक्षा करें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इन सारी घोषणाओं का पचास फीसदी भी यह सरकार पूरा नहीं कर पायी।

यह सरकार लोगों को लोक लुभावनी बात कह सकती है पर अब सरकार के बारे में लोग आकलन करेंगे। अब यह बात नहीं चलेगी...

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

अब खाचरियावास साहब खड़े होंगे, पिछली सरकार ने यह किया। हमने किया कि नहीं किया, हम प्रतिपक्ष में बैठे हैं, आपको इस राजस्थान के अवाम ने कलम दी है, ताकत दी है, आप अपना रिपोर्ट कार्ड बताएं, खाचिरयावास साहब, तब तो मैं मानूं। रिपोर्ट कार्ड दिखाने के नाम पर आप पर कुछ नहीं है। आपने राजस्थान को कर्जे में लाद दिया, आपने राजस्थान में कर्जा लेकर परिसम्पत्तियां नहीं बनायीं, आपने राजस्थान के गांवों में, राजस्थान के शहरों में विकास की थोथी योजनाएं बना दीं, आज आपकी योजनाएं आपको मुंह चिढ़ाते हुए खड़ी हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि अब समय आ गया, आप आकलन करें कि आपने राजस्थान को क्या दिया?

सभापति महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि यह सरकार गम्भीर नहीं है। आज एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, हमने जो कुछ भी कहा, ये 2 बिल इम्पोर्टेंट बिल हैं, इन इम्पोर्टेंट बिल के माध्यम से हम अपना दर्द कहते हैं, इनमें जो अमेंडमेंट हमने दिये हैं, हमने इनको पढ़ा, अध्ययन किया, पर एक भी ऐसा मंत्री नहीं है जो हमारी बात को लिखे।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

आज, अब मैं बड़ी मुश्किल से प्रमुख शासन सचिव को देख रहा हूं। मैं समझता हूं कि सरकार को गम्भीर होना चाहिये इस तरह के बिलों में।

सभापति महोदय, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री प्रताप सिंह खाचरियावास।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): आदरणीय सभापति जी, मैं सुन रहा था, पहले तो मेरी बोलने की इच्छा नहीं थी लेकिन मैं अभी अन्दर बैठकर टी वी पर सुन रहा था। हमारे एक विपक्ष के साथी बोल रहे थे, उसके बाद हमारे सीनियर साथी बोल रहे थे, बहुत सीनियर हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं और सुनने के बाद मुझे यह लगा कि हम थोड़ी देर पहले संकल्प ले रहे थे, पर अभी भी हम राजनीति से प्रेरित होकर बोल रहे हैं। दो-चार बातें भी मन से, आगे बढ़कर, इतना सा कह देते कि भई, मैंने कुछ काम देखे हैं, उन कामों की तो मैं तारीफ करता हूं और कुछ काम ये हैं जिनकी मैं बुराई करता हूं। एक भी काम की तारीफ उधर से आती।

मैं अभी दो-तीन दिन पहले टी वी देख रहा था, आपने भी देखा होगा, योजना आयोग के उपाध्यक्ष ने यह कहा है कि यह पहली बार फाइनेंशल मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहा; बजट बहुत अच्छा; पूरा इनका तरीका बहुत अच्छा है। पूरी वार्षिक योजना जितने की लेकर गये, उतनी 40 हजार 5 सौ करोड़ की योजना, आजादी के बाद पहली बार मंजूर करवा कर लाये। यह बहुत बड़ी बात है। इसके लिए तो आपको मुख्य मंत्रीजी को बधाई देनी पड़ेगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): एक सरकार बता दो जो योजना आयोग में अपनी योजना लेकर गयी और योजना कटी हो? एक बार का इंस्टांस बता दो, एक बार का।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): अच्छा, आप यह तो बताओ, यह तो मानोगे कि सबसे बड़ी योजना है, आज तक की, आजादी के बाद?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हर योजना पिछली वार्षिक योजना से बड़ी रही है। एक योजना बता दो जो पिछली वार्षिक योजना से बड़ी नहीं रही हो? कोई भी वर्ष बता दो, 1952 से लेकर अब तक का? पिछली योजना से आगे की योजना का आकार हमेशा बढ़ा है।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): अच्छा, आप यह तो मानोगे, हमारा मैनेजमेंट बहुत अच्छा है? यह तो मानोगे?

मैं इतना कह सकता हूं, सभापति जी, यह ठीक है, उनका अधिकार है लेकिन पूरे राजस्थान का अवाम सुन रहा है, राजस्थान की जनता जानती है, पहला बजट है और पहला फाइनेंशल मैनेजमेंट है जिसमें हर सेक्टर को, हर वर्ग को देने का प्रयास किया गया। आप आश्चर्य करेंगे, सोशल सिक्योरिटी का भी इसमें ध्यान रखा गया। तो यह बजट इस तरह का नहीं आया, यह मैनेजमेंट इस तरह का नहीं है कि जिसमें सिर्फ पूंजीपतियों के लिए कोई बात कही गयी हो।

आप जिस वैट की बात कर रहे हो, पहली बार इन 4 वर्षों में वैट में जितनी छूट इन पिछले 4 बजटों में मिली है, उतनी तो कभी मिली ही नहीं। आप तो वैट बढ़ाकर गये और हमने वैट घटाया। इस पर आप चाहो तो आप लगा लो, आपके टाइम पर कितना वैट था और हमारे टाइम पर कितना वैट है। हर फील्ड में, वैट में, दरों में कमी इसलिए की गयी कि महंगाई से लड़ना है।

आज तो महंगाई से लड़ने के लिए, आप चिन्ता मत करो, शायद आज लोक सभा में फूड सिक्योरिटी बिल पास हो जायेगा और पूरे हिन्दुस्तान में काम हो जायेगा। हर व्यक्ति को 2 रुपये किलो में अनाज की तैयारी हो गयी। बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ी सोच के साथ कांग्रेस की सरकार लोक सभा में फूड सिक्योरिटी बिल आज पास करने जा रही है। पूरा हिन्दुस्तान इंतजार कर रहा है।

सभापति महोदय, मैं आज के दिन आपको कह सकता हूं कि बजट की, बजट के मैनेजमेंट की बुराई करना तो आसान है, लेकिन असली मुद्दों पर अभी आपने कहा कि आप इन योजनाओं को जमीन पर लेकर कैसे जाओगे? आपने घोषणाएं कर दीं, ये तो आसमान की घोषणाएं हैं। ऐसा नहीं है। जो घोषणा करता है, उनको लागू करना उसकी ड्यूटी होती है। सरकार को भी तो जवाब देना है लोगों को। हमने घोषणा कर दी, चिन्ता आपको हो रही है! अब आप यह बताओ, घोषणा हमने की, चिन्ता विपक्ष को हो रही है। आप जमीन पर कैसे उतारोगे, उतार देंगे, आप बिलकुल चिन्ता मत कीजिये, उतर गयी। आप यह बता दो मुझे कि 8 रुपये 10 पैसे किलो का आटा, घोषणा हो गयी, 5 रुपये किलो में देंगे। अब आप यह बताओ कि वह जमीन पर क्यों नहीं उतरेगी? अब 8 देगा क्या कोई?

सभापति महोदय, यदि आपको लगे कहीं पर, तो आप भी आगे बढ़िये

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

और यह कहिये कि जनता के लिए जो घोषणाएं राजस्थान की सरकार ने की हैं, वे घोषणाएं यदि लागू नहीं होती हैं तो उन घोषणाओं को लागू कराना इधर के 79 विधायकों की ड्यूटी नहीं है क्या? उनकी भी उतनी ही ड्यूटी है, जितनी हमारी ड्यूटी है। आप इस सदन में बैठे हों, आपकी उपस्थिति में जो बजट यहां पर पास हुआ, जो-जो योजनाएं हमने लागू कीं, जिस-जिस मद में हमने पैसा खर्च करने का तय किया, यदि उस मद में पैसा खर्च नहीं होता है और आप आपके विधान सभा क्षेत्र में खड़े होकर, हाथ ऊंचे कर-कर के भाषण देते हों तो वह आपका पाप है। आपकी मोरल ड्यूटी है कि आप उसको लागू करवायें। आप विपक्ष के विधायक हैं लेकिन आप इस सदन में बैठे हैं, आपकी भी कुछ मोरल ड्यूटीज हैं।

सभापति महोदय, अभी आपने कह दिया, रिफाइनरी आयी तो रिफाइनरी के लिए कहा कि काम बढ़िया, काम में कोई कमी नहीं है; हम चाहते हैं कि राजस्थान में रिफाइनरी लगे; लेकिन उसमें भी कमी निकालने की कोशिश की गयी। बिना सोचे-समझे, कुछ तय नहीं हुआ, उतने में एक विपक्ष के साथी ने कहा कि इतने पैसे लगेंगे और इतने पैसे खर्च होंगे। यह काम सरकार का है, सरकार के लोग बैठकर तय करेंगे, अधिकारी तय करेंगे। उसके बाद यह तय होगा कि कितना पैसा खर्च होगा।

यह आप बाड़मेर, जैसलमेर के और बार्डर एरिया के उन लोगों से जाकर पूछो जिनकी 10 हजार रुपये बीघा जमीन थी, रिफाइनरी लगने की घोषणा के साथ उस किसान की आज 10 लाख रुपये बीघा जमीन हो गयी। आज वह दुआ दे रहा है कि आपने मेरे बाड़मेर को आबाद कर दिया, आपने मेरे जैसलमेर को आबाद कर दिया। आज पूरा हिन्दुस्तान और बाहर के फोरेनर्स चक्कर लगा रहे हैं, सब इन्वेस्टमेंट की जगह ढूंढ रहे हैं। यह बहुत बड़ा काम हुआ है।

सभापति महोदय, मैं आज आपसे कह सकता हूं कि इस बजट में जितनी भी बातें लेकर आयें, बजट से पहले, बजट के बाद, एक भी बात ऐसी नहीं है जो डायरेक्ट आम आदमी को रिलीफ देने वाली नहीं हो। जब आम आदमी को रिलीफ देने की बात है तो यदि सभापति जी इजाजत दें तो यह सभापति जी आज फैसला करा दें, मैं मेरी पार्टी वालों से रिक्वेस्ट कर लूंगा, सचेतक जी बैठे हैं, कि वे अपनी पांच योजनाएं खड़े होकर बतायें जो डायरेक्ट आम आदमी को रिलीफ देने के लिए पिछली सरकार ने पांच सालों में लागू कीं?

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

हम बताते हैं आपको, पांच योजनाएं जो हमने लागू कीं। आप बता दो, मैं बैठ जाता हूं। दो मिनट में बता सकते हैं, सभापति जी। खड़े होकर के हर बात का अगर जवाब देते हैं तो आपको वे पांच योजनाएं मुझे बतानी चाहिए। जैसे हमने दवाइयां फ्री कीं, अभी 430 थीं, बजट में 600 कर दीं। डायरेक्ट रिलीफ। जाता है और दवाई लेता है और मां, बहन, बेटी का इलाज करवाता है। आँख में चमक होती है कि सरकार मेरी है, मेरे परिवार के इलाज की व्यवस्था हो गयी, मेरी जांचें फ्री हो गयीं। जननी शिशु सुरक्षा योजना, पहले लोग पर्ची बाहर फेंक देते थे, कहते थे, जाइये, बाहर से पहले सामान लेकर आओ डिलिवरी के लिए, दवाइयां लेकर आओ, उसके बाद करेंगे। आज आने-जाने का किराया मिल रहा है, उसको पैसे मिल रहे हैं, उसको लग रहा है कि मैं सरकार की बेटी हूं। इतने बड़े-बड़े काम जो सरकार ने हाथ में लिये, वे काम सब कर दिये।

अभी घाट की गूणी टनल में से निकले हो; राजस्थान की राजधानी जयपुर में आने वाले दो महीनों में सबसे बड़ा आइडियल काम शुरू होने जा रहा है, मेट्रो शुरू हो जायेगी। पहली मेट्रो होगी हिन्दुस्तान की जो थ्री टायर सिस्टम पर चलेगी, नीचे ट्रैफिक, बीच में ट्रैफिक और ऊपर ट्रेन। इतना बड़ा प्रोजेक्ट, यह क्या सिर्फ जयपुर के लिए है? जब दिल्ली में शुरू हुई तो पूरे देश ने गर्व किया कि मेरे देश की राजधानी में मेट्रो चलती है। यह राजस्थान की राजधानी जयपुर में जब शुरू होगी तो पूरा राजस्थान गर्व करेगा, पूरा हिन्दुस्तान गर्व करेगा कि राजस्थान की राजधानी जयपुर में मेट्रो शुरू हो गयी।

सभापति महोदय, आपने दवाइयां फ्री क्यों नहीं कीं? आपने क्यों नहीं मेट्रो शुरू की? आप घाटी की गुणी में टनल क्यों नहीं लेकर आये? आप रिफाइनरी क्यों नहीं लेकर आये? आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। आप सिर्फ यह कह रहे हैं कि आपके इस काम में कमियां हैं, आप इसको जमीन पर कैसे लेकर आओगे। यह तो मानते हैं कि घोषणाएं अच्छी हैं। इसका मतलब, आप यह मानते हैं कि नीयत अच्छी है सरकार की, सोच अच्छी है, सरकार का प्लान अच्छा है। सरकार के प्लान के तहत, विपक्ष खुद यह स्वीकार कर रहा है कि यदि इस प्लान को जमीन पर उतार दिया जाये तो राजस्थान, विकसित राजस्थान के रूप में सबसे आगे खड़ा हुआ नजर आयेगा। यह बात खुद विपक्ष मानता है। यह बहुत बड़ी बात है, विपक्ष का यह कह देना कि प्लान बहुत बड़ा है। आपको यह पता है कि राजस्थान के एक मुख्य मंत्री

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

ने कहा था कि हमको तो विरोध करना नहीं आता और आपके लिए कहा था कि आपको राज करना नहीं आता?

सभापति महोदय, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि राज का फैसला किसके हाथ में आयेगा, क्योंकि इस बात में मैं कुछ नहीं कह सकता कि चुनाव में क्या होगा लेकिन एक बात तो तय है कि राजस्थान की जनता, राजस्थान के लोग, राजस्थान के विचारक और आपका खुद का मन तो यह जानता है कि जो काम इन्होंने किये, वे हमेशा इतिहास में याद किये जायेंगे। जब भी कोई आदमी जयपुर से निकलेगा तो यह कहेगा, सौ वर्ष बाद भी, कि मेट्रो कौन लेकर आया। तो गहलोत साहब के जमाने में मेट्रो आयी। घाट की गूणी टनल में से निकलेगा, आप भी निकलते हो तो आपकी अंतरात्मा से आप दुआ देते हो कि हिन्दुस्तान में भी कहीं इतनी बढ़िया टनल नहीं है। आप खुद इस बात को स्वीकार करोगे।

सभापति महोदय, रिफाइनरी जब लग जायेगी, आप क्या बात करते हो, रिफाइनरी की घोषणा मात्र से राजस्थान के घर-घर में एक नया जोश आ गया। लग रही बाड़मेर में, फायदा सरकार को भी होगा, जनता को भी होगा। इतनी ज्यादा बहस चली रिफाइनरी के नाम पर, विपक्ष के लोग तो इसी उम्मीद में थे कि अब बहस चल गयी और अब यदि लगेगी नहीं तो अपने तो मौज हो गयी, अपने को तो एक मुद्दा मिल गया चुनाव का कि रिफाइनरी नहीं लगवा पाये। उलटा हो गया, कि रिफाइनरी भी लग गयी।

सभापति महोदय, एक भी इश्यू इस चीफ मिनिस्टर ने ऐसा नहीं छोड़ा, जिस इश्यू पर आप चैलेंज कर सकें, जिस इश्यू पर आप कह सकें कि कोई कमी रह गयी है।

आप मुझे यह बता दो, आपके टाइम पर यह बात नहीं उठी होगी, एक दिन सिर्फ बात उठी, पिछली बार; बार-बार आपने, हमने, सबने उठायी, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, इनके लिए राइडर हटा दो। यह राइडर हटाने की सोच इसी सरकार में कैसे आयी? आपकी सरकार में, आपके मन में क्यों नहीं आयी? क्या गांव में आपके पास, शहर में आपके पास कोई आदमी नहीं आता? लेकिन सोच थी सरकार की कि झोंपड़ी से रोने की आवाज नहीं आनी चाहिए, कोई भी भूख से नहीं मरना चाहिए, कहीं भी यह आवाज नहीं आ जाये कि मेरा बेटा भूखा है, मेरी बेटी भूखी है। उसको सम्मान देना है, गांव के गरीब तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। यह बहुत बड़ी बात है। उस वक्त

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

जब चीफ मिनिस्टर ने घोषणा की, तब यह कहा कि विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और विकलांग पेंशन में जो कमेटी रहेगी, उसमें जन-प्रतिनिधि शामिल होगा। यह बहुत बड़ी सोच के साथ फैसला कर लिया। कोई सोच नहीं सकता था इसके बारे में।

सभापति महोदय, मैं इतना कह सकता हूं कि ऐसा बजट पिछले 65 वर्षों में आज तक कभी भी आया नहीं। आप मुझे यह बता दो कि यह कर्जा लेने की शुरुआत कब से हुई? आप भी अपने मन में जानते हो। यह कर्जा लेने की शुरुआत, जब पहली बार शुरू हुई, तब वह आपके टाइम से ही शुरू हुई। कर्जे का आकार बढ़ता गया। मैं खुद यह मानता हूं कि हर स्टेट को आत्मनिर्भर स्टेट होना चाहिए। हर स्टेट का फाइनेंशल मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि उसको किसी की तरफ देखना नहीं पड़े, उसको कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़े। यह तैयारी राजस्थान सरकार करने जा रही है। उस तैयारी में कहीं भी ऐसा नहीं है कि केवल एक बजट ही ऐसा आया हो।

आप इस बजट के लिए तो कह सकते हों कि चुनावी बजट है, चुनाव में जा रहे हैं। अगर चुनाव में जा रहे हैं तो कोई गुनाह कर रहे हैं? वोटर का सम्मान करके यदि बढ़िया बजट आये तो अच्छी बात है। पिछली बार के बजट में क्या खराबी थी, उसको मुझे बता दो। चुनाव में तो आज जा रहे हैं, दवाइयां तो पहले ही फ्री हो गयीं। दवाइयों की संख्या बढ़ाई गयी है। ऐसा कहीं नहीं है कि सिर्फ चुनाव को टारगेट करके यह किया गया है। सिर्फ चुनाव से बजट ऊपर-नीचे नहीं हुआ करता।

मैं आज आपको कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप कर सकते हैं लेकिन जब योजनाओं की बात आयेगी, आज यह कह दिया गया कि मान लो, बच्चों को लैपटाप मिल रहा है, इस साल 60 हजार, अगली बार 60 हजार, आज उस गरीब बच्चे को जब लैपटाप मिलेगा, एक साधारण आदमी, ढंग के आदमी को भी यदि लैपटाप मिल जाए तो उसकी आंखों में चमक होती है कि मुझे लैपटाप मिला है। जिस दिन एम एल एज को लैपटाप मिला था, उस दिन एम एल एज ने सबने फार्म भरकर भेजा, लैपटाप लिया और बोले कि हमको लैपटाप मिल रहा है। जब जिस बच्चे को लैपटाप मिलेगा, जब एम एल ए को खुशी हो सकती है लैपटाप मिलने पर, तो बच्चे को खुशी क्यों नहीं हो सकती? उस दिन एम एल एज में

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

बड़ा जोश था कि हमें लैपटाप मिला। जो लैपटाप एम एल एज को मिले, वे लैपटाप आज उस बच्चे को मिलने की तैयारी हो रही है।

मैं आज इसलिए कह सकता हूं आपको गारंटी से कि आपने सबने अपनी-अपनी तरह से सरकार की सारी बुराई की, आपका यह अधिकार है; आपने हमारे मैनेजमेंट के फेल होने की भी बात की और आपने यह भी कहा कि यह जो 6 करोड़ 80 लाख लोग हैं, वहां तक आप अपनी योजनाएं कैसे पहुंचायेंगे? आप मुझे यह बता दो कि हमारे यहां आज तक, अब की बार जितने भी काम हुए हैं, मैनेजमेंट हुआ है, उसमें कहीं भी ऐसा नहीं किया गया, कि इसमें मुख्य मंत्रीजी ने पिछली बार सड़कें दीं तो हर विधायक को दीं। ऐसा थोड़े न कहा कि आप मत बनाओ और आप बना लो। बराबर का मैनेजमेंट, बराबर का सिस्टम। स्कूलें दीं तो यह कहा कि ये स्कूलें इतनी-इतनी इस-इस हिसाब से मिलेंगी। उसमें कोई भेदभाव नहीं किया। नई स्कूलें खुलेंगी तो उसमें यह नहीं किया कि बी जे पी वालों ले लो, कांग्रेस वालों पीछे हट जाओ। ऐसा कहीं भी नहीं किया। पी एच सी दीं, सी एच सी दीं तो उसमें किस हिसाब से दिया, बराबर के हिसाब से, कि राजस्थान के हर कोने में लाभ पहुंचे; हर आदमी का जीवन स्तर ऊंचा उठना चाहिये; हर आदमी को, समाज के हर वर्ग को, बच्चे को, बुजुर्ग को, बच्ची को, नौजवान को, मां को, बहन को, बेटी को, सबको सम्मान मिले।

बी पी एल को साड़ी की बात कही, उसमें कह दिया, साड़ी क्यों? कोई गुनाह है क्या? सरकार का परिवार है समाज, सरकार का हिस्सा है समाज और उसमें यदि बी पी एल को साड़ी दे दो तो कोई गुनाह नहीं होगा। उसमें बहुत बड़ा अपराध नहीं हो गया। बी पी एल के लिए आगे बढ़कर घोषणा कर दी, दो से एक, चीनी सस्ती। उसमें लाभ तो मिलेगा। वह भी समाज का एक हिस्सा है, अंग है। उसमें अबोव पावर्टी-लाइन और बिलो पावर्टी-लाइन को दवाई, सबको बराबर का दर्जा देकर, उस असमानता को खतम करने की भी कोशिश की गई है।

ऐसे में आपको यह मानना चाहिए, इतना लाभ देते हुए हर वर्ग को, कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान; आप छठे वेतनमान की बात कर रहे थे, कह दिया कि घोषणा पत्र को लागू नहीं किया गया। आप चिंता मत करो, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने छठे वेतनमान के लिए साफ किया कि 2,500 करोड़

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

रुपये का अलग से प्रावधान किया है हमने और कृष्णा भटनागर समिति, अब कर्मचारियों में यह बात आ रही है कि इसमें क्या है अन्दर, यदि हम पढ़ लें तो क्लियर हो जाये। क्लियर तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कर दिया, छठा वेतनमान लागू करने की बात उन्होंने यहां पर कह दी और बड़ी बात है, घोषणा पत्र को बिलकुल तैयारी के साथ अधिकारियों को दे दिया, कह दिया कि मुझे यह घोषणा पत्र पूरा चाहिये।

आप आश्चर्य करेंगे कि हर योजना के मैनेजमेंट में हर बात के लिए, हर घोषणा के लिए अलग से पैसे का प्रावधान किया। कोई भी यह नहीं कह सकता कि अलग से पैसे का प्रावधान नहीं किया गया है।

इसलिए सिर्फ बुराई करने के लिए बुराई करना, विपक्ष का काम है लेकिन सच्चाई को स्वीकार करना भी विपक्ष का काम है। मैं तब मानूं जब हमारे विपक्ष के साथी खड़े होकर यह कह दें कि फ्री दवा योजना बिलकुल गलत है, इसको बंद कर दिया जाना चाहिये। जितने हमने रिलेक्सेशन दिये महंगाई से लड़ने के लिए, उसके लिए विपक्ष खड़े होकर कह दे कि वृद्धावस्था, विकलांग, विधवा पेंशन, इसमें से जो राइडर हटाने की बात सरकार के मुखिया ने कही है, वह गलत है। इतनी हिम्मत होनी चाहिए। फिर यह भी कहना चाहिए कि रिफाइनरी राजस्थान में आ रही है, उससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। आगे बढ़कर यदि सरकार का विरोध करने की आप में इतनी ताकत है तो फिर पूरा विरोध होना चाहिये, या इतना मन भी होना चाहिए।

यह लोकतंत्र है, यह कांग्रेस पार्टी है जिसमें खड़े होकर प्रताप सिंह खाचरियावास यूजर चार्ज का विरोध कर देता है तो भी सदन का नेता सम्मान के साथ जन-भावनाओं की इज्जत करता है, आदर करता है। मुझे डांटता नहीं है, बल्कि समझता है और समझकर यूजर चार्ज को खतम कर देता है। यह अशोक गहलोत है। मैंने लोगों से कह दिया, यू डी टैक्स लगा रहे थे, उस दिन जयपुर में किसी एम एल ए की हिम्मत नहीं हुई, डर लगता था पूर्व मुख्य मंत्रीजी का, आंख उठाकर सामने देखने की हिम्मत नहीं थी। जहां जिस पार्टी में डेमोक्रेसी होती है, लोकतंत्र होता है, उसमें आपकी भूमिका हमको निभानी पड़ती है। हम खड़े होकर कह देते हैं। जिस दिन अमानी शाह के नाले से आवाजे आ रही थीं गरीब के चीखने-चिल्लाने की, कहां चले गये थे विपक्ष के लोग? इन्तजार ही कर रहे थे हाई कोर्ट के फैसले का, पर भिड़ गया प्रताप सिंह। मारा जायेगा, बीच में पिस कर मारा जायेगा, खतम हो जायेगा। क्या

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

हुआ? उसी धारीवालजी ने खड़े होकर कह दिया, पहले पुनर्वास, उसके बाद तोड़फोड़। कोई तो सरकार है जो लोकतंत्र का सम्मान करती है, लोकतंत्र के हर वर्ग का सम्मान करती है।

आज अभी वह प्राइवेट स्कूलों के टीचर बाहर आये हुए हैं, उन्होंने कहा, शिक्षा विधेयक आ रहा है, उसमें हमारी कुछ बातों पर हम विधेयक का विरोध करते हैं, आप फीस पर नियंत्रण कीजिये, लेकिन कुछ उसमें मामले हैं जिनमें गलत हो जायेगा हमारे साथ। आप लागू कीजिये फीस कंट्रोल। मैंने कहा कि हम आपकी बात रखेंगे, आपकी बात सुनेंगे, उसमें सुधार नजर आयेगा।

मैं इतना कह सकता हूं कि आप अपोजिशन की भूमिका उठाते हैं लेकिन आपको एक बात का संकल्प ले लेना चाहिए, मैं फिर आपको चुनौती दे रहा हूं कि 65 वर्ष में यह 4 साल का नारा बिलकुल ठीक दिया, '4 साल बेमिसाल' और ऐसे बेमिसाल कि जिसमें इतिहास कायम हुआ है और इतिहास ऐसा कायम हुआ है कि गांव के गरीब से लेकर, ढाणी से चौक और खलिहान से लेकर, किसान और मजदूर से लेकर, व्यापारी और कर्मचारी से लेकर, हर वर्ग को उसमें यह कह दिया कि अनाज की खरीद करेंगे तो 100 रुपये ज्यादा देंगे। यह बहुत बड़ी बात है। हर कोई कर देता है फैसला?

ओलावृष्टि की बात आई यहां, कहा, उससे पहले घोषणा कर दी। तो उसमें भी नाराज हो गये, नाराज हुए, कहा, सदन चल रहा है, आप सदन के बाहर कैसे घोषणा कर सकते हैं। भाई, धर्म का काम है, कहीं यदि अनाउंस कर दिया तो उसमें कोई गुनाह नहीं है। लेकिन आपने कह दिया।

मैं आज कह सकता हूं कि हर वर्ग को लाभ देने के लिए, हर वर्ग के लिए फाइनेंस की व्यवस्था करने वाला, हर वर्ग का साथ देने वाला है; वित्त की पूरी व्यवस्था की गई है।

उसमें भी हम कांट-छांट करके, आप तो इस बजट की सबसे बड़ी खास बात, सभापतिजी, मैं देख रहा हूं, इतने बड़े कागज इकट्ठे कर रखे हैं, बहुत बड़ी तैयारी की है, रात तक, मुझे पता है और मुझे तारीफ करनी पड़ेगी, लेकिन बजट में इतना दम है कि तैयारी की जरूरत ही नहीं। तैयारी की जरूरत उसको है जिसको उसमें से कुछ कमी ढूंढनी है, जिसको अच्छा ढूंढना है, उसे अच्छा ही अच्छा है और अच्छाई तो बिना ढूंढे हर आदमी की जुबान

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

पर है। जब कोई राशन की दुकान पर जाता है तो जाते ही कह देता है, मजा आ गया, पैसा बच रहा है, तीस रुपये का फायदा हो रहा है। जब कोई दूसरी दुकान पर जाता है सामान लाने, बर्तन-वर्तन लाने, तो कह देता है, क्या बात है, अबकी बार सस्ता कैसे हो गया? तो कहता है, वैट कम हो गया। अब कोई स्कूल में जायेगा, तो कहेगा कि क्या हो गया, बोले, फीस कंट्रोल बिल अब की बार आ गया है। जब कोई बाड़मेर-जैसलमेर जायेगा, तो कहेगा, अबकी बार जोधपुर से ही मारवाड़ कैसे आ गया? बोले, रिफाइनरी आ गई है।

यह फ्रैट कारिडोर, आप सोच सकते हैं, 150 किलोमीटर में, और 150 किलोमीटर में फ्रैट कोरिडोर का, आज मैं गारंटी से कह सकता हूं कि यह राजस्थान को सबसे अच्छे स्टेटों में खड़ा करने की तैयारी है। ऐसा राजस्थान जो अपने आप में आत्मनिर्भर होगा, विकसित होगा और जनता के जीवन स्तर को, लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने वाला होगा; जहां हर वर्ग की आवाज सुनी जाये, जहां हर वर्ग का सम्मान हो, जहां महंगाई को खतम करने की तैयारी हो।

आप आश्चर्य करेंगे, यह वही स्टेट है जहां पेट्रोल-डीजल को लेकर जब हंगामा हो रहा था तो इन्हीं मुख्य मंत्रीजी ने वैट खतम किया था, उसको कम किया था। यह वही अशोक गहलोत है, तब चुनावी बजट नहीं था, 25 रुपये गैस सिलेण्डर पर कम हुआ, इसी राजस्थान की सरकार ने 25 रुपये कम किया। गैस पर किया नहीं 25 रुपये कम? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): केन्द्र सरकार ने बढ़ाया कितना था, यह भी बता दो। 50 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ा कि नहीं सिलेण्डर पर? 363 रुपये से सीधा कितने पर गया था? (व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): आपने चुनाव लड़ा तब किस भाव था डीजल और आज किस भाव है? आपने चुनाव लड़ा, तब किस भाव था पेट्रोल और अब किस भाव पर है? यह भी बता दें।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय सदस्य अंतरात्मा से बोल रहे हैं, सुनने की हिम्मत रखो। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): हिम्मत पूरी है।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): अभी लिखा हुआ बोलूंगा तो एक घण्टा और लगेगा। आपने देखा होगा कि नीचे देखने का टाइम

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

ही नहीं है। मेरी तो आदत ही ऐसी है, ऐसे ही बोलता हूं सामने देखकर। (व्यवधान) और यह जो आपने सिलेण्डर की बात की तो क्लीयर कर दूं, सभापति जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप यह भी क्लीयर कर दो कि मुख्य मंत्रीजी ने जो अतिरिक्त सिलेण्डर की घोषणा की थी न...

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): हुकुम, आप विराजो। आप जब बोलते हो तो कोई उठता है क्या इधर से? अच्छा बोल रहे हैं, आपको शाबासी देनी चाहिए कि आप राज्य के हित में बोल रहे हो। अच्छा बोल रहे हैं, वरिष्ठ सदस्य हैं आप सदन के, हौसला अफजाई करो जरा।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): वैसे, सभापति जी, ये जो हमारे बड़े भाई रोहिताश जी हैं न, इनका दिल बहुत बड़ा है, पर ये क्या है कि ये बास के पास आते ही ये भी इनके जैसे ही हो जाते हैं।

तो मैं, सभापति जी, एक बात कह सकता हूं; देखिए, मैं तैयारी में आपका मुकाबला नहीं कर सकता, सीनियरिटी में आपका मुकाबला नहीं कर सकता, एग्री करता हूं लेकिन मैं मन से बोलने में आपसे आगे हूं। यह बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास जो बोलता है, मन से बोलता है और ये भी मैं गारंटी से कह रहा हूं, ये सारे कागज मैं आपको दे दूंगा अभी और आप ये कहोगे कि बोला क्या और कागज में और कुछ है। यह भी तय बात है।

यह आप मान कर चलिए कि यह पहली बार जो बजट मैनेजमेंट है, यह इस तरह का बजट मैनेजमेंट है जिसमें बोलते ही जाओ और मेरी गारंटी है, राजस्थान के मुख्य मंत्री, अशोक गहलोत, जिन्होंने इतना बढ़िया चार सालों में मैनेजमेंट किया, बजट दिया, वे खुद अब अपनी पूरी घोषणाएं यहां पर अकेले नहीं बोल सकते, वे खुद होचपोच हो जाते हैं। उन्होंने समय-समय पर बिना बजट के इतने रिलेक्सेशन दे दिये कि उनको खुद को याद नहीं है।

अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम आप भी ला सकते थे। बी पी एल परिवारों को आप देते 55 हजार रुपये। आज उसकी आंख में चमक है। लाइन लगा रखी है उसने। नहीं लगा रखी? फार्म लेकर आ रहा है कि मेरा भी नाम लिखवा दो, भगवान आपका भला करेगा, मैं वास्तव में गरीब हूं, मेरी स्थिति नहीं है। कोई गुनाह हो रहा है, आप कह दो, यह पैसा देना? उसका मकान बन जाएगा।

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

यह जब इन्दिरा आवास योजना चली, आज भी लोग इन्दिरा गांधी का नाम लेते हैं। गांव में आप चले जाओ; कहेंगे, मकान; बोले, इन्दिरा जी के बना कर दिये हुए हैं। आज भी लोग इन्दिरा जी का नाम लेते हैं। यह बहुत बड़ी सोच के साथ अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, 10 लाख मकान, 5 लाख तो तैयार हैं, यह तो मानोगे आप, बन गये, बहुत जगह पर तो कब्जा देने की तैयारी है, यह भी आप जानते हो। ये बहुत बड़े काम इस राजस्थान की सरकार ने किये हैं और वह काम ऐसा है जो हर जगह, हर विधान सभा क्षेत्र में आपको नजर आएगा कि यहां पर यह-यह काम हो रहा है।

देखिए, विपक्ष में रहना और पक्ष में रहना, यह चलता रहता है लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ अखबारों में नहीं, जमीन पर नजर आते हैं और इस गहलोत सरकार के काम जमीन पर नजर आ रहे हैं। जहां भी आंख घुमाओगे, वहां आपको डवलपमेंट नजर आएगा, काम नजर आएगा, किसान की आंख में चमक नजर आएगी।

अब क्या हुआ, अब थोड़ा-सा बीच में थोड़ा गड़बड़ हुआ बिजली का मैनेजमेंट, अब वह भी बढ़िया हो गया, उसमें जबरदस्त सुधार हुआ और सबसे बड़ा सुधार, ऊपर वाले को आपको धन्यवाद देना चाहिए, उस भगवान को जिसने तैयारी की और उसने बरसात कर दी। तो इस बजट में मजा आया। उसने देखा कि इस सरकार की नीयत अच्छी है, कहीं पर सूखे में जनता का पैसा नहीं जाए, इसलिए उसने इतनी बरसात की कि बजट बहुत अच्छा लेकर आए, नहीं तो यही पैसा आपको सूखे से लड़ने के लिए देना पड़ता। आपको डायरेक्ट लोगों को पैसा देना पड़ता। आज इस बजट को अच्छा करने के लिए भगवान का आशीर्वाद है। उसने राजस्थान की जनता को आशीर्वाद दिया, सरकार को आशीर्वाद दिया कि भाई, इस चीफ मिनिस्टर की और इस कांग्रेस सरकार की नीयत अच्छी है, सोच अच्छी है, ये आम आदमी को सम्मान दे देंगे, आम आदमी को रिलीफ दे देंगे इसलिए वर्षा दो। पूरा राजस्थान हरा भरा हो गया। बांध भर गये, नदियों में पानी आ गया, सब जगह खेत-खलिहान सब भर गये, फसल बढ़िया हो गई। यह बहुत बड़ा काम ऊपर वाले ने इसलिए किया क्योंकि बजट बहुत जोरदार था।

सिलेण्डर की बात कही आपने। जब 6 सिलेण्डर हुए तो आप सब ने चिल्ला-चिल्ला कर कहा, लूट लिया। आप खुद, यदि किसी ने बजट के उसमें पैसे दिये हैं, हालांकि पहले 45 दिन की बुकिंग पर एक सिलेण्डर मिलता था,

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

365 दिन में 9 नहीं मिलते थे; 40 को आप 9 से गुणा कर दो, 9 चौक 36, तीन सौ 60 हो गये, अब तीन सौ 60 दिन, एक वर्ष में 9 सब्सिडी के सिलेण्डर मिलेंगे। अब ये ब्लैक किया तो बीच में खतम हो गया। पहले 9 नहीं मिल रहे थे। अब सरकार ने बहुत बड़ा काम कर दिया, 9 सिलेण्डर तो सब्सिडी के देने ही पड़ेंगे। इसलिए सब्सिडी के सिलेण्डर जितने मिल रहे थे, उतने मिलेंगे।

अब एक सिलेण्डर का झगड़ा आदरणीय राठौड़ साहब को याद है और वे बार-बार कहते हैं कि वह सिलेण्डर कहां गया? उस सिलेण्डर को आप ढूंढ रहे हो, लोग तो भूल गये और कह रहे हैं कि 9 कर दिया, भगवान आपका भला करे, 6 से 9 कर दिया। आप बार-बार घूम-घूम कर याद दिलाते हो कि आपका वह एक सिलेण्डर? कई बार पब्लिक होचपोच हो जाती है, विपक्ष वालों का जब बयान आता है कि एक सिलेण्डर कहां गया, तो वे कहते हैं कि हमको तो 9 मिल रहे हैं, एक कौन सा है, बताओ। अरे, भाई, कोई टेक्निकल बात आई और रह गई, तो उसको पकड़ना है। यह नहीं कह रहे हैं कि पहले 9 नहीं मिलते थे, अब 9 मिल रहे हैं। यह बहुत बड़ी बात है।

यह जो मनमोहन सिंहजी डायरेक्ट सब्सिडी ला रहे हैं, आप यह सुन लेना, यह पहली सरकार है, यह भ्रष्टाचार को खतम करने के लिए काम कर रही है। यह विशेष न्यायालय अधिनियम, 2012 कौन लेकर आया? यह राजस्थान का मुख्य मंत्री, अशोक गहलोत लेकर आया। इससे चपरासी से लेकर मुख्य मंत्री तक, सब भ्रष्टाचार के दायरे में आते हैं। आप एक भी चार्ज, कोई भी लगा नहीं पाए तो घुमा-फिरा कर चार्ज लगा दो, इधर से नहीं तो उधर से लगा दो। ऐसा नहीं है। मैं आज कह सकता हूं कि मनमोहन सिंह जी जो डायरेक्ट सब्सिडी ला रहे हैं, यह इतना बड़ा काम है, डायरेक्ट आपके खाते में पैसा आएगा और ये जो आधार कार्ड का काम हो रहा है, इस सरकार की एक-एक योजना, इतना बड़ा काम हो रहा है, लोग लाइन लगाकर आधार कार्ड बनवा रहे हैं।

इसलिए मैं इतना कह सकता हूं कि भ्रष्टाचार को खतम करने वाली सरकार, राजस्थान के विकास को बढ़ावा देने वाला बजट, आम आदमी को सम्मान देने वाला बजट, आम आदमी के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने वाला फाइनेंशल मैनेजमेंट, हर वर्ग को फायदा पहुंचाने वाला, विद्यार्थी, कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, झोंपड़ी, बी पी एल, ए पी एल, सब के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने वाला फाइनेंशल मैनेजमेंट इस बजट में किया गया है और मैं भरोसा करता हूं, 40 हजार 500 करोड़ की यह योजना और नई योजनाएं,

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

हमने, हमारी सरकार ने निर्णय लिया है, वे जमीन पर उतरी हुई नजर आएंगी। नये राजस्थान का निर्माण होगा, एक ऐसे राजस्थान का निर्माण जहां कोई भूखा नहीं होगा, जो विकसित राजस्थान में रहेगा, आगे बढ़ेगा, हर बच्चे का जीवन-स्तर ऊंचा उठेगा, हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, राजस्थान आगे बढ़ेगा और राजस्थान हिन्दुस्तान के स्टेटों में सबसे ऊपर होगा और दुनिया में राजस्थान का नाम होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री अमराराम जी।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): सभापति जी, पहले तो आपने मेरा नाम बोला था।

श्री सभापति: तीन बजे ही, ठीक है?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, विनियोग विधेयक, 2013 व वित्त विधेयक पर चर्चा हो रही है, 97 हजार 321 करोड़ 70 लाख 84 हजार रुपये का प्रोविजन है। तय रूप से आज जो हालत है, इसमें से जितना पैसा विभागों में हम दे रहे हैं, उसका 25 प्रतिशत कमीशन के रूप में जा रहा है।

अभी सिविल लाइन्स से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं, भ्रष्टाचार मुक्त; यू पी ए की सरकार ने तो इस देश में भ्रष्टाचार में रिकार्ड बना दिया। दुनिया में अगर इसकी प्रतियोगिता होती तो मनमोहन सिंह जी गोल्ड मेडल लेकर आते। इसमें कोई दो राय नहीं। एक लाख 76 हजार करोड़, एक लाख 86 हजार करोड़, खेल के नाम से 70 हजार करोड़। जो रिकार्ड बनाने का काम किया है और महंगाई बढ़ाने का भी काम जितना किया है, क्योंकि देश की, प्रदेश की जनता के सामने कहा कि कड़ी से कड़ी जोड़ेंगे तो जनता का भाग्य बदल जाएगा, मैं समझता हूं, कड़ी से कड़ी जोड़ी और जनता की कड़ तोड़ने का काम किसी ने किया है तो इस कांग्रेस और यू पी ए की सरकार ने किया है।

आज यह हालत, सभापति महोदय, सब कुछ बाजार के हवाले है। पहले पेट्रोल बाजार के हवाले, अब डीजल बाजार के हवाले और इससे जितनी महंगाई बढ़ रही है, क्या हालत है, 384 का सिलेण्डर, आप कह रहे हैं, पहले सिलेण्डर नहीं मिल रहा था, पहले 384 में मिल रहा था, अब 800 में मिलेगा; डीजल पहले 8 रुपये लीटर था अब वह 51 रुपये लीटर मिलेगा।

राजस्थान में कह रहे हैं, रिफाइनरी की बड़ी वाहवाही कर रहे हैं, पंजाब

(श्री अमराराम)

में तो कोई डीजल, पेट्रोल, क्रूड आयल नहीं मिल रहा है, भटिण्डा में रिफाइनरी है। राजस्थान की सरकार अगर राजस्थान के बाड़मेर में तेल नहीं निकलता और उसके बाद रिफाइनरी लेकर आती तो बात समझ में आती। आज राजस्थान में तेल निकला है, राजस्थान की धरती में निकल रहा है लेकिन राजस्थान की जनता को महंगा मिल रहा है। आज भी, प्रताप सिंह जी, आज भी राजस्थान के पड़ोस में हरियाणा में 4 रुपये लीटर सस्ता है। अगर राजस्थान का किसान हरियाणा और पंजाब से डीजल ले आए तो सरकार मुकदमा बना रही है। क्यों? क्या अफीम लेकर आ रहा है? राजस्थान का डीजल, राजस्थान की धरती से निकलेगा और राजस्थान की जनता को ही महंगा मिलेगा पेट्रोल और डीजल। इससे ज्यादा अफसोसजनक बात नहीं हो सकती।

कह रहे हैं, सिलेण्डर में हमने 25 रुपया कम कर दिया; सवा चार सौ रुपया बढ़ा दिया, उसमें 25 रुपये कम कर दिया। बड़ी वाहवाही की है। आज राजस्थान के किसान को जिस तरह से डीजल में ...(व्यवधान)

(16.00 बजे)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): 2जी, 3जी, जीजाजी।

श्री सभापति: आप बैठो।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सभापति महोदय, केवल यही नहीं किया है, जो बल्क में डीजल खरीदते हैं, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जिसमें आम आदमी चलता है, बड़े-बड़े लोग अपनी कार से चलते हैं लेकिन आम आदमी जिस रेल से चलता है, जिस बस से चलता है, उस पर डीजल पर एक लीटर पर 10 रुपये एक्स्ट्रा है। आज राजस्थान में जिस तरह से हो रहा है, राजस्थान परिवहन निगम की जितनी भी बसें हैं, जो दिल्ली से होकर गुजरती हैं, हरियाणा और पंजाब से गुजरती है तो हमारे राजस्थान परिवहन निगम की बस राजस्थान से डीजल से नहीं भराती है, हरियाणा और पंजाब से भराती है।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): वीरेन्द्र जी का पीछा नहीं छोड़ना है क्या?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): आज सबसे ज्यादा उसी से महंगाई बढ़ रही है। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, यह आपके कहने से नहीं है, आपने राशन दे दिया, क्या आपने तेल दे दिया? क्या आपने दाल दे दी? सब जगह से जिस तरह से डीजल पर दाम बढ़े हैं, आपने उसको बाजार के हवाले किया है

(श्री अमराराम)

और आपने अभी तो कहा है कि हर महीने बढ़ेगा, फिर थोड़े दिन बाद घोषणा करने वाले हो कि हर हफ्ते बढ़ेगा, हर हफ्ते ही नहीं, हर रोज बढ़ेगा, क्योंकि सरकार का लूटने का एक ही जरिया रह गया और देश और प्रदेश की जनता को डीजल और पैट्रोल के माध्यम से लूटने का काम किया जा रहा है।

उद्योगों के नाम पर आपकी ही सरकार ने कहा था कि जो 1894 का भूमि अधिग्रहण कानून है, जिसमें जो प्रोविजन है, उससे राजस्थान की सरकार हरियाणा की तर्ज पर किसान को बचाने का काम करेगी; उस किसान की जो भी जमीन लेंगे, उस किसान की जिसकी जमीन जाएगी, उसको हम नौकरी देने का काम करेंगे; हम डी एल सी रेट से छह गुना देने का काम करेंगे; क्या साढ़े चार साल में कर दिया? राजस्थान के किसान की जिस तरह से जमीनें आज हड़पी जा रही हैं, जिस रिफाइनरी की आप बात कर रहे हैं, पैसे बढ़े होंगे, लेकिन क्या चार गांव के, उनकी जमीन जाएगी, उनको आप जैसलमेर और बाड़मेर में जमीन देंगे? मैं समझता हूं कि जमीन के नाम पर जो आज घोटाले हो रहे हैं, विकास हो, उद्योग का विकास हो, लेकिन किसान की कीमत पर नहीं हो।

आज जिस तरह, के उद्योग चाहे वह नीमराना में हो रहा है, सभापति महोदय, वे प्रदूषण फैला रहे हैं। आज जो राजस्थान में सीमेंट फैक्टरियां हैं, सभापति महोदय के विधान सभा क्षेत्र में भी आदित्य मिल है, वहां के किसानों के जिस तरह से प्रदूषण से खेत नष्ट हो रहे हैं, उस कम्पनी ने साढ़े आठ करोड़ रुपये के चित्तौड़ में इन्डोर स्टेडियम की घोषणा की लेकिन आज तक एक नया पैसा नहीं दिया। आज वहां जमीन जिस तरह से खरीदी जा रही है, उन बड़े-बड़े लोगों के लिए हमने कानून में प्रोविजन कर दिया, किसान के लिए तो सीलिंग कानून लागू होगा लेकिन कम्पनी के लिए सीलिंग कानून लागू नहीं होगा। कम्पनी के नाम से वह कितनी ही जमीन खरीद सकता है। यह उन लोगों के लिए जो भूमि का व्यवसाय करने वाले लोग हैं, उनके लिए हम सब कानून बनाने के लिए तैयार हैं और उस किसान के लिए बनाने के लिए तैयार नहीं हैं।

सभापति महोदय, सहकारिता में, जो किसान का सबसे बड़ा क्षेत्र है, 2008 में यू पी ए की सरकार ने घोषणा की कि जो कृषि पर ऋण है 75 हजार करोड़ का, उसमें 22 प्रतिशत घोटाला है। 22 प्रतिशत उन लोगों के नाम से, जिनको कोई रिलीफ नहीं दी गई। न केवल वहां, बल्कि राजस्थान में भी

(श्री अमराराम)

सहकारिता में 2008 से लेकर ढाई साल में, जितना ऋण माफ का पैसा वापस केन्द्र सरकार ने पुनर्भरण किया, एक-एक सोसाइटी से, मैं कह सकता हूं कि 50-50 लाख रुपया है। आप दिखवा लें, ढाई साल के बाद में पुनर्भरण हुआ है वहां तक का, आपके निर्देश के बाद भी।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): आपने कभी एक चिट्ठी भी लिखी क्या कि इस सोसाइटी में गड़बड़ हुई? एक के लिए भी लिखी क्या? सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं आप। सुनो, आपको पता है कि ऋण माफी हुई है 2006 में, हम आये हैं 2008 और 2009 में।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): 2008 में हुआ है। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): हम आये 2008-09 में और ऋण माफी हुई है 2006 में, भारत सरकार ने किया जो। पहले पूरी चीज का ध्यान रखो। एक भी सोसाइटी की चिट्ठी लिखी क्या? वैसे ही बोलने के लिए बोलते हैं। बताओ।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): मैं बता रहा हूं न, 2008 में घोषणा की है...

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): क्या बतायेंगे? सिर्फ बोलने के लिए ही हैं। 2006 में। आप अपने आपको पहले ठीक करो।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): आपके पास गये थे, टोंक जिले में एक को भी लोन दिया हो तो बता दो। (व्यवधान) आपसे मिलकर गये थे और घर पर चिट्ठी भी लेकर गये थे। (व्यवधान) आपके पास गये थे।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): 2006 में ऋण माफी हुई थी। आप थे न उस समय? आप 2006 में थे, 2007 में थे, 2008 में थे, तो क्यों नहीं कराया? क्यों नहीं कराया 6 प्रतिशत पर? आप बैठे थे न यहां पर। आपको ध्यान ही नहीं है किसी चीज का।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सभापति महोदय, मैं नहीं कह रहा, देश की सी ए जी कह रही है, ऋण माफी में 22 प्रतिशत घोटाला है। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): राजस्थान के लिए सी ए जी ने कुछ नहीं कहा। जो हुआ है, चाहे कहीं भी हुआ हो, 2006 से आज तक हुआ है। हमारे आने के बाद एक जगह भी नहीं हुआ।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): आप तो यह बता दो, 2008 तक हुआ है और 2008 के बाद में केन्द्र सरकार ने पुनर्भरण कब किया है?

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): 2006 से 2008 में हुआ है। यह हमारी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी और इनकी जिम्मेदारी थी, आप यहां हाउस में थे। (व्यवधान) हम आये हैं, उसके बाद में कोई घोटाला नहीं हुआ है, किसी सोसाइटी में नहीं हुआ है। आप एक सोसाइटी का नाम बता दो। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): आप तो यह बता दो कि 2008 तक हुआ, उसका पुनर्भरण केन्द्र सरकार ने कब किया है?

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): जो ऋण माफी हुई, जो यहां से 2006 से 2008 में गये, उनका पुनर्भरण हो गया और कोई पैसा भारत सरकार में बकाया नहीं है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): 2008 तक ऋण माफी हुई, उसका पुनर्भरण केन्द्र सरकार ने कब किया?

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): हमारे आने से पहले हो गया। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): पहले कहां से हो गया?

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): सभापति जी, मंत्रीजी गलत बता रहे हैं, इंटरेस्ट कम्पोनेंट आज तक लोगों के खाते में नहीं चढ़ा है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): हो ही नहीं रहा है। सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने परसों ही मेरे प्रश्न के उत्तर में दिया है कि जो ब्याज की तीन प्रतिशत की घोषणा केन्द्र सरकार ने सहायता देने की थी, उसका 103 करोड़ रुपया 2011 से आज 2013 तक बाकी है।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): 103 करोड़ बाकी है, वह 2010, 2011, 2012 और 2013 का। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): कोई गलत नहीं बोलेगा...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो। सुनिये। (व्यवधान) आप बैठिये अब।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): अब बैठिये आप।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): कैसे बैठिये?

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): भारत सरकार ने 2010 और 2011 में दो प्रतिशत की छूट दी, वह पैसा हमको पूरा मिल गया।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): आपको जानकारी है या नहीं, लेकिन काश्तकार के इंटरेस्ट लगता जा रहा है। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): 2011 और 2012 का जो 103 करोड़ है, वह एक महीने के अन्दर-अन्दर सरकार को मिल जाएगा। (व्यवधान) आपको इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, यह चिंता सरकार की है।

श्री सभापति: मैं आपको अलाउ करूं तब बोलना। अभी विराजो।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): चिंता सरकार की नहीं, राजस्थान के किसान की है। (व्यवधान) जिस को-आपरेटिव बैंक का 103 करोड़ रुपये 2011 से आज 2013 तक नहीं मिला, अगर सरकार को चिंता होती तो 2011 में ही मिल जाता।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): यह चिंता हमारी है और हमने किसान से एक पैसा वसूल नहीं किया है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): आपने किसान से किया या नहीं लेकिन.... (व्यवधान)

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): हमने ब्याज माफी की है। हमने 5 प्रतिशत पर दिया, हमने चार प्रतिशत पर दिया। (व्यवधान) आपको कोई जानकारी ही नहीं है पूरी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): राजस्थान के सहकारी बैंक का 103 करोड़ रुपया 2011 से 2013 तक नहीं मिला। तो यह राजस्थान को नुकसान हुआ या नहीं हुआ? (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय सभापति महोदय, मंत्रीजी ने खुद ने माना कि हमारे पहले घोटाले हुए। घोटाले हुए, यह तो आप मानते हो न? आपने खुद ने माना है इस बात को कि घोटाले हुए, तो फिर आपने यहां चार साल बैठे-बैठे क्या किया है? (व्यवधान) क्यों नहीं वसूल किया उनसे? (व्यवधान) उनके खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की? और उसके लिए आप दोषी हैं।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): अमराराम जी, आप बैठिये, सुनिये। अमराराम जी, आप एक मिनट बैठिये।

मैं आपको, पूरे सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि 2008 के पहले, 2006 से 2008 में ऋण माफी हुई, उसके बाद हुई नहीं। हमने आते ही जो 13 प्रतिशत था, उसको 7 प्रतिशत किया; उसके बाद 5 प्रतिशत किया, जिसमें 2 प्रतिशत हमने दिया; फिर 4 प्रतिशत पर दिया और इस साल हमने इंटरेस्ट-फ्री लोन दिया। इसलिए जो 103 करोड़ है, वह 2012-13 का है, वह हमें

(श्री परसादीलाल)

मिल जाएगा। कल हमारी नाबार्ड के साथ मीटिंग हो गई और 15 दिन में पैसा आ जाएगा। आपको 103 करोड़ की क्या चिंता है? पैसा हमारा लगा हुआ है उसमें। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): पैसा आपके घर का नहीं है। (व्यवधान) सभापति महोदय, ये मंत्री महोदय कह रहे हैं कि हमारी चिंता है, राजस्थान की चिंता है। यह परसादीलालजी के घर का पैसा नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आपका समय पूरा हो रहा है, अगर आप इसी तरह से उलझते जाओगे तो। आप आगे चलो न।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): मैं कहां उलझ रहा हूं? (व्यवधान)

श्री सभापति: हो गई न बात, अब आगे चलो। आप आगे चलो। अगले बिन्दु पर आ जाओ आप।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सभापति महोदय, 2011-12 का 103 करोड़ रुपया केन्द्र सरकार ने नहीं दिया, वह राजस्थान की जनता का पैसा है। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): भारत सरकार ने मंजूर कर दिया, 15 दिन में पैसा आ जाएगा, नाबार्ड के साथ मीटिंग हो गई। भारत सरकार से 15 दिन में पैसा आ जाएगा, बात हो गई, कल मीटिंग हो गई नाबार्ड के साथ। (व्यवधान)

श्री सभापति: मंत्री महोदय, सारी बात हो गई?

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): हो गई सारी, उसकी आपको क्या चिंता है? (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): चिंता इसलिए है कि दो साल तक केन्द्र सरकार ने क्यों दबाये रखा? राजस्थान के सहकारी बैंकों का पैसा है।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): दो साल का कोई बाकी नहीं है। 93 करोड़ पहले का दे दिया और यह 2011-12, 2012-13 का है। आ जाएगा पैसा, 15 दिन में आ जाएगा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): 2011-12 का है।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): बात हो गई न। क्लेम कब देते हैं, आपको पता है?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): 6 महीने के बाद। क्या आपने क्लेम ही नहीं भेजा 2011-12 का? 6 महीने के बाद जाता है।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): सुनिये, क्लेम कब दिया था? क्लेम कब दिया जाता है भारत सरकार को? पूरी रिकवरी होने के बाद। रबी और खरीफ की रिकवरी होने के बाद फिर हम क्लेम प्रस्तुत करते हैं, तब भारत सरकार मंजूर करती है कि इन किसानों ने पैसा समय पर जमा कराया है, उन्हीं को भारत सरकार छूट देगी। वह क्लेम हमारा पहले वाला आ गया, दूसरे वाला 15-20 दिन में आ जायेगा। आपको चिंता क्या है इस बात की?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): 2011-12 का भेजा है और अब मार्च के बाद आयेगा।

श्री सभापति: अब मैं अगले वक्ता का नाम पुकारूंगा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सभापति महोदय, ये बड़ी-बड़ी बात कर रहे हैं, राजस्थान की इसी विधान सभा में 2000 में...

श्री सभापति: अब आगे चलो ना, अमराराम जी। माननीय सदस्य, आगे चलो आप।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): आगे ही चल रहा हूं, सभापति महोदय। 2000 में राजस्थान के बिजली बोर्ड को तोड़कर पांच कम्पनियां बनाई थीं। उस पुरानी विधान सभा में यही कांग्रेस की सरकार थी, यही मुख्य मंत्री थे और अब इनके जो प्रदेशाध्यक्ष हैं, वे उस समय बिजली मंत्री थे, ये धारीवाल भी उस समय थे, क्या घोषणा की थी? सस्ती बिजली, सबको बिजली, अनट्रिप्ड बिजली। हमने कहा था, सात रुपये, अभी नौ रुपये। रिकार्ड बना दिया आपने। राजस्थान के आम आदमी की चिंता नहीं है। आज क्या हालत है? 5,000 करोड़ रुपये का कर्जा था, आप कह रहे थे कि कर्जा समाप्त हो जायेगा, राजस्थान की कम्पनियां बनने के बाद उत्तरदायित्व आ जायेगा, आज 5,000 करोड़ रुपये की जगह 56,000 करोड़ रुपये है। राजस्थान के बिजली मंत्रीजी ने पिछले सत्र में कहा था, राजस्थान में ढाणी में रहने वाले, इस सरकार पर कौन विश्वास करेगा? सरकार का बिजली मंत्री यहां खड़े होकर पिछले सत्र में कहता है कि 5-5 के ग्रुप में देंगे, फार्म भरा लिया और आज सरकार कह रही है कि उनको कनेक्शन नहीं मिलेगा। कैसी घोषणा है? ऐसी घोषणा होगी तो केवल घोषणा अख़बार में छपा सकते हो।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): पहले कह दिया कि जहां 50 ढाणियां एक जगह होंगी। 50 ढाणियां तो, वैसे ही रेवेन्यू विलेज हो जाता है। फिर कहा, पांच ढाणियां एक साथ होंगी। फैक्टरीज के लिए आज एप्लाई करो, 50 से 250 एच पी का कनेक्शन है तो आपको एक ही रात में कनेक्शन मिल जायेगा। लेकिन गांव और ढाणी वालों को कनेक्शन नहीं। हम हिन्दुस्तान के नागरिक हैं, निगम में हमारी भी हिस्सेदारी है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सभापति महोदय, यह राजस्थान की आम अवाम तो सरकार की नजर में चोर है। जिसके भी घर में कनेक्शन था, जिसकी भी दुकान में कनेक्शन था, उसका मीटर अन्दर था, उसका तो दरवाजे पर है। सरकार बता दे। एक भी कारखाना, एक भी फैक्टरी का, किसी का भी मीटर उस कारखाने के दरवाजे के बाहर नहीं है। राजस्थान की सरकार की नजर में कारखाना लगाने वाला तो ईमानदार है और जो राजस्थान की विधान सभा में 200 विधायकों को चुनकर भेजता है, वह किसान, वह गरीब, वह दुकानदार चोर है इनकी नजर में।

मद्रास हाई कोर्ट में निर्णय होता है और हमारे यहां गरीब, आज 65 साल की आजादी के बाद उसके बच्चे आज भी बिजली की रोशनी में नहीं पढ़ते। आज भी वे चाहते हैं कि वे चिमनी की रोशनी में पढ़ें। अगर उसने बल्ब जला लिया तो जो पहले 2,000 रुपये की पेनल्टी थी, अभी नौ गुना, यानी 18,000 रुपये की पेनल्टी लेंगे। क्योंकि 65 साल में उसके घर में बिजली का बल्ब नहीं चसा। उसका बेटा पड़ोसी को देखकर अगर बल्ब चास लेगा...। मद्रास हाई कोर्ट में निर्णय होता है। किस गरीब की बात कर रहे हो? जो 65 साल में आज तक बिजली का कनेक्शन नहीं ले पाया, अगर उसने बल्ब चास लिया तो गुनाह कर दिया? उससे 2,000 रुपये की बजाय 18,000 रुपयों की वसूली करोगे और फिर गरीब की बात कर रहे हो, गरीब को गणेश मानने की बात कर रहे हो। गणेश की नहीं, बड़े-बड़े लोगों की बात करो, बात समझ में आती है। उनके लिए जमीन है, कनेक्शन है, मांगने से पहले है। उनके लिए सरकार आरती उतार रही है और जो गरीब है, जो हमको यहां चुनकर भेजता है, उसके घर में 65 साल में भी बिजली की रोशनी नहीं है। हम सब कुछ करेंगे।

इसलिए, सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा, आज किसान को भाव मिल जाये, यह मंजूर नहीं है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब सम-अप करो।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): समाप्त कर रहा हूं, सभापति महोदय।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): यह निष्पक्ष आलोचना हो रही है। विवेकशील आलोचना हो रही है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सवाल यह नहीं है कि इन्होंने किया या उन्होंने किया। पिछले साल किसान का ग्वार 4,000 रुपये में बिका, कम्पनियों ने 33,000 रुपये में बेचा और किसान के अबकी बार आया, एन सी डी एक्स से बाहर कर दिया। आपकी यू पी ए की सरकार इंतजार कर रही है कि कब किसान का ग्वार उन किसानों से व्यापारियों के पास चला जायेगा, उसके बाद एन सी डी एक्स में शामिल करेंगे। आप गेहूं को एन सी डी एक्स से बाहर नहीं निकालेंगे, दाल को बाहर नहीं निकालेंगे लेकिन ग्वार को बाहर निकालेंगे क्योंकि आम गरीब आदमी ग्वार को खाता है। इंतजार इस बात का है कि एक क्विंटल में 20,000 रुपये का फायदा उस ग्वार पैदा करने वाले राजस्थान के किसान को नहीं मिले और उन कम्पनियों को मिले जो एन सी डी एक्स में जाने के बाद मुनाफा कमाने की बात करेंगे। एक क्विंटल में 20,000 रुपया। आज जिसके पास आधा क्विंटल भी ग्वार है, वह उसके घर में रखा हुआ है। वह इंतजार कर रहा है कि कम्पनी को जो 33,000 रुपये का भाव मिला है, वह मेरे को भी मिलेगा, लेकिन सरकार इस इंतजार में है कि वह फायदा कम्पनी को मिले। आपकी सरकार है, कड़ी से कड़ी जोड़ी है, मनमोहन सिंह जी प्रधान मंत्री हैं। कौन ग्वार को काम में लेता है? आज उस किसान को 33,000 रुपये का भाव दिलाने की जिम्मेदारी उनकी है।

सरकार घोषणा करती है समर्थन मूल्य की, बाजरा 18 क्विंटल खरीदा जाता है। ये हमारे कृषि मंत्रीजी बैठे हैं, कैसा बढ़िया बीज लेकर आये! ढाई इंच का सिट्टा, देखा है किसी माननीय सदस्य ने? प्रतापसिंह जी, देखा है आपने कभी? समर्थन मूल्य पर दो साल पहले बाजरा खरीदने के लिए 1,085 रुपये क्विंटल का भाव, हमारी सरकार खरीदती है 18 टन! रिकार्ड बना दिया, 18 टन। बाजरे का बीज, किसान को तबाह कर दिया और अब एक एफ आई आर दर्ज करा दी। उस किसान का जिसका करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ, आपने उसको एक नया पैसा नहीं दिया। किस किसान की बात कर रहे हैं?

श्री सभापति: अब आप सम-अप करो, माननीय सदस्य। अब आप सम-अप करो।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): इसलिए, सभापति महोदय, मैं तो कहना चाहूंगा, यह केवल उन ठेकेदारों के, बड़े-बड़े आफिसर्स...

श्री सभापति: आप विराजो अब।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): बांध बनता है बूंदी में, पहली बरसात में बह जाता हैं सड़क बनती है, आपका नियम है कि कोई भी ठेकेदार सड़क बनायेगा, पांच साल तक उसकी गारंटी है, मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए तीन साल से लिख रहा हूं, बनने के छह महीने बाद सड़क टूट जायेगी। सड़क चलने लायक नहीं है। लेकिन कोई भी अफसर उस ठेकेदार के खिलाफ, जिसकी पांच साल की गारंटी है, उसके ऊपर एक नया पैसा पेनल्टी लगाने के लिए तैयार नहीं है। आज सब सड़कों को उन बड़ी-बड़ी कम्पनियों के हवाले कर रहे हैं लूट-बूथ लगाने के लिए। जो सड़क किसान की जमीन पर बनी है, खेत में बनी है, राजस्थान की सात करोड़ जनता के टैक्स से बनी है, केवल उन कम्पनियों के हवाले करके...

श्री सभापति: अब आप विराजिये। अब आप विराजो। माननीय सदस्य, आप विराजो।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ...राजस्थान की जनता को लूटने के लिए छूट दे रहे हैं। इसलिए यह केवल थोथी घोषणा है, उसका जनता को फायदा नहीं मिलेगा। आज भी जितना पैसा दे रहे हैं, वह सही-सलामत जमीन पर लगे, राजस्थान की सात करोड़ जनता के पास जाये, केवल अफसर और ठेकेदारों की जेब में नहीं जाये, तब तो मैं समझता हूं कि यह जो बजट है, जनता के काम आयेगा।

श्री सभापति: अब आप विराजो। श्री गुलाब चन्द जी कटारिया।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): माननीय सभापति महोदय, ...

श्री सभापति: अब आप विराजो। प्रोफेसर साहब, विराजो। आप विराजो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आपका नाम दिया है।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): चार बार हो गया। नम्बर नहीं आया। चार दिन से नम्बर नहीं आया। (व्यवधान)

श्री सभापति: यह कोई जरूरी नहीं है कि मैं हर सदस्य का नाम पुकारूं? कोई जरूरी नहीं है।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): लगातार चार दिन हो गये हैं।

श्री सभापति: श्री गुलाब चन्द जी कटारिया।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ऐसा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, सभापतिजी। चार बार लगातार हो गया है। लगातार चार मांगों पर बोलने के लिए नम्बर नहीं आया। (व्यवधान)

श्री सभापति: नहीं, नहीं, बिलकुल नहीं। आप विराजो। नहीं, मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। (व्यवधान) मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा हूं। (व्यवधान) मैं किसी को अलाउ नहीं कर रहा हूं। (व्यवधान) केवल कटारियाजी का अंकित होगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): **×××**

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): **×××**

श्री सभापति: मैंने आपको कहा ना, मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा। (व्यवधान) सवा चार बजे प्रतिपक्ष के नेता बोलेंगे, पांच बजे सदन के नेता बोलेंगे। (व्यवधान) इसलिए मेरा निवेदन है कि कृपया विराज जायें। (व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): **×××**

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): **×××**

श्री सभापति: आप विराजो। प्रोफेसर साहब, विराजो। (व्यवधान) विराजो आप। मैं किसी को अनुमति नहीं दे रहा हूं। (व्यवधान) विराजो आप। (व्यवधान) आप विराजो।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): **×××**

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): **×××**

श्री सभापति: डाक्टर साहब, विराजो आप। (व्यवधान) मैं किसी को अलाउ नहीं कर रहा। मैं नहीं कर रहा। (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): **×××**

श्री सभापति: आपके प्रतिपक्ष के नेता को मैंने बोलने के लिए पुकार लिया है, आप विराज जाइये। (व्यवधान) मैं अलाउ नहीं करूंगा आपको। आपका अंकित भी नहीं होगा। बिलकुल अंकित नहीं होगा। आप विराज जाइये। (व्यवधान) मैंने आपको कहा, विराज जाइये।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): **×××**

श्री सभापति: विपक्ष के नेता महोदय, विपक्ष के तीन सदस्य और अमराराम जी और सत्ता पक्ष के सदस्य बोले हैं। (व्यवधान) समय को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। (व्यवधान) पांच बजे सदन के नेता बोलेंगे। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप विराज जायें। (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): **×××**

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): **×××**

श्री सभापति: फूलचन्द जी भिण्डा साहब, विराज जाओ। (व्यवधान) प्रोफेसर साहब, विराज जाओ। (व्यवधान) फूलचन्द जी भिण्डा साहब, यह मेरी दूसरी आवाज है, आप विराज जायें। (व्यवधान) आप विराज जाओ। प्रोफेसर साहब, विराज जाओ। (व्यवधान) प्रतिपक्ष के नेता महोदय, थोड़ा आप अपने सदस्यों को कह दें।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): **×××**

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): **×××**

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो। (व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजो। (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): **×××**

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): **×××**

श्री सभापति: किसी का अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान) यह अंतिम चेतावनी है, फूलचन्द जी भिण्डा। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री सभापति: यह अंतिम चेतावनी है, फूलचन्द भिण्डा। अगर अब आपने कोई भी ऐसा कृत्य किया....(व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री सभापति: मैंने तीसरी अंतिम चेतावनी दे दी है आपको।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री सभापति: प्रतिपक्ष के नेता महोदय।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, वित्त विधेयक और एप्रोप्रिएशन बिल पर मैं अपने विचार रखते हुए, सदन से और सदन के नेता से भी, इस तेरहवीं विधान सभा में जिस तरह से वर्किंग डे घटे हैं इस पर सीरियस होकर सोचना चाहिए। कारण क्या है कि विधान सभा का फ्लोर ही ऐसा है जिस पर कई चीजों की जानकारी विधायक अपने क्षेत्र से ढूंढ-ढूंढ कर के लाते हैं और वह यहां सदन में रखते हैं। तो उसका अगर सरकार, सरकार का मंत्री और हम लोग उपयोग करें तो प्रशासनिक सुधार में हमको मदद मिलती है। इसको आलोचना मानकर नहीं चलना चाहिए। मेरे पास भले ही विभाग रहा हो लेकिन मैं सब चीजों की जानकारी उस विभाग की रखता हूं, ऐसा सम्भव नहीं है। अगर किसी कमी के बारे में तथ्य के साथ कोई चीज आती है तो हमें उसे स्वीकार करके उसे सुधार के रास्ते पर ले जाना चाहिए। लेकिन यह जो पूरी की पूरी विधान सभा, लगभग आज इसका अंतिम दिन है और तेरहवीं विधान सभा लगभग समाप्त-सी मानिये, 115 दिन कुल चली है और उसमें भी केवल 65 दिन यहां हाउस में कुछ न कुछ डिस्कशन हुआ है, बाकी तो हो-हुल्लड़ में गये हैं। यह हमारे लिए, इस तेरहवीं विधान सभा के लिए एक बहुत दुखद विषय है, जो इतिहास में अंकित हो चुका है।

हम इस बारे में प्रयत्न करें कि विधान सभा जितनी अधिक से अधिक चलेगी, विधान सभा के फ्लोर पर जितनी अधिक से अधिक जानकारी आयेगी, दुर्भाग्य हमारा इस देश का यह रहा कि हमने लोकतंत्र और विधान सभा को एक तरह से पक्ष और विपक्ष की बहस का स्थान बना दिया। होना

(16.22 बजे)

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

तो यह था कि इसमें क्या सुधार, कैसे सुधार किया जाय, कैसे एक-दूसरे के अच्छे सुझावों का उपयोग करके, इस लोकतंत्र में उस जनता के लिए जिसके लिए हम चुन कर आते हैं, उसकी बहबूदी के लिए कैसे आगे बढ़ायें। लेकिन दुर्भाग्य से गाड़ी ऐसे ट्रैक पर चली गई कि केवल एक-दूसरे की आलोचना करके हम सोचते हैं कि हमने अपने कर्म को पूरा कर लिया। हमारा कर्म तो जरूर पूरा हो गया लेकिन वह सात करोड़ जनता का कर्म पूरा नहीं हुआ।

इस प्लान साइज के बारे में आप बड़ी तारीफ कर रहे हैं कि प्लान

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

साइज बढ़ी, प्लान साइज बढ़ी। यह क्या पहली बार बढ़ी हिन्दुस्तान में, राजस्थान में? कोई सा भी ऐसा साल बता दो कि जिस साल के बाद नया, जब अगले साल के बजट का जो प्लान आता है, वह उससे कम आता है क्या? अगर आप चाहो तो मैं सारे सालों के आंकड़े लेकर के आया हूं, हर साल ही प्लान साइज बढ़ती है और केवल राजस्थान में ही बढ़ी है, ऐसा क्या है? कारण क्या है कि हमारे तो कूप मण्डूक हो गये, हम अपने कुएं के मेंढक की तरह से देखते हैं और लगता है कि यही समुद्र है, यही समुद्र है। क्या हिन्दुस्तान के बाकी राज्यों की प्लान साइज नहीं बढ़ी? अगर उसको देखने का प्रयास करें ना, हरियाणा, आसाम, गुजरात, पश्चिम बंगाल, गोवा, पंजाब, उड़ीसा और अरुणाचल की प्लान साइज हमसे कई गुना अधिक बढ़ी है। यही नहीं, बिहार की भी प्लान साइज हमसे इस साल बढ़ी है। केवल हम राजस्थान की प्लान साइज, कितनी बढ़ गई? बढ़ करके कितनी बढ़ गई?

अभी आपने यों ही घोषणा कर दी, बीस परसेंट बढ़ी, कैसे बढ़ी? पिछली बार आपने आर.आई. में, यह जो है न, 36 हजार करोड़ का अपना बजट, जब आपने रिवाइज्ड एस्टिमेट लिया तो प्लान की साइज आपने 36 हजार करोड़ कर दी और अभी अपने चालीस हजार पांच सौ करोड़ हुई। इसका परसेंटेज निकालो तो ग्यारह परसेंट से भी कम आता है। तो प्लान साइज बीस परसेंट बढ़ गई, केवल कहने के लिए अपन कहने का प्रयास कर रहे हैं, मैं सोचता हूं कि कोई बहुत अधिक प्लान साइज का, जितना अपन ढिंढोरा पीट रहे हैं, उतना नहीं है। यह जो प्लान साइज के बारे में आप कहते हैं न, 2004 में हमारे 6,797 करोड़ थी; वह प्लान साइज जो 2003 में आप पेश कर गये थे, उससे हमने 45 प्रतिशत प्लान को बढ़ाया था, उस समय, एक-दो परसेंट नहीं।

यह हर साल बढ़ती है। जैसे-जैसे आय के स्रोत बढ़ते हैं, जैसे-जैसे सेंट्रल टैक्सेज में हमारा हिस्सा बढ़ता है, जैसे-जैसे हमारी आमदनी बढ़ती है, वैसे-वैसे बढ़ती जाती है। अब इस प्लान साइज, ग्यारह प्रतिशत को अगर महंगाई के साथ जोड़ लो तो जीरो-बटा-जीरो आ जायेगी कि नहीं? उसी पैसे का उपयोग कितना होगा? लेकिन हम अपनी बातों में इस बारे में बार-बार इसका आग्रह कर रहे हैं, यह जो प्लान साइज इस साल जो बढ़ी है न, वह मात्र ग्यारह प्रतिशत बढ़ी है और इसकी दृष्टि से मैं सोचता हूं, मैंने पिछली बार भी बजट के समय भी बोला, लेकिन मेरे किसी प्रश्न का जवाब नहीं मिला।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

यह जो राजस्व विकास व्यय है, इसका राजस्थान के, इस हिंदुस्तान के नक्शे में बाकी राज्यों की तुलना में हम कहां स्टैंड कर रहे हैं, इस पर भी एक निगाह डालें। केवल हम बजट या एप्रोप्रिएशन बिल में इधर के भाषण, इधर के भाषण, इधर देने से कोई अर्थ नहीं निकलेगा, उसके अन्दर जायेंगे तो पता लगेगा कि इसमें खोखलापन कितना है और कहां हम स्टैंड कर रहे हैं। यानी, 2009-10 में हिन्दुस्तान के सब राज्यों में हमारा बारहवां स्थान था या 2010-11 में हम तेरहवें स्थान पर थे, 2011-12 में हम दसवें स्थान पर आये हैं। यह जो हमारी हिन्दुस्तान के राज्यों में रैंकिंग है न, वह रैंकिंग कोई बहुत अच्छी रैंकिंग नहीं है, लेकिन हम उसको अपने हिसाब से...।

अब यह जो आपने, अभी जो अपन यह लाये हैं, 97,331 करोड़ का एप्रोप्रिएशन बिल लेकर के आये हैं, अब इस एप्रोप्रिएशन बिल में जिस प्रकार की आपने बढ़ोत्तरी विशेष करके इसमें इंडस्ट्री को जिस ढंग से, पिछला जो हमारा बजट था उसमें हमारे 142 करोड़ उस पर खर्च था, अब की बार 138 करोड़, और बाकी भी जो शिक्षा पर हमारा बजट है वह 12,549 करोड़ था, इस बार हमारा 14,500 । कोई बढ़ोतरी हमने दस प्रतिशत से ज्यादा नहीं की। सबसे ज्यादा जो पैसा हमने डाला है, इन दोनों प्लान में, पिछले साल के प्लान में और इस साल के प्लान में, वह आपका विद्युत पर है। पिछली बार 6,230 करोड़ का आपका बजट था, इस बार आपका 12,499 करोड़ का हुआ, जस्ट डबल, लेकिन मैंने पिछली बार भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, मेरे इस सवाल का जवाब आज तक तो मुझे नहीं मिला, आपकी सरकार आने के बाद, दिसम्बर 2008 के बाद, अब तक अगर आपने एक यूनिट बिजली, जिसको आपने प्रारम्भ करके उसकी बिजली पैदा कर दी हो तो आप उसका बता दें कि वास्तव में वह यूनिट कौन सी है और उस यूनिट का उत्पादन कब हुआ। जब आपने इतना उत्पादन कर दिया तो फिर यह सारी की सारी जो है, आखिर है कहां?

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): इन्होंने पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के प्लांट, वे कर दिये चालू।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): वह भी जिस तरह से खड़े हुए हैं न, आने वाले बच्चे, जो आने वाला इतिहास है न, वह बतायेगा। हमने यह कहा कि पर्यावरण का सुधार होगा लेकिन उनमें से आधे तो डीजल से चल

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

रहे हैं, आधे तो आयल से चल करके, बिजली पैदा करके, आपको दस रुपये में बिजली पकड़ाने का काम कर रहे हैं। कोई इस बारे में देखने की ही कोशिश नहीं है।

यही नहीं, आपने देखा होगा कि हम ब्याज के पेटे इस बजट में 9,441 करोड़ का ब्याज दे रहे हैं। यह जो ब्याज है और इसी के साथ, यह जो अतिरिक्त लोन अदायगी है, जिसको अपन ने ले रखा है, उसके अगेंस्ट में अपन 4,132 करोड़ इस साल दे रहे हैं; ये दोनों मिलकर तेरह हजार करोड़ से अधिक तो हमारा इस प्लान में से ब्याज चुकाने में ही जायेगा न, मूल में ही जा रहा है एक तरह से। हम किस बात की तारीफ करते चले जा रहे हैं? इसको कभी देखने की कोशिश करो।

योजना का खर्चा, मैंने पिछली बार भी बताया, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, मैं अभी कह रहा हूं कि यह जो आपका पांचवां बजट पेश है, चार आपके बजट पहले पेश हो गये, एक भी साल आपने प्लान जो पेश किया वह अगर पूरा किया हो तो वह साल बता दें। आपके ही आंकड़ों से मैंने निकाला है, 2009-10 में आपने जितना जो प्लान दिया था, 18,635 करोड़ का, खर्च किया 17,448 करोड़। माइनस कितना रहा? जितना आपने प्लान रखा, उससे भी 1,187 करोड़ रुपये आपने कम खर्च किये। उसके बाद 2010-11 में जो प्लान आपने पेश किया था, 23,562 करोड़ का, उसकी जगह खर्च किया 20,859 करोड़। उसके बाद 2011-12 में आपने 29,261 करोड़ का प्लान रखा, खर्चा हुआ मात्र 25,039 करोड़, अर्थात् माइनस 4,222 करोड़ और आपका प्लान, जो आपने दिया, वह भी आप खर्च नहीं कर पाये। पीटो ताली, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन यह खुश होने की बात नहीं है। हमने यह कीर्तिमान किया, जब हमारा जो बजट हमने रख दिया। इसलिए हम आप पर संदेह क्यों करते हैं कि आपका एक भी साल का, जो प्लान हमारे इस सदन में रखा, उसकी एक की भी पूर्ति नहीं की।

यह जो अभी 2012-13 का बजट है, इस 2012-13 के बजट में आपने रिवाइज्ड बजट जो है न, 36,363 करोड़ का रखा है, फरवरी एण्ड तक का जो खर्चा, जो आपकी किताब में हमें मिला, वह है, 19,920 करोड़ रुपये खर्च किये। सोलह हजार करोड़ रुपये आज की तारीख में बाकी हैं। अब आप कहते हैं कि हम बारह महीने में खर्च करेंगे, बारह महीने में से आपके दस महीने तो निकल चुके। उस महीने में आपका एवरेज खर्चा, अगर 20 हजार करोड़ भी मान लें, तो 2 हजार करोड़ रुपया खर्च हुआ ना?

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अब यह जो साल है, यह साल क्या काम करने का साल है? सच में अपने आपको धोखा मत दो, क्योंकि यह साल अधिकांश चुनावी साल में निकल जाएगा। दो-तीन-चार महीने के बाद आपका चुनाव आयोग आपके ऊपर रोक लगा देगा, चाहे वह आपकी जुलाई हो, चाहे अगस्त हो और उसके बाद आपको वर्किंग टाइम मिलेगा क्या? उसके बाद जब नई सरकार बनेगी तो उस सरकार को काम करने का मौका जनवरी में मिलेगा और मुश्किल से एक-डेढ़ महीना उसको मिलेगा। तो यह 40 हजार करोड़ रुपया खर्च कैसे करोगे? मतलब, आप जनता को केवल दिखाकर के इस तरह से एक हौआ बना रहे हो कि हमने 40 हजार करोड़ का बजट रखा है। आपके जो पुराने लक्षण दिख रहे हैं ना, उससे तो आप बजट का उपयोग ही नहीं करते हो, केवल उस बजट को दिखाने मात्र के लिए रखते हो।

यही नहीं, आपने इसको देखा होगा, हमारे खाचरियावासजी यह जरूर कहते हैं कि हम फालतू कागज टटोलते हैं, हम कागज फालतू में नहीं टटोलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि हम स्टैंड कहां कर रहे हैं। यह देखिए, आपका सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में घटता व्यय। यह मैंने नहीं बनाया है, यह तो आपके द्वारा दी गई किताबों से ही आंकड़े निकाले हैं। यह जो आपका जी.डी.पी. का टोटल एक्सपेंडिचर है, वह 2004-05 में 24 प्रतिशत था, 2005-06 में 19 प्रतिशत, 2006-07 में 18 प्रतिशत, 2007-08 में 19 प्रतिशत, 2008-09 में 18.6 प्रतिशत और उसके बाद यह घटने का क्रम शुरू हुआ है, 2009-10 में 18.3 प्रतिशत, उसके बाद 2010-11 में 15.7 प्रतिशत, उसके बाद 2011-12 में 15.6 प्रतिशत और यह जो 2012-13, जो अभी समाप्त नहीं हुआ, उसका पूरा नहीं आया है, उसका जो है ना, 18 प्रतिशत के लगभग पहुंच रहा है। इसका मतलब, यह जो आपका टोटल एक्सपेंडिचर है, वह आपका एक्सपेंडिचर जी.डी.पी. की तुलना में कम होता जा रहा है।

यही नहीं, आपका यह जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपकी स्थिति क्या है जी.डी.पी. के अगेंस्ट में? हमारे टाइम 2004-05 में 8.6 था, फिर 2005-06 में 4.02 था, फिर 2006-07 में 4.04 था, फिर 2007-08 में 4.4 था, फिर उसके बाद 2008-09 के बाद आपका 3.7 पर आ गया और फिर उसके बाद 2009-10 में 3.2 पर आ गये, उसके बाद 2010-11 में 2.5 और उसके बाद 2011-12 में 2.8 और उसके बाद यह जो साल अभी चल रहा है, इसमें 3.9 । मतलब, आपका यह जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वह हर साल घटता जा रहा है परसेंटेज जी.डी.पी. की तुलना में।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

यही नहीं, आपकी जो सेंट्रल स्पोंसर्ड स्कीमें हैं, उसमें तो आपकी हालत और भी खराब है। सेंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम में जो आपको पैसा मिला, उसका खर्चा आप देखिए, तो इसमें हमारे टाइम पर था 0.7 परसेंट, उसके बाद 2004-05 में 0.8, उसके बाद 2006-07 में 1.02, उसके बाद 2007-08 में 1.08, उसके बाद 2008-09 में 1.14 और उसके बाद आपके घटना शुरू हुआ है, सेंट्रल स्पोंसर्ड स्कीम में आपके टाइम पर 2009-10 में 0.69 पर आ गया और उसके बाद 2010-11 में 0.62 पर आ गया और उसके बाद 2011-12 में 0.54 और अबकी बार का अनुमानित है 0.64 प्रतिशत। अर्थात् यह जो जी.डी.पी. है उसकी तुलना में आपका खर्चा हर साल परसेंटेज के हिसाब से कम होता जा रहा है। यह आपके फाइनेंशल सिस्टम को जो है ना, बताता है।

यही नहीं, यह जो विकास दर है, कोई इस फिगर को देखना ही नहीं चाहता है। केवल अपनी ही पीठ थपथपाते हैं अपने हाथ से और यह सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। हां, हो सकता है, आपकी घोषणाएं ऐसी सुंदर लगती हैं कि बाहर से पढ़ने से सबको लगेगा कि जैसे कोई चमत्कार पैदा हो रहा है और यह चमत्कार पैदा करने की जरूरत 65 साल बाद क्यों पड़ी? आज भी दो वक्त की रोटी लोगों को नहीं मिलती, आज भी अगर लोगों को दवाई नहीं मिलती, तो क्या यह हमारे लोकतंत्र की असफलता नहीं है? 65 साल तक आपने और हमने इस विधान सभा में बैठकर के बजट पास किये और उसके बाद आदमी को दो जून की रोटी नहीं मिलती है। इसलिए हमको उस रोटी की व्यवस्था करनी पड़ती है, उसको मकान की व्यवस्था करनी पड़ती है। यह क्या हमारी सफलता को इंगित करता है? 65 साल कोई कम होते हैं इस देश की आजादी के? और 65 साल के बाद भी हम अपने आपको थपथपी लगा रहे हैं।

मैं आपको विकास दर बताता हूं, 2004-05 में विकास दर, जब हमने सरकार ली थी, तब आपकी विकास दर थी (-)1.85 और उसके बाद 2004-05 में हमने उस विकास दर को बढ़ाया और 6.68 पर लाये; उसके बाद 2006-07 में 11.67 पर ले गये; उसके बाद 2007-08 में वापस डाउन हुआ हमारा 5.14 पर आ गया; उसके बाद 2008-09 में 9.09 था। उसके बाद आपका जो है ना, 2009-10 का पहला साल था, वह 6.7 है; उसके बाद 2010-11 का वर्ष आपका ऐसा निकला जिसमें आपने 15.28 कवर किया, यह एक पहला साल है; उसके बाद वापस 2011-12 में डाउन हुआ 6.8 और उसके बाद 2012-13 में 5.4।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

क्या यह विकास दर इस बात को साबित करती है कि हम राजस्थान को तरक्की पर ले जा रहे हैं? राजस्थान को हमने विकास के रास्ते पर दौड़ा दिया होगा?

कर्ज की दृष्टि से भी देखें, मैंने पिछली बार भी कहा था कि जिस प्रकार से हमारा कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, वह कर्जा कोई सामान्य नहीं है। हम 1 लाख 31 हजार करोड़ के अन्दर आज की तारीख में कर्जे में आ रहे हैं, इस 2013-14 के बजट तक के बाद। कर्जा हमने भी लिया था, ऐसा नहीं है कि हमने कर्जा नहीं लिया, लेकिन जब हम सरकार में आये थे 1998-99 में, तब हमारे पर एक बहुत बड़ा, आप लोग आये तो आपने कहा कि भैंरोसिंहजी ने इस राजस्थान को डुबो दिया। इस पर एक पूरा श्वेत पत्र इश्यू हो गया, हमारे नाम पर। यहां विधान सभा में काफी जद्दोजहद हुई। मैं भी तब मेम्बर था। 24 हजार 169 करोड़ रुपये का उस समय कर्जा था और जब आपने वापस सरकार छोड़ी, उस समय आपने 54 हजार 903 करोड़ रुपये का कर्जा छोड़ा था, अर्थात्, आपकी कर्ज की बढ़ोतरी 120 परसेंट थी। उसके बाद हमने पांच साल काम किया, हमारा कर्जे का जो बढ़ना था, वह 22 परसेंट था और अबकी बार यह जो आपका कर्जा है, यह लगभग 68 परसेंट से ऊपर आपका कर्जों का परसेंटेज जा रहा है, कर्जे में बढ़ोतरी पर जा रहा है। यह जो मैंने आपको कहा ना, ब्याज अदायगी मात्र में 9 हजार 241 करोड़ और जो आपने कर्ज अदायगी ले रखी है, जो अपना राजस्थान का अपना कर्जा है, उसके पेटे जो वापस चुका रहा है वह 4 हजार 132 करोड़ रुपया है। अर्थात्, 13 हजार करोड़ रुपये से अधिक कर्जे में हमारी इस प्लान में से जायेगा।

केन्द्रीय वित्त करों में, यह बहुत अच्छी बात है कि आप रिफाइनरी लाये और रिफाइनरी आई, स्वागतयोग्य है। लेकिन जब आपने कड़ी से कड़ी जोड़ी थी ना, तब तो हमारे से तो आप रोज यहां विधान सभा में पूछते थे कि आपके यहां आयल मिल गया, आपके यहां यह हो गया, आप रिफाइनरी क्यों नहीं ला पा रहे? हमसे तो आप पूछ रहे हों और आप साढ़े चार साल बाद लाये हो, तो आपसे कोई नहीं पूछेगा क्या? यह साढ़े चार साल आपने क्यों लगा दिये? आपकी तो कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई थी ना। हमारी तो कड़ी में से हथकड़ी आई हुई थी, आपकी तो कड़ी से कड़ी जुड़ी थी ना। बहुत अच्छी बात है, फिर भी हमारे रिफाइनरी आई, हम स्वागत करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, इससे कम से कम भविष्य के लिए हमारा रास्ता खुलेगा, लेकिन इसके कारण,जैसे

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आपने पैदा कर दिया होगा अन्दर तेल, अन्दर से तेल निकाल दिया होगा, कोई जादू घूमा दिया होगा आपने जो तेल निकल गया होगा। अरे, यह तेल तो उपयोग होना ही था। दुर्भाग्य यह है कि हमको समय के पहले अगर इसमें बढ़ोतरी होती तो दो साल तक अपन और बहुत कुछ आगे बढ़कर के, अपने बाकी जो सोर्सेज तैयार होते, उसमें राजस्थान को सब कुछ मिल जाता।

आपने राजस्थान को विशेष दर्जे की बात कही। आपकी तो ऊपर से कड़ी लगी हुई है, इससे बढ़िया और कड़ी कब जुड़ती? इससे पहले तो कड़ियां हमेशा जुड़ीं नहीं। कभी यहां कोई, तो वहां कोई; वहां कोई, तो यहां कोई। आपकी तो पूरी कड़ी से कड़ी जुड़ रही है ना, फिर क्या हुआ विशेष दर्जे का? हर बार आप घोषणा करके जाते हो, विशेष दर्जा मिलेगा।

मैं आज एक प्रार्थना करना चाहता हूं, अगर मेरा यह सुझाव समझ में आता है राजनेताओं को, आप सब लोगों को, कि यह जो हमारी प्लानिंग है, यह हमारी डिफेक्टिव प्लानिंग है, इस प्लानिंग के दो टुकड़े करो। जब तक जिला बेस प्लानिंग नहीं बनाओगे, तब तक कभी भी आप विकास को जितनी गति देना चाहते हो, उतनी गति आप नहीं दे सकेंगे। निश्चित रूप से आपको अपनी-अपनी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बनानी चाहिए और जितना आपका बजट है, उसका आधा बजट सीधा डिस्ट्रिक्ट के अन्दर, जो विकास आपको आवश्यक लगता है, मेरे विधान सभा क्षेत्र में मुझे कौनसा काम ज्यादा उपयोगी लगता है जिससे मेरी जनता का रोजगार बढ़ सके या उसका काम बढ़ सके, यह मैं सोच सकता हूं। मैं सोचता हूं, वहां बैठकर के अगर हम निर्णय करेंगे, आप कंसोलिडेटेड फंड में रखें, आधा बजट कंसोलिडेटेड फंड में रखें ताकि स्टेट की जो आपकी बड़ी योजनाएं हैं उनको आप इससे वित्त पोषित करें, लेकिन कम से कम आधा बजट, आगे भविष्य में अगर कभी सम्भव हो सकता है, आप और हम में से किसी को अगर अवसर मिले तो हमारी प्लानिंग के सिस्टम को डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के रूप में बदलना चाहिए और उसमें भी विधान सभा क्षेत्र को आधार बनाना चाहिए।

यह जो आप चार साल और यह पांचवां बजट रखा है, यह सारा बजट 1 लाख 57 हजार करोड़ का है। अगर मैं इसको प्रत्येक एम एल ए के अन्दर बांट दूं तो हर एम एल ए को 780 करोड़ रुपया इन केवल पांच सालों के इस बजट में हिस्सा आता है। मान लीजिए, 780 हमको नहीं देते, लेकिन हमको

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

300 करोड़ रुपये भी दे देते हैं कि इस 300 करोड़ से आपके विधान सभा क्षेत्र में कौन-कौनसी योजनाएं ली जाएं जिसके कारण से आपकी जनता का विकास तेज गति से जा सकता है, तो मैं गारंटी से कह सकता हूं, दस साल में अगर हमने डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बनाना शुरू किया ना, हमारी आवश्यकता क्या है वह वहां से निकलेगी और हम उस आवश्यकता की पूर्ति कर सकेंगे। लेकिन हम तो उसी पुराने ढर्रे पर, जो एक बार हमने पकड़ लिया, उसको हम छोड़ना नहीं चाहते।

पिछली बार भी जब मैं बजट भाषण पर बोला था तो मैंने कई योजनाएं, आपकी जो घोषित की हैं, लेकिन वे आज भी अधूरी रह गईं। अब आपने बार-बार, इस बार भी घोषणा की कि हम चार लाख लोगों को रोजगार देंगे। मैंने उस दिन भी सारे फिगर बताये थे। आप कृपा करके सारे डिपार्टमेंट्स की एक लिस्ट दे दें कि आपने अपने शासन में आने के बाद और अपने द्वारा प्रचारित करने के बाद कौन-कौनसी पोस्टों पर भर्ती कर ली। उसकी संख्या हमें बता दो और कौनसी पुरानी जो आपकी पेंडिंग थीं, उसके अगेंस्ट में आपने भर्ती की? मैंने जो फिगर जोड़ा है, उसमें यह चार लाख की बात छोड़ दीजिये, केवल चौवन हजार राजकीय नौकरी आपने इस पूरे के पूरे साढ़े चार साल में दी हैं। इससे ज्यादा कोई आपने नौकरी नहीं दी हैं।

अब आपने कहा कि अब आप चालीस हजार करोड़ रुपये खर्च करेंगे। समय आपके पास लिमिटेड है और उसमें आप तो सब ऐसा समझते हैं कि जैसे कोई अपनी जेब से पैसा मिला हो। राजस्थान की गरीब जनता के टैक्स का पैसा है, आप और हम ट्रस्टी हैं। केवल जो पैसा हमारे पास है, उस पैसे का उपयोग करना, किस तरह से उपयोग करना, यह काम हमारा है। यह अभिमान मत करो कि हमने चालीस हजार करोड़ रुपये पैदा कर दिये होंगे। जो शेयर हमारा बनता है दिल्ली में, क्या वह शेयर रोक सकता है दिल्ली हमारा? जो हमारी हिस्सेदारी है, उसको वह रोक सकता है? और जिस प्रकार से टैक्स को हमने यहां बढ़ाया, उसके कारण से जो हमारी आमदनी हुई, क्या उसको हम रोक सकते हैं? मात्र आपके पास तीन महीने का समय है, अगर ठीक तरह से आप प्लानिंग करें न, मगर तीन महीने तो आपके कागज भी इधर से उधर नहीं जाते हैं। इसके कारण से ही तो सोलह हजार करोड़ रुपये पिछले प्लान के भी बाकी रह गये। तो आप चालीस हजार करोड़ को किस ढंग से खर्च करेंगे, इसके बारे में देखें।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जिस बिजली को लेकर के आपने बार-बार, बहुत-बहुत, डाक्टर साहब, तो बहुत ही जोर से बोले थे। इस बार आपके सब भाषण, समय नहीं मिला, बाकी आपके भाषण को रिकार्ड करके आपको पढ़ाता न, तो आपका स्वयं का दिमाग चक्कर खा जाता। इस फ्लोर पर आकर के राजस्थान की जनता को सब्ज़बाग मत दिखाओ। वस्तुस्थिति के बारे में ईमानदारी से बोलना सीखो। आज हम जन-प्रतिनिधि हैं, कल नहीं रहेंगे लेकिन कम से कम रिकार्ड पर ऐसी चीजें दर्ज करा कर नहीं चले जाएं जिसके कारण से लोगों को लगे कि ये कल भला हो रहा है, परसों भला हो रहा है। हो कहां रहा है?

यही नहीं, आपने देखा होगा कि बिजली बोर्ड का जो कर्जा है, वह साठ हजार करोड़ रुपये से अधिक बढ़ गया और आज भी राजस्थान की बिजली कंपनी देश में सबसे कमजोर, यह ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा आंका गया आंकड़ा है आज ही, अब इसको मैं थोड़ा सुनाता हूं ताकि आपको अपनी शाबासी पर थोड़ा बहुत अगर ध्यान आ जाए तो अपनी शाबासी लेते समय देख लेना। ऊर्जा मंत्रालय द्वारा की गई समीक्षा में गुजरात, पश्चिम बंगाल एवं महाराष्ट्र के कार्यों को सराहा है, वहीं देश की 39 बिजली कंपनियों में राजस्थान की तीनों कंपनियों को क्रमश: जो रैंकिंग मिली है, वह 30, 31 और 32वीं रैंक मिली है, 39 में से। सफलता दिख रही है न कि हमने कितना कीर्तिमान, बिजली पैदा की है? यह कर दिया, वह कर दिया। आल इंडिया लेवल पर आप कहां रैंकिंग में हो, इस रैंकिंग को भी तो देख लिया करो कम से कम। और किसी आदमी को आप भ्रमित करना।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): राजस्थान से नीचे और कौन हैं?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): राजस्थान के नीचे कुछ छोटे-छोटे राज्य हैं, 39 में से बाकी हैं और साठ हजार के कर्जे में हैं।

अब इसमें से एक ही मोटा काम, गुजरात नंबर 1 पर गया, केवल बिजली चोरी रोकी। हमारे में हिम्मत ही नहीं है कि हम बिजली की छीजत को रोक सकें। आपने कहा कि हम ग्रिड स्टेशन पर कर रहे हैं, यह कर रहे हैं, सारा ग्रिड स्टेशन पर पैसा खर्च कर दिया, क्या बिजली की छीजत कम हुई? बिजली की चोरी कम हुई? जो हमने 26 प्रतिशत पर लाकर के छोड़ी थी, आज की तारीख में 36-37 प्रतिशत वापस बिजली की छीजत और चोरी आ रही है। एक पाइंट भी अगर बचता है न, तो करोड़ों रुपया हमारी बचत होती है। अगर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हम में हिम्मत हो तो ईमानदारी से, कोई डरने की बात नहीं है, कौन राज़ी होगा, कौन वोट देगा, नहीं देगा, लेकिन ये चोरी करने वाले लोगों को तो प्रोत्साहन दें और जो ईमानदारी से पैसा दे, उसकी जेब काटने का धन्धा करें, यह कौनसा लोकतंत्र है? यह कौन सा तरीका होता है? लेकिन हम इसको भी नहीं रोक पायें।

मेरी प्रार्थना है, विशेषकर के मैं आपसे इसलिए आग्रह कर रहा हूं कि शिक्षा की दृष्टि से आज राजस्थान की जो स्थिति है, सरकारी विद्यालयों की स्थिति बद से बदतर हो रही है। अफसोस इसलिए है कि आज भी गरीब का बच्चा ही वहां पढ़ता है। अपन यहां दो सौ बैठे हैं, कोई दुर्भाग्यशाली ही होगा जिसका बच्चा किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता हो।

श्री पेमाराम (धोद): मेरा पढ़ता है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): वहां जिस प्रकार की स्थिति है शिक्षा की, जिस प्रकार का शिक्षा का गिरता हुआ स्तर है, जिस प्रकार से, मतलब, विभिन्न रिपोर्टों में यह बात आ रही है कि बच्चे को कुछ आता ही नहीं, लेकिन हम एक काम नहीं कर सके, उसमें समानीकरण नहीं। शहर के स्कूलों में जहां पांच सौ बच्चे नहीं हैं, वहां 72 टीचर हैं। पांच सौ विद्यार्थी नहीं हैं, कभी वहां ढाई हजार विद्यार्थी थे, वे पद यों की यों जिन्दे हैं, क्योंकि वहां जिनको नौकरी करनी है, वे किसी न किसी के भाई-बहन लगे हुए हैं, वे वहां से डिस्टर्ब नहीं हो जाएं, इसलिए हिम्मत नहीं होती है और गांवों में डेढ़ सौ बच्चों पर एक अकेला मास्टर पढ़ा रहा है। इतने से काम में न कोई पैसा खर्च होता है, न कुछ होता है, केवल मन में करेज चाहिए कि वास्तव में कोई नाराज हो या राजी हो, लेकिन यह किस तरह से फोकट के पैसे देकर के, लोगों को जनता का पैसा इस तरह से नहीं लुटाएंगे। लेकिन समानीकरण नहीं कर सके।

आप हर साल नयी बिल्डिंगें बनाते हैं। क्या जरूरत है आपको नयी बिल्डिंगें बनाने की? नयी बिल्डिंगें बनाओ, समझ में आता है, क्योंकि पैसा आता है और कमीशनखोरों को यही लगा रहता है कि कौनसी बिल्डिंग नयी बने। बस, उसका तो काम इसमें है। पर रिपेयरिंग करने का पैसा इस सरकार के पास है ही नहीं। इतने बजट हमने बना दिये, इतनी बार हमने यहां विधान सभा में बजट पास कर दिये, क्या पुरानी बनी हुई बिल्डिंगों को बचाने के लिए

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

भी अपनी कोई एकाध फूटी कौड़ी लग सकती है? क्या उसको बचाया जा सकता है?

एक-एक गांव में 6-6 स्कूलें हैं। मैं अपने स्वयं के गांव देलवाड़ा में कहता हूं कि लड़कियों का प्राइमरी अलग, लड़कों का प्राइमरी अलग, लड़कियों का सेकण्डरी अलग, लड़कों का सेकण्डरी अलग, एक और मिडल स्कूल अलग। सत्तर मास्टर जाते हैं मेरे गांव से, जब बसों से बैठते हैं और बच्चे कितने होंगे, आप मेरे यहां ही गाज गिराना, एक हजार से ज्यादा बच्चे नहीं होंगे। सत्तर-बहत्तर अध्यापक निकलते हैं और अगर उनको पेमेंट देखें, अकेले मेरे गांव का, तो करोड़ों रुपये होंगे। क्या शिक्षा करा रहे हो आप?

कम से कम हम बजट पास करते हैं तो इसके लिए तो नहीं है कि हम लोगों को पैसे लुटाएं, उसी पैसे का उपयोग और कहीं कर सकते हैं पर उसको करने की हमारी मंशा नहीं है। न हम अध्यापक का रेशो तय कर पाये कि कितने अध्यापक कहां होने चाहिए और कितने नहीं होने चाहिए। एक ही गांव में दो स्कूल हैं, एक लड़कों का और एक लड़कियों का। एक फिजिक्स टीचर इसमें पढ़ाता है, क्या दो पीरियड वहां जाकर नहीं पढ़ा सकता है? टाइम टेबल बनाने में कोई तकलीफ आती है क्या? अगर उससे काम लेना है तो काम लेना भी हमारा अधिकार होना चाहिए कि हम उससे काम लेवें। ऐसे खाली बैठे-बैठे तनख्वाह देकर के, पचास-पचास हजार रुपये की तनख्वाह देवें और अगर वहां नौकरी से निकाल दें न, तो पांच हजार में कोई नहीं रखे।

शिक्षा की बिलकुल ऐसी हालत करके रख दी है, ऐसा लगता है कि शिक्षा के बारे में न तो हमको कोई दर्द है, और एक ही बिल्डिंग का क्या उपयोग नहीं हो सकता? चाहे उसी बिल्डिंग में, गांव में जो पंचायत हैडक्वार्टर पर स्कूल है या तहसील हैडक्वार्टर पर है, क्या कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं चल सकता शाम के समय में? क्या वहां और किसी प्रकार का कोई कालेज नहीं चल सकता? हम रोजाना कालेज और बिल्डिंग, कालेज और बिल्डिंग। हमारे पास जो साधन हैं, उसी कमरे में पढ़ेगा; ज्यादा से ज्यादा प्रिंसिपल के दो कमरे और बना दो उनके स्टाफ के बैठने के लिए, लेकिन उस बिल्डिंग का उपयोग तो हो। बिल्डिंग का उपयोग नहीं होता है और हम पैसे पर पैसे लगाये चले जा रहे हैं। हम अगर चाहें तो पैसे को बचा सकते हैं।

मेरी प्रार्थना है विशेष करके सिंचाई के बारे में। सिंचाई के बारे में मेरी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

प्रार्थना है कि जितने भी पुराने गांव के सोर्स हैं, जो भी नाड़ी बनी हुई है, छोटा -मोटा टैंक हमारे बाप-दादाओं ने बनाया है, उनमें पानी की आवक कैसी हो और उनकी टूट-फूट सही करके हम उनमें पानी कैसे भर सकें, यह हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। पर हमारा तो इंजीनियर इस बात का इन्तजार करता है कि दो करोड़ का डैम कहां बनेगा, 18 करोड़ का डैम कहां बनेगा, 200 करोड़ का डैम कहां बनेगा। पानी पहले बीसलपुर तालाब में जाएगा, फिर बीसलपुर से वापस उलटा लौट करके भीलवाड़ा जाएगा। क्या है, यह प्लानिंग है? वही पानी भीलवाड़ा का बह करके बीसलपुर में आ रहा है और वही पानी वापस पम्प से पीने के लिए जा रहा है। मतलब, ये इन बड़े-बड़े लोगों का इनकी योजनाओं के ऊपर कभी ध्यान नहीं जाता कि हमारे पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं ये। इस प्रकार की प्लानिंग बना रहे हैं। हम उस पैसे का ज्यादा उपयोग कर सकते हैं लेकिन करना नहीं चाहते हैं।

हमने सारी नदियों को बांध दिया और बांधने के बाद नीचे के उसकी बेल्ट में जो गांव थे, हमारे बाप-दादा जो बसे थे न, वे किसी न किसी नदी-नाले को देख करके बसे थे, कोई न कोई पानी का सोर्स देख कर बसे थे। लेकिन हमने, मैं एम एल ए बन गया तो मैंने मेरे यहां डैम बना करके सिंचाई करा दी, तो मेरे तो वोट पक्के हो गये और नीचे के बेल्ट में पीने के पानी के लिए मोहताज हो गये। यह कोई प्लानिंग है? 65 साल के बाद भी हम वाटर की मैनेजमेंट नहीं कर सकते। इससे अच्छा तो हमारे राजा-महाराजाओं ने मैनेजमेंट ठीक किया है। उदयपुर का कोई भी पानी इधर से निकलता है तो इसका ओवरफ्लो उसमें जाता है, उसका ओवरफ्लो उसमें जाता है, उसका ओवरफ्लो इसमें जाता है। कहीं पानी नहीं जाता है। हम इतने सालों में इस बात को भी नहीं कर सकते।

मैंने उस दिन भी कहा था और आज भी, यद्यपि आपके सेक्रेटरी ने मुझे जरूर फोन किया तो मैंने कहा कि माही में कितने साल में, बीस सालों का फिगर निकालो, कितना पानी खोलना पड़ा और बह कर चला गया? यह पानी अमूल्य है। आज तो इसकी कीमत नहीं लगती है न। आज तो 12 रुपये, 15 रुपये की पानी की बोतल की जब कीमत लगती है न, तो वास्तव में हमको लगता है कि यह क्या हुआ है।

उस पानी को हम इस तरह से जाने दे रहे हैं। कडाना से ओवरफ्लो

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

करके जा रहा है। उसी पानी को हम नांगल में लाकर, जाखम के नीचे जो नांगलिया डैम बना है, जहां से इर्रिगेशन होती है, उसमें फ्लो से पानी आता है। आपका सर्वे हो चुका है। जो आपका जाखम का पानी है, उस पानी को आप सीधा ही जयसमंद में लाकर, केवल एक-डेढ़ किलोमीटर की टनल वन विभाग में से निकालनी है और उसके बाद जैसे ही आपका पानी जयसमंद में आता है, तो मैं सोचता हूं कि कम से कम उस क्षेत्र में बहबूदी हो जाएगी। पीछे की तरफ साबरमती में जो पानी जा रहा है, उसका कोई मैप नहीं बना सके। अभी तक हमारे सामने, ऐसी कोई टोपोशीट बनकर हमारे सामने फिगर नहीं आया कि आखिर हमारी कौनसी नदियों का कितना पानी, सरप्लस पानी जाकर समुद्र में गिर रहा है। क्या हम इस पानी को बचा सकते हैं? हम ईमानदारी से लोगों की अगर बहबूदी कुछ चाहते हैं तो हमें इस बारे में जरूर विचार करना पड़ेगा। राज्य कर्मचारियों के बारे में बोलना बहुत घाटे का सौदा है, लेकिन मैं बोलूंगा। वह इसलिए बोलूंगा कि आखिर इनके काम का कोई विश्लेषण तो करे। क्या हम ऐसे नियम नहीं बना सकते कि हर पांच साल के बाद ...

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय कार्यसूची में आज जो बिजनेस है, उसके पूरा होने तक बढ़ा दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि आज की कार्यसूची पूरी होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय बढ़ाया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2013 व

राजस्थान वित्त विधेयक, 2013

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं निवेदन कर रहा हूं, हम पक्ष हों या विपक्ष हों, लेकिन इस पर हमको कोई फैसला करना पड़ेगा। हमने इसको एक बार नौकरी दे दी, उसको पट्टा नहीं दे दिया, वह काम करे तो ठीक,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

न करे तो ठीक। दुर्भाग्य यह है कि हमारे गांव का जो गरीब आदमी है, आज इस सारे सिस्टम से इतना दुःखी हो गया कि वह भिखमंगे की तरह से जाकर उस अफसर के सामने खड़ा रहता है। लोकतंत्र के हिमायतियों को भिखमंगा बना दिया आपने। जिसको हमने हर महीने की पहली तारीख को तनख्वाह दी, वह हमारा मालिक बन कर बैठ गया और हमारे साथ जुल्म पर जुल्म करता जा रहा है। एक दिन ऐसा आयेगा, तूफान हो जाएगा और आदमी हाथ में हथियार उठा लेगा। जब मजबूरी आयेगी तो उसको बरदाश्त नहीं होगी। हमें लगता है कि धक्के मार कर बाहर निकालता है, दुत्कारता है। कम से कम कोई मिलने का समय तो तय हो कि कब उससे मिला जा सकता है और कब उससे बात हो सकती है। इसलिए हर पाँच साल बाद जो भी नौकरी में आया है उसका मूल्यांकन होना चाहिए। हमारा आपका तो पाँच साल बाद मूल्यांकन होता है, जनता के बीच में जाते हैं। जनता चुन कर भेजती है तो जयपुर के दर्शन करते हैं नहीं तो अपने गांव देलवाड़ा जाते हैं। क्या इन लोगों का नहीं होना चाहिए? इतने बड़े-बड़े पदों पर बैठ जाने के बाद भी इनका काम क्या है? इनके काम की रिपोर्ट इकट्ठी नहीं हो सकती? और उसके आधार पर अगर हम विश्लेषण करना शुरू करेंगे, थोड़ा सा शिकंजा कसेंगे, कुछ नाराज होंगे, कुछ राज़ी होंगे, कोई बापी पट्टा नहीं है कि जिंदगी भर तक एम एल ए बनेंगे या मंत्री बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे, कोई बात नहीं, लेकिन उस गरीब के पेट में रोटी कैसे जाये जो 65 साल बाद भी अपनी रोटी का इंतजार कर रहा है और हाथ को काम चाहता है? वह हमसे आपसे सवाल पूछना चाहता है। उसके लिए हम करें।

इसी तरह से आपके सरकारी भवन हैं, कितने सरकारी भवन पड़े हैं! अथाह सम्पत्ति आपके पास है, लेकिन उस अथाह सम्पत्ति का भी कोई दिमाग से उपयोग नहीं। अकेले गांधी नगर में बुलडोजर घुमाकर मल्टी-स्टोरी बना लो तो आज जितने राज्य कर्मचारी वहां रहते हैं उससे 10 गुणा राज्य कर्मचारी वहां रह सकते हैं। आज आपके एम एल ए के 12 क्वार्टर होंगे, 12 क्वार्टरों में से अगर आप कामर्शियल बना कर बेचो तो इतना पैसा मिलेगा कि पूरा का पूरा सचिवालय नया बन जाये। क्या इसके बारे में प्लानिंग नहीं कर सकते? क्या इसके बारे में स्टेप नहीं ले सकते? मैं तो यह कहता हूं कि पी डब्ल्यू डी के कई ऐसे डाक बंगले होंगे जो आज की तारीख में करोड़ों रुपये के हैं। अजमेर के डाक बंगले में अगर आप जाओगे, तीन आदमी भी नहीं ठहरते हैं और घाटे की तनख्वाह चुकाते हैं। आखिर हम उस जमीन का उपयोग नहीं कर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सकते? हमें अपने राज्य की जनता के हित के लिए ऐसे सारे सोर्सेज चैक करने पड़ेंगे और उन सोर्सेज के आधार पर अपनी कोई न कोई आमदनी बढ़ानी पड़ेगी और आमदनी बढ़ाकर हम लोगों को इससे और अच्छी स्थिति में ला सकते हैं।

बेरोजगारी तो आज की तारीख में एक ऐसी भयंकर समस्या है कि कभी-कभी मन इतना दुःखी हो जाता है कि यूनिवर्सिटी में अगर कोई फोर्थ क्लास की भर्ती निकलती है, पोस्टे होती हैं 18 और एप्लाई करते हैं 5000 बच्चे। उनके कागजों को आप टटोलो और उनके पास जाओ तो एमबीए भी उसमें हैं, इंजीनियर भी उसमें हैं। एम बी ए किये हुए बच्चे से आप पूछो तो सही, देश के कर्णधारों, कि मुझे मेरे पिताजी ने गरीबी में इसीलिए पढ़ाया था कि मुझे एक फोर्थ क्लास की नौकरी के लिए भी इस तरह से ठोकरें खानी पड़ें।

क्या हम प्लानिंग नहीं कर सकते, क्या हम इस बात का नक्शा नहीं बना सकते कि हमारी आने वाली जनरेशन कितनी है? इसमें से कितने लोग हमारी सरकारी नौकरी में खपेंगे? कितने लोग ऐसे होंगे जिनको प्राइवेट इंडस्ट्री में खपाना पड़ेगा? कितने लोग ऐसे होंगे जिनको किसी न किसी कोटेज इंडस्ट्री के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। कितने लोग ऐसे होंगे जिनको कोई न कोई धंधा देकर अपने पैरों पर खड़ा करना पड़ेगा, उनकी स्किल को डवलप करना पड़ेगा? 65 साल के बाद भी किसी का दिमाग नहीं चलता है। गांव में आज भी अगर आपको बिजली ठीक करानी हो तो आज भी आपको आदमी नहीं मिलेगा। मोबाइल को ठीक करने वाला आदमी नहीं मिलता है। क्या हम हर गांव की आवश्यकता को ध्यान में रख कर, इस प्रकार के प्रशिक्षण से एक-एक गांव में 10-10 बच्चों को खड़ा नहीं कर, सकते? हमारी आई टी आई सब पंगु हैं। सब नौकरी के लिए भागते हैं। व्यावसायिक शिक्षा हमने शुरू की, यह सोचा था कि व्यावसायिक शिक्षा से बच्चा नौकरी लगेगा लेकिन व्यावसायिक शिक्षा में, क्योंकि परसेंटेज 80-85 आते थे, सारे बच्चों ने व्यावसायिक शिक्षा में एडमिशन ले लिया। परसेंटेज अधिक होने से सब के सब मास्टर बन गये और सीख कर कुछ भी नहीं आये। बाहर खड़ा करो तो वैसा का वैसा ही खड़ा है। उसको पहले दिन से कहो कि तेरी नौकरी नहीं लगेगी, तुझे और सहयोग हम करेंगे, तुझे कहीं से भी हम लोनिंग करा देंगे लेकिन तुझे खड़ा तो अपने पैरों पर ही होना पड़ेगा। इतनी स्किल तेरे में हम डवलप कर सकते हैं कि उस स्किल के आधार पर तू और तेरे परिवार का पेट आसानी से पाल सकता है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आज की तारीख में हमारी मैनपावर को खपाने का सबसे बड़ा सोर्स है तो वह हमारी खेती है। इस खेती के बारे में देखने का नजरिया बदलिए। जब तक खेती लाभकारी नहीं होगी, यह 60 प्रतिशत जनसंख्या आपको और मेरे को इस बात के लिए रोज कोसती रहेगी कि क्या मैं इस खेत में इसलिए झक मारता हूं, कि इतने सालों के बाद भी मैं अपने बच्चों का रात को पेट नहीं भर सकता हूं? क्या हम उसकी जितनी भी लागत है, उस लागत को घटाने का प्रयत्न नहीं कर सकते? 65 साल के बाद भी क्या उसके लिए कोई तौर-तरीके नहीं निकाल सकते कि उसकी लागत कम आये?

आज दिन में ही बात हो रही थी, अभी हमारे अमरारामजी बोले थे, कह रहे थे कि आपने ऐसा बीज दे दिया जिसके कारण से पैदा ही नहीं हुआ। क्या ये टैस्ट नहीं करते हैं? आपके अधिकारी जो यह डिस्ट्रिब्यूट करते हैं, चाहे वह पेस्टिसाइड डिस्ट्रिब्यूट करते हैं, चाहे वह बीज डिस्ट्रिब्यूट करते हैं, किसी लैबोरेटरी में टेस्ट करते हैं ? या कोई ग्राहक अच्छा पैसा देने वाला आ गया? उसी ग्राहक को रिकमंड कर दिया और उसके कारण से वह किसान मर गया। अब उसको रोयेगा कौन, उस किसान के बारे में कौन पूछेगा, क्योंकि किसी को उसका दर्द है ही नहीं। हमने कहा कि हमने यह कर दिया; उसको सज़ा देने से क्या होगा, वह किसान कहां से भरपाई करेगा? जिसने इतना बड़ा पाप किया, ऐसे लोगों को जेल क्यों नहीं ठोकते हो? 10-20 को ठोक कर दिखाओ ताकि कम से कम भविष्य में कोई इस प्रकार का उस किसान के साथ धोखा नहीं कर सके, उसको बरबाद नहीं कर सके।

किसान के ऊपर एक जोखिम है क्या? पचासों तरह की जोखिम हैं। उन जोखिमों को हम कैसे कम करें? आपने जो विद्युत का पैसा नहीं बढ़ाने की कोशिश की, यह थोडा-सा बैकडोर से बढ़ाया। मैं सोचता हूं कि नहीं बढ़ाना चाहिए, किसी भी कीमत पर नहीं बढ़ाना चाहिए; चाहे हमें कितना भी घाटा हो जाए हमको बरदाश्त करना चाहिए ताकि वह खेत में कम से कम दो दाने पैदा करके अपने बच्चों का पालन कर सके। वह कहीं जेब में भर कर नहीं ले जायेगा। अपनी फसल को कहीं दबा कर नहीं बैठेगा, वह बाजार में आयेगा, बाजार में आयेगा तो रुपया बनेगा और रुपया बनेगा तो दुकानदारों का माल बिकेगा। किसान को स्ट्रेंथन करोगे, तभी हिन्दुस्तान स्ट्रेंथन होगा और जब तक किसान कंगाल, आप और हम भले ही बढ़िया कपड़े पहनकर यहां हेकड़ी कर लें लेकिन यह देश आगे नहीं बढ़ सकेगा, नहीं बढ़ सकेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा मैन, पावर खपने की जगह अगर कहीं है तो वह खेत है। हम खेत सुधार नहीं सके।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हमारे कितने विज्ञान केन्द्र हैं, आपने उनको पूछा कि इतने सालों में क्या किया? आप इतनी यूनिवर्सिटीज चलाते हो, किया क्या है? किसान के जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आया। आपके ये सारे के सारे केन्द्र किस काम के, अगर उस क्षेत्र के किसान की बहबूदी को नहीं बढ़ा सके? उनकी छोटी-छोटी होल्डिंग्स में क्या चीज पैदा की जाए, यह भी पता नहीं। क्या इतना पता नहीं किया जा सकता है कि देश में इस समय किसकी आवश्यकता है? दुनिया में किस माल की आवश्यकता है? कितना उसमें पैदा होना चाहिए? कितना पैदा नहीं होना चाहिए? अन्तरराष्ट्रीय मार्केट को देखकर हम क्यों नहीं अपना आइडिया लगा सकते हैं? किसान ने देखा कि 200 रुपये किलो लहसुन जाता है, सारे किसानों ने लहसुन बो दिया और अब वह तीन रुपए किलो में चला गया। आखिर किसान किसको जाकर पूछे? कोई तो आपकी एजेंसी होगी, कोई तो आपके अधिकारी होंगे जो इस बात का एनालाइसिस करते रहते होंगे कि अन्तरराष्ट्रीय मार्केट में यह कहां टिकेगा, कहां नहीं टिकेगा; इसको अपनी फसल का दाम मिलेगा या नहीं मिलेगा।

इसी तरह से खाद्य उत्पादन में बढ़ोत्तरी नहीं हुई। लगातार 2003-04 से लेकर आज तक खाद्यान्न की पैदावार वहीं की वहीं स्टैंड कर रही है। 18 हजार से घटी, बढ़ी, घटी, बढ़ी और वापस आकर वहीं की वहीं 17,838 पर फिट हो गई। मतलब, खाद्यान्न में हम बढ़ा नहीं सके।

(17. 00 बजे)

जब तक आप लघु उद्योग को प्रमोट नहीं करोगे, काटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट नहीं करोगे, हमारे मैनपावर को नहीं खपा सकोगे। इसी कारण से हमें काटेज इण्डस्ट्रीज पर जितना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए उसके बारे में अलग से यूनिट बनाकर, किसी ऐसे व्यक्ति को लगाओ, क्योंकि हमारे अधिकारी भी ऐसी-ऐसी जगह रहना चाहते हैं जहां बड़ा ठप्पा मरता है। उस काटेज इण्डस्ट्री में कौन माथा मारने जाएगा? कोई अच्छे अधिकारियों को ढूंढकर लगाओ ताकि कम से कम दस साल में राजस्थान की काटेज इण्डस्ट्री कैसे उठे और लाखों बच्चों को कैसे रोजगार मिलकर, इस बेरोजगारी से कैसे लड़ा जाए, यह उसमें से किया जाये।

उद्योग मंत्री यहां बैठे हैं, उद्योगों की दृष्टि से हमारे जो आंकड़े हैं वे कोई बहुत उत्साहजनक नहीं हैं। आप केवल नीमराना और यहां का कह दो,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इंडस्ट्रियल है अपने यहां। अब आपने कह दिया कि 10 इंडस्ट्रियल जोन बनाएंगे। पूरे चार साल में चार नहीं बने और इसी साल दस बन जाएंगे? इसी साल मेडिकल कालेज खुल जाएंगे, इसी साल यूनिवर्सिटियां बन जाएंगी, यह क्या है? यह वास्तव में काम करने का है या दिखाने का? इसका अंदाजा आप अच्छी तरह से लगा सकते हो।

(समय समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट में खतम कर रहा हूं। मेरा और आग्रह है, मैं जिस ट्रायबल क्षेत्र से आता हूं, हमारे पास अरबों-खरबों रुपये की वन सम्पत्ति है, हमारे पास जंगल हैं, उसकी जमीन है लेकिन हम उस जमीन का उपयोग करने के लिए, किसी भी प्रकार से, जिस ढंग से हमको आगे बढ़ना चाहिए, क्या वन औषधि पैदा नहीं हो सकती? क्या हर गांव के साथ वन औषधि का क्लोजर नहीं बना सकते? कम से कम उस जगह। मैं तो यहां तक कहता हूं कि जिस तरह से आप जमीन का खातेदारी हक देते हों, आज नहीं तो कल, आप केन्द्र सरकार से भी कहो कि वन का भी खातेदारी हक, उस क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति, जो उसके अन्दर रहता है, उसको खातेदारी हक देकर, उसमें पेड़-पौधे लगाने का, आप उसको सहायता करो, पांच-सात साल तक उसकी मदद करो। उसके बाद रायल्टी के नाते से थोड़ा-बहुत उससे पैसा ले सकते हो, वह उससे लो, ताकि उसका और उसके बच्चों का गुजारा हो जाएगा। अरबों-खरबों रुपये की सम्पत्ति हमारे पास है लेकिन हमने कभी भी उसके बारे में कोई प्लानिंग नहीं की।

मेरा फिर आग्रह है, विशेषकर मैं जिस ट्रायबल क्षेत्र से आता हूं, इसका एक मात्र रास्ता ट्रायबल क्षेत्र के लोगों के लिए है तो वह शिक्षा है। शिक्षा की जितनी एजेंसियां हैं, वे इतनी कमजोर हैं। हमारे आवासीय विद्यालयों में अध्यापक नहीं हैं; हमारे जितने भी हास्टल हैं उनको कोई देखने वाला नहीं है। जो बच्चे हमने फर्स्ट क्लास के, 80 परसेंट मार्क्स के बच्चों को सुपुर्द किया था, उनका रिजल्ट, सलूम्बर का 18 परसेंट का रिजल्ट आया। अब ये 18 परसेंट के रिजल्ट को देखकर उसके मां-बाप क्या सोचते होंगे? मेरे टैलेंटेड बच्चे को मैंने वहां भेजा पर मेरे बच्चे का तो जीवन और बिगड़ गया।

हम कोई व्यवस्था ऐसी करें, कानून में तब्दील करें, कम से कम उस संस्था के लिए किसी व्यक्ति को अपाइंट करने के लिए, वांट्स ही उसी तरह से निकालें जैसे यूनिवर्सिटी में निकालते हैं। उदयपुर में जिसको आना होगा, वह चाहे उत्तर प्रदेश से आए या मध्य प्रदेश से आए, वहीं रहना पड़ेगा। हर पांच

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

साल के बाद मानिटरिंग करके, अगर उसका काम ठीक नहीं है तो उसकी रवानगी करिये। कम से कम सरकारी नौकरी में दागी लोगों को छांटिए और हजार-दो हजार लोगों को हर साल उनके दागी के कारण घर रवाना करते जाइये। तब समझ आएगा कि काम करना पड़ेगा और जनता के साथ एक सेवक के रूप में ही हमको अपना सबूत देना पड़ेगा।

एक प्रार्थना मैं आपसे कर रहा हूं, इस महंगाई का जो सबसे बड़ा कारण है वह पेट्रोल-डीजल है। हर बार पैट्रोल-डीजल के भाव जिस ढंग से बढ़ रहे हैं, अभी आप भले ही यह कहो कि हमने 50 पैसे डीजल पर बढ़ाये हैं पर 50 नहीं बढ़े हैं, 10 रुपये लीटर। यह 50 पैसे तो अभी तक उनको दिये हैं जो पैट्रोल टैंक चलाते हैं, रोडवेज चलती होगी उसको 10 रुपये लीटर में लाना पड़ता है। और भी जो सरकारी फैक्टरियां चलती हैं, उनको 10 रुपये में लाना पड़ता है। पैट्रोल के कारण से आपका वैट बढ़ता है। कम से कम और कुछ नहीं तो, एक साल में जो वैट की आमदनी आपको पैट्रोल और डीजल से पहले थी, उस आंकडे को देखो और उसके बाद बढ़ा हुआ पैसा आपको अतिरिक्त आ रहा है, उस पर रोक लगाओ और उसके हिसाब से वैट को कितना कम किया जाए कि कम से कम सामान्य व्यक्ति को भी पैट्रोल और डीजल में, यदि अपन 5 रुपये लीटर और 10 रुपये लीटर भी कम करते हैं तो महंगाई निश्चित रूप से कंट्रोल हो जाएगी और हम महंगाई को कंट्रोल कर सकेंगे। सबसे बड़ा कोई कारण है तो वह पैट्रोल-डीजल का 26 परसेंट वैट है।

मैं सोचता हूं कि केवल इसी से कमाकर हम कहें कि 40 हजार का और फिर कहें कि यह फ्री मिलेगा, यह फ्री मिलेगा, यह अपने घर का है जो फ्री? हमने फ्री बांटा, 1,500, सदन के नेता, आपको मालूम होगा ना कि हमने महिला सशक्तिकरण के नाम से 1,500-1,500 रुपये का एक अकाउंट खुलाकर, कि यह जितना भी पैसा जाए, कम से कम उसके खाते में जाए। उसके लिए तो आपने बहुत बवेला किया। हमने 1,500 रुपये उसके खाते में डाल, ताकि वह खाता खुले। अब आप, अब आप सरकारी खजाने को, चुनाव है, लूटो, लूटो; लूट सको जो लूटो और लूटकर, वोट लेकर फिर आ जाना और यहां पहले ही भाषण देना कि हम अपनी सफलता के लिए यह करते हैं। यह सफलता है? यह देश का लोकतंत्र गलत रास्ते पर जा रहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं आपको आज यह कह रहा हूं, चाहे झारखण्ड में हुआ हो या किसी में हुआ हो, यह प्रलोभन दे-देकर वोटों को लेने के लिए जो पद्धति चल पड़ी है, यह देश के लिए घातक होगी, लोकतंत्र के लिए घातक होगी। अगर देश हित समझते हैं तो मैं सोचता हूं कि अपने काम और अपने विकास के आधार पर सीना ठोंककर जनता के बीच में जाओ, हमने यह किया, इसलिए हमको वोट चाहिए। केवल गली-कूचे में घूमकर, जनता को गुमराह करके हम जीत सकते हैं, हम सरकार बना सकते हैं लेकिन अपनी आत्मा को धोखा देंगे।

आज भी 65 साल के बाद इस राजस्थान का गरीब व्यक्ति आपसे और मुझसे सवाल पूछता है कि नीतियां क्यों नहीं बदली जा सकती हैं? नीतियों के आधार पर मेरा जीवन क्यों नहीं सुधारा जा सकता है? मैं यही प्रार्थना करता हूं।

अध्यक्षजी, आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज फाइनेंस बिल और एप्रोप्रिएशन बिल पर चर्चा हुई और कई साथियों ने उसमें हिस्सा लिया। उन सबका मैं धन्यवाद करता हूं। नेता प्रतिपक्ष ने भी अपनी बात कही। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी निवेदन किया कि हमारे नेता प्रतिपक्ष बहुत ही भावुक हैं, बहुत संवेदनशील हैं और उसी भाव में बह जाते हैं जब कभी अपनी बात कहते हैं। अच्छी बात है, बहुत बड़ा गुण होता है यह, मेरे मन को समझने की कोशिश करो, पर यह ऐसी भावना में बहते हैं, सदन के अन्दर भी और बाहर भी कि इनको खुद को महसूस नहीं होता कि मैं क्या बोल रहा हूं। अब भी यह कई ऐसे शब्द बोले हैं तो मैं उनको वापस रिपीट नहीं करना चाहूंगा। मैं इनसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी संवेदनशीलता हम लोगों को अच्छी लगती है क्योंकि आप एक्स्ट्रीम बोलते हैं चाहे वह कर्मचारी हो, डाक्टर हो, किसान हो, आदिवासी हो। मैं भी आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं क्योंकि मैं खुद इन बातों को लेकर एक्स्ट्रीम सोच रखता हूं।

जो हालत देश में या प्रदेश में है, खाली आपके बार-बार कहने से कि 65 साल, 65 साल, मेरे ख्याल से 65 साल आप 7, 8, 9 बार बोल गए, 65 साल कोई जुल्म नहीं हुआ है। आज हम बैठे हुए हैं लोकतंत्र के कारण हैं। मुल्क अखण्ड रहा है। रूस जैसा मुल्क, जो हमारा मित्र था, हमें उस पर गर्व

(श्री अशोक गहलोत)

था, रूस के टुकड़े हो गए, 15-16 टुकड़े हो गए। आज यह मुल्क एक रहा है, अखण्ड रहा है। चाहे महात्मा गांधी की जान चली गई, इंदिरा गांधीजी शहीद हो गई, राजीव गांधीजी शहीद हो गए, सरदार बेअंतासिंह शहीद हो गए आतंकवाद का मुकाबला करते-करते, आज कितने लोग शहीद हो रहे हैं आतंकवाद को लेकर, नक्सलवाद को लेकर, तब भी इस मुल्क को एक रखने का, अखण्ड रखने का संकल्प हम सबका है। उसके कारण से हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन कोई भी हो, सबकी भावना रहती है, इसलिए मुल्क एक है।

मैंने पिछली बार जवाब दे दिया था 65 साल का, उसको रिपीट नहीं करना चाहता। तब मैंने कहा, उस वक्त भी कहा, बात करते हो, 65 साल पहले क्या था यह मुल्क और आज क्या नहीं है इस मुल्क में? विज्ञान में, टेक्नोलोजी में, पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, सब कुछ हैं, और यह कमियां गिना रहे हो। मैंने एक बार पहले भी कहा आपको यह कोई उदयपुर की धान मण्डी नहीं है, जिस प्रकार से आप बात बोलते हों, 65 साल, 65 साल, 65 साल। आप 65 साल की बात करके, कांग्रेस शासन के, जिस प्रकार की उपलब्धि रही है देश के लिए, जो कंट्रिब्यूशन रहा है देश को, त्याग से, बलिदान से उसको आप छोटा करने का प्रयास करते हो। मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है।

जो कुछ आज मुल्क में है, आपकी पार्टी 50-55 साल पुरानी पार्टी है, साठ साल हो गए होंगे आपको भी, आप नीतियों पर, कार्यक्रमों पर चलते, तो, हो सकता है, आप कांग्रेस का विकल्प बन जाते देश के अन्दर। आप 60 साल की मेहनत के बाद भी, हिन्दुत्व के नाम पर, बाबरी मस्जिद के नाम पर, आप खाली एक संगठित +++ बनाकर, गठबन्धन बनाकर, आठ साल की, सत्ता में आए हो आप।

इसलिए मैं कहना चाहूंगा, कृपा करके, 60 साल और 65 साल की बात छोड़ो। जो कुछ भी देश में हुआ है, हम सबने मिलकर किया है और अपने-अपने तरीके से सबका कंट्रिब्यूशन होता है, चाहे कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई समुदाय हो, कोई वर्ग हो, कोई क्षेत्र हो।

इसलिए मैं इस मौके पर, अध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहूंगा कि उपलब्धियां या आंकड़े बताना एक बात है। आपने जिस प्रकार से एक बात कही, हर क्षेत्र में हमने प्रगति की है, अगर आप पैरामीटर्स की बात करते हैं,

(श्री अशोक गहलोत)

फाइनेंशल पैरामीटर्स पर जिस प्रकार से बात कर रहे थे कि आपने बड़े बजट बनाये, पूरे नहीं हो पायें। नहीं भी हो पाये होंगे, पर बनाने का प्रयास तो किया। कैसे हम, आपने 71 हजार करोड़ की योजना, जो 11वीं पंचवर्षीय योजना बनाई थी आपने, उसको 96 हजार करोड़ पर हम कैसे ले गये । वह पैसा खर्च नहीं हुआ? तीन साल तो हमें मिले थे उसके, दो साल आपके थे। 28 हजार करोड़ के आसपास आपने खर्च किया होगा, बाकी पैसा तो हमारे वक्त में खर्च हुआ है। खर्च कहीं तो हुआ होगा, किसी गली में, कूंचे में, गांव में, सोशल सिक्योरिटी में, पानी में, बिजली में, सड़कों में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, कहीं तो खर्च हुआ होगा।

इस प्रकार से अगर आज देश का प्रधान मंत्री कहे, वित्तीय प्रबंधन के बारे में, आप कह सकते हो कि आपकी पार्टी के प्रधान मंत्री हैं; अगर आर.बी.आई. कहे कि राजस्थान का वित्तीय प्रबंधन बहुत शानदार रहा, अगर सी.ए.जी. कहे कि राजस्थान के पैरामीटर्स बहुत अच्छे चल रहे हैं वित्तीय प्रबंधन में, क्या आप उसको भी नहीं मानेंगे? जिस प्रकार से आज कहा गया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): ये आंकड़े मैंने आर.बी.आई. की रिपोर्ट से ही लिये हैं।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): मैं कहना चाहूंगा आपको, आपने तो अपनी बात वित्तीय प्रबंधन को लेकर कह दी, पर मैं यह कहना चाहूंगा कि यह कोई गलत बात है क्या कि चौथे साल लगातार हम लोग रेवेन्यू सरप्लस में चल रहे हैं? क्या यह गलत बात है कि फिस्कल डेफिसिट में तीन प्रतिशत की सीमा से हम कम हैं, जो कि 13वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित की गई है? क्या यह बात गलत है कि राज्य की ब्याज अदायगियां रेवेन्यू रिसीट्स की मात्र 12 प्रतिशत हैं, जबकि 15 प्रतिशत तक हो सकती हैं? जी.डी.पी. का ऋण-भार 25 प्रतिशत है, वह 37.3 प्रतिशत तक हो सकता है? यह अचीवमेंट्स ऐसे ही हो गये हैं? आज अगर सी.ए.जी. बोलता है, आर.बी.आई. बोल रही है 13वें वित्त आयोग के आंकड़े बोलते हैं, उसके बाद भी अण्डर-एस्टिमेट करना चाहते हो प्रबंधन को, तो वह होने वाला नहीं है। क्योंकि आपके वक्त में तो हम संकट में थे, स्वीकार करते हैं, जब हमारी सरकार पिछली बार थी, पर आपके आने के बाद बड़े विजन की बात की गयी। शानदार वित्तीय प्रबंधन हमारा है।

(श्री अशोक गहलोत)

अब आप तुलना कर लीजिए, आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनाई देगी कि पिछले पांच साल में, आपके वक्त में, और हमारे पांच साल में क्या-क्या उपलब्धियां रहीं। आप तुलना कर लीजिए।

आप कह रहे हैं कि जब चुनाव में जाएं, आपने तो आज अपनी हार पहले ही स्वीकार कर ली, यह कह करके कि आप बजट दे सकते हो, काम्प्लीलीमेंट दे सकते हो, घोषणाएं कर सकते हो, चुनाव जीत कर आ सकते हो। डेमोक्रेसी में जनता का रोबस्ट कामनसेंस देश के अन्दर एक्स्ट्रा-आर्डिनरी है। अध्यक्ष महोदय, मेरा मानना है कि वह आकलन करके कुछ फैसला करती आई है। यह इतिहास गवाह है, जब यह चुनाव हुए हैं तो कानों-कान खबर नहीं लगी और पार्टियां चुनाव हार गईं और पार्टियां चुनाव जीत गई हैं। इसलिये उनके कामनसेंस को, उनके रोबस्ट कामनसेंस को हमें चैलेंज नहीं करना चाहिए।

मैं कहना चाहूंगा आपको कि जिस प्रकार से सी.ए.जी. ने, वह तो गवर्नमेंट आफ इण्डिया का कम्प्ट्रोलर एंड आडिटर जनरल है, वह राजस्थान के वित्तीय प्रबंधन को एप्रिशिएट कर रहा है। 2011-12 की जो रिपोर्ट है, उसके कुछ बिन्दु मैं आपको उद्धृत करना चाहूंगा। स्टेट आन रिसोर्सेज के लिए जो 13वें वित्त आयोग ने कहा था, उसके मुकाबले के अन्दर, स्टेट टेक्स रेवेन्यू 22,192 करोड़ उन्होंने आकलन किया था और 22 हजार के बजाय 25,377 टैक्स रेवेन्यू हमारी हुई है। स्टेट आन नान-टैक्स रेवेन्यू, उन्होंने 5,670 करोड़ का एस्टिमेट किया था, उसके अगेंस्ट में 9,175 करोड़ रुपये एक्चुअल हुआ है। स्टेट आन रिसोर्सेज, उन्होंने आकलन किया 27,862 करोड़ का, उसके अगेंस्ट में हम लोगों ने 34,552 करोड़ रुपये अर्जित किये हैं। यह रिपोर्ट तो उनकी है, जो मैंने अभी आपके सामने कोट की है।

एडिक्वेसी आफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि पैसा खर्च होता है, कहां जाता है, कहां नहीं जाता है, फिजूल खर्च हो जाता है, बरबादी होती है; बिलकुल जो आप बात बोलते हैं, मैं खुद मानता हूं कि चाहे आपकी सरकार रही हो, चाहे हमारी सरकार रही हो, चाहे पहले सरकार आपकी भी रही थी, तब भी यह जो समस्या है गांव के अन्दर टीचर्स की, नर्सेज की, डाक्टर्स की, नहीं जाने की, समानीकरण को लेकर आपने चिन्ता व्यक्त की। बिलकुल वाजिब चिन्ता आपकी है। हम सब चिन्तित हैं, पूरा सदन

(श्री अशोक गहलोत)

चिन्तित होगा, परन्तु कुछ कारण हैं कि उसके बावजूद हम नहीं कर पा रहे हैं। आप भी नहीं कर पाये, हम भी नहीं कर पा रहे हैं। इस बात का दु:ख हमें है। इसे हम कैसे हल कर सकते हैं, उस पर मैं सुझाव चाहूंगा, मैं उन सुझावों का स्वागत करूंगा। यह मैं आपको कहना चाहता हूं।

मैं कहना चाहूंगा कि एडिक्वेसी आफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, उसके बारे में यह आंकड़े भी सी.ए.जी. के हैं, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। फिस्कल प्रायोरिटी आफ स्टेट्स, एक तरफ जो 17 राज्य नान-स्पेशल कैटेगरी के हैं, उनके कम्पेरिजन में राजस्थान की स्थिति क्या है, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जी.डी.पी. का ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मुख्य मंत्रीजी, यह भाटी साहब कह रहे हैं कि एक बार मुझे पावर दे दो, मैं समानीकरण कर दूंगा, पूरा एक साथ।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): हाथों-हाथ करंट देता हूं। मुझे मुख्य चाबी पकड़ में आ जाए तो करके बता दूं।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): आपके 17 राज्य जो हैं नान-स्पेशल कैटेगरी के, उनका एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, माननीय नेता प्रतिपक्ष महोदय, जी.डी.पी. का, जी.एस.डी.पी. का 16.09 प्रतिशत था, जबकि राजस्थान का एवरेज रेशो 16.8 प्रतिशत है। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, डवलपमेंट का एक्सपेंडिचर, जिसका जिक्र आप करते हैं, पैसा, पता नहीं, पूरा खर्च होता ही नहीं है, एग्रीगेट डवलपमेंट एक्सपेंडिचर, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के मुकाबले के अन्दर 17 राज्यों का एवरेज 66.44 प्रतिशत रहा, हमारा 69 प्रतिशत है। सोशल सेक्टर में, सामाजिक सेक्टर में एक्सपेंडिचर, 17 राज्यों का एवरेज 36.57 प्रतिशत है, हमारा 38.75 प्रतिशत है। एजुकेशन के अन्दर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के मुकाबले के अन्दर एवरेज 17 नान-स्पेशल कैटेगरी राज्यों का, जो बड़े राज्य हैं, करीब 17 राज्य हैं, 17.18 प्रतिशत, हमारा 18.9 प्रतिशत। हैल्थ के अन्दर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के मुकाबले में, उन राज्यों का 4.3 प्रतिशत है, हमारा 5.45 प्रतिशत है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, ये तमाम आंकड़े अपनी जुबान से बोल रहे हैं कि वास्तव में राजस्थान में चार साल में किस प्रकार का शानदार काम हुआ, चार साल बेमिसाल।'

अध्यक्ष महोदय, अब आपने कहा, नेता प्रतिपक्ष ने कहा, 7,892 करोड़ का इंटरेस्ट पेमेंट हुआ। यह कोई नई बात नहीं है। ये भी आंकड़े पैरामीटर्स के अन्तर्गत हैं। आंकड़े, चाहे सरकार आपकी हो, चाहे हमारी हो, पैरामीटर्स फिक्स होते हैं।

(श्री अशोक गहलोत)

भारत सरकार का डिवोल्यूशन भी होता है, तो अभी आपने ठीक कहा, कोई अहसान करते हैं क्या? आप अहम क्यों रखते हैं पैसा खर्च करने में? पैसा क्या आपका है? पैसा हमारा नहीं है, हम सब ट्रस्टी हैं जनता के। हम सब ट्रस्टी हैं, उस भावना से अगर हम आते हैं तब तो ईमानदारी की बात से आते हैं, ईमान से आते हैं, कुछ करने के लिए आते हैं। जैसा कि मैंने उस दिन कहा कि मैं अपने आपको देश के लिए और समाज के समर्पित किया हुआ हूं तो मैंने कुछ सोच के कहा होगा, चाहे उसका मतलब कुछ निकालो। उस सन्दर्भ में कहना चाहूंगा, जो जन-प्रतिनिधि हैं, जनता का वोट मांगता है, चाहे वह पंच, यहां के एम.एल.ए., एम.पी. क्यों नहीं हों, वे तमाम जनता के ट्रस्टी हैं। उस भावना के साथ में आएंगे, तब तो मैं समझता हूं कि वे वास्तव में सेवा करने के लिए आ रहे हैं।

आप जिस प्रकार से कह रहे थे, इंटरेस्ट पेमेंट, कोई नई बात नहीं है, पर पैरामीटर्स जो बनाये गये हैं, सरकार आपकी है, हमारी है, उन पैरामीटर्स से ही आकलन होता है, आंके जाते हैं कि हमारी स्थिति वर्स्ट हो रही है, कि हम ऊपर बढ़ रहे हैं, या मेन्टेन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा कि 13वें वित्त आयोग ने कहा कि आप, 7,982 करोड़ रुपये का प्रोजेक्शन दिया उन्होंने कि यहां तक आपका इंटरेस्ट जाएगा। मिडियम टर्म फिस्कल पालिसी, स्टेट में, जो स्टेट गवर्नमेंट खुद का था, उसमें तो 8,012 करोड़ जा सकता है, ब्याज के अन्दर, पर आपको यह जानकार खुशी होगी कि इन तमाम आकड़ों के बजाय सिर्फ 7,892 करोड़ रुपए ही ब्याज के अन्दर गये हैं। यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। मैं कहना चाहूंगा, यह भी स्वयं ए.जी. ने कहा है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट के अन्दर कहा जो मैंने आपको कोट किया है।

राज्य में डैट और जी.एस.डी.पी. का जो रेशो है, उसमें निरन्तर सुधार हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आर.बी.आई. द्वारा प्रकाशित 'द स्टेट फाइनेंशल स्टडी आफ बजट्स, 2011-12' में भी किया गया है, आर.बी.आई. ने किया है उसका आकलन, उन्होंने कहा है कि डैट और जी.एस.डी.पी. का रेशो राजस्थान में लगातार सुधर रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार ही, 2010-11 के अन्दर राजस्थान पूरे मुल्क में दूसरे स्थान पर रहा। यह मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा।

(श्री अशोक गहलोत)

आर.बी.आई. की 'द स्टेट फाइनेंशल स्टेडी आफ बजट्स, 2012-13' में फिस्कल डेफिसिट के जी.एस.डी.पी. प्रतिशत के मामले में नान-स्पेशल कैटेगरी वाले 17 राज्यों के तुलनात्मक आंकड़े प्रस्तुत किये गये। इसके विश्लेषण में भी यह स्पष्ट होता है कि तीनों वर्षों में, अर्थात् 2010-11, 2011-12 की आर.ई. एवं 2012-13 की बी.ई. में फिस्कल डेफिसिट एज परसेंटेज आफ जी.एस.डी.पी. में राज्य, 17 राज्यों में तीसरे स्थान पर रहा है।

तो इस प्रकार से अगर हम सोचें, हम अपने राज्य के बारे में एक सोच रखें कि हमारा राज्य वास्तव में कुछ कर नहीं पा रहा है, हम फाइनेंशली बहुत क्राइसिस में आ गये हैं, तो वह क्राइसिस का तो काला मुंह हो गया है। अब तो राजस्थान ही नहीं, बल्कि देश में यू.पी.ए. गवर्नमेंट जब से आई है, यह डाक्टर मनमोहन सिंहजी की नीतियों के परिणाम हैं कि आज पूरे मुल्क के अन्दर रेवेन्यू बढ़ी है। राज्यों में बढ़ी है, हर राज्य में। पहले हर राज्य सरकार क्राइसिस में थी। राजस्थान में क्राइसिस ज्यादा इसलिए था कि लगातार हमने तीन सूखों का मुकाबला किया। वह ऐतिहासिक ऐसी अकाल-सूखे की स्थिति थी जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था, जिसका मुकाबला हमने शानदार तरीके से किया। आज भी गांव-गांव में उस अकाल के प्रबंधन की चर्चा होती होगी। मैं समझता हूं कि आप इस बात को जानते होंगे। गेहूं कैसे पहुंचाया घरघर के अन्दर, टाइम पर पेमेंट कैसे किया गया, किस तरह से पशुधन को बचाया गया, किस प्रकार से आप कहते थे, आपके नेता कहते थे कि भूख से लोग मर रहे हैं, तो मैंने कहा कि भूख से मरने की बात तो छोड़ो, मेरे मुख्य मंत्री रहते हुए एक आदमी भी भूखा नहीं सोने दिया जाएगा। वह मैंने करके दिखाया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कोई भी बजट पेश होता है तो पहला सरकार का कर्तव्य यह होता है, खाली कोई हम लोग बैठकर यहां पर मेजें थपथपा दें खाली कि साहब, हमने बजट में घोषणाएं कर दीं, उसके लिए बजट पेश नहीं होते हैं। आप इस बात को तो कम से कम एप्रिशिएट करें कि हमारी गवर्नमेंट देश में पहली गवर्नमेंट है जिसने मैनिफेस्टो को, सरकार बनती है, कैबिनेट में एप्रूव करवाती है। यह हमारा कमिटमेंट दुबारा दर्शाने के लिए करवाते हैं, हम कहते हैं कि कौनसा काम हुआ और कौनसा नहीं हुआ, यह विश्लेषण आप करें। हम भी करेंगे, कहां पर हमारी कमजोरी रही है, यह

(श्री अशोक गहलोत)

कर्तव्य हम लोगों का है; आपका आलोचना करने का कर्तव्य है, उसमें आप मत चूकिए, बिलकुल आप विश्लेषण करें। अब आपकी यात्रा निकल रही है, आप लोग जाएंगे, उसमें मैनिफेस्टो की कापी लेकर जाओ हमारी और उसमें बताओ कि यह काम तो इन्होंने नहीं किये हैं और फालतू में झूठा वादा आपसे किया है, तो हमें दु:ख नहीं होगा। हम एप्रिशिएट करेंगे आपको। इतनी ईमानदारी हमने बरती है उस मैनिफेस्टो को रखने की कैबिनेट के अन्दर, उस पर चलने की और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हमने अधिकांश काम पूरे किए हैं, मैनिफेस्टो में जो लिखे हैं, उन कामों को पूरे किये हैं।

इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रकार से जो फैसले हमने किये हैं वे आपके सामने हैं, पर आपने जिस प्रकार से जो बातें रखी हैं, उनके बारे में कहना चाहूंगा, नौकरियों के बारे में आपने कह दिया कि नौकरियां तो लगी ही नहीं हैं, बहुत कम नौकरियां लगी हैं। अब आप बता दीजिए, हम तो कहते हैं कि 1 लाख 42 हजार नौकरियां लग चुकी हैं और आप अपने आंकड़े, पता नहीं, कहां से लेकर आते हैं और कहते हैं कि साहब, नौकरियां लगी नहीं हैं। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से गत सरकार के पांच साल के अन्दर आपके कार्यकाल में 1,42,616 नियुक्तियां हुई थीं, जबकि हमारी सरकार का अभी एक साल बाकी है, नौ महीने बाकी हैं, हमारी सरकार के 51 महीने के कार्यकाल में 1,43,820 नौकरियां हम लोग दे चुके हैं। यह तो आप स्वीकार करेंगे? आप आंकड़े, पता ही नहीं, किस प्रकार से बोलते हैं। पता ही पड़ता मुझे तो।

विकास दर मैंने आपको बता दी अभी कि किस प्रकार से आगे बढ़ी है।

डब्ल्यू.एच.ओ. कह रहा है कि मेडिकल सर्विसेज कारपोरेशंस को एक्सीलेंट; प्राइमरी हैल्थकेयर के लिए इंडिया हैल्थकेयर अवार्ड अभी डब्ल्यू.एच.ओ. की केटेगरी में मिला है हम लोगों को।

इस बार मार्च को ही, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राष्ट्रपति महोदय ने राजस्थान प्रदेश को पर्यटन के क्षेत्र में उत्कृष्ट एवं सर्वांगीण विकास के लिए, 18.3 को ही, श्रेष्ठ राज्य का द्वितीय राष्ट्रीय पर्यटन पुरस्कार प्रदान किया।

निर्माण उद्योग विकास परिषद द्वारा झालाना की पहाड़ी में घाट की

(श्री अशोक गहलोत)

गूणी सुरंग निर्माण, अब आप बताइए कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट घाट की गूणी का था, दुनिया उसकी तारीफ कर रही है और आप कहो कि साहब, पता नहीं, आपके दिल में क्या है! खुद सी.आई.डी.सी., विश्वकर्मा अवार्ड 2013 से पुरस्कृत हुआ है।

कृषि क्रमण पुरस्कार राजस्थान को मिला है। दो साल लगातार कृषि के क्षेत्र में, कल प्लानिंग कमीशन ने भी कहा है कि राजस्थान में, कृषि के क्षेत्र में राजस्थान सबसे उत्तम रहा है देश के अन्दर। क्या ऐसे ही कह दिया उन लोगों ने? मैं आपसे पूछना चाहूंगा।

विद्युत के क्षेत्र में आपने कहा कि आपने कौनसी मेगावाट बिजली पैदा कर दी? यह आरोप तो हम आप पर लगाते थे कि आपने, 1,750 मेगावाट बिजली हमने पैदा की थी, आपने खाली प्लांट्स लगाने की घोषणाएं कीं, शिलान्यास किये। आपने कौनसी बिजली पैदा की थी? आपकी घोषणा, शिलान्यास के काम हमने आकर पूरे किये, यह आपको स्वीकार करना पड़ेगा। जाकर देख लीजिए कि छबड़ा में क्या हुआ है, सूरतगढ़ में क्या हुआ है, यह सब आपके सामने है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): नया क्या किया?

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): उसके बारे में आपको कहना चाहूंगा, मैं तो सदन में स्वीकार कर चुका हूं, क्या कहूं मैं आपको? मैं सदन में स्वीकार कर चुका हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने आते ही प्रायोरिटी दी थी नये प्लांट के लिए। यह हमारे कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा, आज चार हजार का आंकड़ा पार किया है, एडिशन हुआ है मेगावाट हमारे वक्त में। उसमें यह शेयर आपका विंड का भी है, सोलर का भी है, बायोमास का भी है। आपके वक्त के जो प्लांट्स बन रहे थे, पूरे नहीं हुए, खाली आधे-अधूरे शुरू हुए थे। उनको हमने आकर पूरा किया है। हमने आकर पूरा किया है, यह तो आप स्वीकार करो। आपने क्या किया, आपने खाली उन प्लांट्स के टेंडर किये हैं। हम स्वीकार करते हैं कि हमने उन टेंडरों को जिस रूप में, माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रायोरिटी दी थी और जो नो-गो-एरिया हो गया पर्यावरण की दृष्टि से, वह हमारे हाथ में नहीं है। पूरे देश में सब राज्यों की यह शिकायत हो सकती है केन्द्र सरकार के मंत्रालय से कि आपने नो-गो-एरिया कर दिया। कोल ब्लाक जो आपके वक्त में मिला हुआ था, उसकी

(श्री अशोक गहलोत)

माइनिंग भी नहीं हो पाई थी। आज हम इस बात को जानते हैं कि जिस रूप में हम चाहते थे, उस रूप में हम लोग नहीं कर पाये, पर हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से प्रायोरिटी क्षेत्र बने हमारा एनर्जी, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, चार हजार मेगावाट का एडिशन हो चुका है और इस साल वापस जो टेंडर हुए हैं आगे बढ़ेंगे, वह काम भी हम पूरा करना चाहेंगे। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने आंकड़े जो दिये हैं, आपके वक्त में तो, कुछ आंकड़े मैं विद्युत के बारे में देना चाहूंगा जिससे आपको मालूम पड़े कि वास्तव में आप कहां पर स्टैंड करते हों। गांवों का विद्युतीकरण आपने किया 2,055 गांवों का और हमने किया 2,521 गांवों का। कुओं का ऊर्जीकरण- आपने किया 1,30,244 का और हमारे वक्त में अभी तक हो गया 2,46,657 का। इसको क्या कहेंगे आप?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): बजट में बोल चुके हैं यह तो आप।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए बोलना पड़ता है कि आपने जिस रूप में खाका खींचा है कि टी. एण्ड डी. लासेज कम नहीं हो रहे हैं, होने चाहिए। मैं भी इस बात को मानता हूं कि होने चाहिए। चोरी के ऊपर आपने अच्छी बात कही, चोरी रुकनी चाहिए, मैं स्वीकार करता हूं।

आप इस बात को मानकर चलो कि जिस रूप में राजस्थान में जब से हमारी सरकार बनी थी, उससे पहले खाली हीरापुरा के अन्दर 400 के.वी. का एक स्टेशन था। आज आप बता दीजिए कि कितने जी.एस.एस. 400 के.वी. के हैं, 220 के.वी. के हैं और 132 के.वी. के हैं, 33 के.वी. के हैं? शुरुआत हमारे वक्त के अन्दर की हुई थी और आज जाल बिछ गया पूरे राजस्थान के अन्दर, ट्रांसमिशन सिस्टम मजबूत हो गया। और तो और, 765 के दो जी.एस.एस. आधुनिक तकनीकी के आज फागी के अन्दर और अन्ता के अन्दर बनने चालू हो गए हैं।

तो मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान में आज इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं रही है। हम चाहे बिजली हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हों, चाहे सड़कें हों, हर दिशा में जिस रूप में आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं मानकर चलता हूं कि राजस्थान का भविष्य बहुत उज्ज्वल है।

(श्री अशोक गहलोत)

जिस प्रकार से तेल निकला है, माननीय अध्यक्ष महोदय, रिफाइनरी को आप इस प्रकार से जो बात कहते हैं कि साहब, रिफाइनरी, चार साल क्या हो गया था? आप जैसे व्यक्ति, जो अपने आप में अनुभवी व्यक्ति भी हैं, भावना से बोलते हैं, उनसे मैं उम्मीद नहीं करता था। चार साल क्या हो गये? रिफाइनरी लगना कोई हंसी-खेल तो नहीं है। मैं आपसे जवाब पूछना चाहता हूं कि आपकी गवर्नमेंट के वक्त में आपकी सरकार ने क्यों नहीं प्रयास किये? आपने ओ.एन.जी.सी. के पत्र का जवाब तक नहीं दिया। जो पैकेज मांग रहे थे, उनसे पत्राचार करते, बातचीत करते उनसे। लगती, नहीं लगती, यह अलग बात है, परन्तु इतने बड़े प्रोजेक्ट के अन्दर कोई भी कम्पनी हो, प्राइवेट सेक्टर भी क्यों नहीं हो, बिना वाएबिलिटी के कोई भी इंडस्ट्री लग नहीं सकती। आज पांच करोड़ की इंडस्ट्री नहीं लग सकती बिना वाएबिलिटी के। और कहां 37 हजार 500 करोड़ की। साढ़े चार टन की रिफाइनरी के बदले, आप एप्रिशिएट करेंगे कि 4.5 मिलियन टन की बातें हो रही थीं, आज 9 मिलियन टन, डबल, और साथ में पेट्रोकेमिकल का काम्प्लेक्स। कितनी एंसिलिअरी यूनिट्स लगेंगी, कितने काम-धन्धे खुलेंगे, कोई कल्पना नहीं कर सकता, आने वाले वक्त में। और फोर्च्यूनेटली राजस्थान में, अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से आज तेल निकला है, तेल निकलेगा, जो सम्भावनाएं हैं, बहुत अच्छी सम्भावनाएं हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्थान का आने वाला भविष्य बहुत उज्ज्वल है। तेल हो, अभी हम 23 तारीख को कल सुबह ही जा रहे हैं, बाड़मेर के अन्दर, वहां पर जो गैस निकली है, उसकी लांचिंग होगी। केन्द्रीय मंत्रीजी वापस आ रहे हैं राजस्थान के अन्दर। राजस्थान में तेल निकल गया है, गैस निकल गयी है, चाहे जैसलमेर हो, चाहे बाड़मेर हो; विंड एनर्जी से आज दो-ढाई हजार मेगावाट बिजली पैदा होने लग गयी है। हमने इसकी शुरुआत की थी उस जमाने के अन्दर। सोलर का दो-ढाई सौ मेगावाट तो पैदा हो चुका है, साढ़े 800 मेगावाट के करीब प्लांट के हमने एम.ओ.यू. ले रखे हैं। जवाहर लाल नेहरू सोलर मिशन के माध्यम से 1,100 मेगावाट के अंगेस्ट में 850 मेगावाट के करीब राजस्थान को मिले हैं। इसके बनने का काम चालू है।

आपने सोलर एनर्जी के बारे में, पता नहीं, क्या कमेंट्स कर दिये। मैं कहना चाहूंगा कि आज जिस रूप में हम सोलर पावर को लेकर जाल बिछा रहे

(श्री अशोक गहलोत)

हैं, सोलर पावर में राजस्थान में देश के अन्दर सबसे अधिक सम्भावनाएं हैं। विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट एक के बाद एक आ रहे हैं। गैस यहां निकल चुकी है। लिग्नाइट का, आपको मालूम है कि भंडार भरे पड़े हैं। नागौर के अन्दर भी, बीकानेर के अन्दर भी, बाड़मेर के अन्दर भी आने वाले वक्त में और पावर प्लांट लग सकते हैं, थर्मल बेस्ड, लिग्नाइट बेस्ड लग सकते हैं। इन बातों को स्वीकार करने में गर्व होना चाहिये। जो कमियां हैं, उन पर चिन्तन होना चाहिये कि कैसे हम उन कमियों को दूर करें। कमियां हो सकती हैं; कमियां, जो काम करेगा, दस काम करेगा, उससे गलतियां भी होंगी। जो काम ही नहीं करेगा, उससे क्या गलती होगी? हम लोग काम करने वाले हैं, हुजूर, यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं।

इसलिए, अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, नेता प्रतिपक्ष महोदय, आपने बहुत सारी बातें कह दी हैं और मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि जो राजस्थान के लिए अच्छा हो रहा है, यह राजस्थान सरकार कुछ करना चाहती है और उसको पूरा देश स्वीकार करता है, उस पर हमें गर्व होना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान वह राज्य है जिसने सूचना के अधिकार का कानून देश में सबसे पहले लागू किया, मुझे गर्व इस बात का है, नम्बर एक, जो ट्रांसपेरेंसी की निशानी है। अभी ट्रांसपेरेंसी हमारा खुद का मुद्दा है, इस बात का मुझे गर्व है। किस प्रकार से राजीव गांधी ने बात की थी पावर ब्रोकर्स की, मुझे आज भी याद है। किस प्रकार से बुराड़ी के अन्दर सोनिया गांधीजी ने जो पांच पाइंट प्रोग्राम दिया देश को ट्रांसपेरेंसी के लिए, उस पर हमें चिन्तन करना चाहिये, मनन करना चाहिये। इस निगाह से देखें कि क्या कमी है, उसका सुझाव दें, हम उसका स्वागत करेंगे, पर कम से कम उन्होंने हिम्मत तो की है पांच पाइंट प्रोग्राम देकर, जिनको प्रणव मुखर्जी साहब ने, जो वित्त मंत्री थे, केन्द्रीय बजट में स्थान दिया है। हमने यहां पर उनको रिपीट किया है। इसको तो आप एप्रिशिएट करें। कितना आगे बढ़ पाये, यह अलग बात हो सकती है, इसकी आलोचना भी हो सकती है, मंशा की बात मैं कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, आज हमने लड़ाई लड़ी भी है फ्रोस्ट की। शीतलहर, पाले का, आपको मालूम है, आपकी गवर्नमेंट थी, बहुत प्रयास हुए, हमने भी प्रयास किये थे उस समय। सोनिया गांधीजी ने प्राइम मिनिस्टर साहब को पत्र

(श्री अशोक गहलोत)

लिखा था। प्रयास सबने किये कि किसी ढंग से ओलावृष्टि के साथ में, शीतलहर में पाले के अन्दर भी मुआवजा मिलना चाहिये। आज वह हमारी गवर्नमेंट आने के बाद में हमने प्रयास किये, उनकी भावनाओं को आगे पहुंचाया, कम से कम आज वह देश के अन्दर लागू हो गया। पूरे मुल्क में लागू हुआ है। प्रयास तो आपके-हमारे सबके थे।

अध्यक्ष महोदय, हम पिछली बार जब प्लानिंग कमीशन में गये थे, तब भी, एन डी सी की बैठक के अन्दर भी जो-जो मांगें मैंने रखी हैं, उसका परसों 20 तारीख को प्लानिंग कमीशन ने हमें पत्र लिखा है, जो डिस्कशन हुआ है, लिखित में उन्होंने स्वीकार किया कि आपने जो मांगें की थीं, डी पी ए पी में 90 प्रतिशत पैसा मिलता था, डी डी पी में 70 प्रतिशत पैसा मिलता था; हमने कहा, इसको भी आप 90 प्रतिशत करो, उनको कम से कम पूरा पैसा मिलना चाहिये; आज उन्होंने इस बात को ट्वेल्व्थ प्लान के अन्दर शामिल कर लिया। यह जो हमारी मांग थी, उसको उन्होंने पूरा किया है।

नम्बर तीन, माइनोरिटीज के लिए मल्टी-सेक्टोरल डवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें 25 प्रतिशत वाले जिले ही उसके अन्दर आ सकते थे, हमने मांग की थी कि 15 प्रतिशत की आबादी वाले जिले भी आने चाहिये, उसके लिए प्लानिंग कमीशन ने कहा है कि इसकी हमने सहमति प्रदान कर दी है। और तो और, उन्होंने पंचायत को ब्लाक मान लिया है जिससे कि हमारे राजस्थान के कुछ शहर, कुछ पंचायत ब्लाक आयेंगे, उसका लाभ राजस्थान की माइनोरिटी को मिलेगा।

हमने मांग की थी कि माइनोरिटी के छात्रों को, उसका कोटा नहीं मांग रहे, बल्कि डिमांड बेस्ड उनको छात्रवृत्ति मिलनी चाहिये। उस बात को, सुझाव को प्लानिंग कमीशन ने स्वीकार किया है। यह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं।

पूरे देश के लिये ही, हमने मांग की थी कि नेशनल लाइवस्टाक मिशन बनना चाहिये देश के अन्दर। आपको जानकर खुशी होगी कि बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अन्दर, उसके लिए प्लानिंग कमीशन ने कहा कि इसका निर्णय हमने ले लिया है, नेशनल लाइवस्टाक मिशन बनेगा। यह मेरी मांग थी, उसको उन्होंने स्वीकार किया है।

हमने कहा था कि बारहवीं पंचवर्षीय योजना में आंगनबाड़ी केन्द्रों,

(श्री अशोक गहलोत)

स्वास्थ्य उप-केन्द्रों व स्कूलों में टायलेट के प्रावधान हों। आप जानते हैं कि कितनी बड़ी समस्या है, कितने ड्राप-आउट बच्चे होते हैं, बच्चियां होती हैं। उसको उन्होंने स्वीकार किया है।

सबसे बड़ी बात और जो मुझे अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगेगा, वह है राइट-टू-शेल्टर। मैंने मुम्बई के अन्दर मामला उठाया। वहां पर रीजनल चीफ मिनिस्टर्स की कांफ्रेन्स हुई थी। प्रणव मुखर्जी साहब वित्त मंत्री थे, छह राज्यों के मुख्य मंत्री थे। उसमें महाराष्ट्र के भी थे, मध्य प्रदेश के भी थे, गुजरात के भी थे, मुख्य मंत्री और वित्त मंत्री आये थे। वहां मैंने मांग उठाना शुरू किया, एन डी सी में उठाया, प्लानिंग कमीशन में उठाया। मुझे कहते हुए गर्व है, प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन साहब ने कहा कि हमने इसके लिये प्रोविजन भी करने का प्रयास किया है, ग्रामीण विकास मंत्रालय को हमने कह दिया है, उन्होंने वर्किंग ग्रुप बना दिया है। आपने चार-पांच दिन पहले खबर पढ़ी होगी, केन्द्र सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय वर्किंग ग्रुप बनाकर, राइट-टू-शेल्टर का नाम दिया उन्होंने; कैसे मकान का या निवास का स्थान अनिवार्य करें, पब्लिक को राइट देवें, यह उन्होंने काम शुरू कर दिया है। यह, मैं समझता हूं, बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस बात को तो हमें स्वीकार करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से कहने को बहुत सारी बातें हो सकती हैं, पर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हमारे नेता प्रतिपक्ष महोदय ने जो बातें कही हैं, वह अपनी जगह भावना के साथ में जो कमिटमेंट की बात की, हम चाहेंगे, कई ऐसे मुद्दे हैं जो हमारे लिए, सबके लिए, समान रूप से चिन्ता का विषय बने रहते हैं; सबका चिन्तित होना स्वाभाविक भी है; जो संवेदनशील है, जो पारदर्शिता से बात करना चाहता है और जो जवाबदेही रखना चाहता है, उसके लिए ज्यादा चिन्ता हो सकती है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि किस प्रकार से हम उनको दूर करें, किस प्रकार से हम मिलकर, जब कभी इस हाउस के अन्दर, या बहस हो, तो हम उन मुद्दों को बराबर रखें पब्लिक के सामने जिससे कि पब्लिक एजुकेट हो, कर्मचारी एजुकेट हों और वे इस बात को समझें कि वास्तव में होना क्या चाहिये जिन्दगी के अन्दर। चाहे वह टीचर हो, डाक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, कोई कर्मचारी हो, कोई अधिकारी हो, सबको इस बात का अहसास होना चाहिये कि जब मैं पूरा

(श्री अशोक गहलोत)

संवेदनशील होकर सेवा करूंगा, तब ही इस देश का भला होगा और कोई जिम्मेवारी मुझे सौंपी गयी है तो मुझे निभानी चाहिये, यह मेरा कर्तव्य है। मैं समझता हूं कि यह भावना एक संदेश के रूप में जानी चाहिये। उसमें पक्ष और प्रतिपक्ष का कोई सवाल नहीं हो सकता है। यह मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): हर समस्या का रास्ता मैं बता सकता हूं।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): आपकी समस्या मैं बताऊंगा अभी यहां पर।

मेरे बजट प्रस्तावों के माध्यम से एवं उसके पश्चात् बजट पर सामान्य चर्चा का उत्तर देते समय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने कुछ घोषणाएं की थीं। उसके अतिरिक्त भी, कुछ कतिपय बिन्दु भी मेरे ध्यान में लाये गये हैं, जिनको दृष्टिगत रखते हुए मैं सदन के सामने प्रस्ताव रख रहा हूं।

श्रीगंगानगर जिले में श्री विजय नगर से रायसिंहनगर की सड़क का सुदृढ़ीकरण करना प्रस्तावित है।

नागौर जिले की जायल तहसील की निम्न सड़कों का सुदृढ़ीकरण करना प्रस्तावित है:-

ग्राम गेलोली से ईग्यार वाया कसनाऊ;

ग्राम बोडवा से छावटाकला; व

ग्राम छापड़ा से खेड़ा हीरबास।

जोधपुर जिले की निम्न सड़कों के नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य हाथ में लिये जायेंगे:-

साथीन-गोटन वाया खारिया; व

पीपाड़सिटी-साथीन-रतकुडीया-भोपालगढ़-मंगेरिया-खीमसर।

बांसवाड़ा जिले की निम्न सड़कों को चौड़ा करने एवं सुदृढ़ीकरण के कार्य हाथ में लिये जायेंगे:-

गढ़ी से आनन्दपुर;

गढ़ी-कलिंजरा-कुशलगढ़;

कोटरा पुल से आनन्दपुरी; व

(श्री अशोक गहलोत)

करजी से नोगामा।

करौली जिले में निम्न सड़कों का नवीनीकरण एवं सुदृढ़ीकरण करना प्रस्तावित है:-

रानेता-मसावता-भरतून-ताजपुर;

हाड़ोती से रानेता; व

कुडगांव से मोहनपुरा।

चूरू जिले में मालासी गांव के बाहर से सालासर जाने के लिए बाइपास एवं ग्राम सुलखनियां से ढाणी मडिवाल की सड़कों के निर्माण के कार्य हाथ में लिये जाएंगे।

उदयपुर में डबोक-गुडली-घासा-मावली की सड़क का नवीनीकरण एवं चौड़ा करने का कार्य किया जायेगा।

अजमेर में मसूदा से विजय नगर की सड़क को चौड़ा किया जायेगा एवं इसका नवीनीकरण किया जायेगा।

कादेड़ा (अजमेर) से ढानेश्वर (भीलवाड़ा) तक 3.5 किलोमीटर नई सड़क का निर्माण कराया जायेगा।

निम्नानुसार रेलवे अण्डरब्रिज के निर्माण के कार्य हाथ में लिये जायेंगे:-

बीकानेर में लूणकरणसर के गांव किस्तुरिया, रामबाग एवं महाजन;

चूरू से रतनगढ़ के मध्य;

रतनगढ़ से सुजानगढ़ के मध्य लोहा-सांगासर रास्ते पर;

रतनगढ़ से सुजानगढ़ के मध्य सांवतिया-बुधवाली; व

खेतड़ी रास्ते पर जोधपुर के बिलाड़ा कस्बे में।

राज्य के पांच बड़े शहरों जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर व कोटा में विद्युत वितरण व्यवस्था को अधिक सुचारु बनाने के उद्देश्य से कम्प्यूटराइज्ड नियंत्रण तंत्र की स्थापना की जायेगी। इस व्यवस्था के लागू होने से विद्युत आपूर्ति में ट्रिपिंग की समस्या को दूर करने में सहायता मिलने के साथ-साथ फाल्ट रिपेयर भी शीघ्रता से किया जाना सम्भव हो सकेगा।

निम्नानुसार एनिकटों का निर्माण प्रस्तावित है:-

करौली में सपोटरा में पांच एनिकट, बड़ पीपल का नाला, ग्राम हाड़ौती,

(श्री अशोक गहलोत)

रीमाडलिंग आफ खोहरी एनिकट, बड़ी वाली नरी ग्राम कोटड़ा, जेरे का नाला की रीमाडलिंग ग्राम पंचायत भांकरी और पड़वा देवी के पास ग्राम सोप;

बनास नदी पर सुरेली गांव श्योपुरा महादेव मंदिर के समीप एनिकट;

दौसा में ग्राम बहरावण्डा के लोलाई सकड़ा क्षेत्र में एनिकट;

झुन्झुनूं जिले में उदयपुरवाटी में ग्राम खो में मंसा माता एनिकट;

प्रतापगढ़ की ग्राम पंचायत मेरियाखेड़ी में एनिकट;

डूंगरपुर में गांव माल चौकी के पास मोरन नदी पर सादोड़ावाला एनिकट; व

चित्तौड़गढ़ में दुगार गांव के पास सामरिया एनिकट, बेरी का नाका एनिकट तथा शंभुपुरिया एनिकट।

डूंगरपुर में गजपुर बांध, बोड़ामली (भादर) बांध एवं वात्रक (पाड़लिया) बांध के सुदृढ़ीकरण का कार्य हाथ में लिया जायेगा। इसके साथ ही, डूंगरपुर जिले की बीछीवाड़ा तहसील के मेवाड़ा बांध व नहरों तथा डूंगरपुर तहसील के मारगीया बांध व नहरों का सुदृढ़ीकरण किया जायेगा, जिन पर लगभग 7 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

चित्तौड़गढ़ जिले के रूपारेल बांध की नहर एवं खोखी बांध के जीर्णोद्धार का कार्य करवाया जायेगा। इसके साथ ही चित्तौड़गढ़ जिले की वागन परियोजना की आलोद माइनर की मरम्मत का कार्य करवाया जायेगा।

भीलवाड़ा जिले के देवेन्द्र सागर तालाब के वेस्ट पानी को डागरमाला एनिकट तक फीडर का निर्माण कर पहुंचाया जायेगा।

बालोतरा शहर की पेयजल योजना, जिसकी लागत लगभग 11 करोड़ रुपये है, का काम हाथ में लिया जाना प्रस्तावित है।

भीनमाल शहर एवं 256 गांवों को पेयजल उपलब्ध करवाने की परियोजना का प्रारम्भिक कार्य हाथ में लिया जायेगा।

जयपुर शहर के बाहरी अलाभांवित क्षेत्रों में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विशेष योजना बनाई जायेगी। प्रारम्भ में जगतपुरा, प्रताप नगर एवं महल रोड के पास स्थित क्षेत्रों में इस विशेष योजना के अन्तर्गत पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान करना प्रस्तावित है।

(श्री अशोक गहलोत)

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधीन तकनीकी कर्मचारियों के 1 हजार 200 पदों पर आगामी वर्ष नियुक्तियां की जायेंगी।

आगामी वर्ष 50 और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया जायेगा।

पैलिएटिव केयर के माध्यम से गम्भीर रोगों से ग्रस्त मरीजों को वेदना से राहत दिलवाई जाती है। अत: प्रदेश के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में पैलिएटिव केयर की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से 14 पद सहायक आचार्यों के सृजित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त, चिकित्सा महाविद्यालयों में स्पीच थेरेपिस्ट के 14 पद सृजित किये जायेंगे। साथ ही, दन्त चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर में 10 पद सहायक आचार्यों के एवं 5 पद डिमौंस्ट्रेटर्स के सृजित किये जायेंगे।

गाड़िया लुहारों को कच्चे माल के क्रय हेतु 2 हजार 500 रुपये की राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाई जाती है, जिसे बढ़ाकर 5 हजार रुपये किया जायेगा।

अनूसूचित क्षेत्र के शैक्षणिक सुविधाओं से वंचित गांवों में 200 नये मां-बाड़ी केन्द्र एवं माडा तथा बिखरी आबादी हेतु 50 नये मां-बाड़ी केन्द्र स्थापित किये जायेंगे।

सहरिया किसान मार्जिन मनी के अभाव में फसली ऋण प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। अत: राज्य सरकार द्वारा सहरिया किसानों को मार्जिन मनी अनुदान उपलब्ध करवाया जायेगा, जिसके लिए वर्ष 2013-14 में 5 करोड़ रुपये का प्रावधान करना प्रस्तावित है।

अल्पसंख्यक मामलात विभाग के कार्यालय, राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम एवं वक्फ विकास परिषद, इत्यादि संस्थाओं हेतु एक भवन निर्मित किया जायेगा। आगामी वर्ष इस हेतु 5 करोड़ रुपये का प्रावधान करना प्रस्तावित है।

अध्यक्ष महोदय, कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आगामी वर्ष बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर एवं बीकानेर जिलों में 400 क्विंटल सेवण घास के बीजों का नि:शुल्क वितरण किया जायेगा। इससे लगभग 2 हजार 600 हेक्टेयर निजी एवं सार्वजनिक भूमि पर सेवण घास के चरागाह विकसित हो सकेंगे।

(श्री अशोक गहलोत)

मछली पालन तथा मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अलवर के सिलीसेढ़, हनुमानगढ़ के लखुवाली, बांसवाड़ा के सागरोद, कोटा के सूरसागर तथा टोंक के गिलवा मत्स्य फार्मों का 5 करोड़ रुपये की लागत से सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण किया जायेगा।

मौसम आधारित फसल बीमा योजना के अन्तर्गत कृषकों को उचित बीमा क्लेम दिलवाने की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा सम्बन्धित कम्पनियों के माध्यम से अतिरिक्त स्वचालित मौसम केन्द्र स्थापित करवाने का प्रयास किया जायेगा। वर्तमान में प्रदेश में 500 ऐसे केन्द्र स्थापित हैं तथा हमारा प्रयास है कि इन केन्द्रों की संख्या बढ़ाकर लगभग 1 हजार 200 कर दी जायें ताकि प्रत्येक गिरदावर सर्किल में एक मौसम केन्द्र हो। इसके अतिरिक्त, इस बीमा योजना के अन्तर्गत बीमित राशि में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी भी करना प्रस्तावित है। इस बढ़ोतरी के परिणामस्वरूप राज्य सरकार पर लगभग 50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वित्तीय भार आयेगा।

'अ' श्रेणी की कृषि उपज मण्डियों के अध्यक्षों का मानदेय 2 हजार रुपये से बढ़ाकर 3 हजार रुपये एवं अन्य श्रेणी की मण्डियों के अध्यक्षों का मानदेय 1 हजार रुपये से बढ़ाकर 2 हजार रुपये प्रति माह करना प्रस्तावित है।

वर्ष 2013-14 के बजट भाषण में फल एवं सब्जियों का विक्रय मण्डी में करने की बाध्यता को समाप्त किया गया था। अब मैं फल एवं सब्जियों के विक्रय पर मण्डी शुल्क भी समाप्त करने की घोषणा करता हूं।

ऊन के विक्रय पर वसूले जा रहे मण्डी शुल्क को समाप्त करने की मैं घोषणा करता हूं। इस घोषणा से भेड़-पालक लाभान्वित होंगे तथा प्रदेश से अन्य प्रान्तों में ले जाकर ऊन की बिक्री पर अंकुश लग सकेगा।

वर्तमान में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत स्कूल जाने वाले बालक-बालिकाओं की वर्ष के एक बार चिकित्सकीय जांच की जाती है। अब यह निर्णय लिया गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत राजकीय विद्यालयों में कक्षा 12 तक पढ़ने वाले एवं प्रदेश की लगभग 61 हजार से अधिक आंगनबाड़ियों में आने वाले सभी बालक-बालिकाओं की स्वास्थ्य जांच की जायेगी। इस अभियान के अन्तर्गत बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति को देखते हुए आवश्यकतानुसार उपचार करने के साथ-साथ यह भी देखा जायेगा कि बच्चों में कोई दृष्टि या श्रवण दोष तो नहीं है। ऐसे बच्चों को

(श्री अशोक गहलोत)

भी चिह्नित किया जायेगा जिनके दृष्टि अथवा श्रवण दोष का उपचार शल्य क्रिया अथवा अन्य प्रकार से किया जा सकता है। इस अभियान पर आगामी वर्ष लगभग 19 करोड़ रुपये का व्यय अनुमानित है। अभियान से लगभग 1 करोड़ 30 लाख बच्चे लाभान्वित होंगे।

बजट भाषण में विद्यालयों को क्रमोन्नत करने के सम्बन्ध में की गई घोषणा के अतिरिक्त, आगामी वर्ष 1 हजार नये प्राथमिक विद्यालय प्रारम्भ करने के साथ-साथ, 500 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, 500 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में तथा 500 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने का निर्णय प्रस्तावित करता हूं।

एस सी, एस टी, ओ बी सी, एस बी सी, अल्पसंख्यक, नि:शक्त एवं सामान्य वर्ग की बालिकाओं को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 एवं 12 की परीक्षाओं में, प्रत्येक जिले में, प्रथम स्थान प्राप्त करने पर इंदिरा प्रियदर्शिनी पुरस्कार के रूप में देय क्रमश: 40 हजार रुपये और 50 हजार रुपये की राशि को बढ़ाकर क्रमश: 75 हजार रुपये एवं 1 लाख रुपये किया जायेगा। इस योजना में अब विशेष पिछड़ा वर्ग की बालिकाओं को भी शामिल किया जायेगा।

माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की दसवीं कक्षा में 75 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त करने वाली सभी बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार के अन्तर्गत देय 4 हजार रुपये की राशि को बढ़ाकर 6 हजार रुपये किया जायेगा।

टेक्नोलोजी के क्षेत्र में आये क्रांतिकारी परिवर्तनों का उपयोग करते हुए, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के महाविद्यालयों में प्रायोगिक तौर पर परम्परागत क्लास रूम्स को स्मार्ट क्लास रूम्स में परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित है। आगामी वर्ष 10 करोड़ रुपये की लागत से चयनित महाविद्यालयों के क्लास रूम्स को स्मार्ट क्लास रूम्स में परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित है।

बायो-टेक्नोलोजी एवं जैव चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित अनुसंधान केन्द्र जोधपुर में स्थापित किया जायेगा।

राज्य के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में अल्प आय वर्ग के विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग तथा मेडिकल में प्रवेश परीक्षा की कोचिंग की सुविधा उपलब्ध

(श्री अशोक गहलोत)

करवाने एवं विज्ञान शिक्षा के प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से सेटकाम नेटवर्क के 100 टर्मिनल्स स्थापित किये जायेंगे।

प्रदेश के ब्लाक स्तर तक के 4 हजार 587 कार्यालयों को वाइड एरिया नेटवर्क के माध्यम से जोड़ने की परियोजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ हो चुका है। वर्तमान में जिला मुख्यालय स्तर तक वीडियो कांफ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध है। वाइड एरिया नेटवर्क के माध्यम से अब यह सुविधा निकट भविष्य में उपखण्ड स्तर पर भी उपलब्ध हो सकेगी।

लर्निंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को पारदर्शी एवं सुगम बनाने के उद्देश्य से सम्भागीय स्तर के कार्यालय में आनलाइन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, पश्चात् द्वितीय चरण में वर्ष 2013-14 में दौसा, सीकर, अलवर, पाली, चित्तौड़गढ़, श्रीगंगानगर और भीलवाड़ा के जिला परिवहन कार्यालयों के माध्यम से आनलाइन लर्निंग लाइसेंस बनाने की व्यवस्था की जायेगी। आगामी दो वर्षों में शेष सभी जिला परिवहन कार्यालयों में भी यह व्यवस्था लागू कर दी जायेगी।

पाली के जैतारण कस्बे हेतु सीवरेज एवं ड्रेनेज की परियोजना क्रियान्वित की जायेगी। इसके अतिरक्त, नागौर जिले के लाडनूं कस्बे हेतु सीवरेज एवं कोटा जिले के कैथून में ड्रेनेज एवं सड़क निर्माण की परियोजनाएं क्रियान्वित की जायेंगी।

माउंट आबू नगरपालिका को सड़कों की मरम्मत हेतु एवं स्ट्रीट लाइट्स की व्यवस्था हेतु एक करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवायी जायेगी।

जयपुर में बस्सी एवं जोधपुर में भोपालगढ़ में नगरपालिकाएं सृजित करना प्रस्तावित है।

शहरी स्थानीय निकायों के पार्षदों को देय बैठक भत्तों को निम्नानुसार बढ़ाया जाना प्रस्तावित है:-

नगर निगम – 300 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये, अधिकतम एक हजार 500 रुपये;

नगर परिषद – 250 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये, अधिकतम एक हजार 200 रुपये;

नगरपालिका – 200 रुपये से बढ़ाकर 300 रुपये, अधिकतम 900 रुपये।

(श्री अशोक गहलोत)

फलौदी एवं नीमराना में उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फलौदी के उप-केन्द्र को जिला उद्योग केन्द्र में क्रमोन्नत किया जायेगा एवं नीमराना में नये उप-केन्द्र की स्थापना की जायेगी।

स्वामी विवेकानन्द की स्मृतियों से जुड़े हुए खेतड़ी के फतेह विलास महल के जीर्णोद्धार एवं संरक्षण के साथ-साथ, आधारभूत सुविधाओं के विकास हेतु राज्य सरकार द्वारा एक करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवायी जायेगी।

राजस्थान राज्य अभिलेखागार, बीकानेर में स्थापित फ्रीडम फाइटर की सचित्र दीर्घा का एक करोड़ रुपये की लागत से विस्तार किया जायेगा।

देवस्थान विभाग की रिक्त भूमियों पर निर्माण करवाकर अथवा भवनों के पुनरुद्धार के पश्चात् गोगामेड़ी-हनुमानगढ़, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर एवं पाली में धर्मशालाएं संचालित करना प्रस्तावित है। प्रत्येक धर्मशाला के निर्माण अथवा पुनरुद्धार पर लगभग एक-एक करोड़ रुपये की राशि व्यय की जायेगी।

भरतपुर, उदयपुर, हनुमानगढ़, कोटा, जयपुर-प्रथम एवं अजमेर में देवस्थान के सहायक आयुक्त आफिसों हेतु दो करोड़ 40 लाख रुपये की लागत से भवन निर्माण के कार्य हाथ में लिये जायेंगे।

आगामी वर्ष नवसृजित तहसीलों एवं उप-तहसीलों के भवन निर्माण हेतु 36 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, राजस्व कार्यालयों एवं आवासों के जीर्णोद्धार हेतु दस करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है।

बजट में मैंने खान एवं भू-विज्ञान विभाग का पुनर्गठन करते हुए नये पदों के सृजन का प्रस्ताव किया था। उसी क्रम में यह प्रस्तावित है कि विभाग हेतु 50 नये वायन क्रय किये जायेंगे एवं कार्यालयों के भवन निर्माण एवं तकनीकी उपकरण खरीदने हेतु दस करोड़ रुपये का प्रावधान किया जायेगा।

निम्नानुसार नई तहसीलों एवं उप-तहसीलों का सृजन प्रस्तावित है:-

तहसीलें – डूंगरपुर में झोतरीपाल एवं अजमेर में अराई।

उप-तहसीलें – चूरू में दूधवाखारा तथा सालासर, जैसलमेर में झिनझिनयाली, बीकानेर में महाजन, झालावाड़ में सारोला कला, हनुमानगढ़ में ढाबा, भीलवाड़ा में ज्ञानगढ़, करोई तथा ढीकोला, झुन्झुनूं में मण्डावा, जोधपुर में शेखासर तथा घंटियाली, पाली में नाना तथा खीवाड़ा, करौली में कुड़गांव तथा

(श्री अशोक गहलोत)

बालाघाटा, अजमेर में सराधना, जयपुर में तूंगा तथा मुण्डोता एवं अलसर में मांढण।

पूर्व में टोंक में दूनी तथा जोधपुर में लोहावट में उप-तहसील सृजित करने की घोषणा की गयी थी, इन दोनों स्थानों पर अब तहसील सृजित करना प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त, जयपुर में दूदू और करौली में मासलपुर उप-तहसीलों को तहसीलों में क्रमोन्नत किया जायेगा।

बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से 16 जिला कारागृहों में एलोपेथिक चिकित्सक के नये पद सृजित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय कारागृह, जयपुर में साइकेट्रिस्ट एवं क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट के पद भी सृजित किये जायेंगे। साथ ही, सभी आठों केन्द्रीय कारागृहों के चिकित्सालयों में ईसीजी मशीनें भी उपलब्ध करवायी जायेंगी।

निम्नानुसार पुलिस चौकियों को थानों में क्रमोन्नत करना एवं नई पुलिस चौकियां सृजित करना प्रस्तावित है :-

थानों में क्रमोन्नयन – बांसवाड़ा में अरथुना, भीलवाड़ा में पारोली, जैसलमेर में लाठी, प्रतापगढ़ में घंटाली, उदयपुर में घांसा, सीकर में बलारा, बूंदी में दहीखेड़ा, झालावाड़ में कामखेड़ा, सवाई माधोपुर में पीलोदा एवं दौसा में लवाण।

नई पुलिस चौकियां – कोटा में ताथेड़, झालावाड़ में रातादेवी, भीलवाड़ा में कोटड़ी कस्बा, सवाइपुर, जहाजपुर, बस स्टैण्ड एवं कुराड़ियां, दौसा में लाका मोड़, बांदीकुई बाइपास चौराहा एवं गुढा कटला, अलवर में ग्राम शेखपुरा, बाड़मेर में बामणौर, बाण्ड एवं दूधवा, बांसवाड़ा में जोलाना एवं सरेड़ी छोटी, अजमेर में सराधना एवं नरवर, डूंगरपुर में जोथरीपाल, बीकानेर में बम्बलू एवं शेरेरा तथा जयपुर ग्रामीण में रायसर।

नागौर में जसवंतगढ़ एवं भीलवाड़ा में कोटड़ी तथा हनुमान नगर थानों को निरीक्षक स्तर में क्रमोन्नत किया जायेगा।

बीकानेर में कोलायत एवं चित्तौड़गढ़ में भदेसर में नये वृत्त कार्यालय खोले जायेंगे।

भीलवाड़ा में सहाड़ा में एवं अलवर के नीमराना में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के आफिस खोले जायेंगे।

जिला प्रमुखों के वर्तमान में देय 7,500 रुपये प्रति माह के मानदेय

(श्री अशोक गहलोत)

को बढ़ाकर 9,000 रुपये, पंचायत समितियों के प्रधानों के मानदेय को 5,000 रुपये से बढ़ाकर 6,000 रुपये एवं सरपंचों के मानदेय को 3,000 रुपये से बढ़ाकर 3,500 रुपये करना प्रस्तावित है।

पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों को प्रति माह देय बैठक भत्तों को निम्नानुसार बढ़ाया जाना प्रस्तावित है:-

जिला परिषद के सदस्य- 125 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये;

पंचायत समिति के सदस्य- 100 रुपये से बढ़ाकर 350 रुपये; व

ग्राम पंचायत सदस्य- 75 रुपये से बढ़ाकर के 200 रुपये।

विभिन्न विभागों में नियोजित कार्मिकों की मासिक मानदेय की दरों में निम्नानुसार बढ़ोतरी करना प्रस्तावित है:-

सईस, पशुपालन- 300 रुपये। पशुधन सहायक- 300 रुपये। पम्प चालक, जनता जल योजना- 300 रुपये। अधिशेष चुंगी कर्मचारी, पंचायत राज- 300 रुपये।

इस बजट में मैंने उपनिवेशन क्षेत्र की ऐसी जमीनों के जिनके आबंटन निरस्त कर दिये गये हैं, प्रकरणों में बिना ब्याज के राशि दिसम्बर, 2013 तक एकमुश्त जमा करवाने पर आबंटन बहाल करने की घोषणा की है बशर्ते कि जमीनों को अन्य किसी को आबंटित नहीं किया गया हो। इसी क्रम में, उपनिवेशन क्षेत्र के किसानों की मांग को दृष्टिगत रखते हुए, मैं इस क्षेत्र के सभी श्रेणी के आबंटियों को उन्हें आबंटित जमीनों के पेटे उनके द्वारा जमा कराई जाने से शेष रही समस्त किश्तों को एकमुश्त जमा करवाने पर ब्याज में दिनांक 28 फरवरी, 2013 तक दी गई छूट को 31 दिसम्बर, 2013 तक बढ़ाये जाने की घोषणा करता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इन्हीं भावनाओं के साथ में, मैंने जो आपसे निवेदन किया है, मैं चाहूंगा कि आप उसके आधार पर ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही एक बिन्दु जो जोधपुर माइंस का आया था, जिसको लेकर काफी सदस्यों ने भावना प्रकट की थी, पहली बात तो, मुझे इस बात की खुशी है कि पांच साल में पहली बार बजट सत्र के अंतिम दिनों में, जब बजट पास होने जा रहा है और जिस रूप में आप लोगों ने सहयोग किया, जिस रूप में हर स्पीच को, मुख्य मंत्री की, चाहे वह राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव हो, चाहे बजट में जिस

(श्री अशोक गहलोत)

रूप में जनरल डिबेट होती है, तब भी बड़ी कृपा की कि आपने मुझे अवसर दिया बोलने का और उसके बाद आज भी और आपने सात दिन तक लगातार डिमांड्स पर भी चर्चा की, उस पर विचार प्रकट किये, उन तमाम सदस्यों का मैं आभारी हूं जिन्होंने पूरे बजट प्रोसेस में, डिमांड्स के अन्दर भी अपनी रुचि दिखायी, अपने सुझाव दिये और मैं विश्वास दिलाता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम चाहेंगे, किस प्रकार से इनमें कार्यवाही करें और कैसे वे, अधिक से अधिक, जो जन हित के सुझाव हैं, उनको हम पूरा करने का प्रयास करें।

मैं साथ ही इस मौके पर आपको यह भी कहना चाहूंगा, एक मुद्दा ऐसा बजट के प्रारम्भ में ही आ गया था, तो मैंने कहा था कि मैं नेता प्रतिपक्ष पर छोड़ता हूं कि यह जो आरोप लगे हैं, तो मैंने यह खण्डन किया था कि उनमें कोई दम नहीं है और जिस रूप में आरोप लगाये गये थे, वे ऐसे वक्त लगाये गये थे कि जब बजट आने वाला था। जैसा हमारे अधिवक्ता गण ने, उस दिन इन्तजार लोग करते हैं कि आज बजट में क्या आयेगा और हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तो फिर हम वापस आन्दोलन करेंगे, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा कि आप सत्र में बजट प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हों, उस पर इन्तजार करने के बजाय आपने प्रोसेशन निकाला और अन्फोर्च्यूनेट घटनाएं भी हुईं।

उसी प्रकार से, बजट पेश हो रहा है और उसके वक्त में एक टीवी चैनल ने एक न्यूज चला दी, मेरे पर आरोप लगा दिये। मैंने उसके पांच-सात दिन पहले ही कहा था कि आप निश्चित रहें, मैं अपने आपको किसी प्रकार से समर्पित किये हुए हूं, देश के लिए, समाज के लिए। यह मैंने कहा था। इसके बावजूद भी आपने मुझ पर विश्वास नहीं किया। न्यूज चैनल्स पर, अख़बार में खबर आयी, आपका आलोचना करने का धर्म भी है, इसमें मुझे एतराज भी नहीं है कि आपने उन बातों को उठाने का प्रयास किया, उठाते भी हैं चाहे वह लोक सभा हो, चाहे विधान सभा हो, पर मैंने कहा कि यह परम्परा भी होनी चाहिए,

(18.00 बजे)

कम से कम स्पीकर हैं, हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, उन पर मैं छोड़ सकूं। वे अपने डाक्यूमेंट देखें, कहां गलती हुई, कहां प्रक्रिया में गलती थी। वे बताएं हम लोगों को गलती। मैंने कहा था आपको कि आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं और आपने उनको इसके बाद में, बजाय इसके कि आप कुछ और इन्क्वायरी करते, रिपोर्ट लेते, या पूरी इन्क्वायरी करके बताते, यह आपकी गलती हुई; जो आपको

(श्री अशोक गहलोत)

फीडबैक मिला वह आपकी पार्टी के नेताओं के द्वारा मिला, ज्ञान मिला। मैंने अधिकारी भेजा आपके पास में, आपने उसको जो आपकी समझ में आया, मैं समझता हूं, आपने अध्यक्ष महोदय को लिखकर दिया कि मेरी भावना, मुझे आशंका है, फिर भी लगता है कि इसमें कहीं न कहीं गलती हुई है।

मैंने उचित समझा कि इस प्रकार की भावना, जब मैंने खुद ने आपको अधिकार दिया और आपने प्रकट कर दी है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उस पर दो बातें कहूं। वह तो लम्बी कहानी है कि आपके वक्त जो भुजावर, रोयडा कलां, चौकां गांवों के अन्दर जो खानें आबंटित की गयी थीं 2007 के अन्दर, उसके बाद में हाई कोर्ट में 22 रिटें लग गयीं उसके ऊपर और उन्होंने उनको खारिज कर दिया।

इसी ढंग से, उसके बाद में हम लोगों ने प्रयास किया, क्योंकि हम एक नई पालिसी लेकर आ रहे थे। इस सदन को गर्व होगा कि जो पालिसी हमने बनायी, उस पालिसी को लेकर के, पूरे देश के अन्दर उसकी तारीफ हुई, पूरी पालिसी की। भारत सरकार ने भी बहुत एप्रिशिएट किया और एक माडल के रूप में अपनाने का निश्चय किया। इसीलिए हम लोगों ने नयी पालिसी लाने के बावजूद भी, हमारी पालिसी में हमने जो बात रखी थी, पचास परसेंट रिजर्व करेंगे और पचास परसेंट आक्शन करेंगे। यह हमने पालिसी में रखा 28 जनवरी, 2011 के अन्दर, खनिज नीति 2011 में।

उसमें हमने कहा कि पचास परसेंट रखेंगे रिजर्व उसमें, दस परसेंट वह होगी जो व्यक्ति क्रेशर खरीद आधारित उद्योगों की स्थापना करेगा; पांच परसेंट वह होगा जो एस सी, एस टी, अन्य पिछड़ा वर्ग, विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक, जो खदान में कामगरों के रूप में, मजदूर के रूप में काम करेंगे; पांच परसेंट, एस सी, एस टी, ओ बी सी, एस बी सी के अलावा, अन्य व्यक्ति जो खदानों में कामगरों के रूप में या मजदूर के रूप में काम करते हैं। एस सी, एस टी, ओ बी सी, एस बी, सी का नहीं है, तब भी मजदूर है, उसके लिए पांच परसेंट। उसी रूप में, एस सी, एस टी, ओ बी सी, विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक जो मजदूर नहीं हैं, परन्तु कैटेगरी बनायी बीस परसेंट की। बी पी एल श्रेणी के आवेदक, कोई भी जाति का हो, दस परसेंट। फ्रीडम फाइटर, पूर्व सैनिक पैरा मिलिटरी बल में राजस्थान के मूल निवासी, जो स्थायी रूप से डिस्एबल्ड, नि:शक्त हो गये हैं, अथवा उपरोक्त सेवा में रहते हुए मृतकों के आश्रित, उनको पांच

(श्री अशोक गहलोत)

परसेंट। राज्य सरकार के कर्मचारी, सेवा के दौरान स्थायी रूप से डिस्एबल्ड हो गये हैं, नि:शक्त हो गये हैं, सेवा में रहते हुए, उनके, अथवा सेवा में रहते हुए मृतकों के आश्रित, उनका पांच परसेंट। उपरोक्त दोनों प्रावधानों के अतिरिक्त, अन्य सभी आवेदक जो शारीरिक रूप से अक्षम या विशेष योग्यजन, नि:शक्तजन, जो भी हैं, उनको पांच परसेंट। राजस्थान के मूल निवासी बेरोजगार युवाओं (अनएम्प्लायड यूथ) को पच्चीस परसेंट। अन्य दस परसेंट।

पचास परसेंट के अन्दर यह बैकअप करके यह एक योजना बनाई गई, नीति बनाई गई हमारे वक्त में। साथ में, उसके परिणाम भी अच्छे आ रहे हैं। वह नीति अपनी जगह अलग है, जिसके लिए अभी शिवरात्रि को लाटरी खुली है, 125 लाटरी खुल चुकी हैं, 125 नीलामी हो चुकी हैं, 250 प्रकरण निपट चुके हैं और 1,200 प्रक्रियाधीन हैं।

इस रूप में एक ऐसा प्रयास किया गया जिसको सुप्रीम कोर्ट की जो एम्पावर्ड कमेटी है, उन्होंने भी कहा, "Continuing deliberation on this matter, it was appreciated that the Govt. of Rajasthan has reported compliance by amending their Miner Mineral Concession Rules. Other states were also requested to take similar actions urgently.'' यह सुप्रीम कोर्ट की एम्पावर्ड कमेटी कह रही है कि राजस्थान ने जो कदम उठाये हैं, वे अन्य राज्यों को उठाने चाहिए। यह काम्प्लीमेंट है मेरी राजस्थान सरकार को। इस पालिसी के अन्तर्गत भी हम लोगों ने प्रयास किया था।

इसी प्रकार से सैक्रेटरी माइन्स जो भारत सरकार के हैं, उन्होंने भी सेक्रेटरी माइन्स को काम्प्लिमेंट देते हुए कहा कि ऐसी पालिसी जो है, "Hon'ble Secretary complimented the State Mines Department for amending their Mines & Minerals Rules, as per the directions of the Hon'ble Supreme Court within time in making provisions of environment management and plan at par and as an environment clearance and cluster of mines. Hon'ble Secretary is directed to send a copy of amendment Rules so that, it can be circulated to all the other States also, treating it as a model Rules."

यह मैं इसलिए कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी इतनी शानदार पालिसी थी, अन्फाच्र्यूनेटली जो मुद्दा उठा उस वक्त में, एक तरफ मुद्दा उठा, एक तरफ हमने उसका खंडन किया कि जो प्रोसीजर हमने किया था वह पारदर्शी था। रीको का एरिया हमने खुद ने 2002 या 2003 में स्थापित किया था, 2001 से प्रयास करते-करते 2003 में एस्टेब्लिश हुआ। उस

(श्री अशोक गहलोत)

समय लोग प्लाट लेने को तैयार नहीं थे। जाकर घर पर रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि आप एक प्लाट लो, दो प्लाट लो, इस ढंग से। पहली राजस्थान की स्टोन कटिंग, मार्बल की तरह टाइल्स बनाने की फैक्टरी लगाने की बात थी, उसमें लगनी शुरू हुई, लगती गयी। आठ-दस साल लगे उसके अन्दर। उसके बाद में उनकी मांग रही कि रॉ मैटेरियल इतना महंगा हो गया है क्योंकि टाइल्स ज्यादा महंगी बिकने लग गयीं, हमारी अपनी माइन्स होनी चाहिए।

माइन्स पालिसी में पांच हैक्टेअर से कम दे नहीं सकते आप। आपके वक्त में यह नोटिफिकेशन विथड्रा हुआ था। उसके बाद में यह हुआ कि अगर जमीन नहीं है तो आप दे सकते हो, पांच से कम दे सकते हो। इसलिए, वरना कैबिनेट तक आने की जरूरत ही नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, वह डिपार्टमेंट खुद ही दे सकते थे पांच हैक्टेयर में मांगते तो, पर क्योंकि उन्होंने एक हेक्टेयर मांगी, एक हैक्टेयर सुप्रीम कोर्ट के जो निर्देश थे, उसके बाद में देना बंद हो गया था। उसके बाद में एक हैक्टेयर देने की जब बात आयी, तब जाकर यह नौबत आयी कि, पांच एकड़, पच्चीस एकड़ नहीं मांग रहे थे, बल्कि उनकी हैसियत नहीं थी। पांच एकड़ का मतलब है कि ढाई लाख रुपये डैड रेंट होता, एक हैक्टेयर का मतलब पचास हजार रुपये डैड रेंट होता, एक हैक्टेयर का ही उन्होंने आग्रह कर रखा था, एप्लाई कर रखा था। सरकार ने तय किया कि रीको का जो एरिया है, उसके अन्दर जो भी लोग हैं, चाहे कोई भी लोग हों, उन सबको दे दिया जाए। वह हमारी कैबिनेट का फैसला हुआ, रूल्स 65 में शिथिलन दिया गया, एक हैक्टेयर की जितनी भी वहां पर इकाइयां लगी हुई हैं, या निर्माणाधीन हैं, उन सबको दे दिया जाए, रीको के एरिया वालो को दिया जाए सिर्फ। उसका कम्पन किया गया।

यह फैसला होने के बाद में, इलाके के अन्दर आक्रोश पैदा हुआ, मेरे प्रति भी। मुझे कहा गया, जब मैं गया जोधपुर में, मुझे ज्ञापन दिये गये कि साहब, खाली आप रीको के एरिया को ही क्यों दे रहे हो? हम लोग अपनी माइन्स में काम कर रहे हैं, अपने गांव में काम कर रहे हैं उनको मिलनी चाहिए।

जब मेरे पास यह मामला आया, तो नवम्बर में तो कैबिनेट में निर्णय हुआ और 29 दिसम्बर को मैं गया तो मैंने उसी दिन इस पर रोक लगा दी कि रोक दो और यह प्रयास करो कि वास्तव में यह बाकी लोगों को मिल

(श्री अशोक गहलोत)

सकता है क्या। उस दिन से आज तक किसी को भी, एक भी व्यक्ति को, पट्टा या लीज किसी को नहीं मिली है। उस दिन से रोक लगी हुई है। लैटर आफ इंटेंट ग्यारह लोगों को मिले थे, वे भी रुक गये थे उस वक्त में और इसके अलावा, प्रोसेस भी होता है, करीब साल-छह महीने लगते हैं, क्योंकि पर्यावरण की स्वीकृति है, आजकल नया क्लस्टर बनाओ, उसके बाद में क्लस्टर बनाकर सोसाइटी बनाओ, फिर एप्लाई करो, फिर प्रोसेस पूरा करो, फिर माइनिंग प्लांट दो। यूं करके साल-डेढ़ साल लगता है, वैसे ही लगता है।

अभी तक एक भी व्यक्ति को वहां ना पट्टा, ना लीज दी गयी है, परन्तु किसी रिलेटिव का नाम जब आता है, किसी व्यक्ति के बारे में आए तो एक आदमी को लगता है कि जब मेरे खुद के ऊपर ही आक्षेप लग रहा है तो मुझे स्पष्टीकरण देना चाहिए। तो इसलिए नौबत आयी कि मैं आपको सब बात बताऊं।

अब मैंने निर्णय किया है, जो पालिसी हमने बनाई है, जिसको मैंने कहा कि पूरे कंट्री में उसकी तारीफ हो रही है, उस पालिसी में हमने कहा था कि जबसे पालिसी बनी है, उस तारीख से पहले, 27 नवम्बर तक, 28 जनवरी 2011 को पालिसी बनी, उसके पहले जो हैं उनको पट्टे पहले जो सिस्टम था उससे मिलेंगे, क्योंकि पहले लोगों ने एप्लाई किया हुआ, हजार लोगों ने और पालिसी लागू होने के बाद में जो नया सिस्टम हुआ, उसमें मैंने बताया, पचास परसेंट तो आरक्षण, जो मैंने बताया है आपको, कैटेगरी और पचास परसेंट ओपन मार्केट में वह आक्शन से होगा। कहने का मतलब, जो रिजर्व कैटेगरी है, वह तो एस सी, एस टी, मजदूर, आर्मी, वगैरह, जो भी हैं, वह तो होगा लाटरी से होगा, उनका तो; बाकी पचास परसेंट लोग हैं उनका आक्शन होगा। यह सबके लिए हो गया, राजस्थान के अन्दर हो चुका है। उस तारीख के पहले जो थे, जिसमें मुकदमा बुजाड़ वाला भी चला था, आपके वक्त में जो अलाटमेंट किये गये थे, वे भी चल रहे थे, उन तमाम लोगों को पहले के हिसाब से ही प्रोसेस करके दिया जाएगा। यह चल रहा था। उसी के अन्तर्गत जब उनको पांच हैक्टेयर की बजाय एक एकड़ मांगा तो उनको कैबिनेट में आना पड़ा।

लब्बोलबाब में मैं यह भी कहना चाहूंगा क्योंकि जो मैंने आपको पहले

(श्री अशोक गहलोत)

भी निवेदन किया कि यू पी ए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने एज ए कांग्रेस प्रेसिडेंट बुराड़ी में जो घोषणा कर रखी थी, बाद में हम सबको आदेश दिये जो चीफ मिनिस्टर थे, कण्ट्री कांग्रेस ने रिसीट की, आपके जितने भी डिस्क्रिशनरी पावर हैं, मुख्य मंत्री के हैं चाहे वह मंत्री के हैं, सारे विवेकाधिकार जो आपके पास में हैं वे सब समाप्त कर दीजिये और कैबिनेट में वैस्ट कर दीजियेगा। इसीलिये वरना यह तो डिपार्टमेंट का काम था, कैबिनेट में आता ही नहीं। हम लोगों ने उसको कैबिनेट में इसलिए लाये क्योंकि सारे विवेकाधिकार मंत्री के, मुख्य मंत्री के समाप्त हो चुके हैं राजस्थान के अन्दर। बल्कि हमने तो प्रोपर्टी और लायबिलिटी भी, आपको मालूम है, वेबसाइट पर डाल रखी है अधिकारियों की और मंत्रियों की। वह भी उनका निर्देश था। तो ट्रांसपेरेंसी से हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, वह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं।

इस प्रकार से हमने यह फैसला करने का प्रयास किया। अब यह जब फैसला हो गया, इसलिए वह कैबिनेट में मामला आया था। अब जाकर यह बात आगे बढ़ी और यह फैसला आया है हाई कोर्ट का, उसके अन्दर उन्होंने कहा है कि आप ऐसा कीजिये बजाय इसके कि आप पहले की एप्लिकेशंस को पहले के सिस्टम से चलाएं, आपके वक्त में जो लागू हुई थी नीति, या जो घोषणाएं हुई थीं, या जो पट्टे मिल गये थे, प्रोसेस हुआ था, आदेश हुए थे माइनिंग देने वालों को, उसमें लिमिट पांच, एक या चार, जो भी है वह उन्होंने खारिज कर दिया। खारिज करने के बाद उन्होंने कह दिया कि आप सबके लिए अब भविष्य में अच्छा रहेगा कि जो नीति आपकी खुद की बनी हुई है, वह इतनी एप्रिशिएट हो रही है सब जगह, माननीय न्यायालय ने भी कहा कि आप उसके आधार पर डेलीगेट करें; उसका नाप-तौल करें और डि-मार्केशन करें; उसके बाद आप उस सिस्टम को लागू करें, जो मैंने निवेदन किया अभी नयी नीति का। यह मैंने निर्देश दिये हैं।

हमारे सामने एक ही बात आती है कि इस पर, या तो, क्योंकि हजार लोग एप्लाई किये हुए हैं, प्रोसेस चल रहा होगा, कई लोगों को मिल गया होगा; मिलने वालों का तो हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि पट्टे मिल गये होंगे, पर पूरे प्रदेश के अन्दर कई लोगों को पट्टे नहीं मिले, प्रक्रिया में होंगे, तो हमने तय किया कि बजाय इसके, क्योंकि मण्डोर क्षेत्र भी अब आ रहा है, जैसा मैंने कहा कि किसी को पट्टे नहीं मिले, लीज नहीं मिली वहां पर;

(श्री अशोक गहलोत)

तमाम राजस्थान के अन्दर हम चाहेंगे कि हाई कोर्ट का जो जजमेंट है, हमारी जो नीति है ट्रांसपेरेंसी की, उसी पर उन्होंने मोहर लगायी है, उसका हम स्वागत करेंगे और इसकी डबल बैंच में अपील नहीं करेंगे। यह मैं घोषणा करना चाहता हूं। (व्यवधान) बजाओ। ताली बजाओ अब तो। इस पर तो आप कम से कम एप्रिशिएट करो कि आपका जो सुझाव था, आपने भी अध्यक्ष महोदय को यह कहा है कि हाई कोर्ट का यह फैसला भी आया हुआ है, जब फैसला है और मैं घोषणा कर रहा हूं, इस फैसले को हम मानेंगे, हाई कोर्ट के फैसले को। उसके अन्दर जो भी माइंस, आज के बाद में कैबिनेट में हम जाकर जो प्रक्रिया है, वह पूरी करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो और मैं घोषणा कर रहा हूं, कोई भी माइंस, राजस्थान के अन्दर पट्टे नहीं मिले हैं, लीज नहीं मिली, उन सबको किसी को लीज नहीं दी जायेगी, पट्टा नहीं दिया जायेगा। सबके लिए अब आज के बाद में हाई कोर्ट के नियमों को ही लागू किया जायेगा। यह मैं घोषणा करना चाहंता हूं।

इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए, मैं और कहना चाहूंगा कि यह जो रूल 65 है जिसके अन्तर्गत अधिकार है सरकार को, पहले मंत्रीजी को थे, अब कैबिनेट को आ गये, मैं यह कहना चाहूंगा, कोई रेअर केस का मैं कह नहीं सकता, क्या उसका कानूनी रूप ले सकता है, परन्तु प्राइमोफेसी जो आज तक गवर्नमेंट, चाहे भैरोंसिंह शेखावत साहब की थी, चाहे मैं सरकार में आया होऊंगा, चाहे मेरे से पहले वाली सरकार आपकी थी, या यह सरकार होगी, तमाम वक्त में रूल 65 के अन्तर्गत माइंस अलाटमेंट होता है; मैं घोषणा करना चाहूंगा कि हम 65 रूल को खतम करेंगे। यह मैं कहना चाहूंगा।

इस रूप में, मैं कह सकता हूं कि ट्रांसपेरेंसी का एक नया चैप्टर शुरू होना चाहिये और ऐसा माइनिंग डिपार्टमेंट है जहां आप देखते हो कि क्या हालत है। वहां का चपरासी और क्लर्क वहीं बता देगा कि किसको कहां माइंस लगानी है, कहां माइंस मिलनी है, कैसे मिलनी है। वह गाइड वही करता रहा है, आज तक। इल्लीगल माइनिंग होती है, माइनिंग माफिया पैदा होते हैं, रायल्टी माफिया पैदा होते हैं और राजस्थान के अन्दर माहौल खराब होता है। मैं समझता हूं, नयी नीति से, नयी घोषणा से आने वाले वक्त के अन्दर राजस्थान का माहौल प्रेम का, मोहब्बत का, भाईचारे का बने, यह हम सबका प्रयास होना चाहिये। इसी रूप में मैं इसको आपके सामने रखना चाहता था, जो मैंने रखा।

(श्री अशोक गहलोत)

मैं आपका आभारी हूं, कम से कम, आज, पता नहीं, आपने क्या जादू कर रखा है, नेता प्रतिपक्ष महोदय, आज पूरा हाउस इस रूप में अपने सदन के नेता को सुन रहा है। मैं इसको बहुत बड़ी कृपा मानता हूं, आप सबकी। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। आभार प्रकट करना चाहता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि...(व्यवधान) माननीय सदस्य, आसन पांवों पर है।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार।

खण्ड 2 एवं 3 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया गया।

श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक का पारण

राजस्थान विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 2013

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2013 को पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष: यदि कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें, तो उन्हें अनुमति दी जायेगी।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री महोदय से एक पीड़ा को व्यक्त करने का मन है कि हमारा जो पशु चारा है, राजस्थान में वह बहुत ज्यादा महंगाइयों को छू रहा है और ईंट-भट्ठों में जलाया जा रहा है। उसके ऊपर रोक लगा दो, साहब। बहुत ज्यादा संकट हो रहा है। बहुत ज्यादा भाव बढ़ रहे हैं। यह तो कर ही दो आज।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): कोई रास्ता निकालेंगे। जो आपने भावना प्रकट की है, वह हमारे अभी कई साधु-सन्त आये थे जयपुर में, उन्होंने भी यही भावना रखी थी मेरे सामने। हमने गायों के लिये अलग से डायरेक्ट्रेट बना दिया है। हम चाहेंगे कि गाय बचनी चाहिये राजस्थान के अन्दर, गौशालाओं की तकलीफ दूर होनी चाहिये। उसका हम रास्ता निकालेंगे।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): उसके लिए तो बहुत-बहुत आभार लेकिन पशु चारे को ईंट-भट्ठों में मत जलने दो। यह पशुओं के खाने की चीज है। इतना थोड़ा कर दो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक साथ सब लोग नहीं। कृपया आप विराजें।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की भर्ती की भी जांच के निर्देश आप जारी कराएं।

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): आपने उस दिन भी कहा, उस दिन भी आप बोल रहे थे। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि हाई कोर्ट में, मैंने सुना कि मामला सब-जुडिस है। आप दिखवा दीजिये। आप मुझसे बात कीजिये, क्या शिकायत है। मैं उसको देखूंगा, क्या कर सकता हूं।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): मैं तो एक लाइन में ही अर्ज करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं तो सदन के नेता से एक ही निवेदन करूंगा कि शहरों में स्वाइन फ्लू, वगैरह का खूब हुआ है। आपके सिटी में सैटेलाइट हास्पिटल्स नहीं खोले जा रहे हैं पिछले 4 वर्षों में। उससे पहले 5 वर्षों में भी नहीं खोले। झोटवाड़ा की कंसंट्रेशन आफ पापुलेशन चारदीवारी की कंसंट्रेशन से सिर्फ 2 हजार पापूलेशन कम है, प्रति स्क्वायर किलोमीटर। झोटवाड़ा में अगर आप खुलवा देते, मैंने कई बार आपको पत्र भी लिखा है लेकिन वह पेंडिंग रहा है पिछले 2 वर्षों से। यह खोलेंगे तो जनता की तरफ से आभार प्रकट करूंगा।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2013 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2013 को पारित किया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान वित्त विधेयक, 2013

प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार ।

खण्ड 2 से 16 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 16 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 16 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन, सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया गया।

प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक का पारण

श्री अशोक गहलोत (मुख्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2013 को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: यदि कोई माननीय सदस्य बोलना चाहें?

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ा व्यथित हूं कि मुझे आज अनुमति नहीं दी गयी वित्त विधेयक पर। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विराजें। उनको बोलने दीजिये।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): वह तो पहले बोल चुके, फिर उनको अनुमति दे दी।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट में घोषणा की थी कोटा में ट्रिपल आई टी की, मेरा आपसे अनुरोध है कि वह ट्रिपल आई टी की घोषणा आपके कार्यकाल में पूरी हो जाये।

दूसरा, कोटा का मेडिकल कालेज, जो अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से आग्रह करूंगा कि उस मेडिकल कालेज के लिए स्पेशल बजट दें ताकि हाड़ौती सम्भाग को लाभ मिले। कृषि विश्वविद्यालय जो आपने खोला है, उसके लिए भी पर्याप्त बजट दें, नहीं तो घोषणा ही रह जायेगी पहले के विश्वविद्यालय की तरह।

श्री अध्यक्ष: श्री विट्ठल शंकर अवस्थी।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहता हूं कि राजस्थान में जो पुजारियों का मसला है, उनकी जमीनें मूर्ति के नाम से होने पर वे सारे पुजारी आज भूखों मरने के कगार पर हैं। वह जमीनें उन पुजारियों के नाम की जायें जिससे उनकी रोजी-रोटी का प्रबंध हो सके।

श्री अध्यक्ष: श्री अर्जुन लाल।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): मुख्य मंत्रीजी ने बजट भाषण के पेज नम्बर 87 पर खण्ड 252 में पीपाड़ शहर में एस डी ओ हैडक्वार्टर खोलने के लिए घोषणा की है, जबकि 1998 से पीपाड़ शहर में एस डी ओ कार्यालय चल रहा है, और अभी घोषणा और हो गयी।

दूसरा, 2011-12 में आपने मेगा हाइवे के रूप में पीपाड़ शहर से खारिया रोड को स्वीकृत किया है और अभी आपने और घोषणा की है कि उसका हम नवीनीकरण करेंगे। इसमें मेरा निवेदन है कि पीपाड़ शहर की जगह बिलाड़ा को, जहां पर तहसील मुख्यालय रियासत काल से है, वहां पर अभी तक एस डी ओ हैडक्वार्टर नहीं खोला है। बिलाड़ा के लिए इसी बजट में आप घोषणा करावें।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती कमसा मेघवाल।

श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने जो घोषणा की बी पी एल महिलाओं को साड़ियां

(श्री कमसा मेघवाल)

देने की, मैं उसमें यह चाहती हूं कि उनको साड़ियां नहीं देकर सिलाई मशीन दी जायें ताकि वे अपना रोजगार चालू कर सकें।

मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि विधायक कोष से जो हम पैसा देते हैं, मैंने कस्तूरबा गांधी स्कूल, जहां बच्चियां पढ़ रही हैं, वहां पर मैंने वाटर कूलर और गीजर के लिए कलक्टर महोदय को लिखा। यह भी राइडर हटा दें कि जहां बालिका स्कूल हैं, वहां विधायक कोष से हम वाटर कूलर, गीजर दे सकें; जहां भी बालिका स्कूल हैं, वहां हम विधायक कोष से पैसे दे सकें।

श्री अध्यक्ष: श्री केसाराम चौधरी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी कि किसानों को हम 8 घंटे बिजली देंगे। अभी घोषणा भी की है कि बिजली इतनी ज्यादा पैदा कर दी है। बिजली पैदा करना तो बहुत ज्यादा बता रहे हैं, मगर किसानों को 8 घंटे बिजली देने का जो वादा किया है, वह 8 घंटे बिजली देने की आप घोषणा करावें।

श्री अध्यक्ष: श्री मोहनलाल गुप्ता।

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि शहर में जो बेरोजगार युवक हैं, उनके लिए कोई रोजगार की योजना की घोषणा करें, या उनको बेरोजगारी भत्ता दें। आज शहरों में जिस प्रकार से बेरोजगारी हो गयी, उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। जयपुर में तो जवाहरात के जितने कारीगर हैं, वे सारे बेकार हो गये, सारा धंधा चौपट पड़ा है। उसी के साथ-साथ हैंडीक्राफ्ट के सारे कारीगर बेकार हो गये। उनकी आंखों में आंसू हैं। उनका दुःख-दर्द देखा नहीं जाता है। आप कृपया करके इन शहरी बेरोजगार युवकों के लिए कुछ न कुछ रोजगार देने की घोषणा करें और जो पढ़े-लिखे बेरोजगार लोग हैं, उनको भी भत्ता देने की घोषणा करें।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती संजना आगरी।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी को निवेदन करती हूं कि सोजत विधान सभा क्षेत्र में 2,800 से 3,200 टी डी एस फ्लोराइड-युक्त पानी है। अभी जो काम चल रहा है, वह मात्र तीन किलोमीटर की दूरी में बंद है। वह जो काम बंद पड़ा है, उसको अतिशीघ्र आप पूरा करावें।

(श्रीमती संजना आगरी)

इसके साथ ही एक और निवेदन करती हूं कि सोजत सिटी का राजकीय चिकित्सालय नेशनल हाइवे 14 के ऊपर स्थित है। आज की तारीख में उस हास्पिटल के अन्दर मात्र 9 डाक्टर हैं और 40 पोस्टें हैं। वहां की सीटी स्कैन मशीन, जो कि ताले के अन्दर बंद पड़ी है, वह आप शुरू करायें। उसके साथ ही एनेस्थेशिया और रेडियोलोजिस्ट डाक्टर जैसे महत्वपूर्ण पद हैं, उनकी नियुक्ति करावें।

श्री अध्यक्ष: मैंने आपको अलाउ नहीं किया है। अलाउ नहीं किया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, शायद आसन को यह स्मरण नहीं रहा है कि एप्रोप्रिएशन बिल पास हो चुका है, यह फाइनेंस बिल है।

श्री अध्यक्ष: मैं क्या करूं, हाथ खड़े कर रहे हैं?

प्रश्न यह है कि राजस्थान वित्त विधेयक, 2013 को पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

राजस्थान वित्त विधेयक, 2013 को पारित किया गया।

राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, 2012 । श्री परसादी लाल जी मीणा।

विधेयक पर विचार

राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, 2012

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, यह प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री अध्यक्ष: विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने हेतु संशोधन।

श्री गुलाब चन्द कटारिया। आप बोलेंगे?

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी बैठे हैं, एक लाइन की प्रार्थना है। मैं निर्दलीय हूं, जूनियर भी हूं, सीनियर बनूंगा भी नहीं। सुनो, मुख्य मंत्रीजी, एक मिनट।

(18.25 बजे)

(श्री रामनारायण मीणा, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री उपाध्यक्ष: राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक पर हो रहा है। बोलेंगे आप? राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक पर बोलेंगे आप?

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट सुनना।

श्री उपाध्यक्ष: आपने दे रखा है।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): मेरी प्रार्थना यह है कि 200 सदस्य हैं, यदि एक भी मना कर दे तो मान्य मत करना।

श्री उपाध्यक्ष: श्री ओम बिरला। राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक पर।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): नहीं, ओम बिरला जी तो बोल लिये। दूसरे ही विधेयक पर तो बोल रहा हूं। आज के बाद परमिशन भी क्या करेगी, नहीं बोलने दोगे तो? सुनो, मेरी बात। उपाध्यक्ष महोदय, हम बड़े समझदार शिष्य रहे हैं आपके यहां पर, एक लाइन बोलनी है।

श्री उपाध्यक्ष: श्री ओम बिरला। इनके बाद में। इनके बाद में। बिरला जी खड़े हो गये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, 2012 जो राजस्थान वन अधिनियम, 1993 को संशोधित करने के लिए लाया गया है, शायद सरकार का इस बिल को लाने के पीछे उद्देश्य वनों के अन्दर अवैध कटाई और अंधाधुंध वन माफियों को नियंत्रित करने का था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, हाउस को आर्डर में लाओ। आप देखो, मंत्री महोदय और माननीय सदस्यगण। कुछ तो डेकोरम रहेगा हाउस का। एक सदस्य अपनी बात कह रहे हैं। आप इधर देखिये।

श्री उपाध्यक्ष: आप तो बोलें। (व्यवधान) हां, हां, आप बोलिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): क्या बात करें? (व्यवधान) बिलकुल सब्जी मंडी बना हुआ है हाउस। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजें। विराजें, मंत्रीजी। माननीय मंत्रीजी, इतनी देर तक खड़े नहीं होते हैं।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): इस प्रस्तावित अधिनियम में धारा 33 के अन्दर जो संशोधन किया जा रहा है, गरीब आदिवासी, मजदूर व्यक्ति

(श्री ओम बिरला)

जो गांव के अन्दर, गठरी में लेकर अपनी आजीविका चलाते थे, उनके जुर्माने की राशि को 500 से बढ़ाकर 500 गुणा अधिक, 25 हजार जुर्माना राशि तय की है।

उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा का प्रत्येक सदस्य जानता है कि राजस्थान में अभी भी बहुत बड़ी संख्या में लाखों लोग वन भूमि पर रहते हैं और उनके जीवन जीने का और आजीविका का साधन केवल वे जंगल हुआ करते थे। अब जब सरकार उन गरीब आदिवासी लोगों के लिए, जो कभी गोंद के माध्यम से अपना जीवन चलाते थे, कभी तेंदू पत्ता के माध्यम से जीवन चलाते थे, वनों के अन्दर छोटी-छोटी उपजाऊ औषधियों के माध्यम से अपना जीवन चलाते थे और अपना जीवन यापन करते थे, आज इस बिल के माध्यम से सरकार ने उनकी आजीविका का कोई साधन नहीं किया। एक तरफ सरकार, यू पी ए की चेयरपर्सन, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद द्वारा वनों में रहने वाले लोगों हेतु वन की सुरक्षा और जीविका के साधन के लिए जब कानून बनाये जा रहे हैं, बड़े-बड़े संशोधन करके उनके जीवन स्तर को, जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है, वहां पर इस अधिनियम के अन्दर सबसे बड़ा कुठाराघात होगा उन लोगों के लिए जो बहुत गरीब हैं, आदिवासी हैं, बी पी एल हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ भू-माफिया जो गाड़ी से जंगल को काटता है और ट्रकों में लाता है, जो जंगल की लकड़ी काट कर कोयला बनाता है और जंगल में माफिया की तरह काम करता है, उसके लिए जुर्माना, और वह गरीब व्यक्ति जो माथे पर लेकर चलता हो, महिला जिसके पैर में चप्पल नहीं होती, तन पर कपड़ा नहीं होता; उस महिला का जुर्माना और उस माफिया का जुर्माना एक लाइन में कर दिया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, जो लोग जंगल के अन्दर अवैध शिकार करते हैं, जो जंगल के अन्दर शिकार के माध्यम से अपने शौक करते हैं और इतना ही नहीं, राजस्थान के अन्दर ऐसे कई केस भी हुए हैं, जंगल में शिकार करना, जंगली जीवों के खाने में विषैले पदार्थ मिलाना और उनके जीवन के साथ खेलना, उनका भी इसमें जुर्माना केवल पांच सौ रुपये रखा गया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार चाहे जाते-जाते बिल लाना चाहती

(श्री ओम बिरला)

है लेकिन बिल के पीछे किन लोगों पर कुठाराघात करना चाहती है, यह चिंता का विषय है। इसलिए एक गरीब व्यक्ति ...(व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, या तो मत बोलो। इतना महत्वपूर्ण मामला है। एक गरीब महिला पैदल चलती है, उसका जुर्माना उतना ही और गाड़ी में जो चलता है, उसका जुर्माना भी उतना ही। सरकार इतनी अंधी हो जाये, पढ़कर नहीं बनाये कानून। कानून किसके लिए बना रही है?

श्री उपाध्यक्ष: 'अंधा' शब्द।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): हां, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार अंधी है। मेरा दावा है, अगर उन्होंने उस गरीब के दर्द को देखा होता तो शायद इस कानून को बनाने के पहले विचार करते। जो छोटे-छोटे मवेशी चराते हैं गांवों के अन्दर, जो जंगल-बीहड़ों में रहते हैं, उन पर भी 25 हजार रुपये का जुर्माना कर दिया! हमारी चिंता है, जंगल कटना रुकना चाहिये, पर उस माफिया के खिलाफ 25 हजार की जगह 5 लाख रुपये रखते तो मैं विधान सभा के अन्दर नहीं बोलता लेकिन इस कानून के अन्दर जो संशोधन लाया गया है, माननीय वन मंत्रीजी, आप तो गांव और जंगल से आते हो, मैंने कोटा के नजदीक देखा है, नदी के उस पार जिस हालत को देखता हूं, उस गहरी नदी को पार करके एक वह महिला जंगल से आती है, मैंने उसके दर्द को नजदीक से देखा है। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार बहुमत के आधार पर बिल पास करा ले लेकिन इस बिल के माध्यम से उस गरीब व्यक्ति पर बहुत बड़ा कुठाराघात होगा जो जंगल के अन्दर दो-चार पशु चराता है या वह माथे पर बोझ रखने वाली महिला-पुरुष जो साधन से नहीं चलते, उनके जुर्माने की एक राशि!

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राशि के साथ, इतना ही नहीं है, इसमें एक और संशोधन किया गया है कि सर्च वारंट लेकर किसी के भी घर कोई भी फोरेस्टर, रेंजर जा सकता है, किसी की सर्च ले सकता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज भी गांवों में चले जाओ, जिस तरीके से फोरेस्ट विभाग के इन रेंजरों से लेकर फोरेस्ट गार्ड गांव वालों के साथ इन्जस्टिस करते हैं, कई केस आपके सामने भी आते होंगे।

श्री उपाध्यक्ष: कभी कोई नहीं आया। यूं मत कहो। आप अपने ज्ञान की बात करिये।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए कानून ऐसा होना चाहिए, जो कानून का पालन करने वाले लोग हैं वे ठीक से कानून का पालन कर सकें। अगर हम इस विधेयक के माध्यम से उनको इतने अधिकार-सम्पन्न बना देंगे तो वह कानून के नाम पर लोगों के साथ लूट करेंगे, लोगों के साथ अन्याय करेंगे। गरीब गांव वालों के यहां पर सर्च के नाम से रात के अंधेरे के अन्दर जायेंगे और जिस तरीके से बदमाशी गांव के अन्दर होगी, उसका दर्द और चीत्कार इस राजस्थान की विधान सभा के दरवाजों तक नहीं आयेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मेरा सरकार से निवेदन है कि यह जो बिल जाया जा रहा है, या तो इस बिल में मुझे स्पष्ट कर दें कि क्या वह मवेशी, वह आदिवासी, बी पी एल, गरीब व्यक्ति जो सिर पर बोझ लाते हैं और वाहनों से लाने वाला वह माफिया, उनको एक लाइन में माना गया है? तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शायद सरकार बिल को पास कराये लेकिन मेरी इस बिल में आपत्ति है, मैंने आपके माध्यम से सरकार के सामने अपनी आपत्ति दर्ज करा दी है।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री कैलाश चन्द भंसाली।

(अनुपस्थित)।

अब लाइन से अभी आ रहा है। आप विराजिये।

श्री पेमाराम। (व्यवधान) माननीय सदस्य, आप राजस्थान वन संशोधन विधेयक पर बोलना चाहते हैं क्या?...(व्यवधान) मैं आपको मौका दूंगा, जब पठन आयेगा। अभी आयेगा मौका।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): सेठजी कहता है, नौकरी से निकाल दूंगा; मैं खुद कहता हूं, छुट्टी कर दो।...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: बोलो। सब्जेक्ट है उसी पर बोलेंगे। आप पहलवानी में आ जाते हैं तो गड़बड़ हो जाती है।

श्री पेमाराम (धोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल के पीछे सरकार का जो मकसद है, वह ठीक है लेकिन मेरे कुछ सुझाव ऐसे हैं, जैसे वन भूमि है और वन भूमि में से कोई रास्ता गुजर रहा है, निश्चित रूप से पेड़ों की कटाई या माफिया को कंट्रोल करने के लिए बिल लाये होंगे पर आम रास्ता है, पीढ़ियों का रास्ता है, जहां पर जैसे कोई ग्रेवल, वगैरह भी हो गई और रास्ता हमारे जिले में भी टच करता है, ग्रेवल सड़क भी वहां गिर गई

(श्री पेमाराम)

आज। उस रास्ते पर, क्योंकि वहां कोई आने-जाने वाला राहगीर, मैं समझता हूं, कोई कब्जा करने या कोई वन को नुकसान करने के लिए नहीं आ रहा है। शायद बेहतर तो यह होता, इसमें यदि और संशोधन करते कि जो पीढियों से चला आ रहा है, आने-जाने का रास्ता, उसको भी इस बिल के साथ अमेंडमेंट में यह भी दर्ज कर लेते तो शायद और बेहतर रहता।

मुझे इसमें एक ही सुझाव देना है। यदि यह एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो मैं समझता हूं कि यह माफिया को रोकने के बजाय, इस बिल से माफिया ज्यादा बढ़ेगा। क्योंकि सरकार जब भी बिल लाती है, चाहे किसी भी प्रकार का कोई भी बिल लाये, वह बिल नया, सरकार माफिया की अपनी कारगुजारी करने के लिए ही, बिल के द्वारा गरीबों को रोका जाता है और बिल के द्वारा जो लुटेरे हैं उनको लूटने की, पूरी की पूरी, बिल की आड़ में छूट दी जाती है। मैं समझता हूं कि यदि गरीब के हक में यह नहीं होगा तो उस बिल का कोई मकसद नहीं। एक तरफ सरकार कहना तो यह चाह रही है कि वनों की सुरक्षा करने के लिए हम बिल ला रहे हैं, दूसरी तरफ वनों का जिस तरह से हो रहा है सर्व सत्यानाश, वह सर्व सत्यानाश भी करने वाला कोई है तो वह चाहे बिल है और इससे पहले जो कानून कायदे थे, उनकी आड़ में वह माफिया कर रहा है।

इसलिए मेरा सुझाव है, सरकार को चाहिए कि इनमें से जो रास्ते भी निकल रहे हैं, वे रास्ते भी इनमें करें।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

माननीय श्री अमराराम।

(अनुपस्थित)

डा. दिगम्बर सिंह।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री राजेन्द्र राठौड़। आप बोलेंगे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान वन संशोधन विधेयक, 2012, यह मूल जो अधिनियम है, 1953, उसमें सरकार संशोधन लेकर आई है। उपाध्यक्ष महोदय, जो संशोधन सरकार लेकर आई है...

श्री उपाध्यक्ष: स्टेज पर बुलवाऊंगा। है, स्टेज आने दो न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उसकी धारा 33 में वन अपराधों के बारे में ....

श्री उपाध्यक्ष: आप, देखिए, अपनी ताकत को खर्च मत करिए। आप अपनी एनर्जी को सुरक्षित रखिए।...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, अगर मेरी बात नहीं सुनें तो मैं बैठ जाऊं?

श्री उपाध्यक्ष: माननीय राजेन्द्र जी राठौड़ कह रहे हैं कि वे डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो मैं बैठ जाऊं?

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): उपाध्यक्ष महोदय, एक मेरी प्रार्थना है।

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। केवल राजेन्द्र जी राठौड़ का अंकित होगा।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल राजेन्द्र राठौड़।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप, माननीय सदस्य खड़े हैं, विघ्न मत करिए। इन्हीं का अंकित हो रहा है। ये खड़े हो गये थे, इनको इजाजत मिल गई थी। इनका अंकित होगा केवल।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल राजेन्द्र जी राठौड़ का अंकित होगा।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्तावित संशोधन है, यह राजस्थान वन अधिनियम, 1953 के मूल अधिनियम में सरकार संशोधन लेकर आई है। धारा 33 में संशोधन लेकर आई है कि वन अपराध कोई घटित हो जाएगा तो उसमें जुर्माना पांच सौ रुपये की जगह 25 हजार हो जाएगा। धारा 42 में यह संशोधन लेकर आई है कि धारा 41 के अधीन बनाये गये नियमों को भंग करने के लिए शास्ति 6 महीने का कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माना; धारा 51 के अन्दर भी आपने जुर्माने की राशि को बढ़ाया

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

है और धारा 52 में आपने वन उपज और वन विषयक अपराध के काम में आने वाली मशीनरी, औजार, आदि को वन अधिकारी या पुलिस अधिकारी, हैड कांस्टेबल के नीचे का नहीं हो, वह उसको सीज कर पाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह सब की मंशा है।

आज राजस्थान में ही नहीं, पूरे विश्व में इस बात की चिंता है कि हमारी वन सम्पदा लगातार घट रही है और इसी 21 तारीख को पूरे विश्व में विश्व वन दिवस मनाया था। आज सात अरब दुनिया के लोग, उनको प्राण वायु देने वाला वन संकट में है और इसी का परिणाम है, उपाध्यक्ष महोदय, ग्लोबल वार्मिंग जैसी बातें आज हमारे सामने आ रही हैं। यह वैज्ञानिकों का मत है कि हमारी जितनी जमीन है, उसका 1/3 हिस्सा वन होना चाहिए। हमारे देश में वन 23 परसेंट हैं परन्तु राजस्थान में 9 परसेंट हैं। उपाध्यक्ष महोदय, यह जो 9 परसेंट वन राजस्थान में हैं, यह वास्तव में, अभी मैं एक समाचार पत्र में जो रिमोट स्टडी है, उसमें पढ़ रहा था, यह 4.6 परसेंट हैं। 1951 में राजस्थान में वन 13.5 परसेंट थे, जो आज घट कर 4.6 परसेंट रह गये। हमारे सब की चिंता की बात है।

आप वन सम्पदा को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई आदमी अपराध कारित करता है, उसका जुर्माना बढ़ाएं, पर इसके साथ-साथ यह बात भी सोचनी चाहिए कि इसी राजस्थान के अन्दर आदिवासी क्षेत्र है, जिस आदिवासी क्षेत्र से आपके पड़ोस में बैठे हुए मंत्री महोदय आते हैं, इन आदिवासियों का जन्मजात सम्बन्ध है उस वन से। एक तरफ यह मांग उठ रही है कि उन आदिवासियों को उसी वन के अन्दर हम अधिकार पट्टा दें और दूसरी तरफ, मैंने पूरा यह एक्ट पढ़ा, पूरा कानून पढ़ा है, इसमें सही कह रहे थे कोटा दक्षिण से आने वाले माननीय सदस्य, आपने कहीं इसके अन्दर बाइफरकेशन नहीं किया। यह एक तो, उपाध्यक्ष महोदय, वन कट रहे हैं, बड़े-बड़े माफिया कोयला बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए और अपने दूसरे उपयोग के लिए गीली लकड़ियां रोज काटते हैं। एक तो वह माफिया है और एक वह गरीब है जिसका सम्बन्ध उस वन से है। अपनी बकरी लेकर जायेगा, अपनी गाय लेकर जायेगा और उसमें वन में चराई कर ली तो उससे भी वह अपराध कारित हो गया। उसकी सज़ा भी 25 हजार रुपये और जो माफिया है, उसकी सज़ा भी 25 हजार रुपये। मैं समझता हूं, मंत्री महोदय, आपको इस पर विचार करना चाहिए।

आज वन कट क्यों रहे हैं? जनसंख्या बढ़ रही है, विकास की दृष्टि से

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हम ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते हैं, उपाध्यक्ष महोदय, आप तो खुद बड़े चैतन्यशील हैं और आप जिस क्षेत्र से आते हैं, वहां वन क्षेत्र भी हैं, आज शहरों की पेरिफेरी में जो वन क्षेत्र आ गया, उस पर सबसे पहले अतिक्रमण हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह वनों की कटाई के लिए जो क्षतिपूर्ति पुन: पौधरोपण योजना है, आपकी डी डी पी योजना बनी, करोड़ों रुपया लगाया गया। आप मुझे बताएं कि वास्तविक रूप से क्या हम वन का संरक्षण कर पाये हैं? क्या आज बिगड़ता हुआ पर्यावरण हम सब के लिए चिंता का विषय नहीं है? क्या उस बात को हम भूल सकते हैं कि खेजड़ली गांव में अमृता देवी के नेतृत्व में कई लोग शहीद हो गये? और सिर सांठे रूख बचे तो सस्तो जाण, मतलब, अगर सिर कट जाए और रूख बच जाए तो भी सस्ता है।

आज आवश्यकता है, मंत्री महोदय, यह कानून बनाने के साथ, जुर्माना बढ़ाने से नहीं, लोगों को चैतन्य करने की जरूरत है, लोगों को जाग्रत करने की जरूरत है। फिर राजस्थान के अन्दर 'चिपको आंदोलन' जैसा कोई आंदोलन, जो उत्तराखण्ड में चला, फिर यहां किसी बहुगुणा की जरूरत है और उसके लिए कम से कम आपको इस बात पर विचार करना चाहिए। आज, उपाध्यक्ष महोदय, कपूर चन्द जी कुलिश की स्मृति में यहां जयपुर में एक वन है। क्या यह नहीं हो सकता, जिस तर्ज पर कपूर चन्द कुलिश की स्मृति में राजधानी में वन बन सकता है, क्या आज ग्राम पंचायत मुख्यालयों में वन नहीं बन सकता?

उपाध्यक्ष महोदय, जब हम पढ़ा करते थे, विद्यालय में थे, तो आठवां घंटा उद्योग का हुआ करता था और उसके अन्दर मुझे, वह समय याद आता है बचपन का, जब हमें यह कहा करते थे कि पांच पेड़, स्कूल की बाउंडरी के अन्दर, ये तुम्हारे हैं। उस विद्यार्थी का जुड़ाव उन पेड़ों से रहता था, वह उन पेड़ों का लालन-पालन करता था और जब अगली कक्षा में जाता था तब भी वह कहता कि ये पेड़ मैंने लगाये हैं। आज उसकी तरफ हम कोई देख नहीं रहे हैं।

आज हम इस तरह का संशोधन लाकर जुर्माना बढ़ा रहे हैं और जुर्माना बढ़ाने के साथ-साथ, इस पर तो विचार करें कि आज किस तरह का वन हमारे पास है। आज राजस्थान में जो वन हैं, मंत्री महोदय, 50 परसेंट वन मात्र कांटेदार झाड़ियों के अलावा, और कुछ नहीं है। आज जो आपके पास 4.6 परसेंट मात्र वन हैं, उसमें 38.16 परसेंट वन आरक्षित वन हैं और 53.3 परसेंट

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

संरक्षित वन हैं। आज राजस्थान के अन्दर इस क्षेत्र को नेग्लेक्ट किया जा रहा है।

मैं समझता हूं कि आज वह समय आ गया, संयुक्त राष्ट्र संघ में भी 2011 में अन्तरराष्ट्रीय वन वर्ष मनाया गया और ऐसे मौके पर आप कोई कानून लाते, प्रोग्रसिव कानून लाते, हम उसका स्वागत करते, पर आप धारा 33 में जुर्माना 25 हजार कर रहे हैं, पांच सौ का; धारा 42 के अन्दर आप 6 महीने का कारावास और 25 हजार रुपये का जुर्माना कर रहे हैं; धारा 51(2) में फिर पांच सौ से 25 हजार जुर्माना कर रहे हैं और धारा 60 के अन्दर राज्य सरकार द्वारा वन अपराध घटित होने पर सम्पति अधिग्रहण करने का भी अधिकार है। यानी, मुझसे अपराध हो गया, मेरे खिलाफ कोई आपने अपराध घटित होना प्रमाणित पाया, मेरी सम्पति का अधिग्रहण भी कर लोगे। यह धारा 60 में आपने प्रावधान किया है।

इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है मंत्री महोदय, यह आपका विषय नहीं है, आप तो स्टोपगेप अरैंजमेंट में हो, पर फिर भी आप सरकार के प्रतिनिधि हो, आप इस तरह के कानून लाकर, उन आदिवासियों को जिन आदिवासियों को लुभाने के लिए आपके पड़ोस में बैठे मंत्री कभी ढोल बजाते हैं, कभी आदिवासियों के साथ जुड़ने की बात कहते हैं, एक तरफ वह आदिवासी जिसका जीवन उस वन के साथ जुड़ा हुआ है, आप बाइफरकेट कीजिए, आप माफियाओं के खिलाफ 25 हजार के बजाय ढाई लाख करिए, हम स्वागत करेंगे, पर कम से कम इसके साथ-साथ, यह तो तय करें कि एक गरीब आदमी अगर बकरी लेकर चला गया, उससे भी वह अपराध कारित हो गया। यह काला कानून आप क्यों ला रहे हैं?

इसलिए मेरा सुझाव है, उपाध्यक्ष महोदय, इसको जन मत जानने हेतु परिचालित किया जाए। आदिवासी क्षेत्र में इसका जब विशेष तौर से पता लगेगा कि यह सरकार एक तरफ तो आदिवासियों की हिमायती होने का दावा करती है और दूसरी तरफ इस तरह का कानून ला रही है, वन सम्पदा के संरक्षण के नाम पर एक तरह से काला कानून है, यह जजिया कर लगाना चाहते हो। इसलिए हम इसका विरोध करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: हनुमानजी बहुत देर से परेशान हो रहे हैं। हनुमानजी, शांतिपूर्वक तरीके से एक मिनट में आप अपनी बात कह दीजिये।

सूचना

बाड़मेर में प्रस्तावित हरियाली भूमि के स्थान पर अन्य भूमि की अवाप्ति

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बाड़मेर के अन्दर अभी रिफाइनरी की घोषणा के बाद चार गांव हैं, लीलाणा, जांदुओं की ढाणी, मिट्या तथा सागर मोहणे की ढाणी, लीलसर की कुल दस हजार बीघा जमीन पूरी उपजाऊ है और इन चारों गांवों के इलाके में कोई सरकारी भूमि भी नहीं है। पिछले 14 दिन से बाड़मेर के अन्दर ये किसान आंदोलित हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, प्रत्येक किसान के पास 50 से 100 के बीच पशुधन हैं और इस क्षेत्र में पर्यावरण की दृष्टि से हरा-भरा क्षेत्र है और लाखों की तादाद में पुष्प रोहिड़ा व मरुस्थलीय तुलसी तथा हजारों दुर्लभ पेड़ यहां हैं। उपाध्यक्ष महोदय, एक माध्यमिक, चार उच्च प्राथमिक, चार प्राथमिक विद्यालय, सात देव मंदिर हैं और विषम परिस्थितियां होने पर स्थानीय काश्तकारों को इन सुविधाओं से वंचित होना पड़ेगा। उपाध्यक्ष महोदय, लोगों की आजीविका का साधन भी इसी उपजाऊ जमीन से है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि रिफाइनरी लग रही है, यह स्वागतयोग्य है, राजस्थान को लम्बे समय से रिफाइनरी की आवश्यकता भी थी लेकिन इस तरह उपजाऊ जमीन को बर्बाद करके और किसानों को बेघर करके नहीं। उसके बजाय, इन किसानों की मांग है कि पड़ोस के जो गांव, जहां पर चरागाह की और मरुस्थलीय जमीन पड़ी है, जो सरकारी जमीन है, वह ली जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। अब आपने इन्फार्मेशन दे दी, अब आप विराजो। धन्यवाद।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): लोग यह कह रहे हैं कि हम जमीन किसी भी कीमत पर नहीं देंगे, चाहे सरकार कुछ भी कर ले। उपाध्यक्ष महोदय, आप मंत्रीजी को फरमायें कि सरकार उनसे बात करे, सरकार का प्रतिनिधि किसानों से बात करे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आखिरी स्टेज आये, तब बोलना न आप।

माननीय मंत्रीजी। अब आप विराजें। केवल माननीय मंत्रीजी का

(श्री उपाध्यक्ष)

अंकित हो। (व्यवधान) वह स्टेज आयेगी उस पर बुला दूंगा। अभी इसी बिल की स्टेज आगे आ रही है। अभी इसी बिल की स्टेज आगे आएगी। माननीय सदस्य, आपको पांच साल हो गये हैं। (व्यवधान) केवल मंत्रीजी का।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजें, आपका अंकित नहीं हो रहा है। माननीय मंत्रीजी का ही अंकित होगा। विराजिये।

विधेयक पर विचार

राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, 2012

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, वनों को किस तरह सुरक्षित रखें, वन्य जीवों को किस तरह वहां पर संरक्षित रखें और वनों का विस्तार किस तरह अधिक से अधिक हो, वनों की सुरक्षा की बहुत बड़ी चिंता, समय-समय पर जब भी यह मामला उठा, चाहे इल्लीगल माइनिंग है, अवैध शिकार है, अवैध कटाई है, बहुत सारी शिकायतें माननीय सदस्यों की हैं और समय-समय पर मामले विधान सभा में उठे हैं। आपने चिंता व्यक्त की है कि आदिवासियों पर भी यह होगा, तो इसमें आदिवासियों की बात नहीं है। इसमें वनों को सुरक्षित रखने के लिए, आपको पता है कि अभी सरिस्का में टाइगर का शिकार नहीं किया, रणथम्भौर में नहीं किया?

अवैध, इल्लीगल माइनिंग कहां नहीं हो रही है? इन सब को अब तक केवल 500 रुपये जुर्माना था, जो बहुत कम था। उपाध्यक्ष महोदय, सभी धाराओं में 500 रुपये जुर्माना था और हमने उसको बढ़ाकर सिर्फ यह किया है कि 500 रुपये के जुर्माने की जगह 25,000 रुपये होगा। अगर वही व्यक्ति दुबारा अपराध करेगा तो उसकी राशि दुगुनी होगी।

इसमें हमने जिस व्यक्ति के खिलाफ होगा, उसको अपील करने का अधिकार दिया है। अपील के बाद, वह डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के न्यायालय में उसकी अपील कर सकता है। हमारा जो भी फोरेस्ट का अधिकारी उसकी अपील सुनेगा, उसके खिलाफ वहां डिस्ट्रिक्ट जज में कर सकता है। ऐसा नहीं है कि फोरेस्ट वालों ने कर दिया, वह ही फाइनल हो गया। इसमें हमने पूरा प्रावधान किया है।

अभी कह रहे थे कि बकरी चरायेगा, उस पर भी होगा, तो बकरी

(श्री परसादीलाल)

चराने का पहले एक्ट में आठ आना लिखा हुआ था, उसको एक रुपये किया है। यह 1953 का एक्ट था और पशुओं का भी था। इसलिए बकरी कोई चरायेगा और 10 बकरी चरायेगा तो दस रुपये लगेंगे। आप कह रहे हैं, 25,000 रुपये लगेंगे, यह हो जाएगा, वह हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप पूरे एक्ट को देखिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अगर कोई आदिवासी बिना अनुमति के अपने पशुओं के साथ वन क्षेत्र में चला तो अपराध कारित हो गया और 25,000 रुपये जुर्माना करना पड़ेगा।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): नहीं, नहीं, जितने पशुओं को ले जाएगा...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): फिर संशोधन मूव करो। मुझे बताओ कि कौनसे सेक्शन में लिखा है? उपाध्यक्ष महोदय, एग्जम्प्शन है तो बता दो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: वे जवाब दे रहे हैं न। आपने आब्जेक्शन कर दिया।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): दे रहा हूं न मैं। जितने पशु लेकर जाएगा, वन भूमि में कोई पशु चरायेगा, ऊंट चरायेगा, कोई गधे चरायेगा, कोई बकरी चरायेगा, कोई गाय चरायेगा तो उसकी अलग-अलग जुर्माना राशि है। जैसे ऊंट के लिए पहले दो रुपये थे....

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी, यह तो चरायी है। ये कह रहे हैं कि यह तो अनुमति वाली है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह तो चरायी है, अनुमति लेकर करेगा, वह है।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): अनुमति नहीं, जुर्माना है... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: पारण की स्टेज पर। अभी इनका नाम है। आपका पारण के स्टेज पर है और मैं बुलाऊंगा। पारण पर इसी पर बुलाऊंगा। आपको पता है, इनका नाम था।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): कोई वन विभाग का हमारा अधिकारी उस पर जुर्माना नहीं कर सकेगा।

श्री उपाध्यक्ष: इनका नाम था, इन्होंने प्रस्ताव मूव किया है, इसलिए ये ही बोलते। इसी पर आपको बुलाऊंगा, आगे बुलाऊंगा। आपको बुलाऊंगा, भाटी साहब को बुलाऊंगा।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय सदस्य, वन विभाग का अधिकारी सीधा जुर्माना नहीं कर सकेगा। उसको न्यायालय में सुनने का अधिकार होगा। कोई जानवर अवैध चरायेगा, उसमें अलग-अलग जानवरों की रेट दी है। (व्यवधान) यह नहीं कि एक बकरी ले गया, दस बकरी ले गया, उसके 50 हजार रुपये जुर्माना ठोक दिया। यह कहां लिखा है कानून में? ऐसा कुछ नहीं है। आप भ्रमित कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: चराई और उसमें अन्तर है।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से अभी कहा आदिवासियों का, आप खुद कभी-कभी कहते हैं कि इल्लीगल माइनिंग हो रही है, लार्ज स्केल पर हो रही है, भू-माफिया कर रहे हैं, खान माफिया कर रहे हैं और उनको पकड़ेंगे तो क्या है, आज 500 रुपये का जुर्माना लेकर छोड़ना पड़ेगा आपको। अब एक बार में आया तो 25 हजार रुपये जुर्माना होगा, दूसरी बार आया तो डबल राशि होगी।

इसलिए वनों को सुरक्षित रखने के लिए यह किया है। ये लोग शिकार करते हैं। नहीं करते क्या? आपको, हमको, सबको पता है। एक बार पकड़ा जाएगा तो 25 हजार होगा, दुबारा 50 हजार होगा। इसलिए इनकी जुर्माने की राशि बढ़ाई है। उपाध्यक्ष महोदय, पहले सिर्फ 500 रुपये जुर्माना था और छह मास का कारावास था, कारावास को हमने नहीं बढ़ाया है, जुर्माने की राशि बढ़ायी है ताकि वनों के लिए लोगों को यह तो होगा कि यदि मैं एक शिकार भी करूंगा तो उसका 25 हजार रुपये जुर्माना देना पड़ेगा।

इसलिए आपने जो शंकाएं व्यक्त की हैं, आदिवासियों को जिस तरह वन अधिकार में दिया है, उनको पट्टे देने का अधिकार दिया है। सेंटर ने जो आदिवासियों को वन भूमि में पट्टे देने का कानून पास किया है, उसमें कहीं कोई राज्य सरकार अतिक्रमण नहीं कर रही है। उनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे। आदिवासियों पर इससे कोई आंच नहीं आयेगी। इससे आंच आयेगी बड़े भू-माफियाओं को, बड़े खान माफियाओं को; जो अवैध शिकार करते हैं, उनको आंच आयेगी। उनको तो, निश्चित रूप से अगर हमको वन्य जीवों को, वनों को सुरक्षित रखना है और आप सब समय-समय पर चिंता करते हैं, देवीसिंह जी

(श्री परसादीलाल)

भाटी तो पशुओं तक की करते हैं, चारे के लिए करते हैं, तो इनकी सुरक्षा के लिए जुर्माना बढ़ाया है।

इसके अलावा, उसको अपील का अधिकार दिया है। पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुनता था, अब नीचे के मजिस्ट्रेट भी इसमें नियुक्त होंगे, जहां पर उनकी सुनवाई हो सके, जहां पर उनके साथ न्याय हो सके। कोई अन्याय करने का कहीं भी इस एक्ट में नहीं है और हमने केवल जुर्माना राशि बढ़ाकर, इसको और मजबूत करने का किया है जिससे खान माफियाओं से, शिकार माफियाओं से इसको बचाया जा सके।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, 2012 को जन मत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाये?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार ।

खण्ड 2 से 16 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 16 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 16 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया गया।

श्री परसादी लाल मीणा, प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान वन

(श्री उपाध्यक्ष)

(संशोधन) विधेयक, 2012 को पारित किया जाए। अभी प्रस्ताव करने के बाद में बुलाऊंगा।

(19.00 बजे)

विधेयक का पारण

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, 2012 को पारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष: प्रस्ताव करने के बाद बोलना। माननीय भाटी साहब। इनके बाद आप बोल लेना। इनके बाद में आपका है।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सलाह दूंगा जिससे रास्ता बने। राज्य सरकार की मंशा तो यूं ठीक लगती है कि वन सुरक्षित हों, वन्य जीव सुरक्षित हों। इसमें हम कानून से इसको बांध दें। उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री उपाध्यक्ष: मंशा की परिणति तो कानून में होती है ना।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): हां, हां, कानून नहीं है रास्ता। उपाध्यक्ष महोदय, आप तो सिर्फ एक ही उदाहरण देख लीजिये कि बीकानेर शहर के अन्दर हमारी 23,000 बीघा गोचर है जिसमें हमने 8,000 बीघा में सेवण घास लगा दी। हमने बाहर से जरूर तारबंदी की है। राज्य सरकार से एक पैसा नहीं लिया है, समाज के सहयोग से किया है। इसमें मुख्य मंत्री महोदय भी वहां देखने पधारे थे, हमारे गृह राज्य मंत्रीजी वहां उपस्थित थे, स्वामी रामदेवजी भी आये। सब देखकर यूं अचम्भित हो गये कि वन और चरागाहों की किस प्रकार से सुरक्षा होती है। वहां सारे तो पेड़ हमारे लोकल स्पेसी हैं, खेजड़ी, जाल, कुमट, कैर, सारे पनप गये। वहां पर वन्य जीव इतने ज्यादा सुरक्षित हैं कि कोई भी वहां पहुंचकर शिकार नहीं कर सकता। जितने भी बड़े गिद्ध हैं, जो कहते हैं कि गायब हो गये, वे सारे आपको वहां मिलेंगे। बड़ी चीलें वहां पर, वहां पर हिरण, नील गाय, खरगोश, लोमड़ी, जितने तरह के और पक्षी वहां कलरव करते हैं।

उसका परिणाम यह आया है कि हमारे वहां पर, जो हम प्रचार करते हैं ना, उद्योग लगाओ, औद्योगिकीकरण हो, जबकि गांधीजी ने तो यह कहा था

(श्री देवी सिंह भाटी)

औद्योगिकीकरण मानवता के लिए अभिशाप है। जहां कहीं फैक्टरी लगी, भिवाड़ी की हालत सबने देखी है, वहां एक कारखाने में 20 आदमियों को लगाते हैं। आप कहते हैं कि हमने मजदूरी दे दी। यह कोई मजदूरी नहीं है, उसको तो मारने का एक मीठा जहर है और वह 20-30 साल बाद में बीमार होकर मर जाता है और उसके बाद में परिवार का पता नहीं लगता।

हमारे उस बीकानेर के सरेनथानियान गोचर के अन्दर आप जाकर देखिये, जब वहां पर बेर आते हैं बेरियों के, जब सांगरी लगती है खेजड़ियों के, कैरों के कैर लगते हैं, सैकड़ों परिवार आसपास के गांवों से और शहर से लोग वहां आते हैं, औरतें, बच्चे और दूसरे आदमी आते हैं। एक हाथ में बड़े थैले और दूसरे हाथ में एक बड़ी बैंत होगी। वहां पर स्वच्छंदता से घूमते हैं और तड़ी मारकर, दो-चार घंटों के अन्दर, वह अपना सामान लेकर, समाज को तो स्वच्छ फल और सब्जी देते हैं और एक इज्जत का रोजगार, जिसके ऊपर कोई हंटरवाला नहीं, कोई उसके ऊपर मालिक नहीं और ऐसे स्वाभिमान के साथ वह रोजगार करता है, इज्जत के साथ रोजगार करता है।

यही एक तरीका है। जब तक हम समाज के ऊपर दायित्व नहीं देंगे, तब तक यह कानूनों से नहीं होगा। कहीं भी बता दीजिये, हिन्दुस्तान में कौनसा वन सुरक्षित है? और कहां वन्य जीव सुरक्षित हैं? नहीं हैं, लेकिन जहां समाज और गांव का कंट्रोल है...। यह दण्ड आप कितना ही लगा दो, माफिया के लिए 25,000 रुपये कोई मायने नहीं रखता और जो गरीब है, वह तो कहां से दे पायेगा? उसको तो फिर बरबाद ही होना है। आप सम्पत्ति को कुर्क करने की बात करते हो। सम्पत्ति क्या, एक है क्या वह जुर्म करने वाला? उसके बाप-दादे की सम्पत्ति है और उसको आप कुर्क कर रहे हो। मान लो, किसी एक ने अगर जुर्म कर भी दिया आपके कानून के अनुसार, तो उस पूरे परिवार को मत मारो।

मेरा यह अनुरोध है, उपाध्यक्ष महोदय, जब तक हम वनों का और वन्य जीव और जो भी इस प्रकार की हमारे समाज की सम्पत्ति है, धीरे-धीरे हम कानून से हटाकर उनको स्वामित्व दीजिये। ऐसा हमने सारी जगह किया है बीकानेर जिले में और बीकानेर शहर में हमने कम से कम ऐसे 24-25 हजार बीघा में सेवण घास लगा दी। वह पूरी सुरक्षित है। पूरे शहर के लिए आक्सीजन ऐसी तैयार हुई है, इतनी तरह-तरह की घास लगी है और वहां पर जब बादल आते हैं, बरसात का मौसम आता है तो उनको वहां बरसना पड़ता

(श्री देवी सिंह भाटी)

है और वह धूम-धड़ाके से बरसता है। वहां आप देखिये, हमारे चारों तरफ से लोग आकर वहां पिकनिक मनाने लग गये हैं।

मैं आपको भी, चाहे आपके पास यह अस्थायी रूप से दायित्व है, सरकार के प्रतिनिधि, जो भी वन मंत्री हों, उनको भी मैं आमंत्रण देता हूं कि एक दफा आकर देखिये। माननीय सदस्यों को मैं निवेदन करता हूं, यह जो स्वरूप हमने बीकानेर के अन्दर, जोधपुर, जैसलमेर जिले में काफी जगह ऐसे ब्लाक्स तैयार किये हैं। वही एक रास्ता है। आप कानून से मत बांधो, कानूनों के प्रभाव हमने देख लिये।

कानून किसने बनाये थे, अंग्रेजों ने बनाये थे। उनको अपने पेड़ काटकर, अपने जंगल काटकर इंग्लैण्ड ले जाना था। माइनिंग एक्ट कौन लाया, अंग्रेज लाये थे। माननीय मंत्री महोदय, हम दुनिया के सबसे बड़े स्टील उत्पादक थे उस समय। हमारे 150 साल से पहले तक, हमारा 80 लाख टन स्टील पैदा होता था और वह स्टील, माननीय मालवीयजी विराज रहे हैं, वहां उदयपुर संभाग में देखिये, जगह-जगह आदिवासी अपना खनन करते थे और दुनिया का सबसे सर्वोत्तम स्टील हमारे यहां बनता था, जिसके जंग नहीं लगता था। सिर्फ एक डेनमार्क था दुनिया में, जो हमारे से 19 था, 21 हम थे। ऐसा स्टील बनाते थे। क्योंकि समाज का वहां पर कंट्रोल था, कानून से नहीं हुआ। जब से अंग्रेजों ने कानून बनाये, वह तो उनके अपने स्वार्थ थे लेकिन हम अभी भी वह कानून लिये बैठे हैं।

ये काले कानून हटाओ और धीरे-धीरे यह जिम्मेदारी आप समाज को सौंपिये, उपाध्यक्ष महोदय, तभी रास्ता बनेगा। इसलिए पुनर्विचार कर लो। यह पेनल्टी से काम नहीं चलेगा। थोड़ा विचार करो, वरना यह दुनिया जो हम स्वर्ग बनाना चाहते हैं, यह नरक की ओर बढ़ती जा रही है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। विराजिये।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): उपाध्यक्ष महोदय, वन अधिनियम में हमारे वन क्षेत्र को बढ़ाने की बात का विधेयक ला रहे हैं। निश्चित रूप से, मैं कहना चाहूंगा और मैं बार-बार भी इसीलिए बोलना चाह रहा था कि मेरा 50 प्रतिशत से ज्यादा थानागाजी सरिस्का के अन्दर आता है। इस वन अधिनियम की आड़ में जो भी अभी माननीय मंत्री महोदय ने बात बताई कि हम 50 पैसा लेते हैं बकरी का, एक रुपया लेते हैं ऊंट का, पांच रुपया लेते हैं भैंस का, यह तो 1993 से पास बनते थे चराई के, उनका है। आज इनके भैंस

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

की और बकरी की 1,000 रुपये से नीचे जुर्माना नहीं लेते, 1,500 रुपये से नीचे ऊंट का जुर्माना नहीं लेते और मेरे पास में रिकार्ड है। मुझे पहले पता नहीं था, मैं आपको लाकर दिखाता। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: केवल भड़ानाजी का।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भैंसों की सरिस्का के अन्दर, माननीय उच्च न्यायालय में मनुष्यों की जमानत होती है, लेकिन इसकी आड़ में और क्या होगा कि हाई कोर्ट में पहली बार भैंसों की जमानत पिछले साल हुई थी और मैंने स्वयं ने कराई थी।

हमारे सामने भू-माफियाओं की आप बात नहीं करते हो। कितने ही लोग हैं, जिनके नाम मैं गिनाऊं, जिनकी फोरेस्ट में खानें हैं और उनका बिना रेवेन्यू आप रेवेन्यू बढ़ा रहे हो। इससे कौन सफर होगा, जो गांव में बसे हुए लोग हैं। माननीय राठौड़ साहब सही कह रहे थे, आदिवासी लोग हैं, गुर्जर हैं, मीणा हैं, रेबारी हैं, जो लोग उन गांवों में रहते हैं और मेरी तीन पंचायतें शुद्ध रूप से फोरेस्ट में हैं, उनका जीवनयापन ही फोरेस्ट है। उनकी बकरी वहीं चरती है, भैंस वहीं चरती है, उनका ऊंट वहीं चरता है। वह जुर्माना देंगे तो क्या वे जेल में जायेंगे? क्या उन बच्चों को ले जाकर सड़क पर बैठायेंगे?

यह विधेयक किसी भी कीमत पर, हम इससे पहले से सफर कर रहे हैं। आज भी सरिस्का के अन्दर 17वें दिन इसी मामले को लेकर आन्दोलन पर, धरने पर बैठे हैं। आप अपने प्रशासन से पूछवा लीजिये। माननीय मंत्रीजी से कहना चाहता हूं, बहुत अच्छे आदमी हैं, बढ़िया है, इनकी तारीफ करूं लेकिन इस मामले में 100 प्रतिशत रूप से झूठा और...

श्री उपाध्यक्ष: आपका इसी के बाद। भड़ानाजी, आप अपनी बात समाप्त करो।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): एक मिनट, उपाध्यक्षजी, बात मेरी पूरी होने दीजिये। मैं बात समाप्त कर रहा हूं।

यह जो अध्यादेश ला रहे हैं, यह काला कानून साबित होगा। इनका कोर एरिया, बफर एरिया और टाइगर मारने की बात है। मैं दावे से कह सकता हूं, एक भी ग्रामीण का आज तक सरिस्का के अन्दर टाइगर मारने के अन्दर हाथ नहीं है। कोई संसारचन्द्र गिरोह है, कोई दिल्ली का गिरोह है, कोई अमृतसर का गिरोह है। गांव वालों ने ग्राम कमेटियां बनाकर, वे एक चिड़िया को, जानवर को नहीं मारना चाहते। उनको आप बेबस करोगे, मजबूर करोगे।

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

आज से 20 साल पहले जो विस्थापन किये थे, उसी रेट में आज भी विस्थापन कर रहे हो। जब तक उनको विस्थापित नहीं कर सकते, जब तक पूरी सरिस्का को, फोरेस्ट अपने कब्जे में नहीं ले सकते, बिना अवाप्ति के, तब तक किसी भी रूप से भैंस हो, बकरी हो, गाय हो, ऊंट हो, उस पर 10 रुपये का भी जुर्माना करते हो, तो वह गलत है।

मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं और इसको जन मत जानने के लिए परिचालित किया जाये, माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय श्री ओम बिरला जी।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो मंत्री महोदय से दो-तीन बातों का स्पष्टीकरण चाहता हूं। एक दिन में 10-10 बिल हैं, हम इतना पढ़ भी नहीं पाते। हो सकता है, हमने गलत पढ़ लिया हो। माननीय मंत्री महोदय, दो बातें बता दें कि अधिनियम की कौनसी धारा के अन्दर आपने शिकार करने वाले लोगों पर जुर्माना बढ़ाया है? वह अधिनियम की धारा और बढ़ाया गया जुर्माना बता दें। अधिनियम की कौनसी धारा के तहत आपने अवैध खनन करने वालों पर जुर्माना और राशि बढ़ाई है, यह बता दें। आपने दो बातें बोली थीं कि अवैध खनन रोक देंगे, शिकार रोकेंगे।

मेरा दूसरा कहना है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पैदल चलने वाले व्यक्ति और मोटर-व्हिकल चलाने वाले व्यक्ति के जुर्माने में एक ही जुर्माना है, या अलग-अलग जुर्माना है? यह स्पष्टीकरण कर दें।

आपने जंगल काटने वाले और लकड़ी के लिए काटने वाले, कोयले के लिए, कोई अलग अधिनियम में संशोधन किया है तो वह स्पष्टीकरण बता दें।

आपने जो कहा था कि चराई और आपने कहा, अवैध रूप से जंगल में घुस कर, पशुओं के द्वारा, ले जाकर चराई करने का जुर्माना और आपने जो वक्तव्य दिया, उस जुर्माने में क्या अन्तर है?

ये पांच बातें आप तो धारा सहित स्पष्टीकरण दें ताकि हमारे ध्यान में आ जायें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मंत्री महोदय से...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: इनके बाद में आपको बुलाउंगा। नहीं, आप लो। वह थोड़ा बीच में डिस्टर्ब नहीं करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान धारा 33 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगा, धारा 30 के अधीन अधिसूचना या धारा 32 के अधीन वाले नियमों के उल्लंघन के लिए, कार्यों के लिए शास्तियां- जो कोई व्यक्ति निम्नलिखित अपराधों में से कोई अपराध करेगा अर्थात् धारा 30 के अधीन आरक्षित किसी वृक्ष को गिरायेगा, परितक्षण करेगा, छांटेगा, सुनिये आप, छकेगा या जलायेगा या किसी वृक्ष की छाल उतारेगा या पत्तियां तोड़ेगा...

श्री उपाध्यक्ष: पत्तियां तोड़ेगा, यह भी है क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हां, यस। छाल उतारेगा और पत्तियां तोड़ेगा या उसे अन्यथा नुकसान पहुंचायेगा और इसी धारा 35 की धारा 6 में पशुओं को ऐसे किसी वृक्ष को नुकसान पहुंचाने देगा, वह उस अवधि के लिए कारावास से जो छह महीने तक का हो सकेगा और जुर्माने से दण्डनीय होगा। यह क्या लेकर आ रहे हो? मतलब, पत्तियां तोड़ देगा तो अपराधी है वह और आपका यह 6 बोल रहा है, पशुओं को ऐसे किसी वृक्ष को नुकसान पहुंचाने देगा, मतलब, आज मेरे पास पशु है, मैं उसके पड़ोस में रह रहा हूं, यह सही कह रहे हैं थानागाजी से आने वाले सदस्य, मेरा पशु घुस गया। यह जो बात कह रहे हैं, वह फीस तो जब मैं अनुमति लेकर मेरा पशु चराई के लिये ले जा रहा हूं, मैं रह रहा हूं वन क्षेत्र में, वन क्षेत्र की घोषणा बाद में हुई, मेरा गांव पहले बसा हुआ था, बाद में कह दिया यह वन क्षेत्र है और उसमें मेरा पशु निकल गया और किसी पेड़ की पत्तियां खा गया तो आप तो मेरे को छह महीने के लिए अन्दर कर देंगे। यह क्या लेकर आये हो? मैं एक निवेदन और करूं, मालवीयाजी, मैं बड़ा सम्मान करता हूं, यह आपके सानिध्य में जो हो रहा है न, जब आप जाओगे न अपने क्षेत्र में और जब एक आदमी इस परिधि में आ गया, पच्चीस हजार का जुर्माना और छह महीने की कैद, वह आदिवासी और उसके वंशज जन्म-जन्म तक आपको माफ नहीं करेंगे। इसलिए आप मंत्री महोदय को समझाओ और इसको वापस ले लो।

जन मत जानने हेतु परिचालित नहीं करें तो इसको वापस लो न। क्या प्रतिष्ठा की बात है? कोई प्रतिष्ठा की बात नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर अनेक बार, कई बार विधेयक प्रस्तुत हुए हैं, कई बार विधेयक सरकार ने वापस लिये हैं, कई बार सरकार की तरफ से संशोधन आये हैं। तो आप सरकार की तरफ से संशोधन ले आयें इसका और जब तक दूसरा विधेयक ले लो ताकि समय भी बच जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष: हां, माननीय डाक्टर भिण्डा जी। भिण्डा साहब। (व्यवधान) आप बोल रहे हो क्या?

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): मुझे बोल लेने दो। पहले मैं बोल लूं।

श्री उपाध्यक्ष: अंतिम पारण का जवाब दे रहे हो क्या?

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): नहीं, आप और बोलें तो मैं... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: हां, बोलिये, बोलिये।

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): माननीय उपाध्यक्ष महोदयजी, मैं आपकी अनुमति से मंत्री महोदय का...

श्री उपाध्यक्ष: कम से कम सदस्य बोलें। बात वही है, बात तो एक ही है।

श्री रामलाल गुर्जर (आसींद): ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, जो वन संशोधन अधिनियम आज यहां लाया जा रहा है, इसमें पांच सौ से हजार पेनल्टी हो, दो हजार हो, लेकिन पचास गुना पेनल्टी साइज करें, यह बड़े आश्चर्य की बात है। यह कौनसे हवाई प्लान से, नम्बर एक, इतनी बढ़ोतरी कर रहे हैं?

नम्बर दो, आपने यह तो सोचा नहीं कि जानवर या अदरवाइज काश्तकार कम्यूनिटी है और वे समझते भी नहीं और उनके मान लो, नुकसान हो यह इस तरह का, तो उसके लिए तो दण्ड, जुर्माना आपका सभी लागू हो जायेगा और आपके जो जंगली जानवर, चाहे शेर ले लो, चाहे भेड़िया ले लो, ये तरह-तरह के नुकसान गांवों में जाकर के करते हैं, खेतों में जाकर के करते हैं। तो क्यों नहीं गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के खिलाफ भी यह करें कि जहां हम दोषी हैं, हमारे खिलाफ भी इतना जुर्माना हो? अगर ऐसा करते हैं कि किसी गाय को मार दें या भैंस को मार दें या बकरी को मार दें तो पच्चीस हजार रुपये गवर्नमेंट वहन करेगी, अगर यह करते तो समझ में आता है, लेकिन काश्तकारों के साथ तो यह अन्याय है।

इसलिए ऐसा यह वन संशोधन की आवश्यकता नहीं है। इतना ही कहना है।

श्री उपाध्यक्ष: हां, माननीय भिण्डा साहब।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): उपाध्यक्षजी, इस देश में चाहे जितने कानून बना लो, इस देश की संस्कृति को और समाज को साथ नहीं लिया, असफल होंगे। हमारी संस्कृति कहती है...

श्री उपाध्यक्ष: यह वन का है, वन है।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): हां, वन पर ही बोल रहा हूं मैं। संस्कृति कहती है कि जन...

श्री उपाध्यक्ष: पारण की स्टेज है, वही भाषा बोलें।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): वही कह रहा हूं। जन, जमीन, जंगल और जानवर, यह चारों का समुच्चय है। एक के खिलाफ दूसरे को आप दण्डित करना चाहते हैं। जन के बिना जमीन और जंगल की व्यवस्था हो सकती है क्या? जानवर की हो सकती है क्या? यह संस्कृति के बिलकुल खिलाफ है। इस प्रकार का समुच्चय, एक-दूसरे को, जो वर्षों से नहीं, आदि काल से प्रकृति के साथ जुडा हुआ नाता है जमीन, जंगल, जानवर और जन का तो, और इसके साथ उलटा जन और जोड़ना चाहिए अपने को और आप उलटा उसके हिसाब से कानून ला रहे हो।

मैं यह पूछना चाहता हूं, नेशनल हाइवे दौसा से मनोहरपुर जा रहा है, वह पड़ा है कई वर्षों से। इस आधार पर कौन निर्णय करेगा? केवल जमीन अंकित हो गई, मेरा बागरू गांव है, दो सौ वर्ष पुराना गांव है, जंगल का वह दिखा दिया एक खसरा नम्बर और वह सारा गांव क्या करेगा? पशु खोलकर बाहर भी जायेगा, सड़क पर जायेगा तो भी बीच में वह आयेगा।

ऐसे कानून नहीं चलेंगे, मंत्री महोदय। आप तो किसान हो, गांव के आदमी हो, इसको पुन: आप वह करिये, पुन: ड्राफ्ट करिये और जन को जोड़िये। इसका यहां तो नहीं है, यह आपके बराबर में बैठे हैं माननीय मंत्रीजी, उनके इलाके में तो उनका नाता है, जन्म-जन्म का नाता है वनवासी क्षेत्र में तो, उनको कहते ही वनवासी हैं, वहां क्या स्थिति होगी उनकी? उनका तो गुजारा ही उसके बिना नहीं चल सकता है। जब हम उन्होंने कब्जे किये, उनको जब नियमितीकरण कर रहे हैं, यह तो और झंझट पैदा होगा। यह शाश्वत होता है, कानून केवल लालसोट के लिए, विराट नगर के लिए या थानागाजी के लिए नहीं है, यह पूरे राजस्थान के लिए कानून है।

इस कारण से मैं प्रार्थना करता हूं, इसको या तो विथड्रा करें या फिर सलेक्ट कमेटी को भेजें, जिस कारण से हम कानून, कोई यह कानून...

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। विराजिये।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): एक मिनट और बोलूंगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं...

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता हूं...

श्री उपाध्यक्ष: बोलने दीजिये। आप उनको बोलने दीजिए।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): जब यह कानून आया, वन का कानून आया, उसमें हमसे नहीं पूछा गया, राजस्थान से। इस कारण से हजारों रास्ते रुके पड़े हैं। वर्षों से हम जाते हैं मंदिरों में, लेकिन आप सड़क नहीं बना सकते। यह गलती इसलिए हुई कि 2006 में या 2002 में एक पत्र आया केन्द्र से कि आप बताओ कि किस-किस जमीन को मुक्त कराना चाहते हो? हमारे अधिकारियों के यहां पड़ा रहा पत्र, हमने कोई जवाब नहीं दिया, इस कारण से आज हमारी स्वीकृत सड़कें नहीं बन रहीं। यह स्थिति बनी है आज।

श्री उपाध्यक्ष: यह सड़कों का नहीं है। अब आप विराजिये। विराजिये।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): इस कारण से इनको सोचना चाहिए कि यह सड़क...

श्री उपाध्यक्ष: यह ऐसे नहीं। आप बोलिये। (व्यवधान) इनके बाद में आप बोलियेगा। (व्यवधान)

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह करना चाहता हूं, जिस जगह हम रहते हैं, उस क्षेत्र को डी एन पी, डेजर्ट नेशनल पार्क में घोषित किया और जैसलमेर की भोली-भाली जनता को पता ही नहीं पड़ने दिया। सात-आठ हजार स्क्वायर किलोमीटर में यह एरिया फैला हुआ है। वहां हमारे घर हैं, वहां हमारी ढाणी हैं, वहां हमारे गांव हैं, वहां हमारी खेती है। उस एरिया के अन्दर हम कानून के तहत तो घूम ही नहीं सकते। उस एरिया के अन्दर पूरी मवेशी घूमती हैं तो क्या नहीं कटेगा, क्या नहीं लग जायेगा? मवेशी घूमती हैं और आपका डेजर्ट नेशनल पार्क का रेंजर आया और कह देगा, आप पर जुर्माना होगा। हद हो गई। इतना एरिया, हमारे खुद की जमीन और इसको आपने कवर-अप कर लिया।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कानून कैसा बनाया है कि आप खेती कर रहे हो और उसमें अगर...

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): कवर-अप करने के बाद इसी जनता को सज़ा। यह कानून बहुत गलत कानून है। निवेदन करना चाहता हूं, मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय,..

श्री उपाध्यक्ष: विराजिये। आप विराजिये।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): बहुत कम मौका मिलता है। निवेदन करना चाहता हूं कि पूर्व में भी हमारा क्षेत्र था जिसको बोलते थे ओरण और वह ओरण रहती थी और बकरी के चरने से कभी भी घास खतम नहीं होती है। कुछ नहीं होता है उससे। भेड़, बकरी चर जायेंगे, जिससे कोई अपना पर्यावरण खतम नहीं होगा, वह पर्यावरण रहता है। उसकी संस्कृति में हम लोग हैं। आज भी ऐसे क्षेत्र हैं।

फिर भी आप अभी जो सोलर लगा रहे हों, उसमें पूरे वन को आप खतम कर रहे हों, किलोमीटर-बाई-किलोमीटर। आपने एक भी पौधा नहीं लगाया, पूरे पौधे, पूरी सेवण घास, अभी सेवण घास नई लगा रहे हों। हमारे जैसलमेर में सेवण घास का भण्डार है, उसको तो खत्म कर रहे हों, और दूसरी जगह लगा रहे हों। लैण्ड की कमी नहीं है, बिजली पैदा होनी चाहिए, उसका स्वागत है लेकिन उस जगह होनी चाहिए जो किसी काम की नहीं है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिये। समाप्त करें। समाप्त करें।

हां, माननीय अमरारामजी। उसके बाद फिर माननीय कटारिया साहब, फिर मंत्रीजी बतायेंगे। संक्षेप।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह का प्रोविजन लाये हैं मंत्रीजी, एक तो यह सबसे बड़ा, क्योंकि जहां-जहां भी फोरेस्ट की जमीन है, वहां लोग बसे हुए हैं और विशेष तौर से आदिवासियों की तो जिंदगी ही बरबाद हो जायेगी क्योंकि वन उत्पाद से ही उनका जीवन चलता है। उनके जानवर अगर पत्ती खा जायेंगे और छह महीने की सज़ा होगी, इससे ज्यादा अफसोस क्या होगा?

एक मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप जो जंगली जानवर हैं, रोजड़े हैं, जंगली सूअर हैं, जहां-जहां भी फोरेस्ट है, उसके नजदीक जिस तरह से किसानों की फसलों को नष्ट कर रहे हैं, आप उनको रखिए आपको रखना है तो। लेकिन किसान की जिंदगी पर, पूरी रात भर पूरा परिवार जागता रहे, कहीं नींद आ जाय तो पूरी फसल नष्ट हो जाती है। आपको वन्य जीवों की सुरक्षा करनी है तो निश्चित रूप से आप जहां भी फोरेस्ट हैं, उसकी चारदीवारी करके जानवरों को तो रखिये। अगर उसमें कोई अपने खेत से निकालते हुए, कोई जंगली सूअर है, रोजड़ा है, उसको निकालते हुए घायल हो जाएगा तो आप फिर उसको जेल करेंगे। उन जानवरों को आप तो कब्जे में रख नहीं सकते और

(श्री अमराराम)

किसान की फसल नष्ट करते रहे। वह पूरे एक साल तक, अपने घर को छोड़कर के, उस खेत की रखवाली में पूरा परिवार रहता है। यह तो नहीं हो सकता। आप उनको या तो कब्जे में रखो, या फिर यह गारंटी दो कि किसान की फसल का नुकसान होगा तो उसकी भरपाई सरकार करेगी। तब तो बात समझ में आती है।

पहले ही, मंत्रीजी, क्योंकि आपका प्रशासन जिस तरह का है, मैं नहीं समझता हूं कि वह माफियाओं पर कंट्रोल करेगा। बल्कि आम आदमी एक ट्रोली लेकर जाता है तो उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना है और इससे तो और दस गुणा हो जाएगा। उन माफियाओं को कोई नहीं पकड़ता है। माफियाओं के साथ तो आपके विभाग के क्या सम्बन्ध हैं, यह तो आप खुद समझते हों। बल्कि आम आदमी वहां से पत्थर ले जाएगा, या उसकी बकरी निकल जाएगी, या जानवर निकल जाएगा, तो मैं समझता हूं कि किसी भी सूरत में अच्छा नहीं रहेगा।

राजस्थान का जो सबसे गरीब आदमी है उसके लिए यह सबसे काला कानून होगा, अगर आपने इसको पास कर दिया तो।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय गुलाब चन्द कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी मंत्री महोदय से भी प्रार्थना है और जितने भी उस ट्राइबल क्षेत्र से आये हुए जन-प्रतिनिधि, चाहे वे इधर के हों, चाहे वे उधर के हों, इस कानून को आप बहुत शांति से पढ़ो। पढ़ने के बाद, अपना ट्राइबल एरिया तो ऐसा है जिसमें अधिकांश आदिवासी जंगल के बीच में ही बैठा है और उसका वर्षों से कब्जा है। कुछ पट्टे अभी इस वन कानून के बाद और अभी इन वर्षों में जो उसमें बसे हुए हैं, उन लोगों को अपने मकान के पट्टे या जगह के पट्टे भी उनको मिले हैं। लेकिन वह और जंगल, दोनों बाहर नहीं हैं एक दूसरे से। उनके आजू-बाजू, चारों तरफ भी जंगल है और उनका रोज का काम जंगल से ही पड़ता है। आज भी हमारे यहां अधिकांश गरीब आदिवासी लकड़ी लाकर के, तोड़कर के, बीन करके अपना पेट भरता है। चार-चार, पांच-पांच, छह-छह किलोमीटर से वह लकड़ी लेकर के वह, गली-खांचों में से निकलकर आता है। यह उसकी रोजी-रोटी है आज की तारीख में और अगर आपने इस तरह का कानून बना दिया तो मैं सोचता हूं कि विद्रोह हो जाएगा और वह हमारे सम्भाले नहीं सम्भल सकेंगे।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इस पर आप शांति से विचार करें और कोई जल्दी नहीं करें। अगर आपको लगता है, इससे उन माफियाओं को कंट्रोल करना चाहते हों तो हम आपके साथ हैं। जो वास्तव में जंगल में खनिजों से, या और किसी दृष्टि से, या पेड़ को काटकर के तस्करी का काम कर रहे हैं, या कोई इस प्रकार का अपराध कर रहे हैं, उनमें और वहां के सामान्य रहने वाले लोगों के बीच में अंतर करें। अच्छा यह होगा कि इसको सलेक्ट कमेटी को भेज दीजिए।

अगर आपने यह पास भी कर दिया ना, तो मैं आपको कह रहा हूं कि आपके सामने ही सबसे ज्यादा संकट खड़ा हो जाएगा और एक विद्रोह की स्थिति आ जाएगी। मैं बहुत शांति से और ठण्डे दिमाग से कह रहा हूं। मैं एक विपक्ष के होने के कारण से नहीं कह रहा हूं। मैं जितने भी प्रतिनिधि यहां उस ट्राइबल एरिया से आये हुए हैं, चाहे आपके पास बैठे हुए मंत्रीजी हैं, अगर आपने इसको पास कर दिया, इसका मतलब यह है कि मेरे उस आदिवासी क्षेत्र का रहने वाला 70 परसेंट आदिवासी इससे प्रभावित होगा। रोज पुलिस उसको पकड़ेगी। अभी भी वह लकड़ी और लोड लेकर के आता है, उसके लिए तो पांच जगह पांच-पांच रुपये देकर के, गली-खांचे में निकलकर के पेट भरता है।

हम इस तरह से कानून कैसे बना रहे हैं? एक तरफ तो अपन अधिकार दे रहे हैं उसको जंगल में, एक तरफ तो उसको खातेदारी हक दे रहे हैं, वर्षों से रहने वाले लोगों को अपन बसाने का काम कर रहे हैं और दूसरी ओर ऐसा कठोर कानून बनाकर के आप उनको जेल भेज दोगे। भले ही उनको भेज दो, वे तो वहां रोटी खाएंगे। न तो उनकी पैरवी करने वाला कोई वकील होगा, न वे कभी बाहर आ सकेंगे और मेरे हिसाब से, कई लोग, ऐसा है, इस छोटे से अपराध में भी उनको जिंदगी भर तक भी जेल में रहना पड़े तो कोई उनकी जमानत देने वाला भी पैदा नहीं होगा।

पता नहीं, आपने सोचा होगा, बड़े माफियाओं को काबू करने के लिए, उसमें आपकी भावना के साथ हैं। उनकी बकरियां ही तो उनकी जिंदगी हैं और वे बकरियां जाएंगी कहां? वे जंगल ही तो जायेंगी और वह स्वयं भी जायेगा और उसमें से कत्था लाता है, कभी वह गोंद लेकर के आता है, कभी वह धोली मूसली लेकर के आता है, कभी वह लाख बीन करके लाता है, छोटी वन उपज लेकर आता है और आकर के बेच करके अपना गुजारा चलाता है।

मैं सोचता हूं कि इसको प्रतिष्ठा का सवाल नहीं बनायें। यह कानून

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

बहुत ही खतरनाक कानून के रूप में बन जाएगा। कहीं हमारे जानी-अंजानी भूल से कि हम पक्ष के और आप विरोध के हों, अगर इसको पास कर दिया तो एक तूफान हो जाएगा, जिसको शायद आप और हम, दोनों भी सम्भालना चाहें तो नहीं सम्भलेगा।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय रोहिताशजी।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र तीन तरफ से फोरेस्ट से घिरा हुआ है ...(व्यवधान)

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा): ...(व्यवधान) अगर बकरी खा गई तो उस बकरी को सज़ा होगी या उस मालिक को सज़ा होगी? जब सौ बकरियां लेकर जायेगा और कोई बकरी पत्ते खा गई तो बकरी को सज़ा होगी या उसके मालिक को होगी?

श्री उपाध्यक्ष: पूरे राजस्थान की बात तो हो गई है। आप इनको बोलने दो ना।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फोरेस्ट एक्ट तो बाद में आया, गांव बहुत पुराने बसे हुए हैं वहां के आदिवासी लोग वहां पर रहते हैं। वहां बकरी मर गई, या कोई और चीज मर गई, तो यह थोड़ी ही है कि आप उनको फांसी लगा देंगे। हम यह काला कानून किसी भी सूरत में नहीं आने देंगे। हम विधान सभा में इसका जो विरोध कर सकते हैं, वह यहां भी करेंगे और बाहर भी करेंगे और आपको एक वोट कांग्रेस पार्टी को नहीं लाने देंगे। हमारे पूरे ज़िले में, अलवर ज़िले में तो आप मार देंगे लोगों को।

यह क्या एक्ट है, हमारी समझ में नहीं आता है। इस एक्ट को कौन लाने वाला है, वह गांव में रहता नहीं है, उसको गांव की जिंदगी के बारे में पता नहीं। वह गांव में क्या खाता है, क्या कमाता है, इसकी आपको जानकारी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: विराजिए आप। माननीय मंत्रीजी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री उपाध्यक्ष: अभी आपने बोला है।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप फोरेस्ट को जानते हों, आपसे ज्यादा कोई जानता नहीं है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो आपकी वन मंत्रीजी...

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी के खड़े होने के बाद में खड़ा ही नहीं होना चाहिए आपको।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): वन एवं पर्यावरण को बचाने के लिए और वन्य जीवों को बचाने के लिए घायल हो जाती हैं और दूसरी तरफ आप इस तरह का कानून लेकर आ रहे हो! यह क्या मजाक है? इससे क्या संदेश देना चाहते हो राजस्थान को?

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिए। माननीय मंत्रीजी।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय देवी सिंहजी ने जो अपनी भावनाएं बताईं, अगर ऐसा सभी जगह हो जाए तो धरती वापस स्वर्ग बन जाए। हो सकता है, उसके लिए वन सुरक्षा समितियां बनाई जाएं।

अभी विपक्ष के माननीय नेता महोदय ने और माननीय मुख्य सचेतक महोदय ने बड़ी चिंता व्यक्त की कि यह काला कानून आ रहा है, वह आ रहा है। इसमें जो धारा 33 में है, इसमें हमने कोई भी नहीं जोड़ा है। आप सुनिये, आप कंविंस हो जाएंगे। धारा 33 में जो भी प्रोविजन हैं वे पहले के हैं, सिर्फ हमने 500 रुपये जुर्माने की जगह 25,000 जुर्माना किया है। बाकी और चीज़ें पहले से हैं इसमें।

माननीय विपक्ष के नेता महोदय ने आदिवासियों की चिंता व्यक्त की। आदिवासियों के हितों में इसमें पीसा एक्ट अलग है उनका, उनके अधिकारों पर, उनके लिए जिस तरह का कानून में प्रोविजन किया है। वन भूमि का उनको पट्टा देने का, उनको चराई, उनको गोद लेने का, उनसे कहीं भी इस एक्ट के संशोधन से वे प्रभावित नहीं हो रहे हैं। इसलिए आपकी भावना को कहीं भी, हमने केवल, आप सुनिये ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): मंत्रीजी, सामूहिक अधिकार का एक पट्टा भी राजस्थान में जारी नहीं हुआ है। (व्यवधान) एक भी पट्टा जारी नहीं हुआ है।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): यह कानून गांव के हित में नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप एक-एक खड़े हों। एक साथ सारे खड़े होंगे तो कैसे चलेगा? इसको आप कम्पेल नहीं कीजिए। आप विराजिए।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): आप गांव के दर्द को जानते हों, आप इस भूमिका के हिसाब से मत चलो।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): मंत्रीजी, हम इस बिल का बिलकुल विरोध करते हैं। (व्यवधान) हम इसको किसी भी सूरत में ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिए। आप क्यों बोल रहे हो?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): यह कानून आएगा तो हम तो इसमें उपस्थित नहीं रहेंगे। यह हमारी मजबूरी है। हम इस कानून का पूरा जमकर के विरोध करेंगे। यह पहले कभी, आज दिन तक, हम उस क्षेत्र में रहते हैं, आपका 33 का उपयोग न तो कभी विभाग ने किया और न कभी किसी को यह समस्या आई। केवल घर या झोंपड़े, जो आपके उसमें बस गये, जिसमें रिजर्व फोरेस्ट हैं, उनमें, उसमें आपने जरूर समय-समय पर तंग करने की कोशिश की। उनके कभी खेत-कूड़ों में कुछ आपने डिक्री करने का प्रयास किया। लेकिन उसका भी जमकर विरोध हुआ।

उस 80 के कानून के बाद, फिर 90 में आकर के आपको यह खातेदारी हक और उनको पट्टा देने वाली बात, यह केन्द्र से उस दबाव के बाद इन लोगों को जो 80 से पहले से रह रहे हैं, या 90 से पहले से रह रहे हैं, या 96 से पहले रह रहे हैं, उन लोगों को विधिवत आपने पट्टे देने की कार्यवाही की है और पट्टे कुछ लोगों को मिले भी हैं। यह आज दिन तक किसी के ध्यान में नहीं आया। हो सकता है, यह भूल हमारी भी रही हो, इतना डिटेल में हमने भी नहीं पढ़ा और न आपके विभाग ने कभी इस पर कार्यवाही की।

अगर इसके बाद भी आप अड़ामेंट हैं, इस कानून को पास करायें, तो मैं और मेरा दल किसी भी कीमत पर इस कानून को पास नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे। नहीं होने देंगे।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): उपाध्यक्ष जी, मैं गायें रखता हूं, मेरी गाय चली जाएं रात को तुड़ा करके, तो स्थिति क्या होगी? मैं जेल जाऊंगा क्या? हम तो गाय रखने वाले लोग हैं, भैंस रखने वाले लोग हैं, बकरी रखने वाले लोग हैं। यह चलने योग्य नहीं है।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): बिलकुल गलत विधेयक ला रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप सुनिये।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): ...(व्यवधान) मर जाएंगे हम तो इससे। क्या जरूरत थी इसको लाने की?

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): यह चलने योग्य नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: केवल मंत्रीजी का अंकित होगा। आप बोलिये।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): **×××**

श्री उपाध्यक्ष: हां, बैठिये। कुछ भी करिये, आप बोलने दीजिये।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): **×××**

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): **×××**

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अगर आप इस बात पर अडामेंट हैं तो मैं और मेरा दल बहिर्गमन करते हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष: हां, मंत्रीजी, आप बोलिये।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई परिवर्तन, पहले जो वनवासियों के अधिकारों में, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमने केवल इसमें पांच सौ रुपये की जगह पच्चीस हजार रुपये जुर्माने का किया है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): यह काला कानून अगर सरकार पास करती है तो मैं और मेरा दल इस काले कानून के खिलाफ वाक-आउट करते हैं।

(भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, 2012 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान वन (संशोधन) विधेयक, 2012 पारित किया गया।

राजस्थान विद्यालय (फीस के संग्रहण का विनियमन) विधेयक, 2013 । श्री बृजकिशोर शर्मा, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विद्यालय (फीस के संग्रहण का विनियमन) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाए। केवल श्री बृजकिशोरजी शर्मा।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विद्यालय (फीस के संग्रहण का विनियमन) विधेयक, 2013

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विद्यालय (फीस के संग्रहण का विनियमन) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं होगा आपका।

श्री ओम बिरला।

(अनुपस्थित)

श्री राजेन्द्र राठौड़।

(अनुपस्थित)

श्री रोहिताश कुमार

(अनुपस्थित)

डा. दिगम्बर सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री गुलाबचन्द जी कटारिया।

(अनुपस्थित)।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ×××

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विद्यालय (फीस के संग्रहण का विनियमन) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार।

खण्ड 2 से 16 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 16 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 16 । स्वीकार किये गये।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि। कोई संशोधन नहीं।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री बृज किशोर शर्मा, प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विद्यालय (फीस के संग्रहण का विनियमन) विधेयक, 2013 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विद्यालय (फीस के संग्रहण का विनियमन) विधेयक, 2013 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विद्यालय (फीस के संग्रहण का विनियमन) विधेयक, 2013 सदन के विचारार्थ है।

मंत्री महोदय, आप इस विधेयक की धारा-3 में सरकारी विद्यालय और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में किसी कक्षा और पाठ्यक्रम में विद्यार्थी की फीस नियत करने और फीस संग्रहण करने का प्रावधान कर रहे हैं और विधेयक की धारा-3 (क) व (ख) में प्राइवेट विद्यालय में इस अधिनियम के अधीन बनी हुई समितियों द्वारा तय की गई फीस से ज्यादा फीस लेने के लिए प्रतिषेध करते हैं।

यह सही है, उपाध्यक्ष महोदय, राइट-टू-एजुकेशन वर्ष 2010 में लागू हुआ और यह राइट-टू-एजुकेशन कोई यह नहीं है कि इसी वक्त किया है। हमारे संविधान निर्माताओं ने भी डाइरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अन्दर यह साफ उल्लेख किया था, 10 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बालकों को नि:शुल्क शिक्षा का प्रावधान उस समय भी किया था और राइट-टू-एजुकेशन में 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के लिए किया।

आपने राइट-टू-एजुकेशन में जो प्राइवेट विद्यालय हैं, उपाध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान का कोई ऐसा गांव नहीं बचा है जिस गांव में निजी क्षेत्र में प्राइवेट विद्यालय नहीं खुले हों। उपाध्यक्ष महोदय, यह मैं नहीं कह रहा हूं,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अभी 'असर' की रिपोर्ट जो आपके मानव संसाधन मंत्रालय ने जारी की, आपके मंत्री पी. राजू ने जारी की इस वर्ष की, उसमें राजस्थान की शिक्षा का जो चित्रण किया, मैं समझता हूं, मंत्री महोदय, अगर राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में हम ऐसी शिक्षा दे रहे हैं तो यह हमारा दुर्भाग्य होगा, किस तरह के भावी नागरिकों को हम तैयार कर रहे हैं। आज हालत क्या है, सरकारी विद्यालयों में नामांकन लगातार गिरता जा रहा है और अभी एक अध्ययन ने यह बताया है कि चालीस प्रतिशत बच्चे आज प्राइवेट विद्यालयों की ओर रुख किये हुए हैं।

इस विधेयक के माध्यम से आप निजी विद्यालयों पर आधा-अधूरा नियंत्रण करना चाहते हैं। राइट-टू-एजुकेशन के रूल्स अगर आप समय पर बना देते, उसके प्रावधानों के अन्तर्गत रेग्यूलेटरी कमेटियां बना देते, पर रेग्यूलेटरी कमेटी बनाने के बाद भी, आज राजस्थान के अन्दर तीन वर्ष से जिन निजी विद्यालयों में, आपके पन्द्रह हजार निजी विद्यालयों में नि:शुल्क प्रवेश कुछ प्रतिशत विद्यार्थियों को दिया गया है। मंत्री महोदय कानून लेकर आ रहे हैं पर इन निजी विद्यालयों का डेढ़ सौ करोड़ रुपया जो आपको लौटाना था, क्योंकि उन्होंने उस बच्चे को अपने विद्यालय में प्रवेश दिया और निर्धारित मापदण्ड के अनुसार उसकी फीस को सरकार को लौटानी थी, पर आज तीन वर्षों में सरकार का दरवाजा खटखटाने के बाद भी एक पैसा दिया नहीं। आप निजी शिक्षण संस्थाओं पर इसके माध्यम से अंकुश लगाना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि अकेले जयपुर में, जहां का प्रतिनिधित्व आप कर रहे हो, अठारह करोड़ रुपये बकाया हैं। 'एसोचेम' का जो सर्वे आया है आज, उपाध्यक्ष महोदय, एसोचेम का सर्वे कहता है कि 2000 से 2008 तक बच्चों का नामांकन प्राइवेट स्कूल में 160 प्रतिशत बढ़ा है।

दो विषय सोचने के हैं, फीस संग्रहण का आप विधेयक ले आए, पर आज आपके नेतृत्व में जो शिक्षा विभाग चल रहा है, आप लम्बी-लम्बी घोषणाएं करते हैं कि देश के पैमाने पर विद्यार्थी और शिक्षक का अनुपात हमारा बहुत अच्छा है, आपने लम्बी-लम्बी घोषणाएं कर दीं कि हमने बहुत से शिक्षकों को भर्ती कर लिया, पर आपको यह बताना पड़ेगा कि आपके सरकारी विद्यालयों में जो 60.41 लाख का नामांकन था, वह गिरकर 51.27 कैसे रह गया?

जो यह कमेटी बना रहे हों, निश्चित तौर पर आप पैरा-7 में इस समिति की शक्ति और कृत्यों की भी बात कर रहे हों और धारा 9 में प्रावधान

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

का उल्लंघन करने वाले को 1 वर्ष से 3 वर्ष का कारावास और पचास हजार रुपये की जुर्माने की बात कर रहे हों; आपने पढ़ा होगा, मेरे समझ में नहीं आता कि आज इस एक्ट को लाने के पीछे मंशा क्या है। राइट-टू-एजुकेशन में हर एक चीज का बिलकुल स्पष्टता से सारा उल्लेख कर दिया गया था कि निजी विद्यालयों में कितने प्रतिशत बच्चों को वे प्रवेश देंगे, निजी विद्यालयों में प्रवेश के साथ कौन-सा रेग्यूलेटरी कमीशन बनेगा जो फीस का निर्धारण करेगा और फीस में कितनी फीस आप वापस देंगे।

इसलिए, मंत्री महोदय, मैं समझता हूं कि आपको इस विधेयक को जन मत जानने हेतु परिचालित करना चाहिए और सदन से इस बात के लिए क्षमा मांगनी चाहिए कि आपके रहते हुए, प्राथमिक शिक्षा में 'असर' की जो ताजा रिपोर्ट है, उसके अनुसार, 'एसोचेम' के सर्वे के अनुसार आपने इस शिक्षा का भट्ठा बैठाकर हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, हमारे बच्चे हैं, जो भावी नागरिक हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। आज निजी क्षेत्र में जिन संस्थाओं ने रियायती दरों पर जमीन ले ली और जिन संस्थाओं ने अपनी खुद की जमीन पर अपना भवन बना लिया, दोनों के साथ एक तरह की फीस का निर्धारण आप इस एक्ट में लेकर आये हैं। कम से कम चैरिटेबल ट्रस्ट जिसने आपसे रियायती दरों पर जमीन ली है, उसका और वह व्यक्ति जो निजी क्षेत्र में अपनी खुद की जमीन लेकर विद्यालय खोल रहा है, दोनों में आपको अन्तर करना चाहिए, फीस के निर्धारण में भी, और उनकी फीस, जो आज इन निजी विद्यालयों की फीस बकाया है, निश्चित तौर पर उनको लौटानी चाहिए।

मेरा निवेदन है कि इसको जन मत जानने हेतु परिचालित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: आप बोलेंगे क्या? माननीय श्री गुलाब चन्दजी कटारिया। हरेक में बोलना आवश्यक नहीं है न। आप बोलेंगे तो जल्दी कैसे होगा? रात के दो बजेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): बजने दो, साहब। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपका अधिकार है।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): आज तो कत्ल की रात है, बजने दो। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल जिस भावना से आप लेकर आये हैं, निजी शिक्षण संस्थाओं के ऊपर सरकार का कोई न कोई कब्जा रहे, सरकार के निर्देशन में ये निजी शिक्षण संस्थाएं चलें, ये व्यावसायिक दुकानें नहीं बनें, इन पर नियंत्रण रखना आवश्यकता है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि केवल विद्यालय शिक्षा पर तो आप नियंत्रण कसोगे और ये जो 33 विश्वविद्यालय सेठों की दुकानें हैं, इनको आप खुली छूट दोगे। हायर एजुकेशन में जितनी निजी शिक्षण संस्थाएं चल रही हैं, उनको आपने इससे बाहर रखा। आप मेसेज क्या देना चाहते हो?

उसमें भी जो सी बी एस ई से मान्यता प्राप्त हैं, वे तो आपके ग्रिप में है ही नहीं। सामान्यत: जो हिन्दी मीडियम के स्कूल हैं, या गांवों में चलने वाले स्कूल हैं, उनकी फीस तो वैसे भी अधिक हो ही नहीं सकती और वे ले ही नहीं सकते क्योंकि लें, तो वहां बच्चा ही नहीं आयेगा। हम जिसको कंट्रोल करने जा रहे हैं, या तो हमारे दिमाग में यह रहा कि केवल विद्यालयी शिक्षा में ही फीस का बहुत बड़ा बवंडर है, या इंग्लिश मीडियम की जो दुकानें लगी हैं, वहां तो फीस का पैटर्न मनमर्जी से हो सकता है, या कुछ तथाकथित बड़े घरानों के द्वारा, जो विद्यालय शिक्षा की दृष्टि से वर्षों से काम कर रहे हैं, उनकी फीस तो कंट्रोल के बाहर हो सकती है। सामान्यत: गांव में चलने वाले जो विद्यालय हैं, वहां एक टीचर की फीस, जो आज कम से कम 20-30 हजार है, अगर गांव में वह किसी भी बच्चे से 300 रुपये फीस भी ले ले तो भी उस टीचर की तनख्वाह नहीं दे सकता है।

मेरा तो इतना ही कहना है कि अगर सरकार लाये तो एक फुल परफेक्ट कानून लेकर आये, जो नीचे एलीमेंट्री से लेकर विश्वविद्यालय तक की सारी शिक्षण संस्थाओं को इस शिकंजे में रखकर, इस कानून के अनुसार चलाने का अगर मन बनाती है तो हम इसका स्वागत करेंगे कि निश्चित रूप से उन पर कंट्रोल रहना चाहिए, लेकिन केवल, और केवल, गांवों में चलने वाले ये जो हिन्दी मीडियम के स्कूल हैं, उनको तो अनायास तंग करने के लिए आपने एक रास्ता निकाला है। न तो वहां कभी अधिक फीस देकर बच्चा जाता है, हां, इंग्लिश मीडियम का अगर वह बोर्ड लटका दे, तब तो वह जरूर टाई के नाम से 200 की बजाय 500 रुपये फीस ले सकता है। बाकी तो गांव में टीचर की तनख्वाह निकालना भी उनके लिए सम्भव नहीं होता है। उनका दम इसीलिए घुट रहा है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मेरा यही विरोध है कि अगर आये तो हायर एजुकेशन को मिलाता हुआ कोई एक परफेक्ट कानून आये। निश्चित रूप से इस प्रकार के लोग जो हमसे जमीन लेते हैं, सब प्रकार की सुविधाएं लेते हैं और उसके बाद भी बच्चों का शोषण करते हैं, उन पर कंट्रोल करने का जो आपका मन है, वह भावना तो आपकी ठीक हो सकती है, पर इसकी मार किसी दूसरे को लगेगी और जितने भी बड़े लोग हैं वे सब इसकी परव्यू से बाहर निकल जाएंगे। यह बहुत बड़ी भूल हमारे से हो जाएगी और इस कारण से जनता के सामने भी हमारा चेहरा ठीक नहीं दिखेगा।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री पेमारामजी।

श्री पेमाराम (धोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सरकार जो शिक्षा का बिल लेकर आई है, चूंकि हमारे देश में प्रजातंत्र है और सरकार के जो दायित्व हैं, अभी कह रहे थे कि विरोधियों का दायित्व है, सरकार की कमजोरियां ढूंढे। यह सही है कि हमारे देश में, आजाद भारत में जो परिकल्पनाएं थीं कि शिक्षा पर सरकार का नियंत्रण होगा, इस धरती पर पैदा होने वाले को शिक्षा देने की जिम्मेदारी सरकार की होगी, सरकार ने एक ही काम किया, शिक्षा में शिक्षा माफिया पैदा किये। शिक्षा माफिया पैदा करने की वजह से, शिक्षा माफियाओं के इशारे पर राजस्थान की विधान सभा में तरह-तरह के कानून यहां पर आते रहे।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय पेमारामजी, यह बताओ कि शिक्षा माफिया कैसे खत्म हो?

श्री पेमाराम (धोद): वही बता रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: पोजिटिव बताइए, नेगेटिव नहीं। नेगेटिव तो अमरारामजी बोल लेते हैं। वही काफी है।

श्री पेमाराम (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, एक साथ 20-20 कानून लाकर, एक साथ इतने-इतने कानून लेकर आप जो आ रहे हो और उन पर भी कोई विचार रखना चाहे, उस पर भी आप टोकाटोकी करो तो मैं समझता हूं कि इस विधान सभा की कानून बनाने की अहमियत ही खतम हो जाएगी। फिर तो बाहर बैठकर ही कोई दस्तखत मार देगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है, इसमें कोई एतराज हो तो भी कोई एतराज वाली बात नहीं है, मैं बिलकुल ठीक कहूंगा, मेरे दिमाग में है; लोक

(श्री पेमाराम)

कल्याणकारी काम करने की सरकार की जिम्मेदारी थी और शिक्षा लोक कल्याणकारी कार्य है। सरकार ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया। आज भी गांवों में एकल स्कूल हैं। आज भी गांव में गरीब का बेटा पढ़ने के लिए नहीं जा सकता। गरीब का बेटा, पांचवीं करने के बाद, उसकी जिम्मेदारी किसी की है तो 65 साल की आजादी के बाद आजाद राजस्थान में राजस्थान की सरकार चलाने वालों की है।

पहले तो हम तरह-तरह के प्राइवेट स्कूलों को मान्यता देने के कानून ले आये, अब कह रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं। कुछ अभिभावकों के द्वारा तरह-तरह की शिकायतें आ रही हैं, मनमर्जी की फीस ले रहे हैं। यह छूट किसने दी? उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि राजस्थान में आकर कोई मनमर्जी से स्कूल नहीं खोल सकता। राजस्थान की सरकार की मर्जी के बिना कोई खोलता है तो तीन महीने में बेदखल हो जाता है।

आज सरकार अपनी जिम्मेदारियों से हटकर, शिक्षा में भी फीस पर नियंत्रण हो। वे कम्पनियां जिनको जमीनें दी थीं, एक-एक रुपये में जमीन दे दी, उनकी क्या फीस है? आज भी शिक्षा का जो कानून आया, जहां गरीब के बेटे-बेटी के पढ़ने का सवाल है, आज भी बहुत-सी स्कूलें ऐसी हैं जहां पर यह नहीं है और आज ये प्राइवेट स्कूलें नहीं हो पातीं। तो मैं समझता हूं कि राजस्थान की सरकार ने...

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। विराजिए अब आप।

श्री पेमाराम (धोद): नहीं, धन्यवाद कहां, साहब?

श्री उपाध्यक्ष: आपको दे रहा हूं।

श्री पेमाराम (धोद): शिक्षा पर कानून आ रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: आप हमेशा जिम्मेदारी से बोलते हैं।

श्री पेमाराम (धोद): इसीलिए संशोधन दिया है क्या? आप कह दो कि कानूनों पर मत बोलो, मैं बैठ जाऊंगा। कहां दिक्कत है? उपाध्यक्ष महोदय, हमारे राइट के लिए भी बात नहीं कहूं तो बैठ जाऊं?

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): लीपापोती कर रहे हैं, यह कोई कानून की बात नहीं कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: यह लीपापोती शब्द सही है?

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): असंसदीय शब्द नहीं है। आप जो यहां पर कर रहे हों, माननीय सदस्यों की भावनाओं की कद्र नहीं हो रही है। लीपापोती है। और है क्या यहां पर? हम इसलिए चुनकर आते हैं कि 'हां' और 'ना', दो ही बात हों? हमारी राय को समझो।

श्री उपाध्यक्ष: आप उनको डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? आप पेमारामजी से नाराज क्यों हो?

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): हम आपकी रूलिंग पर...

श्री उपाध्यक्ष: आप पेमारामजी से नाराजगी जाहिर नहीं करें, उनको बोलने दें।

श्री पेमाराम (धोद): मैं तो आपसे संरक्षण चाह रहा हूं। यह गलती किसी की है तो सरकार चलाने वालों की है जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी को...

श्री उपाध्यक्ष: कितनी देर तक बोलेंगे आप?

श्री पेमाराम (धोद): जितनी मेरे दिमाग में...

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, बता दीजिए। मैं आपको अनुरोध तभी करूं।

श्री पेमाराम (धोद): यह कानून बन रहा है, राजस्थान के लिए बन रहा है, तो मेरे दिमाग में मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की जो जन-भावना है...

श्री उपाध्यक्ष: निर्वाचन क्षेत्र नहीं, आप राजस्थान की बात करें।

श्री पेमाराम (धोद): हां, वह भी राजस्थान में ही है, वह कोई पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। धोद भी राजस्थान का ही हिस्सा है। शिक्षा में मेरे दिमाग में, मेरी समझ में, मेरी चेतना के अनुसार है। वह मैं यहां पर रखना चाह रहा हूं।

सरकार अपनी जिम्मेदारी से पहले हटे और उसके बाद कानून पर कानून। एक रोज 15-16 कानून ले आये, उस शिक्षा के लिए ले आये। उपाध्यक्ष महोदय, आज इसलिए कहना पड़ रहा है...

श्री उपाध्यक्ष: अमरारामजी बी ए सी की मीटिंग में जाते हैं, आप उनको सजेस्ट नहीं करते? आपकी पार्टी के लीडर हैं। अमरारामजी उस कमेटी के मेम्बर हैं जिसमें डिसिजन होता है, कौनसा काम होना है।

श्री पेमाराम (धोद): शायद मैं समझता हूं कि अमराराम ने नहीं कहा कि राजस्थान की विधान सभा की बैठकें कम हो जायें। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, एक बात और बता दूं आपको...

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): बी ए सी की मीटिंग की चर्चा यहां करना अच्छा नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप इनसे राय लेकर जाना।

श्री पेमाराम (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, अमराराम जिस रोज ताकत में होगा, उस रोज राजस्थान की विधान सभा की बैठकें ...

श्री उपाध्यक्ष: मुझे तो इनसे ज्यादा ताकत में आप नजर आते हो।

श्री पेमाराम (धोद): ...(व्यवधान) एक-एक बिल पर एक-एक दिन हर विधायक को बोलने के लिए, राय लेने के लिए, चर्चा के लिए पूरा मौका देंगे। यह नहीं कि कंठ मोचने का काम करें। (व्यवधान) सुझाव ही दे रहा हूं, साहब।

श्री उपाध्यक्ष: आसन एतराज नहीं कर रहा है, आपके पक्ष के सदस्य ही एतराज कर रहे हैं। आसन ने खुली छूट दे दी आपको, जितनी देर चाहें, बोलिए आप। आपके भाषण की कला बहुत अच्छी है, बोलिए आप।

श्री पेमाराम (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मेरा सरकार के सामने सुझाव है, एक उदाहरण है, हमारे जिले में बड़ी-बड़ी इंस्टिट्यूट हैं, कम्पनियों की इंस्टिट्यूट हैं, उनमें हमारे जिले के बेटे-बेटी तो नहीं पढ़ सकते। उनकी भी मोटी फीस है। क्या सरकार उनको छूट दे देगी? और जो 12वीं क्लास तक की प्राइवेट स्कूलें चल रही हैं, उनकी फीस पर नियंत्रण के लिए कानून ले आये। उच्च और नीच, शिक्षा का दो तरह से बंटवारा करने की कहां आवश्यकता है? समग्र रूप से सरकार की नीति क्या है? एजुकेशन पालिसी क्या है? सरकार किस नीति पर जाना चाह रही है? उस पर एक साथ ही क्यों न रहे? यह टुकडों में लाकर, इसका मतलब, ऊपर वालों ने दवाब डाल दिया। हो सकता है, गरीब का छोटा बेटा या बेटी फीस देकर पढ़-लिखकर आगे बढ़ जाए, ऊपर वाले में नहीं आ पाए, इसलिए सरकार को इशारा कर दिया। सरकार यह बिल हमारे बीच में लेकर यहां आ गई।

मेरा सुझाव है, मेरी राय है, आपके द्वारा सरकार से कहना चाहूंगा कि सरकार को चाहिए कि एजुकेशन के ढांचे को सुधारने के लिए पहली क्लास से लेकर तकनीकी तक, तमाम उच्च शिक्षा तक एक स्वरूप आए, फीस का भी आए; सरकार का नियंत्रण करने के लिए कोई बोर्ड बने, तमाम चीजें आए, तो मैं समझता हूं कि बेहतर रहेगा। वरना इस विधेयक को यहां पास करवाने के बजाय, अब भी सरकार को सद्बुद्धि आए तो मेरी राय है कि उसको जनता में

(श्री पेमाराम)

जन मत जाग्रति के लिए भिजवाना चाहिये चाहे जिससे शिक्षाविद् इसमें अपनी राय प्रकट कर सकें।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय श्री प्रतापसिंहजी खाचरियावास।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): उपाध्यक्ष महोदय, जिस बिल का राजस्थान की जनता इंतजार कर रही थी, वह बिल आज सदन में आया है। यह बिल तो बनकर तैयार हो गया और लोग चाहते भी थे कि फीस कन्ट्रोल का कोई बिल आये। इसमें कोई दो राय नहीं, पक्ष और विपक्ष की राय इस बात पर एक है। जब हम तैयारी कर रहे हैं प्राइवेट संस्थाओं पर कंट्रोल की, उनकी मनमानी पर, जो एजुकेशन माफिया खड़ा हो गया, जो पेरेंट्स की परवाह नहीं करता, स्टूडेंटस की परवाह नहीं करता, मनमानी करता है और कहीं भी सरकार इंटरफीयर करने के लिए जाती है तो वह इंटरफीयर नहीं करवाना चाहता, मनमानी करना चाहता है, उसके लिए तो यह बिल बहुत जरूरी था और यह आज आ भी गया।

उपाध्यक्षजी, मैंने उस दिन भी कहा था कि किसी बिल में कोई अच्छे सुझाव सदन में आएं तो उन सुझावों को स्वीकार कर लेना चाहिए। हम आगे के लिए हर बार छोड़ देते हैं। जो यहीं पर किये जा सकते हैं तो उन सुधारों में तो वह करते हैं, उससे मंत्री की योग्यता का पता चलता है कि मंत्री पावरफुल है, मंत्री सचेत है, मंत्री जवाबदेह है और मंत्री हिम्मत रखते हैं। इस तरह के जब मंत्री जवाबदेही के रूप में, कुछ सुधार लेकर, नई सोच के साथ, नये विचारों के साथ, नये तथ्यों के साथ, उस बिल में कुछ और सुधार करते हैं तो राजस्थान की जनता और अवाम को लगता है कि गहलोत सरकार के वे मंत्री हैं जिन्होंने कमाल कर दिया, सदन में कुछ अच्छे विचार आएं तो उनको स्वीकार कर लिया।

अभी जैसा कटारिया साहब ने कहा, इसमें सबको एक साथ सम्मिलित किया जाए, अच्छा विचार है। आज आप नहीं कर सकते, आगे के लिए जब आप कहें, यहां पर हालांकि हायर एजुकेशन मिनिस्टर ने उस दिन कह दिया था कि हम रेग्यूलेटरी बिल लेकर आ रहे हैं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): कब?

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): यह तो मान गये; कब? मैं भी यही पूछ रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आप डिस्टर्ब नहीं करें।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): मैं खुद यह चाहता हूं, ऐसा हो।

श्री उपाध्यक्ष: पेमारामजी को डिस्टर्ब नहीं किया तो आप भी नहीं करें।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): उपाध्यक्ष जी, अगर हायर एजुकेशन को इसमें शामिल किया जा सकता है, तो उसमें करना कुछ नहीं है, उसमें हायर एजुकेशन जोड़ना है। जोड़कर हम यह संदेश दें कि पक्ष-विपक्ष के लोग सब, राजस्थान की भावनाओं को समझते हुए, एकमत होकर, यह जो बिल स्कूलों की मनमानी के लिए आया था, यह ओवरआल पूरे एजुकेशनल इंस्टिट्यूशंस के लिए लागू कर दिया गया है, जिसमें हायर एजुकेशन भी शामिल है। उसका एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा और यह लगेगा कि विधायिका में बैठकर जब लोग चर्चा करते हैं तो पार्टीबाजी से ऊपर उठकर कुछ नये फैसले लेते हैं।

उपाध्यक्ष जी, मैंने उस दिन कहा था कि स्कूलों में आप बैच अलग-अलग कर दो लेकिन यह कलर के नाम पर तो इन्फिरियरटी-सुपीरियरटी काम्प्लेक्स खतम करो। हर स्कूल में यूनिफार्म का कलर एक होना चाहिए, चाहे वह सरकारी हो या प्राइवेट। यह हमको किसने अधिकार दिया कि एक स्कूल का बच्चा दूसरी स्कूल की यूनिफार्म देखकर डरता हो, शरमाता हो, सहमता हो कि यह अलग है और मैं अलग हूं? बैच के नाम पर आप अलग कर दो कि भई, ठीक है, इसका बैच अलग है। इसके अलावा हम नहीं कर सकते।

एक आपको कोर्स, मैं फिर कह रहा हूं कि एक ही कोर्स होना चाहिए एक स्टेट में। मैं तो कह रहा हूं, पूरी कन्ट्री में। अब तो जमाना बदल गया, आजादी के 65 साल बाद भी हम अलग-अलग कोर्स लेकर घूम रहे हैं। मैं यह नहीं कह रहा कि आप उसको बैक में जाकर, जो नये बच्चे आएं, नर्सरी से लेकर ट्वेल्थ तक, एक कोर्स लागू हो जाए, एक ही किताब हो। यह किताब माफिया कितना बड़ा, हर स्कूल में अलग-अलग किताब है। स्कूल के अलग-अलग पैसे हैं। इसमें हालांकि मैंने पूरा पढ़ा नहीं, आपने उसमें, पता नहीं, शामिल किया है या नहीं किया है, उसमें यह चैक कर लेना कि कहीं ऐसा नहीं हो कि फीस की तो आपने तैयारी कर ली कि बढ़ा नहीं सकते, वे कहीं ड्रेस के,

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

बेल्ट के, जूते-मौजे के नाम पर, किताबों के नाम पर, कोर्स के नाम पर, कहीं पैसा वसूली चालू नहीं कर दें। इस तरह का कहीं पर हो, अभी तो उसमें कुछ लाइनें जोड़नी हैं, क्योंकि अपने-अपने कोर्स लागू कर रखे हैं।

एक बात और ध्यान रखी जाए, कुछ बहुत छोटे प्राइवेट स्कूल होते हैं, उनकी कमाई तो ज्यादा होती नहीं है लेकिन वे कहीं गांव में खुल गये, गली में खुल गये, बहुत कम फीस उनकी है। मैं यह नहीं कह रहा कि जिसको आपने लैंड फ्री में दे दी उसको और एक जिसकी खुद की लैंड है, अब कई लोग पुराने धन्ना सेठ है, लैंड और जमीनें, कुछ पुराने रूरल, यहां पर राज किया उन लोगों की स्कूलें हैं। उनके पास बड़े-बड़े गढ़ हैं, सब कुछ है। आप उनको अलग कर दो, मैं यह नहीं कह रहा हूं, यह तो गलत हो जाएगा, आप सबको बराबर रखिये। नहीं तो वे यह समझेंगे, हम तो मालिक हो गए, हमारे ऊपर तो लागू ही नहीं होता। यह असमानता तो हो नहीं सकती किसी भी बिल में, सबके साथ समान व्यवहार होगा। लेकिन कुछ व्यावहारिक बातें जो इसमें जोड़ी जा सकती हैं, मान लीजिए, आप सी आर पी सी के बिना इसमें बिलकुल दंड का प्रावधान रखिये लेकिन आप चैक कर लीजिए कि कहीं पर ऐसा नहीं हो कि एक छोटा स्कूल चलाने वाला, कोई 100-150 लेकर बैठा है उसमें हम लिमिट करें। मान लीजिए साल की कोई 12 हजार रुपये फीस ले रहा है, वह भी इसी दायरे में आ गया तो मारा जाएगा, तो आप चैक कर लेना।

बाकी यह बिल बहुत अच्छा है, इस बिल की जरूरत है, यह पास होना चाहिए। इसमें हायर एजुकेशन को शामिल किया जाना चाहिए, यूनिफार्म का कलर एक हो, ऐसी भावना हमें प्रदर्शित करनी चाहिए; कि हम भेदभाव नहीं करना चाहते, जैसे हम दवाई योजना लेकर आये ए पी एल, बी पी एल, सब बराबर। कोर्स की बात इसमें हमें क्लीयर करनी चाहिए। जो सामान के नाम पर स्कूलों में ठगी होती है, उसको भी कंट्रोल किया जाना चाहिए। जो भी आप सुधार करें, यह बिल अच्छा है, इसकी जरूरत थी।

मैं भरोसा करता हूं कि नये सुधारों के साथ मंत्रीजी इसको लेकर आएंगे तो राजस्थान की जनता का भला होगा। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: श्री अमराराम। आप अगले पर बोल लेना ना। बोलना ही है तो, अगले बिल पर बोल लेना।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह विद्यालय

(श्री अमराराम)

नियंत्रण फीस के लिए है। यह बात सही है कि निजी विद्यालयों को नियंत्रण करने के लिए लेकर आये हैं लेकिन एक तो इनके जितने भी अध्यापक हैं, उनके नहीं है, जैसे अभी प्रतिपक्ष के नेता ने कहा कि जो सेंट्रल सी बी एस ई के हैं, उनके नहीं होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि लक्ष्मणगढ़ में एक मोदी इंस्टिट्यूट है, राजस्थान सरकार ने किसानों की जमीन एक्वायर करके दी है, दसवीं की एक लड़की की फीस साढ़े तीन लाख रुपये है। वह इसमें नहीं आयेगा। केवल जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, मंत्री महोदय इस बात को स्पष्ट करें कि जो सेंट्रल बोर्ड से ली है, एक उदाहरण मैं दे रहा हूं जिसमें साढ़े तीन लाख रुपये, ऐसे स्कूल हैं जो प्राइमरी से पहले हैं वे तो हमारे रिकार्ड में ही नहीं हैं।

अब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक आदेश निकाला, पहले तो आपने प्राइवेट स्कूलों को मान्यताएं दे दीं और उसने अपनी निजी जमीन में बना ली और अब उसके लिए आपने पाबंदी लगा दी कि खेल ग्राउंड के लिए इतनी जमीन होनी चाहिए। वहां स्कूल खुल गई, वहां जमीन है नहीं। इसलिए इस तरह का नियंत्रण, निश्चित रूप से एक समानता हो, इसका भी सम्मान हो।

दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा के लिए प्राइवेट स्कूलों में आपने 6 से 14 साल के बच्चों को एडमिशन दिलाया। एडमिशन दिलाया, उस वक्त तो आपने नियम-कायदे नहीं निकाले और उसके एक साल बाद आपने नियम निकाले। उनको जितना पैसा मिलना चाहिए, विशेष तौर से वे बड़े स्कूल तो जिन्होंने एडमिशन ही नहीं दिया लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में 6 से 14 साल के बच्चों को दे दिया, सीकर जिले में मात्र 56 स्कूलों को दिया है। बल्कि जो ग्रामीण क्षेत्र में थे, उन लड़कों को जिनको एडमिशन दे दिया और जिनकी फीस भी आपने 9 हजार शायद रखी है, उससे कम सबकी फीस है।

श्री उपाध्यक्ष: क्या आप विराज सकते हैं ?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): एक ही मिनट में। उपाध्यक्ष महोदय, उनकी फीस 9 हजार रुपये मैक्सिमम, उससे नीचे होगी, उसको कम दी गई। लेकिन मैं समझता हूं कि वे तमाम ग्रामीण क्षेत्र की स्कूलें हैं, उनमें किसी में भी 9 हजार से ज्यादा फीस नहीं है, लेकिन उनको पढ़ाया। मैं समझता हूं, आपके आदेश से एडमिशन दिये हैं और उन्होंने ही दिये हैं। बड़ी स्कूल है, मोदी

(श्री अमराराम)

इंस्टिट्यूट है, शायद एक भी बच्चे को, 6 से 14 साल वाले को एडमिशन नहीं दिया होगा। दिया है तो बृजकिशोरजी बता दें।

(20.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष: श्री बाबूसिंह राठौड़। अब कोई तथ्य, तथ्य ही बोलिये, सजेस्टिव।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): हां, तथ्य, तथ्य में।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो फीस नियंत्रण का कानून लाया गया है, ऐसा ही कानून मध्य प्रदेश में भी है। उसमें साथ ही यह तय किया गया है कि गांव में जो निवास करने वाले लोग हैं, गांव में बसने वाले जो बच्चे हैं, सरकारी विद्यालयों की हालत दयनीय है। सरकार ने भी, गांव के इंटीरियर में जो स्कूलें हैं, उनको एकीकरण के नाम पर, अनार्थिक के नाम पर, बंद कर दिया है। राजस्थान में 1,100 स्कूल बंद हो गये। मेरे यहां 34 स्कूल बंद हो गये। केवल एक अध्यापक के कारण और स्टाफ नहीं होने के कारण वहां पर बच्चे सरकारी विद्यालय में नहीं जा रहे हैं।

इस कारण मध्य प्रदेश में यह कानून तय किया कि गांव के जो बच्चे बी.पी.एल. हैं, गरीब हैं, जिनकी सालाना इनकम ढाई लाख से कम है, उनके बच्चे अगर प्राइवेट विद्यालयों में जाएंगे तो उनको प्रति माह 75 रुपये फीस पांचवीं तक सरकार देगी। उसके बाद छठी, सातवीं, आठवीं, लगातार फीस में बढ़ोत्तरी की जाएगी। वे सरकारी विद्यालयों में अगर नहीं पढ़ना चाहते हैं और गांव के किसी प्राइवेट विद्यालय में पढ़ना चाहते हैं तो वे वहां पढ़ सकेंगे और सरकार उनकी फीस देगी।

मेरे यहां भारती फाउंडेशन है, शेरगढ़ में 32 विद्यालय खोले हैं। वे इतना शानदार पढ़ा रहे हैं। हमने उनको जमीनें दिलवाई हैं। मेरा निवेदन यह है...

श्री उपाध्यक्ष: आपका सजेशन; आपका निवेदन नहीं, सजेशन दीजिए।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): मेरा एक निवेदन है कि जब वे स्कूल खुले हैं, इंटीरियर गांव में, तो वहां पास वाले सरकारी स्कूल सब बंद हो गये, क्योंकि वहां बच्चे पढ़ रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आपको पता है, मिड-डे मील चालू है, एक मिनट, मिड-डे मील चालू हुआ, तब से बच्चों की संख्या बढ़ गई बताई। (व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): नहीं, नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: प्राइवेट में आ रहा है।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): कागजों में बढ़ी है। अध्यापक पकाता है उसको।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): प्राइवेट बच्चों के नाम सरकारी विद्यालयों में हैं। प्राइवेट बच्चों के नाम सरकारी विद्यालय में नामांकित हैं, उनके नाम से मिड-डे मील उठ रहा है। एक विद्यालय में 10-10 हजार रुपये मास्टर वहां कमाई कर रहे हैं, जो एकल अध्यापक लगे हुए हैं।

इसलिये, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि भारती फाउंडेशन के जहां स्कूल खुले, उसके पास में आपके सरकारी स्कूल बंद हो गये। तो सरकार, जो अनार्थिक विद्यालय बंद हो गये, वे पी.पी.पी. मोड पर, जो हमारे बी.एड. किये हुए हैं, जो एस.टी.सी. किये हुए हैं, उनकी कोई टीम बना करके उनको कोई सहायता दे कि सरकारी भवनों में वे विद्यालय चलायें और सरकार प्राइवेट विद्यालयों के जो गरीब बच्चे हैं उनकी फीस स्वयं वहन करे। इस प्रकार का इसमें लाना चाहिए, जिससे गांव के हमारे गरीब के बच्चे पढ़ सकें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): दो स्पष्टीकरण बताने हैं, दो स्पष्टीकरण।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का सेक्शन 6 पढ़कर, मंत्री महोदय, आपको सुनाना चाहूंगा, 'determination of fees', मतलब, फीस की अवधारणा क्या है। आप यह लेकर तो आ गये लेकिन आपने इसके माध्यम से निजी विद्यालयों को फीस निर्धारित करने के जो मापदण्ड रखे हैं, उससे तो इनकी फीस इतनी हो जाएगी कि पहुंच से बाहर हो जाएगी। इसमें क्या रखा है, प्राइवेट विद्यालय की अवस्थिति, मतलब, कहां प्राइवेट विद्यालय है, उपरोक्त अवसंरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है; प्रशासन और रख-रखाव पर व्यय और प्राइवेट विद्यालय की वृद्धि और विकास के लिए अपेक्षित युक्तियुक्त अधिशेष, मतलब, उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, उसका एक्सपेंडिचर, एडमिनिस्ट्रेशन और मेंटिनेंस पर क्या है; 'reasonable surplus, required growth and development' उस प्राइवेट स्कूल का क्या है। आप इन कारकों को लेकर फीस का निर्धारण करेंगे तो मैं समझता हूं कि ऐसी फीस का निर्धारण कर देंगे कि प्राइवेट स्कूलों में आज जो फीस है, क्योंकि कोई भी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

स्कूल कहेगा, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर यह है, कोई भी स्कूल कहेगा कि मेरे डवलपमेंट का प्लान यह है, कोई भी स्कूल कह देगा कि मेरा इस पर जो एक्सपेंडिचर है, एडमिनिस्ट्रेशन और मेंटीनेंस, वह इतना है। तो ये कारक ही ऐसे हैं तो उसके बाद ये किस तरह की फीस का निर्धारण करेंगे?

श्री उपाध्यक्ष: मोहनजी, आप अगले पर बोल लेना। अब बहुत डिस्कशन हो गया। मेरा अनुरोध है।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बोलना है।

श्री उपाध्यक्ष: एक मिनट तो विराजिये। वैसे भी आपको पता है, परिपाटी से सदन चलता है। परिपाटी शायद यह पड़ती जा रही है कि बहस का, कोई अमेंडमेंट होता है क्या? आज दिन तक हुआ है क्या किसी में? बहुत ही रैयर। इसलिये मेरा अनुरोध है, अगली बार में आपको बोलने का मौका मिलेगा।

माननीय मंत्रीजी।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय ने आर.टी.ई. के तहत जो पेमेंट नहीं किया, उसके बारे में प्रश्न उठाया। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि हमने फीस के पुनर्भरण का कार्य प्रारम्भ कर दिया है। 24 हजार प्राइवेट स्कूलों में करीब एक लाख 15 हजार बच्चों को प्रवेश दिया गया था। लगभग छह करोड़ रुपये की राशि रिलीज की जा चुकी है।

प्रतिपक्ष के माननीय नेता महोदय, जो हमारे सम्माननीय भी हैं, हमारे आदरणीय भी हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रश्न उठाया था कि यह चीजें सी.बी.एस.ई. कोर्स और इंग्लिश स्कूल पर भी लागू हों। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, यह उस पर भी लागू हो जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बाबूसिंहजी राठौड़ साहब ने जो प्रश्न उठाया, वह इस बात से कोई सम्बन्धित नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष: बाबूसिंहजी, खड़े-खड़े बात नहीं करते। पहली बात तो आप अपनी सीट पर विराजिये।

श्री बृजकिशोर शर्मा (शिक्षा मंत्री): माननीय अमरारामजी ने जो प्रश्न उठाया, उसका जवाब मैं दे चुका हूं।

माननीय प्रतापसिंहजी ने जो बात उठाई है, मैं उनको धन्यवाद देता हूं

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

और जो उन्होंने आशंका व्यक्त की है, उस आशंका का निर्वाण, वे शायद इस बिल को पढ़ लेंगे तो स्वत: ही यह महसूस कर लेंगे कि हमने वे प्रोविजंस इसमें डाले हैं जिससे किसी को हैरेसमेंट नहीं हो।

अत: माननीय सदस्यों ने इस मामले में क्वेरिज कीं, उपाध्यक्ष महोदय, मैं उनको आपके माध्यम से जवाब दे चुका हूं।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विद्यालय (फीस के संग्रहण का विनियमन) विधेयक, 2013 को पारित किया जाय?

(स्वीकृत)

राजस्थान विद्यालय (फीस के संग्रहण का विनियमन) विधेयक, 2013 पारित किया गया।

राजस्थान विशेष न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2013 । माननीय श्री शांतीकुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विशेष न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से ...(व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): उपाध्यक्ष महोदय, आपने कहा, बाद में बोलना। मैं न्यायालय पर क्या बोलूंगा? मुझे शिक्षा पर बोलना था। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप शांत होइये।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विशेष न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2013

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विशेष न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: विधेयक को जन मत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। श्री ओम बिरला।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विशेष न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2013, यह बिल लाने की सरकार की मंशा यह थी कि सरकार जो सम्पत्तियां हैं, जो आय से अधिक

(श्री ओम बिरला)

सम्पत्तियां हैं, उन सम्पत्तियों को, एक प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त करके और सीधे उस न्यायालय के अन्दर वह वाद प्रस्तुत करेगी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसी सदन में 12 अप्रैल, 2012 को इस बिल को लाने के पीछे, सरकार के माननीय विधि मंत्रीजी ने कहा था कि हम राजस्थान से भ्रष्टाचार को समाप्त करना चाहते हैं और ये राजस्थान के पहले मुख्य मंत्रीजी हैं जो भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना चाहते हैं, नियंत्रण लगाना चाहते हैं। भ्रष्टाचार पर नियंत्रण और लगाम लगाने के लिए इस बिल को विशेष रूप से लाया जा रहा है। मुझे भी लगा था कि सरकार वाकई में भ्रष्टाचार को रोकने के लिये बहुत गम्भीर है, चिन्तित भी है और शायद जिस तेजी के अन्दर विधि मंत्रीजी थे, मुझे लगा था कि राजस्थान के अन्दर भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, राम-राज्य आयेगा। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पिछले चार साल के अन्दर जिस तरीके के आरोप सदन में लगे, सदन के बाहर लगे, इसमें मंत्री महोदय ने यह भी कहा था कि इसमें छोटे से छोटा लोकसेवक, कांट्रेक्टर से लेकर देश का प्रधान मंत्री तक इस बिल में आयेगा। मेरे पास इनकी प्रोसीडिंग्स पड़ी है, एक-एक शब्द पढ़ा दूंगा। इस बिल के साथ सरकार की मंशा थी कि हम कड़े से कड़ा कानून लाकर राजस्थान में भ्रष्टाचार को समाप्त कर देंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या इस चार साल के अन्दर सरकार ने जितने ए.सी.बी. के केस थे, मेरे पास उनके प्रश्नों का जवाब है, सरकार ने ए.सी.बी. के अभियोजन स्वीकृति के लिए भेजे? सरकार में अभी पड़े हुए हैं। करप्शन के बड़े-बड़े आरोप, कई बड़े-बड़े अधिकारियों के आय से ज्यादा सम्पत्तियों के केसेज, 18-18 आई.ए.एस. के केस, इस सरकार ने ठंडे बस्ते में पटक दिये हैं।

और तो और, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लोकायुक्त की रिपोर्ट के आधार पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से लेकर एक आई.ए.एस., जिसके लिए मैंने पूर्व में भी कहा था, जिस पर लोकायुक्त ने गम्भीर टिप्पणी की, जिस पर करप्शन का आरोप माना, सरकार ने उस लोकायुक्त की सिफारिश को भी उस ठंडे बस्ते में पटक दिया।

इतना ही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की मंशा अगर भ्रष्टाचार को रोकने की हो तो पूरा सदन साथ में है लेकिन सरकार की मंशा

(श्री ओम बिरला)

भ्रष्टाचार को रोकने की नहीं है। सरकार की मंशा तो कानून लाने की है। नये-नये बिल और कानून ला रहे हैं। चाहे राजस्थान के इस साढ़े चार साल के शासन में सबसे ज्यादा बिल और कानून इस सरकार में आये हैं लेकिन क्या हुआ उन कानूनों का?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बिल बना 12 अप्रैल, 2012 को। माननीय विधि मंत्रीजी ने कहा था कि हम एक महीने के अन्दर नियम बना देंगे। क्या एक महीने में नियम बन गये? इनके प्रश्नों का अभी जवाब आया था, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनके प्रश्नों के जवाब में, यह बिल जो इन्होंने 12 अप्रैल, 2012 को बनाया था, इसके नियम बने 24 जनवरी, 2013 को। नियम बनने के बाद भी, आज तक भी, जयपुर और जोधपुर के अन्दर इन्होंने विशेष न्यायालय खोलने की बात कही थी, क्या विशेष न्यायालय खुल गये? क्या वित्त विभाग का अभी तक अनुमोदन, बजट स्वीकृत हो गया? बजट स्वीकृत हुआ तो कितना हुआ? कितने विशेष न्यायालय खुल गये? विशेष न्यायालयों में कौन-कौन न्यायाधीश नियुक्त हो गये?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कितने लोग आय से अधिक सम्पत्ति के पकड़े गये? कितनों की सम्पत्ति जब्त कर ली गई? सरकार ने एक प्राधिकृत अधिकारी के रूप में न्यायालय में कितनी पेश कर दीं?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत लम्बी बात नहीं करना चाहता क्योंकि +++

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं कहा।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): आपने कहा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप ऐसे, यह अंकित ही नहीं होगा। यह तथ्य सही नहीं है। इनको आप हटाइए।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): चलो, माफी चाहते हैं। आपने कह दी हो तो हम आपकी तरफ से माफी चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: इतनी देर बोलने का मतलब यह नहीं है कि आप मर्जी आए, जो ही बोलो। समझदार हो, नासमझी की बात नहीं करनी चाहिए।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): लेकिन आपकी मंशा और सबकी मंशा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यही है कि जो सरकार कानून

(श्री ओम बिरला)

बनाने जा रही है तो कम से कम टाइम बाउंड प्रोग्राम के अन्दर उसके नियम बनाये। अगर हम कानून बना दें और उसके नियम साल भर तक नहीं बनायें तो उस कानून का कोई लाभ होने वाला नहीं।

भ्रष्टाचार जैसे विषय पर सरकार को गम्भीर होना चाहिए। क्योंकि सरकार गम्भीर नहीं है जो लोकायुक्त को नियुक्त नहीं कर सकी, जो ए.सी.बी. के अधिकारियों पर अंकुश रखे। मेरे पास जानकारियां हैं, यदि ए.सी.बी. के अधिकारियों को सरकार निष्पक्ष रूप से काम करने देती तो इस राजस्थान के अन्दर कितने ही बड़े अधिकारी और कितने ही बड़े लोग शायद उस ए.सी.बी. के चंगुल में आते। लेकिन स्वतंत्र एजेंसी न तो ए.सी.बी. है, लोकायुक्त बनाया नहीं। नये लोकायुक्त के लिए पूरा देश लड़ता रहा। राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि लोकायुक्त बनाएंगे, उस लोकायुक्त को बनाया नहीं, लोकायुक्त की नियुक्ति हुई नहीं।

तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे तीन सवालों का ये जवाब दे दें कि इसमें परिवर्तन करने का मकसद क्या था? धारा-13 के अन्दर, ये एक बहुत छोटा संशोधन लाये हैं लेकिन उसके साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो और बातें बता दें कि विशेष न्यायालय के अन्दर कितने आपने अभी तक आय से अधिक सम्पत्तियों के केस भेज दिये? कानून, नियम बन गये हैं तो कितना बजट आबंटन हो गया और कितने न्यायाधीश नियुक्त हो गये?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मत है कि सरकार कानून बनाये लेकिन समय पर नियम बनाये ताकि उस कानून का लाभ राजस्थान की जनता को मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय डाक्टर दिगम्बर सिंहजी।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री रोहिताश कुमारजी।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री राजेन्द्र राठौड़ ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विशेष न्यायालय अधिनियम, 2012 में सरकार धारा 2 (ख) में संशोधन लेकर आई है। इसमें कोई शक नहीं कि अप्रैल 2012 के अन्दर सरकार ने मूल अधिनियम बनाया, विधान सभा से पास करवाया और उसके बाद, जैसा कि

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कोटा दक्षिण से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि नियम नहीं बने, ये नियम बनते भी कैसे? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल का उद्देश्य और कारणों का कथन मैं पढ़कर सुनना चाहता हूं ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि हमारे ज्ञानी विधि मंत्रीजी कितने लापरवाह हैं। मैं पढ़ रहा हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ''राजस्थान विशेष न्यायालय अधिनियम, 2012 की धारा 2 (ख) में परिभाषित प्राधिकृत अधिकारी से ऐसा कोई सेवारत अधिकारी अभिप्रेत है जो राजस्थान न्यायिक सेवा का है और सेशन न्यायाधीश या अपर सेशन न्यायाधीश है या रहा है, जिसे धारा 3 के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय की सहमति से नाम निर्देशित किया गया है। वस्तुत: प्राधिकृत अधिकारी धारा 13 के प्रयोजन के लिए नियुक्त किया जाना है, इसलिए धारा 3 के स्थान पर धारा 13 प्रतिस्थापित किया जाना प्रस्तावित है।''

मतलब, यह कोई क्लेरिकल मिस्टेक नहीं है। धारा 3 इन्होंने अंकित करके यह कह दिया और मूल उस एक्ट में धारा 3 के अन्दर यह प्रावधान ही नहीं था कि आप इसका प्रेसाइडिंग आफिसर किसको नियुक्त करेंगे। वह धारा 13 में था।

आपके पास फाइल आई। आपके अधिकारियों को, पूरा लासेक्रेटरी से लेकर सब लोग हैं। जिस सरकार के अन्दर, सिर्फ इतनी बात नहीं है कि धारा 3 और धारा 13, अगर इस संशोधन को, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कोई पढ़ा-लिखा आदमी पढ़ेगा तो वह कहेगा, विधि मंत्रीजी, हाथी के दांत दिखाने के कुछ हैं और खाने के कुछ हैं। आपकी मंशा नहीं थी कि राजस्थान में आप विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए स्थापित करें, क्योंकि आपको तो सिर्फ बातें हवा में छोड़नी थीं।

अगर मूल रूप से आपको इसके अन्दर जो प्रेसाइडिंग आफिसर नियुक्त करना है, उच्च न्यायालय के परामर्श से, उसकी धारा को ही गलत कोट कर रहे हो और आज संशोधन लेकर आये हो कि धारा 3 के संदर्भ के स्थान पर धारा 13 पढ़ी जाए, यह क्लेरिकल मिस्टेक नहीं है। इसके पीछे बदनीयती है। क्योंकि, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जिस तरह भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए, राजस्थान के उच्च न्यायालय ने परसों आपको फटकार लगाई। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: यह, माननीय सदस्य, एक मिनट विराजें। मैं आपको अर्ज कर दूं कि यह इतनी लम्बी बहस चल रही है ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): बहस नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: आप सुनिए, बात को। इसमें कोई वैकल्पिक सिद्घांत या पृथक से ...(व्यवधान) सुनिये, अपन इसको भाषण के रूप में नहीं लेकर के, मैं आपकी भावना की कद्र करता हूं, सदन चाहे तो आसन को कोई एतराज नहीं है, लेकिन कोई वैकल्पिक, अब क्यों प्रवर समिति को भेजा जाए, वहां तक सीमित रहें। मेरा अनुरोध है। मेरा विनम्र अनुरोध है कि यूं अपन बोलें उसको। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, मैं वहीं तक सीमित रहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: वहां तक सीमित नहीं रह पा रहे हैं, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, मैं आपकी आज्ञा की पालना करूंगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा लापरवाही क्या हो सकती है? इस लापरवाही को मंत्री की लापरवाही कहूं? क्या इनके नीचे बैठे प्रशासनिक सचिवों की लापरवाही कहूं?

श्री उपाध्यक्ष: लापरवाही नहीं, वैकल्पिक कह दो न आप। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): या इसके पीछे बदनीयती कहूं? या यह बात कहूं कि राजस्थान उच्च न्यायालय लगातार इस सरकार पर स्ट्रिक्चर पास करता जा रहा है? राजस्थान उच्च न्यायालय ने कहा कि अभियोजन स्वीकृति के नाम पर आप क्यों और किस तरह रोक रहे हैं? यह क्लेरिकल मिस्टेक नहीं है। यह आपके दम्भ और अति ज्ञानी होने का अजीर्ण जो है, मंत्री महोदय, आपको, आपके मन में यह बात आ गई। क्योंकि अंधों में काना राजा, आपसे ज्यादा कोई ज्ञानी नहीं। आप अपने आपको विधि विशेषज्ञ भी समझते हैं पर उस फाइल पर दस्तखत करने से पहले धारा 3 और धारा 13 क्या कहती है, यह आपने क्यों नहीं पढ़ा?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह फाइल कितने बजे आपके सामने प्रस्तुत की गई? मेरा दावा है कि यह फाइल रात को नौ बजे बाद आपके सामने प्रस्तुत की गई, इसलिए जल्दी में आपने दस्तखत कर दिए, वरना आप दस्तखत नहीं करते। क्योंकि मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, आप मेरे मित्र हैं, उस समय फाइल गई, मंत्री महोदय, कैसे और किस तरह, किस दम्भ में और किस +++ में आपने दस्तखत कर दिये? आपको दंडित करना चाहिए जिन्होंने आपके सामने उस फाइल को रखा।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इसलिए इसको जन मत जानने हेतु परिचारित किया जाए और आसन इनको प्रताड़ित करे कि इस तरह से छोटी-छोटी लापरवाही नहीं करें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप यह भी बता दीजिये ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आज सदन का कितना समय नष्ट हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, ... कितनी तरह का होता है, यह भी बता दीजिये न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, आज सदन के बहुमूल्य समय का कितना समय नष्ट हुआ है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सत्ता का ... होता है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इसके लिये कोई जिम्मेवार है तो, विधि मंत्रीजी, आप जिम्मेवार हो। इसलिए आप इसको छोड़ो और जन मत जानने के लिये परिचालित करो ताकि राजस्थान में और विशेषकर कोटा में यह मालूम पड़ जाये कि आप कितने ज्ञानी हैं।

श्री उपाध्यक्ष: विराजिये। आप थर्ड स्टेज पर बोल लेना।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): नहीं, मैं एक निवेदन कर रहा हूं। माननीय सचेतक महोदय ने जो शब्द 'अंधों में काना राजा' और एक '+++ के अन्दर कर दिये', यह दो एक्सपंज करवाइये। (व्यवधान) नहीं, आपने कहा, 'अंधों में काना राजा'।

श्री उपाध्यक्ष: नहीं, यह +++ शब्द हटा दीजिये।

श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत (चित्तौड़गढ़): आप कार्यवाही मंगाकर देख लो। और दूसरा '+++ के अन्दर' यह हटवाइये।

श्री उपाध्यक्ष: कोई ऐसा शब्द प्रोसेडिंग में नहीं आना चाहिये।

माननीय श्री गुलाबचन्द जी कटारिया।

श्री ओम जोशी (फलौदी): आप ऐसे वरिष्ठ सदस्य हैं, बोलने में तो सावचेती रखनी चाहिये, शब्दों में तो सावचेती रखनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री गुलाबचन्द जी कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): उपाध्यक्ष महोदय, इसमें

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। केवल इसमें चेयर कौन करे, इसके बारे में आपने सेशन जज या अपर-सेशन जज, दोनों में से किसी को नियुक्त करेगा, हाई कोर्ट के डायरेक्शन से।

इसमें अब कारण क्या है कि हमको भी एकदम से तुरन्त मिला। हम सच में धारा 13 भी नहीं पढ़ पाये और धारा 3 भी नहीं पढ़ पाये कि वास्तव में धारा 3 क्या कहती है और धारा 13, जो जोड़ रहे हैं, उसमें क्या विशेष अन्तर आ गया।

मैं सोचता हूं, जब अपन ने मूल एक्ट बनाया होगा, उस समय में 'बी' चेयरपर्सन कौन होगा, क्या इसको डालना भूल गये थे? अब अगर न्याय और कानून बनाने वाले लोग जिस प्रकार की विशेष न्यायालय की रचना कर रहे हैं, उसमें अगर एक्ट बनाते समय यह ही नहीं डाला कि इसको हैड कौन करेगा, तो कितने बुद्धिमान लोगों के बीच में से यह फाइल निकली होगी और फिर हम सब बुद्धिमानों ने मिलकर इस पर ठप्पा लगाया होगा। राजस्थान की जनता हम सबकी तरफ देख रही होगी कि कैसे-कैसे विद्वान सदस्य विधान सभा में बैठते हैं कि वे ऐसा कानून भी बनाते हैं कि उनको थोड़े दिन बाद ही सम्पट आता है कि हमने कानून तो बना दिया, पर कानून को हैड कौन करेगा, किसके द्वारा होगा, उसका जो आज अमेंडमेंट लाये हैं, यह हमारे लिये कितना दु:खद विषय होगा।

मंत्री महोदय, जिसने भी इस कानून को ड्राफ्ट किया हो, उसको आप टास्क पर खड़ा करो। यह कानून क्या आपने ड्राफ्ट किया? और कौन इसको हैड करेगा, अगर यही आपके प्रोविजन में नहीं है और अपने को अमेंडमेंट लेकर आना है थोड़े से दिन के अन्दर ही, यह आपके-हमारे, सबके ऊपर किस प्रकार लांछन जनता लगाती है, इसको बहुत गहराई से देखें और ठीक करें।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, उत्तर दें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, लम्बी बात कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुल मिलाकर आपने जो बात कही, उससे मैं एग्री करता हूं। 3 के बजाय 13 करना था। 13 भूल से रह गयी, 13 में कर देना चाहिये था। वह गलती हो गयी और वह जो गलती हो गयी, उसी को दुरुस्त करने के लिए आज आये हैं।

अब राजेन्द्रजी राठौड़ कहते हैं कि साहब, आप की मंशा ही खराब थी।

(श्री शांती कुमार धारीवाल)
अगर मंशा खराब थी तो आपने तो नहीं कहा था कि इसको अमेंड करो; यह गलती आपसे हो गयी, इसको दुरुस्त करो। हम ही आये हैं, अपने आप। भूलवश 13 के बजाय 3 लिख दिया गया, उसको दुरुस्त करने आये हैं। तो इसका मतलब नीयत तो साफ है ना। नीयत साफ है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब सुनिये। सुनिये।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): बिरला साहब ने कहा नियम, ये नियम हाथों-हाथ नहीं बनते कभी। आपको कभी मौका नहीं मिला नियम बनाने का। मौका मिलेगा तब पता चलेगा कि नियम कैसे बनते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि नियम कैसे बनते हैं, इतने से वक्त में नियम बन गये, यह बहुत बड़ी बात है। यह भी मानकर चलें आप।

जहां तक सवाल इस बात का है कि जोधपुर...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपसी वाद-विवाद नहीं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जोधपुर और जयपुर में जो विशेष न्यायालय खोलने वाली बात है, तो सब कुछ हाई कोर्ट की परमिशन से होता है।

कुल मिलाकर बात यह है कि भूलवश हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं, 3 के बजाय 13 में होना चाहिये था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप स्वीकार कर लें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हां, स्वीकार करते हैं। भूलवश है, तभी तो संशोधन लेकर आये हैं। इसमें क्या दो राय है?

श्री उपाध्यक्ष: बस, चर्चा समाप्त।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विशेष न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को जन मत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाय?

(अस्वीकृत)

राजस्थान विशेष न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को जन मत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विशेष न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार।

खण्ड 2 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 । स्वीकार किया गया।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया गया।

श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान विशेष न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को पारित किया जाये।

विधेयक का पारण

श्री शांती कुमार धारीवाल (नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विशेष न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को पारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष: श्री केसारामजी।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विशेष न्यायालय के जो नियम बन रहे हैं, मतलब, न्यायालय ऐसे बनें जिनमें कम से कम...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: कोई तथ्यात्मक बात करोगे तो नहीं टोकेगा।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): नहीं, दूसरी बात नहीं कह रहा हूं मैं।

न्यायालय किसलिए है, जनता को सरलता से न्याय मिल सके। धाराएं इतनी बना रहे हैं, कानून को इतना उलझा रहे हैं कि खुद भी नहीं समझ पाये, तो दूसरों को क्या समझायेंगे? जज कोई भी फैसला देता है तो 200 पेज की कापी में फैसला देता है। अरे! जिसको सज़ा मिल रही है, वह यह तो समझे कि मैंने यह गुनाह किया। यह समझ में आवे।

(श्री केसाराम चौधरी)

इन धाराओं को सरल करने का कोई विचार है क्या? मैं चाहता हूं कि जनता को न्याय मिलने के लिए, जिसने कोई गुनाह किया है, उसको यह समझ में आना चाहिये कि मैंने यह गुनाह किया है, इसलिए मुझे यह सज़ा मिल रही है। वकील ही अपने आप धाराओं में धारा उलझाकर, ऐसा नियम बनाते हों, ऐसे नियम बनाने से जनता को कोई फायदा नहीं हो सकता, वकीलों को जरूर फायदा हो सकता है।

इसलिए विशेष न्यायालय बनाओ, कुछ भी बनाओ, जब तक नियमों का सरलीकरण नहीं होगा, वही घिसे-पिटे अंग्रेजों के जमाने के नियम-कानून चल रहे हैं। उन कानूनों में इतना सरलीकरण हो जाये कि वह खुद अपनी पैरवी कर सके कि मैंने यह गुनाह किया है पर मैंने यह गुनाह इस तरह से नहीं किया है। ऐसे नियम बनाने चाहिये। मेरा तो यह मानना है। मतलब, इतनी लम्बी-चौड़ी कैसे? अभी यह बिल पेश हो रहा है, बिल क्या है?

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिये।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): उसमें संशोधन करने के लिए पता ही नहीं लगता, उसमें क्या संशोधन करें।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है राजस्थान विशेष न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विशेष न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया गया।

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2013 । श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीय, प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाए।

विधेयक पर विचार

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2013

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: विधेयक को जन मत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। माननीय श्री ओम बिरला।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय... (व्यवधान) घर चले जाओ। रोका किसने है?

श्री उपाध्यक्ष: मैंने अर्ज किया है, बिरलाजी, उसके रीजन तक सीमित रहें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): हां, वहीं तक। मैं पेरिफेरी से बाहर नहीं जा रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: पेरिफेरी से बाहर क्या, आप तो, पता नहीं, विदेश तक घूम आये।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर एक दिन मोहनलालजी गुप्ता ओलावृष्टि और अतिवृष्टि पर, फसल खराबे पर बोल रहे थे यहां सदन के अन्दर, वैसे ही ओम बिरलाजी पंचायती राज पर बोल रहे हैं। हुक्म, आपकी कांस्टिट्यूएंसी तो शहरी है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ये पूरे राजस्थान का ज्ञान रखते हैं। आपको वहम है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): यह मंत्रीजी बतायेंगे कि यह पंचायत शहर या गांव की है। ये कह देंगे। गांव में नहीं जानते तो नहीं बोलेंगे। ये जिला प्रमुख रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देश के अन्दर जब पंचायत राज की शुरुआत हुई थी तो हमारा सौभाग्य कि राजस्थान में 2 अक्टूबर, 1959 को नागौर के अन्दर पंचायत राज के माध्यम से गांव की योजना बनाना और उस गांव के विकास की योजनाओं के आधार पर राजस्थान के अन्दर विकास की अवधारणा बनाना; उपाध्यक्ष महोदय, आज पंचायती राज जिसकी नींव नागौर में रखी गई, स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल नेहरू द्वारा रखी गई। इस योजना को लाने के पीछे, आज भी हिन्दुस्तान के अन्दर, जिस पंचायत राज के माध्यम से गांव का विकास और उसकी योजनाओं को ठीक से एक्जीक्यूट करना था लेकिन आज जो पंचायती राज की व्यवस्था है, जिसके लिए इस सरकार ने बहुत दावे किये थे कि हम पंचायती राज की फंक्शनिंग और फाइनेंशल स्टेटस के अधिकार पंचायत के सुपुर्द करेंगे और 29 विभागों का स्थानान्तरण करेंगे, उसके माध्यम से गांवों के विकास की योजना बने और वह एक्जीक्यूट हो।

अभी हमारे प्रतिपक्ष के नेता महोदय कह रहे थे कि जितना बजट

(श्री ओम बिरला)

प्रावधान हम रखते हैं, उन प्रावधानों को यदि जिलों के आधार पर और जिले से पंचायत के आधार पर हो तो शायद हम राजस्थान का बहुआयामी विकास कर सकते हैं। आजादी के बाद अभी तक जितना पैसा पंचायतों में आया है, चाहे कोई सी भी योजना हो, उस योजना के अन्दर यदि देखा जाए तो बहुत बड़ी राशि पंचायतों में आयी है लेकिन पंचायतों में तकनीकी रूप से उसका एक्जीक्यूशन, उसका सुपरविजन, पंचायतों का अधिकार नहीं होने के कारण आज भी गांवों का विकास नहीं हो सका।

इस संशोधन को लाने के पीछे पंचायती राज मंत्रीजी का शायद यही मकसद होगा कि हमारी जो हमारी मण्डियां हैं, कृषि उपज मण्डी समिति के अधिनियम की धारा 13 में जो मण्डी फीस वर्तमान में आधा प्रतिशत है, उसको एक प्रतिशत किया जाए। उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मंशा यह है कि किसको एक प्रतिशत बनाने के लिए कमेटी के गठन की अनुशंसा की गई थी? मैं इतनी ही जानकारी चाहता हूं कि यह कमेटी कब बनी थी? कौन-कौन अधिकारी उस कमेटी में थे? उस कमेटी में क्या-क्या अनुशंसा की गई थी। अनुशंसा के माध्यम से कितना पैसा अभी तक गांवों की पंचायतों में पहुंचा है?

जिस तरीके से हमारी तकनीकी कमजोरी, हमारा सुपरविजन कमजोर, हमारे सरपंचों से लेकर तमाम लोगों को, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में, मेरे प्रश्न का जवाब है, इतने करप्शन के आरोप लगने के बाद भी एक अधिकारी पर करप्शन के आरोप में चार्जशीट नहीं दी गई। कई सरपंच फंस गये।

उपाध्यक्ष महोदय, यदि हम पंचायत राज को सशक्त करना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं और सरकार की मंशा यदि पंचायत राज को मजबूत करने की है तो सारे के सारे सिस्टम को आवश्यकता हो तो एक कानून में लाया जाए, उसका सिस्टम सुधारें। अगर पंचायत राज को मजबूत नहीं किया तो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम ठीक नहीं होगा, हमारी विकास की योजनाएं ठीक तरीके से नहीं चल पाएंगी।

इसलिए मेरा निवेदन है कि और अधिक पैसा हम पंचायतों को दें लेकिन आलरैडी पंचायतों के पास जो पैसा है, कई योजनाएं हैं, उन पैसों का योजनाओं में ठीक से उपयोग नहीं हो रहा। उपाध्यक्ष महोदय, पंचायती राज मंत्रीजी खुद जानते हैं कि किस तरीके से हम पैसे दे देंगे और ठीक तरीके से

(श्री ओम बिरला)

उसका यूटिलाइजेशन हो। आपने कहा था कि गांवों में मास्टर प्लान बनायेंगे, कितने मास्टर प्लान बन गये? क्या उसके आधार पर गांवों का विकास हो गया? क्या पंचायतों को अधिकार जो देने थे, वे दे दिये?

इन सारी बातों का समावेश किये बिना, हम आधे से एक प्रतिशत कर देंगे, पैसा और भी दे देंगे, लेकिन पंचायत राज मजबूत नहीं होगा। जब तक पंचायती राज मजबूत नहीं होगा तो हमारे विकास का ढांचा, विकास का, ठीक तरीके से नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री राजेन्द्र राठौड़। आप बोलेंगे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 में सरकार संशोधन लेकर आयी है धारा 65 और 59 में। धारा 65 में सरकार जो संशोधन लेकर आयी है, उसके पीछे सरकार की मंशा है कि ग्राम पंचायतों को वह कर लगाने की छूट दें। ग्राम पंचायतें निजी भवनों पर कर लगा पायेंगी, धारा 65 के अनुसार पशुओं पर कर लगा देंगी, चुंगी लगा सकती हैं, ट्रैक्टर पर कर लगा देंगी, तीर्थ यात्राओं पर कर लगा देंगी, पेयजल पर कर लगा देंगी, वाणिज्य फसल और सम्पत्ति विक्रय पर लगा देंगी। धारा 59 में जिला परिषदों को अधिकार दे रहे हैं। वह ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पत्ति के विक्रय पर स्टाम्प शुल्क पर पांच प्रतिशत और जो कृषि उपज मण्डी है, धारा 17 में उसकी निर्देशित फीस जो आधा प्रतिशत है, उसको एक प्रतिशत करने का काम करेंगी।

इस महंगाई के समय में शायद सरकार को पंचायत राज संस्थाओं को सशक्त करने के लिए सिर्फ एक ही उपाय लगा कि ग्राम पंचायतों और जिला परिषदों को वह अधिकार दे दे। जिस तरह सरकार की मंशा है कि कभी सामने से, कभी पीछे के दरवाजे से, करों से राजस्थान की अवाम को लाद दे, उसी तरह ये ग्राम पंचायतों को अधिकार दे रहे हैं। ग्राम पंचायत इस अधिकार का जब उपयोग करेंगी, मंत्री महोदय, वे पंच परमेश्वर वाली पंचायतें नहीं रही हैं, ग्राम पंचायतों का स्वरूप बदल गया, आज ग्राम पंचायतें गांवों की धड़ेबन्दी और पार्टीबाजी में उलझी हुई हैं। अगर इस तरह के कर लगाने की छूट दे दी गई तो फिर आप किस तरह से सशक्त करेंगे?

आपको याद होगा, पिछली सरकार की आपने आलोचना की थी कि

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पंचायती राज को पंगु बना दिया। कटारिया कमेटी बनी, कटारिया कमेटी की रिकमंडेशन को हमने लागू नहीं किया और आपने पांच विषय फण्ड, फंक्शंस और फंक्शनरीज के साथ देने की बात कही थी। आपने एलीमेंटरी एजुकेशन दिया, आज क्या हालत है? एलीमेंटरी एजुकेशन का डायरेक्टर कहां बैठता है? किसके नियंत्रण में है? आज डी ई ओ, एलीमेंटरी किसके नियंत्रण में है? आज क्या एलीमेंटरी एजुकेशन का डी ई ओ जिला परिषद के नियंत्रण में है? आज वे कुछ भी नहीं कर सकते।

इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, मंत्रीजी, मुस्कराने से काम नहीं चलेगा, यह कानून आप ला रहे हैं...

श्री उपाध्यक्ष: इनकी मुस्कराने की आदत है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप ग्राम पंचायतों को सशक्त करने के लिए भाषण भी दे दोगे, अगर आपने सशक्तिकरण के नाम पर इतने सारे कर लगाने की छूट दे दी, अगर आपने जिला परिषदों को स्टाम्प पर, सम्पत्ति विक्रय पर पांच परसेंट कर लगाने की छूट दे दी और मण्डी शुल्क में एक परसेंट कर लगाने की छूट दे दी तो आप गरीब जनता को मारने का काम करोगे।

आपने इस पंचायती राज का भट्ठा बैठा दिया। आपने सारी बातें कर दीं। आपने लम्बी-चौड़ी बातें कही थीं कि हम सशक्त करेंगे, अब आपकी सरकार ढलान पर है, अब चन्द महीने आपके पास हैं, उसके बाद आचार संहिता आ जाएगी, मैं पूछना चाहता हूं कि आपने पंचायती राज के सशक्तिकरण के लिए क्या किया? क्या ग्राम पंचायतों को इतने कर लगाने का असीमित अधिकार देकर आप गरीब लोगों को एक तरह से बरबाद करने का काम नहीं करोगे?

इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि इसको जन मत जानने हेतु परिचालित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। डा. दिगम्बर सिंहजी

(अनुपस्थित)

श्री रोहिताश कुमारजी

(अनुपस्थित)

माननीय श्री पेमा रामजी। बोलना है?

श्री पेमाराम (धोद): बोलना है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप विघ्न नहीं डालेंगे, चाहे बैठकर के माननीय सदस्य को समझा दीजिए, समझा सको तो।

श्री पेमाराम (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, एक तरफ जहां पंचायती राज संस्थाएं ताकतवर थीं ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप उनका सम्मान करिए न।

श्री पेमाराम (धोद): नहीं, मैं तो आपसे बात करूंगा न। इनसे तो काहे को? ये सुनें तो भी आपके द्वारा ही।

सबसे पहले तो पंचायती राज संस्थाओं को, वाकई में आज घाव पर थोड़ा सा मरहम लगाने का काम किया; चाहे पंच हो, चाहे सरपंच हो, उनके भत्ते बढ़ाने का काम किया। यह काम तो सरकार का ठीक है। लेकिन यह जो कानून लेकर आये हैं, मैं समझता हूं कि यह कानून पंचायत राज संस्थाओं को ताकतवर बनाने के बजाय पंचायत राज संस्थाओं को कमजोर बनाने का है। क्या यही होगा कि पंचायत राज संस्थाओं के प्रतिनिधि यहां पर आयें और आखिरी सेशन में यह दिन आ रहा है, उस दौरान सरकार ने जो ग्राम पंचायतों के सरपंच आये, उनका आदर-सत्कार जिस तरह से लाठियों के साथ किया...

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): इससे इस बिल का क्या लेना-देना है?

श्री पेमाराम (धोद): रघुजी, इसमें क्या लिखा है? क्या लिखा है आपने? कामर्शियल क्राप पैदा करते हैं, चना जो है, हमने तो चार बीघा बो रखा है, आप उस पर टैक्स लगवाओगे? यह राइट भी देओगे आप? फिर सांस पर टैक्स लगाने का किसको दोगे? यह बिल भी ले आओ। (व्यवधान) सचेतक हैं और वैसे मेरे बड़े भाई हैं, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। सचेतक का काम सचेत करना भी है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि अभी भी कुछ खामियां हैं। माननीय मंत्री महोदय यहां पर बैठे हैं, पंचायतों में सबसे बड़ी बाधा कोई आ रही है तो 60:40 के अनुपात के रूप में बाधा आ रही है। (व्यवधान) आप जवाब दो तब दे देना। पंचायतों में दूसरी जो कोई बाधा आ रही है, आज ग्राम पंचायतों में हर चीज ठेके पर आयेगी। ग्राम पंचायत का सरपंच कोई भी सामग्री लायेगा, ग्राम पंचायत में निर्माण कार्य करने के लिए, तो ठेकेदार के वहां पर जाना पड़ेगा। समाधान तो उनका करना चाहिए था, लेकिन यह करने के बजाय राजस्थान की सरकार ने राजस्थान की जनता पर, जो वोट देकर के ग्राम पंचायत के पंच का चुनाव करती है, वोट देकर के ग्राम पंचायत के सरपंच

(श्री पेमाराम)

का चुनाव करती है, वोट देकर के हम जो यहां पर बैठे हैं, विधायक बनाकर के राजस्थान की विधान सभा में और पार्लियामेंट तक भेजती है, उस जनता पर टैक्स लगाने का कानून लाकर के और वह भी ग्राम पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों के मार्फत, सरकार का इरादा क्या है? सरकार जनता पर कितना वज़न डालना चाह रही है?

आज इस कानून में कह रहे हैं, कोई पशु लेकर के आयेगा, कोई गाय और भैंस बेचेगा और दूसरे गांव में लायेगा, ग्राम पंचायत उस पर टैक्स लगायेगी। पानी पर ग्राम पंचायत टैक्स लगायेगी। इससे पहले, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब ग्राम पंचायत न्यायपालिका का रूप भी होती थी, गांव में कोई झगड़े-फसाद भी हो जाते तो ग्राम पंचायत में आते थे, ग्राम पंचायत उनका भी निपटारा करती थी। उस दौरान जब सरकार इमदाद नहीं कर पाती थी, ग्राम पंचायत आदेशित करके, गांव के लोगों को तय करती थी कि वह जोहड़ी खोदनी है, गांव के पशु उसमें पानी पियेंगे। गांव की आम जनता भी पानी पीती थी। ठीक है, निश्चित तौर पानी पीने के लिए सरकार ने बजट में कुछ हिस्से खर्च किये हैं, लेकिन आज सरकार उस पानी के भी टैक्स लगाना चाह रही है, कह रही है कि ग्राम पंचायत को करना है। ग्राम पंचायत को उनके खुद के मकानों पर, उन पर भी टैक्स लगाने का दे दिया।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि ग्राम पंचायत को ताकतवर बनाने के बजाय, उसी ग्राम पंचायत से सरकार पर्दे के पीछे रह कर के, जिस तरह से कठपुतली का खेल दिखाने वाला पर्दे के पीछे रहकर के कठपुतली को मंच पर नचाता है, सरकार उन चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा जनता पर सीधा टैक्स लगाकर के, जनता पर भार लगाकर के, कहां ले जाना चाह रही है? यह काला कानून क्यों ला रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष: कृपया विघ्न न डालें। इतने अच्छे विचार आपको सुनने को नहीं मिले होंगे। कृपया सुनिये।

श्री पेमाराम (धोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि सरकार बिल लाती तो जो भी ग्राम पंचायत में कामकाज होते थे, इससे पहले, चाहे कोई नाली बनाने का काम है ...(व्यवधान) मैं कोई पत्रकारों के लिए नहीं आया हूं और पत्रकारों से भी नहीं होगा। अभी छह महीने बाद चुनाव है और

(श्री पेमाराम)

हमारे यहां आ जाना, और कोई ताकतवर है, उसको भी ले आना। यहां भाषण देने से, उससे थोड़ी आ रहे हैं। (व्यवधान) हां, सुझाव दे रहा हूं न।

श्री उपाध्यक्ष: कृपया विराजें। कृपया अपने स्थान पर विराजिये। अपनी सीट पर विराजिये। निर्धारित स्थान पर विराजिये, माननीय मंत्रीगण। माननीय मंत्रीगण, आपके पास सदस्य आयेंगे, सीट पर विराजिये।

श्री पेमाराम (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, मेरा सुझाव है कि एक तो ग्राम पंचायत के काम करने में बाधा आ रही है। वह ठेके प्रथा वाली है, सरकार को चाहिए कि उसका कोई समाधान करे।

इसके अलावा मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, शायद मंत्रीजी को पता ही नहीं है...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय हनुमानजी, आपकी निर्धारित सीट है। (व्यवधान) अगले सत्र में देखा जायेगा, सीट बदली जा सकती है। (व्यवधान) आप तो विराजें।

श्री पेमाराम (धोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नामान्तरण पर, ग्राम पंचायत की जब हालत माली हो गयी तो कुछ ग्राम पंचायत ने नासमझी कर मृत्यु के नामान्तरण पर, जैसे किसी के पिताजी का स्वर्गवास हो गया, वह उसकी जमीन उसके पांच बेटों के नाम चल रही है, उसके नामान्तरण पर शुल्क लगा दिया। तो मेरी समझ में इस तरह का टैक्स जनता पर लगे, वह शायद बेहतर नहीं है।

अभी ग्राम पंचायत के लिए जो था, कन्वर्जन चार्ज का पैसा, 14-15 साल से, अभी मंत्रीजी ने कहा कि महीने भर में भेज देंगे, मैं समझता हूं कि हमारे जिले में खाटू श्यामजी ग्राम पंचायत एक अकेली ऐसी पंचायत है जिसमें 67 लाख रुपया आयेगा। ग्राम पंचायतें ताकतवर तो तब होंगी जब सरकार ने कानून बना दिया, उस कानून के तहत जनता से जो पैसा ले लिया, आज वह ग्राम पंचायत के हिस्से में जाए। हमारे जिले में मेरी कांस्टिट्यूएंसी में ऐसी कोई ग्राम पंचायत नहीं होगी जिसमें सात-आठ लाख रुपये से कम कन्वर्जन चार्ज का पैसा आये। यदि वह सात-आठ लाख रुपया ग्राम पंचायत में जाए और मैं समझता हूं कि उसमें सरकार कोई गाइडिंग दे दे कि उस पैसे को कहां खर्च करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव और है विधायक कोष

(श्री पेमाराम)

पर। विधायक कोष में कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे ग्राम पंचायत कार्यकारी एजेंसी होती है, किसी गांव में कोई स्कूल बना हुआ है, यदि उस स्कूल का फर्श टूट गया, या उसका प्लस्तर टूट गया, या वह छत टपकती है तो उसमें राइडर है...(व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत राज से सम्बन्धित ही है।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री पेमाराम (धोद): धन्यवाद कहां? उसमें अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आपने सुना ही नहीं।

उस फर्श पर विधायक कोष का पैसा नहीं दे सकते; उस स्कूल का प्लस्तर टूट गया तो उस पर विधायक कोष का पैसा नहीं दे सकते। वह एक राइडर है। छत टपक रही है तो उस पर विधायक कोष का पैसा नहीं दे सकते। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि यह कोई पेमाराम का ही सवाल नहीं है, यह तमाम विधायकों के परेशानी आ रही है। सरकार के बनाने के बजाय, गांव के लोगों ने मिल-जुल कर के स्कूल का कमरा बना दिया और उसकी छत टपक रही है। कोई भी गांव में कोई भी विधायक जायेगा और उससे विधायक कोष का पैसा भी मांगेंगे, तो यह बाधा आ रही है। मेरा निवेदन है कि ठीक हो जाय तो ठीक करनी चाहिए।

एक इसमें और है। पंचायतों को ताकतवर करने के लिए, जो गांवों में ग्रेवल सड़कें बनी हुई हैं, डामर की सड़कों का तो पैच वर्क भी होता है और डामर की सार्वजनिक निर्माण विभाग संभालता भी है, ग्राम पंचायतों को टैक्स लगाने के लिए तो कह दिया, अकाल में बन गयी, या दूसरी कोई योजना में बन गयी, नरेगा में बन गयी, और जो सड़कें पांच साल से, सात साल से, दस साल से पुरानी हैं, उनके लिए यदि ग्राम पंचायत के इसमें प्रावधान करते कि वह टूटती हुई सड़कों को किस तरह से नरेगा के द्वारा या कोई दूसरी योजना के द्वारा, इस कानून में यह प्रावधान करते तो शायद मैं समझता हूं कि एक दफा बन गयी वहां नरेगा में...

श्री उपाध्यक्ष: समाप्त करिये। प्लीज, आप विराजिये।

श्री पेमाराम (धोद): साहब, मैं ग्राम पंचायत की ही तो बात कर रहा हूं। साहब, मैं ग्राम पंचायत के बाहर नहीं जा रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: ग्राम पंचायत के बाहर का मतलब, आप सैद्धांतिक बात करिये। यह स्पीच के लिए नहीं है।

श्री पेमाराम (धोद): इसलिए मेरा निवेदन है कि एक तो ग्राम पंचायतों को जो यह टैक्स लगाने के लिए सरकार कह रही है, वैसे यह बिल पास भी हो जायेगा तो मैं समझता हूं कि ग्राम पंचायत का कोई भी सरंपच टैक्स नहीं लगा पायेगा; टैक्स लगा पायेगा तो गांवों में झगड़ा हो जायेगा।

इससे बेहतर तो यह है, मेरा सुझाव है कि जिन गांवों में सड़कें जा रही हैं, जिनके आपने टोल बूथ लगा रखे हैं, और जिस ग्राम पंचायत के इलाके से वह गुजर रही है, वहां के लिए एक परसेंट या दो परसेंट टोल का पैसा उस ग्राम पंचायत में दिलाओ, वह इस कानून में प्रावधान करो, हम इस कानून का स्वागत करेंगे, वरना तो उस गांव में बसने वाले, उस गांव में पैदा होकर, वहां रहने वाले उन लोगों पर, टैक्स लगवा कर के आप इस कानून के द्वारा जनता की जेब पर डाका डालें तो मैं समझता हूं कि यह कानून न जनता का विकास करेगा, न ग्राम पंचायतों का विकास करेगा।

इसलिए इस कानून को पास करने के बजाय, जनता की राय जानने के लिए तीन महीने के लिए परिचालित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय श्री गुलाब चन्द कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक, 2013 ...

श्री उपाध्यक्ष: सदन आपका आभारी है कि आप हर सब्जेक्ट पर बोलते हो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): जिस उद्देश्य से पंचायती राज को सशक्त करने के लिए, एक लम्बे समय से प्रक्रियाधीन था। पहले भी, पिछली बार भी, आपकी सरकार जाते-जाते 29 डिपार्टमेंट पंचायती राज को देकर चली गयी। न तो उनको फंड दिया, न फंक्शन दिया, न फंक्शनरीज दीं। खाली एक घोषणा के लिए कि हमने पंचायत राज को सशक्त कर दिया। उसकी जो दुर्गति हुई और जैसे ही हम सरकार में आयें, चारों तरफ से यह प्रेशर बना कि यह काम यहां रुक रहा है, यह काम यहां रुक रहा है, इसकी कौन चिन्ता करेगा, इसका क्या होगा, मजबूरन वे सारे के सारे डिपार्टमेंट वापस लेने पड़े।

उसके बाद, मेरी चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनी और उसमें यह तय किया गया कि यह उनतीस विभाग किस तरह से पंचायत राज को दिये जाएं। उसमें दो-तीन स्टेप दिये थे, सुझाव दिये थे कि पहले स्टेप में ये डिपार्टमेंट दें,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

सेकंड में ये दें, पर यह जरूर सोच कर दिया था कि अगर वास्तव में पंचायत राज को देना है तो पूरे अधिकार के साथ देना है। अगर हम अधिकार के साथ देंगे, तब तो यह डिपार्टमेंट और यह पंचायत राज सशक्त होगा और केवल दिखाने के लिए मात्र देंगे तो फिर यह असफल होकर के लौटकर के वापस आएगा। न तो पंचायत राज सशक्त होगा, न जो विभाग हम इधर से उधर देंगे, उसके कामकाज को हम ठीक चला सकेंगे।

अबकी बार भी आपने जो विभाग दिये हैं पांच विभाग, आपने फंड, फंक्शन, फंक्शनरीज के साथ देने की बात की है, लेकिन हकीकत में अगर आज भी धरातल पर देखें तो आज भी इन पांचों विभाग के फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज इनके पास नहीं हैं। जब तक इनको ये सब अधिकार नहीं मिलेंगे, उसके बाद उसका कोई उपयोग नहीं।

इसलिए आपने यह 1994 की धारा 65 है, उसमें आपने किस-किस तरह से पंचायत अपनी रेवेन्यू को बढ़ा सकती है, यह आपने उसमें मेंशन किया था। इसमें (बी) और (सी) को आपने डिलीट करने का कहा कि ये अधिकार अब पंचायतों के पास से निकाल दिये जाएं। यह अमेण्डमेंट है। अब इसमें से (बी) जो है, ''(b) an octroi on animals or goods brought within the Panchayat Circle for consumption or use therein;" अब यह धारा क्या सोचकर के, और जब इसके कारण से आपको कोई दिक्कत आयी तो वापस निकालने के लिए आये। अब यह जो आपने (ए), (बी), (सी), (डी), (ई), (एफ), (जी) तक के जो अधिकार दिये थे, इनमें से दो अधिकार अभी निकाल रहे हैं, दो फिर अगले साल निकालना। क्योंकि हम आधे-अधूरे मन से कानून बनाते हैं। न तो हम उस पर स्ट्रिक्ट रहते हैं कि हमने जो कानून बनाया, उसकी पालना करायी जाए और इसके कारण से लोग उसकी पालना में भी संशय की दृष्टि से देखते हैं कि अधिकार तो हमें मिला है लेकिन इन अधिकारों का हम उपयोग कर पायेंगे कि नहीं कर पायेंगे।

वास्तव में यह जो आपने सारे अधिकार दिये, अबकी बार आप अमेंडमेंट लाकर 65 में ये दो अधिकार वापस ले रहे हैं जिसमें (बी) और (सी) में आपने ले लिया। ''(c) vehicle tax except on those vehicles which are used for the purpose of cultivation;" ये दो आपको निकालने पड़े। अब इसमें और ऐसे टैक्स लगाएं जो आपसे वसूल ही नहीं होंगे, न आप वसूल कर सकोगे।

या तो अपना पूरा सख्ती से मन बनाएं कि हम इस काम को करेंगे, चाहे कोई नाराज होगा, राज़ी होगा। मुझे अगर पंचायतों की आमदनी बढ़ानी है,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

पंचायतों को सशक्त करना है, लेकिन हम लाते हैं और हटाते हैं। तो इससे सामान्यत: पंचायत और पंचायत राज में व्यवस्था में काम करने वाले लोगों को लगता है कि पता नहीं, सरकार कब करेगी।

अब इसमें आपने (डी) में दिया है कि ''(d) pilgrim tax;" यात्री का टैक्स हम लेंगे। ऐसे आपने यह कर दिया। उसमें से आप दो छोड़ने के लिए संशोधन लेकर आये हैं।

फिर आपने 69 में भी इसी तरह से, इसका जो सेकंड पार्ट है, ''(ii) upon half per cent on the market fees referred to in section 17 of the Rajasthan Agriculture Produce Markets Act, 1961." इसको आप जोड़ रहे हैं, आधा परसेंट से एक परसेंट करके पंचायत को टैक्स दे रहे हैं। आप लें, हटाएं, मेरे को इसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन मेरे को आपत्ति यह जरूर है कि हम वास्तव में पंचायत राज को सशक्त करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? और हम सशक्त करना चाहते हैं तो दो दिन पहले उसको अधिकार देते हैं, दो दिन बाद उसके अधिकार निकालते हैं, पहले हम आधा परसेंट देते हैं, फिर हमें लगा कि नहीं एक परसेंट देना चाहिए। यह जो बार-बार एक तुगलकी आदेश जो जारी करते हैं ना, वह तुगलकी आदेश उस सारे सिस्टम को बिगाड़ता है। एक बार कम से कम हम मन बना लें कि हमको वास्तव में पंचायत राज को सशक्त करना है तो हमको यह अधिकार देना और उसमें स्ट्रिक्ट रहना है, चाहे इसके कारण से कुछ नाराजगी आएगी, कुछ राज़ी होंगे, कुछ भी होंगे। लेकिन यह जो बार-बार बदलने के मानस से, वहां जो काम करने वाली एजेंसी होती है, सोचती है, यह सरकार कब कौनसे कानून में अमेंडमेंट लाएगी, कब जनता का दवाब पड़े और हम ...

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। (व्यवधान) माननीय प्रभारी मंत्रीजी।

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय उपाध्यक्षजी, कोटा से आने वाले माननीय सदस्य ने सबसे पहले यह जानकारी चाही कि यह कमेटी कब बनी थी और उस कमेटी में कौन मेम्बर थे। यह कमेटी पंचायतों की आय को बढ़ाने के लिए 22.11.2010 को बनी थी और इस कमेटी के अन्दर अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त; प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज; शासन सचिव व आयुक्त, पंचायती राज; पूर्व आई ए एस और विशेषज्ञ, पंचायती राज, रामावतारजी, पूर्व आई ए एस; और शासन उप सचिव, विधि, एक कमेटी का निर्माण हुआ था और उस कमेटी के अध्ययन के

(श्री महेन्द्र जीत सिंह)

बाद ही इस एक्ट में परिवर्तन करने के लिए सिफारिश हुई है और कोई बड़ा शुल्क नहीं लगा रहे हैं, पाइंट पांच को एक परसेंट ही कर रहे हैं।

आप और हम सब, इस बात के लिए तो सभी, हमारे उदयपुर से आने वाले प्रतिपक्ष के नेता ने भी कहा है, ओम बिरलाजी ने भी कहा और शायद तारानगर से आने वाले राठौड़ साहब ने भी कहा है कि पंचायती राज को सशक्त करना हमारा सबका दायित्व बनता है। जहां तक मैं समझता हूं कि इस पंचायती राज की मांग के ऊपर डिबेट नहीं हुई, तो डिबेट का काम भी आज पूरा हो गया।

पंचायती राज को कमजोर और पंचायती राज को पंगु बनाने की और ये तमाम बातें यहां पर हुई हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि हम जहां से भी चुनाव लड़कर आ रहे हैं, करीब-करीब नब्बे प्रतिशत हम ग्रामीण परिवेश के सदस्य हैं और उस पंचायत में हमारा सबका नाता और वास्ता रहता है। यह बात दूसरी है कि जब किसी को मौका मिलता है शासन में तो वह अपनी बात करता है, जिसको मौका नहीं मिलता है वह दूसरी बात करता है। लेकिन मैं यह बात कह सकता हूं कि पंचायती राज चाहे आपके समय हो, चाहे हमारे समय हो, कोई भी सरकार रही हो, पंचायती राज को मजबूत करने के लिए सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी है और उसका परिणाम है कि लगातार राजस्थान पंचायती राज को भारत सरकार ने दो बार, एक बार डेढ़ करोड़ का, एक बार गत सत्र में एक करोड़ का प्रोत्साहन के रूप में, एक इनाम के रूप में, भारत सरकार ने और प्रधान मंत्रीजी ने दिया है।

जहां तक पंचायतों की आय बढ़ाने का सवाल है, मैं कहना चाहूंगा, आय बढ़ाने और पंचायतों की आर्थिक सम्पन्नता कैसे आए, उसके लिए भी बात आई है। टी एफ सी, एस एफ सी और अन्टाइड में बीस साल में हमने इक्तालीस प्रतिशत पैसा बढ़ाया है, इक्तालीस प्रतिशत, जो अपने आप में एक रिकार्ड तोड़ पैसा है। काम करने में दिक्कत आ रही थी पंचायतों को और आप सब सदस्यों की भावना थी कि पक्के काम होने चाहिए। अभी यह बात भी निकलकर सामने आयी, हमने टोटल बजट का, इक्तालीस प्रतिशत हमने जो इस बार बढ़ोतरी की है, उसका साठ प्रतिशत पक्के काम और उसके अन्दर आप सबकी मांग थी कि इसकी सी सी सड़क बनायी जाएं, यह भी तीन दिन पहले हमने पैसे बढ़ाने के साथ-साथ आपको प्रावधान कर दिया है।

(श्री महेन्द्र जीत सिंह)

मैं आप सबका सम्मान करता हूं। आपने बात छेड़ी, मैं तो वहीं रुक रहा था, आपने बात छेड़ी, इसलिए तो मैं बोल रहा हूं। जिस तरह से पंचायती राज में अब हमने अध्यापकों की भर्ती की है, वे अध्यापक राजस्थान के तमाम जिलों को मिले होंगे और जिन जिलों में मिले होंगे, उनको तो कम से कम यह बात कहनी चाहिए कि काम हुआ है। ग्राम सेवक की भर्ती हुई, विकास

(21.00 बजे)

अधिकारी की भर्ती हुई, अध्यापकों की भर्ती हुई और अभी और भी कई सारी, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की, उसकी भर्ती होने वाली है।

इसलिए यह बात तो माननी पड़ेगी कि पंचायती राज आज की तारीख में पूरे देश में, इने-गिने राज्यों को छोड़कर, पंचायती राज नम्बर वन पर मैं कह सकता हूं। पंचायती राज बहुत ताकत वाला और सशक्त है।

अभी नरेगा की कुछ बात निकलकर आयी। 25 साल पहले मैं सरपंच था, तब से मैं यही काम कर रहा हूं और मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद करता हूं कि मुख्य मंत्रीजी के 60-40 का रेशो बढ़ाने से, कि हमारा पक्का काम नहीं हो सकता है 40 प्रतिशत रेशो के ऊपर, मुख्य मंत्रीजी ने यहीं सदन में कहा कि 200 करोड़ रुपये मैं पक्के काम करने के लिए अलग से प्रावधान करता हूं और उन्होंने प्रावधान भी किया है। उन्होंने कहा है, पंचायत अगर कोई प्रस्ताव लेकर आती है तो 200 करोड़ के ऊपर भी पैसा देना पड़े, तो राजस्थान की सरकार उसके लिये तैयार है। यह बात भी मुख्य मंत्रीजी ने कही है। मुख्य मंत्रीजी ने यह बात भारत सरकार में भी रखी है कि 60-40 का रेशो बढ़ाने के लिए हमने पैसा बढ़ाया है। उस पर भारत सरकार ने कहा है कि पूरे देश के राज्य अगर इस काम को हाथ में लें तो जो हमारी परिसम्पत्तियां हैं, स्थायी रूप में सृजित कर सकते हैं। इस कार्यक्रम को भारत सरकार ने भी बहुत एप्रिशिएंट किया है।

इसलिए, साथियों, एक अलग विभाग है, उसकी हम अलग बात करें। यह तो गांवों की आत्मा है। सही में देखा जाए, महात्मा गांधी जी का ग्राम स्वराज्य, आज कहना बहुत आसान है लेकिन हम मौके पर जाकर देखते हैं कि महिलाएं धड़ाके से काम कर रही हैं। एस टी, एस सी का प्रावधान नहीं था, आज एस टी, एस सी की महिलाएं काम कर रही हैं। एक ताकत खड़ी हो गयी है पंचायती राज के माध्यम से।

(श्री महेन्द्र जीत सिंह)

बिल तो एक छोटा सा है। बिरलाजी, तारानगर से आने वाले राठौड़जी और कटारियाजी ने भी कहा है, इसको हम करेंगे, लेकिन पंचायती राज को और मजबूत हम कैसे कर सकते हैं, यह कोई यहां बैठकर छोटी-मोटी बात करने से नहीं होगा। उसके लिए हमारे तमाम सदस्य निचले स्तर पर भी काम करें।

अन्त में, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का फिर धन्यवाद करता हूं, पंच का मानदेय बढ़ाया; मीटिंग का भत्ता बढ़ाया; पंचायत समिति, जिला परिषद्, प्रधान, प्रमुख का बढ़ाया। फिर कौनसा पंचायती राज कहां पर कमजोर हो गया है? मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आप जोश दिला देते हो, ज्यादा बोलकर जोश दिला देते हो। राठौड़जी ने जोश दिला दिया।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आप भी पूरा आनन्द ले रहे हो, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष: मुख्य सचेतकजी की भावना की कद्र भी तो करनी चाहिये ना।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): पूरी-पूरी।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2013 को जन मत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाय?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जन मत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार।

खण्ड 2 एवं 3 । कोई संशोधन नहीं।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किये जायें?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 एवं 3 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया गया।

श्री महेन्द्र जीत सिंह मालवीय, प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2013 को पारित किया जाय। (व्यवधान) अभी दे रहा हूं। अभी एक मिनट।

विधेयक का पारण

श्री महेन्द्र जीत सिंह (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2013 को पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष: अब बोलिये, अशरफीजी, आप। पहले अशरफीजी। ये पहली दफा बोल रहे हैं।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): वैसे सदन में सबसे विद्वान आदमी हैं। इनके साथ अन्याय कर रहे हैं राजेन्द्रजी। आप इतना अत्याचार करते हो, मुझे तो पहली बार पता चला। ऐसे विद्वान आदमी को बोलने नहीं देते हो। वे प्रोफेसर हैं। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): आप तो बन्द करो। डा. साहब, आप तो मत करो।

श्री उपाध्यक्ष: अशरफी साहब, बोलिये। आप अपनी बात प्रारम्भ करिये।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने जो बात कही है, वह तो बिलकुल सही है लेकिन आलरैडी पंचायतों में टैक्स लगा आता रहा है मापा के तौर पर और जिसको अपन मापा देते हैं, बड़ी

(श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा)

मुश्किल से किसान मापा देने को तैयार होते हैं। मैं मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि जब मुख्य मंत्रीजी ने अभी घोषणा की है कि हम कृषि मण्डी का टैक्स माफ कर रहे हैं, जब किसान अपना माल लेकर गांव से गुजरेंगे तो क्या सरपंच वहां चुंगी लगायेंगे? लड़ाई-झगड़ा करायेंगे? तो किस चीज पर यह टैक्स अब वसूल करेंगे गांव में?

आज प्रशासन-गांवों-के-संग में गांव के लोग पट्टा बनाना नहीं चाहते कि हमारे पूरे एरिये का पट्टा बने। तो फिर घर के अलावा कोई टैक्स है नहीं। मापा जो लग रहा है वर्षों से, मापा देते नहीं। फिर पंचायत का सरपंच टैक्स कहां से...

श्री उपाध्यक्ष: मापा किसको कहते हैं आपके उधर ?

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): मापा, यही टैक्स है एक। पंचायत मापा देती है, जिसमें बाहर से माल आता है, बजरी आती है, उस पर लेते हैं। यह तो वर्षों से है टैक्स। लेकिन इसकी भी सरपंच उगाही नहीं कर सकता। ठेके देता है। आपको अगर पंचायत राज को मजबूत करना है तो यह जो ठेका पद्धति है...(व्यवधान) ठेका, मापा, पंचायती राज को पूछना, मेरे को मत पूछना, मापा। इसलिए जो ठेका पद्धति है, उसको आप खतम कर दो, सरपंच अपने आप मजबूत हो जायेगा। आपका आधा काम तो वह ठेका पद्धति की वजह से रुका हुआ है। पंचायत जो ठेका करके माल देती है ना, वह सरपंचों को बहुत लेट मिलता है। उसकी वजह से तो चर्चा नहीं रखी...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय ओम प्रकाशजी, अपनी सीट पर आओ, बोलना हो तो। ओम प्रकाशजी जोशी, बोलना हो तो सीट पर आओ।

श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर): आप बताएं कि सरपंच किस तरह से टैक्स वसूल करे और कहां-कहां टैक्स लगा है गांव में? वह तो बताएं आप।

श्री उपाध्यक्ष: हां, भिण्डा साहब, प्रोफेसर साहब। डाक्टर भी लिखते हो।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): माननीय उपाध्यक्षजी, यह जो संशोधन है, इसके बारे में पूरे सदन से मेरा निवेदन है, सारे शहरों में चुंगी खतम कर दी, गांवों में आप चुंगी लगाकर गांव के आदमियों के लिए आप मूल्य वृद्धि करना चाहते हैं? यह कौनसी सोच है आपकी? एक तो मेरा यह विरोध है।

श्री उपाध्यक्ष: विराजिये अब।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): दूसरा विरोध यह है मेरा कि अभी मुख्य मंत्रीजी ने चुंगी खतम की है और इधर आप सरचार्ज लगा रहे हो चुंगी पर, मण्डी टैक्स पर सरचार्ज लगा रहे हो। यह कौनसी बुद्धिमानी है?

तीसरा मेरा निवेदन है, तीर्थ यात्रा कर, लगाकर तो देखो गांवों में। बेणेश्वर धाम में लगाओगे टैक्स? देगा कोई वनवासी? आज, पंचायत राज मंत्रीजी, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आप तीर्थ यात्रा पर कर लगाना चाहते हैं। लगेगा यह टैक्स?

ये गांव महसूस करेंगे। आप सशक्त करना चाहते हैं, गुजरात के अन्दर टीम लेकर जाइये। मंत्रीजी, वहां के मुख्य मंत्री ने घोषणा की 5 साल पहले कि मैं जो भी निर्विरोध पंचायत आयेगी, आज अवरोध है गांवों में, पंचायत में वोटिंग के कारण से दो पक्ष हो गये गांव में, काम नहीं हो रहा है, गुजरात ने यह घोषणा की कि जो निर्विरोध पंचायत आयेगी, 2 लाख रुपये हर साल दूंगा; दस-दस लाख रुपये। आपको केवल 200 करोड़ रुपये ही देने हैं सालाना के, हर पंचायत को 2-2 लाख रुपये मिल जायेंगे। आप निर्विरोध पंचायत करें, गांवों में काम होंगे।

इसी प्रकार से, अभी मालवीयजी ने कहा, उपाध्यक्षजी, वह जो 40-60 का रेशो है, ऐसा नहीं है। भारत सरकार ने एक पत्र लिखा है, एम एल ए लेबर पर वहां से ले सकते हैं, पक्के काम के लिए खुद दे सकते हैं। उसमें भी कहीं 60-40 के रेशो की अड़चन है। उसको भी आप जोड़िये, तो हमारा जो 2 करोड़ इस वर्ष आयेगा, उसमें 4-4 करोड़ के काम हो जायेंगे। उसको भी लिंक करिये आप। आप उसको भी लिंक करिये। तब जाकर ईंट की बात करिये, सीमेंट की बात मत करिये। जितनी भी सी सी रोड बनती हैं, वे लाते हैं लोकल सीमेंट। आप ईंट की सड़कें बनवाओ गांवों में, ऐसा मेरा निवेदन है।

इतना ही नहीं, मैं आपके माध्यम से, जो गांवों में रजिस्ट्री होगी उस पर 5 परसेंट...

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करो। सजेशन दो।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): मैं सजेशन दे रहा हूं। गांवों में कोई रजिस्ट्री करायेगा प्रोपर्टी की...

श्री उपाध्यक्ष: आप ज्ञानी हैं, एक लाइन में सारी बात कह दीजिये।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): उसके 5 परसेंट आप...

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): उपाध्यक्ष महोदय, ऐसे सुझाव अभी तक आये ही नहीं हैं इस सदन में। आप बन्द कर रहे हो...

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिये।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): अब आप, मैं कह रहा हूं सचेतकजी को, उनके पंचायतें ज्यादा हैं, मैं आऊंगा पंचायत में कहने के लिए कि रघुजी ने इसका पक्ष लिया था, चुंगी लगाओ गांव पर।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिये। विराजिये।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): कमाल कर रहे हैं आप।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आपका कार्यक्रम बता देना, मैं आपका वहां स्वागत करूंगा।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ऐसा नहीं, उपाध्यक्षजी, मेरी सरसों पर, लहसुन पर...

श्री उपाध्यक्ष: अगले पर बोल लेना आप...

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): मेरे खाने पर टैक्स लगाओगे आप। यह कौनसी अनहोनी की बात नहीं है। मेरी सरसों पर लगाओगे। उपाध्यक्षजी, मैं चेतावनी दे रहा हूं, मेरे खेत की सरसों पर...

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आज तो वेल में ही आ जाओ आप।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): आप टैक्स लगाओगे, यह बरदाश्त होने वाली बात नहीं है। इसमें लिखा हुआ है, वाणिज्यिक फसल पर कर... (व्यवधान) उपाध्यक्षजी, एक...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिये। विराजिये। यहां कोई नयी बात करना चाहते हो क्या?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पंचायती राज मंत्रीजी ने कहा, हम सशक्त करना चाहते हैं। राजस्थान में जो भी सरकारों ने...

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): अमरारामजी, एक मिनट। वह उन्होंने मेरा नाम ले दिया, थोड़ी-सी बात मैं उनकी बता दूं। एक तो प्रोफेसर साहब मैंने सिफारिश की, आपकी विद्वता की तारीफ की और आप मेरे ही ऊपर आ गये। भस्मासुर वाला किस्सा मालूम है क्या आपको? भस्मासुर वाला किस्सा? आप जैसा विद्वान आदमी, इस सदन में एक भी नहीं है आप जैसा। आप सबसे विद्वान आदमी हो।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): आपकी बड़ाई करने वाला था, आप इसको पास नहीं होने दोगे तो। इसको पास होने से रोकिये।

श्री उपाध्यक्ष: अमरारामजी, आप इसमें कुछ बोलना चाहते हैं?

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आप जैसा विद्वान आदमी इस सदन में एक भी नहीं है। आप सबसे विद्वान आदमी हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: केवल अमरारामजी का अंकित होगा। ...(व्यवधान)... किसी का अंकित नहीं होगा। केवल अमरारामजी। (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): उपाध्यक्ष महोदय, पंचायत राज मंत्रीजी ने कहा कि यह संशोधन इसलिए लेकर आये हैं कि पंचायत राज को सशक्त करना चाहते हैं। अगर सशक्त करना है तो राजस्थान में एक तो जो भूमि कन्वर्जन है, सरकार ने पहले 50 प्रतिशत राशि देने को कहा, फिर उसके बाद में शत-प्रतिशत राशि देने का आर्डर कर दिया, वह पैसा 250 करोड़ रुपया आज तक पंचायतों को नहीं मिला। राजस्थान में जो खनिज सम्पदा अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र में है, उसकी रायल्टी का हिस्सा, ग्राम पंचायतों के विकास में देने का, जिस भी ग्राम पंचायत में है खनिज, ...

श्री उपाध्यक्ष: अब नोटिस में आ गया यह तो।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): नहीं, नोटिस में तो आ रहा है 4 साल से।

श्री उपाध्यक्ष: पारण की स्टेज है यह तो।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): लेकिन उसमें प्रक्रिया इतनी जटिल है...

श्री उपाध्यक्ष: हां।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अगर सरकार की इच्छा-शक्ति होती तो जो सरकार ने निर्णय किया...

श्री उपाध्यक्ष: सुन लिया मंत्रीजी ने। अब आ गया।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): 14 साल तक, चाहे रायल्टी का पैसा हो, चाहे वह भूमि कन्वर्जन का पैसा हो, ...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय केसारामजी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): वह अगर सरकार अपने निर्णयों को ही इम्प्लीमेंट 14-14 साल नहीं करेगी, तो केवल यह टैक्स लगाकर के उनकी जेब, और जो मंत्रीजी कह रहे थे कि बहुत सशक्त कर दिये...

श्री उपाध्यक्ष: आसन को डर लगता है। आप खड़े हो जाते हो तो बैठते ही नहीं हो। कैसे बैठायें आपको?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): नगर निगम के जितने पार्षद हैं, उनको सरकार जितना भत्ता दे रही है...

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिये। हां, बोलिये, केसारामजी। केवल केसारामजी का अंकित होगा।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): उपाध्यक्ष महोदय, पंचायतों को...

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजो, अमरारामजी। केवल केसारामजी। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): बोल रहा हूं, माननीय उपाध्यक्ष।

श्री उपाध्यक्ष: केसारामजी, आप सजेस्टिव करिये। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): यह जो बिल लेकर आये हैं पंचायत राज का, उसमें पंचायतों को टैक्स से रेवेन्यू अर्जित करने के लिए, जो टैक्स लगाने का आपने नियम बनाया है, उसमें यह टैक्स लगाने का पावर सरपंच को देंगे। सरपंच आज दिन तक किसी तरह का कोई टैक्स लगाने में आज भी घबराता है। गांव में उसको जीने ही नहीं देंगे। सरपंच के ऐसी दुविधा होगी कि वह टैक्स को वसूल कैसे करे।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप मंशा जानते हो।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): म्यूटेशन पर आपने उसको पावर दिया कि उस पर टैक्स लगायेंगे, मगर 45 दिन तक सरपंच म्यूटेशन नहीं भरेगा तो वह तो स्वत: ही...

श्री उपाध्यक्ष: वह चीज अलग है। वह चीज अलग है। अब आप विराजो।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): भाटी साहब बोल दें।

श्री उपाध्यक्ष: यह आपने कौनसी भाषा बोली है?

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): यह जो टैक्स की प्रक्रिया है, आखिर इसको हम लाये हैं कहां से?

श्री उपाध्यक्ष: इसमें क्या, वह तो सारा आ गया।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): यह सारी अंग्रेजों की देन है। सबसे पहले हिन्दुस्तान के अन्दर चाणक्य ने अपने कौटिल्य शास्त्र में यह लिखा है सिद्धांत, कि आप जनता से उतना ही कर वसूलो जितना सूरज नदी और तालाबों से पानी खींचता है। उससे तालाब, समुद्र और दरिया के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता और वह ऊपर अथाह भंडार पानी का करके धरती के ऊपर बरसाता है और उसको स्वर्ग करता है।

आपने यह हालत कर दी कि जनता के ऊपर टैक्स लगाओ। जैसे कि आपने छूट दे दी अंडरग्राउंड पानी के लिए। आज मोटरों से, मशीनों से खींच लो जितना खींचना है। आज क्या हालत हो रही है सब जिलों की? धीरे-धीरे हमारा सारा पानी खतम हो रहा है। आप अगर इस प्रकार के टैक्स लगाओगे तो कोई रास्ता नहीं बनेगा। आप इसके ऊपर विचार कीजिये कि जितना भी टैक्स से दूर रखो, तभी रास्ता बनेगा।

यह अंग्रेजों ने शुरुआत की थी। हिन्दुस्तान के अन्दर 97 प्रतिशत तक टैक्स लागू किया सेंट्रल टैक्स, स्टेट का सेल्स टैक्स और इन्कम टैक्स किया 97 परसेंट और वह की वह स्थिति में हम नकल किये जा रहे हैं। उन सारे टैक्सेशन के कानून को आप काम में लिये जा रहे हो। यह टैक्स का दायरा जितना बढ़ाओगे, उतनी ही टैक्स की चोरी ज्यादा होगी। जितना करों से दूर रखोगे, कहां जरूरत है इतना करने की?

एक तरफ तो कहते हो कि हमारे पास रिफाइनरी आ रही है, पूरे स्टेट के अन्दर हम इस प्रकार का विकास करेंगे कि किसी चीज की कमी नहीं रहेगी और दूसरी तरफ आप नये-नये टैक्स ला रहे हो। जितने टैक्स आपने लगाये हैं, एक भी विभाग बता दो, एक भी आपकी कार्यप्रणाली बता दो कि वहां शत-प्रतिशत आपकी टैक्स वसूली हो रही है? यह आप आम आदमी के चरित्र को बिगाड़ रहे हो।

हमने कभी भी गांव के आदमी के बारे में चर्चा सुनी तो यह कि वह ईमानदार होता है, वह सच्चा होता है, बेलाग बात करता है। आप उन सबको टैक्स के दायरे में फंसा-फंसा कर उसका मूल चरित्र बिगाड़ रहे हो। सत्यानाश मत करो इस हिन्दुस्तान का। कुछ विचार करो। यह अंग्रेजों की लाइन पर चलोगे तो सारी जनता तो पिसेगी ही, लेकिन व्यवस्था के ऊपर तो प्रश्नचिह्न लग गया।

श्री उपाध्यक्ष: अच्छे सजेशन के लिए आभार।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): थोड़ी देर बाद में और बात कर लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: क्या चाहते हो? कोई नयी बात है क्या?

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): उपाध्यक्ष महोदय, खजाना गांवों में है। टैक्स लगाओ तो खजाने पर लगाओ जो गांव से बाहर जा रहा है। आप टैक्स लगा रहे हैं वहां के रहवासियों पर। हमारा क्षेत्र है, जैसे अमर सागर ही है, उसमें से दुनिया भर का मार्बल बाहर जा रहा है। वह दो ना पंचायत को, अगर सशक्त करना हो तो।

श्री उपाध्यक्ष: यह तो आप बोल चुके।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): वह तो ले जाकर प्रदेश में दे रहे हो। उसका आधा परसेंट दो, एक परसेंट दो। लक्खा है, लाल ग्रेनाइट निकलता है, उसका आप आधा परसेंट भी नहीं दे रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष: चन्द्रकान्ताजी, आप बोलेंगी?

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): सशक्त ही करना है, मजबूत ही ग्राम पंचायतों को करना है तो ऐसे करो।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिये। माननीय चन्द्रकान्ताजी। (व्यवधान)

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय द्वारा यह अवगत कराया गया कि पंचायती राज संस्थाओं की राजस्व वृद्धि के लिए एक समिति गठित की गयी और समिति ने पूर्ण अध्ययन के पश्चात् यह सिफारिश की कि राजस्थान कृषि उपज मण्डी समिति अधिनियम की धारा 17 में निर्दिष्ट मण्डी फीस जो वर्तमान में आधा प्रतिशत है, वह एक प्रतिशत कर दी जाये जिससे कि पंचायती राज संस्थाओं के राजस्व में वृद्धि हो।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि अगर हम चाहते हैं कि पंचायती राज सशक्त हो और पंचायतें मजबूत हों तो इसके लिए क्या एक ही सिफारिश हमारे पास आयी? वास्तव में अगर हम चाहते हैं कि हमें पंचायतों को मजबूत करना है, तो हमें ना तो राजस्थान में देखने की जरूरत है, मात्र हमें उस गांव तक सीमित रहने की आवश्यकता पड़ेगी। आज पंचायती राज विभाग, इतने अधिकार देने के बावजूद, हम लोग पंचायतों की बैठकों में जाते हैं, पंचायत समितियों की बैठकों में जाते हैं, वहां पर जो पंचायतों की हालत है...

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): आज आप बात कर रहे हैं, कोई सरपंच यह बोल दे कि मैं मेरे गांव के अन्दर जनता से कर लेना चाहता हूं तो मैं आपको बताना चाहती हूं मंत्री महोदय, उस सरपंच को जूते मार-मार कर गांव की जनता आधा घायल कर देगी। गांव की जनता किसी को इस तरह के मामले के लिए कतई नहीं बख्शेगी।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजें, माननीय सदस्या। मंत्रीजी, नयी बात कोई आ नहीं रही है।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): गांव की जनता के लिए एक निवेदन और है, बिलकुल छोटा-सा निवेदन।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): आज आप बोल रहे हैं कि हम 60 और 40 का रेशो...

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2013 को पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया गया।

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 । श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां), प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाये।

विधेयक पर विचार

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाये।

श्री उपाध्यक्ष: विधेयक को जन मत जानने हेतु परिचालित करने का

(श्री उपाध्यक्ष)

संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। माननीय श्री राजेन्द्र राठौड़। राजेन्द्रजी, ध्यान तो है ना तारीख का?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 में...(व्यवधान)

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): सारे के सारे बिल एक ही दिन में निकालना चाहते हो और बोलने भी नहीं देते। यह कौनसा प्रजातंत्र का रास्ता अपनाया है?

श्री उपाध्यक्ष: मुझे इशारा नहीं करना चाहिए, ये बी ए सी के सम्मानित सदस्य हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 के मूल अधिनियम में सरकार धारा 8 और धारा 11, इन दो में संशोधन लेकर आयी है। इसमें मूल संशोधन कुलपति की नियुक्ति और कुलपति की सेवानिवृत्ति आयु 70 वर्ष करने का है। जब हम कुलपति की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ा रहे हैं, कुलपति के अधिकार बढ़ा रहे हैं तो, मंत्री महोदय, हमें इस बात पर भी विचार करना पड़ेगा कि यह जो राजस्थान यूनिवर्सिटी आफ हैल्थ साइंसेज है, जो 1 अप्रैल, 2006 में प्रारम्भ हुई थी, आज किस झंझावत और किस हालत में है? कुलपति की उम्र बढ़ा देना, कुलपति की नियुक्ति का प्रावधान आपने कर लिया, आज यह हिन्दुस्तान में पहला विश्वविद्यालय होगा जिसके संघटक विश्वविद्यालय के नाम पर एक डेंटल कालेज है। मंत्री महोदय, आपको यह अच्छी तरह मालूम है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का पैसा इस कालेज को इसलिए नहीं मिल रहा है कि इस विश्वविद्यालय के संघटक कालेज के नाम पर आपने खानापूर्ति कर रखी है।

मेरा सुझाव है कि आप अगर जो एस एम एस का नर्सिंग कालेज है गवर्नमेंट का और जो एस एम एस का फार्मेसी कालेज और एस एम एस जो खुद मेडिकल कालेज है, इन सभी को अगर इस यूनिवर्सिटी के संघटक कालेज बना दो और इसके साथ ही क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए आप जयपुरिया हास्पिटल को या कांवटिया हास्पिटल को इस मेडिकल यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी करवाने के लिए सौंप दें, तो निश्चित रूप से यह मेडिकल एंड हैल्थ विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय के रूप में आ जायेगा। तब हम कह सकेंगे कि यह विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हो क्या रहा है, इस विश्वविद्यालय में सारे कर्मचारी ठेके पर काम कर रहे हैं। आपको मालूम होगा कि डिप्टी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, एस ओ, कनिष्ठ लिपिक, चपरासी, इन सबकी भर्ती के लिए डाक्टर संदीप टण्डन की चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनी थी। जिस तरह की भर्ती हुई और उस भर्ती में जिस तरह के सवालिया निशान खड़े हुए, उसके बाद में वाइस-चांसलर ने इन भर्तियों को लेकर कमेटी बनाई और कमेटी के अन्दर जब यह स्पष्ट बोला गया कि भर्तियों के अन्दर लापरवाही के साथ-साथ भयंकर भाई-भतीजावाद और भ्रष्टाचार हुआ है, पर आपने कोई कार्यवाही नहीं की। आज वे सारे के सारे, जितनी भर्तियां आपने कीं, सारे के सारे न्यायालयों में, उच्च न्यायालय में खड़े हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस यूनिवर्सिटी को यूनिवर्सिटी बनाओ।

दूसरा, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या 6 वर्ष व्यतीत होने के बाद भी, यह सही है कि इस विश्वविद्यालय के रूल्स एंड रेग्यूलेशंस अब तक नहीं बने हैं? जब इस विश्वविद्यालय के नियम ही नहीं बने तो यह विश्वविद्यालय संचालित कैसे होगा? इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके रूल्स एंड रेग्यूलेशंस बनें।

इस हैल्थ यूनिवर्सिटी को वास्तव में इस बार, पहली बार आपने जमीन भी आबंटित की है, मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट भाषण में कुछ राशि भी देने की बात कही है, पर यह राजस्थान के अन्दर पहली हैल्थ यूनिवर्सिटी है जो आप नाम के लिए, कुलपति के लिए संशोधन विधेयक लेकर आये हैं। आयु भी बढ़ा लेना, उनकी नियुक्ति की अर्हताएं भी रख लेना, उनके सारे नियमों में जो आपको करना हो वह कर लेना, पर क्या एक कुलपति से यह विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय का रूप ले लेगा? क्या यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने इसको एक रुपया दिया है?

इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप यह संशोधन लेकर आये, ठीक है, इस विश्वविद्यालय के लिए आप खुद देखें, मीटिंग लें और इस विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय का रूप मिल जाये, आज आप यह सुनिश्चित करें, वरना यह विश्वविद्यालय आज की तारीख में विश्वविद्यालय नहीं है।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): खाने की क्या व्यवस्था है? डिनर की?

श्री उपाध्यक्ष: आप मुख्य सचेतकजी से बात कीजिये।

श्री पेमाराम (धोद): मुख्य सचेतकजी खाने का आर्डर देने गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष: डाक्टर दिगम्बर सिंह। डाक्टर दिगम्बर सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री रोहिताश कुमार। श्री रोहिताश कुमार।

(अनुपस्थित)।

लगता है, समय तो बहुत हो जायेगा, अगर यही आपका इतना ही सहयोग रहा तो। माननीय श्री पेमाराम। आप तो सहयोग कीजिये। आप क्यों असहयोग कर रहे हो, समय पर चलाने में?

श्री पेमाराम (धोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह तो सरकार को सहयोग करना चाहिए था। इतने-इतने कानून एक साथ एक दिन में लाये हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आप माननीय अमरारामजी से बात किया कीजिये, इस तरीके से नहीं। (व्यवधान) धन्यवाद। विराज रहे हो न, पेमारामजी, आप?

श्री पेमाराम (धोद): एक लाइन में।

श्री उपाध्यक्ष: आप तो खड़े होते ही, सदन आपकी भावना से अवगत हो गया, ऐसा लगता है। विराजिये न।

श्री पेमाराम (धोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिल लेकर आये हैं, मुझे पता है कि बहुमत की ताकत पर बिल को पास भी करेंगे लेकिन...

श्री उपाध्यक्ष: मैं आपको नाराज नहीं कर सकता, इसलिए आप थोड़ा...

श्री पेमाराम (धोद): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि वैसे तो हमारे शेखावाटी विश्वविद्यालय की घोषणा भी की और 10 करोड़ रुपये का भी प्रावधान किया गत वर्ष के बजट में लेकिन अभी तक उसका कहीं जमीन पर नहीं है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि कोई इस मामले को लेकर, शेखावाटी में भी कोई यूनिवर्सिटी, या कोई कालेज, या मेडिकल यूनिवर्सिटी का प्रावधान है तो, माननीय मंत्रीजी, दिमाग में रखना विचार, कि शेखावाटी के लोगों के साथ भी न्याय हो।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद, माननीय सदस्य।

श्री ओम बिरला। नहीं बोलना चाहते?

प्रभारी मंत्रीजी।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल में, संशोधन का विधेयक लाने के दो-तीन कारण थे। उनके बारे में मैं आपके माध्यम से अपने पूरे साथियों को बताना चाहता हूं।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): आर पी एस सी की भर्ती में 2009 में जिस तरह से गड़बड़ियां हुईं, विश्वविद्यालय में, यह ठीक नहीं है। लोग कोर्ट के दरवाजे तक गये हैं।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में एकरूपता लाने के लिए यह अधिनियम प्रस्तावित किया गया है। इस अधिनियम से विश्वविद्यालय को बेहतर आटोनोमी और सभी यूनिवर्सिटीज एक्ट्स में यूनिफोर्मिटी रहेगी।

इस बिल में चांसलर को, वाइस-चांसलर को उनके अधीन कालेजों और इंस्टिट्यूशंस, हास्टल्स, वगैरह का इंस्पेक्शन करने का अधिकार होगा और जरूरत पड़ने पर इन्क्वायरी करने का और बाद में कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

राज्य सरकार को उन फाइनेंशल मामलों में इन्क्वायरी और कार्यवाही करने का अधिकार होगा जिनमें राज्य सरकार द्वारा फंडिंग की गई है।

अभी कुलपति के चयन के लिए विश्वविद्यालय बोर्ड द्वारा नोमिनेटेड एक सदस्य, चांसलर द्वारा नोमिनेटेड एक सदस्य और राज्य सरकार द्वारा नोमिनेटेड तीन शासन सचिव होते हैं, जिनमें अब विश्वविद्यालय बोर्ड द्वारा नोमिनेटेड एक सदस्य, चांसलर द्वारा नोमिनेटेड एक सदस्य के साथ राज्य सरकार द्वारा एक सदस्य के नोमिनेशन के साथ-साथ, यूनिवर्सिटी के नेचर-आफ-वर्क को देखते हुए डाइरेक्टर-जनरल आफ इण्डियन काउंसिल आफ मेडिकल रिसर्च द्वारा नोमिनेटेड एक सदस्य को भी शामिल किया जाना प्रस्तावित है।

अभी कुलपति की अधिकतम उम्र 62 साल है। इसे और दूसरी यूनिवर्सिटीज के समान, यूनिफोर्मिटी में 70 साल किये जाने का प्रोविजन किया गया है।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): क्यों, भाई? 75 हो। डाक्टर की तो क्षमता होती है, 75 साल कर दो।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय भाटी साहब, उम्र 100 साल होती है।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां))

मंत्री): अभी यूनिवर्सिटी में कुलपति का टर्म 3 साल का है, जबकि देश की दूसरी हैल्थ यूनिवर्सिटीज में वाइस-चांसलर का टर्म 5 साल का है। इसलिए इसे भी 5 साल किये जाने का प्रोविजन किया गया है।

इसी के साथ-साथ, पहले से सरकारी नौकरी में रहे कुलपति के लिए पेंशन स्कीम या प्रोविडेंट फंड स्कीम को जारी रखने का प्रोविजन किया गया है।

साथ ही, छुट्टियों के बारे में भी प्रोविजन किया गया है जिससे दूसरी यूनिवर्सिटीज के समान यूनिफोर्मिटी बनी रहे।

अब मैं हमारे माननीय सदस्य, आदरणीय राजेन्द्र जी राठौड़ और ओम जी बिरला ने अभी जो कमेंट किया है, उसके बारे में बताना चाहता हूं कि बजट में आर एच एस यू में एक नया मेडिकल कालेज खोलने का प्रावधान रखा गया है। इसी के साथ, भर्तियों में न्यायालय से कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं हुई है और विश्वविद्यालयों में पदों की भर्ती की जा रही है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को जन मत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाये?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जन मत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाये?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार।

खण्ड 2 से 4 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 4 स्वीकार किये जायें?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 4 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि। कोई संशोधन नहीं।

(श्री उपाध्यक्ष)

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया जाये?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया गया।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां), प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को पारित किया जाये।

विधेयक का पारण

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को पारित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को पारित किया जाये?

(स्वीकृत)

राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013 को पारित किया गया।

श्री परसादीलाल मीणा, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाये। माननीय परसादी लालजी। केवल परसादी लालजी का।

विधेयक पर विचार

राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2013

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: परसादी लालजी के अलावा किसी का अंकित नहीं हो।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: विधेयक को जन मत जानने हेतु परिचालित करने का

(श्री उपाध्यक्ष)

संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। माननीय श्री ओम बिरला। कृपा कर दी। आप तो मेहरबानी करो। कृपा करोगे?

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): नहीं, नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: श्री ओम बिरला।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अब आप बैठ जाओ, आपको बुला लेंगे। आप विराजें। आप बोलिए, प्लीज। माननीय सदस्य।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): आप घर चले जाओ न।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय बिरला जी, आप तो बोलें। आप ही का अंकित हो रहा है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आर्डर में तो लाओ सदन को। यह क्या तरीका है?

श्री उपाध्यक्ष: आर्डर में ही है। एक अकेले ओम बिरला खड़े हैं, सब बैठे हुए हैं।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): जिसका ज्यादा है, वह घर जाएं, उपाध्यक्ष महोदय, पर यह तरीका ठीक नहीं है टोकने का। अपनी सीट पर नहीं हैं और टोक रहे हैं बैठे-बैठे। सारी विधान सभा की मजाक बना रखी है कुछ लोगों ने। इतनी देर से देख रहे हैं। दुनिया कहती है बिलों के लिए विधान सभा, लोक सभा होती है और यहां मजाक कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: कृपया शांति रखें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता आंदोलन देश का सबसे बड़ा आंदोलन है और सहकारिता के माध्यम से इस देश में ही नहीं, पूरे विश्व के अन्दर अगर....

श्री उपाध्यक्ष: ये भाटी साहब कह रहे हैं कि वोटिंग करवाएंगे। (व्यवधान) 15 मिनट में ही हो जाएंगे वह काम तो सारे, अब तो 15 मिनट में।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से व्यक्ति के जीवन को परिवर्तित करने का काम, और किसी देश की इकोनोमी और किसी स्टेट की इकोनोमी अगर किसी पर आधारित है तो उसमें

(श्री ओम बिरला)

सहकारिता आंदोलन की बहुत बड़ी भूमिका है। यही कारण है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सहकारिता आंदोलन ने ही देश के अन्दर ब्याजखोरों और सूदखोरों को, जिस तरीके से एक आंदोलन ने पूरे देश के अन्दर, आज भी गांव से लेकर शहर तक व्यक्ति के जीवन को अगर परिवर्तित करने का काम किया तो सहकारिता आंदोलन ने किया। यह आंदोलन केवल ग्राम सेवा सहकारी स्तर पर ही नहीं, जब भी विश्व के अन्दर और देश के अन्दर उपभोक्ता वस्तुओं की कालाबाजारी हुई, उस समय उपभोक्ता आंदोलन के रूप में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं केन्द्र सरकार और राज्य सरकार को विशेष रूप से साधुवाद देना चाहता हूं। केन्द्र सरकार ने पहली बार बहुत अच्छी पहल की है और व्यापक पहल की है, क्योंकि केन्द्र सरकार ने संविधान में 1997 के अन्दर संशोधन करके इस बिल के अन्दर जो व्यापक संशोधन किये हैं, उनसे लगता है कि इस देश के अन्दर सहकारिता आंदोलन जिन उद्देश्यों के लिए बना था, उन उद्देश्यों के आधार पर हम व्यक्ति के आमजन-जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं भूमिका इसलिए बांध रहा हूं कि मेरे कई साथी सहकारिता आंदोलन के बारे में जानते नहीं, लेकिन मेरा दावा है कि इस देश के अन्दर ही, आज सहकारिता मंत्री भी यहां बैठे हैं, ग्राम सेवा सहकारी समिति के माध्यम से सहकारी ऋण अगर जीरो परसेंट हुए हैं और देश के अन्दर किसान खड़ा हुआ है तो सहकारिता आंदोलन के कारण खड़ा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार इसमें और थोड़ा परिवर्तन कर दे कि ग्राम सेवा सहकारी समिति के स्तर पर खरीद, उसके भण्डारण और भण्डारण के साथ निजी भण्डारण व्यवस्था, तो मेरा दावा है, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस देश के अन्दर वह किसान आत्मनिर्भर होकर खड़ा हो सकता है। आज भी अगर हम ग्राम सेवा सहकारी स्तर पर निजी गोडाउन की फेसिलिटी देंगे, हंड्रेड परसेंट ऋण पर, जीरो परसेंट ब्याज पर उसको पैसा देंगे तो शायद इस देश के अन्दर जो किसानों की उपज को नीलाम किया जाता है और जिस दर पर नीलाम किया जाता है, जब कभी सरसों, गेहूं का उत्पादन ज्यादा होता है, जब सस्ता बिकता है, जब एक्सपोर्ट खुल जाता है या उत्पादन के बाद बिकता है तो महंगा बिकता है, एक आत्मनिर्भर किसान खड़ा हो सकता है। आत्मनिर्भर किसान की इकोनोमी को अगर परिवर्तित करना चाहते हैं तो सहकारिता

(श्री ओम बिरला)

आंदोलन में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। शायद मंत्रीजी संतुष्ट हो जाएं कि हमने बहुत कुछ सहकारिता आंदोलन में किया है, लेकिन उसके व्यापक और करने की आवश्यकता थी।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि सरकार ने डेमोक्रेटिक सिस्टम के आधार पर सहकारिता के चुनाव कराये हैं, सहकारिता के चुनाव कराये लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई सोसाइटियों और दो शीर्ष संस्थाओं के अभी भी चुनाव सरकार ने नहीं कराये हैं। क्यों नहीं कराये? किस कारण से नहीं कराये? क्योंकि को-आपरेटिव पर कभी डिबेट नहीं हुई, चर्चा नहीं हुई। अच्छा होता, जो दो शीर्ष संस्थाएं बची हुई हैं, जिनके माध्यम से खाद, बीज, और खाद, बीज के साथ मार्केटिंग की शीर्ष संस्था राजफैड, सहकारी संघ, शायद इनके भी चुनाव होते और जिन संस्थाओं के भी चुनाव बाकी हैं, उन तमाम संस्थाओं के कलेण्डर के आधार पर चुनाव होते, तो शायद इस डेमोक्रेटिक सिस्टम के अन्दर एक सहकारिता आंदोलन को और खड़ा कर सकते थे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कई छोटी-छोटी परेशानियां हैं। यह बात सही कह रहे थे कि आज भी वह व्यवस्थापक, ग्राम सेवा सहकारी समिति का व्यवस्थापक, क्या वह सरकार का है? किसी सोसाइटी का है? उसके कोई नियम नहीं, कानून नहीं, कोई पदोन्नति नहीं। वह व्यवस्थापक, कभी कहते हैं, ग्राम सेवा सहकारी समिति का एम्प्लाई है, कभी बैंक से गवर्न होता है, कभी स्टेट गवर्निंग करनी पड़ती है, लेकिन आज भी उस व्यवस्थापक की हालत सुधरी नहीं है, सरकार ने उस व्यवस्थापक पर विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया है जिसके कारण आज वह व्यवस्थापक दम तोड़ रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस संविधान का संशोधन करने में कोई राज्य सरकार की मेहरबानी नहीं है। यह संविधान का संशोधन करने में इस सरकार ने दो महीने की देरी की है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह संविधान संशोधन, फरवरी, 2012 को इसका गजट नोटिफिकेशन हो गया था लेकिन आज हम संशोधन ला रहे हैं, दो महीने बाद ला रहे हैं। मंत्रीजी अपने जवाब में बताएं कि आखिर कौन सा कारण था जिसके कारण यह संविधान संशोधन, जो केन्द्र की सरकार ने किया है, जिसका गजट नोटिफिकेशन हो गया है, उसके दो महीने देरी से क्यों लाया गया?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रस्तावित बिल में मेरे कुछ संशय हैं।

(श्री ओम बिरला)

मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा, इस प्रस्तावित बिल में धारा 28 के अन्दर समिति की सदस्यता के निरर्हता के सम्बन्ध में है, इसमें धारा 28(3) के परन्तुक में ट्रस्टी ऋणी का दोषी होने पर समिति पर निरर्हता लागू नहीं होगी, जब कि धारा 28सी/II में उक्त धारा 28(3) में एक ये भी प्रतीत होती हैं दोनों धाराएं, माननीय मंत्री महोदय जब जवाब दें तब इस बात को स्पष्ट रूप से बताएं।

इतना ही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम बिल तो लाना चाहते हैं डेमोक्रेसी के आधार पर कि सहकारिता के क्षेत्र लोकतंत्र हो, प्रजातंत्र हो, लेकिन अभी भी सरकार की नीयत में कहीं न कहीं फर्क पड़ता है, सरकार उसको गवर्न करना चाहती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा बार-बार आग्रह रहता है कि ये चुनाव जब जनतांत्रिक तरीके से होते हैं, डेमोक्रेसी से होते हैं तो फिर प्रशासकों का क्या लेना-देना? अगर हम गवर्नमेंट के प्रशासक नियुक्त करके, सहकारिता के चुनाव अन्दर हस्तक्षेप करने लगेंगे तो फिर हम इस मूल संविधान की धारा का उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, यही नहीं, अभी कोटा को-आपरेटिव बैंक के चुनाव के अन्दर भी जिस तरीके से सरकार ने उन नामिनेटेड डायरेक्टरों को चुनाव का अधिकार दिया, बैकडोर एंट्री से जिस दल की सरकार, उस दल के नामिनेटेड मेम्बर, उसके आधार पर संस्थाओं पर कब्जा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह न्यायोचित नहीं है। मैं एक नहीं, कई उदाहरण दे सकता हूं जिनके आधार पर सरकार एडमिनिस्ट्रेटरों के आधार पर, प्रशासकों के आधार पर इस जनतांत्रिक, लोकतांत्रिक चुनाव का गला घोंटना चाहती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सहकारिता आंदोलन का गला घोंटना न्यायोचित नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक और बता रहा हूं कि प्रस्तावित बिल की धारा 20 में प्रशासक को भी मताधिकार का अधिकार दिया गया है, जो किसी भी तरीके से उचित नहीं है। हम जब प्रजातंत्र लाना चाहते हैं तो फिर बैकडोर से एंट्री क्यों? अगर इन प्रशासकों को आपने अधिकार दे दिया और चुनाव के अन्दर जो चुने हुए जन-प्रतिनिधि हैं, जिनका वहां पर बोर्ड बनना चाहिए और अगर उस पाले के अन्दर सरकार के प्रशासक, जो सरकार के द्वारा लगाये गये हैं, उनके इशारे पर अगर वोटिंग होने लगे तो क्या हम प्रजातंत्र को ठीक कर पायेंगे? जो चुने हुए लोगों का बोर्ड बनना चाहिए, जिनका अधिकार, नियंत्रण होना चाहिए, उस पर कुठाराघात है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, धारा 32, 34 में स्पष्ट नहीं

(श्री ओम बिरला)

किया गया कि यह इलेक्शन अथोरिटी अधिकारी किस स्तर का होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हम कहते हैं कि हमने को-आपरेटिव चुनाव प्राधिकरण नियुक्त कर दिया, क्या हालत है इस प्राधिकरण की? अगर मंत्रीजी सही-सही जवाब देंगे तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चुनाव प्राधिकरण नियुक्त करते हैं रजिस्ट्रार महोदय। जब रजिस्ट्रार महोदय को-आपरेटिव के चुनाव प्राधिकरण अधिकारी नियुक्त करेंगे, उनका जोइंट रजिस्ट्रार हो, एडिशनल रजिस्ट्रार, डिप्टी रजिस्ट्रार होगा, तो आप क्या निष्पक्ष चुनाव की सोच सकते हैं? सरकार आज भी इसी बैकडोर एंट्री से चलना चाहती है। सरकार, जिस तरीके से चुनाव आयोग होता है और चुनाव आयोग के अन्दर, जिस तरह से निष्पक्ष चुनाव आयोग होता है, जिस पर आज भी पूरा देश गर्व करता है कि चुनाव आने के बाद, चाहे चुनावी सरकार कितनी भी मजबूत हो, चाहे राज्य और दिल्ली के अन्दर उनकी सरकार हो, उनके द्वारा नियुक्त चुनाव अधिकारी हों, लेकिन फिर भी एक पारदर्शिता होती है। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कहीं यह नहीं लिखा है, जबकि इस गजट नोटिफिकेशन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि को-आपरेटिव इलेक्शन अथोरिटी का अधिकारी किस स्तर का होगा, आई ए एस होगा, आर ए एस होगा, को-आपरेटिव सोसाइटी का होगा। इसमें संविधान संशोधन के अनुच्छेद की धारा 2/3जेके2, जो कि हमारे वहां का संशोधन है, के अधिकारी का इस अधिनियम में नहीं बताया है।

इतना ही नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसमें यह कहा है कि लेजिस्लेचिर को अधिकार है। माननीय मंत्री महोदय, सरकार किसी की भी रहे, सरकार आज है, कल परिवर्तित हो सकती है; आप तो सहकारिता मंत्री भी रहे हैं, सहकारिता आंदोलन को ठीक समझते हैं...

श्री उपाध्यक्ष: यह तो मानी हुई बात है कि सरकार तो सरकार ही होती है। दस बज गये हैं1

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप जो इलेक्शन अथोरिटी नियुक्त करना चाहते हैं, उसके लिए इस नियुक्ति के लिए एक पैनल बने, जिसमें पूर्व न्यायाधीश नहीं हो तो वर्तमान न्यायाधीश हो लेकिन इंडिपेंडेंट बोर्ड बने, जिसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं हो। वह इंडिपेंडेंट बोर्ड इस को-आपरेटिव के चुनाव प्राधिकरण की नियुक्ति करेगा तो हम आने वाले समय के अन्दर को-आपरेटिव के निष्पक्ष चुनाव करा पायेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं...

श्री उपाध्यक्ष: बिरला जी, आपको मेरा डिस्टर्ब करने का कतई इरादा नहीं है पर पालिटिशियन ज्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, राजनीतिज्ञ ज्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं। आप न्यायाधीश को, अफसरों का कह रहे हैं, तो राजनीतिज्ञ हो।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): राजनीतिज्ञ तो लग ही नहीं सकते, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। अधिकारी ही लगेंगे इसमें। इनके धारा 33 (4) में निर्वाचन से सम्बन्धित प्रक्रिया, मार्गदर्शन आदि बनाने की शक्ति राज्य सरकार में निहित है, जबकि संविधान संशोधन के अनुच्छेद 243/जेके2 के अन्दर यह शक्ति विधायिका में निहित है।

इसलिए, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि यह सदन बहुत गम्भीर नहीं है...

श्री उपाध्यक्ष: कोई नहीं बोल रहा। इतने दत्तचित्त होकर बोल रहे हैं।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): और जब सरकार, सदन गम्भीर नहीं रहता तो हमें भी संशोधन और विचार रखने में उचित नहीं लगता। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बिलों के बारे में सरकार को भी गम्भीर होना चाहिए, सदन को भी गम्भीर होना चाहिए।

हम जब बात करते हैं, चुनकर आते हैं तो लेजिस्लेचिर के बारे में बात करते हैं, बिल बनायेंगे, उन बिलों के आधार पर कानून बनेगा और उससे गवर्निंग होगी, लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी शंकाएं हैं, मैं माननीय मंत्री महोदय से कहूंगा कि मेरी शंकाओं को दूर करें। मैं कोई आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगा रहा, मैं कोई लम्बे-चौड़े क्षेत्र में नहीं जा रहा हूं, मैंने जो बात सही है वह कही है कि आपने को-आपरेटिव के चुनाव कराये हैं, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अच्छे चुनाव कराये हैं लेकिन कुछ चुनाव नहीं कराये हैं। आने वाले भविष्य के अन्दर कोई भी सरकार रहे लेकिन चुनाव समय पर हों, प्रजातांत्रिक, लोकतांत्रिक बोर्ड हों और उस बोर्ड के अन्दर उसको अधिकार मिलें। तब हम राजस्थान में सहकारिता आंदोलन के माध्यम से आम जन-जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय डाक्टर दिगम्बर सिंहजी।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री राजेन्द्र राठौड़। बिरला जी बहुत कुछ कह चुके।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001 में संशोधन लेकर आई है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उपाध्यक्ष महोदय, इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि राजस्थान में सहकारिता आंदोलन में गुजरात और अन्य सूबों की तुलना में हम काफी पिछड़े हुए हैं। मंत्री महोदय, आपको याद होगा कि केन्द्र सरकार ने एक कमेटी बनाई और उसके पीछे मकसद एक ही था कि हमारी ग्रामीण सहकारी समितियां, जी एस एस, वे ग्रामीण बैंक के रूप में काम करने लग जाएं, आत्मनिर्भर हो जाएं और एक फाइनेंशल पैकेज भी उनको दिया।

जब हम राजस्थान में सहकारी आंदोलन की बात करते हैं, सहकारी समिति की बात करते हैं, तो, मंत्री महोदय, ये जो असंख्य गृह निर्माण सहकारी समितियां हैं, जिनमें वर्षों से प्रशासक लगे बैठे हैं, जो लिक्विडेशन में हैं और उनकी आड़ में जिस तरह की धोखाधड़ियां आम व्यक्तियों से हो रही हैं, मैं समझता हूं कि उसके बारे में भी आपको विचार करना चाहिए।

आज अगर ग्रामीण सहकारी समितियां, जी एस एस खरीद के अन्दर बन जाएं तो मैं समझता हूं कि सहकार की भावना 'एक सब के लिए, सब एक के लिए' यह भावना चरितार्थ हो जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो संशोधन आया है, यह कोई मंत्रीजी की कृपा से नहीं आया है। इसका जिक्र अभी कोटा दक्षिण से आने वाले माननीय सदस्य ने किया कि संविधान का 97वां संशोधन, जो 2011 में हो गया, कई राज्यों ने उस संशोधन के अनुरूप अपने-अपने एक्ट में बहुत पहले संशोधन कर दिये। मंत्रीजी, देर आयद दुरुस्त आयद, यह संशोधन लेकर आये हो पर यह संशोधन, इसके कई प्रावधान सहकारी भावना के मूल सिद्धांतों के प्रतिकूल हैं।

मंत्री महोदय, आपको ध्यान होगा कि संविधान के अनुच्छेद 43(बी) में यह राज्य की रेस्पोंसिबिलिटी बताई है कि वह सहकारी क्षेत्र में प्रजातांत्रिक रूप में मैनेजमेंट कर सहकारी सोसाइटियों का सुचारु रूप से संचालन करे। इसी प्रस्तावित विधेयक की धारा 18 में आप संशोधन लेकर आये हैं कि पूर्व में किसी सदस्य के विरुद्ध कोई बकाया हो तो उसको नो-ड्यूज तब तक नहीं मिलेगा, जब तक वह पूरी राशि जमा नहीं करा दे। मतलब, कोई भी डिमांड किसी भी सहकारी समिति के सदस्य के विरुद्ध निकल गई, कोई भी एंट्री गलत इन्द्राज हो गई, अगर उसे अयोग्यता से बचना है तो बिना किसी हील-हुज्जत के उसको पहले पूरा पैसा जमा कराना पड़ेगा। आपको मालूम है कि

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इस तरह की शिकायतें आती रहती हैं, क्योंकि पूरा राजस्थान का सहकारी आन्दोलन व्यवस्थापक के बैग में सफर करता है। इसको स्वीकार करना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो प्रस्तावित विधेयक है, इसकी धारा 20 के अन्दर आप संशोधन लेकर आये हों। आपको ध्यान होगा, सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया था, जोइंट रजिस्ट्रार, को-आपरेटिव सोसायटी बनाम टी.ए. कट्टपन अय्यर, 2000 एस.सी., उसमें उन्होंने साफ कहा था कि प्रशासक को असीमित अधिकार मत दो। अब आपने धारा 20 में प्रशासक को अधिकार दिया है कि प्रशासक किसी भी सदस्य को उसकी सदस्यता से हटा सकता है। मतलब, प्रशासक का क्षेत्राधिकार इतना बढ़ाना, इसके बारे में निश्चित तौर पर आपको विचार करना चाहिए।

इसी विधेयक की धारा (28) के अन्दर, जो मैं देख रहा था पृष्ठ 55 या 58 पर, अब इसमें संचालक मण्डल के किसी सदस्य से अगर चुनाव प्राधिकारी कोई सूचना मांगे और वह सूचना उपलब्ध नहीं कराये तो पांच वर्ष के लिए उसको अयोग्य घोषित करने का प्रावधान है। मंत्री महोदय, आज जिस तरह का वातावरण चला है, चुनाव अधिकारी ने सूचना मांगी, सूचना नहीं मिली, तो पांच वर्ष के लिए अयोग्य, और अगर कोई रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराये तो भी वह अयोग्य है। आज सहकारी समिति के, ग्रामीण जी एस एस के किसी अध्यक्ष के पास, किसी से बात कर लो, उसके पास कोई रिकार्ड नहीं मिलेगा। सारा रिकार्ड उस व्यवस्थापक के पास मिलेगा, जिसके ना आज की तारीख में सर्विस रूल्स हैं, न उसको पता है कि वह किसका नौकर है। कभी बैंकों की बात चलती है, कभी कहते हैं कि जी एस एस आटोनोमस हो गई हैं, उनका नौकर है। कभी कहते हैं कि नहीं, सरकार का हस्तक्षेप है, सरकार ने इसमें पूंजी में निवेश कर रखा है। कभी कहते हैं कि वैद्यनाथन कमेटी है, उसकी रिकमंडेशन के आधार पर यह पूरी आटोनोमस बोडी हो गई। मैं समझता हूं, इसके बारे में निश्चित तौर पर बात करनी चाहिए।

इसके अलावा, जो आपने धारा 34(3) और (4) में संचालक मण्डल पर रिकार्ड अगर उपलब्ध नहीं कराये तो पांच वर्ष तक के लिए अयोग्य करने की बात की, इसके बारे में भी आपको सोचना चाहिए। जो कांस्टिट्यूशन का अमेंडमेंट है 97, यह उसकी मूल भावना के खिलाफ है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

प्रस्तावित विधेयक की धारा (33) में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी स्तर के अधिकारी को निर्वाचन प्राधिकारी लगाया जा सकता है, जबकि सहकारी नियम, 2003 का नियम (44) यह कहता है कि चुनाव अधिकारी वही होगा, जो सहकारिता से जुड़ा हुआ नहीं होगा, कोई वह कर्मी नहीं होगा।

मैं समझता हूं कि ये दोनों जो कंट्राडिक्शन हैं, मैंने यह पूरा पढ़ा नहीं, इसलिए मैं चाहूंगा, आप जब यह बात करें तो इसको स्पष्ट करें।

इसके साथ ही, मंत्री महोदय, विशेष तौर पर जयपुर में गृह निर्माण सहकारी समितियां, जो 1980 से पहले बन गईं, जिन्होंने आपको रिकार्ड जमा नहीं कराया, आप प्रशासक बनाकर भूल गये। आज उनकी आड़ में कितने फर्जी पट्टे जारी हो रहे हैं, उसका कोई अंदाजा नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: नाराज हो रहे हैं। धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ...इस धोखाधड़ी को बंद करो। जो सोसाइटीज लिक्विडेशन में हैं, उनको लिक्विडेट करो।

मैं समझता हूं, जो प्रशासक लगाकर आप भूल गये, उनको भी आप देखें और यह जो मूल आप संशोधन लेकर आये हैं, यह सहकार की भावना के खिलाफ है; जो कांस्टिट्यूशन का अमेंडमेंट आया था, उसकी भावना के विपरीत है। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि इसको जन मत जानने हेतु परिचालित किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय श्री देवी सिंहजी भाटी। आप क्यों तकलीफ कर रहे हो?

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): इसलिए कि किसी के शायद कोई समझ आ जाये।

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): आपके जज्बे को सलाम करते हैं। जय हो।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): उपाध्यक्ष महोदय, को-आपरेटिव सेक्टर की जब हम बात करते हैं, दुनिया के ऊपर थोड़ी दृष्टि डालिये, यह सहकारिता आन्दोलन फेल हो चुका है। ठीक है, हमारे एक व्यक्ति विशेष ने, कुरियन दूध क्षेत्र में क्रांति लाये, शुगरकेन के अग्रेता भी इस प्रकार से कामयाब हुए लेकिन मोटे तौर पर सहकारिता क्षेत्र में आम तौर पर प्रश्नचिह्न लगता है कि जो इसमें घुस गया, उसने अपना कब्जा कर लिया। बीच-बीच में असंतोष और भ्रष्टाचार की बात होती है।

(श्री देवी सिंह भाटी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं वहीं ले जाऊंगा, कि आज से 150 साल पहले के भारत के ऊपर दृष्टि ले जाइये। हमारे इसी भारत देश में हम सामूहिक रूप से सहकारिता के आधार पर कपड़ा बुनते थे, चाहे ढाका की मलमल हो, चाहे सूरत में कपड़ा बनता था और चाहे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में बनता था। दुनिया में कोई मिसाल नहीं थी। जिस प्रकार का कपड़ा हम बुनते थे, विश्व में कोई भी उस प्रकार का कपड़ा नहीं बुन सकता था। 250 साल पूर्व तक तो यूरोप अच्छा कपड़ा बुनने की जानकारी नहीं रखता था। हमारे यहां कपड़े की क्वालिटी होती थी कि एक कपड़े का थान है, वह 10 ग्राम का होता था और रोमन साम्राज्य सबसे बड़ा हमारा खरीददार होता था। वह कपड़े की क्वालिटी होती थी। हमारे पास अलग-अलग क्षेत्र में जहां भी अपना-अपना कार्य करते थे, जनता बिना किसी रजिस्ट्रेशन के करती थी। चाहे खेती भी हम करते थे, वह सहकारिता के आधार पर होती थी, चाहे बिजाई करें, चाहे घास निकालें, चाहे फसल की कटाई करें या निकालें। सब मिल-जुलकर काम होता था।

हमने सब उसको कानून के दायरे में, किताबों में लाकर डाल दिया। यह कभी कामयाब नहीं हो सकता। जब विश्व में सबने आजमा लिया और फेल हो गया और आप अभी भी इसको लिये घूम रहे हो। यह रास्ता नहीं है। आपके तिलम संघ को देख लीजिये, किस उद्देश्य से इसको खड़ा किया गया था, आज उसकी क्या हालत है? यह सारा जिस प्रकार का हम, एक ही कानून की किताबें बना-बना करके हर क्षेत्र में कामयाबी दिखाना चाहते हैं, वह कामयाब नहीं होगा।

आम आदमी को अपने स्तर पर हमने, आप थोड़ी एक कल्पना करो कि जहां कहीं पर भी कानून की किताब नहीं थी, सहकारिता नहीं थी, तो यह भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। जब इस प्रकार के कोई कानून, कोई फैक्टरीज, कोई इस प्रकार का कुछ भी नहीं होता था। यह आदिवासी क्षेत्र में हम जो स्टील पैदा करते थे, एक-एक आदिवासी सामूहिक रूप से इस प्रकार का स्टील तैयार करता था, उसका मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता था और हम सबसे बड़े स्टील उत्पादक थे और कहीं भी बेरोजगारी नहीं थी।

लार्ड मैकाले ने पूरे देश का देशाटन किया और बाद में उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिपोर्ट की, उसमें कहा कि हम 1,000 साल तक भले ही इस देश के ऊपर राज कर लें, इस देश को कभी भी गुलाम नहीं बना सकते। वहां

(श्री देवी सिंह भाटी)

न कोई चोर है, न बेरोजगार है, न झूठ है और इस प्रकार से संस्कारित हैं। उस व्यवस्था को जब तक हम छिन्न-भिन्न नहीं करेंगे, तब तक कामयाब नहीं होंगे। तब वे अलग-अलग कूटनीति लेकर आये। (व्यवधान) ऐसे क्या, साहब? मैंने संशोधन दिया है।

श्री उपाध्यक्ष: पेमारामजी। पेमारामजी खड़े होने लग जाते हैं।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मूल बात को हम समझ नहीं रहे। हम सारी चीजें नकल करके चलते हैं, यह सबसे बड़ा गलत है, चाहे अंग्रेजों ने किया, चाहे को-आपरेटिव सेक्टर को कहां से अपनाया। अभी तक उसी ढर्रे पर चल रहे हैं।

आप अपने पिछले हजारों साल के इतिहास को तो देखो, जो हमने अपने स्तर पर समाज की रिसर्च की और उसके अन्दर, हम हर क्षेत्र के अन्दर कामयाबी को छूते थे। इस देश ने कभी भी किसी के ऊपर हमला नहीं किया, लड़ाइयां नहीं लड़ीं लेकिन अपने संस्कारों की वजह से हमने सबको अपना बना लिया था, चाइना से लेकर जापान, तिब्बत और साउथ-ईस्ट एशिया को। हमारे पास ऐसे विचार हैं, ऐसी परिकल्पना है, ऐसी संरचना हम बना सकते हैं, उसके ऊपर तो जाते नहीं और यह कि यह गोरा क्या करता है, उस गोरे की नकल करके हम बरबाद हो गये हैं।

इसलिए हमारा जो मूल इतिहास रहा है, हमारी जो संस्कृति रही है, हमारी जो परम्पराएं रही हैं, उनके ऊपर आना पड़ेगा। तभी हमारा यह भारत देश है, वापस ऊंचाइयों को छू सकेगा। इस प्रकार के भले ही कितने ही कानून बनाओ,

(22.00 बजे)

कितने ही संशोधन हुए हैं आज तक, उसका कोई अंत नहीं है, और करते रहोगे। हम कहते हैं, जो मूल हमारे पास में है, उसमें आज के नये इस युग के अन्दर जो भी कुछ अच्छी बातें हैं, वे जरूर शामिल कर लीजिये। हमने सब चीजों को आलमारी में बंद कर दिया। जो हमारे हजारों साल की रिसर्च थी, जो हमारी व्यवस्था थी, उसको तो दे आलमारी में ताला, लगाकर रख दिया।

अब वह अंग्रेज क्या कर रहा, वह कुछ जानता नहीं था, ढाई सौ साल पहले तक न तो वह स्टील बनाना जानता था, सब रा मैटेरियल यहां से जाता

(श्री देवी सिंह भाटी)

था और वहां से बनकर आता था। हमारे लोगों को यहां तक पाबंद कर दिया, उपाध्यक्ष महोदय, अगर कोई भी वनवासी खनन करेगा, लोहा-स्टील बनायेगा तो उसके पहली बार में तो चालीस कोड़े लगेंगे; ऐसा माइनिंग एक्ट बनाया कि दोबारा वह ऐसी गुस्ताखी करे तो उसको गोली मार दो। इस प्रकार के कानून उनके बनाये हुए हैं।

जब हमने अपनी व्यवस्था की हुई थी, हम एकदम स्वावलम्बी थे, ऐसी फूलप्रूफ व्यवस्था थी कि उसमें कहीं दाग नहीं था और सारे लोग संतुष्ट थे। तो वह मैं, उपाध्यक्ष महोदय, कहना चाहता हूं कि आप धीरे-धीरे उस व्यवस्था के ऊपर लौटिये। यह नकल करने से, मैंने भी नकल करने का एक दफा कालेज में प्रयास किया, क्योंकि ऐसे ही हमारे कोई प्रिंसिपल आ गये, वे बिलकुल भोले-भाले थे, सब छूट थी। हमने कभी जिंदगी में नकल नहीं की। तो मैंने भी उस दिन किताब ले जाकर कोशिश की कि मैं भी उसको करूं। वह वहां टायलेट में रखी हुई थी, जाता बार-बार और करता। तो पांच प्रश्न करने थे उसमें, तो मेरे तो चार ही हुए और ठण्ड पी गया, और सप्लीमेंट्री आ गई। नकल करने से पार नहीं पड़ेगी। (व्यवधान) नहीं, रखना सभी पड़ता है।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं इस सदन को निवेदन करना चाहूंगा कि यह मूल जो स्वरूप है हमारा, उसके ऊपर लौटना होगा। इस प्रकार के कानून के ऊपर आप सिर्फ 'हां' में 'हां' मत मिलाओ, अपने पूर्वजों के इतिहास को देखो, तब हम वापस सही रास्ते पर जा सकेंगे, वरना नहीं।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री पेमाराम। कृपा कर दीजिये। (व्यवधान) सब की राय है, पेमारामजी चश्मा वापस उतारें। सब की राय यही है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह मत समझना, मत-विभाजन की मांग वैधानिक अधिकार है। मैं पहले कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: मत-विभाजन तो अधिकार है पर चश्मा लगाना भी अधिकार है पेमाराजी का।

श्री पेमाराम (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक सहकारी आंदोलन का सवाल है, निश्चित तौर पर हिन्दुस्तान में, अपने राजस्थान में, ग्रामीण इलाके में, यह किसान के लिए एक जीवनदायिनी का काम हुआ है। सहकारिता का मतलब, 'एक-सब-के-लिए और सब-एक-के-लिए', सामूहिक तौर पर, लेकिन,

(श्री पेमाराम)

उपाध्यक्ष महोदय, जिस कदर, जो सहकारी आंदोलन की मूल भावना थी, जो मूल मकसद था, पता नहीं, कितने कानून में संशोधन आये, उसके बावजूद आज सहकारी आंदोलन, जिसका चुनाव के द्वारा कब्जा हो गया, उसने सहकारी आंदोलन पर कब्जा करके और उसी का परिणाम है कि आज जगह-जगह भ्रष्टाचार के केस उजागर हो रहे हैं; जगह-जगह जिसको इमदाद मिलनी चाहिए, वह मिल नहीं पा रही है।

हमें, निश्चित तौर पर कानून तो आया, लेकिन ऐसे प्रावधान भी करने चाहिए, जो सहकारिता आंदोलन की मूल भावना, तमाम के लिए, ग्रामीण इलाके के लिए, उस खेती करने वाले के लिए, जो मूल बैंक का स्वरूप है, आर्थिक तौर पर उसको सम्बल देता है, उसमें कहीं खामियां आयें तो उसके लिए भी तो कोई कानून बने, लेकिन वह नहीं है। आज, उपाध्यक्ष महोदय, हाथकरघा सहकारी समितियां हैं हमारे इलाके में, बुनकर सोसाइटियां हैं हमारे इलाके में, लेकिन वर्षों से उनके कोई चुनाव नहीं हैं, उनका कोई रख-रखाव नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। कोई देखने वाला नहीं है। प्रशासक है, मरजी में आता है, प्रशासक उनको भंग कर देता है। वे आकर एप्लिकेशन देते हैं, वापिस वे ठीक से आ पाते हैं।

इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि ज्यादा लम्बा-चौड़ा कहने की आवश्यकता नहीं, मैं तो दो-तीन बात कहना चाहूंगा। एक तो तमाम को-आपरेटिव सोसाइटीज यहां जितनी भी हैं, उनमें चुनाव निश्चित तौर पर होने चाहिए, समयबद्ध, चरणबद्ध तरीके से होने चाहिए। दूसरा मेरा सुझाव इसमें यह है कि वाकई में व्यवस्थापक जो हैं, उनका, परमानेंट, सरकारी, आज उनकी हालत यह है कि न्यूनतम वेज तक उनको नहीं मिल पाता। उनको वित्तीय अधिकार हैं, ऋण देता भी है, ऋण को इकट्ठा भी करता है, तमाम और; मतलब, वित्तीय अधिकार तो उसके पास हैं लेकिन उसके घर में उसके बाल-बच्चे उसकी तनख्वाह के आधार पर कारगुजारी चलाते हैं कि नहीं चलाते, उसी का परिणाम है...(व्यवधान) अपन तो यह चाह रहे हैं कि उनको परमानेंट करें, राज्य सरकार के कर्मचारी के बराबर वेतन-भत्ते दें और जब तक यह नहीं होगा तब तक निश्चित तौर पर करप्शन का, जो कहीं-कहीं उजागर हो रहा है, वह रुक नहीं पायेगा।

इसके साथ ही, मैं एक सुझाव और देना चाहूंगा कि पूरे राजस्थान में सहकारी समितियां जहां भी हैं, उनके भण्डारण की व्यवस्था को भी सरकार योजनाबद्ध तरीके से करे तो शायद किसानों के लिए यह लाभप्रद होगा।

श्री उपाध्यक्ष: बहुत बढ़िया। माननीय श्री अमराराम जी। आप तो विराजिये ना।

श्री पेमाराम (धोद): अमरारामजी बोलेंगे, मैं तो बोलूं मेरी बात, मेरे सुझाव तो दे दूं। मंत्रीजी मानें कि नहीं मानें लेकिन इनकी नजर में तो लाऊं मैं। एक मेरा सुझाव यह है....

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आपने मुझे भी कहा कि मैं बुला दूंगा और वह स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में...

श्री उपाध्यक्ष: माननीय श्री...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अब वापस आयेगा तब तो मैं बैठा रहूं। आ रहा है क्या वापस सब्जेक्ट वह? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: केवल पेमारामजी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अमरारामजी, आप बोलिये।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय पेमारामजी, समाप्त करिये। अमरारामजी, आप बोलिये अब।

श्री पेमाराम (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बात, मेरी बात समाप्त नहीं की।

श्री उपाध्यक्ष: मैं दूसरा नाम पुकारूं फिर?

श्री पेमाराम (धोद): पुकारे काहे को? मैं बता रहा हूं न। एक मेरा सुझाव इसमें यह है कि...

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल श्री पेमाराम का अंकित होगा, केवल।

श्री पेमाराम (धोद): ग्रामीण इलाके में जो राशन डीलर, राशनिंग व्यवस्था है, आप को-आपरेटिव सोसाइटीज हैं, उनके भण्डारण की व्यवस्था करके, उससे तो किसान को लाभ होगा और एक राशन प्रणाली में पूरे राजस्थान में सरकार ऐसी व्यवस्था करे कि डीलर के बजाय राशन का जो...

श्री उपाध्यक्ष: केवल पेमारामजी। किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। श्री अमरारामजी।

श्री पेमाराम (धोद): वह को-आपरेटिव सोसाइटीज के द्वारा करायें तो और बेहतर होगा, वजनदार होगा।

मैं पुन: माननीय मंत्रीजी से निवेदन कर रहा हूं कि को-आपरेटिव सोसाइटीज में सबसे बड़ी कोई बाधा आ रही है तो उसमें उनको चलाने वाले व्यवस्थापक हैं। उन व्यवस्थापकों की...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: नाम नहीं है आपका। (व्यवधान) आप विराजिये।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: विराजिये। विराजिये। माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान) केवल मंत्रीजी का होगा अंकित।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल मंत्रीजी। (व्यवधान) आप विराजो न। मंत्रीजी तो बोलें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल मंत्रीजी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपका नाम नहीं है। केवल मंत्रीजी।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

डा. रघु शर्मा (मुख्य सचेतक): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी, बोलिये आप तो। मंत्रीजी, बोलिये। (व्यवधान) केवल मंत्रीजी।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, 97वां संविधान संशोधन 2011, संविधान के भाग चार में आर्टिकल 43-ए के पश्चात् एक नया

(श्री परसादीलाल)

आर्टिकल 43-बी जोड़ा गया, जिसमें सहकारी संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए स्वैच्छिक निर्माण, कार्य में स्वायत्ता, प्रजातांत्रिक नियंत्रण, यह सब माननीय सदस्यों ने भावना व्यक्त की।

राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2001, जो पिछली सरकार के कार्यकाल में हमने उस अधिनियम को बनाया 2001 में, राष्ट्रपति जी की मंजूरी मिली और उसके बाद राजस्थान में सहकारिता का जो आंदोलन है, उसके प्रति लोगों का वापस विश्वास जाग्रत हुआ। बहुत लम्बे समय से चुनाव नहीं होने के कारण, अठारह-बीस साल तक संस्थाओं के इलेक्शन नहीं होने के कारण, लोग सहकारिता आंदोलन को एक तरह से भूल से गये थे। 2001 में यह कानून बनाकर पास किया।

हमारा 2001 का जो एक्ट है, उपाध्यक्ष महोदय, अभी भारत सरकार ने जो अमेंडमेंट किये, बहुत कम सेक्शंस में हमको संशोधन करना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा जो मूल अधिनियम 2001 है, भारत सरकार ने उसकी बहुत प्रशंसा की है कि राजस्थान का एक्ट वर्तमान में, सारे प्रदेशों से अच्छा राजस्थान का सहकारिता अधिनियम है।

हमने चुनाव की सारी इसमें जो रखी है, स्वायत्ता रखी है। समय पर इलेक्शन कराना, आपको पता है, हमारी यह सरकार बनने के बाद, आपके समय में केवल ग्राम सेवा सहकारी समितियों के चुनाव हुए थे, उसके आगे आपने कोई इलेक्शन नहीं कराये थे; ज्यों ही हमारी सरकार बनी, हमारी सरकार ने आते ही घोषणा की, सबसे पहले हम, जहां से पिछली सरकार ने चुनाव को छोड़ दिया था, हम वहां से शुरू करेंगे। आप देख लीजिये, उपाध्यक्ष महोदय, सी सी बी हो, पी एल डी बी हो, अपेक्स हो, आपकी डेयरी संस्थाएं हों, सारी संस्थाओं में, एक-दो को छोड़कर, बाकी सब जगह हमारे इलेक्टेड बोर्ड हैं और चुनाव में भी, आप माननीय सदस्यों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, सरकार की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया। चुनाव पूर्णतया निष्पक्ष तरीके से हुए हैं।

यह संविधान जो आया है, कुछ धाराओं में बहुत ही अच्छा, जो हमारी पहले से ही भावना है, इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। प्रशासक लगाने के वक्त, इसमें आपने जो आशंकाएं व्यक्त की हैं, आपको तो याद होगा, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य को, मैं इस पक्ष का नहीं हूं कि प्रशासक वोट दें, आपके समय आर.सी.डी.एफ. के चुनाव हुए, आपने उसमें प्रशासकों के वोट डलवाये थे और हमारे समय आर.सी.डी.एफ. के चुनाव हुए,

(श्री परसादीलाल)
उसमें हमने प्रशासकों के वोट नहीं डलवाये। पर यह जो अधिनियम है, कुछ ऐसी धाराएं हैं जिनमें संविधान संशोधन 97 में हुआ है, उसके अनुसार हमको संशोधन करना जरूरी था।

आपने अभी आशंका व्यक्त की कि हाउसिंग सोसाइटीज में लम्बे समय से प्रशासक हैं। नया जो संविधान संशोधन आया है, हम इसमें संशोधन करने जा रहे हैं, अब उसमें कोई प्रशासक नहीं लगेगा। अगर उनमें गड़बड़ियां होंगी जिनमें प्रशासक लगे हुए हैं, हम उन सबको लिक्विडेट कर देंगे। हम चाहते हैं कि इसमें निष्पक्षता रहे।

प्रशासक की अवधि में पहले एक वर्ष थी इस धारा 30 में, उसमें भी अरबन को-आपरेटिव बैंकों में पांच साल की प्रशासक की अवधि थी, उसको घटाकर एक साल किया है।

हम चाहते हैं कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से हों। पहले चुनाव नहीं होने के कारण यह था, अभी संविधान संशोधन में यह प्रावधान डाल दिया कि सहकारी संस्थाओं के चुनाव पहले रिक्वेस्ट करो इलेक्शन अथोरिटी को और उसके बाद वह इलेक्शन कराये, यह अब तक प्रावधान था। इसके कारण वहां पर रिक्वेस्ट, जो प्रशासक था, जो भी वहां पर बोर्ड था, प्रशासक लगने के बाद वह उसकी रिक्वेस्ट नहीं करता था। इलेक्शन अथोरिटी इलेक्शन नहीं कराती थी। अब इसमें प्रावधान डाल दिया, उस प्रावधान को हमने हटा दिया है और अब निश्चित रूप से समय पर चुनाव कराएंगी इलेक्शन अथोरिटी। एक दिन भी चुनाव कहीं डिले नहीं होगा।

इसलिए जो भावनाएं हैं आपकी और सबकी, माननीय ओम बिरलाजी की, हमने आपकी अरबन को-आपरेटिव, कोटा का भी इलेक्शन करवाया। हमारी भावना यह है कि चुनाव से ही संस्थाएं मजबूत हो सकती हैं।

श्री उपाध्यक्ष: आपकी भावना पहुंच गई है।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): चुनाव के बिना संस्थाएं मजबूत नहीं हो सकतीं।

मैं उनको जवाब तो दे दूं, उनकी आशंकाएं जो हैं। आपकी दो-तीन शीर्ष संस्थाओं के चुनाव हैं, बाकी तो सब इलेक्शन करवा दिये हैं हमने, एस.एल.डी.बी. का करा दिया, कानफेड का करा दिया, अपेक्स का निर्विरोध करा दिया। हमारी एक तो राजफैड है और एक संस्था सहकारी संघ, सहकारी संघ

(श्री परसादीलाल)

के चुनाव हमने डिक्लेयर करवा दिये हैं, अगले महीने अप्रैल से उनकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी; राजफैड के भी चुनाव हम अप्रैल में करा देंगे। हमारी कहीं कोई मंशा नहीं है। हमारी मंशा है, हमारे मुख्य मंत्रीजी की, हमारी सरकार की, सबकी, कि को-आपरेटिव आंदोलन मजबूत होगा जब इलेक्शन समय पर होंगे और यह इलेक्शन समय पर होने के लिए, आपने देखा है, संविधान संशोधन से कोई ज्यादा फर्क नहीं आया है भारत सरकार के एक्ट में और हमारे एक्ट में।

आप कह रहे हैं कि वह इलेक्शन अथोरिटी आपका को-आपरेटिव का अधिकारी होगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अभी हमारे एक सम्मेलन में भावना व्यक्त की थी कि अब इनको संविधानिक दर्जा मिल गया। पंचायती राज और नगरपालिकाओं की तरह सहकारी संस्थाओं को भी दर्जा भारत सरकार ने दिया। मैं तो यह कहना चाहूंगा, जब पिछली बार खेतसिंह राठौड़ साहब इसके मंत्री थे, सोनिया जी ने मुख्य मंत्रीजी को एक चिट्ठी लिखी थी उस समय कि सहकारी संस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए कानून में परिवर्तन करो। उसी भावना से कानून में परिवर्तन हुआ और हमारे कानून के बाद भारत सरकार ने अमेंडमेंट किया।

हम चाहते हैं, सहकारी संस्थाएं हमारी गांव की एक तरह से रीढ़ हैं। आप देखेंगे कि यह सब चुनाव हम नहीं कराते, सी.सी.बी. के, अपेक्स के इलेक्शन नहीं कराते तो मुख्य मंत्रीजी भी इतना सारा पैसा, जो जीरो परसेंट पर हम को-आपरेटिव से किसानों को क्रोप लोन दे रहे हैं, यह चुने हुए लोगों की ही मेहरबानी है। चुने हुए लोग हमारे वहां हैं, संस्थाएं मजबूत हैं। आज 15 हजार करोड़ का, आपके समय तो ढाई हजार करोड़ का था 2008-09 में, छह गुणा उसको जंप करके आज हम 15 हजार करोड़ का जीरो परसेंट पर किसानों को क्रोप लोन देंगे।

इसलिए इन संस्थाओं का मजबूत होना, निष्पक्ष होना, समय पर चुनाव होना, इनकी एक तरह से पारदर्शिता है। इसमें कहीं भी कोई समझौता नहीं है। इसलिए जो भी संस्थाओं में, जहां चुनाव नहीं हैं, हम उनके चुनाव कराएंगे। बहुत कम कैसेज हैं।

आपने कहा कि हम प्रशासक लगा देंगे, प्रशासक उन्हीं परिस्थितियों में लगेगा, जैसे उसका समय पूरा हो गया, पांच साल की अवधि। वह बोर्ड, संचालक मण्डल का प्रशासक लगेगा तो वह जो पिछले वाले संचालक मण्डल के मेम्बर हैं वे निर्योग्य नहीं होंगे। अगर उसको किन्हीं कारणों से हटाया जाता

(श्री परसादीलाल)

है, वे अयोग्य हो जाते हैं। इसलिए कोई भी आशंका कहीं भी कानून में यह नहीं है।

कोई भी व्यापार करेगा, पहले भूमि विकास बैंकों के लिए नये अमेंडमेंट में जो धाराएं जोड़ी हैं, उनको भी शोर्ट टर्म लोन देने की बात नये एक्ट में हुई है। उनको भी, सी.सी.बी. की तरह, नाबार्ड से जोड़कर, उनको भी, आज बहुत सारे हमारे पी.एल.डी.बी. के चेयरमैन, वगैरह मांग करते हैं कि शोर्ट टर्म लोन, हमारे किसान की जमीन यहां गिरवी है, हम उसको दे नहीं सकते, पर नये एक्ट के बाद, नये संशोधन के बाद, अब शोर्ट टर्म का लोन, सी.सी.बी. के साथ, उनको भी देने का प्रावधान इसमें जोड़ा है।

और 18 और 30 की जो बात है, प्रशासक में कहीं कोई राजनीतिक कारणों से, आज चार साल हमारी सरकार का कार्यकाल हो गया, एक भी जगह बता दो कि हमने कहीं भी बोर्ड को भंग करके, कहीं भी कोई प्रशासन लगाया हो। एक भी जगह बता दो आप।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ...(व्यवधान) आपने यहां आश्वासन दिया था कि टोंक में हम लोन दे देंगे।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): मैं समझ गया, आप बैठिये।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): मैं आपको अच्छे व्यक्तियों से समझता हूं, मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, आपने आश्वासन दिया था। हमारे ज़िले में एक व्यक्ति को भी लोन दिया हो तो मैं कसम खाता हूं। मेरी प्रार्थना है, वहां से, हमारे माननीय उपाध्यक्ष महोदय भी वहीं से हैं। हमारे ज़िले ने गुनाह यह कर दिया था, कुछ किसानों ने लोन नहीं भरा, तो बाकी जो किसान नया लोन लेना चाहते हैं, उनकी क्या गलती थी? मैं चोर हूं तो क्या पूरा जिला चोर हो गया? तीन विधायक हैं वहां से। आज मेरी प्रार्थना है, आज आखिरी विधान सभा है, हम लड़कर के भी क्या ले लेंगे? एक दर्द है। कल दूसरी सरकार आयेगी तो आप आरोप लगाएंगे और आपकी सरकार आयेगी तो ये आरोप लगाएंगे। जनता पिसती जाएगी इस चक्की के अन्दर और कोई फायदा नहीं मिलेगा। आप अपने दिल में स्वीकार करो। यह सच्ची बात है। हम गये थे, हमारा पूरा जिला गया था।

श्री उपाध्यक्ष: आपकी भावना आ गई है। आपने अपनी बात बता दी। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): मैं आपकी ही बात का जवाब दे रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: आप जवाब सुन लीजिए। अभी जवाब सुन लीजिए।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूं मैं। आप जवाब सुन लीजिए प्लीज।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में आखिरी दिन बेहूदा नहीं होना चाहता। इस सदन का आखिरी दिन सम्मान से चले। आप भी वहीं से हो ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: अब आप विराजिए। केवल परसादीलालजी का।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिए। केवल परसादीलालजी का अंकित होगा।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: इसकी स्टेज आयेगी। अभी नहीं। मैं बुलाऊंगा, ये जवाब नहीं देंगे तो। आप चिंता क्यों करते हो? बिलकुल जवाब देंगे।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अभी बुलवाएंगे। केवल परसादीलालजी। अभी बुलवाते हैं, बैठिये आप। अब मशीन बंद करो अपनी।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, ...(व्यवधान) टोंक में पिछली सरकार के समय जो बोगस लोनिंग की गई...

श्री उपाध्यक्ष: केवल परसादीलाल जी। अंकित नहीं होगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): उसके बाद, वहां रिकवरी नहीं होने के कारण, उपाध्यक्ष महोदय, आर.बी.आई. ने टोंक सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक का लाइसेंस निरस्त कर दिया, उसको निलम्बित कर दिया। यह आपको भी पता है। आप लोगों ने भी हमको बुलाकर बात की थी, आपके किसान भी आये थे और अध्यक्ष भी आये थे। उसके बाद मुख्य मंत्रीजी ने आपके और हमारे कहने

(श्री परसादीलाल)

से पहली बार राजस्थान में किसी बैंक को पुनर्जीवित करने के लिए... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: पहले सुनिये तो सही आप। आप पहले पूरा सुनिये, उसके बाद मौका देंगे आपको। केवल परसादीलालजी का अंकित होगा।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): आप सुनिये ना। आपको सुन लिया है, अब आप मेरी सुन लीजिए। आपकी ही बात कह रहा हूं मैं।

श्री उपाध्यक्ष: मैं आपको बुलाऊंगा, पहले इनको बोल लेने दीजिए आप।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): ...(व्यवधान) लाइसेंस से, उस टोंक सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक की रिकवरी नहीं होने के कारण, उसको आर.बी.आई. ने उपयुक्त नहीं मानते हुए उसको सस्पेंड किया। आप सब और हम मुख्य मंत्रीजी से मिले और यह पहली बार राजस्थान में, किसी बैंक को सरकार 30 करोड़ की ग्रांट एक साथ उस बैंक का लाइसेंस बहाल कराने के लिए, आर.बी.आई. की सिफारिश पर, उसको दी।

दूसरी बात आप कह रहे हो कि हमारे किसानों को ऋण नहीं मिला। हमने मुख्य मंत्रीजी से कहकर, अपेक्स बैंक के माध्यम से, जिन सोसाइटीज का ओ डी नहीं था, जिन किसानों ने जमा करवा दिया था, उनको सबको हमने क्रोप लोन दिया है और इस साल आप जितनी भी लिमिट बनाकर के भेजेंगे, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, टोंक को भी हम उसी तरह जीरो परसेंट पर लोन देंगे। जितनी भी लिमिट होगी।

श्री उपाध्यक्ष: कम दे रहे हैं, पूरा नहीं मिल रहा है, उनका कहना यह है।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): पहले भी हमने दिया है और इस साल भी हमने दिया है। वहां की रिकवरी जो पिछली बार पिछड़ गई थी, उसके कारण बैंक का आर.बी.आई. ने लाइसेंस सस्पेंड किया था। आज हमें खुशी है, उपाध्यक्ष महोदय, जब हम सरकार में आये थे, हमारे करीब एक-दो बैंकों के आर.बी.आई. के लाइसेंस थे और आज हमारे 29 के 29 बैंकों के आर.बी.आई. के लाइसेंस हमने ले लिये हैं और सारे बैंक हमारे प्रोफिट में हैं।

हम क्रोप लोन देने में, पहली बार, उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने

(श्री परसादीलाल)

पहली बार राजस्थान में हमारे बैंकों को अधिक लोन देने के लिए दो प्रतिशत का अनुदान दिया है। पिछली सरकार ने तो घोषणा ही की थी केवल कि हम इनको पच्चीस करोड़ का अनुदान देंगे, हमने पहली साल में तीस करोड़ दिया, दूसरी साल में बहत्तर करोड़ दिया, गत वर्ष हमने सौ करोड़ दिया और इस साल हमने 150 करोड़ का प्रावधान रखा है, जिससे बैंकों को कहीं घाटा नहीं हो, बैंकों को कहीं नुकसान नहीं हो। इसलिए हमने तीन सौ चौवन करोड़ रुपये इन चार साल में बैंकों को ग्रांट दी, अनुदान दिया, पहली बार।

इसलिए को-आपरेटिव का जो काम हुआ, वह आपके सामने है। हम चाहते हैं कि इसमें और स्वायत्तता आये।

अभी आपने कहा कि एम एस पी से खरीद होनी चाहिए। इस साल हमने अलवर में हमारी सहकारी संस्थाओं के माध्यम से पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। इस साल अलवर में करेंगे, अगले साल इसका अनुभव लेकर पूरी तैयारी के साथ हम पूरे राजस्थान में हमारी ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से गेहूं की खरीद करेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, पहली बार राजस्थान में किसानों से इतनी एम एस पी पर खरीद हमने की, एफ सी आई से करवाई। हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के पैटर्न पर राजस्थान में भी अगले वर्ष से हमारी ग्राम सेवा सहकारी समितियों के स्तर पर किसानों के गेहूं की खरीद हो।

दूसरी जो भी आशंकाएं, माननीय बिरला जी गये, माननीय मुख्य सचेतक महोदय, आप सब की भावनाओं के अनुरूप हमने इन चार साल में कहीं भी कोई राजनीति या कोई किसी तरह का राजनीतिक वातावरण...। हम चाहते हैं कि इस अमेंडमेंट के बाद, उपाध्यक्ष महोदय, कोई राजनीतिक हस्तक्षेप सहकारी संस्थाओं में नहीं रहेगा। चाहे सरकार आपकी रहे, चाहे हमारी रहे पर हम राजनीतिक रूप से चुनाव को प्रभावित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब मतदाता सूची का भी राज्य निर्वाचन अथोरिटी करेगी।

हम चाहते हैं, मुख्य मंत्रीजी ने कहा था कि पंचायत राज और नगरपालिकाओं की तरह इसका भी इलेक्शन कमीशन बनायेंगे, स्पेशल एक अथोरिटी बने और उस अथोरिटी को बनाने के लिए मुख्य मंत्रीजी ने खुद घोषणा की है। पंचायत राज और नगरपालिकाओं के समय पर चुनाव हों, एक दिन भी डिले नहीं हो और इनके चुनाव निष्पक्ष हों, उसके लिए पंचायत राज

(श्री परसादीलाल)

संस्थाओं की तरह इसका भी अलग से इलेक्शन कमीशन बनाकर हम चुनाव कराने की इच्छा रखते हैं।

हमारी सरकार ने निष्पक्षता से, कहीं भी कोई, इसलिए आप सबको कहीं भी चुनाव में, हमने सारे चुनाव कराये हैं, आपसे कहीं कोई शिकायत नहीं आयी, किसी माननीय सदस्य की शिकायत नहीं आयी। हमने निष्पक्ष तरीके से चुनाव कराये हैं और हमने तो पहली बार, यह कहेंगे, चाहे वे बी जे पी के सी सी बी चेयरमैन थे, चाहे हमारे थे, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के इतिहास में पहली बार हमारे अपेक्स बैंक के चुनाव भी निर्विरोध हुए। सबकी भावना थी, सब-एक-के-लिए, एक-सब-के-लिए और सबने निर्विरोध बैठकर इलेक्शन कर लिया। इससे बड़ा को-आपरेटिव का मूवमेंट, गुजरात में भी मेरे ख्याल से आप कह रहे थे, वहां भी चार प्रतिशत पर क्रोप लोन देते हैं, हमारे यहां जीरो प्रतिशत पर क्रोप लोन देते हैं। इसलिए सहकारिता का जो हमने इसको विकसित किया है, उसको और आगे बढ़ायेंगे।

जो भी संविधान संशोधन की यह है, यह इस एक्ट की मूल भावना को, पारदर्शिता को, राजनीति से दूर, राजनीतिक हस्तक्षेप कम करने के लिए, यह हम अमेंडमेंट लाये हैं। यह सही बात है कि हमें 14 फरवरी से पहले इसको लाना चाहिए था। हमने गवर्नर साहब के यहां इसको आर्डिनेंस के लिए भेजा, तब तक विधान सभा का गजट नोटिफिकेशन हो गया। उन्होंने कहा कि जब विधान सभा आ रही है तो यहां पर इसको पास करें।

मैं आप सब माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि जो भी कोई बात हो, जो भी हो, बैठ कर करें। हमारे लिए को-आपरेटिव में किसान इसके मेंबर हैं, वहां किसान की नेम प्लेट होनी चाहिए, प्रशासकों की नहीं होनी चाहिए। हमारी सरकार की यह कोशिश है और हमने इसको पूरा भी किया है। एक-दो जगह, जहां राजफैड और इसके चुनाव हैं, हम अप्रैल में इनके भी चुनाव करा देंगे। हम चाहते हैं कि इसमें किसानों के प्रतिनिधि बैठें, उनका प्रतिनिधित्व हो। निष्पक्ष तरीके से सारे चुनाव करा दिये, कोई बाकी ही नहीं है। अभी आर सी डी एफ के भी करा दिये, डेयरी के भी करा दिये, जिला संघों के भी करा दिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): हां, उसके बारे में बता रहा हूं।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अब आप समाप्त करें।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, श्री पेमारामजी ने व्यवस्थापकों के बारे में कहा। आपको पता है, माननीय सदस्य, पिछली सरकार में आप एम एल ए थे, जब हमारी सरकार थी। व्यवस्थापकों का बहुत लम्बा मामला था। हम उसको कैबिनेट में लेकर गये, माननीय मुख्य मंत्रीजी को निवेदन किया, कैबिनेट ने उनको चौबीस महीने की ग्रेच्यूटी देने का फैसला किया, हमारी कैबिनेट ने। उस दौरान सरकार बदल गयी और आपकी सरकार ने उनका घटा कर वापस अठारह महीने कर दिया। उनको एल डी सी का, सुनिये...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): सुन तो लो पहले। आप पूरी बात सुनें, उसके बाद पूछिये। पहले पूरी बात सुनें। आप सुनिये तो सही। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूं तो।

श्री उपाध्यक्ष: आपस में बात नहीं। केवल परसादीलालजी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): ये अभी सही कह रहे थे, वैद्यनाथन का पैकेज लेने के लिए तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि...

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल परसादीलालजी।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): वैद्यनाथन का पैकेज, भारत सरकार और स्टेट गवर्नमेंट के बीच 2006 में एम ओ यू हुआ, उस एम ओ यू में यह शर्त थी भारत सरकार की कि आपको पैकेज हम तब देंगे जब इन शर्तों का सरकार पालन करेगी। उन शर्तों में यह था कि सोसायटी के लाभांश के तीस प्रतिशत से ज्यादा आप वेतन-भत्तों में खर्च नहीं करेंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: केवल मंत्रीजी। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): ...(व्यवधान) 433 करोड़ रुपये उन्होंने हमको दिये। हमने कुछ संशोधन किये। सौ करोड़ रुपये आज भी हमारे बाकी हैं। हम चाहते हैं कि व्यवस्थापकों का...(व्यवधान)

श्री रतन देसाई ऊर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): यह जो अभी व्यवस्थापकों का मामला पेंडिंग है, इसको भी हम पन्द्रह दिन के अन्दर-अन्दर, व्यवस्थापकों को उचित एल डी सी की ग्रेड का उनको वेतन मिले। उनका अच्छा काम है। बहुत बड़ा काम हो गया। व्यवस्थापकों के, सही कह रहे थे आप, बहुत बड़ा काम हो गया, ऋण देना, उनकी रिकवरी करना। उनको एल डी सी ग्रेड का वेतन हम देंगे और किसी भी व्यवस्थापक को, पन्द्रह दिन के अन्दर-अन्दर इस पर हम फैसला कर देंगे कि व्यवस्थापकों की दुबारा कोई इस तरह की समस्या नहीं आये कि उनको कहीं वेतन के लिए भी...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: नहीं। केवल परसादीलाल जी।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप समाप्त करें अपनी बात। आपने समाप्त कर दी तो विराजो।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, जोधपुर भण्डार के इलेक्शन की बात ये माननीय सदस्य कर रहे हैं। आपको पता है, वहां कोर्ट का स्टे है। कोर्ट का स्टे जब खुल जाएगा, हमने चुनाव डिक्लेयर...(व्यवधान)

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल परसादीलाल जी का ही अंकित होगा।

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): जोधपुर भण्डार के इलेक्शन पर माननीय उच्च न्यायालय का स्टे है। हमने चुनाव प्रक्रिया शुरू कर दी थी, चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के बाद हाई कोर्ट से स्टे ले आये। इसलिए चुनाव नहीं हुए। (व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): स्टे वैकेट होगा, उसके बाद दुबारा इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाए।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2013 को जन मत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जन मत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार ।

खण्ड 2 से 22 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 22 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 22 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया गया।

श्री परसादी लाल मीणा, प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2013 को पारित किया जाए?

विधेयक का पारण

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2013 को पारित किया जाए।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): **×××**

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। आप बोल रहे थे, आप बोलिये।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): **×××**

श्री उपाध्यक्ष: आपको मौका देंगे ना अभी। अंकित नहीं होगा। केवल आपका अंकित होगा। हां, आप बोलिये। बोलिये, आपका अंकित होगा।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो ग्राम सेवा सहकारी समितियां हमारे जैसलमेर में लगी हुई हैं, वहां नहर से खेती हो रही है, वहां एक ग्राम सेवा सहकारी समिति से दूसरी ग्राम सहकारी समिति तक सौ-सौ किलोमीटर की दूरियां हैं। हम यह चाहते हैं, कुछ जगह का पी टी एम चुराया है, 113 आर डी है, आसुरता है, वहां नयी ग्राम सेवा सहकारी समितियां बनायें। केवल वह काम है। क्योंकि जो पूर्व में बनी हुई हैं, एक तो उनके मेम्बर पूरे नहीं हैं और मेम्बर नये बनाना नहीं चाहते हैं। ये फीस चार्ट आपके वहां नहीं बनाना चाहते हैं। हमने प्रशासन-गांवों-के-संग अभियान में इसके बारे में निवेदन भी किया, लेकिन नहीं बन पाया। (व्यवधान)

हमारा निवेदन है कि खाद की हमें बहुत प्रोब्लम रहती है और अभी चार-पांच सालों में जैसलमेर में इतनी खेती हुई जिसका कोई हिसाब-किताब नहीं। इतनी होने के बावजूद, मंत्री महोदय, खाद वहां मिला ही नहीं, खाद लोगों को ब्लैक में लानी पड़ी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाले समय में ट्रेन से ...(व्यवधान)

दूसरा निवेदन है कि भंडारण की कोई व्यवस्था नहीं है। यदि खाद आयेगा तो भी भीगेगा।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): ...(व्यवधान) क्योंकि जब भी व्यवस्थापक आता है ...(व्यवधान)

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): ...(व्यवधान) के मुताबिक तो...(व्यवधान) माननीय सदस्य, आपको जानकारी नहीं है।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। कोई खास बात तो कही नहीं इन्होंने।

प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2013 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2013 पारित किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां), प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान नर्स, दाई, स्वास्थ्य-वीक्षिका तथा सहायक नर्स-दाई रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

विधेयक पर विचार

राजस्थान नर्स, दाई, स्वास्थ्य-वीक्षिका तथा सहायक नर्स-दाई रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2013

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नर्स, दाई, स्वास्थ्य-वीक्षिका तथा सहायक नर्स-दाई रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: विधेयक को जन मत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। श्री ओम बिरला। बोलेंगे क्या? इस पर तो नहीं बोलेंगे ना? डाक्टर दिगम्बर सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल माननीय राजेन्द्र राठौड़ जी का अंकित होगा, और किसी का नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): Rajasthan Nurses, Midwives, Health Visitors and Auxiliary Nurse-Midwives Registration Act, 1964 में सरकार धारा 25, 29 और 31 में संशोधन लेकर आई है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपका अंकित हो रहा है केवल।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): पीड़ा समझनी चाहिए। पीड़ा समझनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: किसी का अंकित नहीं होगा। केवल राजेन्द्र राठौडजी का अंकित होगा।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: राजेन्द्र राठौड़जी, बोलिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान नर्स, दाई, स्वास्थ्य-वीक्षिका तथा सहायक नर्स-दाई रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2013 सदन के विचारार्थ है। इस बिल में सरकार जो मूल रूप से संशोधन लेकर आई है, कोई भी अनरजिस्टर्ड, बिना योग्यता के नर्स, दाई, सहायक नर्स अगर कोई प्रैक्टिस करती है तो उसके जुर्माने को एक साथ 100 गुणा बढ़ाने का प्रस्ताव आप लेकर आये हैं, 300 रुपये का 30 हजार, 200 रुपये का 20 हजार और 500 रुपये का 50 हजार। इसके साथ ही धारा 29 (2) में नर्सिंग विद्यालय और महाविद्यालय के निरीक्षण के लिए नर्सिंग काउंसिल के कम से कम तीन और तीन से अधिक पांच सदस्य अधिकृत हैं।

मैं, मंत्री महोदय, आपसे यह जानना चाहूंगा, इसमें शक नहीं कि आज जो डब्ल्यू एच ओ के मापदण्ड हैं, उन मापदण्डों के अनुसार जितनी प्रशिक्षित ए एन एम, सहायक ए एन एम राजस्थान में होनी चाहिए, वे आपके पास नहीं हैं। इसमें भी कोई शक नहीं कि पिछले चार वर्षों में आपने निजी क्षेत्र में नर्सिंग कालेज खोलने में कोई कमी नहीं रखी। मंत्री महोदय, आज हो क्या रहा है, निजी क्षेत्र में नर्सिंग कालेज खुल रहे हैं, आपकी सरकार अनुमति देती है, उसके बाद राजस्थान नर्सिंग काउंसिल अनुमति दे देती है, इंस्पेक्शन के नाम पर जिस तरह का घालमेल हो रहा है और उसके बाद नर्सिंग काउंसिल आफ इंडिया की जब टीम आती है और उन्हीं नर्सिंग कालेज को, जिनको आपकी सरकार ने मान्यता दी, जिनको आपके इंस्पेक्टर ने माना कि ये नर्सिंग काउंसिल के मापदण्ड पूरे करते हैं, जब वे कहते हैं कि आप ये मापदण्ड पूरे नहीं कर रहे और उसी बीच दो-तीन बैच निकल जाते हैं। उन लोगों की क्या हालत होती है।

इसमें भी कोई शक नहीं कि आप जिन झोला-छाप चिकित्सकों को और ट्रेडिशनल ऐसे लोगों को, जो आज गांवों में अशिक्षा से ग्रसित लोगों का इलाज करने के नाम पर एक तरह से शोषण करते हैं, स्टेराइड देकर लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उसकी रोकथाम करने की आप कोशिश कर रहे हैं उसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। इसके साथ ही, यह जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के नाम पर आपने कितने ही चिकित्सकों को मान्यता दे रखी है। आज बंगाली क्लिनिक के नाम पर राजस्थान के गांव-गांव में क्लिनिक खुली हुई हैं।

आज दाई के प्रशिक्षण की बात कर रहे हैं, उपाध्यक्ष महोदय, कहां तो हम मिलेनियम टार्गेट की बात कर रहे हैं; यू एन ओ समिट के अनुसार, जिसमें हमारा देश भी सिग्नेटरी था, 189 कंट्री उसमें थे, सन् 2000 में आपने

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हैल्थ इंडिकेटर के हिसाब से जो आपने गोल निर्धारित किये थे, एक गोल के नजदीक भी आप नहीं हो। 2015 में बाल मृत्यु दर का लक्ष्य था 37.82 और हम खड़े हैं 78.19 पर; शिशु मृत्यु दर, 2015 में लक्ष्य था 28 का, हम खडे हैं 58 पर; मातृ मृत्यु दर, 1,000 जीवित बच्चों के जन्म के विरुद्ध में 2015 में 181 का लक्ष्य था, हम 261 पर खडे हैं। मतलब, क्या यह हमारे लिये शर्म की बात नहीं है कि आज भी देश में राजस्थान को हैल्थ इंडिकेटर की दृष्टि से 'बीमारू' प्रदेशों की श्रेणी में लगा रखा है?

ऐसे समय में जो आप बिल लेकर आये हो, आज जुर्माने के प्रावधान को एक साथ कई गुणा बढ़ा रहे हो, पर इसके साथ-साथ आप यह व्यवस्था भी करो, इस पर भी निगाह डालें कुकुरमुत्ते की तरह निजी क्षेत्र में नर्सिंग कालेज खुल गये, कुकुरमुत्ते की तरह ए एन एम ट्रेनिंग सेंटर खुल गये और उसके बाद, जब इनकी मान्यता की बात आई, नर्सिंग काउंसिल आफ इंडिया ने यह कहा कि ये मापदण्ड पूरे नहीं करते। उनसे निकले हुए विद्यार्थियों की आज क्या हालत है?

मंत्री महोदय, आप जब जवाब दें तो मुझे बतायें कि यह जो दाइयों के प्रशिक्षण की बात चली है, आपकी सरकार आने के बाद आपने राजस्थान में दाइयों का प्रशिक्षण कब-कब किया? कितनी दाइयों ने इसमें भाग लिया?

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आप जुर्माना बढायें, ठीक बात है, पर इसके साथ-साथ जिस तरह आज झोला-छाप डाक्टर गांव-गांव में बैठे हैं, बंगाली क्लिनिक के नाम पर गांव-गांव में लोगों के साथ शोषण हो रहा है, मंत्री महोदय, हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे जो ट्रेडिशनल इलाज हैं .....

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल माननीय राजेन्द्रजी का अंकित होगा।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय अमीन खां जी, आप सीट पर विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मंत्री महोदय, मैं इतना ही निवेदन करूंगा, कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य इसमें सिद्धहस्त हैं... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, जब से माननीय धारीवालजी वहां गये, तब से आप ज्यादा बोलने लग गये।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। केवल राजेन्द्र राठौड़जी।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आपका अंकित हो रहा है। माननीय राजेन्द्रजी राठौड़, आपका अंकित हो रहा है।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: उसको भी आपने भगा दिया। माननीय राजेन्द्रजी राठौड़।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मंत्री महोदय, मैं मेरी बात समाप्त करूं, इससे पहले मैं निवेदन करना चाहूंगा, इसमें कोई शक नहीं है कि आज भी ग्रामीण क्षेत्र में हमारे इलाज की वह पद्धति, जो पद्धति ग्रामीण जन ट्रेडिशनल, परम्परागत रूप से जिसको अपनाए हुए हैं, मैं समझता हूं कि उस पद्धति पर भी शोध होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष: केवल राजेन्द्र राठौड़जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): लहसुन के अन्दर सरसों के तेल को गरम करके डालो तो ठीक हो जाता है। कई नुस्खे भाटी साहब के हैं। मैं समझता हूं कि उनका रजिस्ट्रेशन होना भी बहुत जरूरी है क्योंकि, भाटी साहब, यह शरीर नश्वर है, कब शरीर चला जाएगा, पर आपके नुस्खे आपके साथ नहीं जाएं। इसलिए मैं मांग करता हूं कि कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य के पास जो नुस्खे हों, उनका रजिस्ट्रेशन हो, उनका शोध हो।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिए। उन्हीं का नाम आएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): दाइयों का प्रशिक्षण कब हुआ, इसके बारे में आप बताइये।

मैं चाहूंगा कि इस बिल को जन मत जानने हेतु परिचारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष: आप विराजिए। माननीय श्री देवीसिंह भाटी। केवल देवीसिंह भाटी।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): चिकित्सा मंत्रीजी, इस एलोपैथी के प्रभाव में जो हम भारतवासी आ गये, इतने ज्यादा इसके चक्कर में मत आओ। आप बताइये, आप कितने ज्यादा डाक्टर और नर्सें तैयार कर देंगे?

(श्री देवी सिंह भाटी)

कितने आप अस्पताल खोल देंगे? जिस प्रकार से आज आबादी का प्रेशर है, उसके अनुपात में हम कहीं नहीं खड़े। क्योंकि जो हमने भूल की है, जो हमारी पुरातन व्यवस्था, आयुर्वेद है, चाहे यूनानी है, चाहे होम्योपैथी है, चाहे एक्यूप्रेशर है, अन्य प्रणालियां हैं, उसकी ओर हम ध्यान ही नहीं दे रहे। हम एक ही एलोपैथी को लेकर बैठ गये, इससे बहुत बड़ा नुकसान हो गया।

हमने एक शून्य-खर्च-आधारित व्यवस्था की थी इस देश के अन्दर। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपस में बातचीत नहीं करें।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): शून्य-खर्च की चिकित्सा प्रणाली हमारे पास है लेकिन हम उसकी ओर देख नहीं रहे। मैं आपको एक साधारण-से उदाहरण के रूप में बताऊं, जब आपको जुकाम हो जाए, जुकाम समझते हैं कि मामूली है, लेकिन होते ही इसके बिगड़ने से खांसी, गला खराब, बुखार..

श्री उपाध्यक्ष: आप तो इसमें बोलिए। आप राजेन्द्रजी से इतना प्रभावित क्यों हो गये?

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): नहीं, नहीं, मैं आपको प्रभावित करना चाहता हूं। जुकाम होते ही तुरन्त कानों में रूई डाल लें, तुरन्त ठीक। जितना लेट डालोगे, लेट ठीक होओगे। आपको लू लग जाए, सर्दी गर्मी हो जाए, आंखें खराब हो जाएं तो कानों में रूई डाल लो, तो तुरंत ठीक। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप तो अपनी बात कहिये।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): नवाब साहब, माइग्रेन का कोई इलाज नहीं है आपकी पैथी में। आपका सिरदर्द हो, माइग्रेन हो, ब्लड प्रेशर हो, आप मत इस चक्कर में डालो। ठीक है, आप एलोपैथी में जो आपके इमरजेंसी कैसेज हों, जो चीर-फाड़ के मामले हों, वह आप रखिये जिससे आप अन्य विधि के, जिसके अन्दर विशेषज्ञता हो, वह रिसर्च कर सकें। एक डिग्री होल्डर, इतने वर्ष जो उसने शिक्षा ग्रहण की, वह एक्सपर्टीज हुआ, वह एक ही पेट दर्द का सिर नीचे करके, रुककर लिखते जा रहा है। कान दर्द का, फलां का। यह काम हमारा थोड़े ही है। आपने वह विशेषज्ञता हासिल की है, आप नई दिशा दे सकते हो इस पेथी को भी।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): अगर आपके ब्लड प्रेशर है, सिरदर्द है,

(श्री देवी सिंह भाटी)

माइग्रेन है तो आप नाक में दो-दो बूंद देशी गाय के घी की डालिए। घर का हो, बाजार का नहीं, डेयरी का नहीं, पड़ौसी का नहीं, रिश्तेदार का नहीं, खुद का हो। तुरन्त आपका दस मिनट में सिरदर्द ठीक, दो दिन में आपका माइग्रेन ठीक। इधर आप ब्लड प्रेशर चैक करवाइये और बूंद आप नाक में डालिए और दो घण्टे बाद आपका ब्लड प्रेशर नोर्मल।

यह जो विधियां हैं, देखिये, आज सारी दुनिया पीड़ित है। यह हमारे स्वायत्त शासन मंत्रीजी बिराज रहे हैं, हार्ट के कारण से कितने परेशान हुए। हमारे एक साथी हैं पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी, कन्हैयालालजी झंवर, सलाह दी, मैंने कहा कि यह हार्ट का लेप कर लो, उनका ड्राइवर है उसके तीन हार्टअटैक हो चुके थे, उसको कहा गया कि तुरन्त बाइपास करा, नहीं तो मर जाएगा। उसने कहा कि नहीं, मैं तो यह लेप करूंगा। उसने लेप किया, वह तो आज डेढ साल से बिलकुल स्वस्थ है और वह जो उन्होंने चिकित्सा नहीं करवाई, वह आज अभी वेदांता में एडमिट है। इस प्रकार का, कोई भी हार्ट का एक बार लेप कर ले, 30 दिन जो लेप कर लेगा, चार चीजें हैं दस-दस ग्राम, पूरी जिंदगी के लिए स्टाम्प पर लिख दूंगा उसके कभी प्रोब्लम हो जाए तो। 95 परसेंट ब्लाकेज हैं तो वे सारे खुल जाएंगे, जिंदगी में कभी हार्ट की प्रोब्लम नहीं होगी।

श्री उपाध्यक्ष: माननीय भाटी साहब, पूरा सदन हो, तब बताना चाहिए। इसके लिए स्पेशल सदन बुलाया जाएगा, तब बताना आप।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): उपाध्यक्ष महोदय, मैं रिकार्ड में ला रहा हूं, जो पढ़ना चाहेगा। (व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल भाटी साहब।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): मुझे पहलवानी करने दो आप, माफ करें।

श्री उपाध्यक्ष: केवल भाटी साहब।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): आपका लिवर कितना ही गड़बड़ हो जाए, सिर्फ आप पांच दिन 6 ग्राम की पुड़िया ले लो नोसादर की; गारंटी देता हूं, कितना भी लिवर बिगड़ा हुआ है, वह पांच दिन में तैयार हो जाएगा।

(श्री देवी सिंह भाटी)

बिलकुल गोणा केस थे, जिनको था कि अब मेरा कहीं इलाज नहीं हो रहा; डाक्टर, वैद्य, सबने जवाब दिया, वह सारे हमने तैयार किये।

देखिये, आज दांतों की तकलीफ से दुनिया बहुत परेशान हो रही है। दांत में दर्द हो, चीस हो, कीड़े हों, उसके अन्दर खून आता हो, दांत हिलता हो, सिर्फ 15 मिनट आप तिल्ली के तेल या सरसों के तेल के कुल्ले कर लो, थूक दो। एक ही दिन में आपका दांत दर्द ठीक, कीड़े बाहर।

आपके न्यूरो सिस्टम में, चाहे उसके अन्दर ट्यूमर का हो, और कोई रोग हो...

श्री उपाध्यक्ष: गरम तेल? ठण्डा तेल?

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): देखिये, आप दाई की बात कर रहे हों, आप नर्सों पर जा रहे हों, आज सारी साजिश हो रही है। उपाध्यक्ष महोदय, जहां-जहां इस प्रकार के प्राइवेट क्लिनिक खुले हैं, जिसके डिलेवरी होने वाली है, क्योंकि गांवों में आज दाइयों की कमी हो गई और सब अस्पताल की ओर भागते हैं। वह वहां पर कहता है कि तुरन्त सीजेरियन कराओ। आपके पत्नी चाहिए या पैसा? वह कहता है, मेरे बच्चे बरबाद हो जाएंगे; कि नहीं, बीस हजार जमा करा। आप सिर्फ इतना ही करो कि जिस समय लेबर पेन शुरू हों, बच्चा होने वाला हो, उस समय अरंडी के तेल की एक दो बूंद उसकी नाभि में लगा दो और बच्चा होते ही तुरन्त साफ कर लो। डिक्लेयर्ड सीजेरियन कैसेज को मैंने ठीक किया है। उसके कोई प्रोब्लम नहीं हुई, उसके नेचुरल डिलिवरी हुई है।

ऐसे भी कई लोग होंगे कि आपके बच्चों के, बच्चियों के, जो नि:सन्तान हों, उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई मेरी खुद की थेरेपी नहीं है, हमारे ही आयुर्वेद की अन्य विधियों में यह दिया हुआ है, जो नि:सन्तान हों वे मेरे से नुस्खा ले लें। मेरा गनमैन है, सात साल शादी हुए हो गए, उसके बच्चा नहीं हुआ, अभी आठ महीने की बच्ची है। मेरे एक मित्र हैं, रामकिशनजी आचार्य, उनके भी एक ही बच्चा था। उसके बच्चे नहीं हो रहे थे। उनके घर की छत पर थाली बजवा दी।

तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं हमारे पास हैं शून्य–खर्च-आधारित।

उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या है कि थोड़ा-थोड़ा आप देख लीजिए, आप सुबह उठते ही, आपकी बासी लार है, वह आंख में काजल की तरह लगाइये, जिंदगी में आपके चश्मा नहीं लगेगा और अगर चश्मा लगा हुआ है तो उतर

(श्री देवी सिंह भाटी)

जाएगा और आपको किसी प्रकार के आपरेशन सजेस्ट किये हुए हैं उसकी कोई जरूरत नहीं रहेगी।

लार में बहुत करामात है, जिसके मोटापा वह बिलकुल उतर जाएगा, मोटापे से बहुत लोग परेशान हैं। कुछ नहीं करना, सिर्फ आप पानी पियें तो घूंट -घूंट पीजिए, एक घूंट लिया और चार-पांच सेकंड मुंह में घुमाओ और फिर निगल जाओ, साल भर में आप एकदम जैसे 25 साल के थे, वैसे हो जाओगे। यह मेरी गारंटी है।

ये छोटी-छोटी बातें हैं। इस लार में बड़ी करामात है। मोटापे से बहुत परेशान हैं, खुद नहीं हैं तो पत्नी को देखकर भी परेशान होते हैं कि मेरी पत्नी इतनी मोटी है; चाहे बेटी भी है, कइयों के रिश्ते नहीं होते, पर यह नुस्खा बहुत साधारण है, आप पानी को एक घूंट लीजिए, मुंह में घुमाइये और फिर निगलिये।

जिसके गैस और एसिडिटी है, उसका भी पानी इलाज है। खाना खाने से 45 मिनट पहले तक पानी पी लो, खाने के बीच में पानी जहर है। घण्टे-डेढ़ घण्टे बाद में आप पानी पीजिए, आपके गैस-एसिडिटी की कोई प्रोब्लम नहीं रहेगी। जब पेट सही है तो आपकी सारी बीमारियां ठीक रहेंगी।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): उसकी भी गैस निकाल देंगे, मेरे पास नुस्खा है।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): नवाब साहब, लार में बहुत करामात है। आपके शरीर में कहीं भी घाव हो जाए, डाइबिटिज है और घाव हो गया और नहीं भर रहा है, तो आप सिर्फ बासी थूक सुबह का, वह लार लगाइये आपका घाव भर जाएगा। नौबत आ गई है कि पैर को काटना पड़ जाए, गैंगरीन हो जाए, सिर्फ बासी थूक लगाइये, आपका गैंगरीन भी बिलकुल तैयार हो जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय, कैंसर बहुत सख्त बीमारी हो गई है, जिसका कोई इलाज नहीं है। उससे घबरायें नहीं और त्रिफला समान मात्रा में ले; हरड, बहड़, आंवला, तीनों समान मात्रा में लें। उसके कैंसर का रोग बिलकुल कट जाएगा। यह मेरी गारंटी है। सिर्फ घबराना नहीं है, घबराओगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा।

इसलिए, देखिये, आजकल, कई माननीय महिला सदस्याएं भी विराज

(श्री देवी सिंह भाटी)

रहीं हैं, मैं सही कह रहा हूं, यह मेनसेज, पीरियड के डिस्आर्डर की प्राब्लम बहुत हो गयी है, किसी के ज्यादा या कम आता है; ल्यूकोमिया होता है। देखिये, एक कैप्सूल मैं देता हूं, उसमें देशी नुस्खा है, एक ही दिन में ठीक और जिन्दगी में नो-प्रोब्लम, बाकी कितनी भारी समस्या है।

तो इस प्रकार के देशी नुस्खे आप अपनाओगे, देखिये, आपको गिलोय ऐसी चीज मिली है, जैसे नीम पर चढ़ जाए, नीम गिलोय।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): **×××**

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): गिलोय है। अभी मैंने स्वाइन फ्लू के केस, पोजिटिव केसेज को, जो हास्पिटलाइज्ड थे, उनको ठीक किया। आपके स्वाइनफ्लू हो जाए, डेंगू हो जाए, चिकनगुनिया हो जाए, बर्ड फ्लू हो जाए, आपको खांसी, कितनी भी दवाइयां लेलो, ठीक नहीं होती, साल-साल, दो-दो साल से। इस गिलोय का आप एक फुट का टुकड़ा लीजिए, चार चीरे लगाइये और छोटे-छोटे टुकड़े करके, दो ग्लास पानी में चढ़ा दो; चौथाई पानी बच जाए, उसके बाद में छान कर पिला दो; सुबह, दोपहर, शाम। शाम तक रोगी बिलकुल ठीक। दिन में बिलकुल उसका रोग और जीवाणु, जो भी कीटाणु, वगैरह, सारे साफ हो जाएंगे। यह मेरी गारंटी है। इसलिए गिलोय का बहुत ध्यान रखिये।

श्री उपाध्यक्ष: अब आप पांचवें साल बता रहे हैं।

एक माननीय सदस्य: यह गिलोय क्या होता है?

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): गिलोय, यह एक बड़े पत्ते की होती है जिसको वैसे अमरबेल भी कहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष: ऐसे नहीं, इसको सीरियस लीजिए।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): उपाध्यक्ष महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा।

देखिये, थायराइड की बीमारी का इलाज एलोपेथी में नहीं है। सिर्फ आप यह जो थैली वाला नमक आ रहा है, आयोडाइज्ड, वह सिर्फ बंद करा दीजिए। गारण्टी है मेरी, उसकी थायराइड की बीमारी कट जाएगी। एक मैं कह रहा हूं, अब इसको सदन माने या नहीं माने, मानना चाहिए, यह जो आयोडाइज्ड नमक है, यह बहुत खतरनाक है। इसको तुरन्त बंद कर दें। यह आपके ब्लड-प्रेशर, शुगर, हार्ट की बीमारियां, अन्य प्रकार की थायराइड, वगैरह,

(श्री देवी सिंह भाटी)

इतनी बीमारियां, नपुंसक भी हो जाते हैं। इसलिए सारे यूरोप में और वेस्टर्न कंट्रीज ने बैन कर दिया, कानून बनाकर। यहां साजिश हो रही है कि इस देश की आबादी कम नहीं हो रही है। क्या करें? तो यह साजिश कम्पनी वालों के साथ मिलकर की कि यह आयोडाइज्ड नमक चालू करो। यह बहुत खतरनाक है। आप सेंधा नमक खाइये। सफेद नमक, यह थैली वाला तो जहर बनाता है शरीर में और यह जहर को काटता है।

मैं समाप्त कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से आपके डायबिटीज की कोई तकलीफ हो...(व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): एक मिनट, मैं खतम कर रहा हूं। मुझे पूरी पहलवानी करने दो।

एक यह रिफाइंड तेल बहुत खतरनाक है। रिफाइंड, जिस चीज में केमिकल मिलाकर तैयार करते हों, बहुत खतरनाक है। इसलिए रिफाइंड तेल बंद कर दो।

एक जो अंग्रेजों ने साजिश की थी, हमारे जो आजादी की लड़ाई लड़ते थे, जो जेलों में थे, उनको मारने का तरीका निकाला कि एल्यूमिनियम लाओ और इस देश में इंट्रोड्यूस किया। जेलों के अन्दर वह भगोने, प्लेट और मग, सारे एल्यूमिनियम के देते थे। अभी भी वही काफी जगह चल रहे हैं। यह इतना मीठा जहर है कि यह पारा और एल्यूमिनियम, यह सारा आपके शरीर में इकट्ठा होता रहता है, बाहर नहीं निकलता है। जब 25 मिलिग्राम शरीर में इकट्ठा हो गया तो आपको मरना पड़ेगा। उससे पहले-पहले आपको सारी बीमारियां ग्रसित कर लेंगी। इसलिये एल्यूमिनियम के जो कूकर हैं, या इस प्रकार के बरतन हैं, यह फोइल, वगैरह, सब हटा दो।

इसलिए, मुझे ज्यादा नहीं कहना है, मुझे इतना ही कहना है कि आप देशी नुस्खे भी, अब आप इसके ऊपर रोक लगा रहे हों। रोक लगा रहे हों तो मैं बताऊंगा कैसे? (व्यवधान) क्या मेरे खिलाफ भी कानून है आपका, इसका दायरा कि आप मुकदमा दर्ज कराएं?

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल भाटीजी।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): आप इस पर रोक मत लगाओ। वह पैसा कमाता है, हम फ्री में बताते हैं।

(श्री देवी सिंह भाटी)

मैंने अभी घुटनों का भी इलाज ढूंढ लिया है। गारंटेड घुटने ठीक कर लेता हूं। इस प्रकार की अलग-अलग बीमारियां हैं। उसको, दूसरी थैरेपीज हैं, उनको भी एन्करेज करें। सिर्फ एक एलोपैथी में मत फंसो। हमारे पास आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी, एक्यूप्रेशर, अलग-अलग इस प्रकार के, मैंने मुख्य मंत्री महोदय को भी निवेदन किया था कि इन बातों के ऊपर थोड़ा गौर करें। अंधे होकर एक दिशा में लग गये हैं, बहुत खतरनाक है। इसलिए आप जो यह कानून भले ही लाएं, आज तक रास्ता बना कोई? कोई रास्ता नहीं बना। (व्यवधान) अस्पतालों में भीड़ पड़ रही है। कोई संतुष्ट नहीं, खर्चे से दब रहे हैं। (व्यवधान) अनाप-शनाप खर्चे भी हैं। इसलिए मैं कहूंगा कि दूसरों को बढ़ाइये, तभी आपका रास्ता बनेगा।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: धन्यवाद। श्री पेमारामजी। केवल पेमारामजी।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल पेमारामजी। पेमारामजी, आप बोलना चाहते हैं तो बोलिये।

श्री पेमाराम (धोद): बोल रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: सिर्फ पेमारामजी। (व्यवधान) आपको मौका देंगे, पारण पर। अभी सिर्फ पेमारामजी। (व्यवधान) मौका दूंगा ना। मौका दूंगा। मैं दूंगा मौका। (व्यवधान) पेमारामजी को बोलने दें। केवल पेमारामजी। (व्यवधान) पेमारामजी, बोलिये।

श्री पेमाराम (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान नर्स, दाई, स्वास्थ्य-वीक्षिका का यह जो अधिनियम लाये हैं...(व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल पेमारामजी। (व्यवधान) पेमारामजी, बोलिये, आपका अंकित हो रहा है। (व्यवधान) नहीं बोल रहे हैं क्या? आप बोलिये ना। (व्यवधान)

श्री पेमाराम (धोद): साथ में भी बोल रहे हैं। हाउस आर्डर में लाएं, साहब।

श्री उपाध्यक्ष: बोलिये ना, आपका अंकित हो रहा है। आपका अंकित हो रहा है।

श्री पेमाराम (धोद): उपाध्यक्ष महोदय, कानून की भावना तो ठीक है लेकिन इस कानून की आड़ में, इसके पर्दे के पीछे, क्योंकि सरकार, जिस तरह से स्वास्थ्य के साथ, जनता के स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, आज छोटी-छोटी दुकानों में नर्सिंग ट्रेनिंग सेण्टर खोल दिये, डाक्टरों के लिये खोल दिये। उसमें जो भारी लूट-खसोट हो रही है, उसका यह कानून, एक तरफ यह बना करके कि राजस्थान में बिना रजिस्ट्रेशन के करेंगे तो वह अपराध की श्रेणी में आयेगा, उसका दस गुणा से लेकर सौ गुणा तक भी बढ़ाया है। लेकिन इसके साथ, जो राजस्थान की जनता के साथ, जिस तरह से स्वास्थ्य के सवाल को लेकर के बाजार के हवाले कर दिया, यह बहुत बड़ी बुरी बात है। इससे आने वाले वक्त में, यह एक रजिस्ट्रेशन के कितने ही कानून बना लो, उसके बावजूद भी राजस्थान की जनता को लूट से बचाया नहीं जा सकता।

इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आज इस विधेयक को, यहां पर विचार करने के बजाय, जनता में विचार करने के लिए, तीन महीने के लिए इसको भेज दिया जाए। मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): **×××**

श्री उपाध्यक्ष: प्रभारी मंत्रीजी। माननीय प्रभारी मंत्रीजी। केवल मंत्रीजी।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): **×××**

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): **×××**

श्री उपाध्यक्ष: आपको उसमें बुलवा लूंगा, पारण के टाइम बुलवा लूंगा। (व्यवधान) पारण के टाइम बुलवा लूंगा। (व्यवधान) पारण, पहले नहीं। (व्यवधान) मैं बुलवाऊंगा। आप विश्वास करें, मैं बुलवाऊंगा, पारण के टाइम। मैं पारण के टाइम बुलवा लूंगा। आप कृपा करिये। (व्यवधान) प्रभारी मंत्रीजी। मैं बुलवाऊंगा आपको। केवल मंत्रीजी।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): **×××**

श्री उपाध्यक्ष: मंत्रीजी, आप तो बोलिये।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आदरणीय भाटी साहब का बहुत-बहुत तहे-दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो सुझाव बताये हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस भावना से वे यह रिकार्ड पर लाये हैं, ...(व्यवधान) मैं भरोसा करता हूं, उसका लाभ जनता को मिलेगा। मैं आपका बहुत आभारी हूं। फिर भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो बात की है, मैं आपके

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां))

पास हाजिर होकर ...(व्यवधान) आपका अनुभव है, उसका ज्यादा से ज्यादा हम फायदा उठाएंगे। (व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): जहां तक यह जो संशोधन लाया गया है, उसके कानून के बारे में मैं निवेदन करता हूं कि राज्य में अन्रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिस गैर-कानूनी होने के कारण 1964 के अधिनियम में जो पेनल्टीज तय की गई थीं, वह आज की तारीख के हिसाब से बहुत कम हैं और इसलिए अन्रजिस्टर्ड और अनआथोराइज्ड लोगों के जाली दस्तावेजों के आधार पर प्रैक्टिस करने पर पेनल्टी को तीन सौ रुपये से बढ़ाकर तीस हजार रुपये प्रस्तावित किया गया है। (व्यवधान) इसी तरह, गैर-कानूनी तरीके से रजिस्ट्रेशन के टाइटल को उपयोग में लेने पर पहली बार पेनल्टी को दो सौ रुपये से बढ़ाकर बीस हजार और अगली बार रुपये पांच सौ के बजाय पचास हजार रुपये प्रस्तावित किया गया है। (व्यवधान) इसके अलावा, सभी तरह की इर्रेग्यूलरिटीज के लिए पेनल्टी को सौ रुपये से बढ़ाकर दस हजार रुपये प्रस्तावित किया गया है।

सन् 1964 के एक्ट के मुताबिक इंस्टिट्यूशंस के इंस्पेक्शन के काम को नर्सिंग काउंसिल के तीन से पांच मेम्बर्स द्वारा किया जाता है। (व्यवधान) आज इस प्रोविजन की कोई रेलेवेंसी नहीं है क्योंकि साल 1975 में केवल आठ नर्सिंग संस्थान थे जो अब बढ़कर 311 हो गये हैं।

(23.00 बजे)

ऐसी हालत में काउंसिल के इंस्पेक्टर के द्वारा हर संस्थान का इंस्पेक्शन कराया जाना बहुत मुश्किल हो गया है। इसलिए इस बिल में इंस्पेक्शन टीम में काउंसिल के कम से कम तीन और ज्यादा से ज्यादा 5 मेम्बर्स के प्रोविजन को बदलकर, इतने इंस्पेक्टर्स (चाहे काउंसिल के मेम्बर्स हों या बाहर के दूसरे लोग) के अपाइंटमेंट का प्रोविजन किया गया है, जिनकी इन इंस्पेक्शंस के लिए जरूरत हो।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान नर्स, दाई, स्वास्थ्य-वीक्षिका तथा सहायक नर्स-दाई रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2013 को जन मत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(श्री उपाध्यक्ष)

(अस्वीकृत)

विधेयक को जन मत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान नर्स, दाई, स्वास्थ्य-वीक्षिका तथा सहायक नर्स-दाई रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2013 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डश: विचार।

खण्ड 2 से 4 । कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 4 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 4 स्वीकार किये गये।

खण्ड-1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि। कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया जाय?

(स्वीकृत)

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र, नाम, आदि स्वीकार किया गया।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां), प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान नर्स, दाई, स्वास्थ्य-वीक्षिका तथा सहायक नर्स-दाई रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2013 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नर्स, दाई, स्वास्थ्य-वीक्षिका तथा सहायक नर्स-दाई रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2013 को पारित किया जाए?

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: इस बिल पर कुछ बोलना चाहते हों क्या? आप बोलना

(श्री उपाध्यक्ष)

चाहते हों क्या? अब आप बोलना चाहते हों क्या? आप बोलना चाहते हों क्या इस पर? इस पर बोलना चाहते हों क्या? आप बोलना चाहते हों क्या?

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): बोलना चाह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष: हां, तो बोलिए। इस पर बोलें केवल। आपका जो यह है न, राजस्थान नर्स, दाई, स्वास्थ्य-वीक्षिका तथा सहायक नर्स-दाई रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2013, आप इस पर बोलें।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सम्मान करता हूं, सुबह से बैठा हूं। सदन का मेम्बर हूं मैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): वे बोल रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष: राजस्थान नर्स, दाई, स्वास्थ्य-वीक्षिका तथा सहायक नर्स-दाई रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2013 पर ही बोलें।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): इस सदन में सबसे ज्यादा आपकी, धारीवाल साहब की इज्जत करता हूं। आखरी दिन कह रहा हूं मैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप बोलिए। इस पर बोलिए।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी, आप अच्छे व्यक्ति हैं। नहीं, साहब, यह तो माफ करो। हम निर्दलीय जीतकर आये हैं। कितने आदमी हैं जो निर्दलीय जीतकर आये हैं? (व्यवधान) इनको तो डर रहता है कि टिकट कट जाएगी, टिकट कट जाएगी, मुख्य मंत्रीजी ने यह घोषणा कर दी। (व्यवधान) प्रतापसिंहजी मेरे भाई हैं। मेरी बिना माइक भी आवाज आएगी।

दो-चार बात मैं कहना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे नहीं पता, इनको तो यह पता है कि दुबारा सरकार आयेगी पर (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: आप बोलिए सब्जेक्ट पर बोलिए। बोलिए-बोलिए।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सच्ची बात तो यह है कि खाना खाकर फिर दुबारा से आना पड़ा है। आपने मौका दे दिया। कल तो शायद सदन चलेगा नहीं, मैं अपने घर सोऊंगा आराम से। टिकट मेरे पास है नहीं। आपके पास तो, कहते हैं कि सारे के सारे 199, 200 जीतकर आओगे आप।

(श्री रणवीर पहलवान)

मैं यह कह रहा हूं कि आपने दवाई फ्री की। प्रतापसिंहजी बी.जे.पी. का टिकट मांगने में असफल हो गये तो कांग्रेस के बजट की क्या तारीफ की! अगर टिकट मिल जाती न उनको, तो आप कड़ी से कड़ी तोड़ देते इधर बैठकर। वही बजट होता, भाषण भी वह ही होते और उसकी ऐसी कड़ी खिला देते। बोलने में मुझ से हजार गुणा माहिर और समझदार हैं, मुझ से पुराने भी हैं।

यहां पर हो-हुल्लड़ हुई कि स्वाइन फ्लू में मर गये। तो एक दाढ़ी वाले की एड देखते हैं आजकल ई-टीवी पर। वह कहता है कि मेरी उम्र 65 वर्ष है, हार्ट का पेशेंट हूं। जाहिर है, मैं उस एड को बता रहा हूं। मेरे, घनश्याम शर्मा, टोड़ा का रहने वाला है, जिसका यह एड है। उसका भतीजा मर गया परसों स्वाइन फ्लू से, शुक्रवार को। मैं बैठने गया। मैंने कहा कि शर्माजी, आपके यह कैसे मरा? तो बोला, स्वाइन फ्लू से। तो आप दाढ़ी से निकाल देते न गोलियां। ई-टीवी पर तो तेरी दाढ़ी है, फिर बनवा ली कैसे?

नरेगा के अन्दर जो एड दे रहे हैं, वे भी सारे बी.ए. और एम.ए. स्टूडेंट हैं। उनको कच्छा बनियान पहनाकर, सर पर टोवल पहनाकर जिस तरह से बैठा रखा है। नरेगा के अन्दर काम करने वालों के पैरों में चप्पल, तन पर कपड़े मुंह में दांत और सिर पर बाल नहीं हैं। उनके पास साइकिल भी नहीं है। वे गरीब जिस तरह से वहां पर काम कर रहे हैं, तो उनका मजाक उड़ाया जाता है टी वी के ऊपर एड दे-देकर। एड भी कितने? समझदारों को पागल बनाकर दिलवाया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष: सब्जेक्ट पर बोलें।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): यह जिन्होंने एड दी है उनके नाम पते राजस्थान की जनता के समक्ष पेश किये जाएं। उनमें से कोई भी आदमी कलाकार एम.ए., पीएच.डी. से कम नहीं है। सच का आप...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सचेतक महोदय, ... (व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): सर, मैं न तो उनका गुलाम हूं और न आपका हूं, साहब। न आपका गुलाम हूं। इस सदन का नहीं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष: सब्जेक्ट पर बोलिए आप। सब्जेक्ट पर बोलिए आप।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): +++

(अध्यक्षपीठ द्वारा अंकित नहीं करने के निर्देश)

श्री उपाध्यक्ष: आप सब्जेक्ट पर ही बोलें।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): **×××**

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा है यह जो विषय चल रहा है, आप इस विषय पर बुलवा दो। टी.वी. का एड, यह क्या बोल रहे हैं? बाकी सब एक्सपंज करवा दो।

श्री उपाध्यक्ष: हां, विषय पर ही बोलिए। विषय से हटकर जो बोले हैं, वह सब डिलीट कर देना।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल विषय पर बोले, वह रहने देना, बाकी एक्सपंज कर देना।

श्री रतन देसाई उर्फ देवासी (उप मुख्य सचेतक): मेरा नाम लिये बगैर आप अपनी बात कहें।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: आप फिर भूमि रूपांतरण पर बोल लीजिए, नहीं तो। (व्यवधान) अच्छा, अगले वाले पर बुलवा लेंगे फिर आपको।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: माननीय अमरारामजी। (व्यवधान) यह स्वास्थ्य का है, जलियांवाला बाग़ का नहीं है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): राजस्थान नर्स, दाई, स्वास्थ्य-वीक्षिका तथा सहायक नर्स-दाई रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2013 का ये बिल लेकर आये हैं। (व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल अमरारामजी का।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): राजस्थान में जो निजी चिकित्सालय हैं, हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ... (व्यवधान) राजस्थान में तरह-तरह के अस्पताल हैं जिनको टोकन मनी पर करोड़ों रुपये की जमीनें दी गई हैं, लेकिन वे निजी अस्पताल आज राजस्थान के उस पेशेंट को, किस तरह से डैथ होने के बाद में भी, तीन-तीन दिन तक, दो-दो लाख रुपया लिया जाता है उनसे। (व्यवधान)

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: केवल अमरारामजी का अंकित होगा। आपका ही रिकार्ड हो रहा है। केवल आपका रिकार्ड हो रहा है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): हाउस को आर्डर में तो लाओ।

श्री उपाध्यक्ष: इसमें केवल आपका ही रिकार्ड हो रहा है। आपकी आवाज आ रही है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): इनके बराबर तो मैं आवाज कर नहीं सकता।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान नर्स, दाई, स्वास्थ्य-वीक्षिका तथा सहायक नर्स-दाई रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2013 को पारित किया जाए।

(स्वीकृत)

राजस्थान नर्स, दाई, स्वास्थ्य-वीक्षिका तथा सहायक नर्स-दाई रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) विधेयक, 2013 को पारित किया गया।

श्री हेमाराम चौधरी, प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि राजस्थान भूमि (अंतरण पर निर्बन्धन) विधेयक, 2013 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाए।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): ×××

श्री उपाध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा। केवल अमरारामजी का अंकित होगा। केवल अमरारामजी।

प्रवर समिति को निर्दिष्ट विधेयक

राजस्थान भूमि (अंतरण पर निर्बन्धन) विधेयक, 2013

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भूमि (अंतरण पर निर्बन्धन) विधेयक, 2013 को एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाए, जो अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में देगी। प्रवर समिति के सदस्यों के नामों की सूची बाद में प्रस्तुत कर दी जाएगी।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): **×××**

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान भूमि (अंतरण पर निर्बन्धन) विधेयक, 2013 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाए?

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

राजस्थान भूमि (अंतरण पर निर्बन्धन) विधेयक, 2013 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): **×××**

श्री उपाध्यक्ष: शासकीय संकल्प।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, एक शासकीय संकल्प विचार एवं पारण हेतु प्रस्तुत करेंगे। कोई सदस्य बोलना चाहते हैं?

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): **×××**

शासकीय संकल्प

'मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011 (2011 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 16) को राजस्थान राज्य में अंगीकार किया जाये'

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, निम्नांकित संकल्प विचार एवं पारण हेतु प्रस्तुत करता हूं :-

यत:, संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अनुसरण में गोवा, हिमाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों के विधान मण्डलों के सभी सदनों द्वारा इस आशय के संकल्प पारित किये गये हैं कि मानव अंग प्रतिरोपण अधिनियम, 1994 (1994 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 42) को संसद द्वारा संशोधित किया जाये;

श्री उपाध्यक्ष: केवल नवाब साहब का ही। आपका अंकित नहीं हो रहा है।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): **×××**

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): और यत:, पूर्वोक्त संकल्पों के अनुसरण में संसद ने मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011 (2011 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 16) पारित किया है;

और यत:, उक्त संशोधन अधिनियम का प्रसार उन्हीं अन्य राज्यों पर होगा, जो संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अनुसरण में इस निमित्त पारित संकल्प द्वारा इस अधिनियम को अंगीकार करें;

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां))

और यत:, इस सभा को यह वांछनीय प्रतीत होता है कि मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011 (2011 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 16) को राजस्थान राज्य में अंगीकार किया जाना चाहिये;

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): **×××**

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अत: अब, संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के अनुसरण में यह सभा इसके द्वारा यह संकल्प करती है कि मानव अंग प्रतिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011 (2011 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 16) को राजस्थान राज्य में अंगीकार किया जाये।

श्री उपाध्यक्ष: प्रश्न यह है कि प्रभारी मंत्री द्वारा जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है, उसको पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

संकल्प पारित किया गया।

राष्ट्र गान

जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता।
पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा, द्रविड़ उत्कल बंगा।
विंध्य हिमाचल यमुना गंगा,
उच्छल जलधि तरंगा।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष मांगे।
गाहे तव जय गाथा,
जन गण मंगलदायक जय हे,
भारत भाग्य विधाता।
जय हे, जय हे, जय हे,
जय जय जय जय हे।

सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 23.13 बजे अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

खेरली (अलवर) कृषि उपज मण्डी समिति में स्थापित धर्मकांटा

434. श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या कृषि उपज मण्डी समिति, खेरली, जिला अलवर में पूर्व से धर्मकांटा संचालित है? यदि हां, तो यह धर्मकांटा किनके द्वारा तथा कब से संचालित है?

(2) क्या उक्त धर्मकांटे के संचालन की अवधि पूरी हो गई है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो वर्तमान स्थिति क्या है?

(3) क्या धर्मकांटे की संचालन अवधि पूरी होने के बाद भी सरकार ने इसे चलाने की अवधि बढ़ा दी है? यदि हां, तो कब?

(4) मण्डी में धर्मकांटे की स्वीकृति के समय मण्डी सचिव कौन था तथा अवधि पूर्ण होने पर कौन अधिकारी स्थापित था? उस पदस्थापित अधिकारी द्वारा क्या सम्पूर्ण लीज राशि शर्तों के अनुसार वसूल की गई है?

(5) उक्त धर्मकांटे की लीज राशि कब से कब तक वसूल की गई है? यदि नहीं, तो उस पर स्थापित अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) उक्त धर्मकांटे की वार्षिक लीज राशि सरकार को चुकाना कितनी बाकी है तथा धर्मकांटे की ओर से कितनी राशि वार्षिक जमा करवाई जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। कृषि उपज मण्डी समिति, खेरली, जिला अलवर में पूर्व से धर्मकांटा संचालित है। श्री मुकेश खींची पुत्र श्री रमेश खींची, वार्ड संख्या 1, खेरली द्वारा दिनांक 10.1.2002 से संचालित है।

(2) जी हां। धर्मकांटा संचालन की अवधि दिनांक 10.1.2012 को पूर्ण हो गई।

(3) जी नहीं।

(4) धर्मकांटा स्वीकृति तथा अवधि पूर्ण होने के समय सचिव पद पर

(कृषि विपणन राज्य मंत्री)

श्री ईशाक हारून पदस्थापित थे। पदस्थापित अधिकारी द्वारा सम्पूर्ण लीज राशि शर्तों के अनुसार वसूल नहीं की गई है।

(5) धर्मकांटे की राशि दिनांक 10.1.2002 से 10.1.2012 तक अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार कुल रुपये 5,08,362/- वसूली योग्य है जिसमें रुपये 3,12,382/- लीज की मूल राशि तथा रुपये 1,95,980/- विलम्ब शुल्क शामिल है। उक्त राशि में से रुपये 1,96,000/- संलग्न परिशिष्ट 'अ' के अनुसार मण्डी समिति में जमा करायी गयी है। शेष राशि रुपये 3,12,362/- मण्डी समिति की रसीद संख्या 177/95 दिनांक 14.3.13 से वसूल की गई है। प्रकरण की जानकारी पूर्व में न आने के कारण पदस्थापित अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

(6) धर्मकांटे की वार्षिक लीज राशि शर्तों के अनुसार 10.01.2002 से अवधि पूर्ण होने तक मय विलम्ब शुल्क रुपये 5,08,362/- वसूली की जानी थी जिसमें से राशि रुपये 1,96,000/- संलग्न परिशिष्ट 'अ' के अनुसार समय-समय पर जमा करवाई गई है तथा शेष राशि रुपये 3,12,362/- (जिसमें मूल राशि 1,16,382/- व विलम्ब शुल्क राशि रु. 1,95,980/- शामिल है) मण्डी समिति की रसीद सं 177/95 दिनांक 14.3.13 से जमा हुई है। इस प्रकार सम्पूर्ण राशि जमा हो गई है।

परिशिष्ट 'अ'

कृषि उपज मण्डी समिति 'अ' श्रेणी खेरली लीज राशि का विवरण

(राशि रुपये में)

क्र. सं.	वर्ष	देय राशि	जमा राशि	रसीद संख्या व दिनांक	बकाया मूल 10 जनवरी को	आज दिनांक को बकाया लीज राशि व विलम्ब शुल्क			विलम्ब शुल्क गणना की अवधि
						मूल	विलम्ब शुल्क	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	2002-03	19600	19600	1062/13 31.3.03	19600	0	5880	5880	जनवरी 02 से मार्च 03- 19600/-
2.	2003-04	215600	19600	1028/12 13.4.04	21560	1960	11015	12975	जनवरी 03 से अप्रैल 04- 19600/- जनवरी 03 से फरवरी 13- 1960/-
3.	2004-05	23716	19600	969/58 16.8.05	23716	4116	16813	21011	जनवरी 04 से अगस्त 05- 19600/- जनवरी 04 से फरवरी 13- 4116/-
4.	2005-06	26088	19600	1107/64 21.7.07	26088	6488	24739	31356	जनवरी 05 से जुलाई 07- 19600/- जनवरी 05 से फरवरी 13- 6488/-
5.	2006-07	28697	19600	1107/64 21.7.07	28697	9097	22913	32165	जनवरी 06 से जुलाई 07- 19600/- जनवरी 06 से फरवरी 13- 9097/-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	2007-08	31567	19600	32/25 5.7.08	31567	11967	24528	36734	जनवरी 07 से जून 08- 19600/- जनवरी 07 से फरवरी 13- 11967/-
7.	2008-09	34724	19600	47/76 25.2.09	34724	15124	23547	39366	जनवरी 08 से फरवरी 09- 19600/- जनवरी 08 से फरवरी 13- 15124/-
8.	2009-10	38196	19600	79/09 30.3.10	38196	18596	24104	43072	जनवरी 09 से मार्च 10- 19600/- जनवरी 09 से फरवरी 13– 18596/-
9.	2010-11	42016	19600	116/04 4.4.11	42016	22416	22468	45332	जनवरी 10 से मार्च 11- 19600/- जनवरी 10 से फरवरी 13- 1960/-
10.	2011-12	46218	19600	148/78 7.5.12	46218	26618	19973	47123	जनवरी 11 से मई 12- 19600/- जनवरी 11 से फरवरी 13- 26618/-
	Total	**312382**	**196000**		**312382**	**116382**	**195980**	**312362**	

सीकर जिले में बाल श्रमिक परियोजना हेतु गठित समिति की बैठकें

435. श्री पेमाराम (धोद) : क्या श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सीकर जिले में बाल श्रमिक परियोजना कब से संचालित है? इस योजना के संचालन हेतु कमेटी कब से गठित है तथा इस कमेटी की मीटिंग कब-कब हुई है एवं कमेटी का पुनर्गठन कब-कब हुआ है? कमेटी की मीटिंगों की क्या व्यवस्था व समय सीमा है? क्या इसकी पालना हो रही है? यदि नहीं, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(2) उक्त परियोजना हेतु सीकर में कितने कार्मिक कब से पदस्थापित हैं?

(3) क्या यह सही है कि सीकर बाल श्रमिक परियोजना में बाल श्रमिकों का सर्वे माह जुलाई, 2012 से शुरू हुआ था? यदि हां, तो क्या यह सर्वे पूरा हो चुका है? नहीं, तो इस हेतु कौन अधिकारी दोषी है तथा दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सीकर जिले में राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना वर्ष 2005-06 से चल रही है। इस योजना के संचालन हेतु जिला कलक्टर की अध्यक्षता में कमेटी दिनांक 5.3.2005 से गठित है। कमेटी का पुनर्गठन नहीं हुआ। कमेटी की बैठकें दिनांक 14.2.2007, 24.4.2007, 6.6.2007, 5.8.2008, 12.12.2008, 20.7.2009 तथा 3.2.2011 को आयोजित की गईं। कमेटी की बैठकों का आयोजन जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष परियोजना कमेटी द्वारा किया जाता है।

(2) इस परियोजना में वर्तमान में निम्न स्टाफ कार्यरत है :-

1. श्री अशोक कुमार, स्टैनो टाइपिस्ट कम क्लर्क	1.6.2009 से कार्यरत
2. श्री संदीप जांगिड़, फील्ड आफीसर	2.1.2009 से कार्यरत

(श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री)

3. श्री ओंकार सिंह, कैशियर-कम-क्लर्क — 9.8.2007 से कार्यरत

4. श्री मनोज कुमार, सहायक कर्मचारी — 1.11.2006 से कार्यरत

(3) यह सही है कि सीकर बाल श्रमिक परियोजना में बाल श्रमिकों का सर्वे का कार्य जुलाई, 2012 में शुरू हुआ था, जो पूर्ण हो चुका है। सर्वे में 901 बाल श्रमिक चिन्हित हुए हैं। सत्यापन का कार्य पूर्ण होने को है। इसके लिए कोई अधिकारी दोषी नहीं रहा है।

गोविन्दगढ़ (जयपुर) में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना

436. श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) : क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार ने पंचायत समिति मुख्यालयों पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का निर्णय लिया है? यदि हां, तो ऐसी कौनसी पंचायत समितियां हैं जहां पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नहीं हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या पंचायत समिति मुख्यालय, गोविन्दगढ़, जिला जयपुर में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित है? यदि नहीं, तो क्या सरकार गोविन्दगढ़ में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सरकार ने पंचायत समिति क्षेत्रों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने का निर्णय लिया है तथा इसी क्रम में वर्तमान में 249 पंचायत समितियों में से मात्र 47 पंचायत समितियां ऐसी शेष हैं जहां पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित नहीं है, लेकिन सरकार की मंशा के अनुरूप इन सभी पंचायत समितियों में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया जाना प्रक्रियाधीन है। विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। वर्तमान में पंचायत समिति मुख्यालय, गोविन्दगढ़ जिला जयपुर में दो निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित हैं एवं पंचायत

(तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री)

समिति, गोविन्दगढ़, जिला जयपुर के अन्तर्गत एक राजकीय औद्योगिक शिक्षण संस्थान (चौमूं में) एवं कुल 10 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित हैं। विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट-1

पंचायत समितियों की सूची जहां औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की कार्यवाही की जा रही है

क्रसं.	ब्लाक/जिला	योजना का नाम	स्थिति	विवरण
1.	आन्दपुरी (बांसवाड़ा)	निजी सहभागिता योजना	भू-आबंटित	भू-आबंटन निरस्त*
2.	घाटोल (बांसवाड़ा)	निजी सहभागिता योजना	भू-आबंटित	भू-आबंटन निरस्त*
3.	मांडल (भीलवाड़ा)	निजी सहभागिता योजना	भू-आबंटित	भू-आबंटन निरस्त*
4.	सीमलवाड़ा (डूंगरपुर)	निजी सहभागिता योजना	भू-आबंटित	भू-आबंटन निरस्त*
5.	आसपुर (डूंगरपुर)	निजी सहभागिता योजना	भू-आबंटित	भू-आबंटन निरस्त*
6.	अहोर (जालौर)	निजी सहभागिता योजना	भू-आबंटित	
7.	सायला (जालौर)	निजी सहभागिता योजना	भू-आबंटित	
8.	रेवधर (सिरोही)	निजी सहभागिता योजना	भू-आबंटित	
9.	बड़गांव (उदयपुर)	निजी सहभागिता योजना	भू-आबंटित	भू-आबंटन निरस्त*
10.	झाड़ोल (उदयपुर)	निजी सहभागिता योजना	भू-आबंटित	भू-आबंटन निरस्त*
11.	सांचोर (जालौर)	निजी सहभागिता योजना	भू-आबंटित	

क्र.सं.	ब्लाक/जिला	योजना का नाम	स्थिति	विवरण
12.	मसूदा (अजमेर)	निजी सहभागिता योजना	भू-आबंटन शेष	
13.	गढ़ी (बांसवाड़ा)	निजी सहभागिता योजना	भू-आबंटन शेष	
14.	कुशलगढ़ (बांसवाड़ा)	निजी सहभागिता योजना	भू-आबंटन शेष	
15.	सज्जनगढ़ (बांसवाड़ा)	निजी सहभागिता योजना	भू-आबंटन शेष	
16.	छोटी श्रावण (बांसवाड़ा)	निजी सहभागिता योजना	भू-आबंटन शेष	
17.	धौरीमन्ना (बाड़मेर)	निजी सहभागिता योजना	भू-आबंटन शेष	
18.	बायतू (बाड़मेर)	निजी सहभागिता योजना	भू-आबंटन शेष	
19.	सिंघरी (बाड़मेर)	निजी सहभागिता योजना	भू-आबंटन शेष	
20.	कोलायत (बीकानेर)	निजी सहभागिता योजना	भू-आबंटन शेष	
21.	लूणकरणसर (बीकानेर)	निजी सहभागिता योजना	भू-आबंटन शेष	
22.	श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)	निजी सहभागिता योजना	भू-आबंटन शेष	
23.	बनेड़ा (भीलवाड़ा)	निजी सहभागिता योजना	भू-आबंटन शेष	
24.	आसींद (भीलवाड़ा)	निजी सहभागिता योजना	भू-आबंटन शेष	
25.	कोटड़ी (भीलवाड़ा)	निजी सहभागिता योजना	भू-आबंटन शेष	
26.	सहाड़ा (भीलवाड़ा)	निजी सहभागिता योजना	भू-आबंटन शेष	

क्र.सं.	ब्लाक/जिला	योजना का नाम	स्थिति	विवरण
27.	डूंगला (चित्तौड़गढ़)	निजी सहभागिता योजना	भू-आबंटन शेष	
28.	गंगरार (चित्तौड़गढ़)	निजी सहभागिता योजना	भू-आबंटन शेष	
29.	भीनमाल (जालौर)	निजी सहभागिता योजना	भू-आबंटन शेष	
30.	जसवंतपुरा (जालौर)	निजी सहभागिता योजना	भू-आबंटन शेष	
31.	शेरगढ़ (जोधपुर)	निजी सहभागिता योजना	भू-आबंटन शेष	
32.	रियाबड़ी (नागैर)	निजी सहभागिता योजना	भू-आबंटन शेष	
33.	सुमेरपुर (पाली)	निजी सहभागिता योजना	भू-आबंटन शेष	
34.	मारवाड़ जंक्शन (पाली)	निजी सहभागिता योजना	भू-आबंटन शेष	
35.	रानी स्टेशन (पाली)	निजी सहभागिता योजना	भू-आबंटित शेष	
36.	पिण्डवाड़ा (सिरोही)	निजी सहभागिता योजना	भू-आबंटित शेष	
37.	सराड़ा (उदयपुर)	निजी सहभागिता योजना	भू-आबंटित शेष	
38.	भिण्डर (उदयपुर)	निजी सहभागिता योजना	भू-आबंटित शेष	
39.	लसाड़िया (उदयपुर)	निजी सहभागिता योजना	भू-आबंटित शेष	
40.	किशनगंज (बारां)	निजी सहभागिता योजना	न्यायलय में वाद लम्बित (भू-आबंटन निरस्त करने के कारण)	

क्र.सं.	ब्लाक/जिला	योजना का नाम	स्थिति	विवरण
41.	अराई (अजमेर)	निजी सहभागिता योजना	निजी निवेशक का चयन प्रक्रियाधीन	
42.	सम (जैसलमेर)	निजी सहभागिता योजना	निजी निवेशक का चयन प्रक्रियाधीन	
43.	बिछीवाड़ा (डूंगरपुर)	निजी सहभागिता योजना	निजी निवेशक का चयन प्रक्रियाधीन	
44.	टिब्बी (हनुमानगढ़)	निजी सहभागिता योजना	निजी निवेशक का चयन प्रक्रियाधीन	
45.	चितलवाना (जालौर)	निजी सहभागिता योजना	निजी निवेशक का चयन प्रक्रियाधीन	
46.	बावड़ी (जोधपुर)	निजी सहभागिता योजना	निजी निवेशक का चयन प्रक्रियाधीन	
47.	ऋषभदेव (उदयपुर)	निजी सहभागिता योजना	निजी निवेशक का चयन प्रक्रियाधीन	

* नियत अवधि में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित नहीं कर पाने के कारण भू-आबंटन निरस्त।

परिशिष्ट-2

क्र.सं.	पंचायत समिति का नाम	क्र.सं.	राजकीय आई.टी.आई.	क्र.सं.	निजी आई.टी.आई. का नाम
1	गोविन्दगढ़ (जयपुर)	1	औ.प्र.सं., चौमूं	1	महर्षि दयानन्द सरस्वती निजी आई.टी.अई., चौमूं (जयपुर)
				2	रतनदेवी निजी आई.टी.आई. चौमूं (जयपुर)
				3	ए.एन. निजी आई.टी.आई., चौमूं (जयपुर)
				4	सेन्ट्रल निजी आई.टी.आई., गोविन्दगढ़ (जयपुर)
				5	श्रीकृष्ण निजी आई.टी.आई., गोविन्दगढ़ (जयपुर)
				6	ज्योति बा वियाश्रम निजी आई.टी.आई., इटावा भोपजी, तहसील चौमूं (जयपुर)
				7	विवेकानन्द निजी आई.टी.आई. चौमूं (जयपुर)
				8	ओरस निजी आई.टी.आई. खेजडोली (जयपुर)
				9	गुरूकुल निजी आई.टी.आई., खादी भण्डार के सामने, चौमूं (जयपुर)
				10	श्री गिरीराज निजी आई.टी.आई., खेजड़ोली, तहसील-जयपुर

अजमेर जिले में दर्ज आपराधिक प्रकरणों पर कार्यवाही

437. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अजमेर जिले में गत 5 वर्षों में कितने मंदिरों में चोरी के प्रकरण दर्ज हुए? वर्षानुसार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में कितने व किन-किन महन्तों, संतों व साधुओं की हत्याओं के मामले दर्ज हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि में पुलिस के पास हत्या, बलात्कार, चोरी व चेन स्नैचिंग के कितने मामले दर्ज हुए व कितने प्रकरणों में दोषियों की गिरफतारी की गई?

(4) सरकार द्वारा उक्त प्रकरणों में से कितने प्रकरणों में चालान पेश किया व किन-किन प्रकरणों में दोषियों को सजा हुई?

उत्तर

(1) अजमेर जिले में गत 5 वर्षों में मन्दिरों में चोरी के कुल 91 प्रकरण दर्ज हुए हैं वर्षवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) उक्त अवधि में महन्त, सन्त व साधुओं की हत्याओं के 4 मामले दर्ज हुए विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) उक्त अवधि में हत्या, बलात्कार, चोरी व चेन स्नैचिंग के दर्ज प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है। इन प्रकरणों में से जिन प्रकरणों में गिरफ्तारी की गई, उनकी संख्या प्रपत्र 'स' के कालम संख्या 5 में अंकित है।

(4) उक्त प्रकरणों में से पेश किये गये चालानों की संख्या एवं सजा हुए प्रकरणों की संख्या का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'स' के कालम संख्या क्रमशः 4 व 9 पर अंकित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पर्यटन व्यवसाय में वृद्धि हेतु कार्य-योजना

438. श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर) व **श्री ओम बिरला** (कोटा दक्षिण): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2012-13 में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कितना बजट रखा गया? उक्त बजट को किस-किस

(श्री अभिषेक मटोरिया)

आयोजन पर खर्च किया गया? क्षेत्रवार, वर्षवार एवं मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक किस-किस जिले में कितने-कितने देशी, विदेशी पर्यटक आए? जिलेवार पर्यटकों की संख्या सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि गत वर्षों में विदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी आई है? यदि हां, तो इस कमी के क्या-क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में कौन-कौनसा कार्य किस-किस एजेंसी, संस्था को दिया गया? उक्त के एवज में किस-किस एजेंसी, संस्था को कब-कब कितनी-कितनी राशि का भुगतान किया गया? उक्त एजेंसियों ने कितनी-कितनी राशि को कहां-कहां खर्च किया? वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक किस-किस फेस्टिवल, मेले, महोत्सव, उत्सव हेतु किस-किस संस्थान को कितनी-कितनी राशि उपलब्ध कराई गई? उक्त संस्थाओं द्वारा किस-किस कार्य हेतु कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2012-13 में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए रखे गये बजट प्रावधान का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

उक्त बजट में से आयोजनों पर क्षेत्रवार, वर्षवार एवं मदवार की गई व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) वर्ष 2008 से 2012 तक राज्य में आये देशी-विदेशी पर्यटकों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(3) वर्ष 2009 में वर्ष 2008 की तुलना में विदेशी पर्यटकों की संख्या में कमी आई थी, जिसका मुख्य कारण सम्भवत: जयपुर एवं देश में हुए आतंकी हमले एवं आर्थिक मंदी था। वर्ष 2010 से विदेशी पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि जारी है। (परिशिष्ट-3)

(पर्यटन मंत्री)

(4) जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन निजी संस्था द्वारा किया जाता है। उक्त आयोजन हेतु विभाग द्वारा वर्ष 2008-09 एवं 2009-10 में किसी भी संस्था को कोई भी राशि का भुगतान नहीं किया गया है। उक्त कार्यक्रम के आयोजन में सहयोग/प्रायोजन हेतु वर्ष 2010-11 से 2012-13 तक मै. टीमवर्क फिल्म प्रा.लि., नई दिल्ली को प्रदान की गई प्रायोजन राशि का विवरण निम्नानुसार है :-

वर्ष	**राशि (लाख में)**
2010-11	10.00
2011-12	20.00
2012-13	30.00 एवं रात्रि भोज अनुमोदित हैं किन्तु अभी तक कोई भुगतान नहीं किया गया है।

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हेतु वर्ष 2010-11 में मै. टीमवर्क फिल्म प्रा.लि., नई दिल्ली को राशि रु. 10.00 लाख का सहयोग पर्यटन प्रचार-प्रसार हेतु प्रायोजन स्वरूप विभाग द्वारा प्रदान किया गया था। फर्म द्वारा कहां-कहां खर्च किया गया, इसकी सूचना कम्पनी द्वारा नहीं दी गई है।

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल हेतु वर्ष 2011-12 में मै. टीमवर्क फिल्म प्रा.लि., नई दिल्ली को राशि रु. 20.00 लाख विभाग द्वारा प्रदान की गयी थी, जिसमें से संस्था द्वारा निम्न मदों पर व्यय किया गया :-

1. टेक्निकल फार जयपुर	रु. 9,36,240.00
2. सेक्युरिटी आफ जयपुर	रु. 5,95,620.00
3. बैनर्स, होर्डिंग्स एवं कियोस्क	रु. 5,23,925.00
4. प्रिन्टिंग चार्जेज फार ब्रोशर्स, फ्लायर्स	रु. 5,14,924.00
कुल योग	**रु. 25,70,709.00**

(5) पर्यटन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2008-09 से 2012-13 तक विभिन्न फेस्टिवल, मेले, महोत्सव, उत्सव के आयोजन हेतु संस्थाओं को उपलब्ध कराई गई राशि एवं उक्त राशि में से संस्थाओं द्वारा किए गए व्यय का विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

देवगढ़ नगरपालिका का मास्टर प्लान

439. श्री हरिसिंह रावत (भीम) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगर नियोजक द्वारा नगरपालिका देवगढ़ का मास्टर प्लान प्रारूप 2009-32 अपने स्तर पर मामूली परिवर्तन कर पुन: मार्च, 2010 में ड्राफ्ट कर दिया गया था?

(2) क्या सरकार नगर की बढ़ती हुई आबादी को दृष्टिगत रखते हुए पुन: नगरपालिका अध्यक्ष एवं स्थानीय प्रबुद्ध नागरिकों/जन प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श कर सर्वसम्मति से मास्टर प्लान बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। वर्तमान में नगर नियोजन विभाग के स्तर पर नया मास्टर प्लान बनाये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक : प.10(10)नविवि/3/97 जयपुर, दिनांक 07.12.2010 द्वारा देवगढ़ मास्टर प्लान (2009-32) को अनुमोदित किया जा चुका है।

हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर में जन हानि के दर्ज प्रकरणों की जांच

440. श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर में गत चार वर्षों में कितनी दुर्घटनाएं हुयीं? इनमें कितनी जन हानि के कितने प्रकरण कब-कब दर्ज हुए?

(2) उक्त प्रकरणों की किस-किस अधिकारी द्वारा जांच की गई तथा किस-किस के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) गत चार वर्षों में हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड, उदयपुर में कोई दुर्घटना एवं जन हानि नहीं हुई है। परन्तु जिला राजसमन्द में दरीबा माइन्स में कार्य करते हुए वर्ष 2009 में 1, 2010 में 1, 2011 में 3 दुर्घटनाएं हुईं, जिनमें 5 व्यक्तियों की मृत्यु हुई तथा वर्ष 2012 में मुलजिमान द्वारा बिना

(गृह मंत्री)

सुरक्षा प्रबंध किये मशीन चलाने से 5 व्यक्तियों की मृत्यु व 9 व्यक्ति घायल हुए, जिस पर प्रकरण संख्या 208/12 धारा 287, 337, 304 आई पी सी में दर्ज किया गया। अनुसंधान जारी है।

(2) जांच अधिकारियों के नाम परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है। वर्ष 2009 से 2011 तक जो मर्ग दर्ज हुए, जिनका अंतिम नतीजा किता किया गया तथा प्रकरण संख्या 208/12 दर्ज हो अनुसंधानाधीन है।

परिशिष्ट-अ

जिले में वर्ष 2009 से 2012 तक हुई दुर्घटनाओं की सूची

क्र.सं.	घटना दिनांक	घटना स्थल	प्रकरण/मर्ग नम्बर मय दिनांक	धारा	घटना का संक्षिप्त विवरण	नाम पता घायल	नम पता मृतक	जांच अधिकारी	नतीजा पुलिस चालान/ एफआर/ लम्बित मय हेड व दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	31.07.09	दरीबा माइन्स	मर्ग नं. 14/09 दि. 31.7.09	174 जा.फौ.	प्लांट में कार्य करते हुए बिजली का करन्ट लगने से मृत्यु होना	-	मनीष पिता रामवृक्ष भारद्वाज निवासी फोलाजरिना थाना जगनिया जिला गांजीपुर उत्तर प्रदेश	श्री संग्राम सिंह सउनि	आखरी अचानक मौत 15.9.09 कता किया गया
2	20.5.10	दरीबा माइन्स	मर्ग नं. 03/10 दि. 20.5.10	174 जा.फौ.	प्लांट में कार्य करते हुए एसिड टैंक में गिरने से मृत्यु होना	-	दिनेश पिता मनसुख बन्जारा निवासी भामाखेडा थाना रेलमगरा	योगेश चौहान उप निरीक्षक	आखरी अचानक मौत 11.10.10 कता किया गया

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	10.2.11	एसके माइन्स	मर्ग नं. 01/11 दि. 20.2.11	174 जा.फौ.	एसके माइन्स में निर्माणधीन टाबर नीचे गिरने से मृत्यु होना	-	पंकज पिता अभिनव पुरोहित निवासी मानसरोवर जयपुर	प्रेमचन्द उप निरीक्षक	आखरी अचानक मौत 25.4.11 कता किया गया
4	24.3.11	दरीबा माइन्स	मर्ग नं. 05/11 दि. 2.4.11	174 जा.फौ.	दरीबा प्लाट में कार्य करते हुये करन्ट लगने से मृत्यु होना	-	अनिलकुमार पिता सुभाष चौधरी निवासी कापर कालोनी खेतडी	लीलाधर उप निरीक्षक	आखरी अचानक मौत 27.6.11 कता किया गया
5	21.11.11	दरीबा माइन्स	मर्ग नं. 21/11 21.11.11	174 जा.फौ.	दरीबा प्लाट में कार्य करते हुये अचानक बैल्ट में हाथ आने से मृत्यु होना	-	फिरोजखां पिता अब्दुल अजीज मुसलमान निवासी अराई अजमेर	प्रभु लाल सउनि	आखरी अचानक मौत 28.12.11 कता किया गया
6	20.6.12	दरीबा माइन्स	प्र.सं. 208/12 दि. 20.6.12	287, 337, 304ए भदस	मुल्जिमान द्वारा पूर्ण सुरक्षा किये व लापरवाही पूर्वक खतरनाक	1. राजकुमार पिता शंकरलाल ठाकुर निवासी अवधपुर वैशाली बिहार	1. बजरंगदास पिता जगदीशदास वैष्णव निवासी सकरावास	भैया लाल उप निरीक्षक	जैर तफतीश

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					मशीनें चलाने से 5 व्यक्ति की मृत्यु होना एवं 9 व्यक्ति घायल होना	2. शंकरलाल पिता नन्दराम अहीर निवासी रायपुरिया थाना आकोला 3. यबुद पिता सुबान मंसुरी निवासी घोसुण्डा 4. भैरूलाल पिता गोटूलाल अहीर निवासी रायपुरिया 5. मांगीलाल पिता खेमाजी बन्जारा निवासी खेमपुर 6. नाथू पिता गोमा बन्जारा निवासी बन्जारों का खेडा 7. जगदीश चन्द्र पिता नाथूलाल गायरी निवासी कोटडी 8. रामसिंह पिता उदयसिंह निवासी रायपुरिया 9. एके वैघ पिता आरके वैध निवासी वेस्ट बंगाल	2. श्यामदास पिता प्यारचन्द्र रेंगर निवासी गिलुण्ड 3. लक्ष्मीकांत पिता पूरणमल जायसवाल निवासी भूपालसागर थाना आकोला 4. भरतसिंह पिता पेपसिंह राजपूत निवासी सनवाड 5. तरण दषोरा पिता घनश्याम निवासी घोसुण्डी थाना कोतवाली चित्तौड़गढ़		

नाथद्वारा मंदिर मण्डल में कार्यरत कर्मचारी

441. श्री कल्याण सिंह चौहान (नाथद्वारा) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

नाथद्वारा मंदिर मण्डल द्वारा किन कारणों से बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के प्रावधानों एवं नियमों को लागू नहीं किया जा रहा है? नाथद्वारा मंदिर मण्डल में वर्तमान में किस-किस पद पर कौन-कौन कर्मचारी स्थायी एवं अस्थायी रूप से कार्यरत है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

नाथद्वारा मंदिर मण्डल के प्रबन्धन हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित "नाथद्वारा मंदिर मण्डल अधिनियम 1959 एवं नाथद्वारा मंदिर मण्डल नियम 1973 के नियम 83" अनुसार एवं मंदिर मण्डल को प्रदत्त अधिकारों के तहत बीमा एवं प्रावधायी निधि मुत्तलिक दिये गये प्रावधानों की पालना की जाती है। अत: राजकीय बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के प्रावधानों के एवं नियमों को लागू नहीं किया जा रहा है।

नाथद्वारा मंदिर मण्डल में वर्तमान में विविध पदों पर स्थायी व अस्थायी कर्मचारियों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

रायसिंहनगर के ग्रामों हेतु निगम बस सेवा

442. श्री दौलतराज समेजा (रायसिंहनगर) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार की नीति के अनुसार तहसील से तहसील को निगम की बस सेवा से जोड़ना है? यदि हां, तो तहसील विजयनगर को तहसील रायसिंहनगर की 40 किमी दूरी को कब तक निगम बस सेवा से जोड़ दिया जावेगा?

(2) क्या यह सही है कि उक्त तहसीलों के मध्य बस सेवा संचालित थी किन्तु निजी बस आपरेटर्स के कारण एवं विभाग में भ्रष्टाचार के कारण एक मात्र बस सेवा बन्द कर दी गई? यदि नहीं, तो बस सेवा बन्द होने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ग्राम पंचायतों को ग्रामीण बस सेवा योजना के

(श्री दौलतराज समेजा)

माध्यम से जोड़ने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं । लेकिन पूर्व में निगम द्वारा विजयनगर-रायसिंहनगर मार्ग पर संचालित बस सेवा लागत से भी कम आय आने के कारण दिनांक 01.04.2012 से बन्द कर दी गयी। बन्द करने की तिथि से पूर्व 6 माह में प्राप्त हुई औसत आय प्रति कि.मी., लागत प्रति कि.मी. एवं यात्रीभार का विवरण परिशिष्ट ''1" पर संलग्न हैं।

(3) जी हां। बजट घोषणा वर्ष 2011-12 के अन्तर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत को निगम बस सेवाओं से पी पी पी माडल पर जोडने की योजना की घोषणा की गई हैं। जिसके लिए पी पी पी मोड पर दिनांक 17.11.2012 को निविदाएं आमंत्रित की गयी थीं, जिसकी अन्तिम तिथि दिनांक 30.01.2013 थी। लेकिन कोई निविदादाता नहीं आने के कारण पुन: दिनांक 14.02.2013 को निविदाएं आमंत्रित की गयी हैं, जिसकी अन्तिम तिथि दिनांक 30.04.2013 है। निविदा प्रस्ताव प्राप्त होने एवं प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिये जाने के पश्चात् उल्लिखित ग्राम पंचायतों को बस सेवा से जोड़ा जा सकेगा।

परिशिष्ट-1

विजयनगर से रायसिंहनगर मार्ग पर संचालित सेवा को बन्द करने की तिथि से पूर्व 6 माह में प्राप्त औसत आय प्रति किमी., लागत प्रति किमी. एवं यात्रीभार का विवरण

माह	आय प्रति किमी. (रुपयों में)	लागत प्रति किमी. (रुपयों में)	अन्तर हानि प्रति किमी. (रुपयों में)	यात्री भार (प्रतिशत में)
अक्टूबर, 11	06.61	23.22	-61.61	25
नवम्बर, 11	04.88	24.25	-19.37	20
दिसम्बर, 11	05.61	23.18	-17.57	22
जनवरी, 12	02.99	23.00	-20.01	12
फरवरी, 12	14.02	24.70	-10.68	46
मार्च, 12	03.96	24.68	-20.72	15

अलवर जिले के रोजगार कार्यालय में पंजीकृत बेरोजगार

443. श्री टीकाराम जूली (अलवर ग्रामीण) : क्या श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अलवर जिले में वर्ष 2006 से 2012 तक कितने बी.एड/एम.एड./एस.टी.सी./आईटीआई/डी. फार्मा के विद्यार्थी नियोजन कार्यालय में पंजीकृत हैं? संख्यावार/वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त डिग्री/डिप्लोमाधारी कितने छात्र/छात्रा बेराजगार हैं? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त डिग्री/डिप्लोमाधारी बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) अलवर जिले में वर्ष 2006 से 2012 तक रोजगार कार्यालय में दर्ज बी एड/एम एड/एस टी सी/आई टी आई/डी फार्मा योग्यताधारी बेरोजगार पंजीकृत आशार्थियों की सूचना संख्यावार एवं वर्षवार परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है ।

(2) 31 दिसम्बर, 2012 को कुल 6,628 बेरोजगार आशार्थी डिग्री/डिप्लोमाधारी रोजगार कार्यालय अलवर की सजीव पंजिका पर दर्ज हैं। संख्या सूची विवरण निम्न प्रकार है :-

श्रेणीवार	**संख्या**
बी.एड.	4,270
एम.एड.	5
एस.टी.सी.	317
आई.टी.आई.	1895
डी.फार्मा	141
योग	**6628**

(3) जी नहीं।

परिशिष्ट-1

अलवर जिले में वर्ष 2008 से 2012 तक बी.एड., एम.एड., एस.टी.सी., आई.टी.आई., डी.फार्मा के बेरोजगार आशार्थियों की सूचना

वर्ष	योग्यता	कुल पंजीकृत बेरोजगार	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अ.पि. वर्ग	महिला	नि:शक्तजन
2006	बी.एड.	3507	385	218	153	1304	0
	एम.एड.	0	0	0	0	0	0
	एस.टी.सी.	409	114	54	16	310	0
	आई.टी.आई.	907	113	100	28	21	0
	डी.फार्मा	98	10	0	10	1	0
	योग	**4921**	**622**	**372**	**207**	**1636**	**0**
2007	बी.एड.	2990	345	239	138	942	100
	एम.एड.	0	0	0	0	0	0
	एस.टी.सी.	368	80	29	9	188	20
	आई.टी.आई.	838	150	115	32	2	21
	डी.फार्मा	148	11	2	11	4	1
	योग	**4344**	**586**	**385**	**190**	**1136**	**142**
2008	बी.एड.	2201	2232	242	123	845	179
	एम.एड.	0	0	0	0	0	0
	एस.टी.सी.	271	39	21	6	193	5
	आई.टी.आई.	782	117	108	30	22	6
	डी.फार्मा	66	13	3	7	4	0
	योग	**3320**	**2401**	**374**	**166**	**1064**	**190**
2009	बी.एड.	3093	370	270	136	1039	92
	एम.एड.	0	0	0	0	0	0
	एस.टी.सी.	265	42	25	8	135	15
	आई.टी.आई.	990	141	126	33	23	6
	डी.फार्मा	135	19	6	9	6	1
	योग	**4483**	**572**	**427**	**186**	**1203**	**114**

वर्ष	योग्यता	कुल पंजीकृत बेरोजगार	अनु. जाति	अनु. जनजाति	अ.पि. वर्ग	महिला	नि:शक्तजन
2010	बी.एड.	3453	400	288	142	1058	105
	एम.एड.	6	1	1	0	3	0
	एस.टी.सी.	99	20	31	0	7	17
	आई.टी.आई.	1442	194	186	37	21	24
	डी.फार्मा	135	20	5	6	5	1
	योग	**5135**	**635**	**511**	**185**	**1094**	**147**
2011	बी.एड.	3746	581	368	161	1165	125
	एम.एड.	11	1	0	0	6	0
	एस.टी.सी.	245	46	51	3	117	15
	आई.टी.आई.	1813	266	293	42	25	25
	डी.फार्मा	150	25	5	4	5	0
	योग	**5965**	**919**	**717**	**210**	**1318**	**165**
2012	बी.एड.	4270	893	508	156	1385	155
	एम.एड.	5	1	1	0	0	0
	एस.टी.सी.	317	68	55	13	156	23
	आई.टी.आई.	1895	341	384	71	34	34
	डी.फार्मा	141	26	4	0	10	2
	योग	**6628**	**1329**	**952**	**240**	**1585**	**214**

धौलपुर जिले में निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों हेतु आबंटित भूमि

444. श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) : क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला धौलपुर में निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालय हेतु गत चार वर्षों में कहां-कहां पर किस-किस नाम से भूमि आबंटित की गयी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि आबंटित स्थानों पर अभी तक कहीं भी भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है?

उत्तर

(1) जिला धौलपुर में गत चार वर्षों में जन सहभागिता योजनान्तर्गत निजी इंजीनियरिंग महाविद्यालयों की स्थापना किये जाने हेतु बाबा साहेब अम्बेडकर टैक्निकल एजूकेशन सोसायटी, नई दिल्ली को दिनांक 06.06.2011 को ग्राम खानपुर गूजर तहसील बाड़ी के आराजी खसरा नम्बर 173 रकवा 21-05 बीघा किस्म गैर मुमकिन पहाड़ में से 10 एकड़ (16-00 बीघा) नि:शुल्क भूमि आबंटित की गई।

(2) जी हां। बाबा साहेब अम्बेडकर टैक्निकल एजूकेशन सोसायटी, नई दिल्ली द्वारा उक्त आबंटित भूमि पर भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है।

पाटन के ठेकड़े (अलवर) में पुलिस चौकी की स्थापना

445. श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि माचाड़ी (राजगढ़) से बारां भडकोल, लक्ष्मणगढ़ के मध्य असामाजिक तत्वों के कारण आमजन परेशान है?

(2) क्या सरकार पाटन के ठेकड़े पर पुलिस चौकी स्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। भौगोलिक स्थिति, अपराधों की संख्या, प्रशासनिक दृष्टि से उपयुक्तता एवं बजट उपलब्धता के आधार पर पाटन के ठेकड़े पर चौकी खोला जाना उचित नहीं पाया गया है।

रणथम्भौर अभयारण्य की पारिस्थितकीय संवदेनशील जोन हेतु अभिशंसा

446. श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सी टी एच रणथम्भौर की सीमा से एक किलोमीटर के क्षेत्र को पारिस्थितकीय एवं पर्यावरणीय दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदनशील जोन (इको सेन्सिटिव जोन) के रूप में संधारित किया जाना है?

(श्री अलाउद्दीन आजाद)

(2) क्या यह सही है कि उक्त संदर्भ में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार ने अधिसूचना जारी कर 60 दिवस में आपत्तियां मांगी थीं?

(3) क्या यह सही है कि जिला कलक्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक में अधिकारियों व जन-प्रतिनिधियों ने सवाई माधोपुर शहर को शून्य सीमा मानकर ही निर्णय लेने हेतु निर्णय किया था?

(4) क्या यह सही है कि सिटी सवाई माधोपुर सहित समीपस्थ 142 ग्रामों में इस निर्णय से अनेकों पाबन्दियां लगा दी जावेंगी?

(5) क्या सरकार सवाई माधोपुर शहर को शून्य सीमा मानकर ही भारत सरकार को अभिशंसा करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। रणथम्भौर क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट की सीमा से 1 किमी. क्षेत्र को परिस्थितिक संवेदनशील जोन (इको-सेन्सिटिव जोन) के रूप में घोषित कराने के प्रस्ताव जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रस्तावित किये गये हैं। प्रस्ताव विचाराधीन है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में सी.टी.एच. रणथम्भौर की सीमा के चारों ओर इको-सेन्सिटिव जोन घोषित कराने के प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन हैं।

(3) जी नहीं।

(4) रणथम्भौर टाइगर रिजर्व के क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट के चारों ओर इको-सेन्सिटिव जोन घोषित किये जाने से इस क्षेत्र में पड़ने वाले गांवों की भूमि पर कुछ गतिविधियां जैसे खनन, प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाई, काष्ट आधारित इकाई, आरामशीन, अपशिष्ट का निस्तारण 1000 मीटर की दूरी तक व भवन निर्माण (सवाई माधोपुर शहर, कस्बा खण्डार, कस्बा टोडरा एवं कस्बा कैलादेवी को छोड़कर), भू-जल का व्यावसायिक दोहन एवं पेड़ कटाई 500 मीटर तक पूर्णत: निषेध रहेगी तथा कुछ गतिविधियां जैसे कि पर्यटन, ठोस कचरा निस्तारण, इत्यादि स्वीकृति उपरान्त संचालित की जा सकेंगी।

(5) विश्लेषण पश्चात् निर्णय लिया जायेगा।

सिविल लाइन्स में करवाये गए विकास कार्य

447. श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री प्रतापसिंह खाचरियावास)

विधान सभा क्षेत्र सिविल लाइन्स में गत चार वर्षों से जयपुर नगर निगम तथा जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न विकास कार्यों यथा सड़क, सीवरेज, लाइट, उद्यान, आदि में किये गये व्यय तथा विधायक कोष द्वारा किये गये कार्यों एवं उन पर व्यय का मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र सिविल लाइन्स में गत चार वर्षों से जयपुर नगर निगम एवं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा करवाये गये विभिन्न विकास कार्यों यथा सडक, सीवरेज, लाइट, उद्यान, आदि में किये गये व्यय तथा विधायक कोष से करवाये गये गये कार्यों एवं उन पर व्यय की गई राशि का मदवार विवरण परिशिष्ट "अ" व "ब" पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

केशवरायपाटन में अवैध खनन

448. श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2012 के बजट में अवैध खनन को रोकने के लिए खनिज रक्षा दल के तहत 1,000 (एक हजार) जवानों की बटालियन का गठन करने की घोषणा की गयी थी? यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त बटालियन का गठन कर दिया है तथा बूंदी जिले से इस बटालियन में कितने जवानों को नियुक्त किया गया है?

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र केशवरायपाटन के लाखेरी में सन्डाल के बालाजी के पास व इन्द्रगढ़ में आर.एस.ई.बी. कार्यालय के पीछे व इन्द्रगढ़ में बालाजी की डूंगरी के आस-पास काफी मात्रा में अवैध खनन किया जा रहा है? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में सरकार ने अवैध खनन करने वालों पर क्या कार्यवाही की तथा क्या सरकार उक्त जगहों पर हो रहे अवैध खनन को रोकने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त खनिज रक्षा दल के कांस्टेबलों की भर्ती के नियम का प्रारूप बना लिया गया है तथा अनुमोदन प्रक्रिया की अंतिम स्टेज पर है। भर्ती नियम बन जाने के पश्चात् कांस्टेबलों की नियुक्ति की कार्यवाही की जाएगी ।

(खनिज मंत्री)

(2) जी नहीं। यह सही नहीं है कि विधान सभा क्षेत्र केशवरायपाटन के लाखेरी में सन्डाल के बालाजी के पास व इन्द्रगढ़ में आर.एस.ई.बी. कार्यालय के पीछे व इन्द्रगढ़ में बालाजी की डूंगरी के आस-पास काफी मात्रा में अवैध खनन किया जा रहा है । विधान सभा क्षेत्र की तह. इन्द्रगढ में नि.ग्रा. बालाजी की डूंगरी में 23 खनन पट्टे, नि.ग्रा. मोहनपुरा में 2 खनन पट्टे खनिज मै.स्टोन के स्वीकृत हैं तथा नि.ग्रा. लाखेरी में खनिज लाइमस्टोन (बर्निंग) के 4, मुरजादपुरा में 1 एवं ग्राम सखावदा में 2 खनन पट्टे क्रमश: 1 लाइमस्टोन (बर्निंग) व 1 सैंडस्टोन के स्वीकृत होकर चालू हैं तथा इसी के लगते हुए क्षेत्र में वर्ष 2009-10 से अब तक 145 अल्पावधि अनुमति पत्र भी जारी किये गये हैं। उक्त क्षेत्रों में यदा-कदा अवैध खनन की शिकायतें आती रही हैं, जिनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाकर अवैध खनन बंद करवाया गया है । गत तीन वर्षों में की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है। भविष्य में भी समय-समय पर निरीक्षण कर तथा शिकायत प्राप्त होने पर विभागीय कर्मचारियों/अधिकारियों के स्तर पर एवं संयुक्त अभियान के जरिये अवैध खनन के विरुद्ध कार्यवाही की जाती रहेगी ।

परिशिष्ट-1

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, कोटा

जिला-बूंदी वर्ष 2009-10

क्र. सं.	पंचनामा दिनांक	अवैध खननकर्ता का नाम	खनिज	क्षेत्र निकट ग्राम	10 गुणा रायल्टी शास्ती	वसूली	विशेष विवरण
1	11-09-2009	अब्दुल अजीज/ अब्दुल रहमान	मै. स्टोन	बालाजी की डूंगरी तह. इन्द्रगढ़	9000	9000	शास्ति राशि वसूल की गई।
2	14-09-2009	रामराज/ धनपाल सैनी	मै. स्टोन	बालाजी की डूंगरी तह. इन्द्रगढ़	5600	5600	शास्ति राशि वसूल की गई।

क्र. सं.	पंचनामा दिनांक	अवैध खननकर्ता का नाम	खनिज	क्षेत्र निकट ग्राम	10 गुणा रायल्टी शास्ती	वसूली	विशेष विवरण
3	23-09-2009	सदभाव इंजीनियरिंग लि.	मै. स्टोन	रोटदा तह. के. पाटन	25000	25000	शास्ति राशि वसूल की गई।
4	21-01-2010	प्रहलाद/ हेमालाल गुर्जर	लाइम स्टोन बर्निंग	सखावदा	6000	6000	शास्ति राशि वसूल की गई।
				योग	**456000**	**45600**	
जिला बूंदी वर्ष 2010-11							
1	29/07/2010	रमेश/धारती लाल नि. अणछोरा तह. इन्द्रगढ़	मै. स्टोन	बाला जी की डूंगरी	15000	15000	शास्ति राशि वसूल की गई।
2	29/07/2010	महावीर/ श्रीराम माली नि. सुमेरगंज मण्डी	मै. स्टोन	बाला जी की डूंगरी	8000	8000	शास्ति राशि वसूल की गई।
3	25/03/2011	राम दयाल पुत्र राम निवास रेगर, सवाई माधोपुर गिरिराज पुत्र श्री सूरज मल माली नि. सवाई माधोपुर	मै. स्टोन	बालाजी की डूंगरी तह. इन्द्रगढ़ जिला बून्दी	11120	11120	शास्ति राशि वसूल की गई।
4	18/02/2011	सत्यनारायण /छितर लाल नि. नया गांव	मै. स्टोन	बालाजी की डूंगरी	31020	31020	शास्ति राशि वसूल की गई।
				योग	**65140**	**65140**	

क्र. सं.	पंचनामा दिनांक	अवैध खननकर्ता का नाम	खनिज	क्षेत्र निकट ग्राम	10 गुणा रायल्टी शास्ती	वसूली	विशेष विवरण
जिला बूंदी वर्ष 2011-12							
1	10-6-2011	कैलाश पुत्र प्रहलाद जाट प्रदीप पुत्र बद्रीलाल जाट	मै. स्टोन	बालाजी की डूंगरी	9896	9896	शास्ति राशि वसूल की गई।
2	10-6-2011	कालू पुत्र रामनाथ भील शंकर पुत्र हरकिशन भील रमेश पुत्र हरनाथ भील	मै. स्टोन	बालाजी की डूंगरी	19688	19688	शास्ति राशि वसूल की गई।
3	20-07-2011	अज्ञात	मै. स्टोन	बालाजी की डूंगरी	0	0	5 औजार जब्त किये
				योग	**29584**	**29584**	
जिला बूंदी वर्ष 2012-13							
1	18-05-2012	बबलू पुत्र श्री नेतराम मीणा	मै. स्टोन	बालाजी की डूंगरी तह. इन्द्रगढ़	31020	31020	शास्ति राशि वसूल की गई।
2	18-05-2012	रूपनारायण मीणा श्री गणेश राठौड़ महावीर सैनी	मै. स्टोन	बालाजी की डूंगरी तह. इन्द्रगढ़	0	0	एफ.आई.आर. दर्ज एवं एक गिरफ्तार किया।
3	3-6-2012	भरत पुत्र रामलाल	मै. स्टोन	सखावदा	31020	31020	शास्ति राशि वसूल की गई।
4	19-02-2013	श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री नारायण जाति माली	मै. स्टोन	लाखेरी इन्द्रगढ़ रोड	56700	56700	शास्ति राशि वसूल की गई।
				योग	**118740**	**118740**	
				महायोग	**259064**	**259064**	

खनि अभियन्ता कोटा

सिरोही-दिल्ली-हरिद्वार द्रुतगामी बस सेवा का पुनः संचालन

449. श्री ओटाराम देवासी (सिरोही) : क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सिरोही जिले में जनवरी, 2009 से जनवरी, 2013 तक राजस्थान से बाहर किन शहरों के लिए कब, किस श्रेणी की निगम द्रुतगामी बस सेवा शुरू हुई और वर्तमान में उनमें से कितनी चालू हैं एवं कितनी किस कारण से बन्द की गईं? डिपोवार, समयतालिका सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह भी सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा सिरोही डिपो से दिल्ली-हरिद्वार हेतु बस सेवा शुरू की गई थी? यदि हां, तो कब व उक्त बस का औसतन एक ट्रिप का कितना राजस्व था? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त सिरोही से दिल्ली-हरिद्वार को जाने वाली द्रुतगामी बस को बन्द कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? उक्त बस के बन्द होने की तिथि से एक माह पूर्व (अंतिम माह का) हुई राजस्व आय का ट्रिप वार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या सरकार जन हित में उक्त बस सेवा को पुन: बहाल करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) इस सम्बन्ध में वस्तुस्थिति दर्शाते हुए सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां । यह बस सेवा दिनांक 01.12.2005 से प्रारम्भ की गई थी जो पर्याप्त यात्रीभार नहीं मिलने के कारण दिनांक 06.02.2006 से बंद कर दी गई । इस बस सेवा को एक ट्रिप का औसतन रुपये 10067/- राजस्व प्राप्त हुआ था।

(3) जी हां । इस बस सेवा की आय कम आने के कारण बन्द कर दिया गया । इस बस सेवा को बन्द होने से एक माह पूर्व (माह जनवरी 2006) का ट्रिप-वार प्राप्त राजस्व का दिनांकवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(4) जी नहीं । परिशिष्ट-2 में वर्णित आय प्रति कि.मी. एवं यात्रीभार को मध्यनजर रखते हुए उक्त सेवा को पुन: बहाल करने का वर्तमान में विचार नहीं है।

परिशिष्ट-1

सिरोही जिले में माह जनवरी, 2009 से जनवरी, 2013 तक राजस्थान से बाहर के शहरों के लिए आगारवार एवं श्रेणीवार संचालित की गई/बन्द की गईं बस सेवाओं की सूची

आगार	क्र.सं.	मार्ग का नाम	समय	श्रेणी	संचालन तिथि	बन्द करने की तिथि	बन्द करने का कारण	वर्तमान में संचालित है या नहीं	आय प्रति किमी (रुपयों में)	लागत प्रति किमी (रुपयों में)	अन्तर हानि प्रति किमी (रुपयों में)	यात्री भार (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
सिरोही	1.	सिरोही-सूरत वाया आबूरोड	1800	नान ए.सी. रोगी डीलक्स (स्लीपर) द्रुतगामी (ब्ल्यू लाइन)	जून, 2012 08.02.13	-	-	संचालित	-	-	-	-
डीलक्स	2.	जयपुर-माउन्ट आबू वाया अजमेर, पाली, सिरोही, आबूरोड	2000	पूर्व में डीलक्स ए सी वर्तमान में वोल्वो	वर्ष 2012	-	-	संचालित	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	3.	जोधपुर-अहमदाबाद वाया पाली, आबूरोड	2200	वोल्वो	वर्ष 2012	-	-	संचालित	-	-	-	-
	4.	आबूरोड-देहली वाया उदयपुर	1230	वोल्वो	वर्ष 2012	-	-	संचालित	-	-	-	-
जोधपुर	5.	जोधपुर-अहमदाबाद	0845 0945 1300	स्टार लाइन	10.05.10 01.05.11 01.04.12	-	-	संचालित	-	-	-	-
	6.	जोधपुर-सूरत	1445	स्टार लाइन	01.04.12	-	-	संचालित	-	-	-	-
डूंगरपुर	7.	डूंगरपुर-बाड़मेर वाया रतनपुर, अम्बाजी, श्यामलाजी	0800	एक्सप्रेस	2011	-	-	संचालित	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ब्यावर	8.	अजमेर-अहमदाबाद वाया सिरोही, आबूरोड, पालनपुर	1530	नान ए.सी. स्लीपर	03.11.12	-	-	संचालित	-	-	-	-
आबूरोड	9.	भीनमाल-मुम्बई वाया अम्बाजी, गोधरा, कपड़गंज	1300	एक्सप्रेस	मार्च, 2009	सित., 2009	आय कम आने	नहीं	8.93	19.37	-10.44	33
	10.	आबूरोड-शखेश्वर वाया मण्डार, डीसा, पाटन	0800	एक्सप्रेस	अप्रैल, 2010	अप्रैल, 2011	आय कम आने	नहीं	12.45	22.68	-10.23	52
	11.	रेवदर-बोरीवली वाया पालनपुर, सूरत	1300	एक्सप्रेस	मई, 2011	फरवरी, 2012	आय कम आने	नहीं	10.75	24.24	-13.49	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	12.	आबूरोड-आगरा वाया जयपुर, भरतपुर (एकान्तर सेवा)	1400	एक्सप्रेस	अप्रैल, 2011	अक्टूबर, 2012	आय कम आने	नहीं	16.36	26.18	-9.82	55
	13.	आबूरोड-देहली वाया जयपुर	1500	एक्सप्रेस	अप्रैल, 2011	अक्टूबर, 2012	आय कम आने	नहीं	16.84	26.18	-9.34	55

परिशिष्ट-2

सिरोही-हरिद्वार एवं हरिद्वार-सिरोही बस सेवा को बन्द होने से एक माह पूर्व का ट्रिप वाइज प्राप्त राजस्व का विवरण

क्र.सं.	दिनांक	सिरोही-हरिद्वार अर्जित आय (रुपयों में)	हरिद्वार-सिरोही अर्जित आय (रुपयों में)	योग (रुपयों में)	आय प्रति किमी. (रुपयों में)	यात्रीभार (प्रतिशत में)
1.	01.01.06	14186	8753	22939	12.59	57
2.	02.01.06	6023	6529	12552	8.93	40
3.	03.01.06	8912	8682	17594	9.66	43
4.	04.01.06	15571	9648	25219	13.84	62
5.	04.01.06	6645	6013	12658	6.94	31
6.	06.01.06	11603	7637	19240	10.56	48
7.	07.01.06	13019	9843	22862	12.55	56
8.	08.01.06	10372	6816	17188	9.43	42
9.	09.01.06	9633	7918	17551	9.63	43
10.	10.01.06	13829	5786	19615	10.77	48
11.	11.01.06	13368	10855	24223	13.29	59
12.	12.01.06	13533	7194	20727	11.38	51
13.	13.01.06	6664	8017	14681	8.06	36
14.	14.01.06	10890	11474	22364	12.47	58
15.	15.01.06	दुर्घटना के कारण निरस्त रही।				
16.	16.01.06	7501	8187	15688	8.61	38
17.	17.01.06	9310	6267	15577	8.55	38
18.	18.01.06	7767	11407	19174	10.52	47
19.	19.01.06	7958	5910	13868	7.61	34
20.	20.01.06	11384	8106	19490	10.69	48
21.	21.01.06	6665	8194	14859	8.16	37
22.	22.01.06	9837	7516	17353	9.52	43
23.	23.01.06	8959	7585	16544	9.08	41
24.	24.01.06	7117	3689	10806	5.43	27
25.	25.01.06	8076	8674	16750	9.19	41
26.	26.01.06	11567	8263	19830	10.88	49
27.	27.01.06	12430	8468	20898	11.46	52
28.	28.01.06	7562	5133	12695	6.96	31
29.	29.01.06	11893	11587	23480	12.89	58
30.	30.01.06	13662	12119	25781	14.14	64
31.	31.01.06	10321	7434	17755	9.74	44
	औसत	10209	8123	18332	10.15	44

अकुशल/अर्द्धकुशल/कुशल श्रमिकों के मानदेय में वृद्धि

450. श्री रामलाल गुर्जर (आसींद) : क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सरकार द्वारा प्रदेश में श्रमिकों, अर्द्धश्रमिकों, कुशल श्रमिकों को कितना मानदेय दिया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त श्रमिकों का मानदेय बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) प्रदेश में बाल श्रमिकों एवं बंधुआ मजदूरों के संरक्षण हेतु सरकार द्वारा गत चार वर्षों में क्या-क्या प्रयास किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सरकार द्वारा प्रदेश में अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों के लिए क्रमश: रुपये 147/-, 157/-, 167/- एवं 217/- प्रति दिन की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की हुई है।

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा 3 दिसम्बर, 2012 को न्यूनतम मजदूरी की दरों में अभिवृद्धि की मंशा की अधिसूचना जारी की जा चुकी है जिसमें अकुशल, अर्द्धकुशल, कुशल एवं उच्च कुशल श्रमिकों के लिए क्रमश: रुपये 166/-, 176/, 186/- एवं 236/- प्रतिदिन की मजदूरी प्रस्तावित की गई है।

(3) जोखिमपूर्ण व्यवसायों/प्रक्रियाओं से मुक्त कराये गये बाल श्रमिकों को राज्य के 27 जिलों क्रमश: अजमेर, अलवर, बीकानेर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, चूरू, धौलपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जालौर, झालावाड़, झुन्झुनूं, जोधपुर, कोटा, नागौर, पाली, सीकर, श्रीगंगानगर, डूंगरपुर, उदयपुर एवं टौंक में स्वीकृत राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना संस्थाओं के बाल श्रमिक विशेष विद्यालयों के माध्यम से नि:शुल्क कक्षा 5 तक की शिक्षा, अल्पाहार, व्यावसायिक प्रशिक्षण, छात्रवृत्ति, चिकित्सा सुविधा, इत्यादि प्रदान की जाती है।

विभाग द्वारा बाल श्रम अधिनियम 1986 के तहत प्रवर्तन कार्य किया जाता है तथा दोषी नियोजकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

मुक्त कराये गये बंधक श्रमिकों के पुनर्वास हेतु तथा प्रदेश में बंधक श्रम प्रथा उन्मूलन के क्रम में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 7.12.2004 को एक्शन प्लान बनाकर समस्त जिला कलक्टरों को प्रेषित किया गया। प्रदेश के समस्त जिलों में जिला कलक्टर की अध्यक्षता में सतर्कता समितियां गठित

(श्रम एवं रोजगार मंत्री)

हैं। समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जाता है।

निर्धन परिवारों के आधार कार्ड बनवाने हेतु प्रोत्साहन राशि

451. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार की आधार कार्ड बनवाने के लिये प्रोत्साहन हेतु चयनित निर्धन परिवारों को प्रोत्साहन राशि देने की कोई योजना है?

(2) प्रदेश में आधार कार्ड बनवाने वाले कितने चयनित निर्धन परिवारों को कितनी-कितना प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया गया है व कितने लोगों को तथा कितने आधार कार्ड बनवाने वाले चयनित परिवारों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाना शेष है एवं क्यों?

उत्तर

(1) हां। आधार नामांकन करवाने के लिए प्रोत्साहन हेतु प्रत्येक बी.पी.एल. के सफल नामांकन पर सौ रुपये की प्रोत्साहन राशि का भुगतान किये जाने का प्रावधान है।

(2) बी.पी.एल. नागरिकों के सफल नामांकन सम्बन्धित प्रोत्साहन राशि रुपये 100 प्रति आधार संख्या वितरण किया जाना है, जो अभी तक नहीं हो पाया है क्योंकि इस सम्बन्ध में यू आई डी ए आई द्वारा विस्तृत एवं स्पष्ट दिशा-निर्देश अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं। गैर राज्य पंजीयकों द्वारा बी.पी.एल. नामांकन की जानकारी राज्य पंजीयकों को उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। यू आई डी ए आई द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश प्राप्त होते ही बी.पी.एल. को प्रोत्साहन राशि वितरण का कार्य मिशन मोड में शुरू किया जाएगा।

उक्त समस्या के सम्बन्ध में यू आई डी ए आई से पत्र क्रमांक प.5 (611)डीओआईटी/टैक/12/एमएल-841 दिनांक 4.08.2012 (संलग्न अनुलग्नक -1), पत्र क्रमांक प.5(611)डीओआईटी/टैक/12/76 दिनांक 03.01.2013 (संलग्न अनुलग्नक-2), पत्र क्रमांक प.5(443)डीओआईटी/टैक/4830 दिनांक 15.12.2011 (संलग्न अनुलग्नक-3) एवं पत्र क्रमांक प.5(611)डीओआईटी/टैक/12/76 दिनांक 03.01.2013 (संलग्न अनुलग्नक-4) द्वारा मार्गदर्शन मांगा गया है।

(प्रतियां पुस्तकाय में रखी गयीं)

बसेड़ी की पार्वती नदी की भूमि पर अतिक्रमण

452. श्री सुखराम (बसेड़ी) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बसेड़ी विधान सभा क्षेत्र में बहने वाली पार्वती नदी का वन क्षेत्र कितना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त नदी के वन क्षेत्र में कितने अतिक्रमणकारियों ने कितनी भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बसेड़ी विधान सभा क्षेत्र में बहने वाली पार्वती नदी के कैचमेंट एरिया में निम्नांकित वन खण्डों का 17339.1 हैक्टेयर रक्षित वन क्षेत्र आता है :-

नाम वनखण्ड	क्षेत्र हैक्टेयर में
रमदा-ए	1938.80
रमदा-बी	183.59
धौर्य	1068.16
बथुआ खो-अ	126.42
बथुआ खो-ब	1301.42
खुर्दिया-अ	2527.87
खुर्दिया-ब	295.52
रीझोनी	9647.32
मदनपुर के बीट गुडा-बटीकरा में	250.00
योग	17339.1 हैक्टेयर

(2) बसेड़ी विधान सभा क्षेत्र में स्थित पार्वती नदी के बहाव क्षेत्र में वन भूमि पर रेंन्ज बाड़ी के वन खण्ड रमदा-बी के ग्राम बांसरई में 42 लोगों द्वारा 57.75 हैक्टेयर वनभूमि पर अतिक्रमण कर रखा है, जिसकी सूची परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

अफोर्डेबल हाउस के पुनः बेचान पर रोक

453. श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा (नागौर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री हबीबुर्रहमान अशरफी लाम्बा)

(1) अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के तहत गत 4 वर्षों में कितने-कितने मकान कहां-कहां बनाने का प्रस्ताव था व कितने-कितने मकान कहां-कहां बनाकर उपलब्ध कराये गये तथा कितने मकान आबंटन से शेष हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त योजना का वास्तविक लाभ सम्बन्धित को देने हेतु आबंटित मकानों के पुन: बेचान पर पाबन्दी लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त योजना या अन्य किसी योजना में राज्य कर्मचारियों हेतु आवास आरक्षित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के तहत गत 4 वर्षों में विभिन्न स्थानों पर 3,10,343 मकान बनाने के प्रस्ताव थे, जिनमें से 79,741 मकान/फ्लैट उपलब्ध कराये गये; 14,400 भूखण्ड आबंटित कर उपलब्ध कराये गये एवं 16,145 फ्लैट/भूखण्ड निजी विकासकर्ताओं की भूमि पर स्वीकृत किये गये तथा 36,981 मकान आबंटन से शेष हैं। विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी हां। स्थानीय निकायों में प्रभावी राजस्थान नगरपालिका (शहरी भूमि निस्तारण) नियम 1974, राजस्थान नगर सुधार न्यास (भूमि निस्तारण) नियम 1974 एवं राजस्थान आवासन मण्डल सम्पत्ति निस्तारण विनियम 1970 के प्रावधान इस योजना के अन्तर्गत उपलब्ध करवाये गये आवासों पर भी लागू हैं।

(3) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 23.01.2013 से राज्य कर्मचारियों को रियायती दरों पर आवासों की उपलब्धता बाबत आवास नीति जारी की गई है। उक्त नीति के अन्तर्गत राज्य कर्मचारियों की ग्रुप हाउस बिल्डिंग सोसायटी के माध्यम से राज्य कर्मचारियों को Flats/Group Housing में आवास देने का प्रावधान किया गया है। नीति के बिन्दु संख्या-7 पर राजस्थान अफोर्डेबल हाउस पालिसी के अन्तर्गत निर्मित होने वाले 20 प्रतिशत आवास राज्य कर्मचारियों, जिनकी ग्रेड-पे 1,900/- मासिक तक हो, को आबंटित करने का प्रावधान किया गया है।

परिशिष्ट 'अ'

क्र.सं.	विभाग	मकान/प्लैट/भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने के प्रस्ताव/लक्ष्य	उपलब्ध कराये गये मकान/फ्लैट	भूखण्ड आबंटन	निजी विकासकताओं की भूमि पर भूखण्ड/फ्लैट्स की स्वीकृति	कुल उपलब्ध कराये गये/स्वीकृत किये गये मकान/फ्लैट/भूखण्ड	आबंटन से शेष (जिनकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गयी है)
1.	राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर (विभिन्न शहरों में)	35783	20869	-	-	20869	7278
2.	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	44500	5776	6385	6866	19027	-
3.	नगर विकास न्यास, कोटा	15287	5880	3395	233	9508	1580
4.	जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर	12476	1352	3083	6746	11181	-
5.	नगर विकास न्यास, भिवाड़ी	9534	1800	-	947	2747	1000
6.	नगर विकास न्यास, अजमेर	10500	536	-	77	613	520
7.	नगर विकास न्यास, अलवर	9177	1473	-	194	1667	410
8.	नगर विकास न्यास, भीलवाड़ा	4380	2021	597	-	2618	320
9.	नगर विकास न्यास, उदयपुर	7782	809	-	523	1332	500

क्र.सं.	विभाग	मकान/प्लैट/भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने के प्रस्ताव/लक्ष्य	उपलब्ध कराये गये मकान/फ्लैट	भूखण्ड आबंटन	निजी विकासकताओं की भूमि पर भूखण्ड/फ्लैट्स की स्वीकृति	कुल उपलब्ध कराये गये/स्वीकृत किये गये मकान/फ्लैट/भूखण्ड	आबंटन से शेष (जिनकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गयी है)
10.	नगर विकास न्यास, भरतपुर	1873	120	44	137	301	72
11.	नगर विकास न्यास, बीकानेर	11650	700	344	117	1161	-
12.	नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर	1228	21	-	207	228	24
13.	नगर विकास न्यास, आबू	-	-	-	98	98	-
14.	रूडिफ्को (विभिन्न शहरों में)	-	32936	-	-	32936	25277
15.	निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग (विभिन्न नगरीय निकायों में)	146173	5448	552	-	6000	-
	योग	**310343**	**79741**	**14400**	**16145**	**110286**	**36981**

जयपुर मैटल्स के पुनः संचालन हेतु कार्य योजना

454. श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर मेटल्स को चलाने हेतु वर्ष 2003 से 2008 के दौरान एम.ओ.यू. किया गया था? यदि हां, तो वर्तमान में सरकार द्वारा इसको चालू करने के लिए क्या-क्या प्राथमिकताएं अपनाई गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जयपुर मेटल्स फैक्ट्री को चलाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या जयपुर मेटल्स के मृतक श्रमिकों के परिवारजन को सरकार द्वारा कोई मुआवजा दिया गया है? यदि हां, तो कितना व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर मेटल्स के रिवाइवल व सरकार द्वारा धारित अंशपूंजी के हस्तान्तरण हेतु राज्य सरकार व जीनस पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. के मध्य एम.ओ.यू. दिनांक 07.11.2008 को निष्पादित किया गया था। एम ओ यू में वर्णित प्रावधान अनुसार जीनस पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. को एम.ओ.यू. निष्पादन की तिथि से 18 माह के भीतर रिवाइवल प्लान का अनुमोदन माननीय उच्च न्यायालय से करवाना था। रिवाइवल प्लान का अनुमोदन माननीय न्यायालय से अब तक नहीं हुआ है।

(2) कैबिनेट निर्णय दिनांक 25.04.2007 के अनुसार जयपुर मेटल्स का रिवाइवल निजी क्षेत्र की भागीदारी से किया जाना है।

(3) जी नहीं। जयपुर मेटल्स एक पब्लिक लिमिटेड कम्पनी है, जिसकी अंशपूंजी में राज्य सरकार का हिस्सा मात्र 20.23 प्रतिशत है। 59.49 प्रतिशत हिस्सा जे एम ई एम्पलाइज कोआपरेटिव सोसायटी के पास व शेष वित्तीय संस्थानों के पास है। कम्पनी के बकाया, देयताओं व मुआवजे, आदि का निर्धारण कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत एवं माननीय न्यायालय के आदेश के अधीन है।

प्रदेश में अध्यापकों को केन्द्रीय अध्यापकों के समान वेतनमान का लाभ

455. श्री रोहिताश कुमार (बानसूर) व **श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री रोहिताश कुमार)

(1) क्या सरकार ने तृतीय श्रेणी शिक्षक, द्वितीय श्रेणी शिक्षक व प्राध्यापकों को केन्द्र के समान वेतनमान देने की घोषणा की थी? यदि हां, तो घोषणानुसार वेतनमान कब तक दिया जायेगा?

(2) राज्य सेवा में कार्यरत तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी शिक्षक व प्राध्यापकों के वेतनमान (पे बैंड) केन्द्र में कार्यरत इन्हीं श्रेणियों के अध्यापकों से कितने कम या अधिक हैं? तालिका सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) केन्द्र में एवं राज्य में कार्यरत तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी शिक्षक व प्राध्यापकों के वेतनमान पे बैंड का विवरण निम्नानुसार है -

शिक्षक	**राज्य सरकार (RPB+GP)**	**केन्द्र सरकार (RPB+GP)**	**अन्तर (ग्रेड-पे)**
तृतीय श्रेणी	प्रारम्भिक वेतनमान 5200-20200 GP 2800	प्रारम्भिक वेतनमान 9300-34800 GP 4200	1400
द्वितीय श्रेणी	प्रारम्भिक वेतनमान 9300-34800 GP 3600	प्रारम्भिक वेतनमान 9300-34800 GP 4600	1000
प्राध्यापक	प्रारम्भिक वेतनमान 9300-34800 GP 4200	प्रारम्भिक वेतनमान 9300-34800 GP 4800	600

परिवहन निगम की बसों/वाहनों का बीमा प्रकरण

456. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या परिवहन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने वर्ष 2011-12 में अपनी बसों का बीमा कराने का कार्य दलाल के जरिये करवाया? यदि हां, तो किस नियम के तहत एवं उक्त कार्य पेटे कितनी राशि का भुगतान किस अभिकर्ता को कब किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि किसी भी सरकारी सौदे में कमीशन/दलाली

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

दिये जाने का कोई प्रावधान किसी नियम/कानून में नहीं है? यदि हां, तो पथ परिवहन निगम द्वारा ऐसा गैर-जिम्मेदारीपूर्ण कार्य करने के लिए कौन अधिकारी दोषी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। डीलक्स आगार की 15 वोल्वो एवं 10 मर्सडीज बसों का वर्ष 2011-12 के दौरान बसों का बीमा कराने हेतु डीलक्स आगार के प्रबन्धन द्वारा एजेण्ट हेतु मेन्डेट जारी किया गया था, किन्तु निगम स्तर से किसी प्रकार की दलाली/कमीशन का भुगतान नहीं किया गया।

(2) जी हां। निगम द्वारा किसी प्रकार का कोई कमीशन/दलाली के भुगतान का प्रावधान नहीं था। अनियमितता के लिए सम्बन्धित जोनल मैनेजर को सेवा विनियमों के अन्तर्गत अनुशासनिक नोटिस जारी किया जा चुका है।

(3) अनियमितताओं हेतु जारी नोटिस का उत्तर प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

विभिन्न खेल अकादमियों की स्थापना हेतु कार्य योजना

457. श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) : क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में एन.आई.एस. पटियाला की तर्ज पर राष्ट्रीय स्तर के स्पोर्टस स्कूल स्थापित करने की घोषणा की थी? यदि हां, तो कितने स्कूल कहां-कहां स्थापित किये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ने झुंझुनूं में खेल विश्वविद्यालय खोलने का नीतिगत निर्णय लिया था? यदि हां, तो निर्णय कब लिया गया तथा निर्णय की पालना में क्या-क्या कार्यवाही अब तक हुई?

(3) क्या सरकार ने उदयपुर में जनजाति खेल अकादमी, जैसलमेर में बास्केटबाल अकादमी, करौली में कबड्डी अकादमी तथा कोटा में नौकायन

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अकादमी बनाने की बजट में घोषणा की थी? यदि हां, तो कितनी अकादमियां अब तक स्थापित हो चुकी हैं तथा इन पर कितना-कितना व्यय हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। चुनाव घोषणा-पत्र के इस संकल्प के अनुसरण में बजट घोषणा वर्ष 2011-12 में माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा झुंझुनूं में पी.पी.पी. मोड पर खेल विश्वविद्यालय बनाये जाने की घोषणा की गई थी, जो कि अब राज्य सरकार द्वारा स्थापित की जायेगी। झुंझुनूं में खेल विश्वविद्यालय की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) जी हां। झुंझुनूं में पी.पी.पी. मोड पर विश्वविद्यालय की स्थापना की जानी थी, जो कि अब राज्य सरकार द्वारा स्थापित की जायेगी। झुंझुनूं में खेल विश्वविद्यालय की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) जी हां। उदयपुर में खेल अकादमी स्थापित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

जैसलमेर में बास्केटबाल अकादमी की स्थापना हेतु रुपये 50.00 लाख की स्वीकृति जारी कर आहरण एवं वितरण के अधिकार सार्वजनिक निर्माण विभाग को दिये जा चुके हैं। कार्य प्रक्रियाधीन है।

करौली में कबड्डी अकादमी की स्थापना हेतु रुपये 25.00 लाख की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। निर्माण कार्य राजस्थान आवास विकास एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा प्रक्रियाधीन है।

कोटा नौकायन अकादमी की स्थापना हेतु रुपये 50.00 लाख की स्वीकृति जारी कर आहरण एवं वितरण के अधिकार सार्वजनिक निर्माण विभाग को दिये जा चुके हैं। कार्य प्रक्रियाधीन है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सरकार द्वारा कर्मचारियों की वेतन विसंगतियां दूर करने हेतु गठित कमेटी

539. श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार कर्मचारियों की छठे वेतन आयोग एवं अन्य ग्रेड पे विसंगतियों को दूर करने का विचार रखती है?

(2) क्या सरकार द्वारा उक्त कर्मचारियों की वेतन विसंगति दूर करने हेतु कोई कमेटी गठित की गई थी? यदि हां, तो उसका कार्यकाल कब पूर्ण हो रहा है एवं उसके द्वारा कौन से सुझाव दिये गये हैं? समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए, उक्त समिति द्वारा लिये गये निर्णयों को लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) इस सम्बन्ध में श्रीमती कृष्णा भटनागर, सेवानिवृत्त आई. ए. एस. की अध्यक्षता में गठित वेतन उच्चीकरण एवं विसंगति निवारण समिति की रिपोर्ट को लागू करने तथा दिनांक 01.01.2006 से वेतन स्थिरीकरण की घोषणा बजट भाषण वर्ष 2013-14 में सदन में दिनांक 06.03.2013 को की गई हैं।

(2) जी हां। श्रीमती कृष्णा भटनागर, सेवानिवृत्त आई. ए. एस. की अध्यक्षता में वेतन उच्चीकरण एवं विसंगति निवारण समिति का गठन आदेश दिनांक 19.09.2008 के द्वारा किया गया था। समिति का कार्यकाल दिनांक 13 अप्रैल, 2010 को पूरा हो चुका है। समिति द्वारा दिये गये सुझावों पर अभी अनुमोदन प्रक्रियाधीन है।

(3) जी हां। इस सम्बन्ध में बजट भाषण 2013-14 में की गई घोषणा के अनुसार क्रियान्विति की कार्यवाही की जा रही है।

जमवारामगढ़ के ग्रामों की जमीनों की रजिस्ट्री पर रोक

540. श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री गोपाल मीणा)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में स्थित कई गांवों की जमीन की रजिस्ट्रियों पर रोक लगाई गई है? यदि हां, तो क्यों तथा कौन-कौन से गांवों की जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगाई गई है? ग्रामों के नामों की सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र के उक्त गांवों में रजिस्ट्री पर रोक लगाने के क्या कारण हैं? इस सम्बन्ध में जारी आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त गांवों में रजिस्ट्री पर रोक लगाने से जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? यदि हां, तो उक्त ग्रामीणों की समस्याओं को दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या सरकार उक्त गांवों में रजिस्ट्री पर लगी रोक को तुरन्त प्रभाव से हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र तहसील जमवारामगढ़ में Wild Life (Protection) Act, 1972 की धारा-20 में धारा-18 के तहत वन्य जीव अभयारण्य के लिए अधिसूचित क्षेत्र के 33 गांवों में पूर्ण रूप से एवं 50 गांवों में आंशिक रूप से विक्रय पत्र व गिफ्ट डीड के माध्यम से भूमि के विक्रय एवं हस्तांतरण पर रोक लगाई गई है। जिन गांवों की भूमि पर रोक लगाई गई है, उनकी सूची परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) जमवारामगढ़ क्षेत्र के उक्त गांवों में वन्य जीव अभयारण्य का अधिसूचित क्षेत्र होने के कारण विक्रय पत्र एवं गिफ्ट डीड पंजीबद्ध नहीं किये जा सकते हैं। इस सम्बन्ध में वन विभाग का पत्र दिनांक 12-7-2011 तथा पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग का पत्र दिनांक 09-9-2011 क्रमशः परिशिष्ट 'ब' व 'स' पर संलग्न हैं।

(3) उक्त क्षेत्र वन्य जीव अभयारण्य के अधिसूचित क्षेत्र में होने के कारण विक्रय पत्र व गिफ्ट डीड के माध्यम से भूमि के विक्रय एवं हस्तांतरण की अनुमति दिया जाना सम्भव नहीं है।

(4) कानूनी बाध्यता-वश विक्रय पत्र व गिफ्ट डीड के माध्यम से भूमि के विक्रय एवं हस्तांतरण पर लगी रोक हटाना सम्भव नहीं है।

(सूची व प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

धोद के ग्रामों के आधार कार्डों में हो रही त्रुटियों के दुरुस्तीकरण हेतु कार्य योजना

541. श्री पेमाराम (धोद) : क्या सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला सीकर में आधार कार्ड बनाने का ठेका किस-किस पंचायत समिति में किस-किस ठेकेदार को किस-किस दर पर दिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या पंचायत समिति धोद के ग्राम लाडवा का वाया धोद है और आधार कार्ड में गलती से वाया सिहोट बड़ी अंकित हो रहा है? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी हैं व उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त गांव के आधार कार्ड एक बार गलत व दूसरी बार सही बनाकर ठेकेदार द्वारा दोहरा भुगतान उठाने का प्रयास किया जा रहा है? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी है?

(4) उक्त गांव लाडवा के वाया सिहोट बड़ी के स्थान पर धोद किस तिथि तक दुरस्त कर ग्रामीणों को सही आधार कार्ड उपलब्ध करवा दिये जाएंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सीकर जिले में आधार नामांकन का ठेका 'डेटा साफ्ट कम्प्यूटर सर्विसेज प्रा. लि., दिल्ली' को दिया गया है तथा प्रति आधार कार्ड की दर रुपये 27.98 है। इसके अतिरिक्त, नान स्टेट रजिस्ट्रार जैसे विभिन्न बैंक व डाक विभाग द्वारा भी आधार नामांकन हेतु ठेका दिया गया है।

(2) ग्राम पंचायत धोद के गांव लाडवा का वाया धोद के आधार कार्डों में गलत स्पेलिंग का 'डेटा साफ्ट कम्प्यूटर सर्विसेज प्रा. लि., दिल्ली' के प्रतिनिधि ने यू.आई.डी.ए.आई. को संशोधन करने हेतु प्रेषित किया है। ग्राम का नाम यू आई डी ए आई द्वारा विकसित साफ्टवेयर में पहले से ही दर्ज होता है। अत: इसके लिए कोई व्यक्ति विशेष जिम्मेदार नहीं है।

(3) 'डेटा साफ्ट कम्प्यूटर सर्विसेज प्रा. लि., दिल्ली' के द्वारा संशोधन करने का कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाता है और ना ही कार्यालय से दो बार नामांकन का भुगतान किया जाता है।

(सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री)

(4) यू.आई.डी.ए.आई. द्वारा मास्टर डाटा में संशोधन किया जाता है, जो शीघ्र करवाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके पश्चात् संशोधित नाम से नामांकन कार्य हो सकेगा।

मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक हेतु कार्य योजना

542. श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विगत चार वर्षों में प्रदेश में किस-किस प्रकार के मादक पदार्थों की तस्करी के प्रकरण कहां-कहां दर्ज किये गये? उक्त प्रकरणों में किस-किसको गिरफ्तार किया गया व कितनी मात्रा में मादक पदार्थों की बरामदगी की गई? वर्षवार, थानावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त दर्ज प्रकरणों में से कितनों को सजा हुई एवं कितने बरी हो गये तथा कितने प्रकरणों का चालान पेश करना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए क्या प्रयास कर रही है?

उत्तर

(1) विगत चार वर्षों में आबकारी विभाग द्वारा शराब, अफीम, डोडा पोस्त, गांजा, चरस व भांग की तस्करी के दर्ज प्रकरणों का वर्ष, थाना, बरामद की गई मादक पदार्थों की मात्रा का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है जिसमें शराब की तस्करी की सूचना में राज्य के बाहर से आने वाली तथा राज्य के अन्दर होने वाली तस्करी की सूचना सम्मिलित है।

पुलिस विभाग द्वारा नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक सब्स्टेन्सेज एक्ट, 1985 के तहत आने वाले मादक पदार्थों (जिसमें शराब सम्मिलित नहीं है) की तस्करी के दर्ज प्रकरणों की सूचना परिशिष्ट-'ब' पर उपलब्ध है।

(2) उक्त दर्ज प्रकरणों में से जिन व्यक्तियों को सजा हुई एवं बरी हुए हैं तथा जिन प्रकरणों में चालान पेश करना है, उनका विवरण परिशिष्ट 'अ' एवं 'ब' पर उपलब्ध है।

(3) मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए सरकार द्वारा निम्न प्रयास किये जा रहे हैं:-

(आबकारी मंत्री)

1. अतिरिक्त आबकारी आयुक्त को क्षेत्राधिकार जिलों में आबकारी निरोधक दल की निरोधात्मक गतिविधियों हेतु नियंत्रक अधिकारी बनाया गया है। साथ ही, इन्हें विशेष अभियानों के आयोजन के भी निर्देश हैं।
2. आबकारी थानों के लिये भवन उपलब्ध करवाने हेतु इनके निर्माण की स्वीकृतियां जारी करते हुए कार्य प्रारम्भ कराये गये हैं तथा आबकारी निरोधक दलों को राजकीय/अनुबन्ध पर वाहन उपलब्ध करवाये गये हैं।
3. आबकारी निरोधक दल में 1,739 सिपाही, 216 जमादार, 2 वाहन चालकों की रिक्त पदों पर नियुक्तियां की गई हैं तथा सिपाही व जमादार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है।
4. आबकारी निरोधक दल के धावों व विशेष अभियानों के साथ-साथ पुलिस विभाग के समन्वय से संयुक्त अभियान भी चलाये जाते हैं।
5. मादक पदार्थों के अवैध उत्पादन व बिक्री की रोकथाम हेतु विशेष मुखबिर प्रोत्साहन योजना वर्ष 2009 से लागू की गई है।
6. मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए सूचना पर धरपकड़ की कार्यवाही की जाती है। सूत्र स्थापित कर मादक पदार्थों की सूचना प्राप्त की जाती है। प्रभावी नाकाबंदी, गश्त व वाहन चैकिंग की जाती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

भोपालगढ़ के ग्रामीण क्षेत्र में स्वीकृत बीयर बार

543. श्रीमती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में बीयर बार खोलने के क्या मानदण्ड हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ में कहां-कहां बीयर बार स्वीकृत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्र में बीयर बार खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रदेश में बीयर बार नाम से बार आबंटन के नियम एवं मानदंड निर्धारित नहीं हैं लेकिन राजस्थान आबकारी (रेस्टोरेण्ट बार अनुज्ञप्तियों के प्रदाय) नियम, 2004 के अन्तर्गत रेस्टोरेण्ट बार अनुज्ञापत्र जारी किये जाते हैं। राजस्थान आबकारी (रेस्टोरेण्ट बार अनुज्ञप्तियों के प्रदाय) नियम, 2004 की प्रति परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है। वर्तमान में रेस्टोरेण्ट बार अनुज्ञापत्र प्राप्त करने हेतु निर्धारित मानदण्डों एवं दिशा-निर्देशों का विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(2) राजस्थान आबकारी (रेस्टोरेण्ट बार अनुज्ञप्तियों के प्रदाय) नियम, 2004 के अन्तर्गत रिटेल आन बीयर विक्रय के लिये भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र में कोई रेस्टोरेण्ट बार स्वीकृत नहीं है ।

(3) राज्य सरकार द्वारा बीयर बार/रेस्टोरेण्ट बार नहीं खोले जाते हैं अपितु किसी योग्य आवेदक द्वारा राजस्थान आबकारी (रेस्टोरेण्ट बार अनुज्ञप्तियों के प्रदाय) नियम, 2004 के अन्तर्गत नियमानुसार आवेदन प्रस्तुत किये जाने पर रेस्टोरेण्ट बार अनुज्ञापत्र निर्धारित मानदण्डों एवं दिशा-निर्देशों की पूर्ति किये जाने पर स्वीकृत किया जा सकता है ।

(प्रति व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

सीकर जिले के औद्योगिक विकास हेतु कार्य योजना

544. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला सीकर में कुल कितनी औद्योगिक इकाइयां स्थायी पंजीकृत हैं एवं उनमें से कितनी इकाइयां वर्तमान में चालू हैं? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला सीकर में सरकार द्वारा घोषित रुग्ण इकाइयां कौन-कौनसी हैं? विधान सभा क्षेत्रवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जिला सीकर में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने हेतु कोई ठोस नीति लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से तथा क्या एवं नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला सीकर में अब तक कुल 9,077 इकाइयां पंजीकृत हैं, जिनकी विधान सभा क्षेत्रवार सूचना निम्नानुसार है :-

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

क्रमांक	विधान सभा क्षेत्र	पंजीकृत इकाइयों की संख्या
1.	सीकर	2,461
2.	लक्ष्मणगढ़	816
3.	फतेहपुर	760
4.	खण्डेला	614
5.	नीमकाथाना	974
6.	श्री माधोपुर	1,297
7.	दांतारामगढ़	1,698
8.	धोद	457

उद्यमी अपनी इच्छा से इकाई का पंजीयन कराते हैं एवं राजकीय निर्देशानुसार पंजीयन बिना निरीक्षण के किया जाता है। बंद इकाइयों की सूचना संकलित नहीं की जाती ।

(2) जिला सीकर में उद्योग विभाग द्वारा पिछले 5 वर्षों में किसी भी औद्योगिक इकाई का रुग्णता की श्रेणी में चिन्हीकरण नहीं किया गया है ।

(3) राज्य सरकार सम्पूर्ण राज्य (जिसमें सीकर जिला स्वत: ही शामिल है) में औद्योगिक वातावरण को बढ़ावा देने हेतु नीति एवं योजनाएं बनाती है। जिला सीकर के लिए पृथक से कोई योजना नहीं बनाई गई है। राज्य में औद्योगिक निवेश एवं अन्य निवेश आकर्षित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा नई राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, 2010 जारी की गई है। राज्य में व्यवसाय व उद्यम की स्थापना को बाधारहित बनाने तथा "एकल खिड़की योजना" को सुदृढ़ बनाये जाने एवं उसे विधिक आधार प्रदान किये जाने के दृष्टिकोण से राजस्थान एन्टरप्राइजेज सिंगल विण्डो एनेब्लिंग एण्ड क्लीयरेन्स आर्डिनेंस-2010 दिनांक 27 दिसम्बर, 2010 को जारी किया गया है।

यूजर चार्ज वसूली से प्राप्त वार्डवार राशि

545. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में घर-घर कचरा संग्रहण के कार्य के लिये स्थानीय निकायों के माध्यम से यूजर चार्ज की कर वसूली विद्युत बिलों से की जा रही है? यदि हां, तो क्यों? उक्त सम्बन्ध में जारी आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

(2) उक्त यूजर चार्ज के नाम पर अब तक कितनी वसूली की जा चुकी है? जिलों की निकायवार सूचना सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त वसूली में स्थानीय निकाय के वार्डवार हिस्सा राशि क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) केवल जयपुर व जोधपुर नगर निगम क्षेत्र में यूजर चार्ज की वसूली विद्युत बिलों से की जाने की अधिसूचना दिनांक 25.07.2012 को जारी की गई थी। अधिसूचना की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) यूजर चार्ज के रूप में माह अक्टूबर, 2012 से दिसम्बर, 2012 तक जयपुर में 5 करोड़ 14 लाख 13 हजार तथा जोधपुर में 3 करोड़ 18 लाख 9 हजार की वसूली हुई है।

(3) विद्युत विभाग द्वारा वार्ड वाइज वसूली के रिकार्ड का संधारण नहीं होता है।

परिशिष्ट 'अ'

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक
साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
Published by Authority

भाद्र 26, सोमवार, शाके 1934-सितम्बर 17, 2012
Bhadro 26, Monday, Saka 1934-September 17, 2012

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं सम्बन्धी विज्ञप्तियां आदि

स्वायत्त शासन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जुलाई 25, 2012

संख्या एफ.55( )पीए/एसई/डीएलबी/2012/SWM/5281 :- राजस्थान नगरपलिका अधिनियम, 2009 (वर्ष 2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 45 की उप-धारा (1) के खण्ड (a) व (b) में शहरी क्षेत्रों में उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट व कूड़ा-करकट इत्यादि को हटाये जाने हेतु नगरपालिकाओं के लिये बाध्यकारी कर्तव्य का प्रावधान है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अलमित्रा एच. पठेल बनाम भारत संघ एवं अन्य प्रकरण में पारित निर्देशों के क्रम में नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम,

2000 की सभी शहरी स्थानीय निकायों द्वारा पूर्ण अनुपालना किया जाना अनिवार्य है। अनिवार्य नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम, 2000' के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रतिदिन सड़कों की सफाई नालियों की सफाई, घरों/व्यापारिक प्रतिष्ठानों से निकलने वाले अपशिष्ट का संग्रहण, परिवहन, प्रसंस्करण एवं ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक पद्धति से निस्तारण किया जाना प्रमुख कार्य है। विभाग द्वारा प्रस्तुत मंत्रिमण्डल ज्ञापन क्रमांक : एफ.55( )पीए/एसई/डीएलबी/2012/SWM दिनांक 19 जून, 2012 के क्रम में मंत्रिमण्डल आज्ञा सं. डी 144/मं.मं./2012 जयपुर, दिनांक 05 जुलाई, 2012 (144/2012) द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसरण में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 104 (ii) के अन्तर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद्द्वारा शहरी स्थानीय निकायों को नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य के लिये निम्नानुसर यूजर चार्जेज/सफाई शुल्क (User Charges) अधिरोपित/उद्ग्रहित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

1. उपभोक्ता प्रभार/सफाई शुल्क (User Charges) निम्नानुसार विद्युत निगम राशि पर प्रभार्य होगा :-

क्र. सं.	उपभोक्ता श्रेणी	द्विमासिक बिल के आधार पर स्लेब	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु यूजर चार्जेज की दर
1.	घरेलू उपभोक्ता	अ. 1000 रुपये तक के विद्युत बिल	शून्य
		ब. राशि रुपये 1001 से रुपये 2000 तक की राशि वाले विद्युत बिल	100 रुपये प्रति बिल
		स. राशि रुपये 2001 से रुपये 5000 तक की राशि वाले विद्युत बिल	150 रुपये प्रति बिल
		द. राशि रुपये 5,001 से रुपये 10,000 तक की राशि वाले विद्युत बल	200 रुपये प्रति बिल
		य. राशि रुपये 10,000 से अधिक राशि वाले विद्युत बिल	300 रुपये प्रति बिल
2.	अघरेलू उपभोक्ता	अ. 1000 रुपये तक के विद्युत बिल	शून्य
		ब. राशि रुपये 1001 से रुपये 2000 तक की राशि वाले विद्युत बिल	100 रुपये प्रति बिल
		स. राशि रुपये 2001 से रुपये 5000 तक की राशि वाले विद्युत बिल	200 रुपये प्रति बिल
		द. राशि रुपये 5,001 से रुपये 10,000 तक की राशि वाले विद्युत बल	300 रुपये प्रति बिल
		य. राशि रुपये 10,001 से 20,000 तक की राशि वाले विद्युत बिल	500 रुपये प्रति बिल
		य. राशि रुपये 20,000 से अधिक राशि वाले विद्युत बिल	100 रुपये प्रति बिल

निम्नानुसार विद्युत निगम राशि पर प्रभार्य होगा :-

क्र. सं.	उपभोक्ता श्रेणी	द्विमासिक बिल के आधार पर स्लेब	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु यूजर चार्जेज की दर
3.	औद्योगिक मय मिश्रित भार श्रेणी उपभोक्ता	अ. 1000 रुपये तक के विद्युत बिल	शून्य
		ब. राशि रुपये 1001 से रुपये 10,000 तक की राशि वाले विद्युत बिल	500 रुपये प्रति बिल
		स. राशि रुपये 10,001 से रुपये 20,000 तक की राशि वाले विद्युत बिल	750 रुपये प्रति बिल
		द. राशि रुपये 20,000 से अधिक राशि वाले विद्युत बिल	1000 रुपये प्रति बिल

2. एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य हेतु उक्त दरें जयपुर व जोधपुर शहरों (नगर निगम क्षेत्र) के लिये विद्युत विपत्र (Billing) माह सितम्बर, 2012 से लागू होगा।

3. कोटा, अजमेर (किशनगढ़ व पुष्कर सहित), बीकानेर व उदयपुर शहरों (नगर निकाय क्षेत्र) के लिये दरें 'एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन' कार्य के कार्यादेश जारी करने के उपरान्त सम्बन्धित डिस्काम से चर्चा कर लागू की जायेगी।

4. अन्य जिला मुख्यालय शहरों (नगर निकाय क्षेत्र) के लिये उक्त दरें आगामी दो वर्ष की अवधि में या कार्यादेश जारी करने की तिथि से प्रभावी होंगी।

5. उपरोक्तानुसार प्राप्त राशि से अधिक राशि व्यय होने पर अंतर राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जावेगी।

6. उक्त यूजर चार्जेज की दरें प्रत्येक दो माह के विद्युत बिल पर लागू होंगी। अगर किसी कारण से विद्युत बिल दो माह से कम या अधिक अवधि का जारी किया जाता है तो उक्त यूजर चार्जेज की राशि भी आनुपातिक रूप से परिवर्तनीय होगी।

7. उक्त प्राप्त राशि को समस्त नगर निकायों द्वारा एक पृथक खाते (Dedicated Account) में रखा जायेगा एवं इस राशि का उपयोग केवल नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य के मद में ही किया जावेगा। सम्बन्धित विद्युत

वितरण कम्पनियों (DISCOM) द्वारा राशि प्राप्त होने के दो माह में सम्बन्धित नगर निकाय के Dedicated Account में जमा कराना होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

ताराचंद मीणा,

निदेशक एवं उप शासन सचिव,

स्वायत्त शासन विभाग,

राजस्थान, जयपुर।

परिशिष्ट-'अ'

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक
साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
Published by Authority

अग्रहायण 16, शुक्रवार, शाके 1934-सितम्बर 7, 2012
Agrahayan 16, Friday, Saka 1934-December 7, 2012

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं सम्बन्धी विज्ञप्तियों आदि

स्वायत्त शासन विभाग

शुद्धि-पत्र

राजस्थान राज-पत्र असाधारण भाग 6(क) दिनांक सितम्बर 17, 2012 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या एफ.55()पीए/एसई/डीएलबी/2012/SWM/5281 दिनांक जुलाई 25, 2012 में पृष्ठ संख्या 61 पर क्र.सं. 2. कालम नं. 3 में ''य. राशि रुपये 20000 से अधिक राशि वाले विद्युत बिल 100 रुपये प्रति बिल'' अशुद्ध के स्थान पर '' रु.राशि रुपये 20,000 से अधिक राशि वाले विद्युत बिल 1000 रुपये प्रति बिल'' को शुद्ध कर पढ़ा जावे।

प्रदेश के स्थानीय निकायों में सफाई कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया

546. श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश के सभी स्थानीय निकायों में सफाई कर्मचारियों की भर्ती हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? निकाय वार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री अशोक परनामी)

(2) सफाई कर्मचारी भर्ती में प्राप्त आवेदन पत्रों में से कितने भर्ती हेतु पात्र हैं?

(3) स्थानीय निकायों में सफाई कर्मचारियों के पदों पर कब तक नियुक्ति प्रदान किये जाने की सम्भावना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश की स्थानीय निकायों में सफाई कर्मचारियों की भर्ती हेतु कुल 2,58,732 आवेदन प्राप्त हुए हैं। निकायवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न कर सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) सफाई कर्मचारियों की भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शीघ्र नियुक्ति की कार्यवाही के प्रयास किये जा रहे हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बीकानेर नगर विकास न्यास द्वारा गैर-योजना क्षेत्र व कृषि भूमि पर बसी कालोनियों में विकास कार्य

547. सुश्री सिद्धीकुमारी (बीकानेर पूर्व) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगर विकास न्यास, बीकानेर द्वारा वर्ष 2009 से 2012 तक गैर-योजना क्षेत्र व कृषि भूमि पर बसी नियमन, शुदा कालोनियों में सड़क व नाली, आदि निर्माण के क्या-क्या विकास कार्य करवाये गये तथा उन पर कितनी राशि व्यय की गई? वर्षवार, क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) बीकानेर शहर में ऐसे कौन-कौन से कालोनी/क्षेत्र हैं जहां स्थित भूखण्डों का नियमन नगर सुधार न्यास द्वारा नियमानुसार विकास व अन्य शुल्क वसूल कर किये गये हैं तथा उन क्षेत्रों में विकास कार्यों पर न्यास द्वारा कितनी राशि व्यय की गयी? क्षेत्र/कालोनीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार नगर सुधार न्यास के माध्यम से ऐसे क्षेत्र/ कालोनियों में भी विकास कार्य कराने का विचार रखती है जहां से न्यास ने नियमन शुल्क वसूल कर लिया है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) नगर विकास न्यास, बीकानेर द्वारा वर्ष 2009 से 2012 तक गैर-

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

योजना क्षेत्र व कृषि भूमि पर बसी नियमनशुदा कालोनियों में सड़क, नाली, आदि निर्माण के करवाये गये। विकास कार्य एवं उन पर खर्च की गई राशि का वर्षवार, क्षेत्रवार विवरण निम्न प्रकार है। कृषि भूमि की अनुमोदित आवासीय कालोनियों का आन्तरिक विकास स्वयं कालोनाइजर द्वारा ही करवाया जाता है।

1. गैर-योजना क्षेत्र में व्यय (राशि लाखों में)

क्र.सं.	कार्य	2009-10	2010-11	2011-12
1.	सड़क	310.49	95.93	835.56
2.	नाला निर्माण	96.66	13.53	9.73
3.	बिजली व पानी	31.37	68.69	62.64
4.	पार्क व अन्य	121.28	279.43	523.11
5.	सूरसागर झील	38.42	38.18	7.13
6.	प्राकृतिक आपदा	3.35	14.91	11.76
योग		**601.54**	**510.97**	**1449.93**

2. कृषि भूमि पर बसी नियमनशुदा कालोनियां (राशि लाखों में)

क्र.सं.	कालोनी का नाम	सड़क	नाली	अन्य
1.	विश्वकर्मा कालोनी	1.80	-	-
2.	गेमना पीर	75.08	-	-
3.	जम्बेश्वर नगर	24.69	-	-
4.	श्री रामसर	14.04	-	-
5.	करमीसर	9.36	-	-
6.	सुजान देसर	47.84	-	-
7.	चौधरी कालोनी	-	0.34	-
8.	तिलक नगर	44.60	38.04	0.29
9.	चाणक्य नगर	6.92	-	-
10.	शिव बाड़ी	-	-	0.30
11.	अम्बेडकर कालोनी	11.49	6.68	-
12.	लक्ष्मी विहार	4.39	-	-
योग		**240.21**	**45.06**	**0.59**

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

(2) बीकानेर शहर में निम्नलिखित कालोनियां/क्षेत्र में वर्ष 2009 से 2012 तक सड़क, नाली, आदि विकास कार्यों पर निम्नानुसार व्यय किया गया है, जहां स्थित भूखण्डों के नियमन पर नगर विकास न्यास, बीकानेर द्वारा नियमानुसार विकास शुल्क वसूल किये गये हैं :-

क्र.सं.	कालोनी का नाम	सड़क	नाली	अन्य
1.	विश्वकर्मा कालोनी	1.80	-	-
2.	गेमना पीर	75.08	-	-
3.	जम्बेश्वर नगर	24.69	-	-
4.	श्री रामसर	14.04	-	-
5.	करमीसर	9.36	-	-
6.	सुजान देसर	47.84	-	-
7.	चौधरी कालोनी	-	0.34	-
8.	तिलक नगर	44.60	38.04	0.29
9.	चाणक्य नगर	6.92	-	-
10.	शिव बाड़ी	-	-	0.35
11.	अम्बेडकर कालोनी	11.49	6.68	-
12.	लक्ष्मी विहार	4.39	-	-

प्रशासन-शहरों-के-संग अभियान के दौरान निम्न क्षेत्रों के सर्वे मानचित्र तैयार किये गये हैं। भूखण्डों के पट्टे जारी करने की कार्यवाही जैरकार है तथा विकास कार्य आगामी वर्ष में करवाये जाने प्रस्तावित हैं :-

1.	रीको इण्डस्ट्रीयल रोड नं. 5 से उत्तर दिशा
2.	रीको इण्डस्ट्रीयल रोड नं. 5 व घड़सीसर रोड के मध्य में
3.	घड़सीसर रोड से दक्षिण व रांका भवन के उत्तर के मध्य में
4.	गंगाशहर के पश्चिम व बदरी भैरव के मध्य
5.	सुजानेदसर रोड के उत्तर में पाइप फैक्ट्री तक व दक्षिण में गौचर सीमा तक
6.	जनता प्याऊ के पास श्रीरामसर रोड के उत्तर दिशा के क्षेत्र चमहान्नद तलाई का मध्य क्षेत्र व मोहता सराय के पास का क्षेत्र
7.	जम्भेश्वर नगर व भैरव के पीछे का क्षेत्र

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

8.	नत्थूसर खसरा नं. 51 (कल्ला पैट्रोल पम्प का क्षेत्र)
9.	गजनेर रोड के उत्तर व कृषि मण्डी के मध्य का क्षेत्र
10.	मणीराम धर्म कांटे के पीछे से पूगल रोड के मध्य का क्षेत्र
11.	सर्वोदय बस्ती व मुक्ता प्रसाद आवासन मण्डल के मध्य राजीव नगर
12.	रामपुरा बस्ती व कोलायत रेलवे लाइन के मध्य
13.	तिलक नगर, नगर विकास न्यास के सामने से (कान्ता खतुरिया रोड) नापासर रोड पावर ग्रिड स्टेशन तक
14.	जयपुर रोड के उत्तर से सोफिया स्कूल तक
15.	सोफिया स्कूल के पीछे व उदासर फांटे के मध्य (जयपुर रोड़ तक)
16.	नाथ जी के होटल से दक्षिण पश्चिम से हल्दीरामजी की प्याऊ तक
17.	नापासर रोड़ से दक्षिण में जी.एस.एस. व स्वर्ण जयन्ती के मध्य
18.	रंगा कालोनी, विश्वकर्मा के आस-पास का क्षेत्र
19.	पटेल नगर
20.	अम्बेडकर कालोनी
21.	प्रिंस नाहटा कालोनी चक 12 बी.एस.एम.
22.	खसरा नं. 244/185, 246/185, 274/185 आदि ग्राम नत्थूसर
23.	खसरा नं. 270/3, 84/3 ग्राम चकगर्बी
24.	खसरा नं. 99/1, 100/1 ग्राम शरह काजानी
25.	खसरा नं. 59/19, ग्राम रिडमलसर
26.	खसरा नं. 8 ग्राम शरह काजानी
27.	खसरा नं. 6 ग्राम शरह काजानी

(3) जी नहीं। नगर सुधार न्यास द्वारा विकास कार्य विकास शुल्क जमा करने पर ही किया जा सकता है।

सत्येन्द्र कालोनी, सोडाला (जयपुर) में सीवरेज निर्माण कार्य

548. श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) सोडाला, जयपुर में किन-किन कालोनियों में सीवरेज लाइन का निर्माण कर दिया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सत्येन्द्र कालानी, सोडाला में सीवरेज लाइन का निर्माण नहीं

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

कराने के क्या कारण रहे? क्या सरकार अब उक्त कालोनी में सीवरेज लाइन डालने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) सोडाला, जयपुर में नगर निगम, जयपुर द्वारा मेहनत नगर, मजदूर नगर, मित्तल कालोनी, रामनगर-सोडाला, सुशीलपुरा, गोविन्दपुरी, श्रीरामपुरा, आदि तथा लक्ष्मी नगर, सत्येन्द्र कालोनी (आंशिक शेष) में सीवरेज लाइन का निर्माण कर दिया गया है ।

(2) सत्येन्द्र कालोनी-सोडाला में अधिकतर क्षेत्र में सीवर लाइन डाली जा चुकी है। मात्र आंशिक भाग लो-लाइंग होने के कारण सीवरेज लाइन नहीं डाली गई है। उक्त आंशिक क्षेत्र का ढलान मुख्य सीवर लाइन की ओर तकनीकी दृष्टि से सम्भव नहीं होने के कारण सीवर लाइन डालना सम्भव नहीं है।

सेन्ट्रल स्पाइन योजना, जगतपुरा की भूमि का अवाप्ति प्रकरण

549. श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर ग्रामीण) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सेन्ट्रल स्पाइन योजना, जगतपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर की भूमि को अवाप्त मुक्त करने के अपने निर्णय से विशेषाधिकारी (भूमि) रीको लि. 22 गोदाम जयपुर ने अपने पत्र क्रमांक आई.पी.आई./अ/746/97 दिनांक 27 अप्रेल, 2000 को सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को सूचना प्रेषित कर उक्त योजना हेतु अवाप्त भूमि 190.75 हैक्टेयर को अपने अवाप्त-मुक्त करने के निर्णय से अवगत करवाया था? यदि हां, तो अब तक इस भूमि को अवाप्त-मुक्त नहीं करने के क्या-क्या कारण रहे? कारणों सहित उक्त निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग के पत्र क्रमांक प.6(11)नविवि/3/08 दिनांक 23-08-08 सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को प्रेषित पत्र के भाग (D) एवं (E) में उक्त भूमि की अवाप्ति को स्वीकार नहीं किया गया तथा माननीय अतिरिक्त महाधिवक्ता महोदय की राय में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्राप्त अवाप्ति

(श्रीमती सज्जन कटारा)

प्रस्तावों को उचित एवं विधि संगत नहीं मानने का उल्लेख किया गया था? यदि हां, तो इस संदर्भ में क्या-क्या कार्यवाही कब-कब की गई तथा उक्त भूमि अभी तक भी अवाप्त-मुक्त नहीं करने के क्या-क्या कारण रहे? कारणों सहित की गई कार्यवाही का विवरण मय पत्रों के सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व), जयपुर विकास प्राधिकरण ने अपने पत्र क्रमांक प.6(71)जविप्रा/अ/आ/पूर्व 2003/D 1226 दिनांक 10-09-03 सचिव अभिनव पब्लिक सेकण्डरी स्कूल, A/39-41, शान्ति विहार (ग्राम महल), जगतपुरा, जयपुर को प्रेषित कर अवाप्त-मुक्त करने का अधिकार रीको लि. को अपने स्तर पर करने हेतु उल्लेख किया था? यदि हां, तो जब रीको लि. ने पूर्व में ही उक्त भूमि को अवाप्त-मुक्त करने के अपने निर्णय से 27 अप्रैल, 2000 को ही प्राधिकरण को अवगत करा दिया था तो उक्त भूमि को अवाप्त-मुक्त नहीं करने के क्या कारण रहे?

(4) क्या कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी रीको लि. 22 गोदाम जयपुर के पत्र क्रमांक भू.अ.अ./2940 दिनांक 6-12-2000 जो उप शासन सचिव, उद्योग (ग्रुप-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित अवार्ड के पृष्ठ संख्या 16 में अंकित प्रतिकर निर्णय के अन्तर्गत प्रथम चार पंक्तियों में स्पष्ट उल्लेख किया गया कि राज्य सरकार ने अपने पत्र क्रमांक प.(4)96/3(1)97 दिनांक 19-9-98 के द्वारा श्रीमान् प्रबंधक निदेशक, रीको लि. जयपुर को इस आशय के निर्देश दिये गये थे कि इस 190.95 हेक्टेयर भूमि को नेगोशियेशन के माध्यम से अवाप्त की जायेगी। यदि हितकारी या खातेदार सहमत नहीं हों, तो उसकी मंशा के अनुसार भूमि को अवाप्ति से मुक्त कर दिया जायेगा का उल्लेख है? क्या इसकी अनुपालना की गई? यदि हां, तो अनुपालना रिपोर्ट एवं पत्र दिनांक 6-12-2000 एवं 19-9-98 की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें। यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ने पत्र क्रमांक ज.वि.प्रा./जोन-9/08/डी-674 दिनांक 15/2/08 शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को प्रेषित कर अशोक वाटिका, बाल विहार एवं गीता विहार कालोनियों में किसी भी प्रकार का कोई भी निर्माण या विकास नहीं है, का उल्लेख किया था? यदि हां, तो इसको भूमि अवाप्ति से मुक्त एवं नियमन किस नियमों एवं आधार पर किया गया? उक्त पत्र की

(श्रीमती सज्जन कटारा)

प्रति एवं उक्त तीनों कालोनियों के भूखण्डधारियों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार उक्त भूमि की अवाप्ति की प्रक्रिया में हुई अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार तथा पद के दुरुपयोग की जांच करने तथा शेष कालोनियों को भी अवाप्ति से मुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र के विकास/विस्तार हेतु तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के ग्राम महल, जिरोता एवं श्रीकिशनपुरा की अवाप्ताधीन 190.95 हैक्टेयर निजी भूमि को आर्थिक मंदी के कारण रीको प्रशासन द्वारा अवाप्त नहीं करने का प्रशासनिक निर्णय लिया गया था तथा विशेषाधिकारी (भूमि) रीको लि. ने अपने पत्र क्रमांक आई.पी.आई.(अ)/746/97 दिनांक 27.04.2000 द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण को इस आशय की सूचना दी गई थी। सम्बन्धित पत्र की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। परन्तु बाद में रीको प्रबन्धन द्वारा अपने निर्णय पर पुनर्विचार करते हुए उक्त भूमि को अवाप्ति से मुक्त नहीं करने का निर्णय लिया गया।

(2) जी हां। जहां तक भूमि को अवाप्ति से मुक्त किये जाने का प्रश्न है, रीको प्रबंधन द्वारा भूमि को अवाप्ति से मुक्त करने के निर्णय पर पुनर्विचार कर अपने पूर्व निर्णय को बदलते हुए प्रश्नगत भूमि को अवाप्ति से मुक्त नहीं करने का निर्णय ले लिया गया था एवं भूमि की अवाप्ति का अवार्ड जारी होकर अवाप्ति प्रक्रिया सम्पन्न हो चुकी है।

(3) जी हां। पत्र की प्रति परिशिष्ट-2 पर संलग्न है। जहां तक भूमि को अवाप्ति से मुक्त किये जाने का प्रश्न है, रीको प्रबंधन द्वारा भूमि को अवाप्ति से मुक्त करने के निर्णय पर पुनर्विचार कर अपने पूर्व निर्णय को बदलते हुए प्रश्नगत भूमि को अवाप्ति से मुक्त नहीं करने का निर्णय ले लिया गया था एवं भूमि की अवाप्ति का अवार्ड जारी होकर अवाप्ति प्रक्रिया सम्पन्न हो चुकी है।

(4) जी हां। राज्य सरकार को भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा प्रेषित ड्राफ्ट अवार्ड दिनांक 06.12.2000 के पृष्ठ संख्या 16 में यह उल्लेख किया गया है कि "राज्य सरकार ने अपने पत्र क्रमांक प.4(96)उ./1/97 दिनांक

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

19-9-98 के द्वारा प्रबंधक निदेशक, रीको लि. जयपुर को इस आशय के निर्देश दिये गये थे कि इस 190.95 हैक्टेयर भूमि को नेगोशियेशन के माध्यम से अवाप्त की जायेगी, यदि खातेदार सहमत नहीं होते हैं तो उनकी मांग के अनुसार भूमि को अवाप्ति से मुक्त कर दिया जायेगा।" (उक्त पत्र दिनांक 19.09.1998 की प्रति परिशिष्ट-3 पर संलग्न है)। लेकिन पश्चातवर्ती पत्र दिनांक 08.12.2000 के द्वारा उद्योग विभाग, राजस्थान सरकार ने नेगोशियेशन की बाध्यता को समाप्त कर दिया था। पत्र की प्रति परिशिष्ट-4 पर संलग्न है। पत्र क्रमांक भू.अ.अ./2940 दिनांक 6-12-2000 की प्रति परिशिष्ट-5 पर संलग्न है।

(5) जी हां। उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.4(46) उद्योग/1/97 दिनांक 19.09.1998 द्वारा 6.75 हेक्टेयर भूमि जिस पर गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना अशोक वाटिका द्वितीय 2.52 हैक्टेयर पर, बाल विहार 3.71 हैक्टेयर पर तथा गीता विहार (अब गुरुकुल) 1.02 हैक्टेयर पर प्रस्तावित थी, को अवाप्ति से मुक्त कर दिया गया था। पत्र क्रमांक ज.वि.प्रा./जोन-8/08/डी-674 दिनांक 15/2/08 की प्रति परिशिष्ट-6 पर, उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.4(46)उद्योग/1/97 दिनांक 19.09.1998 की प्रति परिशिष्ट-7 पर एवं उपरोक्त तीनों कालोनियों के भूखण्डधारियों की सूची परिशिष्ट-8 पर संलग्न हैं।

(6) जी नहीं। भूमि की अवाप्ति से मुक्ति राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.4(46)उद्योग/1/97 दिनांक 19.09.1998 द्वारा की गई। इसमें कोई अनियमितता एवं भ्रष्टाचार का मामला नहीं पाया गया है। शेष कालोनियों को अवाप्ति से मुक्त करने का वर्तमान में विचार नहीं है।

(प्रतियां व सूची पुस्तकालय में रखी गयीं)

झोटवाड़ा की आवासीय कालोनियों के भू-खण्डों का नियमन प्रकरण

550. श्री विजय बंसल (भरतपुर) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रशासन-शहरों-के-संग अभियान 2012 के अन्तर्गत आवासीय कालोनी कैलाश नगर, खुदाबाडी सोनार झोटवाड़ा, जयपुर में किन-किन भूखण्डों को नियमित कर पट्टा जारी करने हेतु पत्रावली प्राप्त हुई है एवं उनमें से

(श्री विजय बंसल)

किस-किस भूखण्डों के पट्टे जारी किये जा चुके हैं एवं किन-किन भूखण्डों के पट्टे किन-किन कारणों से जारी नहीं किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आवासीय कालोनी में सुविधा क्षेत्र में आए हुए किन-किन भूखण्डों का नियमन कर पट्टा जारी कर दिया गया है एवं किन-किन भूखण्डों के पट्टे जारी नहीं किये गये हैं? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार ने उक्त अभियान के अन्तर्गत सुविधा क्षेत्र में आए भूखण्डों के सम्बन्ध में कब-कब, किन-किन संदर्भों में मार्गदर्शन/परिपत्र/आदेश जारी कर नियमों में शिथिलता प्रदान कर भूखण्डों के नियमन हेतु जयपुर विकास प्राधिकरण को निर्देश दिये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त आवासीय कालोनी में भूखण्ड संख्या 71 का नियमन कर पट्टा जारी करने हेतु पत्रावली प्राप्त हुई है? यदि हां, तो क्या उक्त भूखण्ड का नियमन कर पट्टा जारी कर दिया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या इसी आवासीय कालोनी में सुविधा क्षेत्र में आए हुए भूखण्ड संख्या 69 एवं 70 अन्य भूखण्डों का नियमन कर पट्टा जारी किया जा चुका है? यदि हां, तो किस आधार पर व नहीं, तो क्यों?

(6) क्या सरकार उक्त अनुमोदित आवासीय कालोनी में शेष भूखण्डों के नियमन हेतु प्राप्त पत्रावलियों में शिथिलता प्रदान कर नियमन कर पट्टा जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रशासन-शहरों-के-संग अभियान 2012 के अन्तर्गत आवासीय कालोनी कैलाश नगर, खुदाबाडी सोनार झोटवाड़ा में भूखण्ड संख्या 1, 60, 61, 62, 71, 78, 79, 80 को नियमित करने हेतु पत्रावलियां प्राप्त हुई हैं। प्राप्त पत्रावलियों में से किसी भी भूखण्ड के पट्टे जारी नहीं किये गये हैं। उक्त सभी भूखण्ड सुविधा क्षेत्र में होने के कारण नियमित नहीं किये गये हैं। सुविधा क्षेत्र में भूखण्डों पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. रिट पीटिशन संख्या 13084/2009 में पारित निर्णय के अनुसार नियमन किया जाना सम्भव नहीं है।

(2) उक्त आवासीय कालोनी के भूखण्ड संख्या 69 को दिनांक

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

13.11.2002 एवं भूखण्ड संख्या 70 को दिनांक 09.07.2002 को सुविधा क्षेत्र से मुक्त कर पट्टा जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि डी.बी. रिट पीटिशन संख्या 13084/2009 के आदेश तत्समय प्रभावी नहीं थे। भूखण्ड संख्या 1, 60, 61, 62, 71, 78, 79, 80 के पट्टे जारी नहीं किये गये हैं। पट्टे जारी नहीं किये जाने का कारण डी.बी. रिट पीटिशन संख्या 13084/2009 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश है।

(3) अभियान के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा सुविधा क्षेत्रों के सम्बन्ध में परिपत्र क्रमांक : प.3(54)नविवि/3/2011 दिनांक 17.10.2012 के बिन्दु संख्या 17 में निर्देशित किया गया है कि सुविधा क्षेत्र के भूखण्डों के नियमन पर डी.बी. रिट पीटिशन संख्या 13084/2009 में पारित निर्णय के अनुसार रोक रहेगी। अत: ऐसे प्रकरणों का नियमन नहीं किया जा रहा है। उक्त संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के पहले राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 16.02.2002 की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(4) जी हां। उक्त आवासीय कालोनी में भूखण्ड संख्या 71 का नियमन कर पट्टा जारी करने हेतु पत्रावली प्राप्त हुई है। उक्त भूखण्ड संख्या 71 का पट्टा जारी नहीं किया गया है। उक्त भूखण्ड सुविधा क्षेत्र में होने तथा डी.बी. रिट पीटिशन संख्या 13084/2009 में प्रदत्त आदेशों के कारण नियमन नहीं किया गया है।

(5) जी हां। इसी कालोनी में सुविधा क्षेत्र में आये भूखण्ड संख्या 69 एवं 70 के भूखण्डों को राज्य सरकार के आदेश दिनांक 16.02.2002 एवं उक्त आदेश के साथ जयपुर विकास प्राधिकरण के आदेश क्रमांक : जविप्रा/अ.आ./भूमि/2002/डी-451 दिनांक 20.02.2002 के अनुसार सुविधा क्षेत्र से मुक्त कर वर्ष 2002 में नियमन कर पट्टा जारी किया जा चुका है। जयपुर विकास प्राधिकरण के आदेश दिनांक 20.02.2002 की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(6) माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में नियमन किया जाना सम्भव नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रति परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पंचवटी ब्लाक-ई कालोनी का नियमन प्रकरण

551. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा वर्ष 2012-13 में प्रशासन-शहरों-के-संग अभियान के दौरान सांगानेर (जयपुर) में पंचवटी ब्लाक-ई कालोनी किन-किन खसरा नम्बरों पर विकसित की गई है? इस कालोनी का कुल रकबा कितना है तथा काटे गये कुल पट्टों का क्षेत्रफल कितना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कालोनी से लगते हुए कौन से खसरा नम्बरान पर जे.डी.ए. ने अब तक पट्टे जारी नहीं किये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या खसरा नं. 3732, 4723, 4625, 4625/4944 तथा 4625/4945 पर भी जे.डी.ए. द्वारा कोई कालोनी विकसित कर पट्टे जारी किये गये हैं? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) पंचवटी ब्लाक-ई कालोनी को किस सहकारी समिति या विकास समिति द्वारा विकसित किया गया तथा कालोनी का नियमन किस आधार पर किया गया है तथा नियमन के लिए दस्तावेज किस समिति द्वारा एवं किस दिनांक को जयपुर विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि पंचवटी ब्लाक-ई कालोनी को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रशासन-शहरों-के-संग अभियान में नियमन किया गया है? यदि हां, तो पट्टे जारी किये गये सदस्यों की सूची मय नक्शा (ट्रेस) मानचित्र की छायाप्रति, विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(6) जयपुर विकास प्राधिकरण जोन-8 में ग्राम खोखावास, सांगानेर स्थित खसरा नं. 3732 की खातेदारी वर्ष 2001 में किस आधार पर जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम आबंटित की गई? कृषकों को दिये गये मुआवजे का विवरण वर्षवार सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। प्रशासन शहरों के संग अभियान वर्ष 2012-13 के दौरान सांगानेर जयपुर में पंचवटी ब्लाक-ई कालोनी ग्राम सांगानेर के खसरा नं.

(नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री)

4629, 4630, 4661, 4662, 4663, 4629/4943, 4664, 4665, 4667, 4666, 4657, 4655, 4656, 4668, 4659, 4660, 4648, 4625, 4625/4944, 4658, 4625/4945, 4626, 4627, 4628, 4623 पेश की गई है। इस कालोनी का कुल रकबा 40371.60 वर्ग गज है तथा स्वीकृति भूखण्डों का क्षेत्रफल 30038.60 वर्ग गज है।

(2) उक्त कालोनी के खसरा नं. 4623 रकबा 0.07 हैक्टेयर की किस्म भूमि खातली होने से जयपुर विकास प्राधिकरण ने अब तक पट्टे जारी नहीं किये हैं।

(3) ग्राम सांगानेर के खसरा नं. 3732 पर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व में अनुमोदित मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना लक्ष्मी बाड़ी प्रथम सृजित है, जिसका नियमन कैम्प आयोजित कर पट्टे दिये गये है। खसरा नं. 4723, पर जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा कोई योजना अनुमोदित नहीं की गई है। ख.नं. 4625/4944, 4625/4945 पर पंचवटी ई योजना सृजित है, जिसका नियमन कैम्प आयोजित कर पट्टे दिये गये हैं।

(4) पंचवटी ब्लाक ई-कालोनी मित्र गृह निर्माण सहकारी समिति द्वारा विकसित की गई है तथा कालोनी का नियमन प्रशासन-शहरों-के-संग अभियान 2012 के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों के अन्तर्गत किया गया है। नियमन के लिए जनसहयोगी विकास समिति सांगानेर द्वारा दिनांक 21.06.2005, 18.10.2005, 11.12.2006, 19.05.2007, 03.09.2009, 30.12.2010, 30.10.2012 तथा उप सचिव (पी) मुख्य मंत्री का पत्र दिनांक 30.12.2007 द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण में दस्तावेज पेश किये गये हैं।

(5) जी हां। जारी किये गये पट्टों के भूखण्डधारियों की सूची परिशिष्ट "अ" एवं मानचित्र की प्रति परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(6) ग्राम सांगानेर का खसरा नं. 3732 ग्राम खोखावास में नहीं है, बल्कि ग्राम सांगानेर में स्थित है। ग्राम सांगानेर का खसरा नं. 3732 का 90-बी प्रकरण 83/2000 निर्णय दिनांक 16.11.2000 के द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण की खातेदारी में दर्ज हुआ है। कृषकों को कोई मुआवजा नहीं दिया गया है।

(सूची व प्रति पुस्तकालय में रखी गयीं)

वैशाली नगर, जयपुर में कराये गये विकास कार्य

552. श्री नाथूराम सिनोदिया (किशनगढ़) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वैशाली नगर, जयपुर में एफ ब्लाक में गत पांच वर्षों में कब-कब किस-किस संवेदक/एजेन्सी द्वारा सड़कों का डामरीकरण किया गया तथा कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सम्बन्धित एजेन्सी द्वारा एफ ब्लाक की सड़कों का डामरीकरण करने के उपरान्त भी आवास संख्या एफ 44 से एफ 54 तक की सड़कों का डामरीकरण गत पांच वर्षों में नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों तथा इसके लिये कौन दोषी है व उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त आवास के बाहर डामरीकरण/सीमेंटेड रोड बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर विकास प्राधिकरण एवं नगर निगम जयपुर द्वारा वैशाली नगर जयपुर में एफ ब्लाक में गत पांच वर्षों में किसी भी सड़क पर डामरीकरण का कार्य नहीं किया गया है।

(2) बिन्दु संख्या-1 के अनुसार।

(3) जी हां। वर्ष 2013-2014 में कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है।

बूंदी में खेल संकुल निर्माण हेतु स्वीकृत राशि

553. श्री अशोक डोगरा (बूंदी) : क्या युवा मामले एवं खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बजट में सरकार द्वारा बूंदी में खेल संकुल निर्माण हेतु घोषणा की गई थी। क्या इसके लिए राशि स्वीकृत हो गई है? यदि हां, तो कितनी? इसका कार्य कब प्रारम्भ होगा व कब तक पूर्ण होगा? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या खेल विभाग द्वारा करीब 85 लाख की राशि के काम के पेटे स्थानीय विधायक के कोष से 10 प्रतिशत राशि के बराबर चाही गई थी?

(3) क्या विधायक कोष से राशि 10.00 लाख दिये जाने के बाद तय राशि 85 लाख का कार्य खेल संकुल बूंदी में कराया जा चुका है?

(श्री अशोक डोगरा)

(4) क्या सरकार खेल संकुल के लिए पृथक से राशि स्वीकृत होने के बाद विधायक कोष से स्वीकृत राशि को लौटाने का विचार रखती है, ताकि उस राशि से क्षेत्र में विकास के काम कराये जा सकें? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। बजट भाषण वर्ष 2012-13 के बिन्दु संख्या 147 (i) के अनुसार बूंदी में खेल संकुल के निर्माण हेतु 2.00 करोड़ रुपये के प्रावधान की घोषणा की गई थी जिसकी क्रियान्विति के तहत युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा दिनांक 29.11.2012 को 2.00 करोड़ रुपये की स्वीकृति जारी कर आहरण एवं वितरण के अधिकार सार्वजनिक निर्माण विभाग को दिये जा चुके हैं। निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है।

(2) समन्वित स्टेडियम (आधारभूत सुविधाएं) विकास कार्यक्रम, 2007 के अन्तर्गत युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा पत्र क्रमांक प.10(2) खेल/2006/दिनांक 29.01.2009 के द्वारा बूंदी में स्टेडियम निर्माण एवं विकास कार्यों हेतु रुपये 84.17 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई थी, जिसके तहत स्वीकृत राशि का कम से कम 10 प्रतिशत राशि विधायक/सांसद स्थानीय विकास राशि (MLA/MP-LAD) अथवा अन्य स्रोतों से प्राप्त होना वांछनीय था।

(3) युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा दिनांक 29.01.2009 को बूंदी में स्टेडियम निर्माण एवं विकास कार्यों हेतु रुपये 84.17 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई थी, जिसके क्रम में विधायक स्थानीय विकास मद से राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद को राशि रुपये 8.00 लाख प्राप्त हुई थी।

बूंदी में स्टेडियम निर्माण एवं विकास कार्यों हेतु जारी प्रशासनिक स्वीकृति राशि रुपये 84.17 लाख के क्रम में राशि रुपये 30.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई थी जिसके अनुसरण में कार्यकारी एजेन्सी राजस्थान आवास विकास एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा दिये गये प्रगति विवरण अनुसार रुपये 29.50 लाख का व्यय किया जा चुका है।

(4) जी नहीं। वर्तमान में युवा मामले एवं खेल विभाग में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अलवर जिले में खेल एवं युवा केन्द्रों की स्थापना

554. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार खेल प्रतिभाओं के विकास एवं प्रोत्साहन के लिए जिला स्तर एवं तहसील स्तर पर खेल युवा केन्द्र स्थापित किये जाने की कार्ययोजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो योजना के प्रावधान एवं पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) सरकार अलवर जिले के किन-किन तहसीलों/स्थानों पर खेल एवं युवा केन्द्र स्थापित कर उक्त केन्द्रों को जनता को समर्पित करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या सरकार रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के लक्ष्मणगढ़, रामगढ़, बड़ौदामेव, गोविन्दगढ़ कस्बों में खेल केन्द्र स्थापित किये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। युवा मामले एवं खेल विभाग के अधीन राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा जिला मुख्यालयों पर खेल प्रतिभाओं के विकास एवं प्रोत्साहन के लिए जिला खेलकूद प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये हुए हैं। केन्द्र प्रवर्तित योजना "पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान ''(पायका)'' के अन्तर्गत ग्राम पंचायत स्तर एवं ब्लाक स्तर पर खेल प्रतिभाओं के विकास एवं प्रोत्साहन के लिए खेल केन्द्र (पायका सेंटर) स्थापित किये जाने की कार्ययोजना है। योजना के प्रावधान एवं सम्पूर्ण ब्यौरा परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) ''पायका'' योजना के अन्तर्गत चरणबद्ध तरीके से वर्ष 2016-17 तक अलवर जिले के ग्रामीण क्षेत्र की समस्त ग्राम पंचायतों एवं ब्लॉक स्तर पर ''पायका'' केन्द्र स्थापित की जाने की योजना है तथा स्थापना के साथ ही स्थानीय स्तर पर उपयोग शुरू कर दिया जाता है।

(3) रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र के लक्ष्मणगढ़ रामगढ़, बड़ौदामेव गोविन्दगढ़ कस्बों में ''पायका'' योजना के अन्तर्गत खेल केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर जिले में खंडित ग्रेनाइट/चेजा पत्थर के खनन हेतु स्वीकृति

555. श्री रमेश खण्डेलवाल (नीमकाथाना) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले के बानसूर तहसील के खटौती गांव में विभिन्न प्रकार के खनिज क्षेत्र उपलब्ध हैं? यदि हां, तो कौन-कौन से?

(2) उक्त क्षेत्र में ग्रेनाइट की कितनी खानें अब तक आबंटित की गईं एवं पिछले 5 वर्षों में ग्रेनाइट खानों से सरकार को कितना राजस्व प्राप्त हुआ?

(3) क्या रायल्टी शिड्यूल के अनुसार खंडित ग्रेनाइट चेजा पत्थर की श्रेणी में आता है?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र में चेजा पत्थर के खनन हेतु 2010 से अब तक आवेदन प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो किस-किसके तथा प्राप्त आवेदनों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि खान विभाग के पत्र क्रमांक प.20(305) खान/ग्रुप-2/11 दिनांक 15-11-2011 की अनुपालना निदेशक, खान एवं भू-विज्ञान, राजस्थान, जयपुर के आदेश क्रमांक निदे/भूवि/एसएफए-ii /प.5(5) सीसी/जय/विविध/2010-11सम/9387 दिनांक 04-01-2012 से एक कमेटी का गठन किया गया व एडिशनल डायरेक्टर जियोलोजी एवं अधीक्षण अभियंता, भरतपुर के निर्देश में जांच के लिए उक्त क्षेत्र में भेजा गया?

(6) क्या राज्य सरकार को गठित कमेटी ने जांच उपरान्त अपनी रिपोर्ट में वहां की ग्रेनाइट खण्डित होने एवं ब्लाकेबल माइनिंग हेतु उपयुक्त नहीं होने का उल्लेख किया है?

(7) क्या सरकार ने पूर्व में भी अन्य स्थानों पर भी खण्डित ग्रेनाइट चेजा पत्थर के रूप में अनुमोदित किया है? यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या नीति है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अलवर जिले की बानसूर तहसील के खटौती गांव में खनिज ग्रेनाइट उपलब्ध है । ग्रेनाइट के अलावा अन्य कोई महत्वपूर्ण खनिज अभी तक नहीं पाया गया है ।

(2) इस क्षेत्र में अब तक खनिज ग्रेनाइट के 16 खनन पट्टे आबंटित

(खनिज मंत्री)

किये गये हैं परन्तु पिछले 5 वर्षों में खनिज ग्रेनाइट का कोई खनन पट्टा प्रभाव में नहीं होने से ग्रेनाइट खानों से राजस्व प्राप्त नहीं हुआ।

(3) राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 की अनुसूची-I के क्र.सं. 7 पर खनिज चेजा पत्थर की रायल्टी की दरों में यह उल्लेख किया हुआ है कि ग्रेनाइट यदि खण्डा, बेलास्ट, रोडमेटल, फाचरे, गिट्टी, ग्रेवल, पापड़ा, झांझरा, आदि के रूप में उपयोगी हो तो वह मेसनरी स्टोन (चेजा पत्थर) खनिज की श्रेणी में आता है।

(4) जी हां। उक्त क्षेत्र में वर्ष 2010 से अब तक प्राप्त आवेदन पत्रों एवं उन पर की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(5) जी हां।

(6) खण्ड 5 में वर्णित कमेटी द्वारा रिपोर्ट में यह उल्लेख किया है कि उक्त क्षेत्र में पाये जाने वाला ग्रेनाइट सतही निरीक्षण के आधार पर बाजार मांग अनुसार स्टैंडर्ड साइज के ब्लोकेबल नहीं है। वर्ष 1993-94 एवं 1994-95 की विभागीय परियोजना प्रतिवेदनों तथा भू-वैज्ञानिक, अलवर की दिनांक 04.08.2010 की निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, अधीक्षण भू-वैज्ञानिक द्वारा क्षेत्र में ग्रेनाइट टाइल्स के उपयुक्त छोटे आकार के एवं सलेक्टिवली बड़े आकार के ब्लाक निकाले जाने हेतु उपयुक्त बताया गया है।

खण्ड 5 में वर्णित कमेटी की रिपोर्ट से विरोधाभास उत्पन्न होने के कारण एक अन्य उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है, जिसकी रिपोर्ट आने पर यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

(7) राज्य में सीकर जिले के ग्राम डाबला तहसील नीमकाथाना में पूर्व में नोटिफाइड किये गए खनिज ग्रेनाइट के डेलीनियेटेड प्लाट पर व उसके आसपास खनिज मेसेनरी स्टोन उपलब्ध होने की भू-वैज्ञानिकी रिपोर्ट के आधार पर मेसेनरी स्टोन के 50 खनन पट्टे स्वीकृत किये गये। ग्राम जुगलपुरा तहसील नीमकाथाना जिला सीकर में भी ग्रेनाइट के छोटे व बड़े ब्लाक की सम्भावना क्षीण होने से 7 प्लाटों में लाटरी से चयनित किया जाकर मंशा पत्र जारी किये गये। इसी तरह, जिला सिरोही में 7, पाली में 6, बाड़मेर में 30 एवं जालौर में 126 खनन पट्टे निम्न श्रेणी का ग्रेनाइट, मेसनरी स्टोन के उपयोगी होने से मेसनरी स्टोन के खनन पट्टे स्वीकृत किये गये हैं। राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियमावली, 1986 की अनुसूची-I के बिन्दु-

(खनिज मंत्री)

7 में अंकितानुसार खनिज ग्रेनाइट को खण्डा, बेलास्ट, रोडमेटल, फाचरे, गिट्टी, फाफड़ा, झांझरा के रूप में उपयोगी पाये जाने पर खनिज मेसनरी स्टोन की श्रेणी में खनन पट्टे अनुदान किये जाते हैं।

परिशिष्ट-1

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता खान एवं भूविज्ञान विभाग अलवर (राज.)

तहसील बानसूर के खटोती ग्राम में प्रधान/अप्रधान खनिज हेतु 2010 से अब तक प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची एवं कार्यवाही का विवरण

क्र.सं.	एम.एल.नं.	नाम आवेदक	आवेदन की तिथि	खनिज का नाम	की गई कार्यवाही का विवरण
1	2	3	4	5	6
1	122/2010	श्री जय प्रकाश	08.03.2010	चेजा पत्थर	अस्वीकृत आदेश दिनांक 14.01.2011
2	123/2010	श्री रवि सैन	08.03.2010	चेजा पत्थर	अस्वीकृत आदेश दिनांक 14.01.2011
3	124/2010	श्री कुलदीप यादव	08.03.2010	चेजा पत्थर	अस्वीकृत आदेश दिनांक 14.01.2011
4	125/2010	श्री हरिश रटावल	08.03.2010	चेजा पत्थर	अस्वीकृत आदेश दिनांक 14.01.2011
5	126/2010	श्री अजय बंसल	08.03.2010	चेजा पत्थर	अस्वीकृत आदेश दिनांक 17.01.2011
6	127/2010	श्री सत्यवान	08.03.2010	चेजा पत्थर	अस्वीकृत आदेश दिनांक 14.01.2011

1	2	3	4	5	6
7	128/2010	श्री दामोदर स्वामी	08.03.2010	चेजा पत्थर	अस्वीकृत आदेश दिनांक 17.01.2011
8	129/2010	श्री विश्वनाथ	08.03.2010	चेजा पत्थर	अस्वीकृत आदेश दिनांक 14.01.2011
9	130/2010	श्री ओमवीर	08.03.2010	चेजा पत्थर	अस्वीकृत आदेश दिनांक 14.01.2011
10	131/2010	श्री मनीष शर्मा	08.03.2010	चेजा पत्थर	अस्वीकृत आदेश दिनांक 31.03.2011
11	132/2010	श्री अमीत बंसल	08.03.2010	चेजा पत्थर	अस्वीकृत आदेश दिनांक 31.03.2011
12	133/2010	श्री ध्रुव नारायण	08.03.2010	चेजा पत्थर	अस्वीकृत आदेश दिनांक 31.03.2011
13	134/2010	श्री नीरज	08.03.2010	चेजा पत्थर	अस्वीकृत आदेश दिनांक 31.03.2011
14	135/2010	श्री कुलदीप यादव	08.03.2010	चेजा पत्थर	अस्वीकृत आदेश दिनांक 14.01.2011
15	136/2010	श्री संदीप	08.03.2010	चेजा पत्थर	अस्वीकृत आदेश दिनांक 31.03.2011
16	137/2010	श्री सत्यवान	08.03.2010	चेजा पत्थर	अस्वीकृत आदेश दिनांक 14.01.2011

1	2	3	4	5	6
17	138/2010	श्री शशिकान्त	08.03.2010	चेजा पत्थर	अस्वीकृत आदेश दिनांक 31.03.2011
18	139/2010	श्री जगदीश प्रसाद	08.03.2010	चेजा पत्थर	अस्वीकृत आदेश दिनांक 31.03.2011
19	140/2010	श्री लोकेश कुमार	08.03.2010	चेजा पत्थर	अस्वीकृत आदेश दिनांक 31.03.2011
20	141/2010	श्री संदीप	08.03.2010	चेजा पत्थर	अस्वीकृत आदेश दिनांक 31.03.2011
21	76/2010	श्रीमती दीया रोघा	15.02.2010	ग्रेनाइट	अस्वीकृत शासन के आदेश दिनांक 24.09.12
22	07/2011 पी.एल. प्रधान खनिज	श्रीमती कमला यादव	17.06.2011	क्वार्टज, सिलिका, क्वाटजाइट	लम्बित है
23	07/2011 एम.एल. प्रधान खनिज	मै. कुशाल इन्फ्राप्रोजक्ट इन्डस्ट्रीज लि.	05.07.2011	सिलिका क्वार्टज	लम्बित है

खनिज पत्थर चुनाई के 20 आवेदन पत्रों को खनिज ग्रेनाइट होने के कारण अस्वीकृत किये जाने सम्बन्धित आवेदकों के द्वारा न्यायालय अतिरिक्त निदेशक (खान) जयपुर में अपील दायर की गई जो माननीय न्यायालय ने सभी अपीलों को निर्णित कर आदेश जारी कर खनि अभियन्ता अलवर के विवादित आदेश को निरस्त कर रिमाण्ड किया गया जिसके कारण खनिज पत्थर चुनाई के उक्त सभी 20 आवेदन पत्र वर्तमान में लम्बित हैं। आवेदित क्षेत्र में उपलब्ध खनिज की रिपोर्ट हेतु कमेटी गठित की गई है। खनिज की रिपोर्ट अपेक्षित है।

खनि अभियन्ता

अलवर

प्रदेश में साइबर थानों की स्थापना हेतु आबंटित राशि

556. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा साइबर क्राइम रोकने हेतु प्रदेश में साइबर थाने खोले जाने की घोषणा की गयी थी? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त सम्बन्ध में सरकार द्वारा अब तक कितने साइबर थाने खोले गये व किस-किस थाने में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद स्वीकृत किये गये? जिलेवार सूची सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त थानों के लिए राज्य सरकार द्वारा कितना-कितना बजट आबंटित किया गया? आबंटित बजट का थानावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त थानों में अब तक कितने प्रकरण दर्ज किये गये हैं? उनमें से कितने प्रकरणों का निपटारा किया गया? जिलेवार, थानावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सरकार ने वर्ष 2012-2013 बजट घोषणा में साइबर अपराधों के अनुसंधान हेतु जयपुर में साइबर थाना स्थापित करने की घोषणा की थी।

(2) राज्य में साइबर अपराधों के अनुसंधान हेतु जयपुर में स्टेट क्राइम रिकार्ड ब्यूरो में पुलिस अधीक्षक के अधीन साइबर पुलिस थाना दिनांक 9/10/2012 को खोले जाने की अधिसूचना जारी की गयी है। जयपुर में साइबर पुलिस थाना हेतु निम्नांकित पद सृजित किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है :-

क. सं.	नाम पद	सृजित पद
1	उप अधीक्षक पुलिस	1
2	पुलिस निरीक्षक	9
3	उप निरीक्षक पुलिस	6
4	सहायक उप निरीक्षक पुलिस	4
5	हैड कांस्टेबल	2

(गृह मंत्री)

क्र.सं.	नाम पद	सृजित पद
6	कांस्टेबल	5
7	कांस्टेबल ड्राइवर	1
8	सिस्टम एनालिस्ट	2
9	एसिस्टेंट कम्प्यूटर प्रोग्रामर	3
10	प्रोग्रामर	2
	योग	**35**

(3) उक्त थाना हेतु 8 लाख रुपये का बजट आबंटित किया गया है। जिसमें चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में वाहनों के क्रय हेतु राशि रुपये 6,60,000/-, टेलीफोन, फर्नीचर, कम्प्यूटर हेतु राशि रुपये 1,06,000/- एवं वायरलेस सेट, कम्प्यूटर, आदि हेतु राशि रुपये 34,000/- का बजट आबंटित किया गया है।

(4) उक्त थाने में अभी तक कोई प्रकरण दर्ज नहीं हुआ है।

राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध लम्बित जांच

557. श्री दौलतराज समेजा (रायसिंहनगर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्तमान में राजस्थान पुलिस सेवा में ऐसे कितने अधिकारी हैं जिनके विरुद्ध जांच चल रही है? अधिकारी का नाम, जांच की किस्म तथा वर्तमान पदस्थापन सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ऐसे अधिकारियों को फील्ड में पदस्थापन से रोकने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्तमान में राजस्थान पुलिस सेवा में पदस्थापित 51 अधिकारियों के विरूद्ध नियम 16 व 17 सी.सी.ए. के अन्तर्गत जांच राज्य सरकार/पुलिस मुख्यालय स्तर पर विचाराधीन है। सूची नाम व पदस्थापन सहित विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 13.07.2001 के प्रावधानानुसार गबन, फण्डस् का दुरुपयोग एवं गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं में सी सी ए नियमों के नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय जांच विचाराधीन हो तो ऐसे कार्मिकों को फील्ड पोस्टिंग नहीं दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

परिशिष्ट 'अ'

अधिकारी जिनके विरुद्ध नियम 16 सी.सी.ए. में विभागीय जांच राज्य सरकार में विचाराधीन है की सूची

क्र. सं.	नाम अधिकारी	पद	वर्तमान पदस्थापन
1.	श्री भंवर नेक	उप अधीक्षक पुलिस	हाल सेवानिवृत्त
2.	श्री उमेन्द्र रघुवंशी	उप अधीक्षक पुलिस	एस.सी.आर.बी. जयपुर
3.	श्री विशाल कुमार शर्मा	उप अधीक्षक पुलिस	ए.सी.बी. चौकी झालावाड़
4.	श्री राजेन्द्र सिंह गोगावत	उप अधीक्षक पुलिस	एस.सी./एस.टी. एक्ट दौसा
5.	श्री आलोक श्रीवास्तव	अति. पुलिस अधीक्षक	आर.पी.ए. जयपुर
6.	श्री भीम सिंह बीका	उप अधीक्षक पुलिस	उप अधीक्षक पुलिस ए.सी.बी.
7.	श्री सीताराम प्रजापत	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	सहायक कमाण्डेन्ट 8वीं बटा. आर.ए.सी. दिल्ली
8.	श्री सुरेन्द्र सिंह कटेवा	उप अधीक्षक पुलिस	सहायक कमाण्डेन्ट 8वीं बटा. आर.ए.सी. दिल्ली
9.	श्री प्रभूलाल मीणा	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	डिप्टी कमाण्डेन्ट, द्वितीय बटालियन आर.ए.सी. कोटा
10.	श्री गोपाल सिंह राठौड	उप अधीक्षक पुलिस	सेवानिवृत्त
11.	श्री महेन्द्र सिंह	उप अधीक्षक पुलिस	निलम्बित पुलिस मुख्यालय
12.	श्री सतपाल सिंह	उप अधीक्षक पुलिस	पुलिस, एससी/एसटी सैल सवाई माधोपुर
13.	श्री मोतीलाल	उप अधीक्षक पुलिस	वृत्ताधिकारी ग्रामीण सवाई माधोपुर

क्र. सं.	नाम अधिकारी	पद	वर्तमान पदस्थापन
14.	श्री पूनम सिंह विश्नोई	उप अधीक्षक पुलिस	सहायक कमाण्डेन्ट, 8वीं बटा. आर.ए.सी. नई दिल्ली
15.	श्री राजकुमार गुप्ता	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पुलिस सतर्कता राज. जयपुर
16.	श्री राजेन्द्र सिंह	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	जिला-भीलवाड़ा
17.	श्री कृष्णकांत शर्मा	उप अधीक्षक पुलिस	सेवानिवृत्त
18.	श्री शिव सिंह मीणा	उप अधीक्षक पुलिस	सेवानिवृत्त
19.	श्री भीख सिंह	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	सेवानिवृत्त
20.	श्री सत्यनारायण खींची	पुलिस अधीक्षक	पुलिस अधीक्षक जिला दौसा
21.	श्री श्रीराम मीणा	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	सेवानिवृत्त
22.	श्री गोविन्द देथा	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	सी.आई.डी. (सी.बी.) राजस्थान, जयपुर
23.	श्री राजेन्द्र सिंह सिसोदिया	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	सी.आई.डी. (सी.बी.) राजस्थान, जयपुर
24.	श्री राजेन्द्र सिंह	उप अधीक्षक पुलिस	सी.आई.डी. (सी.बी.) मुख्यालय, जयपुर
25.	श्री जगदीश प्रसाद बैरवा	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	सी.आई.डी. (सी.बी.) राजस्थान, जयपुर

नियम 17 सी.सी.ए. में राज्य सरकार में विचाराधीन विभागीय जांचों की सूची

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पद	वर्तमान पदस्थापन
1.	श्री दिनेश कुमार माथुर	अति. पुलिस अधीक्षक	अति. पुलिस अधीक्षक पी.टी.सी. जोधपुर
2.	श्री सीताराम प्रजापत	उप अधीक्षक पुलिस	डिप्टी कमाण्डेन्ट, 8वीं बटा. आर.ए.सी. नई दिल्ली

क्र.सं.	नाम अधिकारी	पद	वर्तमान पदस्थापन
3.	श्री सीताराम प्रजापत	उप अधीक्षक पुलिस	डिप्टी कमाण्डेन्ट, 8वीं बटा. आर.ए.सी. दिल्ली
4.	श्री गणपत लाल	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला जैसलमेर
5.	श्री नन्दलाल पवन	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	जिला बून्दी
6.	श्री राजकुमार चौधरी	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ए.सी.बी. झुन्झुनूं

नियम 17 सी.सी.ए. में पुलिस मुख्यालय स्तर पर विचाराधीन विभागीय जांच सूची

क्र. सं.	नाम अधिकारी	पद	वर्तमान पदस्थापन
1.	श्री नरेन्द्र सिंह राठौड़	उप अधीक्षक पुलिस	वृत्ताधिकारी गंगापुरसिटी सवाई माधोपुर
2.	श्री अर्जुन सिंह	उप अधीक्षक पुलिस	वृत्ताधिकारी वृत्त झुन्झुनूं जिला झुन्झुनूं
3.	श्री हिम्मत सिंह	उप अधीक्षक पुलिस	सहायक कमाण्डेन्ट, छटी बटालियन आर.ए.सी. धौलपुर
4.	श्री सुरेन्द्र कुमार दीक्षित	उप अधीक्षक पुलिस	वृत्ताधिकारी वृत्त सुमेरपुर जिला पाली
5.	श्री नरेन्द्र सिंह	उप अधीक्षक पुलिस	वृत्ताधिकारी गंगापुरसिटी सवाई माधोपुर
6.	श्री योगेन्द्र फौजदार	उप अधीक्षक पुलिस	वृत्ताधिकारी सीकर शहर जिला सीकर
7.	श्री नाजिम अली	उप अधीक्षक पुलिस	वृत्ताधिकारी बाड़मेर
8.	श्री राकेश काछवाल	उप अधीक्षक पुलिस	वृत्ताधिकारी सीकर ग्रामीण

क्र. सं.	नाम अधिकारी	पद	वर्तमान पदस्थापन
9.	श्री मन्नोराम मीणा	उप अधीक्षक पुलिस	निलम्बित मुख्यालय कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर
10.	श्री नाजीम अली खान	उप अधीक्षक पुलिस	वृत्ताधिकारी बाड़मेर
11.	श्री हरमुख सिंह	उप अधीक्षक पुलिस	उप अधीक्षक पुलिस, एस.सी./एस.टी. सैल बीकानेर
12.	श्री राजपाल सिंह	उप अधीक्षक पुलिस	वृत्ताधिकारी दूदू जयपुर ग्रामीण
13.	श्री सतपाल सोलंकी	उप अधीक्षक पुलिस	वृत्ताधिकारी राजगढ़ जिला चूरू
14.	श्री रिछपाल सिंह जाखड़	उप अधीक्षक पुलिस	वृत्ताधिकारी औसिया जोधपुर ग्रामीण
15.	श्री छत्रसाल सिंह जाखड़	उप अधीक्षक पुलिस	वृत्ताधिकारी खेतड़ी जिला झुन्झुनूं
16.	श्री मानवेन्द्र सिंह	उप अधीक्षक पुलिस	वृत्ताधिकारी ग्रामीण भरतपुर।
17.	श्री रघुनाथ गर्ग	उप अधीक्षक पुलिस	वृत्ताधिकारी जी.आर.पी.
18.	श्री मुस्तफा अली जैदी	उप अधीक्षक पुलिस	वृत्ताधिकारी राजगढ़, जिला अलवर

वाहन चालकों द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर कार्यवाही हेतु प्राधिकृत अधिकारी

558. श्री बाबूलाल खराड़ी (झाड़ोल) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर शहर में संचालित मिनी बसों एवं दुपहिया वाहनों के द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर यातायात पुलिस का कौन-कौन

(श्री बाबूलाल खराड़ी)

कर्मचारी/अधिकारी कार्यवाही करने हेतु प्राधिकृत है? नियमों/आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत ड्राइविंग लाइसेंस किन-किन अपराधों के अन्तर्गत पंच किया जाता है? नियमों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम में ड्राइविंग लाइसेंस के सम्बन्ध में बने हुये नियमों में राज्य सरकार संशोधन कर सकती है? यदि हां, तो किन नियमों के अन्तर्गत? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत बने हुए नियमों के अन्तर्गत ही ड्राइविंग लाइसेंस पंच करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि जयपुर ट्रैफिक पुलिस द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर ड्राइविंग लाइसेंस पंच किया जाता है? यदि हां, तो तत्सम्बन्धित नियमों/आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर शहर में संचालित मिनी बसों एवं दुपहिया वाहनों के द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर यातायात पुलिस का मुख्य आरक्षी व उससे उच्च स्तर के अधिकारी राजस्थान मोटर वाहन (यान) नियम 1990 के नियम 5.65 के तहत निरीक्षण करने बाबत प्राधिकृत हैं। नियम की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 19 तथा केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 21 में वर्णित अपराधों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस पंच किये जाते हैं। विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां। मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 19 तथा केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 21 में वर्णित अपराधों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस पंच किये जाते हैं। विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(5) जी हां। यह सही है कि जयपुर शहर यातायात पुलिस द्वारा

(गृह मंत्री)

यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर ड्राइविंग लाइसेंस पंच किये जाते हैं। परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव, राज. सरकार के कार्यालय आदेश 01/2011 की प्रति परिशिष्ट 'द' पर संलग्न है।

(प्रतियां व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

जयपुर में विभिन्न संगठनों द्वारा धरने/प्रदर्शन

559. श्री अशोक पींचा (सरदारशहर) व श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर शहर में जनवरी, 2009 से फरवरी, 2013 के मध्य विधान सभा भवन के बाहर उद्योग मैदान और शहीद स्मारक पर किस-किस संस्था/संगठन ने कब-कब प्रदर्शन किये? संगठनवार/तिथिवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त प्रदर्शनों में किस-किस संगठन की क्या-क्या मांगें रहीं? किस-किस संगठन ने अपनी मांगों को लेकर क्या-क्या ज्ञापन किसे सौंपे? ज्ञापनों की प्रतियां सहित विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जयपुर शहर में जनवरी 2009 से फरवरी 2013 के मध्य विधान सभा भवन के बाहर, उद्योग मैदान और शहीद स्मारक पर जिस संस्था/संगठन द्वारा प्रदर्शन किया गया, उनका विवरण परिशिष्ट "अ" के कालम संख्या 2 व 3 पर संलग्न है।

(2) उक्त प्रदर्शनों में संगठनों की मांगों व ज्ञापन का विवरण परिशिष्ट "अ" के कालम संख्या 4 व 5 पर अंकित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रतापगढ़ जिले के धार्मिक दर्शनीय स्थलों पर व्यय राशि

560. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

गत चार वर्षों में प्रतापगढ़ जिले के पुरातन दर्शनीय स्थल पर वर्ष 2008-2012 तक किस-किस विभाग द्वारा पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए कितनी-कितनी राशि किन-किन कार्यों के लिए स्वीकृत की गयी और स्वीकृत राशि में से कितनी राशि व्यय की गयी? मंदिर व दर्शनीय स्थल के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

प्रतापगढ़ जिले में देवस्थान विभाग द्वारा प्रबंधित एवं नियंत्रित मंदिरों एवं पर्यटन विभाग द्वारा वर्ष 2008-2012 में पुनर्निर्माण एवं विकास कार्यों के लिए स्वीकृत एवं व्यय की गयी राशि का मंदिरों के नाम सहित विवरण निम्नानुसार है:-

(राशि लाखों में)

क्र. सं.	वर्ष	नाम मंदिर	स्थान	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	वि.वि.
1	08-09	मंदिर श्री ठाकुरजी विजयराघवजी	महलों के बाहर प्रतापगढ़	मरम्मत/ जीर्णोद्धार कार्य	6.00	6.63	कार्य पूर्ण
2	08-09	मंदिर श्री दीपनाथजी	तालाब के पछौर में प्रतापगढ़	मरम्मत/ जीर्णोद्धार कार्य	10.00	8.85	कार्य पूर्ण
3	08-09	मंदिर श्री हर मंदिर	महलों के बाहर देवगढ़ प्रतापगढ़	मरम्मत/ जीर्णोद्धार कार्य	8.00	10.38	कार्य पूर्ण
4	08-09	मंदिर श्री राम मंदिर	राम महल देवगढ़ प्रतापगढ़				
5	08-09	मंदिर श्री रसिक बिहारी	महलों के पीछे देवगढ़ प्रतापगढ़				
6	08-09	मंदिर श्री देराश्रीजी	महलों के पीछे देवगढ़ प्रतापगढ़				
7	08-09	मंदिर श्री हनुमानजी	महलों के पास में (दशहरा ग्राउण्ड) देवगढ़ प्रतापगढ़				

(देवस्थान मंत्री)

क्र. सं.	वर्ष	नाम मंदिर	स्थान	कार्य का नाम	स्वीकृत राशि	व्यय राशि	वि.वि.
8	08-09	मंदिर श्री सिद्धि विनायकजी	महलों के पास में (दशहरा ग्राउण्ड) देवगढ़ प्रतापगढ़				
9	08-09	मंदिर श्री गोपालजी (अस्थमंदिर)	तालाब के पास देवगढ़ प्रतापगढ़				
10	08-09	मंदिर श्री बाण माताजी	महलों के पीछे देवगढ़ प्रतापगढ़				
11	12-13	ग्रामीण पर्यटन विकास कार्य	देवगढ़ (जिला प्रतापगढ़))	विकास कार्य	50.00	22.21	कार्य प्रगति पर

क्रम संख्या 2 से 10 तक के मंदिरों के लिये एकजाई स्वीकृति के फलस्वरूप कार्य मरम्मत एवं जीर्णोद्धार कार्य करवाया गया।

नेशनल पार्क व अभयारण्यों के कोर व बफर जोन में निर्माण हेतु जारी अनुमति

561. श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में स्थित नेशनल पार्क तथा अभयारण्यों के कोर व बफर जोन सहित आस-पास के क्षेत्रों को वन्य जीवों के संरक्षण के लिहाज से निर्माण निषिद्ध व अन्य गतिविधियों के लिए प्रतिबंधित घोषित किया गया है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अन्य गतिविधियों के लिए निषिद्ध उक्त क्षेत्रों में पिछले पांच वर्षों में निर्माण कार्यों या अन्य गतिविधियों की अनुमति या एन ओ सी जारी की गई है? यदि हां, तो कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) अन्य गतिविधियों के लिए निषिद्ध उक्त क्षेत्रों में निर्माण व अन्य गतिविधियों के लिए एन ओ सी या अनुमति के कितने प्रकरण वर्तमान में विचाराधीन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री कैलाश चन्द भंसाली)

(4) उक्त अवधि में अन्य गतिविधियों के लिए निषिद्ध उक्त क्षेत्रों में अवैध निर्माण कार्यों या अन्य गतिविधियों के कितने मामले सामने आए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य क्षेत्रों की सीमाओं के अन्दर प्रबन्धकीय कार्यों के अतिरिक्त निर्माण व अन्य गतिविधियां प्रतिबन्धित हैं। जन उपयोगी कार्यों के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत राज्य एवं राष्ट्रीय वन्य जीव मण्डल तथा सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृति उपरान्त वन क्षेत्रों के प्रत्यावर्तन की स्वीकृति दी जाती है।

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 04.08.2006 के अनुसार अभयारण्य की सीमा से 1 किलोमीटर दूरी तक खनन गतिविधि पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। इसके उपरान्त, 10 किलोमीटर दूरी तक खनन लीज स्वीकृत कराने से पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के साथ स्टैण्डिंग कमेटी आफ दी नेशनल बोर्ड फार वाइल्ड लाइफ से स्वीकृति आवश्यक है।

एन्वायरनमेंट इम्पैक्ट एसेसमेंट नोटिफिकेशन वर्ष 2006 (एन्वायरनमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986) में वर्णित सूची में सम्मिलित कोई भी प्रोजेक्ट यदि अभयारण्य सीमा के 10 किलोमीटर परिधि में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 4.12.2006 के अनुसार एन्वायरनमेंट क्लीयरेंस के साथ ही स्टैण्डिंग कमेटी आफ दी नेशनल बोर्ड फार वाइल्ड लाइफ की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

(2) जी हां। विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(3) निषिद्ध क्षेत्रों में अन्य गतिविधियों के लिए निर्माण व अन्य गतिविधियों के लिए एन.ओ.सी. या अनुमति के विभाग में लम्बित प्रकरणों की सूची परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

(4) उक्त अवधि मे अवैध निर्माण कार्यों या अन्य गतिविधि के प्रकरणों के कुल 261 प्रकरण पंजीबद्ध हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट 'ग' पर संलग्न है।

(विवरण व सूची पुस्तकालय में रखे गये)

प्रदेश में पंजीकृत बेरोजगारों का नियोजन

562. श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : क्या श्रम एवं रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में कुल कितने पंजीकृत बेरोजगार हैं? श्रेणीवार, जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य में पंजीकृत बेरोजगारों को भत्ता दिये जाने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो उक्त घोषणानुसार कितने पंजीकृत बेरोजगार पात्र माने गये व उनमें से कितनों को कितनी-कितनी राशि बेरोजगार भत्ते के रूप में प्रदान की गई? जिलेवार/माहवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) जनवरी, 2009 से जनवरी, 2013 तक कितने पंजीकृत बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ा गया? जिलेवार, वर्षवार पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) प्रदेश में बेराजगारी भत्ता दिये जाने के लिए क्या-क्या नियम और प्रक्रिया निर्धारित की गई हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) अप्रैल, 2012 से जनवरी, 2013 तक कितनी राशि बेरोजगारी भत्ते के रूप में वितरित की गई? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में 31 जनवरी, 2013 को कुल 7,32,482 पंजीकृत बेरोजगार हैं। श्रेणीवार एवं जिलेवार विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। राजस्थान बेरोजगारी भत्ता योजना-2012 के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रियानुसार आवेदन करने पर 5,090 स्नातक पंजीकृत बेरोजगार पात्र माने गये । इनको 57,78,837 राशि बेरोजगारी भत्ते के रूप में प्रदान की गई। जिलेवार/माहवार विवरण परिशिष्ट-2 (अ) व परिशिष्ट-2 (ब) पर उपलब्ध है।

(3) जनवरी, 2009 से जनवरी, 2013 तक 10,406 पंजीकृत बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ा गया। जिलेवार एवं वर्षवार विवरण परिशिष्ट-3 पर उपलब्ध है।

(4) प्रदेश में बेरोजगारी भत्ता दिये जाने के लिए नियम और प्रक्रिया परिशिष्ट-4 पर उपलब्ध है।

(श्रम एवं रोजगार मंत्री)

(5) अप्रैल, 2012 से जनवरी, 2013 तक रुपये 57,78,837 की राशि बेरोजगारी भत्ते के रूप में वितरित की गई। जिलेवार विवरण परिशिष्ट-2(ब) पर उपलब्ध है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

विशेष बाल श्रमिकों हेतु विद्यालय

563. श्री अनिल जैन (खानपुर) : क्या श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि बाल श्रमिकों को शिक्षित करने के लिए विशेष बाल श्रमिक एवं पुनर्वास केन्द्र खोलने का प्रावधान है? यदि हां, तो इस हेतु किस-किस जिले में कब-कब सर्वे करवाया गया तथा कितने बाल श्रमिक चिह्नित किये गये? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। जिलेवार कराए गए सर्वे एवं चिह्नित बाल श्रमिकों की सूची परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है। जोखिम पूर्ण व्यवसायों/प्रक्रियाओं से मुक्त कराये गये बाल श्रमिकों को राज्य के 27 जिलों में क्रमश: अजमेर, अलवर, बीकानेर, बाड़मेर, बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ, दौसा, चूरू, धौलपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जालौर, झालावाड़, झुन्झुनूं, जोधपुर, कोटा, नागौर, पाली, सीकर, श्रीगंगानगर, डूंगरपुर, उदयपुर एवं टौंक में स्वीकृत राष्ट्रीय बाल श्रमिक परियोजना संस्थाओं के बाल श्रमिक विशेष विद्यालयों के माध्यम से नि:शुल्क कक्षा 5 तक की शिक्षा, अल्पाहार, व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्टाइफण्ड, चिकित्सा सुविधा, इत्यादि श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के शत-प्रतिशत अनुदान से प्रदान की जाती है।

परिशिष्ट-अ

राष्ट्रीय बाल श्रमिक विद्यालयों की सर्वे एवं चिह्नित बाल श्रमिकों की सूचना

क्र.सं.	जिले का नाम	अंतिम सर्वे की तिथि/वर्ष	सर्वे में चिह्नित बाल श्रमिकों की संख्या
1	बाड़मेर	फरवरी, 2005	3050
2	डूंगरपुर	6.12.05	2238
3	जालौर	27.12.05	2457

क्र.सं.	जिले का नाम	अंतिम सर्वे की तिथि/वर्ष	सर्वे में चिह्नित बाल श्रमिकों की संख्या
4	चित्तौड़गढ़	7.11.05 से 21.12.05 तक	5022
5	बारां	अक्टूबर, 2007 फरवरी 2012	2500 2150
6	कोटा	2007 2010 2011	1550 200 876
7	बीकानेर	अगस्त, 2010	2400
8	दौसा	मार्च, 2007	1432
9	पाली	11/2005, 7/2010 2012	2432 1203 714
10	उदयपुर	17.2.06 से 31.3.06	9244
11	बांसवाड़ा	4.1.2006	1068
12	भीलवाड़ा	2005 2007 2009 2010 2012	3714 399 2386 2366 1283
13	अजमेर	1999-2000 2003-2004 2005-2006 2009-2010	1050 1528 7211 2619
14	जोधपुर	मार्च, 2008	2102
15	झालावाड़	2005-06	4100
16	जयपुर	2006 2012	6098 3553
17	अलवर	वर्ष 2008-09 में एनजीओ द्वारा जनवरी 2010 2011-12	1900 1517 2619
18	चूरू	अगस्त, 2010	906
19	सीकर	जून, 2008 अगस्त, 2012	981 981

क्र.सं.	जिले का नाम	अंतिम सर्वे की तिथि/वर्ष	सर्वे में चिह्नित बाल श्रमिकों की संख्या
20	झुंझुनूं	2006 अक्टूबर 2010 जुलाई 2012	2001 678 1200
21	नागौर	2005-06 जनवरी 2012	1743 837
22	टोंक	1999-2000 2002-2003 2006-2007 2009-2010 2010-2011 2011-2012	1080 2610 3206 1400 2413 1846
23	हनुमानगढ़	13.8.2011	सर्वे में 871 बाल श्रमिक पाये गये जिनके सत्यापन उपरांत बाल श्रमिकों की सही स्थिति मालूम होगी।
24	भरतपुर	जुलाई, 2005	2106
25	धौलपुर	अगस्त, 2005	1979
26	बूंदी	दिनांक 5.10.2005 से 4.11.2005 तक दिनांक 1.2.12 से 20.2.12 तक	2711 2234
27	श्रीगंगानगर	फरवरी, 2009	2566

अलवर जिले के क्रमोन्नत विद्यालयों में रिक्त पद

564. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला अलवर में गत पांच वर्ष में कितने सेकण्डरी/सीनियर सेकण्डरी स्कूलों का क्रमोन्नयन किया गया? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त विद्यालयों में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं? वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं तथा रिक्त पद कब तक भर दिये जायेंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला अलवर में गत पांच वर्ष में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय से राजकीय माध्यमिक विद्यालय में तथा राजकीय माध्यमिक विद्यालय से राजकीय उच्च माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नत किये गये विद्यालयों के विवरण परिशिष्ट-"क-1, क-2 एवं क-3" पर संलग्न है।

(2) उक्त विद्यालयों में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद स्वीकृत एवं रिक्त हैं, का विवरण भी परिशिष्ट-"क-1, क-2 एवं क-3" में सम्मिलित है।

राजस्थान लोक सेवा आयोग, विभागीय पदोन्नति चयन समिति तथा पंचायती राज विभाग से चयनित आशार्थी उपलब्ध होने पर ही रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव हो सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

देवनारायण योजना के तहत स्वीकृत/क्रमोन्नत विद्यालय

565. डा. [श्रीमती] परम नवदीप सिंह (संगरिया) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि देवनारायण योजना के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किया जाना प्रस्तावित था? यदि हां, तो निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना के अन्तर्गत अब तक कहां-कहां पर विद्यालय खोले एवं क्रमोन्नत किये गये हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि अभी तक भी इस योजनान्तर्गत विद्यालय खोले या क्रमोन्नत नहीं किये गये हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) इस सम्बन्ध में कौन दोषी हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नत करने का प्रस्ताव था । इस सम्बन्ध में वित्त विभाग की सहमति परिशिष्ट-"क" संलग्न है।

(शिक्षा मंत्री)

(2) जिलेवार विवरण की सूची परिशिष्ट-"ख" संलग्न है।

(3) जी नहीं।

(4) इस सम्बन्ध में कोई दोषी नहीं है।

परिशिष्ट-'क'

टिप्पणी (क्रमिक)

FD concurs with AD's proposal for providing Rs. 25.00 crores in five years for strengthening educational infrastructure in Gujjar dominated 12 Tehsil in 5 districts under the Dev Narayan Yojana as follows :-

(Rs. In crores)

Parti culars	**No.**	**Recur-ring/non-recurring**	**Capital**	**Total**	**2008-2009 Recurring/ non-recurring**	**Capital**	**Total**
New Primary School	20	3.00	1.00	4.00	0.29	1.00	1.29
Upper Primary School to Secondary	10	6.11	0.75	6.86	0.75	0.75	1.50
Secondary to Senior Secondary	16	12.24	0.80	13.04	1.60	0.80	2.40
Remedial Coaching	17	1.10	0	1.10	0.20	0	0.20
Total		22.45	2.25	25.00	2.84	2.55	5.39

This proposal is approved subject to the condition that AD shall not relax departmental norms in implementing this Yojana.

This bears approval of Competent Authority in FD.

Deputy Secretary
Finance (Exp-I) Deptt.
10/10/2008

परिशिष्ट-ख

देवनारायण योजना के तहत क्रमोन्नत विद्यालयों की सूची

जिला	**नवीन खोले गये प्रा.वि.**	**उ.प्रा.वि. से मा.वि. स्तर में क्रमोन्नत**	**मा.वि. से उ.मा.वि. स्तर में क्रमोन्नत**
अलवर	1. भालेरा (खरखड़ी) 2. बनकी ढाणी (मण्डावरा) 3. भोपाला (टहला) 4. गोरधन गुवाड़ (गोरधनपुरा)	1. छीड़ 2. बासदयाल 3. बड़ागांव	-
करौली	5. बागपुर 6. वंशी का पुरा 7. नयापुरा 8. डेरा की ढाणी	4. बाड़ा	1. ओड 2. कसेड 3. अमरगढ़ 4. गढामोरा 5. तालचिडा
धौलपुर	9. मोहरूपुरा, रूधेरा 10. खाता, सेवरपाली	5. कस्बानगर 6. पदावली	6. मोलोनीखुर्द 7. निधेरा 8. बसईडांग 9. गजपुरा 10. धनोरा 11. सिंगोरई
सवाई माधोपुर	11. विश्वनाथपुरा 12. खोहरा, ग्राम पं. डूंगरी 13. रामपुरा ईसरदा 14. खेडली खालसा, लोरवाड़ा	7. झाछेड़ा	-
झालावाड़	15. नयागांव 16. बोरबंद 17. खानपुर नई बस्ती (चांदखेड़ी) 18. मालनवासा 19. बोरदा 20. सालरिया	8. देवर रेपला (रेपला) 9. हीरापुरा (गुराड़खेड़ा) 10. भुभाडा (देवनगर)	12. आमेठा 13. जोलपा 14. डोडा 15. रटलाई 16. बडाय

विराट नगर के क्रमोन्नयन रहित विद्यालय

566. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2003-04 से 2012-13 तक प्रदेश में सर्व शिक्षा के तहत कितने विद्यालय खोले गये तथा कितने क्रमोन्नत किये गये? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र विराट नगर में कितने प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय ऐसे हैं जो 30 वर्ष, 20 वर्ष तथा 10 वर्ष से क्रमोन्नत नहीं किये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत वर्ष 2003-04 से 2012-13 (वर्तमान) तक प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान के तहत नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलने तथा प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमोन्नति के आदेश जारी किये गये हैं। जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट ''क'' पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र विराट नगर में राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय, गत 10, 20 एवं 30 वर्षों से संचालित ऐसे विद्यालय जो क्रमोन्नत नहीं किये गये, का विवरण परिशिष्ट ''ख'' पर संलग्न हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

नोहर में सर्व शिक्षा अभियान के तहत स्वीकृत राशि

567. श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र नोहर में गत पांच वर्षों में सर्व शिक्षा अभियान के तहत किस-किस विद्यालय में कितनी-कितनी राशि से क्या-क्या कार्य स्वीकृत हुए? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है? कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा कितने शेष हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र नोहर में गत पांच वर्षों में सर्व शिक्षा अभियान के तहत राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वीकृत कार्यों की राशि का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट "क" पर संलग्न है।

(2) उक्त कार्यों की वर्तमान स्थिति, पूर्ण व शेष कार्यों का विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट "क" में सम्मिलित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा में ट्रिपल आई टी का निर्माण कार्य

568. श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा) : क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कोटा को आई आई टी की जगह सरकार द्वारा ट्रिपल आई टी का खुलने का मामला भी अभी फाइलों में ही अटका हुआ है? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और नहीं, तो इसका निर्माण कार्य कब प्रारम्भ होगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इसके लिए सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ कमेटी ने किसी कम्पनी का नाम प्रस्तावित किया है? यदि हां, तो वह कम्पनी कौन सी है और उसे आइटी क्षेत्र का कितना अनुभव है?

(3) ट्रिपल आई टी के संचालन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के क्या मानदण्ड हैं व संचालन करने वाली कम्पनी की तकनीकी विशेषज्ञता व वार्षिक टर्नओवर कितना होना चाहिए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) माननीय मुख्य मंत्री ने मार्च, 2011 में बजट भाषण में ट्रिपल आई टी कोटा में होगी, इसकी घोषणा की थी, उसके बाद इसके संचालन के लिए देशभर से जो आवेदन आमंत्रित किए गए, उसमें अब तक कितने आवेदन आए, किस-किस कम्पनी के आए और उसके बाद अब तक क्या प्रक्रिया अपनाई गई और अब ट्रिपल आई टी कोटा में कब शुरू होगी? तथ्यों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। कोटा में ट्रिपल आई.टी. खोलने का कार्य प्रगति पर है। केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 02 जुलाई, 2012 को सहमति प्रदान की जा चुकी है।

(तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री)

भारत सरकार, राज्य सरकार एवं चार औद्योगिक सहभागीदारों के मध्य MOU हस्ताक्षरित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जिनमें से चार ने हस्ताक्षर कर दिये हैं एवं यह प्रक्रिया दिनांक 20 मार्च, 2013 तक पूर्ण करने का प्रयास है। तत्पश्चात ट्रिपल आई.टी. की सोसायटी का पंजीकरण अतिशीघ्र कराया जायेगा, जिसके पश्चात ट्रिपल आई.टी. कोटा को स्थापित करने एवं भवन निर्माण आदि की कार्यवाही की जा सकेगी।

(2) ट्रिपल आई.टी. भारत सरकार की ट्रिपल आई.टी. पी पी पी मोड योजना के अन्तर्गत स्थापित की जा रही है जिसमें निम्न चार निजी कम्पनियों को भागीदार के रूप में लेने का राज्य सरकार ने निर्णय लिया है :-

1. सी. के. बिरला ग्रुप की नेशनल इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज लिमिटेड।
2. केयर्न इण्डिया।
3. जेनपेक्ट इण्डिया, जयपुर।
4. वक्रांगी साफ्टवेयरेज लिमिटेड, मुम्बई।

वक्रांगी साफ्टवेयरेज लिमिटेड का 21 वर्ष का एवं जेनपेक्ट इण्डिया का 16 वर्ष का आई.टी. क्षेत्र में अनुभव है।

(3) ट्रिपल आई.टी. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन संचालित किया जाने वाला एक राष्ट्रीय स्तर का संस्थान है। इसके संचालन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, राज्य सरकार द्वारा कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किये जाते हैं।

(4) जी हां। विज्ञापन की अन्तिम तिथि 15 अप्रैल, 2011 तक कुल 46 प्रस्ताव प्राप्त हुये जिनमें से प्राथमिक तौर पर 14 बड़े औद्योगिक घरानों एवं शिक्षण संस्थानों की सूची तैयार की गई। सूची परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

प्रथम दृष्टया उपयुक्त औद्योगिक घरानों एवं शिक्षण संस्थानों को राज्य सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति (स्क्रीनिंग कमेटी) के समक्ष दिनांक 2 मई, 2011 को उनके द्वारा प्रस्तुतीकरण के लिए आमंत्रित किया गया। उक्त दिनांक को 14 में से 10 औद्योगिक घरानों एवं शिक्षण संस्थानों ने अपना प्रस्तुतीकरण दिया।

प्रस्तुतीकरण के आधार पर विशेषज्ञ समिति ने वरीयता के अनुसार निम्न 04 नाम प्रस्तावित किये जिन्हें उच्च स्तर पर अनुमोदनार्थ प्रेषित किया गया :-

(तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री)

1. वक्रांगी साफ्टवेयर लिमिटेड मुम्बई।

2. कोर प्रोजेक्ट एण्ड टेक्नोलोजीज लिमिटेड मुम्बई।

3. केमेलिया ग्रुप कोलकाता।

4. रायसोनी ग्रुप आफ इंस्टिट्यूशन्स, नागपुर।

दिनांक 29 जुलाई, 2011 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली में आयोजित बैठक के कार्यवाही विवरण के अनुसार राज्य सरकारों को यह निर्देशित किया गया कि आई.टी. क्षेत्र में अधिक अनुभवी एवं सक्षम कम से कम तीन औद्योगिक घरानों का निजी सहभागियों के रूप में चयन किया जावे। इसी उद्देश्य से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। इस समिति में उक्त प्रस्तावित चार नामों पर विचार-विमर्श किया गया एवं क्रम संख्या दो से चार पर अंकित प्रस्तावों को निरस्त करते हुये तीन विश्वस्तरीय एवं प्रतिष्ठित समूहों से सम्पर्क करते हुए सम्मिलित किया गया एवं अन्त में, समिति की अनुशंसानुसार ट्रिपल आई.टी. की स्थापना हेतु चार निजी सहभागियों के नाम केन्द्र सरकार को प्रेषित किये गये जो निम्नानुसार हैं :-

1. श्री एल.एन. मित्तल, अध्यक्ष, आर्सेलर मित्तल समूह जरिये लक्ष्मी - उषा मित्तल फाउण्डेशन।

2. श्री सी. के. बिरला, अध्यक्ष, हिन्दुस्तान मोटर्स (बिरला समूह)

3. जेनपेक्ट इण्डिया, जयपुर।

4. वक्रांगी साफ्टवेयर लिमिटेड, मुम्बई।

MOU हस्ताक्षर होने की स्टेज आने पर आर्सेलर मित्तल ग्रुप ने इस परियोजना में भागीदार होने में अरुचि दिखाई। उनके स्थान पर केयर्न इण्डिया ने इस परियोजना में भागीदार होने बाबत अपनी सहमति दी। अत: आर्सेलर मित्तल ग्रुप के स्थान पर केयर्न इण्डिया को भागीदार बनाया गया है।

ट्रिपल आई.टी. कोटा कब शुरू होगी, के सम्बन्ध में सूचना भाग 01 में दे दी गई है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

आसींद में औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना

569. श्री रामलाल गुर्जर (आसींद) : क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) भीलवाड़ा जिले में कितने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान केन्द्र संचालित हैं?

(2) क्या आसींद विधान सभा क्षेत्र में कोई सार्वजनिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान केन्द्र नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में सार्वजनिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में 07 राजकीय एवं 05 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान केन्द्र संचालित हैं।

(2) जी नहीं। आसींद विधान सभा क्षेत्र में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान केन्द्र गुलाबपुरा में संचालित है।

विशेष न्यायालयों में लोक सेवकों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतें

570. श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली) व **श्री ओम बिरला** (कोटा दक्षिण): क्या विधि एवं विधिक कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में विशेष न्यायालय एक्ट लागू हो चुका है? यदि हां, तो उसके नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त एक्ट के अन्तर्गत न्यायालयों की स्थापना किये जाने का प्रावधान था? यदि हां, तो अब तक कितने न्यायालय कहां-कहां स्थापित किये गये? उक्त न्यायालयों के लिए कितना बजट तथा कितने-कितने पद स्वीकृत किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त एक्ट के अन्तर्गत अब तक कितने लोकसेवकों के विरुद्ध शिकायतें/सूचनाएं प्राप्त हुईं तथा उक्त में से किन-किन प्रकरणों में जांच पूरी कर ली गई तथा कितने प्रकरणों में शिकायतें सच पाई गईं? न्यायालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान विशेष न्यायालय अधिनियम, 2012 राज्य में लागू हो गया है। इसके नियमों की प्रति हेतु प्रदर्श 'क' संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त एक्ट में न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से विधि विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.2(4)न्याय/96 दिनांक 28.02.2013 के द्वारा जयपुर एवं जोधपुर में एक-एक विशेष न्यायालय (राजस्थान विशेष न्यायालय अधिनियम, 2012) की स्थापना की गई। उक्त न्यायालयों हेतु आवश्यक पद एवं बजट स्वीकृत करने के लिए प्रस्ताव भिजवाने हेतु पत्र क्रमांक प.2(4)न्याय/96 दिनांक 01.03.2013 के द्वारा रजिस्ट्रार जनरल माननीय उच्च न्यायालय से निवेदन किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से प्रस्ताव प्राप्त होने पर माननीय उच्च न्यायालय के प्रस्ताव पर वित्त विभाग की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त कर उक्त न्यायालयों हेतु आवश्यक पद एवं बजट की स्वीकृति जारी की जा सकेगी।

(3) विशेष न्यायालय एक्ट के अन्तर्गत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर में अब तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है और न ही कोई प्रकरण दर्ज किया गया है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

बगरू में संचालित टायर फैक्टरियों से प्रदूषण

571. श्रीमती गंगा देवी (बगरू) : क्या पर्यावरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बगरू में टायर फैक्टरियां संचालित हैं? यदि हां, तो कहां-कहां एवं किस नाम से व कितने भू-भाग पर तथा कब से?

(2) क्या यह सही है कि उक्त टायर फैक्टरियों से प्रदूषण फैलाया जा रहा है? यदि हां, तो इस प्रदूषण को मापने का आधार क्या है?

(3) क्या यह भी सही है कि प्रदूषण से परेशान स्थानीय आम जनता, किसान बन्धु एवं सभी स्तर के जन-प्रतिनिधिगण एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा सरकार के समक्ष लम्बे समय से विरोध दर्ज करवाकर इन्हें आबादी से दूर हटाने की मांग की जाती रही है? यदि हां, तो इस समस्या के समाधान हेतु सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाये गये?

(श्रीमती गंगा देवी)

(4) क्या सरकार प्रदूषण फैलाने वाली उक्त टायर फैक्टरियों को आबादी क्षेत्रों व खेत-खलिहानों से दूर हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र बगरू में 12 वेस्ट टायर प्राइरोलिसिस इकाइयां संचालित हैं, जिनके सम्बन्ध में विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है ।

(2) वेस्ट टायर प्राइरोलिसिस इकाइयों से प्रदूषण की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता । उल्लेखनीय है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत इन इकाइयों हेतु अलग से मानक निर्धारित नहीं हैं, तथापि, इन उद्योगों को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा जारी की जाने वाली सम्मति में जल/वायु प्रदूषक तत्वों की निम्नानुसार सीमा अधिरोपित की गई है :-

1. उद्योग परिसर से निस्त्रावित उच्छिष्ठ की मात्रा- 0

2. सस्पेंडेड पार्टीकुलेट मैटर (चिमनियों से उत्सर्जित वायु में)- 150 मिलीग्राम/नारमल घनमीटर

3. औद्योगिक परिसर में परिवेक्षीय वायु में विभिन्न प्रदूषक तत्वों की मात्रा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा प्रकाशित मानकों की सीमा के अन्दर रहे ।

(3) जी हां। पर्यावरण विभाग के नियंत्रणाधीन राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को बगरू औद्योगिक क्षेत्र में स्थित वेस्ट टायर प्राइरोलिसिस उद्योगों से प्रदूषण के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं । राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा वेस्ट टायर प्राइरोलिसिस इकाइयों में प्रदूषण समस्या के निवारण हेतु निम्न कार्यवाही की गई है :-

(अ) राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के आदेश दिनांक 02/11/2012 द्वारा एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है जिसका उद्देश्य प्रकाशित शोध पत्रों का अध्ययन कर निम्नानुसार समुचित अनुशंसा करना है :

(पर्यावरण मंत्री)

1. वेस्ट टायर प्राइरोलिसिस इकाइयों द्वारा पर्यावरण व सुरक्षा के क्या उपाय होने चाहिए?
2. क्या इन इकाइयों को राज्य में संचालन व स्थापना की अनुमति दी जाएं? यदि हां, तो, राज्य मण्डल द्वारा तैयार की गई ड्राफ्ट गाइडलाइन के प्रारूप में क्या संशोधन किए जाएं? उक्त विशेषज्ञ समिति को अपनी रिपोर्ट 6 माह में प्रस्तुत करनी है।

(ब) क्षेत्रीय कार्यालय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर द्वारा इन सभी इकाइयों का दिनांक 09/02/2013 एवं 11/02/2013 को निरीक्षण किया गया एवं निरीक्षण के दौरान इन इकाइयों में स्थापित जल एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था में अनेक कमियॉ पाई गई। इन कमियों के आधार पर इन सभी उद्योगों को क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र दिनांक 13/02/1013 के द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किये गये। उपरोक्त नोटिसों का सभी उद्योगों ने हाल ही में जवाब प्रस्तुत किया है, जिन पर निर्णय प्रक्रियाधीन है।

(4) औद्योगिक इकाइयों का स्थान परिवर्तन या दूर हटाने के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि औद्योगिक इकाई के स्थान परिवर्तन मात्र से प्रदूषण को नहीं रोका जा सकता, अपितु जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के प्रावधानों के अन्तर्गत वेस्ट टायर पाइरोलिसिस इकाई को जारी स्थापना/संचालन सम्मति में अधिरोपित मानकों व शर्तों की पालना किये जाने से ही प्रदूषण निवारण हो सकता है। अधिरोपित मानकों व शर्तों की पालना नहीं पाये जाने पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल उक्त अधिनियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करता है जिसमें उद्योग को बन्द करने एवं विद्युत/जल सम्बन्ध विच्छेद हेतु निर्देश भी शामिल हैं।

परिशिष्ट-अ

रीको औद्योगिक क्षेत्र, बगरू में कार्यरत टायर पायरोलोसिस उद्योगों का विवरण

क्रम सं.	उद्योग का नाम व पता	उद्योग का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	इकाई द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1974 व वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के अन्तर्गत प्रेषित सम्मति आवेदन पत्र के अनुसार उद्योग में उत्पादन शुरू होने की दिनांक
1	**2**	**3**	**4**
1	इको केयर एनर्जी एक्सप्लोरेशन, ए-213, रीको औद्योगिक क्षेत्र, बगरू विस्तार, जयपुर	6142	15/05/2012
2	ग्रीन एनर्जी इन्टरनेशनल, ई-142, रिको औद्योगिक क्षेत्र, बगरू विस्तार, जयपुर	4238	1/7/2012
3	श्री बालाजी ग्रीन एनर्जी, जी-96-97, रीको औद्योगिक क्षेत्र, बगरू विस्तार, जयपुर	3000	9/5/2012
4	ग्रीन पावर सोल्यूशन मेकर्स, जी-64, रीको ओद्योगिक क्षेत्र, बगरू विस्तार, जयपुर	1500	28/04/2012
5	जय बालाजी इन्डस्ट्रीज, एफ-223, रीको औद्योगिक क्षेत्र, बगरू विस्तार, जयपुर	4750	25/11/2011
6	श्री खाटू श्याम इन्डस्ट्रीज, ई-223, रीको औद्योगिक क्षेत्र बगरू विस्तार, जयपुर	2800	14/01/2012

1	2	3	4
7	अवक्षेम इन्टर प्राइजेज इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, एफ-123-124, रीको औद्योगिक क्षेत्र, बगरू विस्तार, जयपुर	1965	1/9/2012
8	आदित्या पेटौमेक्स प्राइवेट लिमिटेड, जी-1-63-64, रीको औद्योगिक क्षेत्र, बगरू विस्तार, जयपुर	2040	15/05/2012
9	जय महेश इण्डस्ट्रीज, ई-107, रीको औद्योगिक क्षेत्र, बगरू विस्तार, जयपुर	5843	25/07/2012
10	आर.के. इन्टरप्राइजेज ई-108, रीको औद्योगिक क्षेत्र, बगरू विस्तार, जयपुर	4925	15/08/2002
11	कृष्णा ग्रीन एनर्जी, एफ-131, रिको औद्योगिक क्षेत्र, बगरू विस्तार, जयपुर	2025	1/11/2012
12	स्वास्तिक पायरोलायसिस ग्रीन प्रोडेक्ट रिसाइकिलींग, जी-149-150, रिको औद्योगिक क्षेत्र, बगरू विस्तार, जयपुर	2250	16/05/2012

बाड़मेर में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र

572. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वर्तमान में कौन-कौनसी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में वर्तमान में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन कहां-कहां किया जा रहा है एवं प्रत्येक आंगनबाड़ी पर कितने छात्र-छात्राओं का नामांकन है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्रों के स्वीकृत करने एवं इसके संचालन हेतु क्या-क्या नियम एवं प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वर्तमान में संचालित योजनाओं का का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में वर्तमान में कुल 366 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। नामांकित छात्र-छात्राओं का विवरण परिशिष्ट ब पर संलग्न है।

(3) आंगनबाड़ियों को स्वीकृत करने एवं संचालन करने हेतु नियमों एवं प्रक्रिया की प्रति परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं को सेवानिवृत्ति लाभों की स्वीकृति

573. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार आंगनबाड़ी केन्द्रों में कार्यरत कार्यकर्ता, सहायिका सहयोगिनियों, ग्राम साथिनों को स्थायी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं नहीं, तो क्यों?

(2) क्या आंगनबाड़ी केन्द्रों में उपर्युक्त पदों पर कार्यरत महिलाओं को अट्ठावन वर्ष की आयु पूर्ण करने पर सेवा से हटाया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सेवा से हटाये जाने वाली महिलाओं को सरकार द्वारा पेंशन, ग्रेच्युटी, आदि परिलाभ भी दिये जाते हैं?

(श्री वासुदेव देवनानी)

(3) क्या सरकार आंगनबाड़ी की सेवा से हटाये जाने वाली महिलाओं को भी पेंशन, ग्रेच्युटी, आदि परिलाभ देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) समेकित बाल विकास सेवाएं एक केन्द्र प्रवर्तित योजना है। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर दी जाने वाली सेवाएं मानदेय आधारित स्वैच्छिक सेवा भावना से की जाने वाली होती हैं।

(2) जी हां। विभागीय परिपत्र दिनांक 15.09.2003 की प्रति परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। आंगनबाडी केन्द्रों पर दी जाने वाल सेवाएं मानदेय आधारित स्वैच्छिक सेवा भावना से की जाने वाली सामाजिक सेवाएं हैं। अत: इन्हें किसी प्रकार का लाभ देय नहीं है।

(3) जी नहीं। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर दी जाने वाल सेवाएं मानदेय आधारित स्वैच्छिक सेवा भावना से की जाने वाली सामाजिक सेवाएं हैं। अत: इन्हें किसी प्रकार का लाभ देय नहीं है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

मकराना के भवन-रहित आंगनबाड़ी केन्द्र

574. श्री जाकिर हुसैन गैसावत (मकराना) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र मकराना में कुल कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं?

(2) उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में कितने केन्द्र किराये के भवन में तथा कितने केन्द्रों के पास स्वयं का मकान है? ग्राम पंचायतवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार भवन-रहित आंगनबाड़ी केन्द्रों का भवन निर्माण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) मकराना विधान सभा क्षेत्र में कुल 245 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं।

(2) मकराना विधान सभा क्षेत्र में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में से

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

किराये के भवनों में 146, अन्य सरकारी भवनों में 99 (विभागीय भवन 21, विद्यालयों में 52 व अन्य सरकारी भवनों में 26) संचालित हैं। ग्राम पंचायतवार सूची परिशिष्ट अ पर संलग्न है।

(3) जी हां। विचार रखती है। वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर राजकीय आंगनबाड़ी केन्द्र भवनों का निर्माण करवाया जाता है।

परिशिष्ट-अ

ग्राम पंचायत वार संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों की स्थिति

क्र. सं.	ग्राम पंचायत का नाम	किराये के भवन में संचालित आं.बा. केन्द्र	विभागीय भवन में संचालित आं.बा. केन्द्र	अन्य सरकारी भवन में संचालित आं.बा. केन्द्र	विद्यालयों में संचालित आ.बां. केन्द्र	योग
1	भिंचावा	7	0	1	3	11
2	भैयाकला	1	0	0	3	4
3	गच्छीपुरा	5	2	1	3	11
4	डोबडीकला	1	0	0	5	6
5	सरनावड़ा	1	2	0	2	5
6	जूसरी	13	0	0	0	13
7	जूसरिया	4	0	0	0	4
8	बिल्लू	5	0	1	0	6
9	जाखली	4	0	3	0	7
10	कालवाबड़ा	4	0	0	0	4
11	बुडसू	3	0	1	3	7
12	सफेदबड़ी	2	1	1	1	5
13	चाम्डी	0	0	1	3	4
14	गैलासर	1	0	3	0	4
15	कूकडोद	3	0	1	0	4
16	भरनाई	3	0	1	0	4
17	आसरवां	1	0	0	3	4
18	अलतवा	1	1	1	1	4

क्र. सं.	ग्राम पंचायत का नाम	किराये के भवन में संचालित आं.बा. केन्द्र	विभागीय भवन में संचालित आं.बा. केन्द्र	अन्य सरकारी भवन में संचालित आं.बा. केन्द्र	विद्यालयों में संचालित आं.बा. केन्द्र	योग
19	खदीशीला	2	1	1	1	5
20	बाजोली	3	2	0	3	8
21	इटावालाखा	1	2	0	0	3
22	गेढाकला	2	0	1	1	4
23	बोरावड	7	2	0	0	9
24	सबलपुर	4	0	0	1	5
25	नीमड़ी	2	0	1	1	4
26	बेसरोली	3	0	1	0	4
27	नान्दोली मेड़तिया	1	0	0	2	3
28	दुदिया	1	0	0	2	3
29	रामसिया	0	1	2	1	4
30	इन्दौखा	1	1	2	2	6
31	खारडिया	1	0	0	3	4
32	रानी गांव	4	1	0	1	6
33	धानशावा	3	0	1	1	5
34	मनाना	1	5	0	1	7
35	मोडी चारणा	2	0	1	2	5
36	बरवाली	5	0	1	2	6
37	नगरपालिका क्षेत्र	44	0	0	3	47
	योग	**146**	**21**	**26**	**52**	**245**

उपनिदेशक
महिला एवं बाल विकास
विभाग, नागौर

निगम बस सेवा में महिला यात्रियों को किराये में छूट

575. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश की सम्पूर्ण महिलाओं को राजस्थान रोडवेज की सभी बसों में यात्रा करने पर 30 प्रतिशत किराये में छूट प्रदान करने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो क्या महिलाओं को किराये में छूट दी जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं ।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में अनुसूचित जाति/ जनजाति के रिक्त पद

576. श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या यातायात राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में अनुसूचित जाति/जनजाति के पदों का बैकलाग भरा जाना शेष है? यदि हां, तो वर्तमान में अनुसूचित जाति/जनजाति के लेखाधिकारी व सहायक लेखाधिकारी के बैकलाग के कितने पद भरे जाने शेष हैं तथा सरकार उक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम में तदर्थ पदोन्नति देने हेतु मण्डल द्वारा प्रस्ताव संख्या 104/78 पारित किया गया है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि एक वर्ष से ज्यादा अनुभव रखने के उपरान्त भी अनुसूचित जाति/जनजाति के 10 लेखाकार एवं सहायक लेखाधिकारी के रिक्त पदों के बैकलाग को नहीं भरा गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति के बैकलाग के लेखाधिकारी व अन्य पदों को सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा भरा गया है? यदि हां, तो वर्तमान में ऐसे कितने पद हैं जिनको नियम-विरुद्ध सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा भरा गया है? क्या सरकार नियम-विरुद्ध पदोन्नति देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(श्री मोहनलाल गुप्ता)

(4) वर्तमान में अनुसूचित जाति/जनजाति के कितने पदों पर भर्ती/पदोन्नति का बैकलाग विचाराधीन है? क्या सरकार उक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा वर्ष 2006-07, 2007-08, 2009-10, 2011-12 में लेखा वर्ग की डी.पी.सी. आयोजित नहीं की गई? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त वर्षों की बकाया डी.पी.सी. को आयोजित कर कार्मिकों की पदोन्नति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(6) क्या यह भी सही है कि श्री विजय कुमार शर्मा व अन्य बनाम राजस्थान रोडवेज, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 16-11-2007 की पालना में लेखा वर्ग की वरिष्ठता सूचियां संशोधित कर दी गई हैं? यदि हां, तो कब एवं नहीं, तो क्यों? उक्त के लिए कौन-कौन कर्मचारी अधिकारी दोषी हैं तथा सरकार द्वारा दोषी कार्मिकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या सरकार अब उक्त वर्ग के जिन कार्मिकों ने आवश्यक अनुभव हासिल कर लिया है, उन्हें पदोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(8) क्या यह भी सही है कि न्यायालय के निर्णय का हवाला देकर सहायक लेखाधिकारी पद पर पदोन्नति की गई है? यदि हां, तो न्यायालय के निर्णय की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में लेखाधिकारी के पद पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का आरक्षण पूर्ण है। परन्तु सहायक लेखाधिकारी के अनुसूचित जनजाति के 3 पदों का बैकलाग शेष है जिसको पात्र कर्मचारी उपलब्ध होने पर नियमानुसार भरने की कार्यवाही की जा सकेगी।

(2) जी हां। निगम मण्डल द्वारा प्रस्ताव संख्या 104/78 में तदर्थ पदोन्नति का प्रावधान किया हुआ है। तदर्थ पदोन्नति की कार्यवाही समिति डी.पी.सी. की बैठक आयोजित नहीं होने पर आवश्यकता के आधार पर की जा सकती है। वर्तमान में निगम में सभी पदों पर वर्षवार विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की जाकर पदोन्नतियां की जा रही हैं तथा लेखाकार,

(यातायात राज्य मंत्री)

सहायक लेखाधिकारी के पदों पर भी वर्ष 2012-13 तक के रिक्त पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही कर आरक्षित बैकलाग भरा जा चुका है। पात्र प्रत्याशी उपलब्ध नहीं होने से सहायक लेखाधिकारी के पद पर अनुसूचित जनजाति के 3 पदों का बैकलाग शेष है एवं लेखाकार के पद पर पात्र प्रत्याशी उपलब्ध नहीं होने से अनुसूचित जाति के 17 एवं अनुसूचित जनजाति के 16 पदों का बैकलाग शेष हैं।

(3) जी नहीं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आरक्षित पदों को सामान्य संवर्ग से नहीं भरा गया है। इन आरक्षित पदों को रिक्त रखा गया है।

(4) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पदों पर बैकलाग की सूचना परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। पदोन्नति कोटे के पदों पर वर्ष 2012-13 तक की रिक्तियों के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित कर पदोन्नति द्वारा पदों को भरा जा चुका है। सीधी भर्ती के पदों में जिन पदों को भरे जाने की स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त हुई है, उन पदों को भरे जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(5) जी नहीं। लेखा संवर्ग के सभी पदों पर वर्ष 2006-07 से वर्ष 2012-13 तक के रिक्त पदों के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठकें आयोजित कर पात्र कार्मिकों को पदोन्नति दी जा चुकी है।

(6) जी हां। श्री विजय कुमार शर्मा व अन्य बनाम राजस्थान रोडवेज, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 16.11.2007 की पालना में लेखा वर्ग की वरिष्ठता सूचियां आदेश क्रमांक 4780 दिनांक 13.07.2011 से संशोधित कर प्रकरण का निस्तारण कर दिया गया है।

(7) लेखा संवर्ग के सभी कार्मिकों को वर्ष 2012-13 तक के रिक्त पदों के विरुद्ध पदोन्नतियां दी जा चुकी हैं।

(8) माननीय न्यायालय की निर्णय की पालना में 3 कार्मिकों को सहायक लेखाधिकारी के पद पर पदोन्नति दी गयी है । माननीय न्यायालय के निर्णय की प्रति परिशिष्ट 2 पर संलग्न है।

(सूचना व प्रति पुस्तकालय में रखी गयीं)

प्रश्न संख्या-577

(स्थगित)

बारां जिले की कृषि उपज मण्डियों को प्राप्त राजस्व

578. श्रीमती निर्मला (किशनगंज) व **श्री प्रमोद जैन 'भाया'** (अन्ता-बारां) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बारां जिले में किस-किस स्थान पर किस-किस श्रेणी की कृषि उपज मण्डी किस-किस दिनांक से संचालित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मण्डियों में वर्ष 2001 से वर्ष 2012 तक कितनी-कितनी मात्रा में किस-किस जिन्स की आवक हुई? वर्षवार व मण्डीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) बारां जिले की मण्डी समितियों को मण्डी शुल्क से कितनी-कितनी आय वर्ष 2001 से वर्ष 2012 तक हुई? वर्षवार व मण्डीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्ष 2001 से वर्ष 2012 तक बारां जिले की मण्डियों में विक्रय हेतु लाई गई कृषि जिन्स का बाजार दर से कुल मूल्य क्या रहा? जिन्सवार, मण्डीवार व वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बारां जिले में निम्न मण्डी समितियां संचालित हैं-

क्र.स.	नाम मण्डी समिति	श्रेणी	स्थापना दिनांक
1	बारां	विशिष्ट	02.03.1964
2	अन्ता	स	24.03.2011
3	अटरू	स	06.06.1985
4	छबड़ा	अ	22.02.1976

(2) बारां जिले की मण्डी समितियों में वर्ष 2001 से 2012 तक जिन्सवार आवक का विवरण परिशिष्ट 'अ' के अनुसार है।

(3) वर्ष 2001 से वर्ष 2012 तक बारां जिले की मण्डी समितियों में प्राप्त मण्डी शुल्क का वर्षवार व मण्डीवार विवरण परिशिष्ट 'ब' के अनुसार है।

(4) वर्ष 2001 से 2012 तक बारां जिले की मण्डियों में विक्रय हेतु लाई गई कृषि जिन्स का बाजार दर से कुल मूल्य का जिन्सवार, मण्डीवार व वर्षवार विवरण संलग्न परिशिष्ट 'स' के अनुसार है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सहाड़ा में राजीव गांधी कृषक साथी योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि

579. श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में 01 जनवरी, 2003 से दिसम्बर, 2012 तक दुर्घटनाओं में किन-किन गांवों के किन-किन किसानों को कितनी-कितनी राशि राजीव गांधी कृषक योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की गई और कितने आवेदन लम्बित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के अन्तर्गत कृषि उपज मण्डी समिति, भीलवाड़ा एवं गंगापुर द्वारा 01 जनवरी, 2003 से 31 दिसम्बर, 2012 तक राजीव गांधी कृषक साथी योजनान्तर्गत 120 कृषकों को सहायता राशि रुपये 66,00,000/- स्वीकृत की गई है, जिसका विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है तथा लम्बित 13 प्रकरणों का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कृषि विपणन बोर्ड के प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित कार्मिक

580. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कृषि विपणन बोर्ड (मार्केटिंग) के कितने अधिकारी/कर्मचारी किन-किन विभागों में प्रतिनियुक्ति पर कहां-कहां एवं कितने समय से पदस्थापित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रतिनियुक्ति पर अन्य विभागों में पदस्थापन के क्या नियम निर्धारित हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रतिनियुक्ति पर गये उक्त कार्मिकों को पुन: उनके मूल विभाग में पदस्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के 90 अधिकारी/कर्मचारी, जो अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित हैं, का नाम, विभाग एवं अवधि का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(कृषि विपणन राज्य मंत्री)

(2) प्रतिनियुक्ति पर अन्य विभागों में पदस्थापन के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राजस्थान सेवा नियम ही बोर्ड में लागू हैं। नियमों की प्रति परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

(3) बोर्ड में उपलब्ध कार्यभार को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर गये उक्त कार्मिकों को बोर्ड में पदस्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

राजसमन्द जिले के गृह सुरक्षा कर्मियों का बकाया मानदेय

581. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गृह सुरक्षाकर्मियों (होम गार्डस) को पारिश्रमिक किस दर से दिया जाता है तथा इनका भुगतान करने की क्या व्यवस्था है?

(2) राजसमन्द जिले में वर्ष 2012-13 एवं पूर्ववर्ती 3 वर्षो में किस तहसील में कितने गृह सुरक्षाकर्मियों को कार्य पर लगाया गया? उनको मासिक भुगतान कितना देय था एवं उसका भुगतान कब एवं किस अधिकरण के माध्यम से किया गया?

(3) नाथद्वारा नगर में वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में मासिक आधार पर किस प्रयोजन के लिए कितने गृह सुरक्षाकर्मियों की सेवाएं ली गईं तथा इन्हें प्रतिमाह देय पारिश्रमिक का भुगतान कब किया गया? पारिश्रमिक भुगतान करने का दायित्व किस अधिकरण का था?

(4) सरकार द्वारा गृह सुरक्षाकर्मियों को पारिश्रमिक के नियमित भुगतान हेतु क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

उत्तर

(1) गृह सुरक्षाकर्मियों (होम गार्डस) को पारिश्रमिक भत्ता राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दर माह मई, 2012 से रुपये 220/- प्रतिदिन भुगतान किया जाता है तथा सम्बन्धित होम गार्डस सुरक्षाकर्मियों को इनका भुगतान सम्बन्धित होम गार्डस कर्मी के बैंक खाते के माध्यम से किया जाता है।

(2) राजसमन्द जिले में वर्ष 2012-13 एवं पूर्ववर्ती 03 वर्षो में गृह सुरक्षाकर्मियों को विभिन्न तहसीलों में कार्य पर लगाये जाने का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री)

इन गृह सुरक्षाकर्मियों को मासिक दर भुगतान देय नहीं है, अपितु इनके द्वारा प्रति माह में जितने दिवस ड्यूटी की जाती है, प्रति दिवस रुपये 220/- की दर से पारिश्रमिक भत्ता रु. 12/- प्रति दिवस परिवहन भत्ता एवं रु. 50/- प्रति माह धुलाई भत्ता भुगतान देय था। इन गृह सुरक्षाकर्मियों को माह समाप्ति के उपरान्त आगामी माह की 25 तारीख तक भुगतान किया गया था। गृह सुरक्षाकर्मियों को देय भुगतान, मांगकर्ता एजेन्सी (जिसके अधीन सुरक्षाकर्मियों द्वारा सेवायें दी गयीं) से उक्त दरों के अनुसार गणना कर भुगतान प्राप्त किया जाकर गृह रक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, राजसमन्द कार्यालय के माध्यम से भुगतान किया गया था।

(3) नाथद्वारा नगर में वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 में मासिक आधार पर गृह सुरक्षाकर्मियों की ली गयी सेवाओं का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	**ड्यूटी का विवरण/ अधिकरण**	**सदस्य सं.**	**सेवा का प्रयोजन**
1.	पुलिस सहायतार्थ रात्रि गश्त	25	कानून व्यवस्था हेतु
2.	पुलिस सहायतार्थ यातायात	06	यातायात व्यवस्था हेतु
3.	नगरपालिका	02	सुरक्षा प्रहरी
4.	दूरदर्शन केन्द्र	01	सुरक्षा प्रहरी
5.	मन्दिर मण्डल	85	सुरक्षा प्रहरी

इन गृह सुरक्षाकर्मियों को माह समाप्ति के उपरान्त आगामी माह की 25 तारीख तक भुगतान किया गया। पारिश्रमिक भुगतान करने का दायित्व जिस-जिस अधिकरण द्वारा इसकी सेवायें ली गयीं, उन्हीं का था।

(4) सामान्यत: गृह सुरक्षाकर्मियों को पारिश्रमिक भत्ते का भुगतान ड्यूटी समाप्ति के एक माह के भीतर कर दिया जाता है। कतिपय बजट के अभाव में भुगतान में विलम्ब होने पर विभाग द्वारा प्रयास किया जाकर शीघ्र भुगतान की कार्यवाही सम्पादित करने की व्यवस्था की जाती है।

परिशिष्ट 'अ'

राजसमन्द जिले में वर्ष 2012-13 एवं पूर्ववर्ती 03 वर्षों में विभिन्न तहसीलों में कार्य पर लगाये गये गृह सुरक्षा कर्मियों का विवरण

क्र.सं.	तहसील का नाम	वर्ष 2009-10	वर्ष 2010-11	वर्ष 2011-12	वर्ष 2012-13	वि.वि.
1	राजसमन्द	35	43	61	63	इनमें से दो सदस्य रोडवेज डिपो पर दिनांक 20.02.2013 से लगाये गये हैं।
2	नाथद्वारा	17	57	84	119	-
3	रेलमगरा	10	10	-	20	हिन्दुस्तान जिंक लि. में दिनांक 01.02.2013 से लगाये गये है।
4	देवगढ़	3	3	8	8	-
5	भीम	3	3	16	16	इनमें से 5 सदस्य अक्टूबर 2012 से लगाये गये हैं।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 8 मार्च, 2013)

मृत राज्य कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पा नियुक्ति प्रकरण

159. श्री ओटाराम देवासी (सिरोही) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में वर्ष 2009-10 से 2012-13 में मृत राज्य कर्मचारी आश्रित अनुकम्पात्मक नियुक्ति के कितने आवेदन प्राप्त हुए, उनमें से कितनों को नियुक्ति दी गई और कितनों की किस कारण से नियुक्तियां शेष हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या सरकार नियुक्ति के लिए शेष रहे प्रकरणों का निस्तारण करते हुए उन्हें नियुक्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रदेश में स्थित समस्त राजकीय विभागों से सूचना मांगी गई तथा दिनांक 20.03.13 को सायंकाल तक जिला कलक्टर्स सहित 92 विभागाध्यक्षों से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2009-10 से 2012-13 तक मृत राज्य कर्मचारी आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति हेतु कुल 7,084 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 5,023 को नियुक्ति दी गई तथा 2,061 प्रकरण शेष रहे हैं। विवरण परिशिष्ट 'क' में सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(2) जी हां। जो भी आवेदनकर्ता अनुकम्पा नियुक्ति नियम, 1996 के नियमों के तहत नियुक्ति का पात्र है, उन्हें निर्धारित परीक्षण एवं प्रक्रिया के उपरान्त नियमानुसार नियुक्ति दी जा सकेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-430 का विवरण)

परिशिष्ट 'अ'

नई इन्ट्रिग्रेटेड शुगर मिल परियोजना के तहत 1500 TCD (Expandable upto 2500 TCD) क्षमता की शुगर मिल एवं इसके साथ 4.95 मेगावाट क्षमता का को-जनरेशन पावर प्लान्ट एवं 30 KLPD क्षमता की डिस्टलरी एवं 1.2 मेगावाट क्षमता का कैप्टिव पावर प्लान्ट लगाया जाना है। प्रथमत: राज्य सरकार के बजट वर्ष 2007-08 में उक्त शुगर मिल को-आपरेटिव सैक्टर में लगाने की घोषणा थी। तत्पश्चात् तकनीकी अधिकारियों द्वारा को-आपरेटिव शुगर मिलों के विजिट उपरान्त उक्त प्रस्तावित मिल परियोजना राजकीय उपक्रम के तौर पर लगाने के प्रस्ताव सरकार को भेजे गये थे। जिस पर राज्य सरकार ने स्वीकृति प्रदान की। मिल स्थापना के सम्बन्ध में भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की गई। जिसके तहत 37.695 हैक्टेयर भूमि अवाप्त की गई, जिसमें से 23.022 हैक्टेयर का कब्जा प्राप्त हुआ है, शेष 14.673 हैक्टेयर अवाप्त भूमि पर काश्तकारों द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में 03 याचिकाएं दायर की हुई हैं, जिनमें से 02 याचिकाओं में 14.673 हैक्टेयर भूमि पर स्थगन दिया हुआ है। इसका कब्जा प्राप्त होना शेष है।

इन्ट्रिग्रेटेड परियोजना के तहत डिस्टलरी परियोजना हेतु भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली से एन्वायरमेन्टल कलीयरेन्स की कार्यवाही में काफी समय व्यतीत हुआ (इसमें निहित कार्यवाही यथा मंत्रालय द्वारा टर्म्स आफ रेफरेन्स जारी करना, एन्वायरमेन्टल डेटा कलेक्ट करना, एन्वायरमेन्टल इम्पैक्ट एसेसमेन्ट रिपोर्ट तैयार करना, सक्षम प्राधिकारी द्वारा मौके पर जन-सुनवाई करना, उक्त कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट मंत्रालय को भेजना, एन्वायरमेन्टल अप्रेजल कमेटी की बैठक में अनुमोदन होना तथा भारत सरकार द्वारा अन्तिम पत्र जारी करना)। समस्त प्रयासों के बावजूद दिनांक 11.01.2013 को ही एन्वायरमेन्टल क्लीयरेन्स स्वीकृति पत्र प्राप्त हो सका।

इस दौरान शुगर मिल तथा डिस्टलरी हेतु पृथक-पृथक निविदाएं भी जारी की गई। शुगर मिल हेतु केवल एक निविदा प्राप्त होने से पर्याप्त प्रतिस्पर्धा नहीं होने की वजही से आएसजीएसएम बोर्ड द्वारा पुन: निविदा हेतु निर्णय लिया गया। तथा पुन: दिनांक 27.02.2013 को निविदा प्रकाशित हो चुकी है। उक्त की तकनीकी निविदा दिनांक 04.04.2013 को खोली जानी निर्धारित है। निविदा प्रक्रिया की अग्रिम कार्यवाही तदानुसार शीघ्र पूर्ण करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

डिस्टलरी स्थापना हेतु दिनांक 22.09.2011 को आमंत्रित निविदा के विरुद्ध 04 निविदायें प्राप्त हुईं। न्यूनतम दरदाता की दरें बोर्ड द्वारा दिनांक 27.06.2012 को अनुमोदित कर दी गईं। दिनांक 03.07.2012 को न्यूनतम दरदाता फर्म को दर स्वीकृत पत्र भी जारी कर दिया गया था। किन्तु अनुबन्ध की कार्यवाही पर्यावरणीय स्वीकृति के पश्चात ही की जा सकती थी। पर्यावरण स्वीकृति अथक प्रयासों के बावजूद दिनांक 14.01.2013 को प्राप्त हुई। न्यूनतम निविदादाता फर्म द्वारा दिनांक 24.01.2013 को अनुबन्ध निष्पादन से इंकार करने के कारण बैंक गारन्टी जब्ती आदेश जारी करते हुए फर्म के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। साथ ही एल-2, एल-3 एवं एल-4 निविदादाता फर्मों को क्रमिक रूप से एल-1 की दरों पर काउन्टर आफर दिये जाने का निर्णय लिया गया। इस क्रम में एल-2 मैसर्स मोज इन्जीनियरिंग सिस्टम्स, पुणे को एल-1 दरों पर कार्य करने हेतु दिनांक 06 फरवरी, 2013 को आफर दिया गया था। एल-2 कम्पनी ने अपने प्रत्युत्तर दिनांक 12 फरवरी, 2013 के द्वारा एल-1 दरों पर कार्य करने हेतु सहमति नहीं दी। तत्पश्चात दिनांक 12 फरवरी, 2013 को एल-3 फर्म मैसर्स यूनिवर्सल फोर्सेज इण्डस्ट्रीज पुणे को आफर दिया गया। यद्यपि एल-3 फार्म ने एल-1 दरों के आफर पर सहमति दी परन्तु निविदा के साथ उन्होंने केवल प्रोविजनल फाईनेंशियल स्टेटमेंट ही संलग्न किये थे। अत: उनके गत तीन वर्षों के फाईनल एवं आडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्राप्त किये गये। आडिटेड स्टेटमेंट के अनुसार एल-3 फर्म की गत तीन वर्षों की टर्नओवर निविदा शर्त अनुरूप रु. 50 करोड़ से काफी कम (केवल 27.10 करोड़) पाई गई। अत: एल-3 फर्म को कार्यादेश देने हेतु उपयुक्त नहीं पाया गया। अत: अब एल-4 निविदादाता मैसर्स केबीके कैम इंजीनियरिंग प्रा.लि. पुणे (KBK Chem Engineering Pvt. Ltd. Pune) को प्रस्ताव दिया गया है तथा दिनांक 18.03.2013 तक उनका जवाब चाहा गया है। जवाब उपरान्त यदि वे सहमत होते हैं तो उनके साथ एल.ओ.आई. जारी कर अनुबन्ध की कार्यवाही की जायेगी तथा सहमति नहीं होने पर नवीन निविदा शीघ्र जारी की जायेगी।

उपरोक्त विवरण अनुसार विभिन्न प्रक्रियाओं में लगे समय के परिप्रेक्ष्य में विलम्ब की स्थिति स्पष्ट हो जाती है। वर्तमान में शुगर फैक्ट्री एवं डिस्टलरी की निविदाओं पर त्वरित अग्रिम कार्यवाही की जा रही है। तदानुसार नियम/प्रक्रिया की अन्य कोई अड़चन नहीं हुई तो अनुबन्ध हस्ताक्षर की दिनांक से निविदा में निर्धारित 13 माह की अवधि में कार्य पूर्ण कराने के प्रयास किये जायेंगे।
